सुनन अबू दाऊद

4

2477-3325

سُنَن اَبُو دَاوُد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि
रहमान निर्रहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

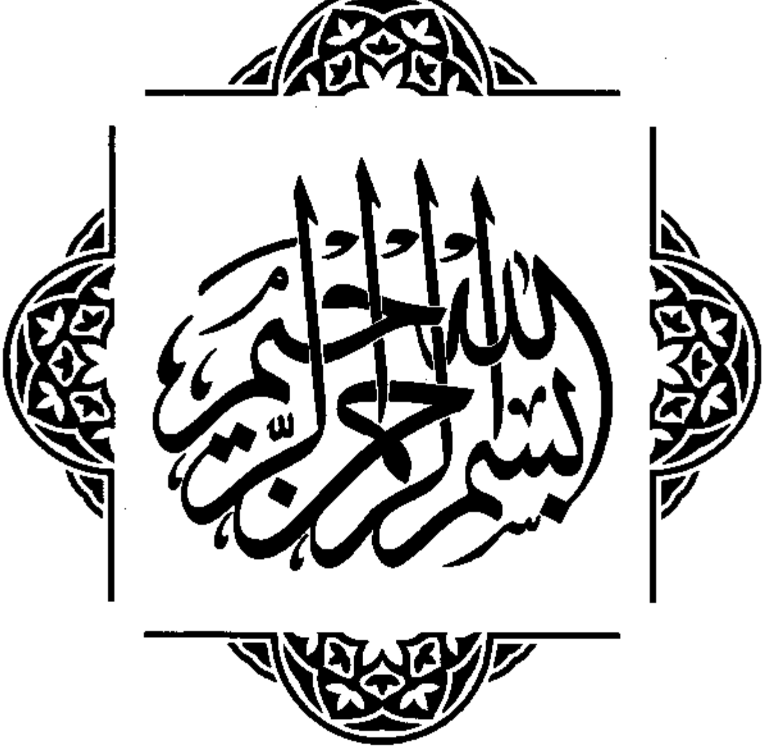

फ़रमाने बारी तआला

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ
وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें, उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7)

फ़रमाने रसूल

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख़्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में जाने से) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कौन (बदबख़्त) इंकार करेगा?

आप (ﷺ) ने फ़रमाया,
जिसने मेरी फ़रमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से ख़ुद ही) इंकार किया।
(सहीह बुख़ारी : 7280)

سُنن ابُو داوٗد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

4

हदीस नं.2477 से 3325 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है।

इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद, जिल्द-4**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर**
तस्हीह व नज़ेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल वाजिद, 99506-96917**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**688 पेज**
प्रकाशन	:	**रमजान 1440 हिजरी, इस्वी सन् मई, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

मिलने के पते

अलकिताब इन्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली 011-26986973

मकताबा तर्जुमान

4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 011-23273407

अल हिरा पब्लिकेशन,

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारुल उलूम सलफिया

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)
70004-11352, 98273-97772

मोहम्मद अब्बास

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503

सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, 070148-98515

सीकर (राज.)

नईम कुरैशी

2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82091-64214

मकतबा अस्सुन्नह

मुम्बई 08097-44448

दारुल इल्म

नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 23082231

शैख़ सुहैल सल्फ़ी

मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 094519-15874

आई. आई. सी.

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार,
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-17111

मकतबा अलफहीम

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-2222013

नसीम खलीली

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़
आगरा, (यू.पी.) 084497-10271

अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09414-920119

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली,

मर्कजी जामा मस्जिद अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
93143-66303

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत	19
जिहाद के मसाइल	21
बाब : 1 हिजरत का बयान और देहात में सकूनत	21
बाब : 2 क्या हिजरत मुनक़तअ (ख़त्म) हो चुकी है?	23
बाब : 3 दियारे शाम में सकूनत इख़्तियार करना	24
बाब : 4 जिहाद हमेशा जारी रहेगा	26
बाब : 5 जिहाद का सवाब	27
बाब : 6 सियाहत ममनूअ है	27
बाब : 7 जिहाद से वापस लौटने का सवाब	28
बाब : 8 दूसरी क़ौमों के मुक़ाबले रूमियों से क़िताल की फ़ज़ीलत	29
बाब : 9 ग़ज़्वे की ग़र्ज़ से समन्दर का सफ़र करना	30
बाब : ... समन्दर में ग़ज़्वे की फ़ज़ीलत	30
बाब : 10 काफ़िर को क़त्ल करने वाले की फ़ज़ीलत	34
बाब : 11 ग़ैर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों की ख़्वातीन की हुरमत व एहतराम का बयान	35
बाब : 12 जो लश्कर ग़नीमत नहीं पाता	36
बाब : 13 दौराने जिहाद में अल्लाह के ज़िक्र के सवाब का बढ़ावा	37
बाब : 14 जो शख़्स सफ़रे जिहाद में वफ़ात पा जाये	38
बाब : 15 दुशमन के मुक़ाबले में मोरचा बंदी की फ़ज़ीलत	38
बाब : 16 जिहाद में पहरेदारी की फ़ज़ीलत	39
बाब : 17 जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत	42
बाब : 18 ख़ास लोगों की वजह से आम लोगों के नफ़ीर (जिहाद में जाने) का हुक्म मन्सूख़ होना	43
बाब : 19 किसी (माक़ूल) उज़्र के बाइस जिहाद के लिये न जाना दुरूस्त है	45
बाब : 20 जो चीज़ ग़ज़्वे से किफ़ायत करती है	47
बाब : 21 जुर्अत (बहादुरी) और बुज़दिली का बयान	48
बाब : 22 आयते करीमा: 'अपने आपको हलाकत में मत डालो' की तफ़्सीर	49
बाब : 23 तीर अन्दाज़ी की फ़ज़ीलत	50
बाब : 24 दुनिया की तलब में ग़ज़्वा करने वाला	52
बाब : 25 जो अल्लाह का कलिमा बलन्द करने की नीयत से क़िताल करे	54
बाब : 26 शहादत की फ़ज़ीलत	55
बाब : 27 शहीद सिफ़ारिश करेगा	58
बाब : 28 शहीद की क़ब्र पर नूर का नज़र आना	59
बाब : 29 तनख़्वाह और मज़दूरी तै करके जिहाद करना	60

बाब : 30 जिहाद में माद्दी बदला ले लेने की रूख़्सत	61
बाब : 31 ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी ही पर जिहाद करे	62
बाब : 32 अगर कोई माँ बाप की रज़ामंदी के बग़ैर जिहाद करे	63
बाब : 33 ख़्वातीन भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं	65
बाब : 34 ज़ालिम हुक्काम की ज़ेरे क़यादत जिहाद करना	66
बाब : 35 किसी दूसरे की सवारी पर जिहाद के लिये जाना	67
बाब : 36 जो कोई जिहाद में सवाब और ग़नीमत की नीयत रखता हो	68
बाब : 37 इन्सान जो अपने आपको अल्लाह के हाथ बेच डाले	69
बाब : 38 जो शख़्स इस्लाम लाये और उसी वक़्त अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाये	70
बाब : 39 जो शख़्स अपना ही हथियार लगने से फ़ौत हो जाये	72
बाब : 40 जंग के वक़्त दुआ की क़बूलियत का बयान	74
बाब : 41 शहादत की दुआ की फ़ज़ीलत	75
बाब : 42 घोड़ों की पेशानियों और दुमों के बाल काटना मकरूह (ना पसंदीदा) है	76
बाब : 43 घोड़ों में कौन से रंग पसन्दीदा और मुस्तहब है	76
बाब : 44 मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहना	78
बाब : 45 वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं	78
बाब : 46 जानवरों और चौपायों की ख़िदमत और ख़बरगीरी करने का हुक्म	79
बाब:47 किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करने का एक अदब	82
बाब : 48 घोड़ों के गलों में तांत डालना	82
बाब : 49 घोड़ों की देख भाल अच्छी तरह करने, बाँध कर रखने और उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का बयान	83
बाब : 50 जानवरों को घण्टियाँ बाँधने का मसला	84
बाब : 51 गंदगी ख़ोर जानवरों पर सवार होना	85
बाब : 52 जानवर का नाम रखना	86
बाब : 53 नफ़ीर (जिहाद के लिये रवानगी) के वक़्त यूँ आवाज़ देना कि ऐ अल्लाह के शहसवारो! सवार हो जाओ	86
बाब : 54 जानवर को लानत करने की मुमानिअत (मनाही)	87
बाब : 55 जानवरों को आपस में लड़ाना	88
बाब : 56 जानवरों को निशान लगाना	88
बाब : 57 चेहरे पर मारना या उस पर दाग़ लगाना मना है	89
बाब : 58 गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती कराने में कराहत	90
बाब : 59 एक सवारी पर तीन अफ़राद का सवार होना	91

बाब : 60 जानवरों पर खड़े होना	91
बाब : 61 बाज़ू (बग़ल) में चलने वाली सवारियाँ	92
बाब : 62 जल्दी चलने का बयान और गुज़रगाह पर पड़ाव डालने की मुमानिअत	93
बाब : 63 रात के पहले पहर सफ़र करने का बयान	94
बाब : 64 सवारी का मालिक ज़्यादा हक़दार है कि वह आगे बैठे	95
बाब : 65 जंग में जानवरों की कूंचें काटनी पड़ें तो जायज़ है	95
बाब : 66 मुक़ाबलाबाज़ी का बयान	96
बाब : 67 पैदल दौड़ में मुक़ाबले का बयान	98
बाब : 68 घोड़ दौड़ में मुहल्लिल का शरीक होना	98
बाब : 69 घोड़ दौड़ में ज़लब (और जनब) का बयान	100
बाब : 70 तलवार को चाँदी से मुज़य्यन करना	101
बाब : 71 तीर लेकर मस्जिद में दाख़िल होना	102
बाब : 72 नंगी तलवार लेना देना मना है	103
बाब : 73 चमड़े के टुकड़े को दो ऊंगलियों में रख कर काटना मना है	103
बाब : 74 कई ज़िरहें पहनने का बयान	104
बाब : 75 (जिहाद में) परचम और झण्डियों का बयान	104
बाब : 76 मामूली घोड़ों और बेकस लोगों के हवाले से मदद की दुआ करना	105
बाब : 77 आदमी किसी शिआर (कोड) के साथ पुकारे	106
बाब : 78 आदमी सफ़र के वक़्त कौनसी दुआ पढ़े?	107
बाब : 79 मुसाफ़िर को अलविदा कहने की दुआ	110
बाब : 80 आदमी सवार होकर कौनसी दुआ पढ़े?	111
बाब : 81 इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करे तो क्या कहे	112
बाब : 82 शूरू रात में सफ़र की मुमानिअत	113
बाब : 83 कौन से दिन सफ़र करना मुस्तहब है?	114
बाब : 84 सफ़र के लिये सुबह सुबह निकलना	115
बाब : 85 इन्सान का अकेले सफ़र करना	115
बाब : 86 जब एक जमाअत सफ़र कर रही हो, तो अपने में से एक आदमी को अपना अमीर बना लें	116
बाब : 87 दुशमन के इलाक़े में क़ुर्आन मजीद ले जाना	117
बाब : 88 लश्करों, रफ़ीक़ों और सराया में मुस्तहब तादाद का बयान	118
बाब : 89 (क़िताल के मौक़े पर) कुफ्फ़ार को इस्लाम की दावत देना	119
बाब : 90 दुशमन के इलाक़े में आग लगाने का मसला	122
बाब : 91 जासूस भेजने का बयान	123

बाब : 92 मुसाफ़िर किसी बाग़ या ग़ल्ले के पास से गुज़रे तो (बग़ैर इजाज़त फल) खजूर (वग़ैरह) खा सकता है और जानवरों का दूध पी सकता है	124
बाब : 93 दरख़्तों से गिरा पड़ा फल खा लेने की रूख़सत का बयान	126
बाब : 94 बग़ैर इजाज़त जानवरों का दूध निकालना मना है	126
बाब : 95 इताअत का बयान	127
बाब : 96 लश्करों का मिलकर क़रीब क़रीब रहना और उनका कुशादा होना	129
बाब : 97 दुशमन से दो ब दो होने की तमन्ना करना पसन्दीदा नहीं	131
बाब : 98 दुशमन से आमना सामना हो तो क्या दुआ की जाये?	132
बाब : 99 (क़िताल से पहले) मुश्रिकीन को दावत देने का मसला	133
बाब : 100 जंग में मकर (चालबाज़ी) का बयान	134
बाब : 101 शब ख़ून का बयान	135
बाब : 102 (अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा के साथ रहे	136
बाब : 103 किस बिना पर मुश्रिकों से क़िताल किया जाये?	136
बाब : 104 जो शख़्स सज्दा करके पनाह चाहे उसका क़त्ल करना ममनूअ है	140
बाब : 105 कुफ्फ़ार से मुक़ाबले में भाग जाने का मसला	142
बाब : 106 ऐसा क़ैदी जिसे कुफ़्र बोलने पर मजबूर कर दिया जाये	144
बाब : 107 जो कोई मुसलमान होते हूए मुसलमानों की जासूसी करे	146
बाब : 108 कोई ज़िम्मी (काफ़िर) मुसलमानों की जासूसी करे तो?	149
बाब : 109 जासूस, जो परवान–ए–अमन लेकर आया हो	150
बाब : 110 जंग के लिये कौन सा वक़्त बेहतर होता है?	152
बाब : 111 दौराने क़िताल में ख़ामोशी का हुक्म	153
बाब : 112 मुजाहिद का क़िताल के वक़्त पैदल हो जाना	154
बाब : 113 दौराने जंग गुरूर तकब्बुर का इज़हार मुबाह है	154
बाब : 114 आदमी जिससे क़ैदी बन जाने का मुतालबा किया जाये	155
बाब : 115 कमीनगाह में बैठने वालों का बयान	158
बाब : 116 जंग में सफ़बंदी का बयान	159
बाब : 117 टकराव के वक़्त तलवार सौंतना	160
बाब : 118 जंग में मुक़ाबले के लिये ललकारना	160

बाब : 119 मक़्तूल की नाक कान वग़ैरह काटना नाजायज़ है	161
बाब : 120 औरतों को क़त्ल करना मना है	162
बाब : 121 दुशमन को आग में जलाना नाजायज़ है	165
बाब : 122 जिहाद में ग़नीमत से मिलने वाले निस्फ़ (आधा) या पूरे हिस्से के बदले जानवर किराये पर देना	167
बाब : 123 क़ैदी को बाँधना	168
बाब : 124 क़ैदी को मार पीट और डाँट डपट करना और इक़रार कराना	172
बाब : 125 इस्लाम क़बूल करने के लिये क़ैदी पर जब्र करना मुनासिब नहीं	174
बाब : 126 क़ैदी को इस्लाम की दावत दिये बग़ैर क़त्ल कर डालने का मसला	175
बाब : 127 क़ैदी को बाँध कर क़त्ल करना	178
बाब : 128 क़ैदी को तीर मार कर क़त्ल करना	179
बाब : 129 फ़िदया लिये बग़ैर एहसान करते हूए क़ैदी को वैसे ही रिहा कर देना	180
बाब : 130 माल लेकर क़ैदी को रिहा करना	182
बाब : 131 दुशमन पर ग़ल्बा पा लेने के बाद अमीर का कुछ वक़्त के लिये मफ़्तूहा इलाक़े में ठहरना	187
बाब : 132 क़ैदियों को जुदा जुदा करना	188
बाब : 133 अगर क़ैदी जवान हों तो उनमें जुदाई की जा सकती है	189
बाब : 134 कुफ़्फ़ार किसी मुसलमान का माल ले उड़ें फिर उसका मालिक माले ग़नीमत में अपना माल पा ले	190
बाब : 135 मुश्रिकों के ग़ुलाम अगर मुसलमानों से आ मिलें और इस्लाम क़बूल कर लें	192
बाब : 136 दुशमन के इलाक़े से मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के इस्तेमाल का जवाज़	193
बाब : 137 दुशमन के इलाक़े में तआम की कमी हो तो लूट की मुमानिअत (मनाही)	194
बाब : 138 दुशमन के इलाक़े से खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले आना	196
बाब : 139 दारूल हरब में जब खाने पीने की अशया (चीज़ें) लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें बेचने का मसला	196
बाब : 140 (दौराने जिहाद) मुशतरका ग़नीमत में से इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करना	197
बाब : 141 दौराने मअरका ग़ैर तक़सीम शुदा ग़नीमत के हथियारों से क़िताल करना जायज़ है	198
बाब : 142 माले ग़नीमत में ख़्यानत और चोरी इन्तेहाई घिनौना अमल है	199
बाब : 143 जब ख़्यानत का माल मामूली हो तो इमाम चोर को छोड़ दे और उसके सामान को न जलाये	201
बाब : 144 ग़नीमत में ख़्यानत करने वाले की सज़ा का बयान	202

बाब : 145 (माले ग़नीमत के) ख़यानत करने वाले की ख़्यानत पर परदा डालना मना है	205
बाब : 146 काफ़िर मक़्तूल का माल उसके क़ातिल को दिया जाये	205
बाब : 147 इमाम अगर मुनासिब समझे तो क़ातिल को मक़्तूल के कुछ (सलब) से महरूम कर सकता है। और ये बयान कि घोड़ा और हथियार 'सलब' में शुमार होगा	209
बाब : 148 सलब में से ख़ुमुस नहीं लिया जाता	211
बाब : 149 जो शदीद ज़ख़्मी को क़त्ल करे, उसे उसके सलब में से कुछ देना	212
बाब : 150 जो शख़्स ग़नीमत की तक़सीम के बाद पहुँचे, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं	212
बाब : 151 औरत और ग़ुलाम को ग़नीमत में से इनाम व इकराम दिया जाये	216
बाब : 152 क्या मुश्रिक का ग़नीमत में कोई हिस्सा है?	219
बाब : 153 घोड़ों के हिस्सों का बयान	220
बाब : 154 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि घोड़े का भी एक ही हिस्सा है	221
बाब : 155 (ग़नीमत के अलावा) इज़ाफ़ी इनाम देने का बयान	222
बाब : 156 लश्कर के एक दस्ते को इज़ाफ़ी इनाम देना जिसने बड़े लश्कर से अलग कोई मुहिम की हो	226
बाब : 157 इस मसले की दलील कि ख़ुमुस पहले निकाला जाये और इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये जायें	229
बाब : 158 छोटे दस्ते की हासिल करदा ग़नीमत बड़े लश्कर में भी तक़सीम होगी	232
बाब : 159 इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) सोने चाँदी की सूरत में हो सकता है और ग़नीमत से भी जो सबसे पहले हासिल हो	235
बाब : 160 काफ़िरों से हासिल होने वाले माल में से इमाम का अपने लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना	236
बाब : 161 अहद व पैमान (वादे) का पूरा करना	237
बाब : 162 लोगों पर लाज़िम है कि इमाम के तय करदा अहद व पैमान की पाबंदी करें	238
बाब : 163 मुआहिदा के दिनों में इमाम अगर दुशमन की जानिब कूच करे तो (रवा नहीं)	239
बाब : 164 ज़िम्मी से किये गये अहद की वफ़ा करने और उसके ज़िम्मा की हुरमत का बयान	240
बाब : 165 सफ़ीर और क़ासिदों (की हुरमत) का बयान	241
बाब : 166 मुसलमान ख़ातून की दी हुई अमान	243
बाब : 167 दुशमन से सुलह कर लेने का बयान	244
बाब : 168 ग़फ़लत और बेख़बरी में दुशमन के पास जाना और उनकी मुशाबिहत इख़्तियार करना	250
बाब : 169 दौराने सफ़र में बलन्दी पर चढ़ते हूए अल्लाहु अकबर कहना	253
बाब : 170 जिहाद से वापस आ जाने की रूख़्सत जबकि ये अमल पहले मना था	254
बाब : 171 ख़ूश ख़बरी देने वाले भेजना	255

बाब : 172 ख़ुशख़बरी देने वाले को कोई इनाम देना	256
बाब : 173 सज्द-ए-शुक्र का बयान	257
बाब : 174 (बग़ैर इत्तलाअ– बग़ैर ख़बर किये) रात को घर आना (मुनासिब नहीं)	259
बाब : 175 सफ़र से वापस आने वाले का इस्तेक़बाल करना	261
बाब : 176 ग़ज़्वे से वापसी पर दौराने सफ़र ही में तोशे (खाने–पीने के सामान) को ख़त्म कर देने का इस्तेहबाब	261
बाब : 177 सफ़र से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना	262
बाब : 178 मुश्तरक माल तक़सीम करने की उजरत लेना	264
बाब : 179 दौराने जिहाद में तिजारत करना जायज़ है	265
बाब : 180 दुशमन के इलाक़े में हथियारों को ले जाने देना	266
बाब : 181 मुश्रिकों के इलाक़े में इक़ामत इख़्तियार कर लेना	267
क़ुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत और अहकाम व मसाइल	269
क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल	271
बाब : 1 क़ुर्बानी का वजूब	271
बाब : 2 मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी	272
बाब : 3 जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहता हो और वह अशरह ज़िलहिज्जा में अपने बाल काटता हो	274
बाब : 4 किस क़िस्म का जानवर क़ुर्बानी के लिये मुस्तहब है?	275
बाब : 5 क़ुर्बानी के लिये किस उमर का जानवर जायज़ है?	278
बाब : 6 क़ुर्बानी में ऐबदार जानवरों का बयान	282
बाब : 7 गाय और ऊँट कितने अफ़राद से किफ़ायत करते हैं?	286
बाब : 8 एक जमाअत की तरफ़ से एक बकरी क़ुर्बानी करना	287
बाब : 9 इमाम ईदगाह ही में क़ुबानी करे	288
बाब : 10 क़ुर्बानी का गोश्त रख लेना जायज़ है	288
बाब : 11 जानवरों को बाँधकर क़त्ल करना मना है और ज़बीहा के साथ नर्मी करने का बयान	290
बाब : 12 मुसाफ़िर भी क़ुर्बानी करे	291
बाब : 13 अहले किताब के ज़बीहा का हुक्म	292
बाब : 14 ऐसे जानवरों का खाना जिनको बदवी लोग फ़ख़्र व मुबाहात के तौर पर ज़बह करें	294
बाब : 15 पत्थर से ज़बह करने का मसला	295
बाब : 16 जो जानवर कहीं गिर गया हो, तो उसको ज़बह करने का तरीक़ा	298
बाब : 17 ज़बह ख़ूब अच्छी तरह से करना चाहिए	299
बाब : 18 पेट के बच्चे का ज़बह का मसला	300
बाब : 19 जिस गोश्त के मुताल्लिक़ मालूम न हो कि उसके ज़बह करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी है या नहीं	301

बाब : 20 अतीरा का मसला	302
बाब : 21 अक़ीक़े के अहकाम व मसाइल	304
शिकार के अहकाम व मसाइल	311
बाब : 1 शिकार वग़ैरह के लिये कुत्ता रखने का बयान	312
बाब : 2 शिकार करने का बयान	313
बाब : 3 ज़िन्दा जानवरों से काटा गया गोश्त हराम है	320
बाब : 4 शिकार के पीछे पड़े रहना कैसा है?	321
वसीयत के अहकाम व मसाइल	323
बाब : 1 वसीयत करने की ताकीद	324
बाब : 2 माल में किस क़द्र वसीयत जायज़ है?	325
बाब : 3 वसीयत में किसी को नुक़सान पहुँचाना नाजायज़ है	327
बाब : 4 वसीयत का ज़िम्मेदार बनना कैसा है?	329
बाब : 5 माँ बाप और दूसरे (वारिस) क़राबतदारों के लिये वसीयत करना मन्सूख़ है	330
बाब : 6 वारिस के लिये वसीयत	330
बाब : 7 खाने पीने में यतीम को अपने साथ शरीक रखना कैसा है?	331
बाब : 8 यतीम का सरपरस्त उसके माल से किस क़द्र लेने का मजाज़ है?	332
बाब : 9 यतीमी कब ख़त्म हो जाती है?	333
बाब : 10 यतीम का माल हड़प कर जाने की मज़म्मत	334
बाब : 11 कफ़न भी मिन्जुम्ला मय्यत के माल में से होता है	336
बाब : 12 इंसान कोई चीज़ हिबा करे फिर उस चीज़ की उसी के लिये वसीयत कर दे या देने वाला ही उसका वारिस बन जाये?	337
बाब : 13 आदमी कोई चीज़ वक़्फ़ कर दे	338
बाब : 14 मय्यत की तरफ़ से सदक़े का बयान	341
बाब : 15 मय्यत की वसीयत के बग़ैर ही उसकी तरफ़ से सदक़ा करना	342
बाब : 16 काफ़िरों की वसीयत पर अमल किया जाये या न? जबकि वारिस मुसलमान हो गया हो	343
बाब : 17 कोई शख़्स कर्ज़ लेकर मरा और माल छोड़ गया तो वारिस क़र्ज़ ख़्वाहों से मोहलत माँगे और नर्मी चाहे	344
विरासत के अहकाम व मसाइल	346
बाब : 1 इल्मे मीरास की अहमियत	348
बाब : 2 कलाला का बयान	349
बाब : 3 जिस शख़्स की औलाद न हो और कई बहनें वारिस हों	350
बाब : 4 सुलबी औलाद की विरासत का बयान	352
बाब : 5 दादी नानी की विरासत का बयान	355
बाब : 6 दादा की विरासत का बयान	357
बाब : 7 असबात की विरासत का बयान	358
बाब : 8 ज़विल अरहाम की विरासत का बयान	359

बाब : 9 लिआन वाली औरत के बच्चे की विरासत का बयान	363
बाब : 10 क्या मुसलमान किसी काफ़िर का वारिस होता है?	365
बाब: 11 जो कोई किसी मीरास पर मुसलमान हूआ	367
बाब : 12 वला का बयान	367
बाब : 13 जो शख़्स किसी के हाथ पर मुसलमान हो तो उनके बीच भी ताल्लूक़े वला समझा जाता है	370
बाब : 14 वला का बेचना कैसा है?	371
बाब : 15 बच्चा जो ज़िन्दा पैदा होकर रोए और फिर फ़ौत हो जाये	371
बाब : 16 नसब की मीरास ने मवाख़ात और हल्फ़ की विरासत को मन्सूख़ कर दिया है	372
बाब : 17 हिल्फ़ का बयान	375
बाब : 18 औरत अपने शौहर की दियत में से हिस्सा पायेगी	377
महसूलात अराज़ी, ग़नाइम और इमारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	378
बाब : 1 अवाम और रईयत (जनता) के हुक़ूक़ जो हाकिम पर वाजिब हैं	380
बाब : 2 हुकूमत तलब करने का मसला	381
बाब : 3 नाबीने को आमिल बनाना जायज़ है	383
बाब : 4 वज़ीर बनाना जायज़ है	384
बाब : 5 क़ौम की नुमाइन्दगी	385
बाब : 6 कातिब (सैकेटी) रखने का बयान	388
बाब : 7 सदक़ात वसूल करने वाले का सवाब	389
बाब : 8 ख़लीफ़ा अपने जानशीन का नाम दे	391
बाब : 9 बैत के अहकाम व मसाइल	394
बाब: 10 उम्माले हुकूमत की तनख़्वाहों का बयान	395
बाब : 11 उम्माल का लोगों से हदिये वसूल करना	397
बाब : 12 सदक़ात में ख़्यानत करना	399
बाब : 13 रईयत के ताल्लूक़ से हाकिम के फ़राइज़ का बयान और ये कि वह अवाम को मिलने से गुरेज़ न करे	399
बाब : 14 माले फ़ै की तक़सीम के अहकाम व मसाइल	402
बाब : 15 मुसलमानों की औलादों के हिस्से का बयान	404
बाब : 16 जिहाद में कब किसी को बाक़ायदा क़िताल का मौक़ा दिया जाये?	405
बाब : 17 ज़मान–ए–आख़िर में बादशाहों से कुछ लेना मकरूह है	406
बाब : 18 ग़नीमत और फ़ै लेने वालों के नाम ज़ब्ते तहरीर में लाना (लिखित में रखना)	408
बाब : 19 वह ख़ास अमवाल जो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने लिये मख़सूस कर लिया करते थे मसला विरासते अम्बिया	410
बाब : 20 ख़ुमुस (ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) लिया करते थे) कहां ख़र्च होता था और क़राबतदारों के हिस्से का बयान	430

बाब : 21 सफ़्फ़ी के अहकाम व मसाइल	447
बाब:22यहूदी मदीना मुनव्वरा से कैसे निकाले गये?	451
बाब : 23 यहूदे बनू नज़ीर का वाक़िया	457
बाब : 24 ख़ैबर की ज़मीन का हुक्म	462
बाब : 25 फ़तहे मक्का का बयान	471
बाब : 26 ताइफ़ का बयान	476
बाब : 27 सरज़मीने यमन का हुक्म	478
बाब : 28 यहूदियों को जज़ीर–ए–अ़रब से निकाल देने का बयान	480
बाब : 29 इराक़ की ज़मीन और बज़ोर क़ूव्वत हासिल शुदा ज़मीनें वक़्फ़ करने का बयान	483
बाब : 30 जिज़्या लेने के अहकाम व मसाइल	485
बाब : 31 मजूस (आतिश परस्तों) से जिज़्या लेने का बयान	488
बाब : 32 जिज़्या लेने में सख़्ती करने का मसला	491
बाब : 33 ग़ैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना माले तिजारत लेकर आयें जायें तो उनसे दसवाँ हिस्सा लिया जाये	491
बाब : 34 कोई काफ़िर (ज़िम्मी) साल के दौरान में मुसलमान हो जाये तो क्या उस पर जिज़्या होगा?	495
बाब:35 हाकिम का मुश्रिकों से हदिया क़बूल करना	496
बाब : 36 ज़मीन के क़तआत अ़ता करना	501
बाब: 37 बंजर लावारिस ज़मीन को आबाद करना	513
बाब : 38 ख़राजी ज़मीन ख़रीदने का मसला	519
बाब : 39 हाकिमे आ़ला या कोई शख़्स किसी ज़मीन को अपने लिए बतौर चरागाह मख़्सूस कर ले	520
बाब : 40 माले मदफ़ून मिले तो उसका मसला	522
बाब : 41 पुरानी क़ब्रें खोदने का मसला कि जिनमें माल हो	523
जनाज़े के अहकाम व मसाइल	525
बाब : 1 बीमारियों के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनने का बयान	527
बाब : 2 जब आदमी नेक अ़मल करता रहा हो, फिर बीमारी या सफ़र की वजह से वह अ़मल न कर सके तो?	530
बाब : 3 औरतों की एयादत करना	531
बाब : 4 एयादत का बयान	533
बाब : 5 ज़िम्मी काफ़िर की एयादत करना	534
बाब : 6 किसी की एयादत के लिए पैदल चल कर जाना	535
बाब : 7 बावुज़ू होकर एयादत के लिए जाने की फ़ज़ीलत	535
बाब : 8 बार बार एयादत करना	537
बाब : 9 किसी की आँख ख़राब हो जाये तो उसकी एयादत के लिए जाना	538
बाब : 10 ताऊ़न से निकल भागना ...?	538
बाब : 11 एयादत के मौक़े पर मरीज़ के लिए शिफ़ा की दुआ करना	539
बाब : 12 एयादत के मौक़े पर बीमार के लिए दुआ	540
बाब : 13 मौत की तमन्ना करना मकरूह है	541

बाब : 14 मौत का अचानक आ जाना	542
बाब : 15 उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो ताऊन से मर जाये	543
बाब : 16 मौत के करीब मरीज़ के नाख़ुन काटे जायें और ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई भी की जाये	545
बाब : 17 मुस्तहब है कि इंसान मौत के वक़्त अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे	547
बाब : 18 मुस्तहब है कि मौत के क़रीब आदमी के कपड़े पाक साफ़ कर दिये जायें	548
बाब : 19 मय्यत के पास किस क़िस्म की गुफ़्तगू की जाये	549
बाब : 20 क़रीबुल मर्ग़ (जिसकी मौत करीब आ चुकी हो) को तल्क़ीन करने का बयान	550
बाब : 21 मय्यत की आँखें बंद कर देनी चाहिए	551
बाब : 22 (किसी भी मुसीबत के वक़्त) इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का बयान	552
बाब : 23 मय्यत को ढाँप देने का बयान	553
बाब : 24 क़रीबुल मर्ग़ के पास क़ुर्आन पढ़ने का मसला	553
बाब : 25 मुसीबत के वक़्त (ग़म के सबब से) बैठने का बयान	554
बाब : 26 ताज़ीयत का बयान	556
बाब : 27 सब्र दर हक़ीक़त वही है जो मुसीबत आते ही किया जाये	557
बाब : 28 मय्यत पर रोना	559
बाब : 29 नोहे का बयान	561
बाब:30अहले मय्यत के लिये खाना तैयार करना	564
बाब : 31 शहीद को गुस्ल देने का मसला?	565
बाब : 32 मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके लिए परदा करना	568
बाब : 33 मय्यत को कैसे गुस्ल दिया जायें?	570
बाब : 34 कफ़न का बयान	572
बाब : 35 कफ़न महंगा बनाना मकरूह है	575
बाब : 36 औरत के कफ़न का बयान	576
बाब : 37 मय्यत को कस्तूरी लगाना	577
बाब : 38 जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना मुस्तहब (बेहतर) और उसे रोके रखना मकरूह है	577
बाब : 39 मय्यत को नहलाने वाले के लिए गुस्ल करने का मसला	578
बाब : 40 मय्यत को बोसा देना	580
बाब : 41 रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करना	580
बाब : 42 मय्यत को एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल करना नापसन्दीदा है	581
बाब : 43 नमाज़े जनाज़ा में सफ़ बंदी का बयान	582
बाब : 44 औरतों का जनाज़े के साथ जाना	582
बाब : 45 जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के साथ जाने की फ़ज़ीलत	583
बाब : 46 मय्यत के साथ आग ले जाना मना है	585
बाब : 47 मय्यत के लिए खड़े होने का मसला	586
बाब : 48 जनाज़ा में सवार होकर जाना	588
बाब : 49 जनाज़े के आगे आगे चलना	589

बाब : 50 जनाज़ा जल्दी ले जाने का बयान	590
बाब : 51 इमाम, ख़ुदकुशी करने वाले का जनाज़ा न पढ़ाये	592
बाब : 52 जो शख़्स शरई हद में क़त्ल किया जाये उसकी नमाज़े जनाज़ा	594
बाब : 53 बच्चे की नमाज़े जनाज़ा	594
बाब : 54 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना	596
बाब : 55 सूरज तुलूअ या गुरूब होते वक़्त दफ़न करना	597
बाब : 56 मर्दों और औरतों के जनाज़े इकट्ठे आ जायें तो किसे आगे किया जाये?	598
बाब : 57 जनाज़ा पढ़ाते हुए इमाम मय्यत के मुक़ाबिल कहाँ खड़ा हो?	599
बाब : 58 जनाज़े की तकबीरात का बयान	603
बाब : 59 जनाज़े में क़िराअत का बयान	604
बाब : 60 मय्यत के लिए दुआ का बयान	604
बाब : 61 क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना	608
बाब : 62 जो मुसलमान मुश्रिकीन के इलाक़े में फ़ौत हो जाये	608
बाब : 63 एक क़ब्र में कई मय्यतों को इकट्ठा करने और क़ब्र पर निशान रखने का बयान	610
बाब : 64 क़ब्र खोदने वाले को कोई हड्डी मिल जाये तो क्या वह उस जगह को छोड़ दे?	611
बाब : 65 क़ब्र में लहद बनाने का बयान	612
बाब : 66 मय्यत को उतारने के लिए क़ब्र में कितने आदमी उतरें?	612
बाब : 67 मय्यत को कैसे (किस तरफ़ से) क़ब्र में उतारा जाये	613
बाब : 68 क़ब्र के पास किस तरह बैठे?	614
बाब : 69 क़ब्र में उतारते हुए मय्यत के लिए दुआ करना	614
बाब : 70 किसी का मुश्रिक रिश्तेदार फ़ौत हो जाये तो	615
बाब : 71 क़ब्र गहरी खोदी जाये	616
बाब : 72 क़ब्र बराबर कर देने का बयान	617
बाब : 73 क़ब्रिस्तान से वापस होते हुए क़ब्र के पास मय्यत के लिए इस्तेग़फ़ार करना	620
बाब : 74 क़ब्र के पास जानवर ज़बह करना हराम है	621
बाब : 75 एक मुद्दत के बाद क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना	621
बाब : 76 क़ब्र पर इमारत बनाना	622
बाब : 77 क़ब्र पर बैठना हराम है	623
बाब : 78 जूते पहने हूए क़ब्रों पर चलना	625
बाब : 79 किसी वजह से मय्यत को उसकी जगह से मुन्तक़िल कर देना	627
बाब : 80 मय्यत को ज़िक्रे ख़ैर से याद करना	627
बाब : 81 ज़ियारते क़ुबूर (कब्रों की ज़ियारत) का बयान	628
बाब : 82 औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना	629
बाब : 83 क़ब्रिस्तान (में जाये या उसके क़रीब) से गुज़रे तो क्या पढ़े?	630
बाब : 84 मुहरिम अगर फ़ौत हो जाये तो उसके साथ कैसे किया जाये?	630

क़सम खाने और नज़र मानने के अहकाम व मसाइल	633
बाब : 1 झूठी क़सम में गुनाह की सख़्ती	634
बाब : 2 जो शख़्स किसी का माल मार लेने के लिए क़सम खाये	634
बाब : 3 मिम्बरे नबवी के पास क़सम खाने की अज़मत	637
बाब : 4 ग़ैरूल्लाह के नाम की क़सम खाना	638
बाब : 5 बाप–दादों के नाम की क़सम खाने की हुरमत	639
बाब : 6 अमानत की क़सम खाना नाजायज़ है	641
बाब : 7 लग़्व क़सम का बयान	642
बाब : 8 क़सम खाने में मख़्फ़ी तौर पर इशारतन कोई और मफ़हूम मुराद ले लेना	643
बाब : 9 इस्लाम से बरी हो जाने या ग़ैर मुस्लिम हो जाने की क़सम खाना	644
बाब : 10 जो कोई क़सम खाये कि सालन नहीं खायेगा	645
बाब : 11 क़सम के साथ (इंशाअल्लाह) कहना	646
बाब : 12 नबी कैसे क़सम खाया करते थे	647
बाब : 13 क्या किसी को क़सम देना भी क़सम में दाख़िल है?	649
बाब : 14 अगर कोई क़सम खा ले कि ये खाना नहीं खाऊंगा	650
बाब : 15 क़तअ ताल्लुक़ की क़सम खा लेना	652
बाब: 16 जो शख़्स जान बुझकर झूठी क़सम खाये	654
बाब : 17 क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिए	656
बाब : 18 कफ़्फ़ारा में कौन सा स़ाअ मोतबर है	657
बाब : 19 मोमिन गर्दन (लौण्डी/गुलाम) के बयान में	659
बाब : 20 क़सम खाने के बाद क़द्रे तवक़्क़ुफ़ से इंशाअल्लाह कहना	662
बाब : 21 नज़र मानना नापसन्दीदा है	663
बाब : 22 गुनाह और नाफ़रमानी की नज़र मानने का बयान	665
बाब : 23 नाफ़रमानी की नज़र छोड़ देने में कफ़्फ़ारे का बयान	665
बाब : 24 जो शख़्स बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने की नज़र मान ले	673
बाब : 25 मय्यत की तरफ़ से नज़र पूरी करना	674
बाब : 26 जो कोई फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वारिस़ उसकी तरफ़ से रोज़े रखे	676
बाब : 27 नज़र पूरी करने का हुक्म	677
बाब : 28 आदमी जिस चीज़ का मालिक न हो उसमें नज़र नहीं	680
बाब : 29 जो ये नज़र माने कि सब माल स़दक़ा कर दूंगा	683
बाब : 30 जो शख़्स ऐसी नज़र मान ले जिसकी वह ताक़त न रखता हो	686
बाब : 31 जिसने कोई ग़ैर मुअय्यन नज़र मानी हो	687
बाब : 32 जिसने जाहिलीयत के अय्याम (दिनों) में नज़र मानी हो फिर मुसलमान हो जाये	688

كتاب الجهاد

जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत

- (जिहाद, जहद) से मुश्तक़ (लिया गया) है, जिसके मानी हैं 'मेहनत व मशक्क़त' इस मानी के ऐतबार से दीन के लिये की जाने वाली तमाम कोशिशें (जानी, माली, क़ौली, फ़िक्री, फ़ेली और तहरीरी सभी) जिहाद में शामिल हैं। इसके अलावा इस्तेलाहन व उरफ़न नफ़्से अम्मारा का मुक़ाबला 'मुजाहिदा' और दुशमन और फ़सादियों के साथ मुसल्लह आवेज़िश को 'जिहाद' कहते हैं। मक्की दौर में कुफ़्फ़ार के साथ 'ऐराज़ और दरगुज़र से काम लो।' का हुक्म था, मगर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने के बाद मुसलमानों को मुसल्लह (हथियार बंद) मुक़ाबले की इजाज़त दे दी गयी और फ़रमाया गया: 'इन लोगों को जिनसे काफ़िर लड़ते हैं (मुसल्लह क़िताल की) इजाज़त दी जाती है इसलिए कि ये मज़लूम हैं और अल्लाह इनकी मदद पर ख़ूब क़ुदरत रखता है।' (अल हज: 39) उसके बाद इस अमल को उम्मत पर वक़्त के हिसाब से वाजिब कर दिया गया और फ़रमाया गया: '(कुफ़्फ़ार से) क़िताल करना तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है और मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ बुरी लगे और वह (दरहक़ीक़त) तुम्हारे लिये बेहतर हो और मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें भली लगे और वह (हक़ीक़त में) तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।' (अल बक़र: 216) और आम हालात में जिहाद फ़र्ज़े किफ़ाया है।
- जिहाद की फ़ज़ीलत की बाबत हज़रत अबूज़र (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैंने नबी ए-करीम (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा अमल सबसे अच्छा और अफ़ज़ल है? तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला पर ईमान लाना और उसके बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' (सही बुख़ारी, हदीस: 2518) इस हदीस से मालूम हूआ कि ईमान लाने के बाद अफ़ज़ल तरीन अमल, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया, कौन कौन से आमाल सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं? या कौन से आमाल बेहतर हैं? आपने फ़रमाया:

'जिहाद (नेक) आमाल की कोहान है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 1658) दीने इस्लाम में जिहाद की बहुत ज़्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत बयान हूई है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईमान लाने के बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बलन्द तरीन दर्जात के हुसूल का और रंज व ग़म और मुसीबतों व मुश्किलात से निजात हासिल करने का ज़रिया है, इसी तरह हदीस से साबित है कि अल्लाह तआला पर ईमान लाने के बाद हिजरत और जिहाद करने वाले के लिये अल्लाह तआला तीन घर बनाता है, एक घर जन्नत के गिर्द, एक जन्नत के वस्त में और एक जन्नत के बाला ख़ानों में। (सुनन नसाई, हदीस: 3135)

- जिहाद की अहमियत के मुताल्लिक़ नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने कभी जिहाद में हिस्सा लिया न कभी उसके दिल में जिहाद की ख़्वाहिश ही पैदा हूई, वह निफ़ाक़ के एक दर्जे में मरेगा।' (सही मुस्लिम: 1910) इसी तरह आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने कभी जिहाद में हिस्सा न लिया और न कभी मुजाहिद की मदद ही की, अल्लाह तआला उसे दुनिया ही में सख़्त मुसीबत में मुब्तला फ़रमायेगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2503)
- क़ुर्आन व हदीस में जिहाद की तालीम व तर्ग़ीब को सामने रखते हुये रसूले अकरम (ﷺ) की हयाते तय्यबा पर नज़र डाली जाये तो ये बात वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ये अल्फ़ाज़ कि 'मैं चाहता हूं कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊं, फिर ज़िन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया जाऊं, फिर ज़िन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया जाऊं, फिर ज़िन्दा किया जाऊं।'
- सिर्फ़ उम्मत को जिहाद की तर्ग़ीब और फ़ज़ीलत ज़ाहिर करने के लिये न थे बल्कि आप दिल की गहराईयों से ये ख़्वाहिश रखते थे कि अल्लाह तआला के हुज़ूर अपनी जान का नज़राना पेश करें। अल्लाह तआला हमारे दिलों में भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तड़प पैदा करे, ताकि इस गये गुज़रे दौर में भी दीने इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाये, हर तरफ़ दीने इस्लाम ही का बोल बाला हो और दीने इस्लाम बाक़ी तमाम दीनों पर ग़ालिब आ जाये।

كتاب الجهاد

जिहाद के मसाइल

﴿1﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ

बाब : 1
हिजरत का बयान और देहात में सकूनत

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ " وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " .

(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक देहाती ने नबी (ﷺ) से हिजरत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। (मदीना मुनव्वरा में सकूनत के लिये बैअत करनी चाही) आपने फ़रमाया: 'तुम पर अफ़सोस! हिजरत का मामला इन्तेहाई सख़्त है, क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: हाँ। आपने पूछा: 'उनकी ज़कात देते हो?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'उन बस्तियों के पार अमल किये जाओ, अल्लाह तआला तुम्हारे अमल में कोई कमी नहीं करेगा।'

(2477) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6165, व मुस्लिम: 1865.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (हिजरत) लुग़त में 'जोड़ देने' को कहते हैं और इस्तेलाहन ये है कि इन्सान अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से दारूलकुफ़्र, दारूल फ़साद और दारूलमआसी

को छोड़कर दारूल इस्लाम और दारूस सलाह की सकूनत इख़्तियार कर ले। और हिजरत की जान ये है कि इन्सान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मना करदा उमूर से रूके रहे। जैसा कि हदीस में उसकी सराहत है। (सही बुख़ारी, हदीस: 10) **(2)** हिजरत के तक़ाज़े इन्तेहाई शदीद हैं, ये कोई आसान अमल नहीं है। **(3)** (अलबिहारू) का लफ़्ज अरबी ज़बान में बस्तियों और शहरों पर भी बोला जाता है। **(4)** आमाल की बुनियाद ईमान और इख़्लास पर है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْبَدَاوَةِ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلاَعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي " يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ " .

(2478) मिक़दाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि बस्ती और देहात में सकूनत इख़्तियार करना कैसा है? तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) (कभी कभार) इन टीलों और मैदानों की तरफ़ चले जाया करते थे। आपने एक बार बाहर जाने का इरादा फ़रमाया और मेरी तरफ़ सदक़ा के ऊँटों में से एक जवान ऊँटनी भेजी (कि सवारी के दौरान में इस पर कुछ सख़्ती करनी पड़ी) तो आपने फ़रमाया: 'आयशा! नरम ख़ूई से काम लो, नर्मी जिस चीज़ में भी आ जाये वह ख़ूबसूरत हो जाती है और जिससे निकाल ली जाये, वह ऐबदार हो जाती है।'

(2478) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/58, व मुस्लिम: 2594.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत का पहला हिस्सा (हाज़िहित्तलाअ) सहीह साबित नहीं है। (अल्लामा अल्बानी) ताहम अपने आप में ग़ौरो फ़िक्र की नियत से आदमी किसी वक़्त उज़लत व तन्हाई इख़्तियार करे तो मुफ़ीद है। जिसकी सूरत ऐतकाफ़ है न कि सूफ़िया की सयाहत **(2)** जब हैवानात से नर्म ख़ूई मम्दूह और मतलूब है तो इन्सानों से ये मामला और भी ज़्यादा बाइसे अज्र व सवाब है।

बाब : 2
क्या हिजरत मुनक़तअ (ख़त्म) हो चुकी है?

﴿2﴾
بَابٌ فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا " .

(2479) हज़रत मुआविया (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती, यहाँ तक कि तौबा मुनक़तअ हो जाये, और तौबा उस वक़्त तक मुनक़तअ नहीं होगी, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से तुलूअ हो।'

(2479) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/99, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8711.

फ़ायदा : सूरज का मग़रिब से तुलूअ होना, आसारे क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। और उस वक़्त तक तौबा करने का खुला मौक़ा है। इसी तरह दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये अगर इन्सान दारूल कुफ़्र को छोड़े और दारूल इस्लाम में सकूनत इख़्तियार करे तो उसके 'मुहाजिर' होने में कोई रूकावट नहीं है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " .

(2480) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के रोज़ फ़रमाया: '(अब) हिजरत नहीं है, लेकिन जिहाद और नियत बाक़ी है, जब तुम्हें जिहाद के लिये दावत दी जाये तो निकल खड़े हो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2018, बैहक़ी, 5/108.

फ़ायदा : चूंकि फ़तहे मक्का से पहले जहां आदमी रह रहा था, इस्लाम लाने के बाद उसे वहां से मदीना को हिजरत करना वाजिब था, और मक्का इन तमाम जगहों का मर्कज़ था। अब फ़तहे मक्का के बाद वह दारूल इस्लाम बन गया तो उससे हिजरत का कोई मअना बाक़ी न रहा। मगर बाक़ी दुनिया में जहां कहीं अहवाल अच्छे न हों तो अपने इस्लाम व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये नक़्ले मकानी मतलूब व माजूर है। और ऐसे ही जिहाद भी क़यामत तक के लिये जारी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " .

(2481) आमिर (शअ़बी) ने कहा: एक शख़्स हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) के पास आया जबकि उनके पास और कुछ लोग भी मौजूद थे, वह भी उनके पास बैठ गया और कहा: मुझे कोई ऐसी बात बतायें जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'मुसलमान' वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों और 'मुजाहिद' वह है जो अल्लाह के मना किये हूए कामों से रूके रहे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2018, बैहक़ी: 5/108.

फ़ायदा : एक बा'किरदार मुसलमान के औसाफ़ (खुबियों) को इस हदीस में जिस मुख़्तसर और जामेअ़ अन्दाज़ में पेश किया गया है वह यक़ीनन इल्हामी हैं। हर मुसलमान अपने आपको इस आईने में जाँच कर अन्दाज़ा लगा सकता है कि वह किस दर्जे का मुसलमान है।

(3) بَابٌ فِي سُكْنَى الشَّامِ

बाब : 3 दियारे शाम में सकूनत इख़्तियार करना

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2482) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'हिजरत के बाद हिजरत होती रहेगी, ज़मीन के वासियों में सबसे बेहतर वह लोग होंगे जो हज़रत इब्राहीम (अ़लैहि.) के दारे हिजरत को इख़्तियार किये होंगे। और (कुर्बे

يَقُولُ " سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ " .

क़यामत के वक़्त) बुरे लोग ही रह जायेंगे। उनकी ज़मीनें उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल भी उन्हें बुरा जानेगा और आग उन लोगों को बंदरों और ख़िन्ज़ीरों के साथ जमा करेगी।'

(2482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/209, हाकिम: 4/510, 511, अबी नुऐम अल हिल्या: 6/66, वग़ैरहुम.

फ़ायदा : जज़ीरतुल अ़रब के शिमाल मग़रिबी (उत्तर पश्चिमी) इलाक़ों को 'शाम' से ताबीर किया जाता है जिसमें आजकल लेबनान, उर्दुन, फ़लस्तीन और सिरया (शाम) की रियासतें क़ायम हैं। इसकी वजहे तस्मीया ये है कि ये इलाक़े क़िब्ला से बायें जानिब वाक़े है या बनू कनआ़न ने इसकी बायें जानिब का रूख़ किया था या ये कि इसमें ज़मीन के तब्क़ात मुख़्तलिफ़ हैं। इसमें सुर्ख़, सफ़ेद और स्याह हर तरह की ज़मीन पाई जाती है और इस मफ़हूम के लिये 'शामात' का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। (क़ामूस)

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ - عَنْ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ " . قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ . فَقَالَ " عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ

(2483) हज़रत (अ़ब्दुल्लाह) बिन हवाला (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हालात इस तरह हो जायेंगे कि तुम लोग मुख़्तलिफ़ गिरोहों और लश्करों में जमा हो जाओगे, एक लश्कर शाम में होगा, एक यमन में और एक इराक़ में।' इब्ने हवाला कहते हैं मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये मुन्तख़ब फ़रमा दीजिए, अगर ये हालात पाऊं, तो कहां सकूनत इख़्तियार करूं? आपने फ़रमाया: 'शाम को इख़्तियार कर लेना, बिलाशुब्हा ये इलाक़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का पसन्दीदा है, अल्लाह तआ़ला अपने पसन्दीदा बंदों को यहीं जमा फ़रमा देगा लेकिन अगर तुम लोग इससे इन्कार करो, तो फिर अपने यमन को

عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ

इख़्तियार करना और अपने तालाबों का पानी पीना, बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने मुझे शाम और अहले शाम के मुताल्लिक़ (फ़ित्नों से हिफ़ाज़त की) ज़मानत दी है।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 4/110.

फ़ायदा : इलाक़ा ए शाम, मुबारक इलाक़ों में से है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बैतुल मक़्दिस के अलावा इसे अपनी ज़ाहिरी व बातिनी ख़ैरात व बरकात का मर्कज़ बनाया है। इलाक़े की ज़रख़ेज़ी व शादाबी तो वाज़ेह है और बातिनी तौर पर ये इलाक़ा अम्बिया की सरज़मीन रहा है। लोग बिलउमूम फ़ितरी तौर पर ख़ैर चाहने वाले और दीने हक़ के पैरो हैं। आख़िर में हज़रत ईसा अलैहि. का नुज़ूल इसी इलाक़े में होगा। इसी वजह से इस इलाक़े की तरफ़ हिजरत की तरग़ीब दी गयी है। हमें जो सियासी और ग़ैर सियासी फ़ित्ने नज़र आते हैं ये सब वक़्ती चीज़ है। और इससे कोई भी इलाक़ा ख़ाली नहीं है। जो इन्शाअल्लाह वक़्त आने पर ख़त्म हो जायेंगे।

(4) بَابٌ فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

बाब : 4
जिहाद हमेशा जारी रहेगा

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ" .

(2484) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के लिये क़िताल करता रहेगा और वह अपने मुक़ाबले आने वालों पर ग़ालिब रहेंगे यहाँ तक कि उनका आख़री गिरोह मसीह दज़्ज़ाल से लड़ाई करेगा।'

(2484) तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहद: 4/429, 437, 4/434, हाकिम: 4/450.

फ़ायदा : इस 'गिरोह' से मुराद अक़ीदा तौहीद व सुन्नत के हामिल और इत्तेबा–ए–रसूल (ﷺ) के पाबन्द लोग हैं, उनके नाम मुख़्तलिफ़ ज़मानों में मुख़्तलिफ़ हो सकते हैं। उनकी पहचान उनका अक़ीदा व अमल और किरदार है।

बाब : 5
जिहाद का सवाब

﴿5﴾ باب فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ " رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ " .

(2485) हज़रत अबू सईद (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया कि मोमिनों में से कौनसा आदमी कामिल ईमान वाला है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह की राह में अपनी जान व माल से जिहाद करता हो, और वह आदमी जो पहाड़ की किसी घाटी में अल्लाह की इबादत में मशग़ूल हो और लोगों को उसकी बुराई न पहुँचती हो।'

(2485) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2786, व मुस्लिम: 1888.

फ़ायदा : जिहाद के बाद, मुजाहिद की फ़ज़ीलत है। और 'पहाड़ की घाटी' में इबादत से मक़सूद ये है कि आदमी दिखला दे और सुनाने की कैफ़ियत से बहुत बईद हो, या दौराने जिहाद में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हूए इबादत भी करता हो, या ये बयान है कि जब मुआशरे में दीन व ईमान ख़तरे में हो और सोहबते सालेह मयस्सर न हो तो उनसे अलग हो जाने में कोई हर्ज नहीं।

बाब : 6
सियाहत ममनूअ है

﴿6﴾ باب فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا

(2486) हज़रत अबू उमामा (﵁) से मरवी है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया और इजाज़त माँगी कि मुझे सियाहत की इजाज़त मरहमत फ़रमायें, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मेरी उम्मत की

رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيَ السِّيَاحَةِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى "

सियाहत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है।'

(2486) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/161, हाकिम: 2/83.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सैर व सियाहत' की आम उरफ़ी मफ़हूम में शरीअत के अन्दर कोई हैसियत नहीं, जैसे कि ख़ूशहाल बेफ़िक्रे लोग किसी अहम मक़सद के बग़ैर ही मुल्क मुल्क घूमते फिरते हैं। इसमें बिलउमूम माल का इस्राफ़ है और वक़्त का ज़ाया भी। शरीअत इसकी इजाज़त नहीं देती जबकि मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी बामक़सद आमाल में बसर होती है। इस्लाम में इसका नेअमुल बदल जिहाद है। और कुर्आन मजीद में जो कई मक़ामात पर (जमीन में घुमो फ़िरो) का हुक्म है वह इल्म और अल्लाह की रचनाओं और निशानियों को देखने की ग़र्ज़ से है। इस नियत से सियाहत में कोई हर्ज नहीं और जिहाद की सियाहत इन सब अग़राज़ की जामेअ है। **(2)** सूफ़िया की सियाहत का शरीअत में कोई जवाज़ नहीं सिवाये इसके कि सीखने और सिखाने की ग़र्ज़ से हो।

﴾7﴿ بَابٌ فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : 7 जिहाद से वापस लौटने का सवाब

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،-هُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ " .

(2487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिहाद से वापस लौटना (फ़ज़ीलत और सवाब में) ऐसे है जैसे जिहाद के लिये जाना।'

(2487) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/174, व मुस्लिम.

फ़ायदा : मुजाहिद के तमाम आमाल उसके लिये अल्लाह तआला के यहां तक़र्रूब और बलंद दर्जात का बाइस होते हैं। जिहाद से वापसी के बाद मुजाहिद जिहाद ही की तैयारी करता है, मज़ीद क़ूव्वत व वसाइल फ़राहम करता और अहले ख़ाना की ख़बरगीरी करता है, इसलिए उसकी वापसी भी जिहाद ही की तरह अज्र व सवाब की हामिल है।

बाब : 8
दूसरी क़ौमों के मुक़ाबले रूमियों से क़िताल की फ़ज़ीलत

﴿8﴾
باب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الأُمَمِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ " . قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ " .

(2488) जनाब अ़ब्दुल ख़बीर बिन स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास अपने वालिद से, वह दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: एक औरत नबी(ﷺ) की ख़िदमत में आई जिसका नाम उम्मे खल्लाद था, उसने नक़ाब डाला हूआ था, अपने बेटे के बारे में सवाल कर रही थी जबकि वह (जिहाद में) मारा गया था। अस्हाबे नबी (ﷺ) में से किसी ने उससे कहा: तुम अपने बेटे के बारे में सवाल करने आई हो और नक़ाब डाल रखा है। (आपसी परेशानी में परदे का ये एहतिमाम?) उसने कहा: अगर मेरा बेटा खो गया है तो मैंने अपनी हया तो नहीं खोई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे बेटे को दो शहीदों का स़वाब है।' उसने पूछा: ये क्यों ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमाया: 'क्योंकि उसको अहले किताब ने क़त्ल किया है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/175.

फ़ायदा : ये हदीस़, ख़तीबों की बदौलत ख़ास़ी मशहूर है। लेकिन ज़ईफ़ है। इसलिए इसका बयान करना दुरूस्त नहीं है।

बाब : 9
ग़ज़्वे की ग़र्ज़ से समन्दर का सफ़र करना

﴾9﴿
باب فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا " .

(2489) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज, उमरह या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की ग़र्ज़ के सिवा समन्दरी सफ़र न किया जाये, बिलाशुब्हा समन्दर के नीचे आग है और आग के नीचे समन्दर है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/334.

मल्हूज़ : ये रिवायत हद से ज़्यादा ज़ईफ़ है जबकि आगे आने वाले बाब की अहादीस़ सहीह हैं।

बाब : ...
समन्दर में ग़ज़्वे की फ़ज़ीलत

﴾...﴿
باب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ

(2490) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि (मेरी ख़ाला) उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (ﷺ) ने बयान किया और ये (अनस(ﷺ) की वालिदा) उम्मे सुलैम (ﷺ) की हमशीरा हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) उनके यहां क़ैलूला किया। आप जब बैदार हूए तो हँस रहे थे। कहते हैं, मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हँस रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'मैंने देखा कि (मेरी

يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ " رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " فَإِنَّكِ مِنْهُمْ " . قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " . قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ

उम्मत में से) एक क़ौम के लोग (बड़ी शान से) समन्दर में सफ़र कर रहे हैं जैसे कि बादशाह तख़्तों पर हों।' कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें कि अल्लाह मुझे भी उनमें कर दें। आपने फ़रमाया: 'तुम भी उनमें से हो।' आप फिर सो गये और जब बेदार हूए तो फिर हँस रहे थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हँस रहे हैं? तो आपने पहले वाली बात बताई। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे उन लोगों में से बना दे। आपने फ़रमाया: 'तुम पहले लोगों में होगी।' अनस बयान करते हैं कि बाद में हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) ने उनसे निकाह कर लिया और जिहाद के लिये समन्दर के सफ़र पर गये और उन (उम्मे हराम) को भी साथ ले गये और जब वापस लौटे तो एक खच्चर उनके लिये लाया गया कि इस पर सवार हों तो उसने उनको गिरा दिया, इससे उनकी गर्दन टूट गई और वह वफ़ात पा गयीं।

(2490) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2799, 2800, व मुस्लिम: 1912.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ स़रीह और वाज़ेह तौर पर दलाइले नबूवत में से है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ऐसी बात की ख़बर दी है जो आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद वक़ूअ पज़ीर हूई है जिसको सिवाये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कोई और नहीं जान सकता, लिहाज़ा रसूल(ﷺ) को बज़रिया वही इसका इल्म हूआ। **(2)** ये सन 28 हिजरी हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त की बात है, जबकि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) इस जिहादी सफ़र के अमीर थे, लिहाज़ा इससे हज़रत मुआविया (ﷺ) की फ़ज़ीलत व मनक़बत भी स़ाबित हूई। नीज़ उन स़हाबा ए किराम (ﷺ) की भी, जिन्होंने उनकी मईयत (साथ) में ये समन्दरी सफ़र किया था, ये एक जिहादी सफ़र था। **(3)** किसी ख़ूशकुन और पसन्दीदा बात पर हँसना जायज़ है।

(2491) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कुबा तशरीफ़ ले जाते, तो उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (ﷺ) के यहां भी जाते और वह हज़रत उबादा बिन सामित(ﷺ) की ज़ौजियत में थीं। आप एक दिन उनके यहां तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने आपको खाना पेश किया और फिर बैठकर आपके सर से जूएँ तलाश करने लगीं। और यही पिछली हदीस बयान की।

अबू दाऊद कहते हैं, बिन्ते मिल्हान की वफ़ात कुब्रूस में हूई थी।

(2491) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2788, 2789, मौता: 2/464, 465, व मुस्लिम: 1912.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ . وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُصَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्मे सुलैम और उम्मे हराम नबी (ﷺ) के महारिम में से थीं। कुछ ने उनको आप (ﷺ) की रज़ाई ख़ाला बताया है और कई कहते हैं ये आपके वालिद या दादा की ख़ाला थीं। **(2)** नबी का ख़्वाब और पैशीनगोईं सब वहि (मैसेज़ ऑफ अल्लाह) पर मबनी होती हैं। **(3)** आप (ﷺ) के दूसरे ख़्वाब में आपको कई दूसरे लोग दिखाये गये थे। इसलिये आपने उम्मे हराम(ﷺ) से फ़रमाया कि तुम पहले लोगों में होगी। **(4)** सफ़रे जिहाद में मौत जिस कैफ़ियत में भी आये मुबारक होती है। **(5)** इसमें ये पेशीनगोई थी कि ये उम्मत बर (ख़ुश्की) के अलावा बहर (समन्दर) में भी जिहाद करेगी जो कि साबित है।

(2492) हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) की हमशीरा (बहन) रूमैसा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) सो गये, फिर जागे जबकि ये अपना सर धो रही थीं, आप जागे तो हँस रहे थे, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मेरे सर पर हँस रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' और पूरी हदीस बयान की जिसमें कुछ कमी बेशी है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (रूमैसा) उम्मे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ، قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي قَالَ " لاَ " . وَسَاقَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

सुलैम(ﷺ) की रज़ाई बहन हैं और यही उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/435.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، ح حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَىْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ" .

(2493) हज़रत उम्मे हराम (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया: 'समन्दर के सफ़र में जिसका सर चकराए और क़ै आ जाये तो उसके लिये एक शहीद का सवाब है और जो डूबकर मर जाये उसको दो शहीदों का सवाब है।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/335.

फ़ायदा : इससे मुराद जिहाद या हज व उमरह का सफ़र है, दीगर समन्दरी सफ़र जो इताअत के सफ़र हों उनमें भी इस फ़ज़ीलत की तवक्क़ो (उम्मीद) की जानी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ

(2494) हज़रत अबू उमामा बाहिली (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'तीन (क़िस्म के) आदमियों का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़ामिन है: जो शख़्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकला तो अल्लाह उसका ज़ामिन है यहाँ तक कि (अगर) उसकी वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाख़िल करेगा या अज्र व सवाब और ग़नीमत के साथ वापस लौटायेगा, दूसरा वह आदमी जो मस्जिद की तरफ़ गया तो अल्लाह उसका ज़ामिन है यहाँ तक कि (अगर) उसकी वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाख़िल

الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

करेगा या अज्र व सवाब और ग़नीमत के साथ लौटायेगा, और तीसरा वह आदमी जो सलाम (या सलामती) के साथ अपने घर में दाख़िल हूआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसका ज़ामिन है।'

(2494) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1094, हाकिम: 2/73, 74.

फ़ायदा : घर में दाख़िल होने वाला 'अस्सलामुअलैकुम' कहे जैसे कि फ़रमाया: 'जब घरों में दाख़िल हो तो अपने लोगों पर सलाम कहो।' (अन नूर: 61) दूसरा मफ़हूम ये भी है कि दौरे फ़ितन में अमन व सलामती की ग़र्ज़ से लोगों से इख़्तिलात को कम कर दे और घर में रहे तो ऐसा आदमी अल्लाह की ज़मानत में होगा। (ख़त्ताबी)

﴾10﴿ باب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

बाब : 10 काफ़िर को क़त्ल करने वाले की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا " .

(2495) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'काफ़िर और उसका क़ातिल (मुजाहिद) आग में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते।'

(2495) तख़रीज : मुस्लिम: 1891.

फ़ायदा : जिहाद, मुजाहिद के लिये तमाम गुनाहों का कफ्फ़ारा बन जाता है और इस तरह वह जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है मगर ये कि उसके ज़िम्मे कोई हुक़ूक़ुल इबाद हों। अगर ये माफ़ न हूए और कोई एक़ाब हूआ भी तो आग के बग़ैर होगा, जैसे आराफ़ वग़ैरह में रोका जायेगा। (नववी) वल्लाहू आलम!

बाब : 11
ग़ैर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों की ख़्वातीन की हुरमत व एहतराम का बयान

﴿11﴾
باب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ " . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا ظَنُّكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلاً صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أُرِيدُ الْحَاجَةَ

(2496) जनाब (सलमान) इब्ने बुरैदा अपने वालिद बुरैदा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खाना नशीन लोगों पर मुजाहिदीन की औरतों की इज़्ज़त व हुरमत ऐसे (वाजिब और लाज़िम) है जैसे कि उनकी अपनी माएँ हों, जो कोई (जिहाद से) पीछे रहे और मुजाहिदीन के अहल में ख़्यानत (बद नज़री या ख़बासत) का मामला करे तो क़यामत के रोज़ ऐसे शख़्स के लिये झण्डा लगाया जायेगा और (उसे अहले महशर में रूस्वा करते हूए) मुजाहिद से कहा जायेगा: यही शख़्स है जो तेरे पीछे तेरे अहल में बुराई करता रहा, उसकी नेकियों में से जो लेना चाहता है, ले ले' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'तो तुम्हारा क्या ख़्याल है?' (भला वह कुछ छोड़ेगा, यानी हरगिज़ नहीं, सभी नेकियाँ समेट लेगा)

इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि रावी हदीस़ क़ानब एक नेक आदमी थे, इब्ने अबी लैला ने उनको क़ाज़ी बनाना चाहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मुझे एक दिरहम की कोई मामूली चीज़ भी लेनी होती है तो दूसरे आदमी की

بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ . قَالَ وَأَيُّنَا لاَ يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ أَخْرِجُونِي حَتَّى أَنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوَارَى . قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَمَا هُوَ مُتَوَارٍ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ .

मदद लेता हूं (तो क़ज़ा व अदालत की ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठा सकता हूं?) उन्होंने कहा: हममें से कौन है जिसे दूसरे की मदद की ज़रूरत न पड़ती हो? उन्होंने कहा: अब तो इजाज़त दें मैं कुछ सोच लूं। चूनांचे इजाज़त दी गयी तो छुप गये। सुफ़ियान बयान करते हैं इसी कैफ़ियत में थे कि घर की छत गिर पड़ी और उससे वफ़ात पा गये।

(2496) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़ायदा : मुजाहिदीन जो जिहाद व क़िताल में मशग़ूल व मसरूफ़ हों, उनके अहल व अयाल की जान, माल और आबरू की हिफ़ाज़त और उनकी ख़िदमत करना इन्तेहाई अज्र व सवाब का काम है और उनमें ख़यानत व ख़बासत का मुज़ाहिरा ऐसे है जैसे कोई अपनी माँ से ये मामला करे। और इसी पर उन लोगों को क़यास किया गया है जो दीने इस्लाम की दीगर फ़िक्री हुदूद, जैसे तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में अपने घरों से ग़ायब हों तो उनके अक़रबा और दीगर अफ़रादे मुआशरा पर लाज़िम है कि उनके अहल व अयाल के तहफ़्फ़ुज़ व हुरमत का पूरी तरह ख़याल रखें जैसे कि अपनी माँओं का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं।

﴾12﴿

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تَخْفِقُ

बाब : 12
जो लश्कर ग़नीमत नहीं पाता

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى

(2497) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलते हैं और ग़नीमत हासिल कर लेते हैं, वह अपने आख़िरत के अज्र में से दो तिहाई जल्द ही (इस दुनिया ही में) पा लेते हैं और एक तिहाई उनके लिये बाक़ी रह जाता है और अगर उन्हें कोई ग़नीमत न मिले तो उनका कामिल अज्र (क़यामत तक के लिये) महफ़ूज़ हो जाता है।'

لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ " .

(2497) तख़रीज : मुस्लिम: 1906.

फ़ायदा : इन्सान जिस क़द्र भी नेमत इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है वह अपने आख़िरत के हिस्से से इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) का कहना था कि 'हमें इस क़द्र जो दुनिया दी गयी है, तो हमें अन्देशा होता है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में तो नहीं दे दिया गया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 1275) हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) का बयान है कि 'हममें से कुछ के फल यहीं पक गये हैं और वह अब उनसे बहरावर (फ़ायदा उठाना) हो रहे हैं। (सही बुख़ारी: हदीस: 1276) हज़रत उमर (ﷺ) ने अपने खाने–पीने की चीज़ों व मशरूबात का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। और आख़िरत में कुफ्फ़ार से बिलख़ुसूस कहा जायेगा: 'तुम दुनिया की ज़िन्दगी में अपनी लज़्ज़तें हासिल कर चुके और उनसे फ़ायदा उठा चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जायेगा। ये उसकी सज़ा है कि तुम ज़मीन में नाहक़ ग़ुरूर किया करते थे और बदकिरदार थे।' (अल अहक़ाफ़: 20)

﴿13﴾

باب فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى

बाब : 13
दौराने जिहाद में अल्लाह के ज़िक्र के सवाब का बढ़ावा

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ " .

(2498) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने वालिद (मुआज़ बिन अनस (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की राह में जिहाद के दौरान में नमाज़, रोज़े और ज़िक्र का अज्र, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के मुक़ाबले में सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।'

(2498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/438. हदीस: 1287 में देखें, हाकिम: 2/78.

बाब : 14
जो शख़्स सफ़रे जिहाद में वफ़ात पा जाये

﴿14﴾
باب فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَىِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ "

(2499) हज़रत अबू मालिक अशअरी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स जिहाद के लिये रवाना हूआ और वफ़ात पा गया, या क़त्ल कर दिया गया, तो वह शहीद है, या अगर उसको उसके घोड़े या ऊँट ने गिरा दिया हो, या किसी जानवर ने काटा हो, या अपने बिस्तर ही पर उसे मौत आई हो, या जिस किसी कैफ़ियत में भी उसकी वफ़ात हूई हो तो वह शहीद है और बिलाशुब्हा उसके लिये जन्नत है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 2/78, 79.

बाब : 15
दुशमन के मुक़ाबले में मौरचा बंदी की फ़ज़ीलत

﴿15﴾
باب فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " كُلُّ الْمَيِّتِ

(2500) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर मरने वाले का अमल (उसके मरने पर) ख़त्म हो जाता है, मगर मौरचाबंद कि उसका अमल क़यामत तक के लिये बढ़ता रहता है और वह क़ब्र के अज़ाब से (या मुन्कर व नकीर के

يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلاَّ الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ

सवाल जवाब) से अमन में रहता है।'

(2500) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1621, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1624, हाकिम: 2/79.

फ़ायदा : ये फ़ज़ीलत दुशमन के सामने मौरचाबंद होने की है। तो जो शख़्स कुफ़्फ़ार से पंजा आज़माइ करता और क़त्ल होता या क़त्ल करता हो, उसके दर्जात और भी ज़्यादा होंगे। क़ुर्आन मजीद ने इस अमल की तर्ग़ीब में फ़रमाया है: 'ऐ ईमान वालो! सब्र करो, साबित क़दम रहो, मौरचों पर जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ।' (आले इमरान: 200) जिहाद व क़िताल से मिलता जुलता काम, जैसे मुश्किल हालात में इशाअते तौहीद व सुन्नत और रद्दे शिर्क व बिदअत जो कि दर्स व तदरीस और तहरीर व तक़रीर के ज़रिये से हो, उसके मुताल्लिक़ भी तवक़्क़ो (उम्मीद) की जानी चाहिए कि हस्बे नीयत ये भी एक अज़ीम रबात व मुराबता है। चूनांचे असातिज़ा, मुबल्लिग़ीन और मुअल्लिफ़ीन क़िला–ए–इस्लाम की फ़िक्री हुदूद के मौरचाबंद हैं जब तक उनकी बाक़ियाते सालेहात मौजूद रहेंगे, उनकी हस्नात में इज़ाफ़ा होता रहेगा। इन्शाअल्लाह। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़।

﴾16﴿ بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : 16
जिहाद में पहरेदारी की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ أَبُو كَبْشَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً، فَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى

(2501) हज़रत सहल बिन हन्ज़ला (ﷺ) बयान करते हैं कि (हम) लोग ग़ज़्व–ए–हुनैन के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रवाना हूए और बहुत लम्बी मसाफ़त तै की यहाँ तक कि पिछला पहर हो गया। सो मैं नमाज़ के वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) के यहां हाज़िर था कि एक घूड़ सवार आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपके आगे आगे चलता रहा यहाँ तक कि फ़ुलां फ़ुलां पहाड़ पर चढ़ गया तो देखा कि क़बीला ए हवाज़िन के सब लोग अपनी औरतों, चौपायों और बकरियों समैत हुनैन की तरफ़

طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : " تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . ثُمَّ قَالَ : " مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ " . قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَارْكَبْ " . فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلاَهُ وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ " . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : " هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ . فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ " . فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ

जमा हो रहे हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तबस्सुम फ़रमाया (मुस्कुराये) और कहा: 'कल इन्शाअल्लाह ये सब मुसलमानों की ग़नीमत होगा।' फिर फ़रमाया: 'आज रात कौन हमारा पहरा देगा?' हज़रत अनस बिन अबी मरसद ग़नवी (ﷺ) ने कहा: मैं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'तो सवार हो जाओ।' चूनांचे वह अपने घोड़े पर सवार हो गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया। आपने उससे फ़रमाया: 'इस घाटी की तरफ़ चले जाओ यहाँ तक कि उसके ऊपर चढ़ जाओ और ऐसा न हो कि रात में हम तुम्हारी तरफ़ से धोखा खा जायें।' जब सुबह हूई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ लाये और दो रकअतें पढ़ीं। फिर दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने सवार को देखा है?' सहाबा ने कहा: नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने उसको नहीं देखा है। फिर नमाज़ के लिये तकबीर कही गयी और रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने लगे और इस दौरान में आप घाटी की तरफ़ भी देखते रहे यहाँ तक कि जब नमाज़ मुकम्मल कर ली और सलाम फेर लिया तो फ़रमाया: 'ख़ूशखबरी हो' तुम्हारा सवार आ गया है।' पस हम भी दरख़्तों में से घाटी की तरफ़ देखने लगे, तो वह सामने आ गया और नबी (ﷺ) के पास आ खड़ा हूआ। उसने सलाम किया और कहा: मैं (आपके यहां

فَقَالَ : إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ " . قَالَ : لاَ إِلاَّ مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا " .

से) रवाना हूआ यहाँ तक कि इस घाटी के ऊपर चढ़ गया जहां अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुझे हुक्म फ़रमाया था, जब सुबह हूई तो मैंने दोनों घाटियों में देखा तो मुझे कोई शख़्स नज़र नहीं आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या तुम रात को (घोड़े से) उतरे भी थे?' उसने कहा: नहीं, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने या क़ज़ा ए हाजत के लिये ही उतरा हूं। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तुमने अपने लिये लाज़िम कर ली (जन्नत) तुम इसके बाद और कोई अमल न भी करो तो कोई मुवाख़िज़ा नहीं।'

(2501) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 416 में देखें, बैहक़ी, 5/125, हाकिम: 2/83, 84.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिहादी मुहिमों और दीगर अहम मौक़े पर पहरेदारी का इन्तेज़ाम हस्बे ज़रूरत मशरूअ व मसनून बल्कि वाजिब है और तवक्कल (भरोसे) के ख़िलाफ़ नहीं। **(2)** नमाज़ के दौरान में बिला वजह नज़र फेरना मना है मगर अहम ज़रूरत के पेशेनज़र मुबाह है। मगर ख़्याल रहे कि मुँह फेरकर न देखा जाये। **(3)** सहाबी ए रसूल (ﷺ) ने फ़रमाने रसूल के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ पर इस शिद्दत से तामील की कि सारी रात घोड़े की पीठ पर गुज़ार दी। **(4)** नबी (ﷺ) का ये फ़रमाना कि 'तुम इसके बाद और कोई अमल न भी करो तो मुवाख़िज़ा नहीं' उनके इस अमल की क़बूलियत की बशारत थी। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्हें आमाले तक्लीफ़िया से आज़ादी का परवाना दे दिया गया था बल्कि उसमें उनकी बख़्शिश की ख़ूशख़बरी थी जिसकी बिना पर ये लोग और भी ज़्यादा मुत्तक़ी, आमिल और मेहनतकश हो जाते थे। जैसे कि ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने बारे में फ़रमाया था: 'क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 1130, व सही मुस्लिम: 2819) **(5)** जिहाद में पहरेदारी के एक आसान अमल का जब ये अज्र है तो क़िताल व मअरका आराई के फ़ज़ाइल किस क़द्र ज़्यादा होंगे। **(6)** मुजाहिदीने मअरका की तरह फ़िक्र व इल्म के मैदान में भी उलमा–ए–हक़ पर लाज़िम है कि दुनिया में फैलने वाली मुल्हिदाना (बेदीनी) तहरीकों पर गहरी नज़र रखें जो कि मुसलमानों और उनके मुआशरा में नक़ब लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती, और उनका जवाब भरपूर इल्मी व फ़िक्री उस्लूब में देना वाजिब है।

बाब : 17
जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत

﴾17﴿
باب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ، - قَالَ عَبْدَةُ : يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ " .

(2502) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि उसने जिहाद नहीं किया और अपने दिल में भी जिहाद की नीयत नहीं की तो वह निफ़ाक़ की एक शाख़ पर मरा।'

(2502) तख़रीज : मुस्लिम: 1910.

फ़ायदा : मुख़्लिस मुसलमान हर हाल में इस्लाम और मुसलमानों का ग़ल्बा चाहता है और उसके लिये कोशाँ रहता है, जिहाद का शौक़ रखने वाला और जिहादी अमल का ताईद करने वाला और मुआविन होता है। अगर किसी में ऐसी कोई कैफ़ियत नहीं तो वह नाम ही का मुसलमान है और ऐसे जज़्बात से महरूमी, निफ़ाक़ का एक हिस्सा और बहुत बड़ी बदबख़्ती है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَقَرَأْتُهُ، عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ " . قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ : " قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(2503) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से मनक़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने जिहाद में हिस्सा नहीं लिया, या किसी मुजाहिद को माली तआवुन नहीं दिया या मुजाहिद के रवाना हो जाने के बाद उसके अहल व अयाल की ब'हुस्न व ख़ूब ख़बरगीरी नहीं की तो अल्लाह तआला उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा।' यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में यूँ बयान किया: 'क़यामत से पहले उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा।'

(2503) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2762, तबरानी, हदीस: 883.

फ़ायदा : आज उम्मते मुस्लिमा को जिस रूस्वाई का सामना करना पड़ रहा है बिलाशुब्हा वह जिहाद से रूगर्दानी और कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में बुज़दिली का नतीजा है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जानिब से क़िस्म क़िस्म की आफ़त भी उसके मुवाख़िज़े की दलील हैं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ " .

(2504) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुश्रिकीन से जिहाद करो: अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ और अपनी ज़बानों के साथ।'

(2504) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3098, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1618, हाकिम: 2/81, अलमुख़्तारा: 5/36, हदीस़: 1642.

फ़ायदा : मुसलमानों के तमाम तब्क़ात को अपनी अपनी मुमकिना सलाहियतों के साथ कुफ्र के मुक़ाबले में तैयार रहना वाजिब है। जवान, अपनी जानों और जवानी से, मालदार अपने मालों से, उलमा दावत व तर्ग़ीब से और तर्दीदे कुफ्र व शिर्क से, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे अल्लाह के हुज़ूर दुआओं से इस्लाम, मुसलमानों और मुजाहिदीन के लिये मदद माँगें। अश्आर की सूरत में कुफ्र व शिर्क व मुश्रिकीन की मज़म्मत और हिजू भी ज़बान से जिहाद में शुमार है। अलग़र्ज़ जो मुसलमान जिहाद के दाइया से ख़ाली ज़हन है, उसे अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए।

﴾18﴿ بَابٌ فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

बाब : 18
ख़ास लोगों की वजह से आम लोगों के नफ़ीर (जिहाद में जाने) का हुक्म मन्सूख़ होना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } وَ { مَا

(2505) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि सूरह तौबा (की आयत नम्बर 39) 'अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से दोचार कर देगा।' और (आयात: 120 और 121) 'अहले मदीना और उनके इर्द गिर्द के

كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ] إِلَى قَوْلِهِ [يَعْمَلُونَ] نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا [وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً]

देहातीयों को रवा नहीं (कि अल्लाह के रसूल से पीछे रहें और न ये कि अपनी जानों को रसूल की जान से प्यारी समझें ...) इन आयात को इसके बाद वाली आयात (नम्बर: 122) ने मन्सूख़ कर दिया है। जिसमें है: 'और मोमिनों को लायक़ नहीं कि ये सबके सब जिहाद के लिये निकल खड़े हों। (ऐसा क्यों न हूआ कि हर जमाअत में से एक गिरोह निकलता ताकि वह बाक़ी दीन में समझ हासिल करते और जब ये (जिहाद से) लौटकर आते तो अपनी क़ौम को भी डराते ताकि वह भी मुतनब्बा (आगाह) रहें)'

(2505) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/47.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तफ़्सीर का मफ़हूम ये है कि हर जिहाद में तमाम मुसलमानों का निकलना मन्सूख़ है। जबकि दीगर मुफ़स्सिरीन का कहना ये है कि ये आयात मुहकम हैं और जिहाद में अहवाल व ज़ुरूफ़ का ख़्याल करना चाहिए और एक जमाअत को दारूल इस्लाम में भी लाज़िमन रूकना चाहिए ताकि मर्कज़ बिल्कुल ही ख़ाली न हो जाये। **(2)** आयत नम्बर: 122 ये मसला वाज़ेह होता है कि जिहाद में अमलन मशग़ूल होकर जो दीन का नॉलेज हासिल होता है, वह आम हालात में हासिल नहीं होता।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ، حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، [إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا] قَالَ : فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ .

(2506) नजदा बिन नुफ़ेअ कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सूरह तौबा (की आयत: 39) की तफ़्सीर पूछी, जिसमें है कि 'अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से दोचार करेगा।' उन्होंने फ़रमाया: उनसे बारिश रोक ली गयी और यही उनका अज़ाब था।

(2506) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 682.

बाब : 19
किसी (माक़ूल) उज़्र के बाइस जिहाद के लिये न जाना दुरूस्त है

﴿19﴾ باب فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

(2507) 'हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पहलू में बैठा हूआ था कि आपको सकीनत ने ढाँप लिया (वही का नुज़ूल शूरू हो गया) और रसूलुल्लाह (ﷺ) की रान मेरी रान पर आ गयी, मुझे आप (ﷺ) की रान से जो बोझ महसूस हूआ किसी और चीज़ से महसूस नहीं हूआ। जब आपसे ये कैफ़ीयत दूर हूई तो आपने फ़रमाया: 'लिखो' चूनांचे मैंने शाने की हड्डी पर लिखा: (ला यस्तविल क़ाइदून ...) (आख़िर आयत तक) 'अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिनीन और बैठे रहने वाले बराबर नहीं हो सकते ...' इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना स़हाबी थे उन्होंने जब मुजाहिदीन की ये फ़ज़ीलत सुनी तो खड़े हूए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मोमिनीन में से ऐसे शख़्स के बारे में क्या इरशाद है जो जिहाद की ताक़त न रखता हो? उन्होंने जब अपनी बात पूरी की तो नबी(ﷺ) को सकीनत ने ढाँप लिया और आपकी रान मेरी रान पर आ गयी, और दूसरी बार भी मैंने उसी तरह का बोझ महसूस किया जो पहले

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ : " اكْتُبْ " . فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ : لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى - لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَضَى كَلاَمَهُ غَشِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي

وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " اقْرَأْ يَا زَيْدُ " . فَقَرَأْتُ {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الآيَةَ كُلَّهَا . قَالَ زَيْدٌ : فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَتِفٍ .

महसूस किया था। फिर जब आपसे ये कैफ़ीयत दूर हूई तो आपने फ़रमाया: 'ऐ ज़ैद! पढ़ो।' मैंने पढ़ा: (ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मोमिनीन ...) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (ग़ैरू उलिज़्ज़रर) 'सिवाए उनके जिन्हें कोई उ़ज्र हो' और बाक़ी आयत इसी तरह रही। हज़रत ज़ैद फ़रमाते हैं कि (ग़ैरू उलिज़्ज़रर) के लफ़्ज़ अल्लाह ने अलग से नाज़िल फ़रमाये और मैंने उनको उनकी जगह पर लिख दिया। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! गोया मैं शाने की हड्डी के उस दर्ज़ को देख रहा हूं जहां मैंने उसको मिलाया था।

(2507) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/190, 191, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2314, हाकिम: 2/81, 82.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मरीज़, नाबीना, अपाहिज या दीगर शरई उ़ज्र की बिना पर अगर कोई जिहाद से पीछे रह जाये, तो मुबाह है। लेकिन जब नफ़ीरे आ़म का हुक्म हो तो बिला उ़ज्र पीछे रहना किसी तरह रवा नहीं। (2) नुज़ूले वहि (कुर्आन) के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) पर इन्तेहाई बोझ पड़ता था यहाँ तक कि सख़्त सर्दी में भी आपको पसीना आ जाता था और अगर आप ऊँटनी पर होते तो वह भी टिक कर खड़ी हो जाती थी और चल न सकती थी। (3) कुर्आन मजीद जिस क़द्र उतरता था नबी(ﷺ) उसकी किताबत करवा दिया करते थे। अलबत्ता शुरू में अहादीस़ के लिखने की आ़म इजाज़त न थी, सिवाए चंद एक स़हाबा के, या वह वसायक़ जो आपने बिलख़ुसूस़ लिखवाए।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا

(2508) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम लोग मदीने में ऐसे लोगों को छोड़ आये हो कि जो सफ़र भी तुम करते हो या कोई ख़र्च करते हो या कोई वादी तै करते हो तो वह (अज्र व स़वाब में) तुम्हारे

سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ : " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ " .

साथ होते हैं।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह हमारे साथ किस तरह होते हैं हालांकि वह मदीने में हैं? आपने फ़रमाया: 'उनको क़ाबिले उज़्र मजबूरी ने रोके रखा है।'

(2508) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/24, बुख़ारी, हदीस: 2839.

फ़ायदा : हुस्ने नीयत और इख़्लास की बिना पर एक माज़ूर इन्सान भी वह दर्जात हासिल कर लेता है जो एक मुजाहिद और आमिल हासिल करता है।

﴾20﴿ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

बाब : 20 जो चीज़ ग़ज़्वे से किफ़ायत करती है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " .

(2509) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी ने मुजाहिद को सामाने जिहाद दिया, तो बिलाशुब्हा उसने जिहाद किया, और जो मुजाहिद के घर वालों की अच्छी तरह ख़बरगीरी करता रहा, तो बिलाशुब्हा उसने जिहाद किया।'

(2509) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2843, व मुस्लिम: 1895.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

(2510) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू लिहयान की जानिब एक मुहिम (सहाबा की जमाअत) भेजी और फ़रमाया: 'हर दो आदमियों में से एक जिहाद के लिये चला जाये (आधे लोग जिहाद के लिये जायें और

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ وَقَالَ : " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ " . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِينَ : " أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ" .

आधे रूके रहें।') फिर आपने रूकने वालों से फ़रमाया: 'जो तुममें से मुजाहिद के घर वालों की उम्दा तौर पर ख़बरगीरी करेगा उसको जाने वाले का आधा सवाब है।'

(2510) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2326, व मुस्लिम: 1896.

फ़वाइद व मसाइल : ऊपर वाली पहली हदीस से ये समझा गया है कि जो शख़्स मुजाहिद के घर वाले की उम्दा तौर से ख़बरगीरी करे तो उसको भी मुजाहिद की तरह पूरा सवाब मिलता है और इस दूसरी हदीस में आधे सवाब का ज़िक्र आया है, तो इनमें तत्बीक़ (सॉल्युशन) इस तरह है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं: अगर इन दोनों अफ़राद के मजमूई सवाब को आधा आधा किया जाये तो दोनों के लिये बराबर हो जाता है और इस तरह तआरूज़ नहीं रहता। मगर राक़िम मुतर्जिम का ख़्याल है कि अगर पीछे रहने वाले ने इसी रूकने के अमल को तर्जीह दी हो तो उसे आधा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों ही क़िताल में शरीक होने के शौक़ीन हों और अमीर (कमान्डर) किसी एक को क़िताल के लिये मुन्तख़ब करे और दूसरे को उसके अहले ख़ाना की ख़िदमत का पाबन्द करे तो इस तरह ये दोनों ही सवाब में बराबर होंगे। वल्लाहु आलम!

﴾21﴿
بَابٌ فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

बाब : 21
जुर्अत (बहादुरी) और बुज़दिली का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ " .

(2511) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'इन्सान में दो वस्फ़ बहुत बुरे होते हैं: एक ये कि हरीस (लालची) व बख़ील (कन्जूस) होने के साथ साथ दिल का कच्चा हो। दूसरा ये कि इतना बुज़दिल हो कि गोया दिल ही निकल जायेगा।'

(2511) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/320, इब्ने हिब्बान, हदीस: 808.

बाब : 22
आयते करीमा: 'अपने आपको हलाकत में मत डालो' की तफ़्सीर

(2512) जनाब असलम अबू इमरान बयान करते हैं कि हम लोग मदीना मुनव्वरा से जिहाद के लिये रवाना हूये, हम कुस्तुन्तुनीया (इस्ताम्बूल) जाना चाहते थे और जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन वलीद हमारे अमीरे जमाअत थे। रूमी लोग अपनी पुश्त (पीठ) फ़सीले शहर की तरफ़ किये हमारे मद्देमुक़ाबिल थे मुसलमानों में से एक शख़्स ने दुश्मन पर हल्ला बोल दिया तो लोगों ने कहा: रूको, ठहरो! 'ला इलाहा इल्लल्लाह' ये शख़्स अपने आपको हलाकत में डालता है तो हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) ने फ़रमाया कि ये आयत हम अन्सारियों ही के बारे में नाज़िल हूई थी। जब अल्लाह ज़ूलजलाल ने अपने नबी (ﷺ) की नुसरत फ़रमाई और इस्लाम को ग़ालिब कर दिया तो हमने कहा: चलो अब ज़रा अपने अमवाल व जायदाद में रूक जायें और उनको दुरूस्त कर लें, तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 'और अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने आपको हलाकत में न डालो।' हलाकत में डालना ये था कि हम अपने मालों में रूक

﴿22﴾
بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ : غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ : مَهْ، مَهْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلاَمَ، قُلْنَا : هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } فَالإِلْقَاءُ بِالأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ . قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : فَلَمْ يَزَلْ

أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ .

जायें, उनकी इस्लाह में मशग़ूल हो जायें और जिहाद छोड़ दें। अबू इमरान ने कहा: चूनांचे अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि क़ुस्तुन्तुनीया (इस्ताम्बूल) ही में दफ़न हूए।

(2512) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2972, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1667, हाकिम: 2/275.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद को सही हदीसों में वारिद शाने नुज़ूल की रोशनी में समझना चाहिए। इससे सर्फ़े नज़र करना क़तअन सही नहीं है। मगर हर हर आयत का शाने नुज़ूल साबित नहीं है। (2) ऊपर दी गई तफ़्सील से वाज़ेह होता है कि मशाग़िले दुनिया में मश्ग़ूल होना और जिहाद से एराज़ ही बाइसे हलाकत है ख़्वाह अफ़राद (कुछ लोग) उसके मुरतकिब हों या क़ौमें।

﴾23﴿ بَابٌ فِي الرَّمْيِ

बाब : 23 तीर अन्दाज़ी की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

(2513) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाख़िल करता है। एक उसका बनाने वाला, जो अपनी इस सनाअत (बनाने) में अज्र व सवाब का उम्मीदवार हो। दूसरा, तीर मारने वाला (जिहाद में) और तीसरा वह जो उसे तीर पकड़ाने वाला हो (जो उसका मुआविन हो) तीर अन्दाज़ी और घूड़सवारी सीखो, ताहम मुझे घूड़सवारी की निस्बत तीर अन्दाज़ी (निशाना साधना) ज़्यादा पसन्द है। (शरीअत में) खेल तीन ही

تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا " . أَوْ قَالَ : " كَفَرَهَا " .

हैं: एक ये कि इन्सान अपने घोड़े को सधाये। दूसरा, ये कि इन्सान अपनी बीवी से खेले। तीसरा, ये कि इन्सान अपने तीर कमान से तीर फैंकने की मश्क़ करता रहे। जो शख़्स तीर अन्दाज़ी सीखने के बाद उससे बेज़ार होकर उसे छोड़ दे तो उसने बिलाशुब्हा एक नेमत को छोड़ दिया।' या यूँ फ़रमाया: 'उसने उस नेमत की नाशुक्री की।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3148, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2450, हाकिम: 2/95.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। अलबत्ता हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इसे हसन क़रार दिया है। जिसकी वजह से हदीस़ में बताये गये कामों की अबाहत और फ़ज़ीलत स़ाबित है, लिहाज़ा अगर किसी तफ़रीह का प्रोग्राम हो तो इन्हीं ऊपर की तफ़रीहात में से किसी को तर्जीह दी जाये ताकि जिस्मानी क़ूव्वत और तफ़रीह के साथ साथ अल्लाह के यहाँ अज्र व स़वाब का भी मुस्तहिक़ ठहरे।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، : ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : " { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ " .

(2514) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जोहनी(ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मिम्बर पर ये कहते हूए सुना: (आपने सूरह अन्फ़ाल की आयत: 60 पढ़ी) 'इन कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में जिस क़द्र हो सके क़ूव्वत बहम पहुँचाओ।' (इसकी तशरीह में आपने फ़रमाया:) 'ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है। ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है। ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है।'

(2514) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2448, व मुस्लिम: 1917.

फ़ायदा : (रम्य) के मानी हैं किसी चीज़ को फैंककर मारना। तीरअंदाज़ी का बयान बतौर रम्ज़ के है, वरना मतलूब ये है कि ब'हैसियत मुसलमान, मुसलमान के लिये वक़्त के हिसाब से हथियार के इस्तेमाल की तर्बीयत हासिल करना ज़रूरी है। और चला कर मारने वाले अस्लहे ही सबसे अहम तरीन हैं।

बाब : 24
दुनिया की तलब में ग़ज़्वा करने वाला

﴾24﴿ باب فِي مَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ " .

(2515) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिहाद दो क़िस्म का है: जिसने अल्लाह की रज़ा चाही, इमाम की इताअत की, उम्दा माल ख़र्च किया, अपने शरीके कार से नर्मी का बर्ताव किया और फ़साद से बचता रहा, तो बिलाशुब्हा ऐसे मुजाहिद का सोना और जागना सभी अज्र व सवाब का काम है लेकिन जिसने फ़ख़्र, दिखावे और शोहरत की नीयत रखी, इमाम की नाफ़रमानी की और ज़मीन में फ़साद किया तो बिलाशुब्हा ऐसा आदमी (सवाब तो किया) बराबरी के साथ भी नहीं पलटा। (गुनाह से बच आना भी मुश्किल है।')

(2515) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4200, व हाकिम: 2/85.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، : الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ، - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي

(2516) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! एक इन्सान जिहाद के लिये निकलता है मगर वह दुनिया का माल चाहता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके लिये

هُرَيْرَةَ، : أَنَّ رَجُلاً، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ أَجْرَ لَهُ " . فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا . فَقَالَ : " لاَ أَجْرَ لَهُ " . فَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ : " لاَ أَجْرَ لَهُ "

कोई अज्र नहीं।' लोगों ने इस फ़रमान को बहुत गिरां जाना, उन्होंने उस आदमी से कहा: दोबारा पूछो, शायद तुम अपनी बात वाज़ेह नहीं कर सके हो। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! एक इन्सान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये निकलता है और वह दुनिया का माल चाहता है? आपने फ़रमाया: 'उसके लिये कोई सवाब नहीं।' लोगों ने उस आदमी से कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) से फिर पूछो। उसने आपसे तीसरी बार पूछा तो भी आपने उसे यही फ़रमाया: 'उसको कोई सवाब नहीं।'

(2516) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/290, हदीस: 227, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1604, हाकिम: 2/85.

फ़ायदा : अगर मुजाहिद की नीयत बुनियादी तौर पर रियाकारी और हुसूले माल की हो तो उसका सब अमल बेकार है, उसके लिये कोई अज्र नहीं। लेकिन अगर असल और बुनियादी नीयत जिहाद और अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो और उसके साथ हुसूले माल जैसी नीयत भी ख़लत मलत हो जाये तो उससे अज्र में कमी आ जाती है, अमल बेकार नहीं होता। जैसा कि पिछली हदीस: 2497 में गुज़रा है कि मुजाहिदीन को अगर ग़नीमत मिल जाये तो वह अपना दो तिहाई अज्र इस दुनिया ही में हासिल कर लेते हैं वरना उनका सारा अज्र महफ़ूज़ रहता है। इमाम अहमद (रह.) फ़रमाते हैं कि जिहाद में ताजिर, मज़दूर और किराये पर काम करने वाले अफ़राद का अज्र उनकी अपनी अपनी नीयत की मिक़्दार पर होता है। नीयत और इख़्लास का मामला इन्तेहाई मुश्किल और तवज्ज़ा तलब (संवेदनशील) होता है। इस मसला में जामिउल उलूम वलहिकम (लिइब्ने रजब हम्बली (रह.) में शरह हदीस: (इन्नमल आमालु बिन्नियात) बार बार पढ़ने के लायक़ हैं।

बाब : 25
जो अल्लाह का कलिमा बलन्द करने की नीयत से क़िताल करे

﴿25﴾ باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، : أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

(2517) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से मनक़ूल है कि एक देहाती रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: एक आदमी क़िताल करता है शोहरत के लिये, कोई क़िताल करता है तारीफ़ के लिये और कोई ग़नीमत के लिये और कोई मर्तबा (बहादुरी व शुजाअ़त) दिखाने के लिये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इस ग़र्ज़ से लड़े कि अल्लाह का कलिमा बलन्द हो तो वही अल्लाह की राह में है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2810, व मुस्लिम: 1904

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدِيثًا أَعْجَبَنِي . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(2518) अ़म्र बिन मुर्रा ने कहा: मैंने अबू वाइल से हदीस़ सुनी जो मुझे बहुत पसन्द आयी। और ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : **(सनद सही)** ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : अगर मुजाहिद की असल नीयत, अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो तो दीगर अग़राज़ से उसके अज्र में कमी आ जाती है। इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने इस हदीस़ को इस उ़नवान के तहत दर्ज किया है (सही बुख़ारी, बाब: 10) 'क्या जो शख़्स ग़नीमत के लिये क़िताल करे उसका अज्र कम हो जाता है?'

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

(2519) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मरवी है कि (मैंने कहा) ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे जिहाद और ग़ज़्वे के मुताल्लिक़

الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ، وَالْغَزْوِفَقَالَ : " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِيكَ الْحَالِ "

इरशाद फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! अगर तुम स़ब्र के साथ और अज्र की नीयत से क़िताल करो तो अल्लाह तआला तुम्हें स़ब्र करने वालों और अज्र के तलबगारों में उठायेगा और अगर तुम दिखावे और माल जमा करने की ग़र्ज़ से क़िताल करो तो अल्लाह तआला तुम्हें रियाकार और माल जमा करने वालों में उठायेगा, ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! जिस हाल (और नीयत) में भी तुमने लड़ाई की (जिहाद किया) या तुम्हें क़त्ल कर दिया गया तो अल्लाह तुम्हें उसी हालत पर उठायेगा।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** हाकिम: 2/85, 86.

फ़ायदा : हर नेक काम के लिये इख़्लास़ और हुस्ने नीयत ज़रूरी है। इसलिये जिहाद व क़िताल हो, या दीगर आमाले हसना, हर मुसलमान को तमाम आमाल में अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना चाहिए। इस रिवायत को शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है।

﴾26﴿ بَابٌ فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

बाब : 26 शहादत की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ

(2520) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद कर दिये गये तो अल्लाह तआला ने उनकी रूहों को सब्ज़ रंग के परिन्दों में कर दिया जो जन्नत की नहरों पर आते हैं, वहां के फल खाते हैं और फिर सोने की क़िन्दीलों (एक तरह का रोशन घर) में लौट जाते हैं जो अ़र्श के साये में

فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا } " . إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

लटक रही हैं। जब उन्होंने वहां के खाने पीने और आराम व राहत के मज़े देखे तो कहा: कौन है जो हमारा ये पैग़ाम हमारे भाईयों तक पहुँचा दे कि हम जन्नत में ज़िन्दा हैं, हमें रिज़्क़ दिया जाता है ताकि वह जिहाद से बेरग़बत न हो जायें और लड़ाई में बुज़दिली न दिखायें। चूनांचे अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमा दी: 'वह लोग जो अल्लाह की राह में क़त्ल हूए उनके बारे में ये ख़्याल हरगिज़ न कीजिए कि वह मुर्दा हैं बल्कि वह ज़िन्दा हैं अपने रब के पास रिज़्क़ दिये जाते हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/266, हाकिम, 2/88, 297, बैहक़ी, हदीस: 212, वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शोहदा के इस एज़ाज़ व इकराम में मुसलमानों को तर्ग़ीब व तशवीक़ है कि अल्लाह का कलिमा बलन्द करने में जान की बाज़ी लगाने से दरेग़ (परहेज़) न करें। **(2)** शोहदा की ज़िन्दगी को दुनिया की इस ज़िन्दगी पर कियास नहीं किया जा सकता बल्कि सूरह बक़र: में सराहत है कि उनकी ज़िन्दगी को तुम लोग समझ नहीं सकते। और बाद अज़ महशर उन्हें निहायत एज़ाज़ व इकराम से जन्नत में दाख़िल किया जायेगा। **(3)** मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) इन शोहदा से मरतबों में अफ़ज़ल व आला हैं, लिहाज़ा आपकी बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी को बदर्जा-ए-औला नहीं समझा जा सकता।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ، قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : "النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ " .

(2521) हस्ना बिन्ते मुआविया स़रीमिया बयान करती हैं कि हमसे हमारे चचा (असलम बिन सलीम (ﷺ) ने बयान किया, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया कि जन्नत में कौन होगा? आपने फ़रमाया: 'नबी जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में जायेगा, छोटा बच्चा जन्नत में जायेगा और ज़िन्दा दफ़न किया गया बच्चा जन्नत में जायेगा।'

(2521) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा: 5/339, हदीस: 4717.

फ़वाइद व मसाइल : 'छोटे बच्चे' जो नाबालिग़ी की उ़मर में फ़ौत हो गये हों, इसमें वह भी शामिल हैं जिनकी पैदाइश नामुकम्मल रही और साक़ित हो गये हों। अलबत्ता काफ़िरों और मुश्रिकों के बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा स़ही क़ौल यही है कि जब कुफ्फ़ार के बच्चे सिन्ने तमीज़ (बुलूग़त) से पहले फ़ौत हो जायें और उनके वालिद काफ़िर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा कि न उन्हें ग़ुस्ल दिया जायेगा न कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफ़न किया जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफ़िर ही हैं। बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल तो ये अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के अ़मल करते? स़ही हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अ़मल करने वाले थे?' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6597)

- कुछ अहले इल्म का क़ौल है कि उनके बारे में अल्लाह तआ़ला का इल्म क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा और उनका भी अहले फ़त्रा की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने अल्लाह तआ़ला के हुक्म की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाख़िल होंगे और अगर नाफ़रमानी की तो जहन्नम रसीद होंगे। स़ही अहादीस़ से स़ाबित है कि अहले फ़त्रा का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। अहले फ़त्रा से मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया किराम अ़लैहि मुस्सलाम की दावत नहीं पहुँची होगी। इसी तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे कुफ्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा। क्योंकि इरशादे बारी तआ़ला है: 'और जब तक हम पैग़म्बर न भेजें हम अ़ज़ाब नहीं दिया करते।' (बनी इस्राईल: 17/15) अहले फ़त्रा के बारे में सबसे ज़्यादा स़ही क़ौल यही है। शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) और इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इसी को इख़्तियार किया है। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/372–273) (2) अ़रब के कुछ क़बीले आ़र की बिना पर अपनी बेटियों को दफ़न कर देते थे और ये भी आता है कि कुछ फ़क्रो फ़ाक़ा की सूरत में बेटों के साथ भी ऐसे ही करते थे। क़ुर्आन मजीद ने इसका ज़िक्र यूँ किया है: 'जब ज़िन्दा दरगोर की गई लड़की से पूछा जायेगा कि किस गुनाह की पादाश में इसे क़त्ल किया गया?' (अत्तकवीर: 908)

बाब : 27
शहीद सिफ़ारिश करेगा

﴿27﴾
بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، : نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ : أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ .

(2522) जनाब निमरान बिन उतबा ज़िमारी बयान करते हैं कि हम उम्मे दर्दा (सग़र) के यहां गये और हम यतीम थे तो उन्होंने कहा: तुम्हें बशारत हो! मैंने (अपने शोहर) अबू अद्दर्दा (ﷺ) से सुना, वह कहते थे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शहीद की सिफ़ारिश अपने घराने के सत्तर अफ़राद के हक़ में क़बूल की जायेगी।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस सनद में (वलीद बिन रबाह अज़्ज़िमारी सही नहीं बल्कि) रबाह बिन वलीद सही है।

(2522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बान, हदीस: 1612, हदीस: 4905 में देखें, सिक़ाते इब्ने हिब्बान: 7/544.

फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। इस सिफ़ारिश का मुस्तहिक़ बनने के लिये अक़ीदा तौहीद व सुन्नत का हामिल होना इन्तेहाई ज़रूरी है क्योंकि मुश्रिक के लिये क़तअन बख़्शिश नहीं है और जन्नत उसके लिये हराम है। फ़रमाने बारी तआला है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला इस बात को माफ़ नहीं फ़रमायेगा कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाये इसके अलावा जिसे चाहेगा माफ़ फ़रमा देगा।' (अन्निसा: 48) और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया: 'जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया, बिलाशुब्हा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना आग है।' (अलमाइदा: 72)

बाब : 28
शहीद की क़ब्र पर नूर का नज़र आना

﴿28﴾ باب فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

(2523) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि जब नजाशी (रह.) की वफ़ात हूई तो हम लोग कहा करते थे कि उसकी क़ब्र पर नूर दिखाई देता है।

अबू सईद ने हमसे कहा: अहमद बिन अब्दुल जब्बार ने हमें बयान किया कि हमको यज़ीद बिन बुकैर ने इब्ने इस्हाक़ से इसी की मानिन्द रिवायत किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ .

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने हिशाम: 1/364.

मल्हूज़ : इस रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ (रह.) ने हसन क़रार दिया है। लेकिन शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ज़ईफ़ है।

(2524) हज़रत उबैद बिन ख़ालिद सुलमी(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो आदमियों में भाई चारा कराया था। चूनांचे एक (जिहाद में) क़त्ल हो गया और उसका दूसरा साथी एक हफ़्ता बाद या इसके क़रीब फ़ौत हूआ, हमने उसका जनाज़ा पढ़ाया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा: 'तुमने (इसके हक़ में) क्या कहा है?' हमने कहा: हमने इसके लिये दुआ की और कहा: ऐ अल्लाह! इसको अपने साथी के साथ मिला दे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो इसकी वह नमाज़ें जो उसके बाद पढ़ता रहा, वह रोज़े

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا قُلْتُمْ " . فَقُلْنَا : دَعَوْنَا لَهُ، وَقُلْنَا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ " . شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ : " وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ" .

जो उसके बाद रखता रहा और वह अमल जो उसके बाद करता रहा, क्या हूए? उनके दरम्यान तो इतना फ़ासला है जैसे कि ज़मीन व आसमान के दरम्यान।' शैबा को (फ़ी सौमिहू) के अल्फ़ाज़ में शक हूआ है।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1987.

फ़ायदा : ज़िन्दगी इन्तेहाई क़ीमती मताअ है। हर लम्हा जो गुज़र रहा है इसमें इन्सान या तो अल्लाह के यहां अपना मक़ाम बलन्द कर रहा है या गिरा रहा है। शहीद का एक मक़ाम व मर्तबा है मगर कुछ ग़ैर शोहदा अपने इख़्लास व तक़वा और कसरते अमल की बिना पर बलन्द मर्तबा हासिल कर लेंगे। जैसे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) उम्मते मुहम्मदिया में सबसे फ़ायक़ हैं अगरचे शर्फ़े शहादत से सरफ़राज़ नहीं हूए।

﴾29﴿
باب فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

बाब : 29
तनख़्वाह और मज़दूरी तै करके जिहाद करना

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، - الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتْقَنُ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، : سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ

(2525) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'अनक़रीब तुम्हारे लिये बड़े बड़े शहर फ़तह किये जायेंगे और लश्कर जमा किये जायेंगे, उनके कुछ हिस्से तुम्हारे ज़िम्मे आयेंगे (तुम्हारे मुख़्तलिफ़ क़बीलों और इलाक़ों से लोग उनमें शामिल किये जायेंगे) तो (ऐसे भी होगा कि) तुममें से कोई उस फ़ौज में बग़ैर उज्रत के शामिल होना पसन्द नहीं करेगा और अपनी क़ौम में से निकल खड़ा होगा और क़बीला क़बीला घूमता फिरेगा, अपने आपको उन पर पेश करेगा और कहेगा: कौन है कि फ़ुलां लश्कर

قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ : مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلاَ وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ " .

में मैं उसकी (तरफ़ से उज्रत पर लड़ते हूए) किफ़ायत करूं? कौन है कि फ़लां लश्कर में मैं उसकी तरफ़ से (उज्रत पर) किफ़ायत करूं? ख़बरदार! ऐसा आदमी तो महज़ मज़दूर है ख़्वाह अपना आख़री क़तरा ख़ून भी बहा दे।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/413.

﴿30﴾ باب الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

बाब : 30
जिहाद में माद्दी बदला ले लेने की रूख़्सत

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شُفَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي "

(2526) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिहाद करने वाले को अपना सवाब मिलता है और जो कोई किसी मुजाहिद को तआवून देता है उसे अपना सवाब मिलता है और साथ ही जिहाद करने वाले मुजाहिद का भी।' (दुगना सवाब मिलता है)

(2526) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/174, इब्ने अलजारूद, हदीस: 1039, हदीस: 2387 में देखें.

फ़ायदा : ये और इस क़िस्म की दीगर अहादीस जिनमें जिहाद व क़िताल के लिये माद्दी तआवून लेने की रूख़्सत है, उनका तअल्लुक़ उन मुख़िलसीन मगर ग़रीब और फ़क़ीर लोगों से है जो असबाब और जिहाद का सामान न होने के बाइस जिहाद से पीछे रहें। उनका जिहाद बर बिनाये इख़्लास व तक़्वा आला ए कलिमतुल्लाह ही के लिये होता है। तो ऐसे लोगों का तआवुन करना बाइसे अज्र व सवाब है बल्कि तआवुन देने वालों के लिये दोहरा अज्र है। जैसे कि हुकूमत के तनख़्वाहदार फ़ौजी। अगर ये

इख़्लास से आला ए कलिमतुल्लाह की ख़ातिर लड़ें तो अज्र व ग़नीमत दोनों से बहरावर होते हैं, वरना वही है जो उनकी नीयत हूई। और इसी पर कियास हैं वह उलमा, मोहद्दिसीन और ख़ुतबा, वग़ैरह जो शरई उलूम की इशाअत में मशगूल हैं अगर उनकी नीयत साफ़ हो, तो बेहतर, उन्हें तनख़्वाहें और वज़ीफ़े लेने जायज़ हैं, वरना उन्हें अपने अन्जाम की फ़िक्र करनी चाहिए।

बाब : 31
ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी ही पर जिहाद करे

﴿31﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

(2527) हज़रत यअ़ला बिन मुनया (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिहाद का ऐलान फ़रमाया जबकि मैं बूढ़ा आदमी था, मेरा कोई ख़ादिम भी न था तो मुझे किसी ऐसे मुलाज़िम की तलाश हूई जो (जिहाद में) मेरी किफ़ायत करता और मैं उसको उसका हिस्सा देता, चूनांचे मुझे एक आदमी मिल गया। फिर जब कूच का वक़्त हूआ तो वह मेरे पास आया और कहा: मुझे नहीं मालूम कि (माले ग़नीमत में) हिस्से क्या होंगे और मेरा हिस्सा कितना होगा? पस आप मुझे मुतअ़य्यन तौर पर बता दें वह आये न आये (मुझे इससे ग़र्ज़ नहीं) तो मैंने उसके लिये तीन दीनार मुतअ़य्यन कर दिये। फिर जब मैं ग़नीमत लेने के लिये हाज़िर हूआ और चाहा कि उसका हिस्सा उसे दूं तो मुझे मुक़र्रर करदा दीनारों का ख़याल आया। मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और उस आदमी का मामला आपके सामने पेश किया। आपने फ़रमाया: 'मैं उसके इस

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ، قَالَ : آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ . فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ : " مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ

هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى " .

जिहाद में दुनिया व आख़िरत में सिवाए उन दीनारों के जो उसने मुक़र्रर कर लिये और कुछ नहीं पाता।'

(2527) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/331, हाकिम, 2/112.

फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत जिहाद वग़ैरह में मुलाज़िम से काम लेना जायज़ है मगर ऐसे गुलाम और मुलाज़िम का अज्र उसकी अपनी नीयत पर मौक़ूफ़ है। अगर उसकी नीयत में तक़र्रुब इलल्लाह और हुसूले रज़ा का दाइया मौजूद हो तो अज्र और ग़नीमत दोनों का फ़ायदा हासिल हो जाता है वरना बहुत बड़ी महरूमी है कि दुनिया के माल के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा।

(32) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

बाब : 32
अगर कोई माँ बाप की रज़ामंदी के बग़ैर जिहाद करे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ . فَقَالَ : " ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا " .

(2528) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहा: मैं आपके पास हिजरत पर बैत के लिये हाज़िर हूआ हूं और अपने माँ बाप को रोते हूए छोड़कर आया हूं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास जा और उन्हें हँसा (और ख़ूश कर) जैसे कि तूने उनको रूलाया है।'

(2528) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8696, मुसनद अहमद: 2/160, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4024, हाकिम: 4/152, 153.

फ़ायदा : वालिदैन मुसलमान हों और जिहाद फ़र्ज़ न हो तो उनकी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि दीगर मुजाहिदीन इसकी किफ़ायत कर सकते हैं। लेकिन जब जिहाद फ़र्ज़ हो तो इजाज़त लेने की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं। ताहम ऐसे हालात में कि वालिदैन बावजूद मुसलमान होने के जिहाद की शरई अहमियत व ज़रूरत से आगाह न हों, या आगाह होना न चाहें और बुज़दिली का शिकार हों,

देख–रेख के लिये और औलाद भी मौजूद हो और फिर भी वह इजाज़त न दें तो मसला अमीरे जिहाद के सामने पेश किया जाये और उसकी हिदायत पर अमल किया जाये। वल्लाहु आलम बिस्सवाब!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ قَالَ : " أَلَكَ أَبَوَانِ " . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ .

(2529) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जिहाद करना चाहता हूं। आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे माँ बाप हैं?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो तू उन्हीं में जिहाद कर (उनकी ख़िदमत कर, यही तेरा जिहाद है।')

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनसे हदीस में रावी अबू अलअब्बास ये शाइर है और इसका नाम साइब बिन फ़र्रूख़ है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3004, व मुस्लिम: 2549.

फ़ायदा : वालिदैन की ख़िदमत, मुसलमान औलाद का अहम तरीन फ़रीज़ा है। नफ़्ली जिहाद के मुक़ाबले में उनकी ख़िदमत को अव्वलियत हासिल है, बिलख़ुसूस जबकि माँ बाप उसकी ख़िदमत के मोहताज हों।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، : أَنَّ رَجُلاً، هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ : " هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ " . قَالَ : أَبَوَاىَ . قَالَ : " أَذِنَا لَكَ " . قَالَ : لاَ . قَالَ : " ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا " .

(2530) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) का बयान है कि एक शख़्स यमन से हिजरत करके नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा। आपने उससे पूछा: 'क्या यमन में तेरा कोई अज़ीज़ भी है?' उसने कहा: मेरे माँ बाप हैं। आपने पूछा: 'क्या उन्होंने तुझे इजाज़त दी है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास वापस जा और उनसे इजाज़त तलब कर। अगर वह इजाज़त दे दें तो जिहाद करो वरना उनकी ख़िदमत कर।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/75, मुसनद सईद इब्ने मन्सूर, ह: 2334, ह: 2529 में देखें।

फ़ायदा : नफ़्ली जिहाद में वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है। यहां ये अम्र भी क़ाबिले मुलाहिज़ा है कि इस्लाम ने ख़ानदानी ईकाई और उसे मज़बूत करने और रखने की बहुत ज़्यादा तल्क़ीन की है। इससे नेकी को फ़रोग़ मिलता है और बुराई के दर बन्द होते हैं मगर मग़रिबी तहज़ीब ने इस बुनियादी इकाई और वहदत को तोड़ने के लिये अफ़राद कुम्बा और बालिग़ औलाद को बिलख़ुसूस आज़ाद रवी और आज़ाद मन्शी का जो सबक़ दिया है, उसके असरात इन्तेहाई ज़हरीले हैं। मग़रिब ने ख़ुद तो इसका अन्जाम देख लिया है और अब इसका रूख़ मश्रिक़ और बिलख़ुसूस इस्लामी मुआशरों की तरफ़ है।

बाब : 33
ख़्वातीन भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं

﴾33﴿
بابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .

(2531) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मेरी वालिदा) उम्मे सुलैम(ﷺ) और अन्सार की कुछ औरतों को जिहाद में साथ ले जाया करते थे ताकि वह पानी पिलायें और ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी करें।

(2531) तख़रीज : मुस्लिम: 1810.

फ़ायदा : जिहाद में औरतों से मुजाहिदीन की ख़िदमत के काम करवाये जा सकते हैं। या सब काम परदे में रहकर अदा किये जा सकते हैं, लिहाज़ा ये ख़िदमत लेने के लिये ख़्वातीन की तालीम व तर्बीयत और मश्क़ भी ज़रूरी है। शरई तालीमात की रोशनी में अजनबी मर्दों और औरतों को बेहिजाब खुले इख़्तिलात की क़तअन इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ लोग अहदे नबवी के इस क़िस्म के कुछ इक्का दुक्का वाक़िआत से ये मसला और उसूल अख़ज़ करते हैं कि मर्द व औरत के दरम्यान किसी भी मामले में फ़र्क़ व इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि औरतों को ज़िन्दगी के हर शोअबे (डिपार्टमेंट) में मर्दों के दोश बदोश हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन लोगों का ये दावा भी बिल्कुल ग़लत है और इस्तेदलाल भी बे बुनियाद। भला चंद उमर रसीदा ख़्वातीन को ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी करने और उनको पानी पिलाने जैसी मामूली ख़िदमात के लिये उनको साथ ले जाने से, मर्दोज़न की मग़रिबी मसावात और हर मामले में दोश बदोश का इस्बात किस तरह मुमकिन है?

बाब : 34
ज़ालिम हुक्काम की ज़ेरे क़यादत जिहाद करना

﴿34﴾
بَابٌ فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ " .

(2532) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन बातें ईमान की अस़ल हैं: जिस शख़्स ने ला इलाहा इलल्लाह का इक़रार किया उसके दर पे न हो, उसे किसी गुनाह की बिना पर काफ़िर न कहो और न किसी अ़मल की वजह से उसे ईमान से निकालो। और जब से अल्लाह ने मुझे मबऊ़स फ़रमाया है जिहाद जारी है और जारी रहेगा यहां तक कि इस उम्मत का आख़री हिस्सा दज्जाल से क़िताल करेगा, उसको किसी ज़ालिम का ज़ुल्म या आ़दिल का अ़दल बातिल नहीं कर सकता और तक़दीरों पर ईमान रखना।

(2532) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/156, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2367.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ

(2533) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर हर अमीर के साथ जिहाद वाजिब है ख़्वाह नेक हो या बद, और तुम पर हर मुसलमान के पीछे नमाज़ पढ़ना वाजिब है ख़्वाह वह नेक हो या बद, अगरचे कबाइर का मुर्तकिब ही क्यों न हो, और तुम पर वाजिब है कि मुसलमान की नमाज़े (ज़नाज़ा) पढ़ो ख़्वाह

كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ" .

कोई नेक हो या बद, अगरचे कबाइर का मुर्तकिब हो।'

(2533) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 594 में देखें, बैहक़ी: 3/121.

फ़ायदा : ये दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इनमें कुछ बातें सही हैं जिनकी ताईद दूसरी सही रिवायात से होती है। और कुछ बातें सही नहीं हैं। बहरहाल ये दोनों रिवायात मदारे इस्तेदलाल नहीं हैं।

﴾35﴿ باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

बाब : 35
किसी दूसरे की सवारी पर जिहाद के लिये जाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ " . يَعْنِي أَحَدِهِمْ . فَضَمَمْتُ إِلَىَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ : مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي .

(2534) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान किया कि आप (ﷺ) ने जिहाद का इरादा किया और फ़रमाया: 'ऐ मुहाजिरो और अन्सारियों! तुम्हारे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि उनके पास माल नहीं और न कोई उनका अपना क़बीला है तो तुममें से हर एक को चाहिए कि उनमें से दो तीन आदमियों को अपने साथ मिला ले, चुनांचे हममें से जिस किसी के पास सवारी थी वह अपने साथी को बारी से सवार करता और ख़ूद भी बारी से सवार होता था।' हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं: मैंने भी दो तीन को अपने साथ मिला लिया तो मुझे अपने ही ऊँट पर बारी से सवारी मिलती थी जैसे कि उन्हें।

तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/358, हाकिम: 2/90.

फ़ायदा : सहाबा (ﷺ) का ये ईसारो क़ुर्बानी उन की आपस में लिल्लाह फ़िल्लाह मुहब्बत की दलील थी, इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया ही में बलन्दी इनायत फ़रमा दी थी, जबकि जिहाद में दूसरे का तआवुन करने वाला ख़ूद मुजाहिद जितना सवाब पाता है।

बाब : 36
जो कोई जिहाद में सवाब और ग़नीमत की नीयत रखता हो

﴿36﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ، أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الإِيَادِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ : نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ : " اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَىَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ " . ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي - أَوْ قَالَ : عَلَى هَامَتِي - ثُمَّ قَالَ : " يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ

(2535) इब्ने ज़ुग़ब इयादी ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी (ﷺ) मेरे मेहमान बने, तो उन्होंने मुझसे बयान किया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको पैदल (जिहाद के लिये) रवाना फ़रमाया ताकि कोई ग़नीमत हासिल कर लायें। पस हम वापस आये और हमें कोई ग़नीमत न मिली। आपने मशक्क़त और ग़मी के आसार हमारे चेहरों पर देखे तो खड़े हूए और (दुआ करते हूए) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इन्हें मेरे सुपुर्द न कर दे कि इनकी किफ़ालत से आजिज़ रहूं और न इन्हें इनकी अपनी जानों के सुपुर्द कर दे कि अपने किफ़ालत से आजिज़ रहें और न इन्हें लोगों के सुपुर्द कर देना कि वह अपने आप ही को तर्जीह देने लगें।' फिर आपने अपना हाथ मुबारक मेरे सर पर रखा और फ़रमाया: 'ऐ इब्ने हवाला! जब तुम देखो कि ख़िलाफ़त अर्ज़े मुक़द्दस (शाम) तक पहुँच गयी है तो ज़लज़ले आने लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगी। (इसके अलावा) और भी बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी और क़यामत उस वक़्त लोगों के इससे ज़्यादा क़रीब होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है।'

النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِيٌّ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन हवाला (ﷺ) का तअ़ल्लूक़ हिम्स से है।

(2535) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/288, हाकिम: 4/425.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिहाद में अज्र व सवाब के साथ साथ ग़नीमत की तवक्को (उम्मीद) रखना कोई मायूब नहीं बशर्ते कि ये नीयत ही असल मक़सूद न हो। इतना ज़रूर है कि ग़नीमत हासिल होने से आख़िरत के अज्र में कमी आ जाती है जैसे कि (बाब फ़िस्सरिया तख़िफ़्फ़ु) हदीस: 2497 में गुज़रा है। **(2)** अल्लाह तआला ने माल को इन्सान के लिये गुज़रान का एक अहम सबब बनाया है जबकि हक़ीक़ी कफ़ील ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। अगर वह असबाब मुहय्या न फ़रमाये और उनमें बरकत न दे तो कायनात के तमाम अफ़राद और उसके कुल असबाब कुछ भी की हैसियत नहीं रखते। **(3)** मुस्तक़बिल के उमूरे ग़ैबिया की ख़बरें नबी (ﷺ) की नबूवत की सदाक़त की दलील हैं कि फ़तहे बैतुल मक़्दिस के बाद से दुनिया में और उम्मते इस्लामिया में ऊपर की अलामात लगातार ज़ाहिर हो रही हैं। **(4)** क़यामत हद से ज़्यादा क़रीब है, लिहाज़ा हर इन्सान को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए।

﴿37﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَشْرِي نَفْسَهُ

बाब : 37
इन्सान जो अपने आपको अल्लाह के हाथ बेच डाले

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ " . يَعْنِي أَصْحَابَهُ : " فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ

(2536) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे रब तआ़ला को उस बंदे पर बड़ा तअ़ज्जुब आता है जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकले, और उसके साथी भाग निकलें (मगर) उस बंदे को गुनाह का एहसास हो तो वह (क़िताल के लिये) वापस लौट आये यहाँ तक कि उसका ख़ून बहा दिया जाये, तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़रिश्तों से कहता है: देखो मेरे बंदे की तरफ़

تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ " .

कि मेरे यहां सवाब की रग़बत में और मेरी पकड़ के डर से वापस लौट आया यहाँ तक कि उसका ख़ून बहा दिया गया।'

(2536) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 1/416, इब्ने हिब्बान, हदीसः 643, 644.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह अत्तौबा में ये मज़मून तफ़्सील से बयान हूआ है। अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'अल्लाह तआला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिये हैं, ये लोग अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं तो मारते हैं और मारे भी जाते हैं, ये तौरात, इन्जील और क़ुर्आन में बयान शुदा सच्चा वादा है।' (अत्तौबाः 111) अलग़र्ज़ मुसलमान को अपने तमामतर आमाल और अहवाल में अल्लाह तअला के यहां अज्र व सवाब का उम्मीदवार और उसके एक़ाब से डरते रहना चाहिए। यही असल ईमान और उसकी चोटी है। **(2)** 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का तअज्जुब करना' इसी तरह उसकी दीगर सिफ़ात की कैफ़ियत हम जान सकते हैं न बयान कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं और वह सुनने और देखने वाला है।' (अश्शूराः 11) इस बुनियाद पर ये सिफ़ाते इलाही ऐसी ही हैं जैसे उसकी शान के लायक़ हैं। हमें उन पर ईमान रखना है जैसे वह बयान हूई हैं, उनकी कुना और हक़ीक़त जानने के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह कोई जान ही नहीं सकता।

﴿38﴾
بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : 38
जो शख़्स इस्लाम लाये और उसी वक़्त अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाये

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ، كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ

(2537) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि अम्र बिन उक़ैश को लोगों से इस्लाम से पहले का सूद लेना था, तो वह उसकी वसूल याबी तक इस्लाम से दूर रहा। आख़िर उहुद के दिन आया और पूछा कि मेरे चचाज़ाद कहाँ हैं? लोगों ने कहा: उहुद में हैं,

فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ . فَقَالَ : أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا : بِأُحُدٍ . قَالَ : أَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ . قَالَ : أَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ . فَلَبِسَ لأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا : إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو . قَالَ : إِنِّي قَدْ آمَنْتُ . فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لأُخْتِهِ : سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ : بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ . فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاَةً.

फिर पूछा कि फ़ुलां कहाँ है? उन्होंने कहा: उहुद में है। चूनांचे उसने अपने हथियार पहने, घोड़े पर सवार हूआ और उन लोगों की जानिब चला गया। मुसलमानों ने जब उसको देखा, तो कहा: ऐ अ़म्र! हम से दूर रहो। उसने कहा: यक़ीन करो कि मैं ईमान ला चुका हूं चुनांचे क़िताल करने लगा यहाँ तक कि ज़ख़्मी हो गया तो उसे उसी हालत में उठाकर उसके अहल में लाया गया। पस सअ़द बिन मुआज़(ﷺ) उसके पास आये और उसकी बहन से कहा: उससे पूछो (कि उसने जंग में हिस्सा क्यों लिया है) अपनी क़ौम की हमीयत व हिमायत में, या उनके लिये ग़ुस्से की बिना पर, या अल्लाह के लिये ग़ुस्से की वजह से? तो उसने कहा: बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के लिये ग़ुस्से की वजह से (इस जंग में शरीक हूआ हूं) चूनांचे वह फ़ौत हो गया और जन्नत में दाख़िल हूआ और उसने अल्लाह के लिये एक भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी।

(2537) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/237, हाकिम: 2/113.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की हमीयत और हिमायत में अपनी जान क़ुर्बान कर देना और उसी के लिये अपनी मोहब्बत और ग़ुस्से के जज़्बात का इज़हार करना ईमाने कामिल की अ़लामत और अल्लाह के यहां निजात की ज़मानत है। **(2)** नमाज़ इस्लाम का बुनियादी रूक्न है मगर अ़म्र बिन उक़ैश (ﷺ) को इसके सीखने और अदा करने का मौक़ा ही नहीं मिला तो इसलिए माज़ूर समझे गये। **(3)** वह लोग समझते थे कि इस्लाम एक अ़मली और बा'जाब्ता दीन है। इसमें अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुख़ालिफ़त व मअ़सीयत का कोई तसव्वूर नहीं और हराम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से हज़रत अ़म्र ने अपने इस्लाम को मुअख़्ख़र (लेट) किया। ये

उनकी सआदत थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको मोहलत दी और वह इस्लाम और फिर शहादत से बहरावर हो गये। (4) ये वाक़िया किसी शख़्स को अपना इस्लाम या गुनाह से तौबा को मुअख़्ख़र करने की दलील नहीं बनाया जा सकता। न मालूम मतलब पूरा होने तक ज़िन्दगी की मोहलत भी मिलेगी या नहीं या कहीं नीयत ही न बदल जाये या हालात साज़गार न रहें और फिर इस्लाम या तौबा से महरूम रह गया तो हमेशा की महरूमी का सामना होगा।

﴾39﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلاَحِهِ

बाब : 39
जो शख़्स अपना ही हथियार लगने से फ़ौत हो जाये

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ : كَذَا قَالَ هُوَ - يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ - وَعَنْبَسَةُ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ قَالَ أَحْمَدُ : وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ - وَشَكُّوا فِيهِ - : رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

(2538) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (ﷺ) बयान करते हैं कि खैबर के मौक़े पर मेरे भाई (आमिर बिन अक़्वा (ﷺ) ने ख़ूब क़िताल किया और (अल्लाह का करना ऐसा हूआ कि) उसकी अपनी तलवार उचट कर ख़ुद उसको लग गयी जिससे वह क़त्ल हो गया। अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके बारे में बातें करने लगे और उस (की शहादत) के सिलिसिले में उन्होंने शक का इज़हार किया कि एक आदमी अपने ही हथियार से मारा गया है तो (क्योंकर शहीद समझा जायेगा?) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये जिहाद करते हूए फ़ौत हूआ और मुजाहिद फ़ौत हूआ है।'
इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि फिर मैंने सलमा बिन अक़्वा के बेटे से दरयाफ़्त किया तो उसने मुझे अपने बाप के हवाले से इसी की मानिन्द बयान किया मगर उसके अल्फ़ाज़ ये थे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ग़लत कहते हैं, ये

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ "

जिहाद करते हुए फ़ौत हूआ है, मुजाहिद फ़ौत हूआ है और इसके लिये दुगना अज्र है।'

(2538) तख़रीज : मुस्लिम: 1802.

फ़ायदा : इस मुजाहिद के लिये दोहरे अज्र की ख़ूशख़बरी, मुमकिन है जिहाद और शहादत की बिना पर हो। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ " . فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَفَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ قَالَ : " نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ "

(2539) जनाब अबू सलाम नबी (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हमने जुहैना के एक क़बीले पर हमला किया। पस मुसलमानों में से एक आदमी ने उनके एक आदमी पर वार किया और उसे मारना चाहा मगर उसका वार ख़ता किया और उसकी तलवार ख़ूद उसे ही लग गयी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुसलमानो! तुम्हारा भाई! (इसकी ख़बर लो') लोग भागकर उसकी तरफ़ गये तो देखा कि वह फ़ौत हो चुका है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको उसी के कपड़ों में ख़ून समेत लपेट दिया, उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उसे दफ़न कर दिया। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वह शहीद है? आपने फ़रमाया: 'हाँ और मैं उसके लिये गवाह हूं।'

(2539) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/110.

बाब : 40
जंग के वक़्त दुआ की क़बूलियत का बयान

﴿40﴾
باب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا " . قَالَ مُوسَى : وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَوَقْتَ الْمَطَرِ .

(2540) हज़रत सहल बिन सअ़द (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो वक़्त की दुआएँ रद्द नहीं की जाती या बहुत कम रद्द की जाती हैं: एक अज़ान के वक़्त और दूसरी जंग के वक़्त, जब लोग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं।'

मूसा (बिन याक़ूब) ने कहा: मुझे रज़्ज़ाक़ बिन सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अबू हाज़िम से, उसने सहल बिन सअ़द (ﷺ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया: 'बारिश के वक़्त (भी दुआ रद्द नहीं की जाती)'

(2540) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 1023, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 419, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1717, 1761, इब्ने अलजारूद, हदीस: 1069, हाकिम: 1/198, 2/113, 114.

फ़ायदा : अज़ान और क़िताल दोनों अ़मल अल्लाह का कलिमा बलन्द करने के लिये हैं, लिहाज़ा इन औक़ात में दुआएँ क़बूल होती हैं। आने वाली हदीस में जिहाद में मामूली वक़्त लगाने की फ़ज़ीलत का ज़िक्र आ रहा है। ख़्याल रहे कि 'बारिश के वक़्त' का जुमला सही सनद से साबित नहीं है। (अल्लामा अल्बानी (रह.)

बाब : 41
शहादत की दुआ की फ़ज़ीलत

﴾41﴿ باب فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ

(2541) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'अगर किसी ने ऊँटनी को दो बार दूहने के वक़्फ़ा के बराबर भी क़िताल किया तो उसके लिये जन्नत वाजिब है, और जिसने अल्लाह से सच्चे दिल से क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की दुआ माँगी फिर फ़ौत हो गया या क़त्ल कर दिया गया तो उसके लिये शहीद का सवाब है।' इब्ने अलमुसफ़्फ़ा ने यहां इज़ाफ़ा किया: 'और जिसे (दुश्मन की तरफ़ से) अल्लाह की राह में कोई ज़ख़्म आ गया या कोई चोट लग गयी तो क़यामत के दिन वह ज़ख़्म उसी तरह (ताज़ा) और बड़ा होगा जैसे कि वह था, उसके ख़ून का रंग ज़ाफ़रान का और ख़ुशबू कस्तूरी की होगी, और जिसे अल्लाह की राह में कोई फोड़ा निकल आया तो उस पर शहीदों के जैसी मुहर होगी।'

(2541) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 4251, नसाई, हदीस: 3143, तिर्मिज़ी, हदीस: 1657.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ، وَابْنُ الْمُصَفَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ " . زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا : " وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊँटनी को एक बार दूहने के बाद चंद मिनट के लिये वक़्फ़ा दिया जाता है और फिर दोबारा दूहते हैं, इस दरम्यानी वक़्फ़े को (फ़ुवाक़) से ताबीर किया जाता है। **(2)** इख़्लासे नीयत की वजह से इन्सान बहुत बड़े दर्जात हासिल कर लेता है ख़्वाह अमल करके इस मक़ाम तक न भी पहुँच सके।

बाब : 42
घोड़ों की पेशानियों और दुमों के बाल काटना मकरूह (ना पसंदीदा) है

﴿42﴾ بَابٌ فِي كَرَاهَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَصْرٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍوَقَالَ أَبُو تَوْبَةَ : عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ " .

(2542) हज़रत उ़तबा बिन अ़ब्द सुलमी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'घोड़ों की पेशानियों, गर्दनों और दुमों के बाल न काटो, बिलाशुब्हा उनकी दुमें उनके पंखे हैं (कि वह उनसे मक्खियों वग़ैरह को दूर करते हैं) और गर्दनों के बालों से ये अपनी सर्दी दूर करते हैं और पेशानियों के बालों के साथ ख़ैर व बरकत बंधी हूई है।'

(2542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/331, मुसनद अहमद: 4/183.

फ़ायदा : जिन मअ़मूलात के मुताल्लिक़ शरई हिदायात आ जायें, वह आम मअ़मूलात और आदात से निकल कर शरई मसाइल बन जाते हैं जिनकी अहमियत वाज़ेह है, इनमें से एक घोड़ों की तर्बीयत का ये मसला भी है।

बाब : 43
घोड़ों में कौन से रंग पसन्दीदा और मुस्तहब है

﴿43﴾ بَابٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ

(2543) हज़रत अबू वहब जुशमी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे घोड़े मुन्तख़ब किया करो जो कुमेत

الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ " .

और पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख़ स्याह हो मगर पेशानी और चारों पाँव सफ़ेद हों) या अश्क़र पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख़ हो और पेशानी और चारों पाँव सफ़ैद हों) या मश्की (स्याह रंग) और पाँच कलियान हों।'

(2543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3595, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1633.

फ़ायदा : अल्लामा तीबी ने इन रंगों में एक फ़र्क़ ये भी लिखा है कि अश्क़री में सुर्खी पर स्याही ग़ालिब होती है और कुमेत की गर्दन और दुम के बाल स्याह होते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ كُمَيْتٍ أَغَرَّ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ - سَأَلْتُهُ : لِمَ فَضَّلَ الأَشْقَرَ قَالَ : لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ .

(2544) हज़रत अबू वहब का बयान है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़ा ऐसा मुन्तख़ब करो जो अश्क़र पाँच कलियान हो (सुर्ख़ रंग) या कुमेत सफ़ेद पेशानी।' और मज़कूरह हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया। मुहम्मद बिन मुहाजिर कहते हैं: मैंने अपने शैख़ से दरयाफ़्त किया कि अश्क़र को फ़ज़ीलत क्यों है? तो उन्होंने कहा: क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक मुहिम भेजी तो जो शख़्स सबसे पहले फ़तह की ख़ूश ख़बरी लेकर आया वह अश्क़र घोड़े पर सवार था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/330.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا " .

(2545) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़ों में बरकत उनके सुर्ख़ रंग वालों में है।'

(2545) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1695.

फ़ायदा : जब घोड़ों के इख़्तियार व इन्तेख़ाब का मामला हो तो ऊपर बताई गई सिफ़ात का ख़्याल

रखना मुस्तहब है। इससे इस्तेदलाल ये भी है कि दीगर आलाते जिहाद हासिल करते वक़्त उनके ज़ाहिरी महासिन और उम्दाकार कारकर्दगी को पेशे नज़र रखना चाहिए।

बाब : 44
मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहना

﴿44﴾ باب هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَمِّي الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا .

(2546) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहा करते थे।

(2546) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/144, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1634.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) अरब के सबसे अच्छी जबान आवर थे और आपकी ज़बान मुन्तख़ब और मैयारी ज़बान थी। ऐसे ही दाइयाने दीन को लाज़िम है कि अपनी अपनी ज़बान के फ़सीह व बलीग़ आलिम बनें, इस तरह उनका अमले दावत दो चंद हो जायेगा। ग़लत अल्फ़ाज़ और भद्दी गुफ़्तगू करने वाले की बात सुनी जाती है, न मुअस्सिर होती है।

बाब : 45
वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं

﴿45﴾ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمٍ، - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . وَالشِّكَالُ : يَكُونُ الْفَرَسُ فِي

(2547) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शिकाल क़िस्म के घोड़ों को नापसन्द फ़रमाते थे। और शिकाल से मुराद ये है कि उसके दायें पाँव और बायें हाथ में सफ़ेदी हो या दायें हाथ और बायें पाँव में सफ़ेदी हो।

رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَىْ مُخَالِفٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने वज़ाहत की कि हाथ पाँव में सफ़ेदी मुख़ालिफ़ जाती हो।

(2547) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़ायदा : शिकाल, की ये तफ़्सीर, जोड़ी हुई है, यानी नबी (ﷺ) की बयान करदा नहीं है, बल्कि रावी की तरफ़ से है। इसीलिये इमाम नववी (रह.) ने इसकी तफ़्सीर में मुख़्तलिफ़ अक़्वाल नक़्ल किये हैं। कराहत की भी कुछ तौजीहात बयान की गयी हैं, अस़ल हक़ीक़त अल्लाह तआला ही जानता है। (औनुल माबूद)

﴾46﴿ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

बाब : 46 जानवरों और चौपायों की ख़िदमत और ख़बरगीरी करने का हुक्म

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ : " اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً "

(2548) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसका पेट उसकी कमर से लग गया था तो आपने फ़रमाया: 'इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो इन पर सवारी करो तो भले अन्दाज़ में और खिलाओ तो भी उ़म्दा तरह से।'

(2548) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1629 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 844, 845, हदीस़: 2567 में देखें।

फ़ायदा : मोमिन (सय्यिउल मलका) नहीं होता, यानी अपनी ममलूका चीज़ों से बुरा सलूक नहीं करता।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ،

(2549) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक दिन

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَىَّ حَدِيثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ . قَالَ : فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ : "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ" . فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : " أَفَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَى إِلَىَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपने साथ सवारी पर पीछे बिठा लिया और ख़ामोशी से मुझे एक बात बतायी जो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़ज़ा ए हाजत के लिये छुपने की दो जगह बहुत ज़्यादा पसन्द थीं: या तो कोई ऊँची जगह होती, या कोई खजूरों का झुंड होता। आप एक बार एक अन्सारी के बाग़ में तशरीफ़ ले गये तो वहां एक ऊँट था, जब उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा तो रोनी सी आवाज़ निकाली और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास आये और उसके सर पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। फिर आप (ﷺ) ने पूछा: 'इस ऊँट का मालिक कौन है? ये किसका ऊँट है?' तो एक अन्सारी जवान आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा है। आपने फ़रमाया: 'क्या तू इस जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरता जिसका उसने तुझको मालिक बनाया है, इसने मुझसे शिकायत की है कि तू इसे भूखा रखता और बहुत थकाता है।'

(2549) तख़रीज : मुस्लिम: 342.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊँट का नबी (ﷺ) को पहचान लेना और आपके सामने मालिक का अपने अन्दाज़ में शिक्वा करना, नबी (ﷺ) का मोजिज़ा है। **(2)** जानवर से उसी क़द्र काम लेना चाहिए जो उसकी ताक़त व हिम्मत के मुताबिक़ हो। ज़्यादा काम लेना और फिर ख़िदमत भी न करना हराम है और ख़ादिम का मामला भी इसी तरह है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ

(2550) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक

مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّيْهِ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ : " فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " .

आदमी किसी रास्ते में जा रहा था कि उसे बहुत प्यास लगी, उसे एक कुआँ मिला, वह उसमें उतरा, पानी पीया और बाहर निकला तो उसने एक कुत्ता देखा जो हाँप रहा था और प्यास की वजह से गीली मिट्टी चाट रहा था, उस आदमी ने सोचा कि इस कुत्ते को भी प्यास ने सताया है जैसे कि मुझे सताया था। पस वह दोबारा कुएँ में उतरा, अपने मौज़े को पानी से भर कर अपने मुँह से पकड़ा और ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पिलाया, सो अल्लाह तआला ने उसका ये अमल क़बूल फ़रमा लिया और उसे बख़्श दिया।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे लिये जानवरों की ख़िदमत में भी सवाब है? आपने फ़रमाया: 'हर गीले जिगर (जानदार) में सवाब है।'

(2550) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2363, मौता: 2/929, 930, व मुस्लिम: 2244.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लोगों के लिये सरायों और उनके रास्तों में पानी का इन्तेज़ाम करना बहुत बड़ी नेकी का काम है। **(2)** इन्सान मुसलमान हो या काफ़िर हर एक के साथ, और ऐसे ही जानदार मख़्लूक़ के साथ एहसान करना, बड़े अज्र की बात है। अलबत्ता वाजिबुल क़त्ल और मूज़ी जानवर इस एहसान से अलग हैं जैसे कि ख़िन्ज़ीर और साँप, बिच्छू वग़ैरह।

बाब : 47
किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करने का एक अदब

﴾47﴿
باب فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ .

(2551) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि हम जब किसी मन्ज़िल पर उतरते तो उस वक़्त तक नमाज़ न पढ़ते थे जब तक कि ऊँटों पर से कजावे न उतार लेते।

(2551) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/29.

फ़ायदा : जिस तरह इन्सान को आराम और राहत की ज़रूरत होती है इसी तरह हैवानात का भी ख़्याल रखना चाहिए। इसीलिए कुछ उलमा ये मुस्तहब समझते हैं कि इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर उतरे तो चाहिए कि पहले अपने जानवर को चारा डाले फिर ख़ूद खाना खाये, ये तालीमात इस्लाम के दीने फ़ितरत और आलमी दीन होने की दलील है।

बाब : 48
घोड़ों के गलों में तांत डालना

﴾48﴿ باب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2552) हज़रत अबू बशीर अन्सारी (ﷺ) का बयान है कि वह एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे ... कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक पैग़म्बर भेजा, रावी हदीस़ अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र का कहना है: मेरा ख़्याल है कि शैख़ ने बयान किया: लोग रात की आरामगाह में थे (आप (ﷺ) ने कहला भेजा कि) 'किसी ऊँट के गले में कोई

رَسُولاً - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ " لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ " . قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ .

तांत या कोई क़लादा बाक़ी न छोड़ा जाये मगर उसे काट डाला जाये।'

इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं: मेरा ख़्याल है, बदनज़री से बचाव के लिये ये डालते थे।

(2552) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3005, मौता: 2/937, व मुस्लिम: 2115.

फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं कि इमाम मालिक (रह.) इसकी वजह ये बताते हैं कि लोग उसे नज़रे बद से बचाव के लिये बतौर तावीज़ डालते थे और उसे ही मुअस्सिर समझते थे। कई उलमा का ख़्याल है कि लोग ये उनके गलों में घण्टियाँ बाँधने के लिये डालते थे। कुछ ने कहा कहीं ऐसा न हो कि दौड़ते भागते हूए जानवर का गला घुट जाये। बहरहाल वजह कोई भी हो, तांत डालने से मना फ़रमाया गया है। और इसी तरह दीगर जाहिलाना तावीज़ गंडे भी डालना जायज़ नहीं।

﴾49﴿ باب إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلَى أَكْفَالِهَا

बाब : 49 घोड़ों की देख भाल अच्छी तरह करने, बाँध कर रखने और उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का बयान

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا " . أَوْ قَالَ " أَكْفَالِهَا " . " وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ " .

(2553) सहाबी ए रसूल हज़रत अबू वहब जुशमी (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़ों को बाँध कर रखो (उनकी ख़ूब देख भाल करो) उनकी पेशानियों और सुरीनों पर हाथ फेरा करो।' रावी को शक है कि आपने लफ़्ज़ 'आजाज़िहा' कहा या 'अक्फ़ालिहा' और गर्दनों में रस्सियाँ बाँधो मगर तांत की रस्सी न हो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2543 में देखें।

फ़ायदा : घोड़ा मोहब्बत करने वाला जानवर है और जिहाद में काम आने की वजह से महबूब है, इसलिए इसकी ख़ूब ख़िदमत करनी चाहिए और उन्सो मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, इस अमल से जानवर ख़ुश होता है।

बाब : 50
जानवरों को घण्टियाँ बाँधने का मसला

﴾50﴿
باب فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاسِ

(2554) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा(ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस क़ाफ़िला और जमाअत में घण्टी हो, फ़रिश्ते उसके साथ नहीं होते।'

(2554) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/326, 327, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8819.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " .

(2555) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस जमाअत के साथ नहीं चलते जिनके साथ कुत्ता हो या घण्टी।'

(2555) तख़रीज : मुस्लिम: 2113.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ " .

(2556) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घण्टी के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'ये शैतान का बाजा है।'

(2556) तख़रीज : मुस्लिम: 2114.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْجَرَسِ " مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवरों के गलों में घण्टियाँ और घुंगरू क़िस्म की चीज़ें बाँधना जायज़ नहीं। (2) मोसीक़ी के दूसरे आलात की हुरमत भी अहादीस़ से स़ाबित है। (3) ऐसे ही कुत्ता रखना, अगर महज़ इज़हारे हैबत और ज़ीनत के लिये हो तो ना जायज़ है। हिफ़ाज़त की नीयत से हो तो जायज़ है।

बाब : 51
गंदगी ख़ोर जानवरों पर सवार होना

﴿51﴾
باب فِي رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ

(2557) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाया: ऐसे जानवर पर सवारी करने से मना किया गया है जो गंदगी खाता हो।

(2557) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/254, 9/333, हदीस़: 3785–3787 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ - عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا .

(2558) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मनक़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ऊँट की सवारी से मना फ़रमाया जो गंदगी खाता हो।

(2558) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/34, रियाज़ुस्सालिहीन, हदीस़: 1694.

फ़वाइद व मसाइल : दीगर अहादीस़ में ऐसे जानवर का दूध पीने और उसका गोश्त खाने की भी मुमानिअत वारिद है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3785)

﴾52﴿
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ

बाब : 52
जानवर का नाम रखना

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.

(2559) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक गधे पर आपके पीछे बैठा हूआ था जिसे ऊफ़ैर कहा जाता था।

(2559) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2856.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवर का नाम रखना मुबाह है। **(2)** बवक़्ते ज़रूरत जानवर पर दो आदमी भी सवार हो सकते हैं। **(3)** अगर किसी जानवर पर दो आदमी सवार हो जायें तो ये ज़ुल्म शुमार नहीं होगा। बशर्ते कि जानवर सेहतमंद और इस क़द्र बोझ उठा सकता हो।

﴾53﴿
بَابٌ فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي

बाब : 53
नफ़ीर (जिहाद के लिये रवानगी) के वक़्त यूँ आवाज़ देना कि ऐ अल्लाह के शहसवारो! सवार हो जाओ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

(2560) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है, अम्माबाद: नबी (ﷺ) हमारे सवारों को, जब हम घबराते तो (ख़ैलुल्लाह) 'अल्लाह के शहसवार बंदो!' कह कर पुकारते, और रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें हुक्म देते थे कि जब ख़ौफ़ और घबराहट की

سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا .

कैफ़ियत हो तो इकट्ठे हो जाया करें, सब्र और सुकून से काम लें और ऐसे ही क़िताल के वक़्त किया करें।

(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 975 में देखें।

﴾54﴿ بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

बाब : 54 जानवर को लानत करने की मुमानिअत (मनाही)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ " مَا هَذِهِ " . قَالُوا هَذِهِ فُلاَنَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " . فَوَضَعُوا عَنْهَا . قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرْقَاءُ.

(2561) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) एक सफ़र में थे, पस आपने (किसी से) लानत करने की आवाज़ सुनी तो आपने पूछा: 'ये क्या है?' सहाबा ने कहा: ये फ़लां औरत है जिसने अपनी सवारी को लानत की है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उससे (कजावा और सामान) उतार दो। बिलाशुब्हा ये अब मलऊन है।' चूनांचे सहाबा ने उससे (सामान वग़ैरह) उतार दिया।

इमरान कहते हैं: गोया मैं उसकी तरफ़ देख रहा हूं कि वह स्याह मायल ऊँटनी थी।

(2561) तख़रीज : मुस्लिम: 2595.

फ़ायदा : 'लानत' के लफ़्ज़ी मानी हैं अल्लाह की फटकार और उसकी रहमत से दूरी। और ये इन्तेहाई बुरी ख़स्लत है कि इन्सान एक चीज़ से फ़ायदा भी उठाये और फिर उसके मुताल्लिक़ लानत का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल करे। नबी (ﷺ) ने ग़ालिबन बतौर ज़जर व तौबीख़ के उस जानवर को उसके सवार से आज़ाद करा दिया था ताकि आइन्दा के लिये कोई इस तरह न बोले। लोगों का आपस में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करना और भी बुरा है।

﴿55﴾ بَابٌ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

बाब : 55 जानवरों को आपस में लड़ाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

(2562) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि जानवरों को आपस में लड़ाया जाये।

(2562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1708.

फ़ायदा : बऐतबार सनद के ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर बलिहाज़े मानी बात ऐसे ही है कि ये अमल किसी तरह भी शरीफ़ों के लायक़ नहीं है। अवाम को भी इससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जब जानवरों को लड़ाने की मुमानिअत है तो लोगों के दरम्यान लड़ाई करवा देना तो और भी बदतरीन ख़स्लत है।

﴿56﴾ بَابٌ فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

बाब : 56 जानवरों को निशान लगाना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قَالَ - فِي آذَانِهَا .

(2563) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है कि मेरे भाई (अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा) की विलादत हूई तो मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ ताकि आप उसे घुट्टी दें। मैंने आपको बकरियों के बाड़े में पाया, आप बकरियों को निशान लगा रहे थे। (शोबा ने)

कहा मेरा ख़्याल है, शैख़ ने बयान किया: आप उनके कानों पर निशान लगा रहे थे।

(2563) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5542, व मुस्लिम: 5542.

फ़ायदा : पहचान के लिये जानवरों को निशान लगाना जायज़ है। इस मक़सद के लिये लोहा गर्म करके उनके जिस्म को दाग़ा जाता था लेकिन चेहरे पर दाग़ लगाना और मारना जायज़ नहीं अलबत्ता कान पर जायज़ है। इससे मालूम हूआ कि कान चेहरे का हिस्सा नहीं है।

﴾57﴿ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ، فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

बाब : 57 चेहरे पर मारना या उस पर दाग़ लगाना मना है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا " . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

(2564) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक गधा ले जाया गया जिसके चेहरे पर दाग़ दिया गया था तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें ये बात नहीं पहुँची कि मैंने ऐसे शख़्स पर लानत की है जो किसी जानवर को उसके चेहरे पर दाग़े या उसके मुँह पर मारे?' चूनांचे आपने इस काम से मना फ़रमा दिया।

(2564) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/323, व मुस्लिम: 2117.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चेहरा जिस्म का क़ाबिले इज्ज़त हिस्सा है, इन्सान का हो या हैवान का, चेहरे पर मारना मना है। **(2)** नबी (ﷺ) का लानत करना अपनी मर्ज़ी से न था बल्कि इल्हामे इलाही की बुनियाद पर था।

बाब : 58
गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती कराने में कराहत

﴿58﴾ باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ "

(2565) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक ख़च्चर हदिया दिया गया तो आप उस पर सवार हूए। हज़रत अ़ली (ﷺ) ने कहा: अगर हम गधों को घोड़ियों पर चढ़ायें (तो उनके इस जिन्सी अ़मल से) हमें इस तरह के ख़च्चर हासिल हो जायेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जाहिल लोग ये काम करते हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3610, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1639, हदीस: 808 में देखें।

फ़ायदा : गधे और घोड़ी के जिन्सी मिलाप से पैदा होने वाला जानवर ख़च्चर कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआ़ला ने अपने इनामात में इसका भी ज़िक्र किया है: 'अल्लाह तआ़ला ने घोड़े, ख़च्चर और गधे पैदा किये, ताकि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिये ज़ीनत का बाइस भी हैं।' (अन्नहल: 8) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी ख़च्चर पर सवारी की है। अगर ख़च्चर का पैदा करना नाजायज़ होता तो उसे इनामाते इलाही में शुमार किया जाता न नबी (ﷺ) उस पर सवारी फ़रमाते। इसीलिए उ़लमा ने इस हदीस को, जिसमें गधे घोड़ी के मिलाप को नापसन्दीदा क़रार दिया गया है, इस्तेहबाब (बचने के पसन्दीदा होने) पर महमूल किया है। यानी ये पसन्दीदा अ़मल नहीं है, ताहम इसका जवाज़ है।

बाब : 59
एक सवारी पर तीन अफ़राद का सवार होना

﴾59﴿
باب فِي رُكُوبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، - يَعْنِي الْعِجْلِيَّ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ .

(2566) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हमारे साथ आपका इस्तेक़बाल किया जाता तो जिस (बच्चे) के साथ आपका पहले इस्तेक़बाल किया जाता आप उसे अपने आगे बिठा लेते। चुनांचे मेरे साथ आपका इस्तेक़बाल किया गया तो आपने मुझे अपने आगे बिठा लिया फिर हज़रत हसन (ﷺ) आये या हुसैन (ﷺ) तो आपने उनको अपने पीछे बिठा लिया, फिर हम मदीने में दाख़िल हूए तो उसी तरह थे (कि तीनों एक सवारी पर सवार थे।)

(2566) तख़रीज : मुस्लिम: 2428.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अशराफ़ और इज्ज़तदार लोगों का शहर से बाहर निकल कर इस्तेक़बाल करना मुबाह है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) बच्चों से मोहब्बत करते थे और उन्हें इज्ज़त भी देते थे। (3) जानवर की सेहत और ताक़त के लिहाज़ से उस पर दो या तीन अफ़राद का सवार हो जाना, ज़ुल्म नहीं, मुबाह है।

बाब : 60
जानवरों पर खड़े होना

﴾60﴿
باب فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ،

(2567) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने जानवरों की पीठों को मिम्बर बनाने से बचो,

عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ " .

बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको तुम्हारे ताबेअ किया है ताकि तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचा दें जहाँ तुम नफ़्सों की मशक्क़त के बग़ैर पहुँच ही नहीं सकते थे और उसने तुम्हारे लिये ज़मीन बनाई है तो अपनी ज़रूरतें उस पर पूरी किया करो।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 5/255, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2544, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2002, अलहाकिम: 2/100, हदीस: 2048 में देखें।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ का ख़ुत्बा अपनी ऊँटनी पर इरशाद फ़रमाया था मगर ये एक वक़्ती ज़रूरत थी।

﴾61﴿ بَابٌ فِي الْجَنَائِبِ

बाब : 61 बाज़ू (बग़ल) में चलने वाली सवारियाँ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا " . كَانَ

(2568) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शैतानों के ऊँट होते हैं और शैतानों के घर भी, शैतानों के ऊँट मैंने देखे हैं, तुममें एक अपने साथ ख़ूबसूरत ऊँटनियाँ लेकर चलता है उन्हें ख़ूब मोटा ताज़ा किया होता है ख़ूद किसी पर सवार नहीं होता, अपने किसी भाई के पास से गुज़रता है जो चलने से आजिज़ हूआ था, उसे भी सवार नहीं करता और शैतान के घर मैंने नहीं देखे हैं।' जनाब सईद बिन अबी हिन्द कहा करते थे: मैं समझता हूं कि शैतान के घर यही होदे और कजावे हैं जिनको लोगों ने रेशमी कपड़ों से ढाँपा होता है।

سَعِيدٌ يَقُولُ لاَ أُرَاهَا إِلاَّ هَذِهِ الأَقْفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ

(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/255.

फवाइद व मसाइल : ये हदीस अगरचे ज़ईफ़ है। ताहम इसमें जो बात बयान की गई है, वह काफ़ी हद तक सही है। और आजकल 'शैतान के ऊँट' की जगह नये मॉडल की तरह–तरह की गाड़ियों ने ले ली है जिनके मालिकान बिलउमूम अस्हाबे ज़रूरत का कोई एहसास नहीं रखते। मगर माशा अल्लाह। और शैतान के घर सही मानों में सिनेमा हॉल हैं और रंगीनी व शबाब फ़राहम करने वाले बद क़ुमाश होटल और इक़ामतगाहें। बल्कि अब तो टी.वी., इन्टरनेट, कैबल और डिश वग़ैरह की बदौलत हर घर ही शैतान का घर बन गया है। मगर वह लोग जिनको अल्लाह ने बचा लिया है अफ़सोस सद अफ़सोस।

(62)

باب فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ، فِي الطَّرِيقِ

बाब : 62
जल्दी चलने का बयान और गुज़रगाह पर पड़ाव डालने की मुमानिअत

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ " .

(2569) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम शादाब इलाक़ों में सफ़र करो तो ऊँटों को उनका हक़ दिया करो (कि वह भी खा और चर लें) और जब ख़ुश्की के (दिन या इलाक़े हों) तो जल्दी जल्दी चला करो (ताकि सवारियों को अज़ीयत न हो) और जब तुम रात को आराम के लिये कहीं पड़ाव करो तो रास्ते से हटकर पड़ाव किया करो।'

(2569) तख़रीज : मुस्लिम: 1926.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सान जिस तरह ख़ुद अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाता है उसी तरह अपने ज़ेरे मिल्कीयत हैवानात को भी ये हक़ देना लाज़मी है। (2) नीज़ दौराने सफ़र में रात को कहीं पड़ाव करना पड़े तो अदब ये है कि रास्ते से हटकर उतरना चाहिए, इसकी हिकमत ये बयान हुई है कि रास्ते पर साँप, बिच्छू और कुछ औक़ात दरिन्दे भी होते हैं। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 329)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " حَقَّهَا " . " وَلاَ تَعْدُوا الْمَنَازِلَ " .

(2570) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से पिछली हदीस़ के मिस़्ल बयान करते हैं। इस रिवायत में (हक़्क़हा) के बाद ये इज़ाफ़ा है कि '(मअ़रूफ़) मनाज़िल (और मसाफ़त) से तजावुज़ मत किया करो।'

(2570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : क्योंकि इससे सवारियों को मशक्क़त होती है और हमराही भी अज़ीयत महसूस करते हैं।

﴾63﴿ بَابٌ فِي الدُّلْجَةِ

बाब : 63 रात के पहले पहर सफ़र करने का बयान

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ " .

(2571) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात के पहले पहर (या रात को भी) सफ़र किया करो, बिलाशुब्हा रात के वक़्त ज़मीन लपेट ली जाती है।

(2571) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजैमह, हदीस़: 2555.

फ़ायदा : और तजरबे की बात है कि रात को सफ़र ख़ूब तय होता है। इसके अ़लावा इन्तेहाई गर्म मौसम में मुसाफ़िरों और सवारियों को रात के वक़्त क़द्रे आराम रहता है। मगर ख़्याल रहे कि शाम होते वक़्त क़द्रे तवक़्क़ुफ़ करना (रूकना) चाहिए यहाँ तक कि ख़ूब अंधेरा हो जाये। अहादीस़ शरीफ़ में इस बात की सराहत आई है। (देखिये स़ही मुस्लिम: 2013)

बाब : 64
सवारी का मालिक ज़्यादा हक़दार है कि वह आगे बैठे

﴾64﴿ باب رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

(2572) हज़रत बुरैदा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लिये जा रहे थे कि एक शख़्स आया ओर उसके पास गधा था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (आईये!) सवार हो जाइये और वह ख़ूद पीछे को हो गया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' तुम अपनी सवारी पर आगे बैठने के ज़्यादा हक़दार हो। सिवाए इसके कि तुम अपना ये हक़ मुझे दे दो।' उसने कहा: बेशक मैं अपना ये हक़ आपको देता हूं, सो आप सवार हो गये।

(2572) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2773, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2001, हाकिम: 2/64.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ . وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي " . قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ . فَرَكِبَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कार–जीप और दीगर सवारियों में फ्रन्ट सीट का भी यही हुक्म है। (2) नबी (ﷺ) हर हर मौक़े पर तालीम व तर्बीयत को पेशे नज़र रखते और ये फ़रीज़ा सर अंजाम देते थे।

बाब : 65
जंग में जानवरों की कूंचें काटनी पड़ें तो जायज़ है

﴾65﴿ باب فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

(2573) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपने रज़ाई बाप से रिवायत करते हैं जो कि बनी मुर्रा में से थे और ग़ज़्व–ए–मूता में शरीक हूए थे। कहते हैं: क़सम अल्लाह की! मैं गोया

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ - حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي، أَرْضَعَنِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ - قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (ﷺ) को देख रहा हूं कि वह अपने सुर्ख़ घोड़े से उतर पड़े, उसकी कूंचें काट डालीं, फिर काफ़िरों से लड़ते रहे यहाँ तक कि ख़ुद क़त्ल हो गये।
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ क़वी नहीं है।

(2573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सीरत इब्ने हिशाम, 4/20.

फ़ायदा : जंग में अगर अन्देशा हो कि मुजाहिद मग़लूब हो जायेगा तो अपनी सवारी या दूसरे सामान को तल्फ़ कर दे तो जायज़ है ताकि दुश्मन उससे फ़ायदा न उठा सके, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है।

﴾66﴿ باب فِي السَّبْقِ

बाब : 66 मुक़ाबलाबाज़ी का बयान

फ़ायदा : (अस्सबक़) 'ब' की जज़्म के साथ मस्दर है और मानी हैं आगे बढ़ना। और अगर 'ब' पर ज़बर पढ़ी जाये तो उससे वह माल और इनाम मुराद होता है जो किसी मुक़ाबले पर दिया जाये। नीचे दी गई रिवायत में ये कलिमा 'ब' पर ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ " .

(2574) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुक़ाबला सिर्फ़ तीन चीज़ों में जायज़ है ऊँट दौड़, घोड़ दौड़ या तीर अंदाज़ी।'

(2574) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1700, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1638.

फ़ायदा : जिहाद और तालीम व तर्बीयत के मुख़्तलिफ़ उमूर में मुक़ाबला करना कराना इसी पर क़यास है मगर ऐसे तमाम उमूर जिनका कोई हासिल न हो उनमें मुक़ाबलाबाज़ी ना जायज़ और बातिल है। जैसे कबूतर उड़ाना या मुर्ग़ और बटेर लड़ाना वग़ैरह।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا .

(2575) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़्मिर घोड़ों में मुक़ाबला करवाया और उनके लिये हफ़या से सन्यतुल विदा तक का फ़ासला मुक़र्रर था, और ग़ैर मुज़्मिर घोड़ों में मुक़ाबला करवाया तो उनके लिये सन्यतुल विदा से मस्जिदे बनी ज़ुरैक़ तक का फ़ासला मुक़र्रर था, और अ़ब्दुल्लाह इन मुक़ाबला करने वालों में शरीक था और कामयाब रहे थे।

(2575) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 420, व मुस्लिम: 1870, मौता: 2/467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घोड़ों को पालते हूए पहले उन्हें खिला पिलाकर ख़ूब मोटा ताज़ा किया जाता है फिर उनकी ख़ूराक में बतदरीज कमी की जाती है और किसी मकान में बंद रखा जाता है और उन पर कपड़ा भी डालते हैं, इससे उनको पसीना आता है यहाँ तक कि उनकी फालतू चर्बी वग़ैरह ख़त्म हो जाती है और इस तरह वह बहुत ताक़तवर हो जाते हैं और उनका साँस बहुत कम फूलता है। इस अ़मल को इज़मार और ऐसे घोड़ों को 'मुज्मर' कहते हैं (पहली मीम पर पेश और दूसरी पर ज़ेर के साथ) **(2)** हदीस शरीफ़ में है कि हफ़यां से सन्यतुल विदा के दरम्यान पाँच छः मील का फ़ासला था। और सन्यतुल विदा से मस्जिदे बनी ज़ुरैक़ के दरम्यान एक मील का। (सही बुख़ारी, हदीस: 2868)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا

(2576) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) घोड़ों को मुज़्मिर बनाया करते, जिनमें मुक़ाबले कराये जाते थे।

(2576) तख़रीज : मुस्लिम: 1870.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ

(2577) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घोड़ दौड़ का मुक़ाबला कराया तो जो घोड़े पाँचवें साल में दाख़िल हो चुके थे, उनके लिये दौड़ का फ़ासला ज़्यादा रखा था।

(2577) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अ़ब्दुलबर, तम्हीद: 14/84, मुसनद अहमद: 2/157.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्मत में जिहाद की रूह बाक़ी रखने और जिहाद की तैयारी के लिये इन तरबियती उमूर का एहतिमाम इन्तेहाई ज़रूरी और वाजिब है। (2) (अलकुर्रहु) ये क़ारिहुन की जमा है, इससे मुराद ऐसा घोड़ा है जो पाँचवें साल में दाख़िल हो चुका हो।

बाब : 67
पैदल दौड़ में मुक़ाबले का बयान

﴿67﴾
بَابٌ فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

(2578) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ थी, मैंने आपके साथ दौड़ में मुक़ाबला किया तो मैं आप (ﷺ) से आगे बढ़ गयी। फिर जब मैं भारी हो गयी तो आप मुझसे बढ़ गये। तो आपने फ़रमाया: 'ये उस (पहली दौड़) का बदला है।'

(2578) तख़रीज : (सनद सहीह) इब्ने माजा, हदीस: 1979, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1310.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَىَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ " هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ "

फ़ायदा : इस वाक़िया में ये बयान है कि घरेलू ज़िन्दगी में नबी (ﷺ) का अन्दाज़ इन्तेहाई नरम और उल्फ़त भरा होता था, नीज़ पैदल दौड़ का मुक़ाबला भी किया कराया जा सकता है।

बाब : 68
घोड़ दौड़ में मुहल्लिल का शरीक होना

﴿68﴾ بَابٌ فِي الْمُحَلِّلِ

(2579) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने दो (मुक़ाबला करने वाले) घोड़ों में (अपना)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ،

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، - الْمَعْنَى - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ " . يَعْنِي وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ " فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ"

घोड़ा दाख़िल किया और उसके जीत जाने का यक़ीन न हो तो ये जूआ नहीं है, और जिसने उनमें अपना घोड़ा दाख़िल किया जबकि उसे यक़ीन हो कि ये जीत जायेगा तो ये जूआ है।

(2579) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2876.

फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ समझने के लिये चंद उमूर (चीज़ें) मालूम होने चाहिए। (1) अगर अमीरूल मुजाहिदीन या कोई और शख़्स़ दो शहसवारों में दौड़ वग़ैरह का मुक़ाबला कराये और जीतने वाले को इनाम व इकराम दे तो जायज़ है। (2) लेकीन दो अफ़राद (या फ़रीक़) आपस में ये तय करके मुक़ाबला करें कि हारने वाला जीतने वाले को इस क़द्र इनाम देगा तो ये जूआ है और नाजायज़ है। (3) अगर इन दो मुक़ाबला करने वालों में कोई तीसरा फ़रीक़ दाख़िल हो जाये जिसके जीतने या हारने का कोई यक़ीन न हो, बल्कि उनके हम पल्ला होने की बिना पर कोई भी नतीजा निकल सकता हो, कि उसके जीत जाने पर वह दोनों उसको इनाम दें और हार जाने पर उस पर कुछ भी लाज़िम न आता हो तो ये सूरत जायज़ है। चूंकि उसका उन दो में दाख़िल हो जाना उनके इनाम लेने देने को जायज़ बना देता है, इस वजह से उसे मुहल्लिल कहा जाता है। मुहल्लिल यानी (जूए से) हलाल करने वाला।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجَالٍ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا .

(2580) हज़रत ज़ोहरी (रह.) ने बसनद अ़ब्बाद बिन अ़वाम बयान किया और ऊपर की हदीस़ के हम मानी ज़िक्र किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं : इस रिवायत को मअ़मर शोएब और अ़कील ने बवास्ता ज़ोहरी कई उ़लमा से नक़्ल किया है और ये हमारे नज़दीक स़ही तर है।

(2580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर, तम्हीद: 14/88, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : 69
घोड़ दौड़ में ज़लब (और जनब) का बयान

﴾69﴿ باب فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ " . زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ " فِي الرِّهَانِ " .

(2581) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'न जलब है और न जनब।' यहया बिन ख़ल्फ़ की रिवायत में सराहत है यानी 'मुक़ाबले में'

(2581) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3337, तिर्मिज़ी, हदीस: 1123, इब्ने माजा, हदीस: 3937.

फ़ायदा : किताबुज़्ज़कात में भी इसका ज़िक्र आया है, इसके लिये देखिए: हदीस: 1591 मगर यहां मुराद ये है कि घोड़ दौड़ में कोई शख़्स अपने घोड़े के साथ किसी और शख़्स को भी दौड़ाये जो उसके घोड़े को डाँटता जाये और मक़सद ये हो कि उसका घोड़ा आगे बढ़कर जीत जाये उसे जलब कहते हैं। और जनब ये है कि दौड़ में अपने घोड़े के पहलू ब पहलू एक और घोड़ा रखे ताकि जब देखे कि पहला घोड़ा थक गया है तो जल्दी से दूसरे ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर मुक़ाबला जीतने की कोशिश करे, ये दोनों सूरतें नाजायज़ हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ .

(2582) हज़रत क़तादा (रह.) बयान करते हैं कि जलब और जनब मुक़ाबलाबाज़ी में होता है।

(2582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/21.

बाब : 70
तलवार को चाँदी से मुज़य्यन करना

﴿70﴾
بابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

(2583) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार के क़ब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी।

(2583) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5376, तिर्मिज़ी, हदीस: 1691, नसाई, हदीस: 5375.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً .

फ़ायदा : मुजाहिद के लिये जायज़ है कि अपने हथियारों को इस तरह से मुज़य्यन कर ले।

(2584) सईद बिन अबुल हसन (रह.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार के क़ब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी।

क़तादा कहते हैं: मुझे मालूम नहीं कि किसी ने उसकी मुताबअ़त की हो।

(2584) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 4/143, नसाई, हदीस: 5377, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً . قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ

(2585) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से ऊपर वाली हदीस की मानिन्द मरवी है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इन सब में सईद बिन अबुल हसन (रह.) की रिवायत क़वी है और बाक़ी ज़ईफ़ हैं।

(2585) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/143. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ .

बाब : 71
तीर लेकर मस्जिद में दाख़िल होना

﴾71﴿ باب فِي النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا .

(2586) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को हुक्म दिया जो मस्जिद में तीरों का सदक़ा तक़सीम करने जा रहा था कि वह जब उन तीरों को लेकर चले तो उनको फलों की तरफ़ से पकड़े।

(2586) तख़रीज : मुस्लिम: 2614.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

(2587) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से मरवी है, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई हमारी मस्जिद या बाज़ार में से गुज़रे और उसके पास तीर हों तो चाहिए कि उन्हें उनके फलों की तरफ़ से पकड़ कर रखे।' या फ़रमाया: 'उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे' या फ़रमाया: 'उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे कि कहीं किसी मुसलमान को न लग जायें।'

(2587) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7075, व मुस्लिम: 2615.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़ा सिर्फ़ माल का नहीं होता बल्कि हर मुफ़ीद चीज़ सदक़ा की जा सकती है, तीर या जिहाद में काम आने वाला हथियार भी बतौर सदक़ा तक़सीम किया जा सकता है। (2) तेज़ धारदार और दीगर अस्लहा जात की नक़ल व हमल में इन्तेहाई एहतियात की ज़रूरत है, ऐसा न हो कि ग़फ़लत और ग़लती से किसी मुसलमान को लग जाये।

﴿72﴾ باب فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً

बाब : 72
नंगी तलवार लेना देना मना है

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً .

(2588) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मनक़ूल है: बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि तलवार को इस कैफ़ियत में लिया दिया जाये कि वह नंगी हो (म्यान में न हो)

(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2163, हाकिम: 4/290.

फ़ायदा : क्योंकि इस तरह अन्देशा रहता है कि किसी को लग सकती है या चुभ सकती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है।

﴿73﴾ باب فِي النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ

बाब : 73
चमड़े के टुकड़े को दो ऊंगलियों में रख कर काटना मना है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ .

(2589) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) से मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि चमड़े के टुकड़े को दो ऊंगलीयों के दरम्यान रखकर काटा जाये।

(2589) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 7/224, हदीस: 6935

फ़ायदा : इस तरह अन्देशा रहता है कि चमड़ा कटने के बाद कहीं हाथ न ज़ख़्मी हो जाये, लिहाज़ा चाहिए कि किसी लकड़ी या पत्थर वग़ैरह पर रखकर एहतियात से काटा जाये।

बाब : 74
कई ज़िरहें पहनने का बयान

﴿74﴾ باب في لبس الدروع

(2590) जनाब साइब बिन यज़ीद (रह.) ने एक शख़्स से रिवायत की और उसका नाम भी बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उहुद के दिन ऊपर तले दो ज़िरहें पहनी हुई थी।

(2590) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3738, हाकिम: 3/25.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ .

फ़ायदा : ज़िन्दगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है मगर हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से हथियार लेना और ज़िरह वग़ैरह पहनना मशरूअ है और ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है।

बाब : 75
(जिहाद में) परचम और झण्डियों का बयान

﴿75﴾ باب في الرايات والألوية

(2591) हज़रत मुहम्मद बिन क़ासिम (रह.) ने अपने ग़ुलाम को हज़रत बराअ बिन आज़िब(ﷺ) की ख़िदमत में भेजा कि वह उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के अलम (झंडा) के मुताल्लिक़ पूछकर आये कि वह कैसा था? तो उन्होंने बताया कि वह काले लकीरदार ऊनी कपड़े का और चौकोर था।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1680.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، - رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ - قَالَ بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अल्लिवा) सबसे बड़े झंडे को और (अर्राया) इससे छोटे झण्डों को कहते हैं। और नबी (ﷺ) के लिये महशर में (लिवाउल हम्द) होगा। (2) शैख़ अल्बानी (रह.) कहते हैं ये रिवायत सही है, अलबत्ता (मुरब्बअतन) 'चौकोर' का लफ़्ज़ सही नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، - وَهُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ .

(2592) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के मुताल्लिक़ बताया कि जिस दिन आप मक्के में दाख़िल हुए, उस दिन आपका झण्डा सफ़ेद रंग का था।

(2592) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1679, नसाई, हदीस: 2869, इब्ने माजा, हदीस: 2817, इब्ने माजा, हदीस: 2818.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ، مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ .

(2593) हज़रत सिमाक बिन हरब अपनी क़ौम के एक आदमी से, और वह एक दूसरे से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का अलम (झंडा) देखा जो ज़र्द (केसरिया) रंग का था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिहाद में झण्डे का एहतिमाम करना मुस्तहब है। **(2)** पहले दौर में झण्डों का कोई रंग और साइज़ मख़्सूस न होता था। और ये ज़र्द रंग वाली रिवायत ज़ईफ़ है। **(3)** जंग में और दीगर अहम मौके पर झण्डे को बलन्द और नुमायाँ रखना बिलाशुब्हा मतलूब है मगर ये सब एक नज़्म (सिस्टम) के लिये होता है, इसे तक़द्दुस व एहतराम का ऐसा मफ़हूम देना जो आज कल आम कर दिया गया है ग़ैर शरई है बल्कि शिर्क की हुदूद को छूता है।

﴿76﴾ بَابٌ فِي الِانْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

बाब : 76
मामूली घोड़ों और बेकस लोगों के हवाले से मदद की दुआ करना

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ

(2594) हज़रत अबू अद्दर्दा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'मेरे लिये ज़ईफ़ों और कमज़ोर लोगों को तलाश करो, तुम लोग

سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ أَخُو عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ .

अपने कमज़ोर लोगों ही के ज़रिये से रिज़्क़ दिये जाते और मदद किये जाते हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि रावी हदीस़ ज़ैद बिन अरतात, अ़दी बिन अरतात के भाई हैं।

(2594) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1702, नसाई, हदीस़: 3181, इब्ने हिब्बान, 1620, हाकिम: 2/145.

फ़ायदा : ज़ईफ़ व बेकस और नादार अफ़राद और दीगर मख़्लूक़ की इबादत और दुआ में इख़्लास़ होता है। वह रियाकारी से बिलड़मूम बरी होते हैं तो उनकी इबादत, दुआ और बेकसी की बरकत से अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल दूसरों पर भी रहम फ़रमा देता है।

﴾77﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

बाब : 77
आदमी किसी शिआ़र (कोड) के साथ पुकारे

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللَّهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

(2595) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) ने बयान किया कि (एक जंग में) मुहाजिरीन का शिआ़र 'अ़ब्दुल्लाह' और अन्स़ार का 'अ़ब्दुर्रहमान' था।

(2595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/361.

फ़ायदा : इसका फ़ायदा ये होता है कि अंधेरे में या ज़ाती तआरूफ़ (परिचय) न होने की सूरत में अपने अफ़राद को पहचानने में ग़लती नहीं होती। अगर कोई जासूस वग़ैरह दर आये तो उसको पकड़ना भी आसान रहता है।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(2596) हज़रत इयास बिन सलमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में हज़रत

قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ .

अबूबक्र(ﷺ) की मईयत (साथ) में जिहाद किया तो हमारा शिआर था (आमित आमित के) (मानी है मार दे, मार दे और इसमें कुफ्फ़ार की हज़ीमत और मुसलमानों की फ़तह का तफ़ाउल था)

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2840, हाकिम: 2/107.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ " .

(2597) हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफ़रा का कहना है कि मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था, आपने फ़रमाया: 'अगर तुम पर रात को हमला हो जाये तो तुम्हारा शिआर (हा मीम ला युन्सरून) होना चाहिए।'

(2597) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1682, हाकिम, 2/107 मुसन्नफ़, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 5/233, हदीस: 9467.

﴾78﴿ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

बाब : 78
आदमी सफ़र के वक़्त कौनसी दुआ पढ़े?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ

(2598) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र पर रवाना होते तो ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा! अन्तस साहिबु फ़िस्सफ़रि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहलि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन वअसाइस्सफ़रि व का बतिल मुन्कलबि व सूइल मन्ज़रि फिल अहले वल मालि अल्लाहुम्मतवि लनल

الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ "

अर्ज़ा व हव्विन अलैनस्सफ़रा) 'ऐ अल्लाह! सफ़र में तू ही हमारा रफ़ीक़ और अहल में ख़लीफ़ा है। (उनकी हिफ़ाज़त करने वाला है) ऐ अल्लाह! सफ़र की मशक्क़त और शिद्दत से मैं तेरी पनाह चाहता हूं और इस बात से कि ग़म व अन्दोह के साथ वापस लौटूँ और अपने अहल और माल में कोई बुरा मन्ज़र देखूं, ऐ अल्लाह! हमारे लिये ज़मीन को लपेट दे और सफ़र को हमारे लिये आसान फ़रमा दे।'

(2598) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/433, व सही मुस्लिम: 1342.

फ़ायदा : सफ़र मुख़्तलिफ़ मक़ासिद के लिये होता है मगर सबसे अहम और मुबारक सफ़र जिहाद का है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ

(2599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने जनाब अली अलअज़दी को सफ़र के आदाब में ये सिखाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी सफ़र की ग़र्ज़ से अपने ऊँट पर बैठ जाते तो तीन दफ़ा कहते (अल्लाहु अकबर) फिर कहते (सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रलना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना, व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबूना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़्वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा अल्लाहुम्मतवि लनल बुअदा अल्लाहुम्मा अन्तस्साहिबु फ़िस्सफ़रि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहले वल माल) 'पाक है वह ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ताबेअ किया, हम (ख़ूद से) इसको अपना ताबेअ न बना सकते थे और बिलाशुब्हा हम अपने रब

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ " . وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ " آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " . وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلاَةُ عَلَى ذَلِكَ

ही की तरफ़ लौट जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और तक़वा का सवाल करता हूं और ऐसे अमल की तौफ़ीक़ चाहता हूं जो तेरा पसन्दीदा हो, ऐ अल्लाह! हमारे लिये हमारा ये सफ़र आसान फ़रमा दे और मसाफ़त को हमारे लिये लपेट दे, ऐ अल्लाह! सफ़र में तू ही रफ़ीक़ और अहल और माल में ख़लीफ़ है।' और जब वापस तशरीफ़ लाते तो यही कलिमात पढ़ते और इनमें ये इज़ाफ़ा करते: (आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदुन) 'हम वापस आने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, अपने रब की इबादत करने वाले और उसकी हम्द करने वाले हैं।' नबी (ﷺ) और आपके लश्कर जब किसी घाटी पर चढ़ते तो (अल्लाहु अकबर) और अगर किसी पस्ती में उतरते तो (सुब्हान अल्लाह) कहते और नमाज़ भी इसी क़ाइदे पर है (कि उठते बैठते तकबीर कही जाती है)

(2599) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजैमह, व मुस्लिम: 1342.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तौहीद यही है कि इन्सान किसी भी मौक़े पर अपने रब तआला को भूलने न पाये। अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मोहब्बत इसी में है कि हर हर अमल में आप(ﷺ) की इक़्तेदा की जाये। **(2)** हदीस का जुम्ला: (वुज़िअतिस्सलातु अला ज़ालिक़) 'और नमाज़ भी इसी क़ायदे पर है।' ज़ईफ़ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.)

बाब : 79
मुसाफ़िर को अलविदा कहने की दुआ

﴾79﴿
باب فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " .

(2600) हज़रत क़ज़आ कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने मुझसे कहा: इधर आओ! मैं तुम्हें अलविदा कहूं, जैसे कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अलविदा कहा था: (अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातीमा अमालिका) 'मैं तेरे दीन, तेरी अमानत और तेरे अमल के इख़्तेताम को अल्लाह तआला के हवाले करता हूं।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/38, तिर्मिज़ी, हदीस: 3443, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2376.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ "

(2601) हज़रत अब्दुल्लाह ख़तमी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी लश्कर को अलविदा कहना चाहते तो यूँ फ़रमाते: (अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातीमा आमालिकुम) 'मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानतें और तुम्हारे आमाल का इख़्तेताम अल्लाह तआला के सुपुर्द करता हूं।'

(2601) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 507, रियाज़ुस सालेहीन, हदीस: 716.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ाबिले तवज्जोह मसला है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन्सान के लिये सबसे क़ीमती सरमाया उसके दीन को क़रार दिया है और इसी तरह उन आमाल को भी (बिलख़ुसूस इख़्तेतामी आमाल को) जिनके साथ वह अपने अल्लाह से मिलने वाला है। (2) हदीस में है: 'जब किसी चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है तो अल्लाह तआला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाता है।' (सहीहैन, हदीस: 2547)

बाब : 80
आदमी सवार होकर कौनसी दुआ पढ़े?

﴿80﴾ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

(2602) जनाब अ़ली बिन रबीया कहते हैं कि मैं हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) के यहां हाज़िर था कि सवार होने के लिये आपके सामने सवारी लाई गई। आपने जब अपना पाँव रकाब में डाल लिया तो कहा: (बिस्मिल्लाह) फिर जब ठीक तरह से उस पर बैठ गये तो कहा: (अलहम्दुलिल्लाह) फिर कहा: (सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रलाना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबुन) 'पाक है वह ज़ात जिसने इसको हमारे ताबेअ किया और हम अज़ ख़ूद इसको अपना ताबेअ न बना सकते थे और बिलाशुब्हा हम अपने रब ही की तरफ़ लौट जाने वाले हैं।' फिर कहा: (अलहम्दुलिल्लाह) तीन बार। फिर कहा: (अल्लाहु अकबर) तीन बार। फिर कहा: (सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़सी फ़ग़फ़िरली, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरूज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया है तू मुझे माफ़ फ़रमा दे, बिलाशुब्हा तेरे सिवा और कोई नहीं जो गुनाहों को बख़्श सके।' फिर आप हँसे। आपसे कहा गया। अमीरूल मोमिनीन!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ " إِنَّ

رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي " .

आप किस बात पर हंसे हैं? फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था कि आपने ऐसे ही क्या था जैसे कि मैंने क्या है और आप हंसे (भी) थे, तो मैंने आपसे दरयाफ़्त किया था: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हंसे हैं? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तेरे रब को अपने बंदे पर तअज्जुब आता है जब वह कहता है: (इलाही!) मेरे गुनाह बख़्श दे, बंदा जानता है कि मेरे सिवा गुनाहों को कोई बख़्श नहीं सकता।'

(2602) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3446, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2380, 2381, हाकिम: 2/98, 99, बैहक़ी: 5/252.

फ़ायदा : इस्लाम इन्सान का मिज़ाज ऐसा बना देना चाहता है कि ज़िन्दगी का कोई लम्हा भी ऐसा न गुज़रे जिसमें वह अपने ख़ालिक़ व मालिक से ग़ाफ़िल हो। चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाये और इसी तरह जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने करके दिखाया है, उसे जहाँ तक हो सके इख़्तियार किया जाये।

﴿81﴾ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

बाब : 81
इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करे तो क्या कहे

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ

(2603) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र करते और रात आ जाती तो कहते: (या अर्ज़ुरब्बी व रब्बुकिल्लाहु अऊज़ुबिल्लाहि मिन शर्रिकि व शर्रि मा फ़ीकि व शर्रि मा

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ " يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " .

ख़ुलिक़ा फ़ीकि व मिन शर्रि मा यदिब्बु अलैकि व अऊज़ुबिल्लाहि मिन असदिन व अस्वदा व मिनल हय्यति वल अक़्रबि व मिन साकिनिल बलदि व मिन वालिदिन व मा वलद) ऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं तेरे शर से, और उस शर से जो तेरे अन्दर है और जो तेरे अन्दर पैदा किया गया है और हर उस चीज़ के शर से जो तुझ पर चलती फिरती है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं शेर से, काले नाग से और साँप और बिच्छू से और इस इलाक़े के रहने वालों के शर से, और जनने वाले के शर से और जिसको वह जने उसके शर से।'

(2603) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 563, मुसनद अहमद: 2/132, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस़: 2572, हाकिम: 2/101.

फ़ायदा : 'इस इलाक़े के रहने वालों' से मुराद जिन्न है। और कहा जाता है कि 'जनने वाले' से मुराद शैतान और उसकी औलाद है। मगर अल्फ़ाज़ अपने उ़मूम से हर जनने वाले और जने गये को शामिल हैं।

﴿82﴾ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ

बाब : 82 शूरू रात में सफ़र की मुमानिअ़त (मनाही)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ

(2604) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज ग़ुरूब होते ही अपने चौपायों को मत छोड़ो, यहाँ तक कि रात का अंधेरा ख़ूब छा जाये,

تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْفَوَاشِي مَا يَفْشُو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

बिलाशुब्हा जिस वक़्त सूरज ग़ुरूब होता है श्यातीन फ़साद करते हैं, यहाँ तक कि रात का अन्धेरा छा जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलफ़वाशीयु) से मुराद हर क़िस्म की घूमने फिरने वाली चीज़ें हैं।

(2604) तख़रीज : मुस्लिम: 2013.

फ़ायदा : मुस्तहब (अच्छा) है कि मग़रिब के वक़्त सफ़र क़द्रे मौक़ूफ़ कर लिया जाये और फिर अंधेरा छाने पर बाक़ी सफ़र किया जाये।

﴾83﴿ باب فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

बाब : 83 कौन से दिन सफ़र करना मुस्तहब है?

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ .

(2605) हज़रत काब बिन मालिक (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने कहा: बहुत कम ऐसे होता कि नबी (ﷺ) जुमेरात के अलावा किसी और दिन सफ़र के लिये निकलते।

(2605) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2948, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2380.

फ़ायदा : दिन सब अल्लाह ही के हैं मगर जुमेरात को अहमियत हासिल है कि उस रोज़ अल्लाह के हुज़ूर आमाल पेश होते हैं। (देखिए, हदीस: 2571)

बाब : 84
सफ़र के लिये सुबह सुबह निकलना (मुस्तहब है)

﴾84﴿
باب فِي الاِبْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا " . وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ . وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ .

(2606) हज़रत सख़र ग़ामिदी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये उनकी सुबहों में बरकत डाल दे।' चूनांचे आप (ﷺ) को कोई मुहिम या लश्कर रवाना करना होता तो उन्हें दिन के पहले पहर रवाना फ़रमाते। और हज़रत सख़र(ﷺ) एक ताजिर सहाबी थे, तो वह अपने कारिन्दों को दिन के पहले पहर रवाना किया करते थे' चूनांचे वह मालदार हो गये थे और उनका माल ख़ूब बढ़ गया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उनका नाम सख़र बिन वदाआ है।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1212, इब्ने माजा, हदीस: 2236, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2382.

बाब : 85
इन्सान का अकेले सफ़र करना (मकरूह है)

﴾85﴿
باب فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

(2607) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह (शुऐब) अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अकेला सवार एक शैतान है, दो

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ " .

सवार दो शैतान हैं और तीन सवार एक क़ाफ़िला हैं।'

(2607) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1674, मौता, 2/978, हाकिम: 2/102, बग़वी, शरहुस्सुन्ना, हदीस: 2675.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सान का अकेले सफ़र करना कुछ औक़ात इन्तेहाई ख़तरनाक हो सकता है। बिलफ़र्ज़ कोई हादसा पेश आ जाये तो उसे संभालने वाला कोई न होगा और न कोई ख़बर ही मिलेगी। इस तरह दो अफ़राद का मामला भी बहुत कमज़ोर है, अलबत्ता तीन हों तो सबको मुकम्मल सहूलत होगी। बाजमाअत नमाज़ पढ़ेंगे, एक दूसरे के हिमायत करने वाले और मुआविन होंगे। **(2)** मौजूदा हालात में बसों, गाड़ियों और जहाज़ों में अगरचे एक कसीर तादाद बतौर क़ाफ़िला के सफ़र करती है और इस मनाही से इन्सान ख़ारिज हो जाता है मगर इन्सान के अपने मुहिब्ब (चाहने वाला) और हिमायत करने वाले रफ़ीक़े सफ़र हों तो बहुत ही अफ़ज़ल है, क्योंकि आम हमराही कई तरह के होते हैं। बिलख़ुसूस अब जबकि शरो फ़साद बहुत बढ़ गया है और दीन व अमानत में कमी आती जा रही है। **(3)** ये हदीस तन्हा सफ़र करने की क़बाहत पर सरीह दलालत करती है। इसलिए कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तेम्बात किया है कि सूफ़ी क़िस्म के लोग तनेतन्हा 'तहज़ीबे नफ़्स' और मज़ऊमा 'चिल्लाकशी' के नाम पर सहराओं और बे आबाद इलाक़ों के जो सफ़र इख़्तियार करते हैं, वह भी सरीहन ग़लत और मरदूद हैं। ऐसे ही वह चिल्लाकशी, जो आजकल 'बुज़ुर्ग' और 'वलीउल्लाह' बनने के चक्कर में की जाती है, ये भी क़ुर्आन व हदीस के मनाफ़ी हैं। इसलिए ऐसे तमाम उमूर से परहेज़ और इज्तेनाब ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बिदअत हैं। बिदअत के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का वाज़ेह फ़रमान है कि जिसने भी दीने इस्लाम में कोई नई बात पैदा की जो इसमें नहीं है तो वह मरदूद है। (सही बुख़ारी, हदीस: 2697)

﴾86﴿ باب فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

बाब : 86
जब एक जमाअत सफ़र कर रही हो, तो अपने में से एक आदमी को अपना अमीर बना लें

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(2608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ؓ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तीन लोग सफ़र पर निकलें तो चाहिए कि एक को अपना अमीर मुक़र्रर कर लें।'

الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"

(2608) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू अ़वाना: 5/117.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " . قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

(2609) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तीन अफ़राद सफ़र में हों तो चाहिए कि एक को अपना अमीर बना लें।' नाफ़ेअ (रह.) (मौला इब्ने उ़मर (ﷺ) ने कहा: (ये हदीस़ सुनने के बाद) हमने अबू सलमा (बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़) से कहा: आप हमारे अमीर हैं।

(2609) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू अ़वाना: 5/117

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस नज़्म से उमूरे सफ़र मुरत्तब (सिस्टेमेटिक) और आसान हो जाते हैं और सबको सहूलत रहती है। नफ़्सी नफ़्सी का आ़लम नहीं होता, नीज़ जब इस मामूली जमाअ़त में अमीर मुक़र्रर करने की ताकीद है, तो इमारते उ़ज़्मा की अहमियत और भी ज़्यादा हुई। (2) क़ौम को किसी भी वक़्त अमीर और इमारत के बग़ैर नहीं रहना चाहिए।

﴿87﴾ بَابٌ فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

बाब : 87
दुशमन के इलाक़े में क़ुर्आन मजीद ले जाना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

(2610) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि इन्सान क़ुर्आन मजीद लेकर दुशमन के इलाक़े में जाये। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं, मेरा ख़याल है इस मनाही की हिकमत ये है कि कहीं ये दुशमन (काफ़िर) के हाथ न लग जाये (और वह इसकी बेहुर्मती करे)

(2610) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2990, व मौता: 2/446, व मुस्लिम: 1869.

फ़ायदा : जहां भी ये अन्देशा हो कि क़ुर्आन करीम की बेहुर्मती की जायेगी उसे वहां न ले जाया जाये। लेकिन अगर काफ़िर क़ुर्आन मजीद समझना चाहता हो और उसे इस्लाम की दावत देना मक़सद हो तो इस ग़र्ज़ से उसको देना जायज़ है। जैसे कि हिरक़्ल के नाम ख़त लिखा गया और उसमें क़ुर्आन मजीद की आयत (आले इमरान : 64) लिखी गयी थी।

बाब : 88
लश्करों, रफ़ीक़ों और सराया में मुस्तहब तादाद का बयान

﴾88﴿

باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ .

(2611) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन रूफ़क़ा (यार) वह हैं जो चार की तादाद में हों और बेहतरीन दस्ता वह है जिसमें चार सौ शहसवार हों और बेहतरीन लश्कर वह है जो चार हज़ार की तादाद में हो और बारह हज़ार क़िल्लत की बिना पर हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सही ये है कि ये रिवायत मुरसल है।

(2611) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1555, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2538, इब्ने हिब्बान, हदीस: 663, हाकिम, 1/443, 2/101.

फ़ायदा : तादाद जिस क़द्र ज़्यादा होगी बरकत और फ़ायदा ज़्यादा होगा। मुसलमानों की बारह हज़ार की तादाद अगर कहीं शिकस्त खायेगी तो उसका सबब क़िल्लते तादाद नहीं बल्कि कोई और सबब होगा। जैसे अदमे तक़्वा, तकब्बुर, ग़ुरूर और बुज़दिली वग़ैरह। ताहम ये रिवायत मुरसल है जो मोहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ होती है।

बाब : 89
(क़िताल के मौक़े पर) कुफ्फ़ार को इस्लाम की दावत देना

﴾89﴿
باب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ " إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

(2612) हज़रत सलमान बिन बुरैदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (किसी शख़्स को) किसी दस्ते या किसी बड़े लश्कर का अमीर बना कर रवाना करते तो उसे ख़ुद अपनी ज़ात में अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करने और अपनी मईयत (साथ) में दूसरे मुसलमानों के साथ भलाई करने की वसीयत करते और फ़रमाते: 'जब तुम अपने मुश्रिक दुशमन के मुक़ाबले पर आओ तो उन्हें तीन बातों की दावत दो, वह जिसे भी इख़्तियार करना चाहें कर लें और फिर जो वह इख़्तियार कर लें उसे क़बूल कर लेना और अपने हाथ को उनसे रोक लेना। (सबसे पहले) (1) उन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर वह इसे क़बूल कर लें तो तुम भी उनसे क़बूल कर लो और उनसे अपने हाथ रोक लो। फिर उन्हें दावत दो कि वह अपना इलाक़ा छोड़ कर दारूल मुहाजिरीन में मुन्तक़िल हो जायें और उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने ये अम्र कबूल कर लिया तो उनको वही हुक़ूक़ हासिल होंगे जो मुहाजिरीन को हासिल हैं और उन पर वह सब कुछ वाजिब होगा जो उन मुहाजिरीन पर वाजिब है, अगर वह मुन्तक़िल होना

فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ تُنْزِلْهُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ " . قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ .

क़बूल न करें और अपने इलाक़ों ही में रहना चाहें, तो उन्हें बताना कि वह बदवी मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का हुक्म उसी तरह नाफ़िज़ होगा जैसे कि दीगर मोमिनीन पर नाफ़िज़ होता है, (माले) फ़ै और ग़नीमत में उनका कोई हिस्सा न होगा, सिवाए उसके कि मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक हों। (2) पस अगर वह लोग इस्लाम क़बूल करने से इन्कारी हों तो उन्हें कहना कि जिज़्या देना क़बूल करें अगर वह इस पर राज़ी हो जायें तो इसे क़बूल कर लेना और अपना हाथ उनसे रोक लेना। (3) अगर वह जिज़्या देने पर राज़ी न हों तो अल्लाह की मदद तलब करते हूए उनसे क़िताल करना। और जब तुम किसी क़िले वालों का मुहासरा कर लो और फिर वह तुमसे ये चाहें कि उनको हथियार डालने दो, इस शर्त पर कि उन पर अल्लाह का हुक्म नाफ़िज़ हो तो ये बात क़बूल न करना क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनके बारे में अल्लाह का फ़ैसला क्या है, लेकिन उन्हें अपनी शर्तों और फ़ैसले के मुताबिक़ हथियार डालने की इजाज़त दो और फिर जो चाहो उनके मुताल्लिक़ फ़ैसला करो।'

सुफ़ियान बिन उ़यय्ना कहते हैं कि अलक़मा ने कहा: मैंने ये हदीस़ मुक़ातिल बिन हय्यान से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा: मुझे मुस्लिम ने बयान किया।

अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उस (मुस्लिम) से मुराद मुस्लिम बिन हैस़म है। उसने नौमान बिन मक़रून

(ﷺ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया जैसे कि सलमान बिन बुरैदा ने बयान किया है।

(2612) तख़रीज : मुस्लिम: 1731.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हुक्म इब्तेदा ए इस्लाम में था और अब भी उन क़ौमों से मुताल्लिक़ है जिनको इस्लाम की दावत वाज़ेह तौर से न पहुँची हो। (सही बुख़ारी, हदीस: 2541 व सही मुस्लिम: 1730 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2633) **(2)** दीने इस्लाम की दूसरे दीनों से लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मख़्लूक़ तक उसका कलिमा पहुँचाने और ग़ालिब करने के लिये है, इसमें महज़ मुल्कों को फ़तह करना या लोगों को अपने ताबेअ करना नहीं है। **(3)** अमीरे मुजाहिदीन (और इसी तरह दीगर मुफ़्तीयान और मुज्तहेदीन) का फ़ैसला बिलउमूम अल्लाह और उसके रसूल(ﷺ) के दिये हुए उसूलों के मुताबिक़ होता है इसके बावजूद इनमें उसके हक़ या ख़ता होने का एहतिमाल रहता है। (इन इज्तेहादी उमूर में) ऐन ये दावा करना कि यही अल्लाह का फ़ैसला है, बिल्कुल ग़लत है। जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान से सादिर होने वाले फ़ैसले और अहकाम ऐन अल्लाह के फ़ैसले होते थे और ऐन शरीअत थे, क्योंकि: 'आप अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स से नहीं बोलते मगर जो अल्लाह की वही होती है।' (अन्नज्म: 3–4) और इज्तेहादी उमूर में जहां कहीं कोई ख़ता होती भी, तो फ़ौरन उसकी इस्लाह हो जाती थी। नबी (ﷺ) के बाद किसी भी उम्मती को ये मक़ाम हासिल नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا

(2613) हज़रत सलमान बिन बुरैदा अपने वालिद से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के नाम से और अल्लाह की राह में ग़ज़्वा करो और अल्लाह का इन्कार करने वालों से क़िताल करो। ग़ज़्वा करो ग़दर न करो, (ग़नीमत में) ख़्यानत न करो, मक़्तूलीन के आज़ा (हाथ, पैर, नाक, कान वग़ैरह) ना काटो और न किसी बच्चे को क़त्ल करो।'

(2613) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, तम्हीद: 24/232.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ

(2614) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चलो अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद

بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } " .

हासिल करते हूए और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर क़ायम रहते हूए (और उसकी दावत देते हूए), किसी बुढ़े खूस्सट को क़त्ल न करना, न किसी बच्चे या नाबालिग़ को और न किसी औरत को। (ग़नीमत में) ख़्यानत से बाज़ (दूर) रहना, ग़नीमतों को जमा रखना और इस्लाह का मामला करना, नेकी और एहसान अपनाना, बिलाशुब्हा अल्लाह तआला एहसान करने वालों से मुहब्बत करता है।'

(2614) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 12/382, 383.

फ़ायदा : लड़ाई में किसी बूढ़े शख़्स को क़त्ल नहीं करना, मगर ऐसे बूढ़े जिनके बारे में मालूम हो कि मन्सूबे और प्रोग्राम देते हैं और ऐसी औरतें जो जासूसी वग़ैरह के मामलात में मुलव्विस (लिप्त) हों, उनको क़त्ल करना जायज़ होगा।

«90»
بابٌ فِي الْحَرْقِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ

बाब : 90
दुशमन के इलाक़े में आग लगाने का मसला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا }.

(2615) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बुवैरा मुक़ाम पर क़बीला बनू नज़ीर की खजूरें जलाई थीं और काटी भी थीं, इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: (माक़तअतुम मिन लीनतिन ...) 'जो खजूरें तुमने काट डालीं या जड़ों पर क़ायम रहने दीं सो वह अल्लाह के हुक्म से था, और ताकि अल्लाह तआला फ़ासिक़ों

को रूस्वा कर दे।'

(2615) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4884, व मुस्लिम: 1746.

फ़ायदा : जंगी ज़रूरत और मसलिहत के तहत आग लगाना या मकानात गिराना जायज़ है। महज़ फ़साद फैलाने की नीयत से जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ " أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ " .

(2616) हज़रत अस्मा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया था कि 'उबना' के इलाक़े पर सुबह के वक़्त चढ़ाई करना और उसे जला देना।

(2616) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2843.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ، قِيلَ لَهُ أُبْنَى . قَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ .

(2617) अब्दुल्लाह बिन अम्र ग़ज़्ज़ी कहते हैं कि मैंने अबू मुसहिर से सुना, उनसे 'उबना' के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा: हम इसके मुताल्लिक़ ख़ूब जानते हैं कि ये फ़लस्तीन में 'युबना' के नाम से मअरूफ़ जगह है।

(2617) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/84.

﴾91﴿ باب بَعْثِ الْعُيُونِ

बाब : 91
जासूस भेजने का बयान

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ بَعَثَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - بُسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ .

(2618) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (वाक़ियाए बद्र से पहले) बुस्बसा को बतौर जासूस रवाना फ़रमाया था कि वह देखे कि अबू सुफ़ियान का क़ाफ़िला किस मरहले में है?

(2618) तख़रीज : मुस्लिम: 1901.

फ़ायदा : मुसलमानों में एक दूसरे की जासूसी करना हराम है। मगर ये कि अमीरूल मोमिनीन इस्लाहे अहवाल के लिये उनके कुछ उमूर की टोह लगाये तो जायज़ है। ताहम दुशमन के अहवाल की ख़बर लेने के लिये ये अ़मल सियासत के तौर पर वाजिब है।

बाब : 92
मुसाफ़िर किसी बाग़ या ग़ल्ले के पास से गुज़रे तो (बग़ैर इजाज़त फल) खजूर (वग़ैरह) खा सकता है और जानवरों का दूध पी सकता है

﴾92﴿
باب فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

(2619) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई (दौराने सफ़र में) जानवरों के पास से गुज़रे और उनमें उनका मालिक मौजूद हो तो उससे इजाज़त ले, अगर वह इजाज़त दे दे, तो दूध दूह ले और पी ले, अगर मालिक मौजूद न हो तो तीन बार आवाज़ लगाये, अगर वह जवाब दे तो उससे इजाज़त तलब करे वरना दूध निकाल ले और पी ले मगर साथ न ले जाये।'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 1296.

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस़ के किताबुल जिहाद में बयान होने की वजह ये है कि मुजाहिदीन सफ़र में होते हैं और खाना पीना उनकी लाज़मी ज़रूरत है और अहले इलाक़े ये ज़रूरियात मुहय्या करने के पाबन्द होते हैं। **(2)** अ़ल्लामा ख़त्ताबी (रह.) इस हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं कि ये रूख़सत ऐसे मुसाफ़िर के लिये है जो इज़्तिरारी (मजबूरी की) कैफ़ियत में हो कि अगर वह न खाये पीये तो हलाकत का अन्देशा हो। जबकि कुछ अस्हाबे हदीस़ कहते हैं ये ऐसा माल है कि नबी (ﷺ) ने उसे इसका मालिक बनाया है (जान बचाने की हद तक उसे खाने की इजाज़त दी है) तो इसके लिये मुबाह

है और उस पर कोई क़ीमत लाज़िम नहीं आती। मगर अक्सर फ़क़ीहों का कहना है कि उस पर क़ीमत लाज़िम होगी बशर्ते कि वह क़ीमत दे सकता हो, क्योंकि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'किसी मुसलमान की ख़ुश दिली और रज़ामन्दी के बग़ैर उसका माल लेना हलाल नहीं है।' (मुसनद अहमद: 5/72) ताहम अगर किसी इलाक़े के उर्फ़े आम में थोड़े बहुत खाने पीने की इजाज़त हो तो वहां इजाज़त की ज़रूरत होगी, न क़ीमत देने की। उर्फ़े आम ही इजाज़त के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा। जैसा कि आज से पहले आम देहातों में ये उर्फ़े आम था।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ " مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا " . أَوْ قَالَ " سَاغِبًا " . وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَىَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ .

(2620) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील का बयान है कि मुझे क़हत (और भूख) ने सताया, तो मैं मदीना के एक बाग़ में चला गया और वहां से मैंने एक बाली ली, उसे मसला और खा लिया और कुछ अपने कपड़े में भी बाँध ले चला, पस बाग़ का मालिक आ गया तो उसने मुझे मारा और मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आ गया तो आपने उससे फ़रमाया: 'तूने इसे समझाया नहीं जबकि ये नादान था और न तूने इसको खिलाया जबकि ये भूखा था।' (लफ़्ज़ जाइअन बोला या साग़िबन मानी एक ही है) फिर आपने उसको हुक्म दिया, तो उसने मेरा कपड़ा वापस कर दिया और मुझे एक वस्क़ या आधा वस्क़ तआम भी दिया।

(2620) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2298, नसाई, हदीस: 5411, हाकिम: 4/133.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، - رَجُلاً مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ - بِمَعْنَاهُ .

(2621) अबू बशीर रिवायत करते हैं कि मैंने अब्बाद बिन शुरहबील से सुना जो हमारे क़बीला बनी ग़बर में से थे। और ऊपर वाली हदीस के हम मानी रिवायत की।

(2621) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2298, ये हदीस आगे गुज़र चुकी है।: 2620.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वास्तव में हाजतमंद को इजाज़त है कि बग़ैर इजाज़त के बाग़ और खेत में से खा पी ले मगर साथ ले जाना जायज़ नहीं। (2) सज़ा देने से पहले ज़रूरी है कि नादान को समझाया जाये और जाहिल एक हद तक माज़ूर भी होता है। (3) हस्बे हैसियत ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना, मुसलमान का फ़रीज़ा है।

﴿93﴾ باب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - وَهَذَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ - عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَمٍ الْغِفَارِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا غُلاَمُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ " . قَالَ آكُلُ . قَالَ " فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا " . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ" .

बाब : 93
दरख़्तों से गिरा पड़ा फल खा लेने की रूख़्सत का बयान

(2622) हज़रत राफ़ेअ बिन अ़म्र ग़िफ़ारी का बयान है कि मैं लड़कपन में अन्सारियों की खजूरों को (पत्थर वग़ैरह) मारा करता था तो मुझे नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया। आपने पूछा: 'ऐ लड़के! तू खजूरों को क्यों मारता है?' मैंने कहा: फल खाने के लिये। आपने फ़रमाया: 'मत मारा करो, जो नीचे गिरी पड़ी हो खा लिया करो।' फिर आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ दी: 'ऐ अल्लाह! इसके पेट को सैर कर दे।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2299, इब्ने अबी शेबा: 6/81, 82, तिर्मिज़ी, हदीस: 1288.

﴿94﴾ باب فِيمَنْ قَالَ لاَ يَحْلِبُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

बाब : 94
बग़ैर इजाज़त जानवरों का दूध निकालना मना है

(2623) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई किसी के जानवर

صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

का बग़ैर इजाज़त दूध न निकाले, क्या तुम पसन्द करते हो कि कोई उसकी कोठरी (स्टोर) को तोड़ कर उसका खाने की चीज़ें निकाल ले जाये? (ऐसे ही) जानवरों के थन अपने मालिकों के लिये दूध जमा करते हैं तो कोई किसी के जानवर का दूध न निकाले मगर ये कि मालिक की इजाज़त हो।

(2623) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2435, मौता: 2/971, व मुस्लिम: 1726.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ियास करना एक मअरूफ़ शरई व फ़िक़्ही क़ायदा है और अश्बाह व नज़ायर पर एक दूसरे का हुक्म लेता है। **(2)** बग़ैर शरई उज़्र के अगर किसी ने जानवरों का इस क़द्र दूध निकाल लिया, जिसकी क़ीमत चोरी के निसाब को पहुँचती हो तो उस पर चोरी की हद लगेगी।

﴿95﴾ بَابٌ فِي الطَّاعَةِ

बाब : 95
इताअ़त का बयान

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(2624) इब्ने जुरैज (रह.) बयान करते हैं कि (आयते करीमा) (या अय्युहलज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिन्कुम) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो, रसूल की इताअ़त करो और अपने उलिल अम्र की।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ैस बिन अदी(ﷺ) के बारे में नाज़िल हुई थी, नबी (ﷺ) ने उनको एक मुहिम में भेजा था। (इब्ने जुरैज कहते हैं) कि मुझे ये रिवायत यअ़ला ने बवास्ता सईद बिन जुबैर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से बयान की (तफ़्सीर दर्जज़ेल रिवायत में है)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 4584, व मुस्लिम: 1834.

(2625) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक लश्कर रवाना फ़रमाया और उन पर एक शख़्स (अब्दुल्लाह बिन क़ैस(ﷺ) को अमीर बनाया और उन (लश्कर वालों) को हुक्म दिया कि अमीर की बात सुनें और इसकी इताअत करें, तो उसने आग भड़काई और उन्हें हुक्म दिया कि इसमें कूद जायें तो एक क़ौम ने इसकी ये बात मानने से इन्कार कर दिया और कहने लगे कि हम आग ही से तो भागे हैं (मुसलमान हूए हैं) और कुछ दूसरे लोगों ने आग में कूद जाने का इरादा किया। नबी (ﷺ) को ये ख़बर पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'अगर ये इसमें दाख़िल हो जाते तो फिर हमेशा इसी में रहते।' और फ़रमाया: 'अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई इताअत नहीं, इताअत हमेशा नेकी के कामों में है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7257, व मुस्लिम: 1840.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَوْ دَخَلُوهَا - أَوْ دَخَلُوا فِيهَا - لَمْ يَزَالُوا فِيهَا " . وَقَالَ " لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " .

फ़ायदा : जो शख़्स शरीअत की मुख़ालिफ़त में हुक्कामे वक़्त की इताअत करे, वह अल्लाह का नाफ़रमान है। और अल्लाह के यहां उसका ये उज़्र मक़बूल न होगा कि हाकिम की इताअत में मैंने ऐसे किया था।

(2626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर वाजिब है कि (तमाम अहकाम) सुने और माने, ख़्वाह उसे पसन्द आयें या नापसन्द हों, जब तक उसे नाफ़रमानी का हुक्म न दिया जाये, जब मअसियत का हुक्म दिया जाये तो न सुनना है और न इताअत है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 7144, व मुस्लिम: 1839.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لأَمْرِي ".

(2627) हज़रत उ़क़्बा बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है ... जो कि बिश्र बिन आ़सिम की क़ौम से थे ... उन्होंने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने एक मुहिम भेजी, तो मैंने उनमें से एक आदमी को तलवार दी जब वह वापस आया तो उसने कहा: काश कि आप (वह हालात) देखते जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मलामत की। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम इस बात से आ़जिज़ थे कि जब मेरे भेजे हूए आदमी ने मेरे अहकाम की तन्फ़ीज़ नहीं की तो तुम इसकी जगह किसी और को मुक़र्रर कर लेते जो मेरे अहकाम की तन्फ़ीज़ करता?'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/110, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1553, हाकिम: 2/114, 115.

फ़ायदा : ये हदीस़ हसन दर्जे की है। और इसमें है कि जब कोई अमीर या हाकिम शरीअ़त की तन्फ़ीज़ (लागू) न कर रहा हो या उसकी मुख़ालिफ़त करता हो और उसको बदलना मुमकिन हो तो उसको बदल कर दूसरा आदमी मुक़र्रर कर लिया जाये जो उन्हें शरीअ़त के मुताबिक़ लेकर चले।

﴾96﴿ باب مَا يُؤْمَرُ مِنَ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسِعَتِهِ

बाब : 96
लश्करों का मिलकर क़रीब क़रीब रहना और उनका कुशादा होना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ، - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصٍ وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

(2628) हज़रत अबू स़अलबा ख़ुशनी (ﷺ) बयान करते हैं कि मुजाहिदीन जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते थे ... अ़म्र बिन उ़स्मान के अल्फ़ाज़ हैं। जब रसूलुल्लाह (ﷺ)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرٌو كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً - تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ " . فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ .

पड़ाव करते थे ... तो लोग वादियों और घाटियों में बिखर जाते थे। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा इन वादियों और घाटियों में बिखर जाना शैतान की तरफ़ से है।' चूनांचे इसके बाद जब भी आप किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो सहाबा ए किराम एक दूसरे के बहुत ही क़रीब रहते यहाँ तक कि कहा जाता: अगर उन पर एक ही कपड़ा तान दिया जाये तो सब पर आ जाये।

(2628) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 8856, मुसनद अहमद, 4/193, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1664, हाकिम: 2/115.

फ़ायदा : मुजाहिदीन और मुसाफ़िरों को आपस में क़रीब क़रीब रहने में ज़ाहिरी और मअनवी बहुत फ़ायदे हैं मगर इतना भी घुसड़ कर नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को अज़ीयत (तक़लीफ़) हो, जैसे कि नीचे की हदीस में वारिद है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ .

(2629) हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी (ؓ) रिवायत करते हैं कि फ़ुलां फ़ुलां ग़ज़्वे में मैं अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमरकाब (साथ) था तो लोगों ने मन्ज़िलों पर पड़ाव करने और ख़ैमे वग़ैरह लगाने में बहुत तंगी का मुज़ाहिरा किया कि रास्ता भी न छोड़ा। तो नबी (ﷺ) ने अपना एक मुनादी भेजा जिसने लोगों में ऐलान किया: 'जो शख़्स ख़ैमा लगाने में तंगी करे या रास्ता काटे तो उसका जिहाद नहीं।'

(2629) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/440, हदीस: 1483, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2468.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़िन्दगी के तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इताअ़त के साथ साथ आ़म मुसलमानों, हमजोलियों और साथियों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करना वाजिब है। (2) वाज़ेह बुनियादी उमूर से स़र्फ़े नज़र करने के बाइस़ नेकी के अ़ज़ीम काम भी बेवक़्अ़त हो जाते हैं बिलख़ुसूस रास्ते का हक़ अदा न करना बहुत बड़ा जुर्म है।

(2630) सहल बिन मुआ़ज़ अपने वालिद (हज़रत मुआ़ज़ बिन अनस जुहनी (ﷺ) से बयान करते हैं, उन्होंने कहा: हमने अल्लाह के नबी(ﷺ) के साथ ग़ज़्वे में शिर्कत की और ऊपर की हदीस़ के हम मानी बयान किया।

(2630) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/152. ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَاهُ .

बाब : 97
दुशमन से दो ब दो होने की तमन्ना करना पसन्दीदा नहीं

﴿97﴾ باب فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

(2631) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) ने सालिम अबू अन्नज़्र को लिखा, जबकि वह हरूरी लोगों की तरफ़ निकले थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने एक ग़ज़्वे में, जब वह दुशमन से टकराये थे, फ़रमाया था: 'लोगो! दुशमन से मिलने की तमन्ना मत करो, अल्लाह तआ़ला से आ़फ़ियत माँगो, मगर जब उससे मुडभेड़ हो जाये तो फिर स़ब्र व स़बात से काम लो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साये तले है।' फिर (ये) दुआ़ फ़रमायी: 'ऐ अल्लाह! किताब को नाज़िल करने वाले! बादलों को

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ - قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ فَإِذَا

لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ " .

चलाने वाले! लश्करों को पस्पा करने वाले! इन्हें पस्पा कर दे और हमें इन पर नुसरत और ग़ल्बा अता फ़रमा।'

(2631) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3024, व मुस्लिम: 1742.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जंग कोई आम खेल नहीं जब इससे वास्ता पड़ता है तो हक़ीक़त खुलती है कि इन्सान ईमान और बहादुरी के किस मेयार (पोज़ीशन) पर है, इसलिए आरज़ु ये होनी चाहिए कि ये मौक़े ही न आये तो अच्छा है मगर जब दो बदो होना लाज़मी ठहरे, तो अल्लाह पर तवक्कल करते हूए अपनी क़ूव्वत व बसालत का भरपूर इज़हार करना चाहिए। शहादत की तमन्ना भी इसी तरह है कि मौक़े आने पर इन्सान अपने सर धड़ की बाज़ी लगाने से दरेग (परहेज़) न करे मगर बे मौक़ा या बे मक़सद जान दे देना तो कोई मानी नहीं रखता। **(2)** 'हरूरी' ख़ारजियों का एक नाम है क्योंकि ये लोग सिफ़्फ़ीन से वापस आये तो हज़रत अली (ﷺ) से अलग होकर कूफ़ा से बाहर मजाफ़ात में 'हरूरा' नाम के एक मक़ाम पर जमा हो गये और यही उनका पहला मर्कज़ था। इसकी तरफ़ निस्बत से ये लोग हरूरी कहलाये।

﴾98﴿ بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

बाब : 98 दुशमन से आमना सामना हो तो क्या दुआ की जाये?

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ "

(2632) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ज़्वे के लिये तशरीफ़ ले जाते तो यूँ दुआ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा अन्ता अज़ुदी व नसीरी बिका अहूलु वबिका असुलु वबिका उक़ातिलु) 'ऐ अल्लाह! तू मेरा बाज़ू और मेरा मददगार है, तेरी ही मदद से में चलता फिरता और हमला करता हूं और लड़ाई करता हूं।'

(2632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3584, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1661.

बाब : 99
(क़िताल से पहले) मुश्रिकीन को दावत देने का मसला

﴾99﴿
بابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ، عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ .

(2633) इब्ने औ़न (रह.) कहते हैं कि मैंने जनाब नाफ़ेअ को लिख भेजा और उनसे ये मसला दरयाफ़्त किया कि क़िताल के मौक़े पर मुश्रिकीन को दावत देना क्या हुक्म रखता है? तो उन्होंने मुझे लिख भेजा: बेशक ये हुक्म इब्तेदाए इस्लाम में था। (उसके बाद) नबी (ﷺ) ने क़बीला बनू मुस़तलिक़ पर हमला किया जबकि वह ग़ाफ़िल थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे तो आपने उनके लड़ने वालों को क़त्ल किया और बाक़ियों को क़ैद कर लिया। इसी मौक़े पर जुवेरिया बिन्ते हारिस़ आपके हाथ लगी थीं। (बाद में हरमे नबवी में दाख़िल की गयीं) नाफ़ेअ कहते हैं कि मुझे ये हदीस़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) ने बयान की और वह इस लश्कर में शरीक थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस़ उ़म्दा है। इसे इब्ने औ़न ने नाफ़ेअ से बयान किया है। इब्ने औ़न का इसमें और कोई शरीक नहीं।

(2633) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2541, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2484, व मुस्लिम: 1730.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिन लोगों को इस्लाम और मुसलमानों की दावत पहुँच चुकी हो, बवक़्ते क़िताल उनको दावत देना कोई ज़रूरी नहीं है और जिन्हें न पहुँची हो तो उन्हें दी जानी चाहिए। **(2)** हज़रत जुवेरिया (رضي الله عنها) को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आज़ाद करके अपने हरम में शामिल कर लिया था।

(2634) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र के वक़्त शब ख़ून मारा करते थे। और (इससे पहले) कान लगा कर सुनते, अगर अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो बाज़ रहते (अपने आपको रोके रखते) वरना हमला कर देते।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ .

(2634) तख़रीज : मुस्लिम: 382.

फ़ायदा : अज़ान का सुनाई देना इस बात की अलामत है कि वहां के बाशिन्दे मुसलमान हैं, इसलिए उन पर हमला नहीं किया जाता था। अज़ान की आवाज़ का न आना इस बात की अलामत है कि वहां के बाशिन्दे मुसलमान नहीं हैं, लिहाज़ा उन पर हमला कर दिया जाता था।

(2635) हज़रत इसाम मुज़नी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम को एक जिहादी मुहिम में रवाना किया और फ़रमाया: 'जब तुम कोई मस्जिद देखो या किसी मुअज़्ज़िन को सूनो तो फिर किसी को क़त्ल न करना।'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا " .

(2635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1549, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2385.

बाब : 100
जंग में मकर (चालबाज़ी) का बयान

﴾100﴿
بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

(2636) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंग चालबाज़ी का नाम है।'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحَرْبُ خُدْعَةٌ " .

(2636) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3030, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2889, व मुस्लिम: 1739.

(2637) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब किसी तरफ़ ग़ज़्वे का इरादा फ़रमाते तो किसी और जानिब का इशारा करते। और फ़रमाया करते: 'जंग चालबाज़ी का नाम है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलहरबु ख़ुदअतुन) का लफ़्ज़ इस रिवायत में सिर्फ़ मामर ही ने इस सनद से बयान किया है। जो दर हक़ीक़त अ़म्र बिन दीनार अ़न जाबिर की सनद में आया है (जो ऊपर ज़िक्र हुई है) और इसी तरह मामर अ़न हम्माम बिन मुनब्बा अ़न अबी हुरैरह की सनद में भी वारिद है।

(2637) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 5/398, हदीस : 9744.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ " الْحَرْبُ خُدْعَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ " الْحَرْبُ خُدْعَةٌ " . بِهَذَا الإِسْنَادِ إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

फ़ायदा : जंग में सिर्फ़ तीरो तफ़ंग ही काम नहीं आता बल्कि हिकमत, तदबीर, और चालबाज़ी सभी उमूर काम देते हैं, ताहम ये ज़रूर है कि दुश्मन से पहले जंग या जंग के बाद जो अ़हद मुआहिदा हो जाये, इसमें धोखा करना हराम है।

बाब : 101
शब ख़ून का बयान

﴿101﴾ باب فِي الْبَيَاتِ

(2638) जनाब इयास बिन सलमा अपने वालिद (हज़रत सलमा बिन अकवअ़ (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) को हमारा अमीर बनाया, फिर हम मुश्रिकीन से जिहाद के लिये निकले। हमने उन पर शब ख़ून मारा। उस रात हमारा शिअ़ार था (अमित अमित) सलमा कहते हैं कि उस रात मैंने अपने हाथ से

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَأَبُو عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ

أَمِتْ أَمِتْ . قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

सात घरों के मुश्रिकीन को क़त्ल किया था।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2596 में देखें, बैहक़ी: 9/79.

फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत व मसलहत शब ख़ून मारने में कोई ऐब नहीं और न उसे मअरूफ़ मानी में धोखा या बुज़दिली से ताबीर किया जा सकता है।

﴿102﴾ بَابٌ فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

बाब : 102 (अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा के साथ रहे

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ .

(2639) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दौराने सफ़र में पीछे रहा करते थे, ज़ईफ़ों की सवारी हांक ले जाते और उन्हें अपने पीछे बिठा लेते और उनके लिये दुआएँ करते।

(2639) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 2/115.

फ़ायदा : लश्कर का आख़री और पिछला जत्था जिसमें बिलउमूम ज़ईफ़, बीमार और मजरूह (ज़ख़्मी) लोग होते हैं 'साक़ा' कहलाता था।

﴿103﴾ بَابٌ عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

बाब : 103 किस बिना पर मुश्रिकों से क़िताल किया जाये?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2640) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मुश्रिकों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वह 'ला इलाहा

" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى " .

इल्लल्लाह' का इक़रार कर लें, जब वह इसका इक़रार कर लें, तो उन्होंने मुझसे अपने ख़ून और माल महफ़ूज़ कर लिये, सिवाए उसके कि इस इक़रार (इस्लाम) का कोई हक़ हो और (दिली मामलात में) उनका हिसाब अल्लाह पर है।'

(2640) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2606, व मुस्लिम: 21.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस्लाम' बनी नोअ इन्सान (मानवता) के लिये अमन व सलामती का दीन है। इसकी दावत इसके अलावा और कुछ नहीं कि इस दुनिया में इस कायनात के ख़ालिक़ व मालिक के सिवा और किसी की इबादत न करो और न करने दी जाये। इसी उसूल व बुनियाद पर मुन्किरीन से हस्बे अहवाल व ज़ुरूफ़ क़िताल का हुक्म है, जिसकी मालूम व मअरूफ़ शर्तें और आदाब हैं, जो इस किताबुल जिहाद और फ़िक़्हा इस्लामी की किताबों में महफ़ूज़ हैं। **(2)** अगर कोई क़ौम इस्लाम क़बूल करने पर राज़ी न हो तो उसको अहले इस्लाम की इताअत क़बूल करनी होगी और जिज़्या देना होगा। **(3)** इस्लाम में इक़रारे तौहीद, इक़रारे रिसालते मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़रूरी है। इसके बग़ैर तौहीद का इक़रार क़ाबिले क़बूल नहीं जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ " .

(2641) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे ये हुक्म दिया गया है कि लोगों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और रसूल हैं, और वह हमारे क़बीले की तरफ़ रूख़ करें, हमारा ज़बीहा खायें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें, लोग जब ये सब कुछ करें, तो उनके ख़ून और माल हम पर हराम होंगे मगर ये कि इस (कलिमा तौहीद व इस्लाम) का कोई हक़ हो। उनके हुक़ूक़ वही होंगे जो मुसलमानों के हैं और उनके फ़राइज़ भी वही होंगे जो मुसलमानों के हैं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 392, तिर्मिज़ी, हदीस: 2608.

फ़ायदा : 'हक़्क़े इस्लाम' का मानी ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे को नाहक़ क़त्ल कर दे तो क़िसास में उसे क़त्ल किया जायेगा, शादी शुदा होते हुए बदकारी कर ले तो रज्म होगा, और किसी का माल लूट ले तो बदले में माल लिया जायेगा वग़ैरह।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ " . بِمَعْنَاهُ .

(2642) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे मुश्रिकीन से क़िताल का हुक्म दिया गया है।' और ऊपर की हदीस के हम मानी रिवायत किया।

(2642) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर की अहादीस में 'अन्नास' (लोगों) से मुराद मुश्रिक लोग हैं या मुफ़सिद, यानी जो अल्लाह तआला की नाज़िल करदा शरीअत के क़ायल व फ़ाइल न हों। (2) अहले इस्लाम और अस्हाबे अमन से क़िताल के कोई मानी नहीं, इसे किसी तौर जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ لَكَ

(2643) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम लोगों को एक मुहिम में हुरक़ात (क़बीले) की तरफ़ रवाना फ़रमाया, उन्होंने हमारी ख़बर सुन ली और निकल भागे, हमने एक आदमी को जा लिया जब हमने उसको घेर लिया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। हमने उसको मारा यहाँ तक कि क़त्ल कर दिया। मैंने ये वाक़िया नबी(ﷺ) के सामने बयान किया तो आपने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़ाबले में तेरे लिये कौन होगा?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने ये हथियार के ख़ौफ़ से कहा था। आपने फ़रमाया: 'भला तूने

بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ . قَالَ " أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لاَ مَنْ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ .

उसका दिल क्यों न चीर लिया यहाँ तक कि तुझे मालूम हो जाता कि उसने इस वजह से कहा था या किसी और वजह से? क़यामत के दिन तेरे लिये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़ाबले में कौन होगा?' आप ये कलिमा दोहराते रहे यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा, काश कि मैं आज ही इस्लाम लाया होता। (मुझसे गुनाहे अज़ीम सरज़द न हूआ होता)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6872, व मुस्लिम: 96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) काफ़िर जब भी तौहीद व रिसालत का इक़रार कर ले मक़्बूल है और उसकी जान व माल का महफ़ूज़ होना वाजिब है। (2) अहकामे शरीअत का ऐतबार व निफ़ाज़ ज़ाहिर पर होता है। दिलों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। (3) हज़रत उसामा (ﷺ) का ये अमल एक इज्तेहादी ख़ता थी इसलिए उन पर कोई दियत लाज़िम न की गयी। (4) कलिमा गो का क़त्ल कबीरा गुनाह है। (5) शहादते तौहीद अल्लाह के यहां बाइसे निजात है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي . قَالَ رَسُولُ

(2644) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (ﷺ) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैं अगर किसी काफ़िर से टकराऊं, वह मुझसे क़िताल करे और तलवार से मेरा एक हाथ काट डाले, फिर (मेरे वार करने पर) किसी दरख़्त की ओट ले ले और कहे: मैंने अल्लाह के लिये इस्लाम क़बूल किया। तो ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उसे क़त्ल करूं (या न) जबकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हो? आपने फ़रमाया: 'उसे क़त्ल मत करो।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने मेरा एक हाथ काट डाला है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे क़त्ल मत करो, अगर तूने उसको क़त्ल कर

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ" .

दिया तो वह तेरे मुक़ाम पर होगा जहां कि तू उसको क़त्ल करने से पहले था। (मासूम अद्दम और उसका क़त्ल हराम था) और तू उसकी जगह पर होगा जहां कि वह ये कलिमा कहने से पहले था।' (हलाल अद्दम और उसका क़त्ल करना हलाल था।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6865, व मुस्लिम: 95.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से पहले उसके फ़राइज़, वाजिबात और हुक़ूक़ व आदाब का इल्म हासिल करना ज़रूरी है जैसे कि हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) ने तफ़सीलात हासिल कीं। **(2)** हर मुजाहिदे इस्लाम और हर दाई को अपने मैदाने अमल में इन्तेहाई दानिशमन्दी, हिल्म व सब्र और इताअते शरीअत का सबूत देना लाज़मी है। **(3)** बिला सबबे शरई किसी मुसलमान का क़त्ल करना जुर्मे अज़ीम है और उसकी सज़ा जहन्नम है।

﴿104﴾ باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ، مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ

बाब : 104
जो शख़्स सज्दा करके पनाह चाहे उसका क़त्ल करना ममनूअ है

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ - قَالَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " . قَالُوا

(2645) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़बीला ख़स्अम की तरफ़ एक मुहिम रवाना फ़रमाई तो उनमें से कुछ लोगों ने सज्दा करके पनाह हासिल करनी चाही लेकिन (मुजाहिदीन ने उनको) जल्दी जल्दी क़त्ल कर डाला। नबी (ﷺ) को ख़बर पहुँची तो आपने उनको आधी दियत देने का हुक्म दिया। और फ़रमाया: 'मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं जो मुश्रिकीन के अंदर मुक़ीम हो।' उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों?

يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ قَالَ " لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمُعْتَمِرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا .

आपने फ़रमायाः 'यानी दोनों को एक दूसरे की आग दिखाई न दे (आबादी इस क़द्र दूर दूर होनी चाहिए)'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को हुशैम मोतमिर, ख़ालिद वास्ती और कई लोगों ने रिवायत किया है और उन्होंने जरीर (ﷺ) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1604, नसाई, हदीस़: 4784.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन कुछ अइम्मा (इमामों) के नज़दीक स़ही है, अलबत्ता इसमें निस्फ़ दियत वाला टुकड़ा स़ही नहीं है। **(2)** हदीस़ का आख़री जुम्ला (ला तराया नाराहुमा) का लफ़्ज़ी तर्जुमा ये हो सकता है कि 'इन दोनों यानी मुसलमानों और काफ़िरों की आगें भी नज़र नहीं आनी चाहिए।' अ़ल्लामा ख़त्ताबी ने इसकी तौज़ीह में तीन क़ौल लिखे हैं: **(i)** मुसलमान और काफ़िर बराबर नहीं और उनका हुक्म एक जैसा नहीं। **(ii)** मुसलमानों को काफ़िरों से इस हद तक दूर रहना चाहिए कि आग जलाई जाये तो नज़र न आये। इस मानी से इस्तेदलाल किया जाता है कि दारूल हरब में किसी अशद ज़रूरत के पेशेनज़र चार दिन से ज़्यादा इक़ामत न की जाये। **(iii)** कुछ अहले लुग़त ये तर्जुमा करते हैं कि 'इन दोनों (मुसलमान और मुश्रिक) में कोई मुशाबहत व मुमास़लत नहीं होनी चाहिए।' ये मानी अ़रब के इस उस्लूबे कलाम से माख़ूज़ है जिसमें वह बोलते (मानारू बईरिका?) 'तेरे ऊँट की अ़लामत और उसका हाल कैसा है?' (नारूहा नजारूहा) 'उसकी ऊँची कोहान पर दिया गया दाग़ उसके अस़ील होने की अ़लामत है।' **(3)** जब कोई शख़्स किसी तरह अपने मुसलमान होने का इज़हार कर दे तो उसका ख़ून और माल महफ़ूज़ हो जाता है। **(4)** किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि कुफ्फ़ार के मुल्क में, बिलख़ुसूस़ दारूल हरब में, मुस्तक़िल रिहाइश इख़्तियार करे। **(5)** वाजिब है कि मुसलमान अपने अ़क़ीदा व अ़मल के अ़लावा आ़दात व स़क़ाफ़त में भी कुफ्फ़ार से अलग रहे और उनकी मुशाबहत व मुमास़लत इख़्तियार न करे।

बाब : 105
कुफ़्फ़ार से मुक़ाबले में भाग जाने का मसला

﴾105﴿
بابٌ فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَزَلَتْ { إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ } قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ { يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ } قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ .

(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई (इय्यकुम मिन्कुम इश्रूना साबिरूना यग़ लिबू मिअतैन) 'अगर तुममें बीस हूए सब्र करने वाले तो वह दो सौ पर ग़ालिब आ जायेंगे।' तो मुसलमानों को ये अम्र बड़ा भारी महसूस हूआ कि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है कि एक आदमी दस के मुक़ाबले से न भागे। फिर (ये) तख़फ़ीफ़ नाज़िल हूईः (आअना ख़फ़्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम...) 'अब अल्लाह ने तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दी है और उसने जान लिया है कि तुममें कमज़ोरी है, सो अगर तुममें सो अफ़राद हूए साबिर व साबित क़दम तो वह दो सौ पर ग़ालिब होंगे।' अबू तौबा रबीया (रावी हदीस़) ने ये आयते करीमाः (यग़लिबू मिअतैन) तक पढ़ी। कहा कि जब अल्लाह तआला ने गिनती में तख़फ़ीफ़ फ़रमा दी तो इस ऐतबार से सब्र में भी कमी कर दी।

(2646) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4653.

फ़ायदा : अगर दुशमन की तादाद मुसलमानों से दुगनी हो तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि जम कर मुक़ाबला करना चाहिए। अल्लाह तआला की ख़ास़ मदद शामिले हाल होगी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا

(2647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की

يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ - قَالَ - فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ - قَالَ - فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا - قَالَ - فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ " لاَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ " . قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ " أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ " .

जानिब से भेजी गयी एक मुहिम में शरीक थे। तो लोग (मुजाहिदीन) मुक़ाबले से भाग चले और मैं भी उन (भागने वालों) में शरीक था। जब हम अलग हूए, तो हमने कहा: कैसे करें, हम तो जिहाद से भाग आये हैं और (अल्लाह का) ग़ज़ब लेकर लौटे हैं? हमने कहा: हम मदीने चलते हैं, वहां ठहरेंगे और (किसी दूसरी मुहिम में) शरीक हो जायेंगे और हमें कोई नहीं देखेगा, सो जब हम मदीने आये तो हमने सोचा क्यों न अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुज़ूर पेश कर दें, अगर तौबा क़बूल हूई तो (बेहतर) ठहरे रहेंगे, वरना जिहाद में चले जायेंगे। चूनांचे नमाज़े फ़ज्र से पहले हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के इन्तेज़ार में बैठ गये। जब आप बाहर निकले तो हम आपकी तरफ़ बढ़े और कहा: हम लोग भगोड़े हैं। आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'नहीं, तुम दोबारा लड़ाई में जाने वाले हो।' चुनांचे हम आपके क़रीब हूए और आपके हाथ को बोसा दिया। आपने फ़रमाया: 'मैं मुसलमानों की जाये पनाह हूं।'

(2647) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5223 में देखें, तिर्मिज़ी: 1716.

फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने (अलअक्कार) का तर्जुमा ये लिखा है: 'जो शख़्स इमाम की तरफ़ भाग आये ताकि वह उसकी मदद करे, महज़ लड़ाई से भाग जाना मुराद नहीं है।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 1716)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي

(2648) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है कि बद्र के दिन ये आयत नाज़िल हूई थी : (व मय्युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहू)

نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ } .

'जिसने इस दिन, इन (कुफ़्फ़ार) से पीठ फेरी सिवाए इस हाल के कि पैंतरा बदलता हो लड़ाई में, या किसी जमाअत की पनाह लेता हो।' (तो वह अलग है, वरना वह अल्लाह के ग़ज़ब के साथ लौटा और उसका ठिकाना दोज़ख़ है और ये बहुत बुरा ठिकाना है।)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः हमें ख़बर दी अल इमाम अलहाफ़िज़ अबूबक्र अहमद बिन अ़ली बिन स़ाबित ख़तीब बग़दादी ने, कहा अलइमाम अलक़ाज़ी अबू अ़म्र क़ासिम बिन जाफ़र बिन अ़ब्दुल वाहिद हाशमी ने कहाः हमें ख़बर दी अबू अ़ली मुहम्मद बिन अहमद बिन अ़म्र लूलूई ने, उन्होंने कहाः हमें बयान किया अबू दाऊद सलमान बिन अशअ़स़ सजिस्तानी (रह.) ने माहे मुहर्रम सन दो सौ पचहत्तर हिजरी में ... फ़रमाया।

(2648) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 11204, हाकिम, 2/327.

फ़ायदा : ये सनद सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर इसका महल किताब का आग़ाज़ है। बहरहाल ये इमाम अबू दाऊद की सनद है। जो आग़ाज़ के बजाए किताब के दरम्यान में आ गयी है।

﴿106﴾ بَابٌ فِي الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

बाब : 106
ऐसा क़ैदी जिसे कुफ़्र बोलने पर मजबूर कर दिया जाये

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ

(2649) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (ﷺ) कहते हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जब कि आप एक चादर को तकिया बनाये क़ाबा के साये में लेटे हूए थे।

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ " قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ " .

हमने आपसे शिकायत की और कहा: क्या आप हमारे लिये मदद नहीं माँगते? क्या आप हमारे लिये अल्लाह से दुआ नहीं फ़रमाते? तो आप उठ बैठे, आपका चेहरा सुर्ख़ हो गया और फ़रमाया: 'तुमसे पहले जो लोग थे उनमें से किसी को पकड़ा जाता और उसके लिये गढ़ा खोदा जाता, फ़िर आरा लाया जाता और उसके सर पर रख कर उसे दो हिस्से कर दिया जाता मगर ये (अ़ज़ाब भी) उसे उसके दीन से न फेरता था, और (वह किसी के साथ यूँ करते कि) उसकी हड्डियों तक गोश्त और पट्ठों में लोहे की कंघियाँ चलाते, ये कार्रवाई भी उसे उसके दीन से न फेरती थी। अल्लाह की क़सम! अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल अपना ये दीन पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार स़न्आ और हज़र मौत के दरम्यान सफ़र करेगा, उसे अल्लाह के सिवा किसी का ख़ौफ़ न होगा या (ज़्यादा से ज़्यादा) बकरियों के मुताल्लिक़ अन्देशा होगा की भेड़िया न हमला कर दे लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो।' (यानी स़ब्र व तहम्मुल से काम लो, अल्लाह मदद करेगा)

(2649) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6943.

फ़ायदा : मुसलमान अगर कुफ्फ़ार के नरग़े में हों और अपनी जान बचाने के लिये बज़ाहिर कुफ़्रिया कलिमात बोल दें तो रूख़सत है, क़ुर्आन मजीद ने इस ज़िम्न में बयान किया है: 'जिसने ईमान ले आने के बाद अल्लाह के साथ कुफ़्र किया (तो उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है) (अन नहल: 106) सिवाए इसके जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' सूरह आले इमरान (आयत: 28) में है: 'अगर तुम कुफ्फ़ार से बचाव की कोई सूरत बना लो तो (कोई हर्ज नहीं)'

बाब : 107
जो कोई मुसलमान होते हूए मुसलमानों की जासूसी करे

(2650) उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ (रह.) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) के कातिब (सैकेटरी) थे, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत अली(ﷺ) से सुना, वह बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे, ज़ुबैर और मिक्दाद को रवाना किया और फ़रमाया: 'जाओ यहाँ तक कि जब तुम रोज़ा ए ख़ाख़ के मुक़ाम पर पहुँचोगे तो तुम्हें एक ऊँटनी सवार औरत मिलेगी उसके पास एक ख़त है, वह उससे ले आओ।' चूनांचे हम रवाना हूए हमारे घोड़े हमें बड़ी तेज़ी से लिये जा रहे थे यहाँ तक कि हम मुक़ामे रोज़ा पर पहुँच गये, तो हमने वहां एक औरत पाई जो अपनी ऊँटनी पर सवार थी। हमने उससे कहा: लाओ ख़त दे दो। उसने कहा: मेरे पास कोई ख़त नहीं है। मैंने कहा: या तो तू ख़त निकालेगी या हम तेरे कपड़े उतार देंगे। चूनांचे उसने अपनी चुटिया में से ख़त निकाल दिया, तो उसे लेकर हम नबी (ﷺ) के पास आ गये। वह हातिब बिन अबी बल्तआ की तरफ़ से मुश्रिकीन को लिखा गया था, उसमें उनको रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ मामलात के मुताल्लिक़ ख़बर दी गयी

﴿107﴾ باب فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، - وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ " انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا هَلُمِّي الْكِتَابَ . فَقَالَتْ مَا عِنْدِي مِنْ كِتَابٍ . فَقُلْتُ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ . فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا هَذَا يَا حَاطِبُ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ فَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ

أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي بِهَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلاَ ارْتِدَادٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقَكُمْ " . فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" .

थी। आप(ﷺ) ने पूछा: 'हातिब! ये क्या है?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ पर जल्दी (में फ़ैसला) न कीजिए, दरअसल मैं अहले क़ुरैश में नो आबाद था, ख़ास क़बील–ए–क़ुरैश से मेरा तअल्लुक़ नहीं था जबकि (मुहाजिरीने) क़ुरैश के वहां मक्का में दीगर तअल्लुक़दार मौजूद हैं जो उनके अहल व अयाल की हिफ़ाज़त करते हैं, लिहाज़ा मैंने चाहा कि मुझे उनके साथ तअल्लुक़दारी का कोई वास्ता हासिल नहीं है, तो मैं उन पर एक एहसान कर दूं जिसकी बिना पर वह मेरे क़राबतदारों का ख़्याल रखें। अल्लाह की क़सम! ए अल्लाह के रसूल! मुझमें कोई कुफ़्र नहीं है और न कोई इरतेदाद है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सच कहता है।' हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने कहा: मुझे छोड़िये मैं इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो बद्र में शरीक हो चुका है और तुम्हें क्या ख़बर, शायद अल्लाह तआला ने अहले बद्र पर नज़र फ़रमाई हो और कहा है कि जो चाहे करो, तहक़ीक़ मैंने तुम्हें बख़्श दिया है।'

(2650) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3007, व मुस्लिम: 2494.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ग़ैब की ख़बरें देना वहि की बिना पर होता था। **(2)** मुजाहिद को तलवार का धनी होने के साथ साथ दीगर तदाबीर से भी काम लेना चाहिए जैसे कि हज़रत अली (رضي الله عنه) ने धमकी से काम निकाला। **(3)** काफ़िर का कोई एहतराम व इकराम नहीं होता, बिलख़ुसूस जब वह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता हो। **(4)** सहाबा (رضي الله عنهم) की

अमानत क़ाबिले क़द्र है कि उन्होंने अपने तौर पर ख़त पढ़ने की कोशिश नहीं की। (5) कुछ सहाब–ए–किराम (ﷺ) तमाम तर खूबियों के बावजूद इन्सानी गलतियों से अलग न थे और उनसे उनके आदिल होने पर भी कोई असर नहीं पड़ा जैसे कि हज़रत हातिब (ﷺ) (6) जब कोई शख़्स किसी नाजायज़ का मुर्तकिब हूआ हो और वह उसके जवाज़ में अपने फ़हम (तावील) का सहारा ले, तो उसका उ़ज़्र एक हद तक क़बूल किया जायेगा बशर्ते कि उसके फ़हम (तावील) की गुंजाइश निकलती हो। (7) कोई मुसलमान होते हूए अपने मुसलमानों के राज़ फ़ाश करे और उनकी जासूसी करे, तो ये हराम काम है और इन्तेहाई कबीरा गुनाह, मगर उसको क़त्ल नहीं किया जायेगा लेकिन तअज़ीर ज़रूर होगी। इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान बावक़ार हो और मुसलमानों को ज़रर (नुक़सान) पहुँचाने की तोहमत से मुत्तहम न हो तो उसको माफ़ भी किया जा सकता है। (8) किसी वाज़ेह अमल की बिना पर अगर कोई शख़्स किसी को कुफ़्रिया निफ़ाक़ की तरफ़ मन्सूब कर दे तो उस पर कोई सज़ा नहीं, जैसे कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा था। (9) अहले बद्र को दीगर सहाबा के मुक़ाबले में एक मुमताज़ मर्तबा हासिल था, हज़रत हातिब (ﷺ) इन्हीं में से थे और निफ़ाक़ की तोहमत से बरी थे। (10) 'जो जी चाहे करो' के ये मानी हरगिज़ नहीं कि वह शरई पाबन्दियों से आज़ाद क़रार दिये गये। बल्कि ये उनकी मदह व सना थी और अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़मानत थी कि ये लोग अल्लाह की ख़ास हिफ़ाज़त में हैं, उनसे कोई ऐसा काम सादिर न होगा जो शरीअत के सरीह मनाफ़ी हो। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَقَالَ فِيهِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ . فَانْتَحَيْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لأَقْتُلَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(2651) हज़रत अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी हज़रत अ़ली (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान करते हैं कि हज़रत हातिब (ﷺ) ने अहले मक्का को लिखा था कि मुहम्मद (ﷺ) तुम्हारी तरफ़ रूख़ करने वाले हैं। इस रिवायत में है कि उस औरत ने कहा: मेरे पास ख़त नहीं है। तो हमने उसकी ऊँटनी को बिठा लिया मगर हमें उसके पास कोई ख़त न मिला। हज़रत अ़ली बोले: क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम उठाई जाती है! मैं तुझे क़त्ल कर डालूंगा, नहीं तो ख़त निकाल दे। और हदीस बयान की।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3081, व मुस्लिम: 2494

बाब : 108
कोई ज़िम्मी (काफ़िर) मुसलमानों की जासूसी करे तो?

﴿108﴾
باب فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ

(2652) हज़रत फ़ुरात बिन हय्यान (ﷺ) (अपने मुताल्लिक़) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको क़त्ल करने का हुक्म दिया था जबकि वह अबू सुफ़ियान की तरफ़ से जासूस बनकर आया था। ये एक अन्सारी का हलीफ़ भी था। वह अन्सारियों की एक जमाअत के पास से गुज़रा और कहा: बेशक मैं मुसलमान हूं। तो एक अन्सारी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उनको उनके ईमान के सुपुर्द कर देते हैं, उनमें से फ़ुरात बिन हय्यान भी है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/336, इब्ने जारूद, हदीस: 1058, हाकिम: 4/366.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ ‏"‏ ‏.‏

फ़वाइद व मसाइल : (1) मतलब ये है कि हम उनके इज़हारे ईमान को नहीं झुठलाते, बल्कि उनके मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अगर वह मुख़्लिस होंगे तो अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़, और उसके बरअक्स होंगे तो अल्लाह के पास मुजरिम। लेकिन हम इसके साथ उसके ज़ाहिर के मुताबिक़ मामला करेंगे। इससे ये उसूल मालूम हूआ कि इस्लामी मुल्क अवाम के ज़ाहिरी हालात के मुताबिक़ फ़ैसला करने की पाबन्द है। क्योंकि बातिन का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही को है और वही क़यामत के दिन उनके मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेगा। इसीलिए कहा जाता है: 'हम सिर्फ़ ज़ाहिरी हालात पर हुक्म लगा सकते हैं, जबकि पोशीदा मामलात अल्लाह ही के सुपुर्द हैं।' **(2)** काफ़िर जासूस के क़त्ल कर

देने पर इत्तेफ़ाक़ है मगर मुसलमान को क़त्ल नहीं करना चाहिए ख़्वाह मुनाफ़िक़ ही हो। (3) बाब में ज़िम्मी जासूस का ज़िक्र है, जब कि हदीस़ में हज़रत फ़ुरात के ज़िम्मी होने की स़राहत नहीं है। लेकिन यही रिवायत 'मन्तिक़ुल अख़्बार' में मुसनद अहमद के हवाले से है, इसमें स़राहत है कि नबी (ﷺ) ने उनके क़त्ल का हुक्म दिया, 'वकाना ज़िम्मीयन' और वह ज़िम्मी थे। इन अल्फ़ाज़ से बाब के साथ मुनासिबत भी वाज़ेह हो जाती है, और ज़िम्मी जासूस के क़त्ल करने का जवाज़ भी। (औनुल माबूद) (4) फ़ुरात बिन हय्यान ने बाद में इस्लाम क़बूल कर लिया और बहुत उम्दा मुसलमान स़ाबित हूए, हिजरत की और रसूलुल्लाह (ﷺ) के जीते जी आपकी मईयत में जिहाद करते रहे। इसके बाद कूफ़ा में रिहाइश इख़्तियार कर ली थी। (رضي الله عنه).

बाब : 109
जासूस, जो परवान–ए–अमन लेकर आया हो

﴾109﴿
باب فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ

(2653) हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक सफ़र में मुश्रिकीन का कोई जासूस रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और स़हाबा के साथ बैठा रहा, फिर ख़ामोशी से खिसक गया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे ढूंढ़ो और क़त्ल कर डालो।' हज़रत सलमा ने कहा: मैंने दूसरों से पहले उसको जा लिया और क़त्ल कर दिया और उसका सामान ले आया। पस आप (ﷺ) ने वह सामान मुझे ही बतौर नफ़्ल (इनाम) इनायत फ़रमा दिया।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِي إِيَّاهُ.

(2653) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3051.

(2654) हज़रत इयास बिन सलमा कहते हैं, मुझसे मेरे वालिद (हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه)) ने बयान किया, कहा: मैंने

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ، وَهِشَامًا، حَدَّثَاهُمْ قَالاَ، حَدَّثَنَا

عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ - قَالَ - فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِينَا ضَعَفَةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حِقْوِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ هِيَ أَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ - قَالَ - فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَأَضْرِبَ رَأْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ مُقْبِلاً

रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ क़बील–ए–हवाज़िन पर जिहाद किया। इत्तेफ़ाक़ से हम चाश्त के वक़्त खाना खा रहे थे और हममें अक्सर मुजाहिदीन पैदल थे और कुछ लोग कमज़ोर भी थे, इतने में एक शख़्स आया जो सुर्ख़ ऊँट पर सवार था, उसने ऊँट की कमर से रस्सी निकाली, उससे उसको बाँधा और आकर लोगों के साथ खाने में शरीक हो गया। जब उसने देखा कि मुजाहिदीन में कमज़ोर लोग हैं और उनमें सवारियों की भी कमी है तो वहां से निकला, भागता हूआ अपने ऊँट के पास पहुँचा और उसे खोला, उसको बिठाया, ख़ुद उस पर बैठा और फिर उसे दौड़ाते हूए चल दिया। (उस वक़्त हम को यक़ीन हो गया कि ये जासूस है) चूनांचे क़बील–ए–असलम का एक शख़्स अपनी ख़ाकिस्तरी (मटियाला रंग की) ऊँटनी पर उसके तआक़ूब में गया, और ये ऊँटनी हमारी सब सवारियों से उम्दा सवारी थी। सलमा कहते हैं: मैं पैदल ही भागता हूआ उसके पीछे गया और उसे जा लिया जबकि ऊँटनी का सर ऊँट की रान के पास था और मैं ऊँटनी की टाँगों के साथ था। फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि ऊँट की पिछली टाँगों के पास पहुँच गया। मैं और आगे बढ़ा यहाँ तक कि ऊँट की नकेल पकड़ ली और फिर उसको बिठा लिया। जब उसने अपना घुटना ज़मीन पर रखा तो मैंने अपनी तलवार निकाली और उस सवार के सर पर दे मारी तो वह कट कर दूर

فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ " . فَقَالُوا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ . قَالَ " لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ " . قَالَ هَارُونُ هَذَا لَفْظُ هَاشِمٍ .

जा गिरा, चूनांचे मैं उसका ऊँट और जो उस पर था सब हाँक कर ले आया। तो रसूल(ﷺ) ने लोगों से आगे बढ़कर मेरा इस्तेक़बाल किया और पूछा: 'उस आदमी को किसने क़त्ल किया है?' उसका सारा असबाब उसी का है।' (इमाम अबू दाऊद (रह.) के शैख़) हारून ने कहा: इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हाशिम बिन क़ासिम के हैं।

(2654) तख़रीज : मुस्लिम: 1754.

फ़वाइद व मसाइल : (1) काफ़िर जासूस ख़्वाह मुस्तामिन ही हो (इजाज़त लेकर मुसलमानों के पास आया हो) क़त्ल किया जा सकता है। क्योंकि वह हरबी काफ़िरों में शामिल है। **(2)** काफ़िर मक़्तूल का ख़ास सामान उसके क़ातिल मुजाहिद को दिया जाता है उसे 'सलब' कहते हैं। **(3)** जिहाद में कामयाबी की बुनियाद अल्लाह तआला की नुसरत और तक़्वा है, दीगर वसाइल महज़ ज़ाहिरी असबाब होते हैं लेकिन उनसे सर्फ़े नज़र करना जायज़ नहीं। **(4)** हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) नोउमर जवान थे और तेज़ दौड़ने में निहायत मुमताज़ थे, इसीलिए ऊँट सवार को जा पकड़ा।

(110) باب فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

बाब : 110
जंग के लिये कौन सा वक़्त बेहतर होता है?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ - قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ .

(2655) हज़रत नौमान बिन मुक़र्रिन (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां हाज़िर रहा हूं, आप अगर दिन के इब्तेदाई हिस्से में क़िताल न करते तो उसमें इतनी ताख़ीर फ़रमाते कि सूरज ढल जाता, हवायें चलने लगतीं और नुसरत नाज़िल होती।

(2655) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1613, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4737, हाकिम: 2/116.

फ़ायदा : सूरज ढलने का वक़्त अल्लाह की तरफ़ से नुज़ूले नुसरत का वक़्त होता है, उस वक़्त में क़िताल शुरू करना मुस्तहब है, इसीलिये ज़ोहर की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी मसनून और राजेह है। आप (ﷺ) से उस वक़्त चार रकअ़त नफ़ल पढ़ना भी वारिद है।

बाब : 111 दौराने क़िताल में ख़ामोशी का हुक्म

﴿111﴾ باب فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ .

(2656) हज़रत क़ैस बिन अ़ब्बाद (रह.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के सहाबा क़िताल के दौरान में आवाज़ें निकालने को नापसन्द करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/153.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल के नज़दीक ज़ईफ़ है। अलबत्ता शैख़ अल्बानी (रह.) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि ये रिवायत मरफ़ूअन नहीं मौक़ूफ़न सही है। (2) दौराने क़िताल बेमानी तकब्बुर आमेज़ डिंगें मारना और अपनी बड़ाई का इज़हार करना पसन्दीदा नहीं है। मगर मुसलमानों के हौसले बढ़ाने, बलन्द रखने, आगे बढ़ने की दावत देने और कुफ़्फ़ार को दबाने के लिये हस्बे अहवाल कुछ कहना जायज़ और मतलूब है। ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये रजज़ दौराने क़िताल ही का है: 'अनन्नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब' (सही बुख़ारी, हदीस: 3042) ऐसे ही हज़रत सलमा बिन अक्वा ने एक बार अपने मुक़ाबिल से कहा था, ये लो! और मैं अक्वा का फ़रज़ंद हूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 3041) और सबसे अफ़ज़ल अमल अल्लाह का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ .

(2657) हज़रत अबू हुरैरह अपने वालिद (हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से वह नबी(ﷺ) से इसकी मिस्ल रिवायत करते हैं।

(2657) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** क़तादा अनअ़न.

बाब : 112
मुजाहिद का क़िताल के वक़्त पैदल हो जाना

﴾112﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ .

(2658) हज़रत बराअ (﵁) बयान करते हैं कि हुनैन के दिन जब नबी (ﷺ) का मुश्रिकीन के साथ मुक़ाबला हूआ और मुसलमान आपके पास से भाग गये, तो आप अपने ख़च्चर से नीचे उतर कर पैदल हो गये।

(2658) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3042, व मुस्लिम: 1776.

फ़ायदा : मुजाहिद दौराने जिहाद में हालत के हिसाब से कोई अन्दाज़ भी इख़्तियार करे, रवा है। और नबी(ﷺ) सब मुसलमानों से बढ़कर बहादूर, दिलेर और अ़ज़्म व शुजाअ़त के पैकर थे।

बाब : 113
दौराने जंग गुरूर तकब्बुर का इज़हार मुबाह है

﴾113﴿ باب فِي الْخُيَلاَءِ فِي الْحَرْبِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ

(2659) हज़रत जाबिर बिन अ़तीक (﵁) से मरवी है, अल्लाह के नबी (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ग़ैरत के कुछ अन्दाज़ अल्लाह तआला को महबूब और कुछ नापसन्द हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पसन्दीदा ग़ैरत वह है जो शुब्हा की बिना पर हो, मगर ऐसी ग़ैरत जो बग़ैर किसी शुब्हा के हो, अल्लाह तआला को नापसन्द है। इसी तरह बड़ाई का इज़हार भी कुछ ऐसा है जो अल्लाह को

وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْىِ " قَالَ مُوسَى " وَالْفَخْرِ " .

नापसन्द है और कुछ पसन्दीदा है। पसन्दीदा बड़ाई का इज़हार वह है जो क़िताल के वक़्त मुजाहिद अपने मुताल्लिक़ करता है या सदक़ा करते वक़्त हो, और बड़ाई का इज़हार जो अल्लाह तआला को नापसन्द है वह है जो ज़ुल्म और ज़्यादती में हो।' मूसा बिन इस्माईल (शेख़ अबू दाऊद (रह.) ने (नापसन्दीदा बड़ाई के इज़हार में) 'नसब में फ़ख़्र' का भी ज़िक्र किया।

तख़रीज : **(सनद हसन)** नसाई, ह: 2559, इब्ने हिब्बान, ह: 313, 1666, हाफ़िज़ अल इसाबा: 1/215, इब्नेमाजा, ह: 1996, इब्ने ख़ुज़ैमह, ह: 2478

तौज़ीह : 'शुब्हा की बिना पर ग़ैरत' इस तरह के जैसे इन्सान किसी ऐसे शख़्स को देखे जो ग़ैर महरम होते हूए उसकी बीवी या बेटी वग़ैरह के साथ आज़ादाना मेल जोल बढ़ाता है और हँसी मज़ाक़ करता है। इस हाल में ग़ैरत का इज़हार मतलूब और अल्लाह को महबूब है। और 'बग़ैर किसी शुब्हा के ग़ैरत' जैसे कोई किसी की माँ या बहन से निकाह करना चाहे तो उस पर ग़ैरत खाने के कोई मानी नहीं, क्योंकि ये अमल ऐन शरीअत का मतलूब है। 'बड़ाई और तकब्बुर का इज़हार' कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में मुसलमानों की हैबत बढ़ाने के लिये मतलूब व महबूब है यूँ कि इन्सान इन्तेहाई ऐतमाद व मज़बूती से कुफ्फ़ार पर हमलावर हो और उसकी चाल–ढाल से किसी कमज़ोरी या मरऊबियत का इज़हार न हो। और सदक़ा देने में बड़ाई ये है कि ख़ूश दिली से दे, इस अमल को अल्लाह का इनाम समझे और जो दे उसे कम समझे और फ़क़्र व फ़ाक़ा का अन्देशा न रखता हो।

﴿114﴾
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

बाब : 114
आदमी जिससे क़ैदी बन जाने का मुतालबा किया जाये

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ،

(2660) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दस अफ़राद (लोगों) को बतौर जासूस रवाना किया और

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، - حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوا لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَئُوا إِلَى قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمُ انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ . فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ لأُسْوَةً . فَجَرُّوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُّ

उन पर हज़रत आसिम बिन साबित को अमीर मुक़र्रर किया, तो क़बील–ए–हुज़ैल के तक़रीबन एक सौ तैरह तीरअन्दाज़ उनके मुक़ाबले में आ गये। जब आसिम (ﷺ) ने उनको देखा तो ये सब एक टीले की ओट में हो गये (मगर उन काफ़िरों ने उनको घेर लिया) और बोले: हथियार फेंक दो और अपने आपको हमारे हवाले कर दो, हम तुमसे ये अहद करते हैं और पुख़्ता वादा है कि तुममें से किसी को क़त्ल न करेंगे। आसिम (ﷺ) ने कहा: मैं किसी काफ़िर के अहद में नहीं आता। तो उन्होंने उन मुजाहिदीन को तीर मारे और आसिम समेत सात अफ़राद को क़त्ल कर दिया, और तीन अफ़राद ने उन काफ़िरों का अहद व मीसाक़ क़बूल कर लिया। ये थे ख़ुबैब और ज़ैद बिन दसिना और एक और आदमी (उसका नाम अब्दुल्लाह बिन तारिक़ बलवी आया है) जब उन काफ़िरों ने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने उनकी कमानों की तांतें खोल लीं और उनसे उनको बाँध दिया। तीसरा आदमी कहने लगा: ये पहला धोखा है, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मेरे लिये मेरे (क़त्ल होने जाने वाले) साथी ही नमूना हैं। उन्होंने उसको घसीटा मगर उसने उनके साथ चलने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसको क़त्ल कर दिया। (और ख़ुबैब और ज़ैद को उन्होंने मक्का ले जाकर बेच दिया, हज़रत ख़ुबैब को हारिस बिन आमिर के बेटों

بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسِبُوا مَا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ .

ने ख़रीद लिया) चूनांचे ख़ुबैब(ﷺ) (उनके) क़ैदी हो गये यहाँ तक कि उन्होंने उनको क़त्ल करने का फ़ैसला कर लिया। (मुतअय्यना तारीख़ से पहले) ख़ुबैब ने उनसे उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ कर सकें, जब वह उनको क़त्ल करने के लिये ले चले, तो ख़ुबैब (ﷺ) ने कहाः मुझे मोहलत दो मैं दो रकअत (नमाज़) अदा कर लूं। फिर कहाः क़सम अल्लाह की! अगर मुझे ये शुब्हा न होता कि तुम लोग समझोगे कि डर के मारे नमाज़ पढ़ता है तो मैं और ज़्यादा पढ़ता।

(2660) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3045.

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

(2661) इब्ने औफ़ की सनद है कि ज़ोहरी ने कहाः मुझे अम्र बिन अबी सुफ़ियान बिन उसैद बिन जरिया सक़फ़ी ने बयान किया और ये बनी ज़ोहरा के हलीफ़ और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के शागिर्दों में से थे और हदीस बयान की।

(2661) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3045.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुफ़्फ़ार की अमान या क़ैद क़बूल न करना हौसलामंदी और क़बूल कर लेना रूख़्सत है। **(2)** जहां तक हो सके नबी (ﷺ) की सुन्नत को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जैसे कि ख़ुबैब बिन अदी (ﷺ) ने शहादत से पहले ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई का एहतिमाम किया। **(3)** नमाज़ ही वह बेहतरीन अमल है जिसके ज़रिये से बंदा अपने रब का क़ुर्ब हासिल करता है। और क़त्ल किये जाने से पहले नमाज़ पढ़ना, सबसे पहले जनाब ख़ुबैब (ﷺ) ही ने शूरू किया है। **(4)** हज़रत ख़ुबैब(ﷺ) ने जंगे बद्र में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था, हारिस के बेटों ने हज़रत ख़ुबैब को शहीद करके अपनी आतिशे इन्तेक़ाम (बदले की आग) को बुझाने का एहतिमाम किया। हालांकि जंग में मद्देमुक़ाबिल हरीफ़ को क़त्ल करना और चीज़ है, लेकिन हालते अमन में उसका बदला लेना किसी भी लिहाज़ से सही नहीं है और कोई भी मज़हब इसका क़ायल नहीं है।

बाब : 115
कमीनगाह में बैठने वालों का बयान

﴿115﴾ باب فِي الْكُمَنَاءِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ " إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ " . قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَىْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ .

(2662) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उहुद वाले दिन तीरअन्दाज़ों के जत्थे पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ﷺ) को अमीर मुक़र्रर किया, उन लोगों की तादाद पचास थी और उनसे फ़रमाया था: 'अगर तुम देखो कि परिन्दे हमें उचक रहे हैं, तब भी तुम ये जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं तुम्हें कोई पैग़ाम भेजूं। और अगर तुम देखो कि हमने काफ़िरों को शिकस्त दे दी है और हम उनको रौन्द रहे हैं, तब भी तुम यहीं रहना यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुलवाऊं। बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने काफ़िरों को शिकस्त से दो चार कर दिया। क़सम अल्लाह की! मैंने देखा उनकी औरतें (पनाह के लिये) पहाड़ पर चढ़ रही थीं। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर के (तीर अन्दाज़) साथियों ने कहा: ग़नीमत! ऐ क़ौम ग़नीमत! तुम्हारे साथी ग़ालिब आ गये हैं, तुम क्या देख रहे हो? अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा: क्या तुम भूल गये हो कि नबी (ﷺ) ने तुमसे क्या फ़रमाया था? उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह की! हम तो लोगों के साथ मिलकर ग़नीमत जमा करेंगे। चुनांचे वह चले आये, तो उनके मुँह फेर दिये गये और शिकस्त से दो चार हूये।

(2662) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3039.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुशमन पर हमला करने या अपने बचाव के लिये मुजाहिदीन को कमीनगाह में छुपना या छुपाना जायज़ और नज़्मे जिहाद का एक अहम हिस्सा होता है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म की परवाह न करने और माल की हिर्स का नतीजा शिकस्त की सूरत में सामने आया जो अगरचे आरज़ी थी। इसलिये वाजिब है कि इन्सान फ़रामीने रसूल (ﷺ) को हर हाल में अव्वलियत और औलियत दे ताकि दुनिया व आख़िरत की रूस्वाई सुरक्षित रहे शरई अमीर की इताअत भी वाजिब है और कमान्डर की मन्सूबा बंदी के अहकाम बिला चूं व चरा मानने चाहिए।

﴿116﴾ بابٌ فِي الصُّفُوفِ

बाब : 116
जंग में सफ़बंदी का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ " إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ - فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ " .

(2663) हज़रत हमज़ा बिन अबी उसैद अपने वालिद अबू उसैद मालिक बिन रबीया अन्सारी(ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: जब हमने बद्र में सफ़ें बना लीं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब वह तुम्हारे क़रीब हों (तुम्हारी ज़द में आ जायें) तो तीर मारना और अपने तीरों को महफ़ूज़ रखना।' (बिला ज़रूरत तीर न चलाना, ताकि तीर महफ़ूज़ रहें)

(2663) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3984, 3985.

फ़ायदा : दुशमन के मुक़ाबले में सफ़बंदी उम्दा होनी चाहिए और ख़ूब ताक कर निशाना मारा जाये ताकि कोई तीर, गोली या गोला वग़ैरह ज़ाया न हो। और किसी भी मौक़े पर माल का ज़ाया करना जायज़ नहीं।

बाब : 117
टकराव के वक़्त तलवार सौंतना

﴾117﴿ باب فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

(2664) हज़रत मालिक बिन हमज़ा बिन अबी उसैद अस्साइदी अपने वालिद से वह दादा अबू उसैद मालिक बिन रबीया अन्सारी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने बद्र वाले दिन फ़रमाया: 'जब वह तुम्हारे क़रीब आ जायें (और तुम्हारी ज़द में हों) तब उन पर तीर मारना और तलवार भी उसी वक़्त सौंतना जब वह तुम पर छा जायें।' (और तलवार की मार पर हों)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/155.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ، - وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيِّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ " إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ

बाब : 118
जंग में मुक़ाबले के लिये ललकारना

﴾118﴿ باب فِي الْمُبَارَزَةِ

(2665) हज़रत अ़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि (जंगे बद्र में) उतबा बिन रबीया सामने आया और उसके पीछे उसका बेटा और भाई भी आ गये तो उसने ललकारा: कौन है जो मुक़ाबले में आये? इस पर अन्सारी जवान सामने आये। उसने पूछा: तुम कौन हो? तो उन्होंने उसको बता दिया (कि हम अन्सारी जवान हैं) उसने कहा: हमें तुमसे कोई मतलब

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ تَقَدَّمَ - يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لاَ

حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ " . فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ .

नहीं। हम अपने चचाज़ाद चाहते हैं। तो नबी ए करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उठो, ऐ हमज़ा! उठो, ऐ अली! उठो, ऐ उबैदा बिन हारिस!' चुनांचे हमज़ा (رضي الله عنه) उतबा के मुक़ाबिल हूए और मैं (अली) शैबा के सामने आया। उबैदा और वलीद के दरम्यान दो दो वारों का मुक़ाबला हूआ और हर एक को एक दूसरे से चोटें लगीं (और ज़ख़्मी हूए) फिर हम दोनों वलीद पर चढ़ दौड़े और उसको क़त्ल कर डाला और उबैदा को उठा लाये।

(2665) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/117, हाकिम: 3/194, बैहक़ी: 9/131.

फ़ायदा : जंग में मुक़ाबले के लिये ललकारना जायज़ है। इससे दुशमन पर हैबत छा जाती है।

(119)
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

बाब : 119
मक़्तूल की नाक कान वग़ैरह काटना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ

(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़त्ल करने के मामले में सबसे अच्छे लोग अहले ईमान होते हैं।' (वह मक़्तूल के नाक कान वग़ैरह नहीं काटते)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2681, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1523, मुसनद अहमद: 1/393.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

(2667) हज़रत हय्याज बिन इमरान से मरवी है, (कहते हैं) कि (मेरे वालिद) इमरान का एक गुलाम भाग गया तो उसने

الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عِمْرَانَ، أَبَقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ .

अल्लाह की क़सम खाई कि अगर वह मेरे हाथ आ गया तो उसका हाथ काट डालूंगा। पस उसने मुझे (हय्याज को) भेजा कि ये मसला पूछो। तो मैं हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) के पास आया और उनसे दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें स़दक़ा देने की तर्ग़ीब दिया करते थे और (मक़्तूल का) मुस़ला करने से मना फ़रमाया करते थे। मैं फिर हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (ﷺ) के पास आया और उनसे भी दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें स़दक़ा देने की तर्ग़ीब दिया करते थे और मक़्तूल का मुस़ला करने से मना फ़रमाया करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/428.

फ़ायदा : मक़्तूल को क़त्ल करने के बाद उसके आ़ज़ा (बॉडी के पार्टस) काटना या उसकी शक्ल बिगाड़ना नाजायज़ है और ऐसे ही क़त्ल से पहले भी ये अ़मल नाजायज़ है। मगर ये कि क़िसास़ की कोई सूरत हो जैसे क़बील–ए–उ़कल व उ़रैना के लोगों के साथ किया गया था।

(120) باب فِي قَتْلِ النِّسَاءِ

बाब : 120
औ़रतों को क़त्ल करना मना है

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، وُجِدَتْ، فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

(2668) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है किसी ग़ज़्वे में देखा गया कि एक औ़रत को क़त्ल किया गया है, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने औ़रतों और बच्चों के क़त्ल को बहुत बुरा जाना।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3014, व मुस्लिम: 1744.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ، رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَىْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ " انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ " فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ . فَقَالَ " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " . قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ " قُلْ لِخَالِدٍ لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيفًا " .

(2669) हज़रत रबाह बिन रबीया बयान करते हैं कि हम एक ग़ज़्वे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, आपने देखा कि लोग किसी चीज़ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आपने एक आदमी को भेजा कि देखकर आये वह क्यों जमा हैं? वह होकर आया और बताया: एक औरत क़त्ल की गयी है और वह उस पर जमा हैं। पस आपने फ़रमाया: 'ये तो लड़ने वाली न थी।' बयान किया कि इस फ़ौज के मुक़द्दिमा पर ख़ालिद बिन वलीद थे। आपने एक शख़्स को भेजा कि ख़ालिद से कह दो: 'किसी औरत या किसी मज़दूर को हरगिज़ क़त्ल न करें।'

(2669) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8625, इब्ने माजा, हदीस: 2832, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1656.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर औरत का लड़ाई में कोई अमल दख़ल न हो तो उसका क़त्ल जायज़ नहीं। लेकिन साबित होकर वह कोई किरदार अदा करती है तो क़त्ल करना जायज़ होगा। और यही हुक्म घरेलू क़िस्म के मुलाज़ेमीन और बूढ़े लोगों का है। **(2)** हदीस में लफ़्ज़ मुक़द्दिमा मज़कूर है, लुग़त में मुक़द्दिमा किसी भी चीज़ के अगले हिस्से को कहते हैं तो यहां उससे मुराद फ़ौज का हर अव्वल दस्ता है जो आगे आगे चलता है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ " .

(2670) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुश्रिकीन के बूढ़ों को क़त्ल करो और नो उमरों (नाबालिग़ बच्चों) को ज़िन्दा रहने दो।'

(2670) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1583, अहमद: 5/20.

फ़ायदा : शुयूख़ से ऐसे बूढ़े मुराद हैं जिनकी जवानी ढल चुकी हो मगर लड़ने पर क़ादिर हों, या जवानों को लड़ने पर उभारते हों।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ - إِلاَّ امْرَأَةٌ إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا أَيْنَ فُلاَنَةُ قَالَتْ أَنَا . قُلْتُ وَمَا شَأْنُكِ قَالَتْ حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ . قَالَتْ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ .

(2671) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि (यहूदियों के क़बीला) बनी क़ुरैज़ा की औरतों में से सिर्फ़ एक औरत को क़त्ल किया गया था, वह मेरे पास बैठी बातें कर रही थी और इतना हँसती थी कि उसके पेट और कमर में बल पड़ जाते थे हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाज़ार में उसकी क़ौम के लोगों को क़त्ल किये जा रहे थे। अचानक एक पुकारने वाले ने इस औरत का नाम पुकारा कि फ़ुलानी कहां है? वह कहने लगी: मैं हूं। मैंने पूछा: तेरा क्या क़िस्सा है? कहने लगी: मैंने एक साज़िशी काम किया है। चूनांचे वह पुकारने वाला उसे ले गया और फिर उसकी गर्दन मार दी गयी। हज़रत आयशा (ﷺ) कहती हैं: मैं उसे नहीं भूली हूं और उस पर तअज्जुब होता है कि उसे मालूम था कि वह क़त्ल होने वाली है मगर वह हँस हँसकर लोट पोट हो रही थी।

(2671) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/277, सीरत लि इब्ने हिशाम, 2/242.

फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी फ़रमाते हैं कि उस औरत ने नबी (ﷺ) को गाली दी थी, इस वजह से उसे क़त्ल किया गया था। और शातिमे रसूल (ﷺ) की यही सज़ा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

(2672) हज़रत सअब बिन जस्सामा (ﷺ) से मनक़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया था कि मुश्रिकीन के घर वालों का क्या हुक्म है जबकि उन पर शब ख़ून

الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هُمْ مِنْهُمْ " . وَكَانَ عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - يَقُولُ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ .

मारा जाता है तो छोटे बच्चे और ओरतें भी इसकी ज़द में आ जाते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह भी इन्हीं में से हैं।' और अम्र (बिन दीनार) कहा करते थे: 'वह भी अपने बाप-दादों में से हैं।' ज़ोहरी (रह.) ने कहा: नबी (ﷺ) ने इसके बाद औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फ़रमा दिया था।

(2672) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3012, व मुस्लिम: 1745.

फ़ायदा : औरतों और बच्चों को जान बुझकर क़त्ल करना मना है और शब ख़ून वग़ैरह में जब तमीज़ करना मुश्किल हो तो माफ़ है। या जब बड़ों तक पहुँचने के लिये उनको क़त्ल करना पड़े तो जायज़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके बाद औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फ़रमा दिया था।' के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं।

﴿121﴾ باب في كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

बाब : 121
दुशमन को आग में जलाना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ " إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ " . فَوَلَّيْتُ

(2673) मुहम्मद बिन हमज़ा असलमी अपने वालिद हमज़ा बिन उमर असलमी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको एक दस्ते का अमीर बनाया था। कहते हैं कि जब मैं रवाना हूआ तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें फ़ुलां शख़्स मिल जाये तो उसको आग से जला देना।' मैंने पीठ फेरी तो आपने मुझे बुलाया मैं आपके पास वापस आया, तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम फ़ुलां को पाओ

فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوهُ وَلاَ تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ ".

तो उसे क़त्ल कर देना, जलाना नहीं, बिलाशुब्हा आग से अ़ज़ाब आग का रब ही दे सकता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/494, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीसः 2643, फ़तहुल बारीः 6/149.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَقُتَيْبَةُ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فَقَالَ " إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

(2674) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम को एक मुहिम पर रवाना किया और फ़रमायाः 'अगर तुम फ़ुलां फ़ुलां को पाओ ...' और ऊपर की हदीस़ के हम मानी बयान किया।

(2674) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 3016.

फ़ायदा : किसी क़ैदी या मुजरिम को आग से जलाना नाजायज़ और हराम है, अलबत्ता जंगी मस़लिहत के पेशे नज़र क़िलों और इमारतों वग़ैरह को जलाने में कोई हर्ज नहीं। और यही हुक्म गोला, बारूद और बमबारी का है और इसकी ज़द में अगर कोई आ जाये तो माफ़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، - قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا

(2675) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक सफ़र में हम नबी (ﷺ) के साथ थे। आप क़ज़ा ए हाजत के लिये गये तो हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ दो बच्चे भी थे, हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिये तो चिड़िया आई और (बच्चों के ऊपर इर्द गिर्द) मंडलाने लगी। नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः 'किसने इसको इसके बच्चों से परेशान किया है? इसके बच्चों को छोड़ दो।' (एक दूसरे मौक़े पर) आपने देखा कि चिटियों के बड़े बिल को हमने जला डाला

إِلَيْهَا " . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ " مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ " . قُلْنَا نَحْنُ . قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ " .

है? आपने पूछा: 'इसको किसने जलाया है?' हमने कहा: हमने जलाया है। आपने फ़रमाया: 'आग के रब के सिवा किसी को रवा नहीं कि आग से अज़ाब दे।'

(2675) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/239, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद हदीस: 382.

फ़ायदा : इन्सान तो इन्सान जानवरों को भी, ख़्वाह तक्लीफ़देह ही हों, आग से जलाना जायज़ नहीं।

﴾122﴿
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

बाब : 122
जिहाद में ग़नीमत से मिलने वाले निस्फ़ (आधा) या पूरे हिस्से के बदले जानवर किराये पर देना

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي أَلاَ مَنْ يَحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ لَنَا

(2676) हज़रत वासला बिन असक़अ (ﷺ) का बयान है कि ग़ज़्वा तबूक के मौक़े पर नबी(ﷺ) ने ऐलाने जिहाद फ़रमाया तो मैं अपने घर वालों के पास गया, वापस आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा का पहला क़ाफ़िला रवाना हो चुका था। मैं मदीने में घूमने लगा और ऐलान करता था: कोई है जो एक आदमी को अपने साथ सवार करा ले और उसकी ग़नीमत का हिस्सा पाये? तो एक अन्सारी बूढ़े ने कहा: उसकी ग़नीमत का हिस्सा हमारा होगा और हम उसे बारी से अपने साथ सवार करायेंगे और वह खाना भी हमारे साथ खायेगा? मैंने कहा: बहुत बेहतर। उसने कहा: तो चलिये अल्लाह तआला की

سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَأَصَابَنِي قَلاَئِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ . ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ . فَقَالَ مَا أَرَى قَلاَئِصَكَ إِلاَّ كِرَامًا - قَالَ - إِنَّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ . قَالَ خُذْ قَلاَئِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا .

बरकत के साथ। चूनांचे मैं एक बेहतरीन साथी के साथ रवाना हूआ। यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें माले ग़नीमत से बहरवार फ़रमाया और मुझे कुछ ऊँटनियाँ मिलीं, मैं उन्हें अपने साथी के पास हाँक लाया, चूनांचे वह अपने ऊँट के कजावे पर पिछले हिस्से पर बैठा और मुझे कहा: इन्हें चलाओ कि मैं उन्हें पीछे की तरफ़ से देखूं। फिर कहा: इन्हें चलाओ कि मैं इन्हें आगे की तरफ़ से देखूं। वह बोला: तुम्हारी ऊँटनियाँ बहुत उ़म्दा हैं। मैंने अ़र्ज़ किया: ये तो आपकी ग़नीमत हैं जिसकी मैं आपसे शर्त कर चुका हूं। उसने कहा: भतीजे! अपनी ऊँटनियाँ ले जाओ, हमने तेरे दूसरे हिस्से का इरादा किया है। (अज्र व स़वाब में हिस्सेदारी का)

(2676) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/28, तबरानी: 22/80, 81.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई ग़ाज़ी इस तरह का मामला करे तो जायज़ है। (2) इसमें स़हाब–ए–किराम (ﷻ) के उस इम्तियाज़ी वस्फ़ के एक नमूने का ज़िक्र है जो उनमें आ़म था, वह ये कि वह दुनियावी मन्फ़अ़त (नफ़े) के मुक़ाबले में उख़रवी अज्र व स़वाब को ज़्यादा अहमियत देते थे।

﴾123﴿ بَابٌ فِي الأَسِيرِ يُوثَقُ

बाब : 123 क़ैदी को बाँधना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

(2677) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'हमारे रब अ़ज़्ज़ व जल्ल को ऐसे लोगों पर तअ़ज्जुब आता है जो जंजीरों में

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَقَدْ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ " .

जकड़े जन्नत की तरफ़ ले जाये जायेंगे।'

(2677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/302, बुख़ारी, हदीस: 3010.

फ़ायदा : यानी कुछ लोग बहालते कुफ़्र क़ैद हो जाते हैं फिर हिदायत पाकर मुसलमान हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत में जायेंगे। मालूम हूआ कि क़ैदी को बाँध लेना जायज़ है और ये भी कहा गया है कि जो मुसलमान कुफ़्फ़ार की क़ैद में वफ़ात पा जायें या शहीद कर दिये जायें, तो वह इसी हालत में उठाये जायेंगे।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَالِبٍ اللَّيْثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الإِسْلاَمَ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقْ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا .

(2678) हज़रत जुन्दुब बिन मकीस (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन ग़ालिब लैसी (ﷺ) को एक दस्ता देकर रवाना किया, मैं उन लोगों में शामिल था। आपने हुक्म दिया कि मुक़ामे कदीद में बनी मुलव्वह पर (हर तरफ़ से) चढ़ाई करना, चुनांचे हम रवाना हूए यहाँ तक कि मुक़ामे कदीद पर पहुँच गये। हम को हारिस बिन बरसा लैसी मिला, हमने उसको पकड़ लिया। उसने कहा: मैं इस्लाम क़बूल करना चाहता हूं और मैं नबी (ﷺ) के यहां जाने की नियत ही से निकला हूं। हमने उससे कहा: अगर तू वास्तव में मुसलमान है, तो हमारा तुझे एक दिन और रात के लिये बाँध लेना तेरे लिये कोई नुक़्सानदेह नहीं है। और अगर तू ऐसे न हूआ तो (तुझे बाँधकर) हम तेरी तरफ़ से बेफ़िक्र हो जायेंगे। चूनांचे हमने उसको रस्सी से जकड़ लिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 3/467, सीरत लि इब्ने हिशाम: 4/257, 258.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ " . قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ " . فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلاَمِ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ " . فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ

(2679) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नजद की तरफ़ एक जिहादी दस्ता रवाना फ़रमाया। वह क़बीला बनू हनीफ़ा का एक आदमी पकड़ लाये जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था और वह अहले यमामा का सरदार था। चूनांचे उन्होंने उसे मस्जिद के एक सुतून के साथ बाँध दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास आये और पूछा: सुमामा! तेरे पास क्या है? (या तेरा क्या ख़्याल है?) उसने कहा: ऐ मुहम्मद! मेरे पास ख़ैर है। अगर तुमने क़त्ल किया तो एक ख़ून वाले को क़त्ल करोगे। और अगर एहसान करोगे तो एक शुक्रगुज़ार पर एहसान करोगे। अगर आपको माल की ज़रूरत हो तो कहिए जितना चाहते हो मिलेगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे उसी हाल पर रहने दिया। अगला दिन हूआ तो आपने उससे फिर पूछा: सुमामा! तेरे पास क्या है? (या तेरा क्या ख़्याल है?) तो उसने पहले जैसी बात दोहराई। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उसी हाल पर रहने दिया। यहाँ तक कि अगला दिन हूआ तो भी यही मुकालमा हूआ। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुमामा को आज़ाद कर दो।' चूनांचे वह चला गया और मस्जिद के क़रीब नख़्लिस्तान में पहुँचा, वहां जाकर ग़ुस्ल किया और फिर मस्जिद में वापस आ गया और कहने लगा: 'अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू

مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ عِيسَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ ذَا ذِمٍّ .

व रसूलुहू' 'मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और रसूल हैं।' और दोनों ने पूरी हदीस़ बयान की।

ईसा बिन हम्माद ने कहाः हम को लैस़ बिन सअ़द ने ख़बर दी तो इसमें (इन तक्तुल तक़्तुल ज़ा दमिन) की बजाये (ज़ा ज़िम्मिन) के लफ़्ज़ बयान किये। (अगर क़त्ल किया तो एक स़ाहिबे ज़िम्मा और एहतराम वाले को क़त्ल करोगे, (मफ़हूम दोनों का ये है कि मेरी क़ौम बदला लेगी)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 469, व मुस्लिम: 1764.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस़लिहत के तहत काफ़िर को मस्जिद में आने या बाँधने की रूख़्स़त है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों के हुस्ने इबादात और हुस्ने आ़दात ने एक जंगी क़ैदी को बग़ैर जबर व इकराह (बग़ैर ज़ोर ज़बरदस्ती के) इस्लाम का क़ैदी बना लिया। और ये दलील है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। बल्कि अख़लाक़ के ज़ोर से फ़ेला है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ قُدِمَ بِالأُسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مُنَاخِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَىْ عَفْرَاءَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ

(2680) हज़रत यहया बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन सअ़द बिन ज़ुरारह से रिवायत है कि बद्र के क़ैदियों को जब लाया गया तो उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़मअ़ा (ﷺ) आले अ़फ़रा के पास यानी अ़फ़रा के स़ाहिबज़ादों औ़फ़ और मुअ़व्विज़ के यहां ठहरी हुई थीं, जहां कि उनके ऊँटों का बाड़ा था। और ये उम्महातुल मोमिनीन पर परदा फ़र्ज़ होने से पहले का वाक़िया है। सौदा(ﷺ) बयान करती हैं: अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों (आले अ़फ़रा) के यहां थी जब मैं (वहां से) आई तो मुझे बताया

قَالَ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أُتِيتُ فَقِيلَ هَؤُلاَءِ الأُسَارَى قَدْ أُتِيَ بِهِمْ . فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُمَا قَتَلاَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَكَانَا انْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلاَ يَوْمَ بَدْرٍ .

गया कि क़ैदी लाये गये हैं। मैं अपने घर लौटी, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) वहां तशरीफ़ फ़रमा थे और अबू यज़ीद सुहैल बिन अ़म्र भी हुजरे के कोने में पड़ा था। एक रस्सी से उसके हाथों को उसकी गर्दन के साथ बाँध दिया गया था। ... फिर बाक़ी हदीस़ बयान की।

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इन दोनों ने (औ़फ़ और मुअ़व्विज़ ने) अबू जहल बिन हिशाम को क़त्ल किया था। ये उसकी तरफ़ बढ़े थे मगर पहचानते न थे और ख़ुद बद्र के रोज़ शहीद हो गये थे।

(2680) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : अबू जहल के क़त्ल में अ़फ़रा के दो स़ाहिबज़ादों मुआ़ज़ और मुअ़व्विज़ के अ़लावा वह मुआ़ज़ बिन अ़म्र बिन जमूह और अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (رضي الله عنه) भी शरीक थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) और इब्ने सअ़द ने औ़फ़ बिन अ़फ़रा का नाम भी शुमार किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इन रिवायात में जमा व तत्बीक़ (सॉल्युशन) देते हूए लिखा है कि मुआ़ज़ बिन अ़म्र बिन जमूह और मुआ़ज़ बिन अ़फ़रा ने पहले मिलकर हमला किया, फिर मुअ़व्विज़ बिन अ़फ़रा ने भी उसको घायल किया और आख़िर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (رضي الله عنه) ने उसका सर क़लम किया। (फ़तहुल बारी, हदीस़: 3964) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (رضي الله عنه) का तज़किरा हदीस़: 2709 में आ रहा है।

﴿124﴾ بَابٌ فِي الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

बाब : 124
क़ैदी को मार पीट और डाँट डपट करना और इक़रार कराना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَدَبَ أَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوا إِلَى بَدْرٍ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ

(2681) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने अस़्हाब को बुलाया और फिर बद्र की तरफ़ रवाना हूए। तो अचानक इन्हें कुरैश के ऊँट मिले जिन पर वह पानी ढोते थे, उनमें बनी हज्जाज का

فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا لِي بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ . فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ دَعُونِي دَعُونِي أُخْبِرْكُمْ . فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ وَاللَّهِ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ أَقْبَلُوا . وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبَا سُفْيَانَ " . قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ " وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ " وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

काले रंग का एक ग़ुलाम भी था, सहाबा ने उसको पकड़ लिया और उससे तफ़्तीश करने लगे कि अबू सुफ़ियान कहाँ है? उसने कहा: अल्लाह की क़सम! मुझे उसके मामले की कोई ख़बर नहीं, लेकिन ये अहले क़ुरैश आये हैं, इनमें अबू जहल, रबीया के दोनों बेटे उतबा व शैबा और उमय्या बिन ख़ल्फ़ भी हैं। जब वह सहाबा को ये बात कहता, तो वह उसे मारने लगते। पस वह कहता: मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बताता हूं। जब उसे छोड़ देते तो कहता: अल्लाह की क़सम! मुझे अबू सुफ़ियान का कोई इल्म नहीं, लेकिन ये अहले क़ुरैश आये हैं, इनमें अबू जहल, रबीया के दोनों बेटे उतबा व शैबा और उमैया बिन ख़ल्फ़ भी हैं। नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे और ये सब सुन रहे थे। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! जब वह तुम्हें सच कहता है, तो तुम मारने लगते हो और जब झूठ बोलता है, तो उसे छोड़ देते हो, ये क़ुरैश के लोग अबू सुफ़ियान ही को बचाने के लिये आये हैं।' हज़रत अनस (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कल ये जगह फ़ुलां का मक़्तल (क़त्लगाह) होगी' और आपने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। 'कल ये जगह फ़ुलां का मक़्तल होगी' और आपने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। 'कल ये जगह फ़ुलां का मक़्तल होगी।' और आपने अपना हाथ ज़मीन पर

وسلم فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ .

रखा। अनस कहते हैं: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! इन नामज़द लोगों में से कोई एक भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ की जगह से इधर उधर न हूआ। सो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन मक़्तूलों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो इन्हें टाँगों से पकड़ पकड़ और घसीट घसीट कर बद्र के कूएँ में डाल दिया गया।

(2681) तख़रीज : मुस्लिमः 1779.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहवाल व मसलिहतों के पेशे नज़र क़ैदी को मारना पीटना और इस तरीक़े से हक़ाइक़ (सच्चाई) उगलवाना, एक मतलूब और जायज़ अम्र है। **(2)** ये हदीस़ इस बात पर भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बसा औक़ात कुछ ख़बरें वक़ूअ पज़ीर होने से पहले ही दे दिया करते थे। आप (ﷺ) को बज़रिया वही अल्लाह तआला की तरफ़ से उन उमूर की इत्तला दी जाती थी। क़ुर्आन मुक़द्दस में है: 'आप (ﷺ) अपने तौर पर कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वह सब अल्लाह की वहि होता है।' (अन्नज्मः 3–4), **(3)** इस हदीस़ में हरबी काफ़िरों के मक़्तूलों का अदमे एहतिराम भी साबित होता है। वल्लाहु आलम!

﴿125﴾ بَابٌ فِي الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

बाब : 125
इस्लाम क़बूल करने के लिये क़ैदी पर जब्र करना मुनासिब नहीं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَهَذَا، لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ

(2682) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने कहाः जब कोई औरत ऐसी होती कि उसके बच्चे ज़िन्दा न रहते, तो वह नज़्र मान लिया करती थी कि अगर उसका बच्चा ज़िन्दा रहा तो वह उसे यहूदी बना डालेगी। सो जब बनू नज़ीर को मदीने से जलावतन किया गया तो इनमें अन्सारियों के

بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاَتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمِقْلاَتُ الَّتِي لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ .

लड़के भी थे। (जो इस क़िस्म की नज़्र के तहत यहूदी बनाये गये थे) उन्होंने कहा: हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे (इनके साथ नहीं जाने देंगे) तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमायी: (ला इक्राहा फ़िद्दीन क़त तबय्यनर रूश्दु मिनल ग़य) 'दीन में कोई जब्र व इकराह नहीं। हिदायत, गुमराही के मुक़ाबले में वाज़ेह और नुमायाँ हो चुकी है।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अलमिक़लात) वह औरत होती है जिसके बच्चे ज़िन्दा न रहते हों।

(2682) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 11048.

फ़ायदा : इस्लाम क़बूल करने के सिलसिले में जब्र व इकराह के कोई मानी नहीं हैं। जिहाद का हुक्म और अमल इशाअते इस्लाम की राह में हायल रूकावटों को दूर करने के लिये है, न कि लोगों को इस्लाम पर मजबूर करने के लिये।

﴾126﴿ باب قَتْلِ الأَسِيرِ وَلاَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ

बाब : 126
क़ैदी को इस्लाम की दावत दिये बग़ैर क़त्ल कर डालने का मसला

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2683) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) का बयान है कि फ़तहे मक्का के मौक़े पर नबी(ﷺ) ने चार मर्दों और दो औरतों के सिवा तमाम लोगों को अमान दे दी थी। रावी ने उनके नाम गिनवाये। और इब्ने अबी सरह भी थे। और हदीस बयान की। इब्ने अबी सरह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के यहां छुप गये

النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ " . فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لأُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ إِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जब लोगों को बैअ़त के लिये बुलाया, तो उ़स्मान (ﷺ) इन (इब्ने अबी सरह) को ले आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास खड़ा कर दिया और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! अ़ब्दुल्लाह की बैअ़त क़बूल फ़रमा लिजिए। आपने अपना सर उठाया, उनकी तरफ़ देखा, तीन बार इस तरह हूआ, आपने हर बार इसका इन्कार फ़रमाया। फिर अपने सहाबा की तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'तुममें कोई समझदार आदमी न था, जो इसकी तरफ़ उठता, जब देखा कि मैंने उसकी बैअ़त से हाथ खींच लिया है तो इसको क़त्ल कर देता?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालूम न था कि आपके जी में क्या है? आप अपनी आँख से हमें इशारा फ़रमा देते। आपने फ़रमाया: 'नबी को लायक़ नहीं कि उसकी आँख ख़ायन (ख़यानत करने वाली) हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अ़ब्दुल्लाह (बिन अबी सरह) हज़रत उ़स्मान के रज़ाई भाई थे। और वलीद बिन उ़क़्बा हज़रत उ़स्मान के माँ की तरफ़ से भाई थे। उन्होंने जब शराब पी थी तो हज़रत उ़स्मान(ﷺ) ने उनको हद लगाई थी।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4072.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि ये लोग जंगी मुजरिम थे और इस्लाम की शोहरत ही उनके लिये इस्लाम की दावत थी इसलिये उनके बारे में हुक्म था कि जहां मिलें उनको क़त्ल कर दिया जाये ख़्वाह क़ाबा के परदों ही के साथ क्यों न चिमटे हूए हों। और ये कई अफ़राद थे: इकरिमा बिन अबी जहल, अ़ब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन सबाबा, अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबी सरह। (इनके अ़लावा और भी कई लोग थे) और औरतों में इब्ने ख़तल या मिक़्यस बिन सबाबा की लौंडियाँ क़ुरैबा और

फ़रतनी (इसके अलावा और भी औरतों के नाम आते हैं) अब्दुल्लाह बिन ख़तल को काबा के परदों के साथ चिमटा हूआ पाया गया और वहीं क़त्ल कर दिया गया। मिक़्यस बिन सबाबा को लोगों ने बाज़ार में जा लिया और क़त्ल हूआ। इक्रिमा भाग कर कश्ती में सवार हो गये और क़त्ल होने से बच गये। फिर बाद में हाज़िरे ख़िदमत हूए और इस्लाम ले आये जो क़बूल कर लिया गया। और बड़े मुख़्लिस मुसलमान साबित हूए। अब्दुल्लाह बिन अबी सरह के मुताल्लिक़ आता है कि ये इब्तेदा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के कातिब थे मगर मुर्तद हो गये, इन पर शिद्दत और सख़्ती की वजह यही थी। बाद में उन्होंने भी दोबारा इस्लाम क़बूल कर लिया था। औरतों में ये लौंडियाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिजू किया (मज़म्मत में शेअर पढ़ा) करती थीं। क़ुरैबा क़त्ल की गयी थी जबकि फ़रतनी भाग निकली और बाद में इस्लाम क़बूल किया। (2) आँख से छुपा इशारा करना, आँख की ख़्यानते मुजरिमाना है जो नबी के लिये ख़ुसूसन और मोमिन के लिये उमूमन दुरूस्त नहीं। (नीज़ देखिए: अबी दाऊद, हदीस: 3194)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " أَرْبَعَةٌ لاَ أُؤْمِنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَمٍ " . فَسَمَّاهُمْ . قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمِقْيَسٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَأُفْلِتَتِ الأُخْرَى فَأَسْلَمَتْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلاَءِ كَمَا أُحِبُّ.

(2684) अम्र बिन उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अपने दादा से वह अपने वालिद से (सईद बिन यरबूअ मख़ज़ूमी (رضي الله عنه) से) रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया था: 'चार अश्ख़ास को मैं हिल्ल या हरम में (हुदूदे हरम में या इससे बाहर कहीं भी) पनाह नहीं देता।' चूनांचे उनके नाम गिनवाये। और दो लौण्डियाँ थीं जो गाने बजाने का काम करती थीं और मिक्यस की मिल्कीयत थीं एक को क़त्ल कर दिया गया और दूसरी भाग निकली और बाद में इस्लाम ले आयी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मैं इस हदीस की सनद (अपने शैख़ मुहम्मद बिन अला से पूरे तौर पर नहीं समझ सका था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 6/66, ह: 5529.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(2685) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि फ़तहे मक्का के मौक़े पर रसूल(ﷺ) मक्का में दाख़िल हूए, तो आपके

صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ خَطَلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ .

सर पर ख़ूद थी। जब आपने उसे उतारा तो आपके पास एक आदमी आया और बताया कि इब्ने ख़तल काबा के परदों के साथ चिमटा हूआ है। आपने फ़रमाया: 'उसको क़त्ल कर डालो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़तल का नाम अ़ब्दुल्लाह था और हज़रत अबू बरज़ा असलमी(ﷺ) ने उसको क़त्ल किया था।

(2685) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3044, मौता 1/423, व मुस्लिम: 1357.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ूद (लोहे की टोपी) पहने हूए मक्का में दाख़िल होना दलील है कि हज व उ़मरह के अ़लावा हस्बे अहवाल इन्सान बग़ैर एहराम के मक्का में दाख़िल हो सकता है। **(2)** इब्ने ख़तल पहले मुसलमान हो गया था उसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी काम से भेजा और एक अन्सारी को बतौर ख़ादिम उसके साथ रवाना किया, उससे कोई तक्सीर (ग़लती) हूई तो उसने इस अन्सारी को क़त्ल कर डाला और उसका माल लूट लिया, और मुर्तद हो गया। सो इसी वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको अमान न दी और क़त्ल करने का हुक्म दिया।

﴾127﴿
بَابٌ فِي قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

बाब : 127
क़ैदी को बाँध कर क़त्ल करना

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ، مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ أَتَسْتَعْمِلُ

(2686) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) ने कहा: ज़हहाक बिन क़ैस ने इरादा किया कि मसरूक़ को आ़मिल बनाये। तो उमारा बिन उ़क़्बा ने कहा: क्या तुम ऐसे आदमी को आ़मिल बनाना चाहते हो जो उ़स्मान (ﷺ) के क़ातिलों में से बाक़ी रह गया है? तो मसरूक़ ने उससे कहा: हमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (ﷺ) ने बयान

رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ " النَّارُ " . فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

किया और वह हमारे नज़दीक हदीस बयान करने में मोतबर थे कि नबी (ﷺ) ने जब तेरे बाप (उक़्बा बिन अबी मुईत) को क़त्ल करने का इरादा किया तो उस (उक़्बा) ने कहा: मेरे बच्चों का कफ़ील कौन होगा? आपने फ़रमाया: 'आग' सो मैं भी तेरे लिये वही चीज़ पसन्द करता हूं जिसे तेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पसन्द किया था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/397.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उक़्बा बिन अबी मुईत बड़ा बदबख़्त इन्सान था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की अदावत में बहुत बढ़ गया था और उसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर दौराने नमाज़ में ऊँट की औझ डाली थी। उसे बद्र से वापसी पर रास्ते में क़त्ल किया गया। उसे बाँधकर क़त्ल किया गया था, जैसा कि फ़तहुल बारी में सराहत है। और यही बात इस बाब में महल्ले इस्तेशहाद है। (औनुल माबूद) इसके साथ दो और भी थे, तुऐमा बिन अदी और नज़र बिन हारिस। **(2)** मुजरिम या क़ैदी को क़त्ल करना हो तो उसका दूर से निशाना लेने की बजाये तलवार से सर क़लम कर दिया जाये या फाँसी दे दी जाये।

﴾128﴿ بَابٌ فِي قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

बाब : 128 क़ैदी को तीर मार कर क़त्ल करना

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاَجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي

(2687) (उबैद) इब्ने तेअला की रिवायत है कि हमने अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन वलीद की मईयत (साथ) में जिहाद किया। उनके सामने दुशमन काफ़िर के चार अफ़राद लाये गये जो अज्मी थे और बड़े ताक़तवर थे। पस उन्होंने हुक्म दिया और उन्हें बँधे बँधे क़त्ल कर दिया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस में इब्ने वहब के शागिर्द सईद के अलावा दूसरों ने हमें

هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

यूँ बयान किया कि 'उनको तीर से मारा गया जबकि वह बँधे हूए थे।' हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है: आप इस तरह क़त्ल करने से मना फ़रमाते थे। (अबू अय्यूब (ﷺ) ने कहा) क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर एक मुर्ग़ी भी हो तो उसको बाँधकर न मारो। जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने चार गर्दनें आज़ाद कीं।

(2687) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/422, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 1667.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए हुज्जत नहीं। हरबी काफ़िरों को हर तरह से, हस्बे ज़रूरत व इक्तज़ा, क़त्ल किया जा सकता है, सिर्फ़ मुस्ला करना मना है।

﴾129﴿ باب فِي الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

बाब : 129
फ़िदया लिये बग़ैर एहसान करते हूए क़ैदी को वैसे ही रिहा कर देना

फायदा : अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'जब काफ़िरों से घमासान का रन पड़े तो उनकी गर्दनों पर वार करो, जब उनको ख़ूब काट चूको तो अब ख़ूब मज़बूत बाँध कर क़ैद कर लो, फिर इख़्तियार है ख़्वाह एहसान करके छोड़ दो या फ़िदया (ऐवज़ और बदल) लेकर, यहां तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे।' (मुहम्मद: 4)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ثَمَانِينَ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مِنْ

(2688) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है कि (सफ़रे हुदैबिया में) अहले मक्का के अस्सी (80) आदमी फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त तन्ईम के पहाड़ों से उतरे कि नबी (ﷺ) ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने भी अपने आपको उनके हवाले कर दिया।

جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَمًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाद में उनको रिहा कर दिया तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई : (व हुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम व अयदिकुम अन्हुम बिबतनि मक्का) '(अल्लाह) वह ज़ात है जिसने वादी मक्का में उनके हाथों को तुमसे रोके रखा और तुम्हारे हाथों को उनसे रोके रखा।'

(2688) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़ायदा : ये लोग क़ुरैश के पुरजोश और जंग जू नौजवान थे जो अपने बड़ों की राय के बरख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ सुलह के हक़ में न थे। उन्होंने अपने तौर पर ये ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया जिसे अल्लाह तआला ने मिट्टी में मिला दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़िदया लिये बग़ैर बतौर एहसान के उनको रिहा कर दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُسَارَى بَدْرٍ " لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ " .

(2689) मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने बद्र के क़ैदियों के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'अगर मुतइम बिन अदी ज़िन्दा होता और मुझसे इन नजिस बदबूदारों के मुताल्लिक़ बात करता तो मैं उसकी ख़ातिर इनको रिहा कर देता।'

(2689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3139.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई आयते क़ुर्आनी और अहादीस़ से साबित हूआ कि हस्बे मस़लिहत क़ैदी को फ़िदया लिये बग़ैर एहसान करते हूए रिहा कर देना जायज़ है। **(2)** मुतइम बिन अदी का रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ये एहसान था कि ताइफ़ से वापसी पर आप उसकी हिमायत और पनाह से मक्का में आये थे और उसने आपका दिफ़ा भी किया था।

बाब : 130
माल लेकर क़ैदी को रिहा करना

﴿130﴾
بابٌ فِي فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

(2690) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने बयान किया कि जब बद्र का दिन था और नबी(ﷺ) ने क़ैदियों से फ़िद्‌या लिया तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमायी: (मा काना लिनबिय्यिन अय्यकूना लहू अस्रा हत्ता युस्ख़िना फ़िल अर्ज़ि तुरीदूना अरज़हुनिया वल्लाहु युरीदुल आख़िरता वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम) 'नबी को मुनासिब नहीं कि उसके लिये क़ैदी हों यहां तक कि (दुशमन को) ज़मीन में अच्छी तरह कुचल ले, तुम दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह आख़िरत चाहता है, और अल्लाह ग़ालिब है हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का फ़ैसला पहले से लिखा हूआ न होता तो जो कुछ तुमने (फ़िद्‌या) लिया है उस पर तुम्हें बड़ा अज़ाब पहुँचता।' फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनके लिये ग़नीमतों को हलाल फ़रमा दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना कि उनसे अबू नूह का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा: तुम उसके नाम का क्या करोगे? उसका नाम नागवार सा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ } إِلَى قَوْلِهِ { لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ } مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ فَقَالَ أَيْشٍ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उसका नाम 'कुराद' है (चैचड़ी) और सही ये है कि उसका नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़ज़्वान है।

(2690) **तख़रीज** : मुसनद अहमद: 1/30, 33, व मुस्लिम: 1763.

फ़ायदा : आयते क़ुर्आनी का मतलब ये है कि तुमने काफ़िर क़ैदियों को क़त्ल करने की बजाये, जो फ़िद्या लिया है, ये फ़ैसला ग़लत था। तुम्हारे लिये बेहतर ये था कि तुम उनको क़त्ल करते, ताकि कुफ्फ़ार की क़ूव्वत कम होती। लेकिन चूंकि अल्लाह की तक़दीर में तुम्हारे लिये माले ग़नीमत का हलाल होना लिखा हूआ था, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। और इसके बाद मुसलमानों के लिये ग़नीमत का माल हलाल कर दिया गया, जबकि पहली उम्मतों के लिये माले ग़नीमत हलाल नहीं था।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ .

(2691) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के मौक़े पर अहले जाहिलीयत (मुश्रिक क़ैदियों) का फ़िद्या चार सौ (दिरहम फ़िक्स) मुक़र्रर किया था।

(2691) **तख़रीज** : **(सनद हसन)** नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8661, हाकिम: 3/140.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत सही है। अलबत्ता, चार सौ दिरहम, के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلاَدَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى

(2692) हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान है कि जब अहले मक्का ने अपने क़ैदियों के फ़िद्ये भेजे तो हज़रत ज़ैनब (ﷺ) (नबी (ﷺ) की स़ाहिबज़ादी) ने (अपने शौहर) अबू अलआ़स के फ़िद्ये में माल भेजा, और वह हार पेश किया जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (ﷺ) ने उनको अबू अलआ़स से शादी के वक़्त दिया था। उसे देखकर रसूल (ﷺ) पर शदीद रिक़्क़त तारी

أَبِي الْعَاصِ . قَالَتْ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا " . فَقَالُوا نَعَمْ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ " كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا" .

हुई और फ़रमाया: 'अगर तुम मुनासिब समझो तो उसके क़ैदी को उसके लिये वैसे ही रिहा कर दो और उसका हार उसे वापस कर दो।' सहाबा ने उसे बख़ूशी क़बूल किया। चूनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू अलआस से ये अहद लिया कि ज़ैनब (رضي الله عنها) को आपकी तरफ़ भेज देगा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा(رضي الله عنه) और एक अन्सारी को भेजा और उन्हें कहा: 'तुम वादी याजज के दामन में रूकना यहाँ तक कि ज़ैनब तुम्हारे पास आ जाये तो फिर उसे साथ लेकर आ जाना।'

(2692) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/276, हाकिम: 3/ 236, 324, 4/44, 45.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हस्बे मसलिहत क़ैदी को फ़िद्या लिये बग़ैर रिहा करना भी जायज़ है। **(2)** हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) का अबू अलआस के साथ निकाह बिअसत (आप (ﷺ) के नबी होने) से पहले हूआ था मगर अबू अलआस ने सुलह हुदैबिया के वक़्त इस्लाम क़बूल किया। **(3)** वादी याजज मक्का से आठ मील के फ़ासले पर वाक़े थी। **(4)** ज़ैनब (رضي الله عنها) के वाक़िया से मालूम होता है कि सख़्त ज़रूरत की बिना पर औरत बग़ैर महरम के सफ़र कर सकती है। जबकि औरत का ख़ाविन्द और महरम कोई न हो या ख़ाविन्द और महरम का किसी वजह से साथ जाना मुमकिन न हो।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، - يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ - قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ

(2693) हज़रत मरवान बिन हकम और मिस्वर बिन मख़रमा का बयान है कि हवाज़िन के मुसलमान लोगों का वफ़द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया तो उन्होंने दरख़्वास्त की कि हमारा माल वापस कर दिया जाये (जो कि ग़ज़्वा हुनैन में मुसलमानों के क़ब्ज़ा में आया है) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे साथ ये लोग हैं जिनको तुम देख रहे हो (मुजाहिदीन)

مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ " . فَقَالُوا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ " . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ " . فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا .

और मुझे बात वह पसन्द है जो सच्ची हो, तुम लोग दो में से एक चीज़ इख़्तियार कर लो, क़ैदी या माल।' उन्होंने कहा: हम अपने क़ैदियों को इख़्तियार करते हैं, (उन्हें रिहा कर दिया जाये) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा के लिये खड़े हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द व सना बयान की फिर फ़रमाया: 'तुम्हारे ये भाई ताइब होकर आये हैं, मैंने ये मुनासिब समझा है कि उनके क़ैदी उनको वापस कर दूं, तो तुममें से भी जो ख़ूशी ख़ूशी ये काम करना चाहे करे, और जो पसन्द करे कि (उसके क़ैदी के बदले) उसे उसका हिस्सा दिया जाये तो ये हमारे ज़िम्मे रहा और पहली पहली ग़नीमत जो अल्लाह हमें देगा उसमें से हम उसका हक़ अदा करेंगे।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम इनके लिये बख़ूशी ये काम करते हैं। आपने फ़रमाया: 'हम पर ये वाज़ेह नहीं है कि तुममें से किस ने इजाज़त दी है और किस ने नहीं दी, लिहाज़ा तुम जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे नुमाइंदे हमें आकर तुम्हारा मामला बतायें।' चूनांचे वह लोग लौट गये, उनके अमीरों और नुमाइंदों ने उनसे (खुल कर) बात की, तो उन नुमाइंदों ने आकर बताया कि हमारे लोग ख़ूशी से उन्हें (आज़ाद करने की) इजाज़त दे रहे हैं।

(2693) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2307, 2308.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو

(2694) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह (शुऐब) अपने दादा से इस वाक़िया के सिलसिले में बयान करते हैं कि

بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ مَسَكَ بِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْفَىْءِ فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَىْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا " . ثُمَّ دَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلاَ هَذَا " . وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ " إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ " . فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ " . فَقَالَ أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلاَ أَرَبَ لِي فِيهَا . وَنَبَذَهَا .

फिर रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उन लोगों की औरतें और बच्चे उन्हें लौटा दो और जो कोई बिला ऐवज़ वापस न करना चाहे तो हमारा उससे वादा है कि पहली पहली ग़नीमत जो अल्लाह तआला हमें इनायत फ़रमायेगा उसमें से छः ऊँट उसे दिये जायेंगे।' फिर आप अपने ऊँट के क़रीब हूए और उसके कोहान से कुछ बाल लिये और फ़रमाया: 'लोगो! इस ग़नीमत में से मेरे लिये ख़ुमुस (पाँचवें हिस्से) के सिवा कुछ नहीं है, इस क़दर (बाल) भी नहीं।' और फ़रमाया: 'ये ख़ुमुस भी तुम लोगों ही में तक़सीम होगा, लिहाज़ा सूई और धागे तक वापस कर दो।' चूनांचे एक आदमी खड़ा हूआ, उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा सा था वह बोला: मैंने ये बाल लिये हैं ताकि पालान के नीचे की गद्दी दुरूस्त कर लूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मेरा ज़ाती हिस्सा है या बनी अब्दुल मुत्तलिब का, वह तुम ले सकते हो (दूसरों का नहीं।)' उसने कहा: अगर उसका इतना गुनाह है जो मैं देख रहा हूं तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं और उसने गुच्छा फैंक दिया।

(2694) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3718, सीरत इब्ने हिशाम, हदीस: 203, इब्ने अलजारूद, हदीस: 1080 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमानों पर वाजिब है कि अपनी इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई ज़िन्दगी में हमेशा सच्ची और साफ़ बात किया करें। **(2)** मुसलमानों के क़ाइद (लीडर) को भी ये हक़ नहीं कि उनकी दिली रज़ामंदी के बग़ैर उनके माल पर कोई तसर्रूफ़ करे। **(3)** अगर इज्तेमाई मसलिहत के तहत कोई तसर्रूफ़ करना हो तो उसका ऐवज़ अदा करना लाज़मी है। **(4)** हस्बे मसलिहत क़ैदियों को

फ़िद्या लिये बग़ैर आज़ाद करना जायज़ है। (5) क़ौमी अमानत में मामूली ख़यानत भी जुर्मे अज़ीम है, लिहाज़ा मन्सबदारों को फ़िक्र करनी चाहिए और ख़बरदार रहना चाहिए। (6) हर क़ौम और जमाअत को इज्तेमाई नज़्म क़ायम करते हूए अपना अमीर और नुमाइन्दा मुन्तख़ब करना (चुनना) चाहिए जो इज्तेमाई उमूर में उनकी नुमाइन्दगी करे।

बाब : 131
दुशमन पर ग़ल्बा पा लेने के बाद अमीर का कुछ वक़्त के लिये मफ़्तूहा इलाक़े में ठहरना

﴾131﴿
بَابٌ فِي الإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

(2695) हज़रत अबू तलहा (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी क़ौम पर ग़ालिब आ जाते तो (उसके बाद) तीन दिन तक उनके इलाक़े में इक़ामत फ़रमाते। इब्ने मुसन्ना ने कहा: जब आप किसी क़ौम पर ग़ालिब आ जाते तो पसन्द फ़रमाते कि उनके इलाक़े में तीन दिन इक़ामत करें।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मोहद्दिस यहया बिन सईद इस हदीस़ पर ऐतराज़ किया करते थे कि ये सईद (इब्ने अबी अरूबा) की क़दीम रिवायात में से नहीं है क्योंकि सन 45 हिजरी में उनका हाफ़ज़ा बिगड़ गया था। और उन्होंने ये हदीस़ इस आरज़े के बाद ही बयान की है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (कहा जाता है कि वकीअ ने उनसे ये हदीस़ हाफ़ज़ा की ख़राबी के दिनों में ली थी।)

(2695) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3065.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثًا . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لأَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ بِأَخَرَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيُّرِهِ .

फ़ायदा : हदीस़ स़ही है और ये स़ही बुख़ारी में भी है। (हदीस़: 3065) यही वजह है कि इमाम अबू दाऊद का ये क़ौल, जो ब्रेक्टों के दरम्यान है, अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में नहीं है और इसका न होना ही ज़्यादा मुनासिब है।

बाब : 132
क़ैदियों को जुदा जुदा करना

﴾132﴿
باب فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ

(2696) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने एक लौण्डी और उसके बच्चे में जुदाई कर दी (और उन्हें अलग अलग बेच दिया) तो नबी(ﷺ) ने उनको इससे रोक दिया और उनकी ये बैअ़ वापस करा दी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैमून (बिन अबी शबीब) ने हज़रत अ़ली को नहीं पाया। ये सन 83 हि. में जमाजम में क़त्ल कर दिये गये थे। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: वाक़िया सन 63 हिजरी में हूआ था और हज़रत (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने जुबैर सन 73 हिजरी में क़त्ल हूए थे।

(2696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/126, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1283, 1566.

फ़ायदा : ये रिवायत यहां इस सनद के साथ मुन्क़तअ़ है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद ने तस़रीह की है, लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर ये रिवायत हसन है। इसलिए ये मसला स़ही है कि लौण्डी और उसके बच्चे को अलग अलग बेचना स़ही नहीं है। इस तरह माँ को भी तकलीफ़ होगी और बच्चा भी परेशान होगा।

बाब : 133
अगर क़ैदी जवान हों तो उनमें जुदाई की जा सकती है

﴿133﴾ باب الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ " . فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا . فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلَّهِ

(2697) हज़रत इयास बिन सलमा अपने वालिद (सलमा बिन अक्वा (ﷺ) से रिवायत करते हैं, कहते हैं: हम हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के साथ (जिहाद के लिये) रवाना हूए। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको हमारा अमीर बनाया था, हमने बनू फ़ज़ारह के साथ जिहाद किया और हर तरफ़ से उन पर चढ़ाई की। मैंने लोगों की एक जमाअत देखी, उनमें बच्चे थे और औरतें भी। मैंने एक तीर मारा जो उनके और पहाड़ के दरम्यान जा गिरा तो वह उठ खड़े हूए, मैं उन्हें हज़रत अबूबक्र(ﷺ) के पास ले आया। उनमें फ़ज़ारा की एक औरत थी जिसने एक पुरानी खाल औढ़ी हूई थी उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अरब की हसीन तरीन लड़कियों में से थी। अबूबक्र(ﷺ) ने वह लड़की बतौर नफ़्ल ग़नीमत मुझे दे दी। मैं मदीने आया और रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे मिले और फ़रमाया: 'ऐ सलमा! वह औरत मुझे हिबा कर दे।' मैंने अर्ज़ किया: क़सम अल्लाह की! वह तो मुझे बहुत पसन्द आयी है और मैंने उसका कपड़ा भी नहीं उठाया। पस आप ख़ामोश हो रहे। जब अगला दिन हूआ नबी (ﷺ) मुझे बाज़ार

أَبُوكَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ . فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ .

में मिले और फ़रमाया: 'ऐ सलमा! औरत मुझे हिबा कर दे, तेरे बाप की भलाई हो।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उसका कपड़ा तक नहीं उठाया, मगर वह आपकी हूई। चूनांचे आपने उसे अहले मक्का की तरफ़ भेज दिया जबकि कुछ मुसलमान क़ैदी उनके क़ब्ज़े में थे, तो उस औरत को बतौर फ़िद्या के उनको दे दिया।

(2697) तख़रीज : मुस्लिम: 1755.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुजाहिदीन को इज़ाफ़ी इनामात (नफ़्ल ग़नीमत) ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) निकालने से पहले दिये जाते हैं। **(2)** क़ैदी अगर बड़ी उमर के हों तो क़रीबी रिश्तेदारों में भी तफ़रीक़ की जा सकती है। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रज़ामंदी के बग़ैर लेना पसन्द न करते थे। **(4)** लौण्डियों से मुबाशरत जायज़ है ख़्वाह मुश्रिक ही हों मगर इस्तेबरा (एक हैज़ आने) के बाद) **(5)** जिस तरह भी बन पड़े मुसलमान क़ैदियों को आज़ाद कराया जाये।

﴿134﴾ بَابٌ فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ

बाब : 134 कुफ्फ़ार किसी मुसलमान का माल ले उड़ें फिर उसका मालिक माले ग़नीमत में अपना माल पा ले

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلاَمًا، لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ

(2698) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उनका एक गुलाम भागकर दुशमनों के पास चला गया। फिर मुसलमान उन लोगों पर ग़ालिब आ गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह गुलाम इब्ने उमर को वापस कर दिया और

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ .

(बतौर ग़नीमत) तक़सीम नहीं फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (यहया बिन अबी ज़ाइदा के अ़लावा) किसी दूसरे ने कहा कि ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने उसे वापस किया था।

(2698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहावी: मआनिल आसार, हदीस: 3/264,

फ़ायदा : ये रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता अगली रिवायत सही है, जिसमें है कि ये वाक़िया नबी(ﷺ) की वफ़ात के बाद पेश आया है और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने वह ग़ुलाम या घोड़ा वापस किया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(2699) (मुहम्मद बिन सलमान अल अन्बारी की सनद से मरवी है) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि उनका एक घोड़ा भाग गया तो दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। फिर मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये तो वह घोड़ा रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में इब्ने उ़मर (ﷺ) को वापस दे दिया गया। (एक और मौक़े पर) हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) का एक ग़ुलाम भाग गया और रूमियों के इलाक़े में चला गया। मुसलमान उन पर ग़ालिब आये तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने ये उनको वापस कर दिया। और ये नबी (ﷺ) के बाद का वाक़िया है।

(2699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2847, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 3067.

बाब : 135
मुश्रिकों के ग़ुलाम अगर मुसलमानों से आ मिलें और इस्लाम क़बूल कर लें

﴾135﴿ باب فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ - قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا " . وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ " هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(2700) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि हुदैबिया के रोज़ सुलह से पहले कुछ ग़ुलाम भागकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आ गये तो उनके मालिकों ने आपको लिखा: ऐ मुहम्मद! (ﷺ) क़सम अल्लाह की! ये लोग तुम्हारे दीन के शौक़ में तुम्हारे पास नहीं आये हैं, बल्कि ग़ुलामी से भागकर आये हैं। सहाबा में से कुछ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्होंने सच कहा है, आप इन्हें इनको वापस लौटा दें तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ुस्सा हूए और फ़रमाया: 'ऐ क़ुरैशियों! मैं समझता हूं कि तुम लोग उस वक़्त तक बाज़ नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह तुम पर किसी ऐसे को न भेज दे जो तुम्हारी इस (हठधर्मी) पर तुम्हारी गर्दनें मार दे।' और आपने उनको वापस करने से इन्कार कर दिया और फ़रमाया: 'ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के आज़ाद करदा लोग हैं।'

(2700) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 2/125, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3715.

फ़ायदा : जब एक आदमी दारूल कुफ़्र से निकल भागा तो अपने तौर पर आज़ाद हो गया। फिर इस्लाम क़बूल कर लिया तो अब वह आज़ाद है। उसका इस्लाम भी क़बूल है। उसे कुफ्फ़ार के पास वापस भेजने की कोई वजह नहीं है।

बाब : 136
दुशमन के इलाक़े से मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के इस्तेमाल का जवाज़

﴾136﴿ باب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشًا، غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ .

(2701) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक लश्कर को ग़ल्ला और शहद बतौर ग़नीमत मिला, तो उसमें से ख़ुमुस नहीं लिया गया था।

(2701) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 12/369, 370, हदीस: 13372, बैहक़ी: 9/59, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1670, बुख़ारी, हदीस: 3154.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَعْنَبِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ - قَالَ - فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ - قَالَ - ثُمَّ قُلْتُ لاَ أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا - قَالَ - فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ إِلَىَّ .

(2702) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ﷺ) का बयान है कि ख़ैबर के रोज़ चर्बी से भरा एक थैला ऊपर से लटकाया गया। मैंने आगे बढ़कर उसे झपट लिया, फिर मैंने कहा: आज मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैंने गर्दन मोड़ी तो देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी जानिब (देखकर) मुस्करा रहे थे।

(2702) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3153, व मुस्लिम: 1772.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ुक़हा–ए–हदीस बयान करते हैं कि मतऊमात (खाने पीने वाली चीज़ों) में से ख़ुम्स नहीं निकाला जाता। और मुजाहिदीन को हस्बे हाजत खा पी लेने की रूख़सत है। अलबत्ता बहुत

ज़्यादा मिक़्दार में हासिल होने वाला ग़ल्ला इस्तेमाल के बाद बतौर ग़नीमत तक़सीम होगा। **(2)** ख़ुमुस का मसला आगे बाब: 158 में आ रहा है। **(3)** अहले किताब का ज़बीहा हलाल है और उनकी चर्बी भी।

﴿137﴾ باب في النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى، إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

बाब : 137
दुशमन के इलाक़े में तआम की कमी हो तो लूट की मुमानिअत (मनाही)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لُبَيْدٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى . فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ .

(2703) अबू लुबैद बयान करते हैं कि हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरह (ﷺ) की मईयत में काबुल में थे। लोगों को ग़नीमत मिली तो हर एक ने उसे लूट लिया। पस उन्होंने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि आपने लूट से मना किया है। चूनांचे लोगों ने जो कुछ लिया था सब वापस कर दिया। फिर अब्दुर्रहमान (ﷺ) ने उसे उनमें तक़सीम कर दिया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/62, 63.

तौज़ीह : अल्लाह तआला ने मुक़र्रर हुक़ूक़ वाली चीज़ों में बक़द्रे हक़ लेना, और आम जायज़ चीज़ों में एक दूसरे का लिहाज़ करने और हमदर्दी बरतने का हुक्म दिया है जबकि लूट और छीना झपटी में इस्तेहक़ाक़ की बजाये ज़ोरे बाज़ू से काम लिया जाता है और किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिलता है और कई महरूम रह जाते हैं, इसलिए ये तरज़े अमल (तरीका) जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى،

(2704) मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से पूछा: क्या आप लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में खाने पीने की अशया (चीज़ों) में से ख़ुमुस निकाला करते थे? उन्होंने कहा: हमें

قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ - يَعْنِي الطَّعَامَ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

ख़ैबर के रोज़ ग़ल्ला मिला तो ज़रूरतमंद आता और जिस क़द्र उसे ज़रूरत होती लेकर चला जाता।

(2704) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/354, इब्ने जारूद, हदीस: 1072, हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 2/126.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ " . أَوْ " إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ " . الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ .

(2705) एक अन्सारी सहाबी ने कहा: हम लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रवाना हूए। लोगों को इन्तेहाई एहतियाज (जरूरत) और बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। इन्हें बकरियाँ मिल गयीं जो उन्होंने लूट लीं (और तक़सीम न कीं), हमारे दैगचे उबल रहे थे। (गोश्त पक रहा था) कि नबी (ﷺ) अपनी क़ौस के सहारे चलते हूए तशरीफ़ लाये और हमारे दैगचों को अपनी क़ौस से उलट दिया और गोश्त को मिट्टी में लिथेड़ने लगे और फ़रमाया: 'लूट का माल मुरदार से ज़्यादा हलाल नहीं।' या यूँ फ़रमाया: 'मुरदार का गोश्त लूट के माल से ज़्यादा हलाल नहीं।' ये शक हन्नाद को हूआ है।

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/61.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी जिस तरह मुरदार का गोश्त हलाल और जायज़ नहीं, यही हुक्म लूट के उस माल का है जो बिला इस्तेहक़ाक़ लिया जाये। **(2)** नबी (ﷺ) ने इन्तेहाई मशक्क़त और एहतियाज के हालात में भी दूसरों का हक़ खाने की इजाज़त नहीं दी। **(3)** माली सज़ा देना (तअज़ीर बिलमाल) जायज़ है। **(4)** इमाम पर वाजिब है कि अपनी रईयत में अदलो इन्साफ़ का हर हाल में एहतिमाम करे, इससे अल्लाह की रहमत उतरती और दुशमन पर ग़ल्बा मिलता है।

बाब : 138
दुशमन के इलाक़े से खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले आना

﴿138﴾ باب فِي حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ حَرْشَفٍ الأَزْدِيَّ، حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزْرَ فِي الْغَزْوِ وَلاَ نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلاَةٌ .

(2706) अस्हाबे नबी (ﷺ) में से एक सहाबी का बयान है, कहा: जिहाद के दौरान में हम ऊँट ज़बह करके खाते और (बाक़ायदा) तक़सीम न करते यहाँ तक कि जब हम वापस लौटते तो हमारे थैले उस गोश्त से भरे हूए होते थे।

(2706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़ 2739.

बाब : 139
दारूल हरब में जब खाने पीने की अशया (चीज़ें) लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें बेचने का मसला

﴿139﴾ باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الأُرْدُنِّ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ

(2707) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ग़नम (ؓ) का बयान है कि हमने हज़रत शुरहबील बिन सम्त(ؓ) की मईयत (साथ) में क़िन्नसरीन शहर का मुहासरह किया। जब उन्होंने उसको फ़तह कर लिया तो वहां से उन्हें बकरियाँ और गायें मिलीं। उन्होंने उनमें से एक हिस्सा हममें

شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مُعَاذٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ

तक़सीम कर दिया और बाक़ी को ग़नीमत में जमा कर लिया। फिर मैं (अब्दुर्रहमान बिन ग़नम) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मिला और ये सब उनको बताया, तो उन्होंने कहा: हमने नबी (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में शिर्कत की, पस हमें बकरियाँ मिलीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ को हममें तक़सीम कर दिया (खाने के लिये) और बाक़ी को माले ग़नीमत में शामिल कर लिया।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/60.

फ़ायदा : मतऊमात (खाने पीने की चीज़ों) में से जो इस्तेमाल हो जाये उसे इस्तेमाल कर लिया जाये और बक़िया को बतौर ग़नीमत जमा रखा जाये ताकि बाद में ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकाल कर हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम किया जा सके, इसे फ़रोख़्त न किया जाये। हाँ हर शख़्स अपना हिस्सा वसूल कर लेने के बाद उसमें जो तसर्रूफ़ करे, उसका हक़ है।

(140)
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ

बाब : 140
(दौराने जिहाद) मुशतरका ग़नीमत में से इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करना

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتْقَنُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجَيْبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ،

(2708) हज़रत रूवैफ़ी बिन साबित अन्सारी(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है, उसे रवा नहीं कि मुसलमानों की ग़नीमत में से किसी जानवर पर सवारी करता रहे यहाँ तक कि जब उसे कमज़ोर कर डाले तो उसे

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ "

ग़नीमत में वापस कर दे। और जिसका अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है उसे जायज़ नहीं कि मुसलमानों की ग़नीमत में से कपड़ा पहने और जब उसे बोसीदा कर दे तो वह उसे इसमें वापस कर दे।'

(2708) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 2158, 2159 में देखें, मुसनद अहमद: 4/108, दारमी, हदीस़: 2480, 2491, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2722.

फ़ायदा : बिलाज़रूरते शरई मुश्तरका (तक्सीम न हुआ हो) कि ग़नीमत में से कुछ लेना नाजायज़ है। हाँ! अगर जिहादी ज़रूरत के पेशे नज़र सख़्त ज़रूरत हो तो ले सकता है। अमीर से इजाज़त ले और उसकी कमा हक़्क़हू हिफ़ाज़त करे और ज़रूरत पूरी होने पर बर वक़्त वापस कर दे, ज़ाया करके वापस देना जुर्म है। और मिल्ली अमानतों का यही हुक्म है।

﴿141﴾ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلاَحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ

बाब : 141 दौराने मअ़रका ग़ैर तक़सीम शुदा ग़नीमत के हथियारों से क़िताल करना जायज़ है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرَرْتُ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ

(2709) हज़रत अबू उ़बैदा अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि (ग़ज़्वा—ए—बद्र में) मैं अबू जहल के पास से गुज़रा। वह गिरा पड़ा था और उसकी टाँग पर ज़र्ब लगी थी। मैंने उससे कहा: ऐ अल्लाह के दुशमन! ऐ अबू जहल! (बिलआख़िर) अल्लाह ने (तुझ) कमीने को ज़लील कर ही दिया (इब्ने मस़ऊद (ﷺ) कहते हैं कि मुझे उस वक़्त उससे कोई ख़ौफ़ न था। तो उसने कहा:

قَدْ أَخْزَى اللَّهُ الأَخِرَ . قَالَ وَلاَ أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ . فَقَالَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ .

तअज्जुब (और हसरत) है इस आदमी पर कि इसकी अपनी ही क़ौम ने इसे क़त्ल कर दिया तो मैंने उसको अपनी तलवार से मारा जो कुन्दसी (जिसकी धार तेज़ न) थी और उसने कोई फ़ायदा न दिया। (उसे क़त्ल न कर सकी) लेकिन उसके हाथ से उसकी तलवार गिर गयी, तब मैंने उससे उसको मारा यहाँ तक कि ठण्डा हो गया।

(2709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/403, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8670, बुख़ारी, हदीस: 3961–3963, नसाई, हदीस: 6004, व मुस्लिम: 1800.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने काफ़िर ही की तलवार से फ़ायदा उठाते हुए उसे क़त्ल किया और ये इस्तेफ़ादा तक़सीम से पहले किया गया जो बिल्कुल बजा था। क़त्ले अबू जहल का मुख़्तसर बयान पीछे हदीस: 2680 में देखिए।

﴾142﴿ بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

बाब : 142 माले ग़नीमत में ख़्यानत और चोरी इन्तेहाई घिनौना अमल है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَلُّوا

(2710) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ज़ोहनी (ﷺ) का बयान है कि ख़ैबर के रोज़ अस्हाबे नबी(ﷺ) में से एक शख़्स वफ़ात पा गया। लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसकी ख़बर दी तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' इससे लोगों के चेहरे फ़क़ (उदास) हो गये। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे इस साथी ने अल्लाह की राह में होते हूए ख़्यानत (या चोरी) की है।' हमने इसके

عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

सामान की तलाशी ली तो हमें इसमें ऐसे मूंगे मिले जो यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे (शायद उनकी औरतें इस्तेमाल करती हों) इनकी क़ीमत दो दिरहम भी न थी।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1961, इब्ने माजा, हदीस़: 2848, इब्ने अल जारूद, हदीस़: 1081, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 4833, हाकिम: 2/127.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ يَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا إِلاَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالأَمْوَالَ - قَالَ - فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ وَادِي الْقُرَى وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِوَادِي الْقُرَى فَبَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا " . فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ

(2711) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि हम ख़ैबर के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रवाना हूए तो हमें सोने चाँदी की बजाये आम कपड़े और दीगर माल व मताअ ग़नीमत में हासिल हूआ। फिर आप (ﷺ) वादी अलक़ुरा की तरफ़ रवाना हो गये। आपको एक ग़ुलाम हदिया किया गया था जिसका नाम मिदअम था। जब हम वादी अलक़ुरा पहुँचे और मिदअम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँट से पालान उतार रहा था कि उसे एक तीर आन लगा जिससे वह क़त्ल हो गया। लोगों ने कहा: इसे जन्नत मुबारक हो (कि इसे दौराने जिहाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत करते हूए मौत आयी है) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हरगिज़ नहीं, क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा वह चादर जो उसने ख़ैबर के रोज़ तक़सीम से पहले ग़नीमत में से उठायी थी वह उस पर आग बनकर भड़क रही है।' लोगों ने जब ये सुना तो कोई एक तस्मा ले आया तो कोई दो तस्मे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के हवाले कर दिये।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ " . أَوْ قَالَ " شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " .

पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक तस्मा आग का था।' या फ़रमाया' दो तस्मे आग के थे।'

(2711) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6707, मौता: 2/459, व मुस्लिम: 115.

फ़ायदा : मिल्ली अमानतों का मामला इन्तेहाई सख़्त है, बिला इजाज़त अमीर या बिला इस्तेहक़ाक़ कोई मामूली चीज़ भी उठा लेना, बहुत बड़े इक़ाब (अज़ाब) का बाइस है।

(143) باب فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلاَ يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

बाब : 143 जब ख़्यानत का माल मामूली हो तो इमाम चोर को छोड़ दे और उसके सामान को न जलाये

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ . فَقَالَ " أَسَمِعْتَ

(2712) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब ग़नीमत हासिल होती तो बिलाल को हुक्म देते और वह ऐलान करते और लोग अपनी अपनी ग़नीमतें ले आते। फिर आप उसमें से ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकालते और फिर तक़सीम कर देते। एक बार एक आदमी इसी ऐलान और तक़सीम के बाद बालों से बनी हूई एक लगाम ले आया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये हमें ग़नीमत में मिली थी। आपने उससे पूछा: 'क्या तूने बिलाल को मुनादी करते सुना था?' आपने तीन बार पूछा। तो उसने कहा: हाँ। आपने कहा: 'तो (उस वक़्त) तुझे ये ले आने से क्या रूकावट

بِلاَلاً يُنَادِي " . ثَلاَثًا . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ" . فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ " .

थी?' 'उसने उज़्र मअज़रत की मगर आपने फ़रमाया: 'अब इसे अपने पास रखो, क़यामत के दिन ले आना, मैं इसे तुझसे हरगिज़ क़बूल नहीं करता।'

(2712) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/102, मुसनद अहमद: 2/213.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम मामलात में नबी (ﷺ) इन्तेहाई मेहरबान और नर्म दिल थे मगर हुदूदुल्लाह और हुक़ूक़ुल इबाद के मामले में इन्तेहाई सख़्त थे। **(2)** दुनिया की सज़ा जितनी भी हो, आख़िरत के अज़ाब के मुक़ाबले में थोड़ी, हल्की और ख़त्म होने वाली होती है। और आख़िरत का अज़ाब नाक़ाबिले बयान हद तक सख़्त है। **(3)** नबी (ﷺ) का क़बूल करने से इन्कार करने से मक़सद इस जुर्म की शनाअत व क़बाहत को वाज़ेह करना था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी तौबा ग़ैर मक़्बूल थी या इस माल को उसके मुस्तहेक़ीन में पहुँचाना नामुमकिन था। और कुछ ने इसकी तौजीह (व्याख्या) इस तरह की है कि इस माले ग़नीमत में तमाम मुजाहिदीन का हिस्सा था और वह सब अलग–अलग हो चुके थे, इसमें से हर एक को उसका हिस्सा पहुँचाना नामुमकिन था। इसलिए इस हिस्से को उसके पास ही रहने दिया गया ताकि उसका वबाल उसी पर पड़े और वही इसकी सज़ा भुगते। इसमें भी गोया सख़्त धमकी का पहलू है। (औनुल माबूद)

(144) بَابٌ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ

बाब : 144 ग़नीमत में ख़्यानत करने वाले की सज़ा का बयान

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - قَالَ النُّفَيْلِيُّ الأَنْدَرَاوَرْدِيُّ - عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ - قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ

(2713) सालेह बिन मुहम्मद बिन ज़ाइदा कहते हैं कि मैं मसलमा बिन अब्दुल मालिक की मईयत (साथ) में रूमी इलाक़े में गया तो एक आदमी लाया गया जिसने ग़नीमत में ख़्यानत की थी। उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से इसके मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने अपने वालिद से सुना वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से

वह नबी (ﷺ) से बयान करते थे, आपने फ़रमाया: 'जब तुम किसी को पाओ कि उसने ग़नीमत में ख़्यानत की हो तो उसका माल व असबाब जला डालो और उसे मारो।' कहते हैं कि फिर हमने उसके सामान में क़ुर्आन मजीद का एक नुस्ख़ा पाया। मसलमा ने उसके बारे में जनाब सालिम से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: उसे फ़रोख़्त करो और उसकी क़ीमत सदक़ा कर दो।

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ " . قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ .

(2713) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1461, सुनन सईद बिन मन्सूर: 9/103.

(2714) सालेह बिन मुहम्मद कहते हैं कि हमने वलीद बिन हिशाम की मईयत (साथ) में जिहाद किया और हमारे साथ जनाब सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) भी थे। एक शख़्स ने ग़नीमत में कुछ ख़्यानत कर ली। पस वलीद ने उसके असबाब के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे जला दिया गया, फिर उसे लश्कर में घुमाया गया और ग़नीमत के हिस्से से भी उसे महरूम कर दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं : ये (मौक़ूफ़) रिवायत पहली की निस्बत ज़्यादा सही है। कई एक ने रिवायत किया है कि वलीद बिन हिशाम ने ज़ियाद बिन सअ़द का असबाब जला दिया था क्योंकि उसने ग़नीमत में ख़्यानत की थी और उसे मारा भी था।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ وَطِيفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَّقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ - وَكَانَ قَدْ غَلَّ - وَضَرَبَهُ

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/103.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ مَنَعَ سَهْمَهُ .

(2715) अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत अबूबक्र (ﷺ) और हज़रत उमर (ﷺ) ने ग़नीमत में ख़्यानत करने वाले का माल जलाया और उसे मारा पीटा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अ़ली बिन बहर ने बवास्ता वलीद मज़ीद कहा है: उन्होंने उसे उसके ग़नीमत के हिस्से से महरूम रखा मगर मैं (अबू दाऊद) ने इससे ये नहीं सुना है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और हमें ये रिवायत वलीद बिन उ़तबा और अ़ब्दुल वह्हाब बिन नज्दा ने बसनद वलीद, ज़ुहैर बिन मुहम्मद, अ़म्र बिन शुऐब का अपना क़ौल बताया। और अ़ब्दुल वह्हाब बिन नजदा हौती ने ग़नीमत का हिस्सा न देने का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/102.

फ़ायदा : इस बाब में कोई मरफ़ूअ़ हदीस़ स़ाबित नहीं है। जनाब सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर का क़ौल भी सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए ये मामला अमीरूल मुजाहिदीन की स़वाबदीद पर मौक़ूफ़ है कि वह ग़नीमत में ख़्यानत करने वाले को जिस्मानी सज़ा दे, या उसको उसके माल से महरूम कर दे या कोई और सज़ा तजवीज़ करे, लेकिन सामान जलाने से गुरेज़ करे, क्योंकि इसकी बाबत मरफ़ूअ़ और मौक़ूफ़ कोई भी रिवायत स़ही नहीं।

बाब : 145
(माले ग़नीमत के) ख़यानत करने वाले की ख़्यानत पर परदा डालना मना है

﴿145﴾ باب النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ، عَلَى مَنْ غَلَّ

(2716) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) ने (ख़ुत्बे में बयान किया) अम्माबाद! और रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'जिसने ग़नीमत में किसी ख़ाइन की ख़्यानत पर परदा डाला तो वह भी उसी ख़ाइन की तरह है।'

(2716) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 975 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ كَتَمَ غَالاًّ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ " .

फ़ायदा : ये हदीस़ भले ज़ईफ़ है, लेकिन मानी के हिसाब से स़ही है। यानी ये बात, जो इसमें की गयी है, वह दूसरे दलाइल की रू से स़ही है।

बाब : 146
काफ़िर मक़्तूल का माल उसके क़ातिल को दिया जाये

﴿146﴾ باب فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

(2717) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में हुनैन की तरफ़ रवाना हूए। जब हम कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में आये, तो मुसलमानों में बहुत अफ़रा तफ़री मची। मैंने एक काफ़िर को देखा कि वह एक मुसलमान पर चढ़ाई

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَامِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ - قَالَ - فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ - فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " . قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ " . قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لاَهَا اللَّهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ

कर रहा था। मैं घूमकर उसके पीछे से आया और उसकी गर्दन के पास तलवार मारी, तो वह मेरी तरफ़ आया और मुझे (पकड़ कर) इस क़द्र भींजा कि मैंने उससे मौत की बू पायी। फिर उसे मौत आ गयी और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मिला और उनसे कहा: लोगों को क्या हो गया है? (कि भाग खड़े हूए हैं) उन्होंने कहा: बस ये अल्लाह का करना है। फिर लोग लौट आये। रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे और फ़रमाया: 'जिसने किसी को क़त्ल किया हो और उसका गवाह भी हो तो मक़्तूल का असबाब (माल) उसी का है।' (अबू क़तादा) कहते हैं: मैं खड़ा हूआ और कहा: कोई है जो मेरी गवाही दे? फिर मैं बैठ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूसरी बार यही बात फ़रमायी कि 'जिसने किसी को क़त्ल किया हो और उसका गवाह भी हो तो उसका असबाब (माल) उसी का है।' कहते हैं कि मैं फिर उठा और कहा: मेरे मुताल्लिक़ गवाही कौन देता है? फिर मैं बैठ गया। आपने तीसरी बार फ़रमाया, तो मैं खड़ा हूआ, पस नबी (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अबू क़तादा! क्या बात है?' मैंने अपना क़िस्सा बयान किया। तो जमाअत में से एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये सच कहता है और इस मक़्तूल का माल मेरे पास है। आप इसे इसके बारे में राज़ी फ़रमा दीजिए।

أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ .

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) ने कहा: नहीं, क़सम अल्लाह की! (ये नहीं हो सकता) कि वह (काफ़िर) अल्लाह के शेरों में से एक शेर का क़सद करे जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से लड़ रहा हो, और आप उसका सल्ब (असबाब) तुझे दे दें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(अबूबक्र ने) सच कहा। वह असबाब इसे दे दो।' अबू क़तादा बयान करते हैं: चूनांचे वह उसने मुझे दे दिया। फिर मैंने ज़िरह बेची तो उससे बनी सलमा में एक बाग़ ख़रीदा। और वह मेरी पहली जायदाद थी जो मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल की।

(2717) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2100, मौता: 2/454, 455, व मुस्लिम: 1751.

फ़ायदा : जो माल मक़्तूल के पास हो, उसका क़ातिल ही उसका हक़दार समझा जाता है। और उसे इस्तेलाहन 'सलबद्ध कहते हैं। यानी लिबास, सवारी और हथियार। पीछे उसके ठिकाने पर जो कुछ हो वह उसमें शामिल और शुमार नहीं होता। उसकी नक़दी और ज़ेवरात जो मख़्फ़ी होते हैं उनके बारे में इख़्तिलाफ़ है। (नैलुल अवतार: 7/305)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ - " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ " . فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا

(2718) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुनैन वाले दिन फ़रमाया था: 'जिसने किसी काफ़िर को क़त्ल किया हो तो उसका सलब (असबाब) उसी क़ातिल का है।' चूनांचे अबू तलहा (ﷺ) ने उसी दिन बीस आदमियों को क़त्ल किया और उनका सलब भी हासिल किया। अबू तलहा(ﷺ) (अपनी बीवी) उम्मे सुलैम से मिले जबकि उन (उम्मे

خِنْجَرٌ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ قَالَتْ أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ . فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ وَكَانَ سِلاَحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ

सुलेम) के पास एक ख़न्जर था, तो पूछा: ऐ उम्मे सुलैम! ये तेरे पास क्या है? कहने लगीं: अल्लाह की क़सम! मेरा इरादा ये है कि इन काफ़िरों में से कोई मेरे क़रीब आया तो मैं इससे उसका पेट चीर दूंगी। फिर अबू तलहा ने ये बात रसूल (ﷺ) को भी बतायी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये हदीस़ हसन है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और इस हदीस़ के बयान से हमारा मक़सद ख़न्जर के मुताल्लिक़ बताना है (कि बतौर अस्लहा उसका इस्तेमाल जायज़ है) कि उन दिनों अजमी लोग ही इसे इस्तेमाल करते थे।

(2718) तख़रीज : मुस्लिम: 1809.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ज़्व–ए–हुनैन में इब्तेदाई तौर पर मुसलमानों को कुछ हज़ीमत (शिकस्त) हूई थी मगर बाद में उन्होंने अपनी क़ूव्वत जमा कर ली और अल्लाह तआला ने नुसरत (मदद) फ़रमायी। सूरह तौबा में इसका ज़िक्र मौजूद है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत से मक़ामात पर तुम्हारी मदद कर चुका है और (याद करो) हुनैन के रोज़ को, जब तुम अपनी कसरत (बहुत ज़्यादा तादाद) पर नाज़ां हूए मगर वह तुम्हारे कुछ काम न आयी और ज़मीन बावजूद फ़राख़ी के तुम पर तंग हो गयी थी और तुम पीठ फेरकर पीछे हट गये थे।' (अत्तौबा: 25) **(2)** मक़्तूल के पास जो ज़ाती इस्तेमाल का माल हो वह उसके क़ातिल मुजाहिद का हक़ होता है ख़्वाह किसी क़द्र हो, नीज़ इसमें से ख़ुमुस भी नहीं लिया जाता। **(3)** हर दौर में वक़्त के हिसाब से हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। **(4)** मुसलमान औरतों को भी दिफ़ा के लिये तैयार रहना चाहिए ताकि हस्बे ज़रूरत वह अपना दिफ़ा कर सकें।

बाब : 147
इमाम अगर मुनासिब समझे तो क़ातिल को मक़्तूल के कुछ (सलब) से महरूम कर सकता है। और ये बयान कि घोड़ा और हथियार 'सलब' में शुमार होगा

﴿147﴾
باب فِي الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلاَحُ مِنَ السَّلَبِ

(2719) हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) के साथ ग़ज़्व–ए–मूता में रवाना हूआ। अहले यमन से जो कुमक हमें मिली उनमें से एक शख़्स मेरे साथ हो लिया, उसके पास सिवाए एक तलवार के और कुछ न था। मुसलमानों के एक आदमी ने ऊँट ज़बह किया, तो उस आदमी ने ज़बह करने वाले से खाल का एक हिस्सा माँगा जो उसने उसको दे दिया। पस उसने उसको ढाल की तरह बना लिया और फिर हम चलते रहे। हमें रूमी जमाअतों का मुक़ाबला करना पड़ा। उनमें एक आदमी अपने सुर्ख़ घोड़े पर सवार था जिसकी ज़ीन और हथियार सुनहरी थे। वह रूमी मुसलमानों पर बड़े सख़्त हमले कर रहा था। तो यमन की कुमक वाला ये आदमी एक चट्टान की औट में उस रूमी की ताक में बैठ गया। जब वह उसके पास से गुज़रा तो उस यमनी ने उसके घोड़े की टाँगें काट डालीं

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاَحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ

الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ قَالَ عَوْفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ . قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ " قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْثَرْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ " . قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ لَهُ دُونَكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

तो वह (रूमी) गिर पड़ा और ये (यमनी) ख़ूद उस आदमी पर चढ़ बैठा और उसे क़त्ल कर दिया और उसका घोड़ा और अस्लहा ले लिया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुसलमानों को फ़तह दी तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने उस यमनी को बुलवाया और उसके असबाब में से कुछ ले लिया। हज़रत औफ़ (ﷺ) कहते हैं कि मैं उनके पास गया और कहा: ऐ ख़ालिद! क्या आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला है कि सलब क़ातिल का होता है? उन्होंने कहा: हाँ। लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा समझता हूं। मैंने कहा:या तो आप इसे वापस कर दें वरना मैं आपकी ये बात नबी (ﷺ) को बताऊंगा, मगर उन्होंने उसको वापस करने से इंकार कर दिया। हज़रत औफ़ (ﷺ) कहते हैं: फिर हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के यहां जमा हूए, तो मैंने आपसे उस यमनी का क़िस्सा बयान किया और वह भी जो ख़ालिद (ﷺ) ने किया था। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़ालिद! इसकी क्या वजह थी जो तुमने किया?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उस सलब को बहुत ज़्यादा समझा था। आपने फ़रमाया: 'तुमने जो कुछ उससे लिया है वह उसको वापस कर दो।' औफ़ कहते हैं: मैंने ख़ालिद से कहा: ख़ालिद! का तब मैंने जो बात कहीं थी पूरी कर दी? नबी(ﷺ) ने पूछा: 'वह क्या बात

عليه وسلم " وَمَا ذَلِكَ " فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا خَالِدُ لاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي لَكُمْ صِفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ

है?' मैंने उन्हें बता दी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्सा हो गये और फ़रमाया: 'ख़ालिद! वह मत वापस करो, क्या तुम लोग मेरी ख़ातिर मेरे उमरा से कोई रिआयत नहीं कर सकते? (ये कैसे हो सकता है कि) उनके मामलात की उम्दगी और भलाई तो तुम्हारे लिये हो और उसकी ख़राबी के वह ही ज़िम्मेदार हों।'

(2719) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/27, 28, व मुस्लिम: 1753.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، نَحْوَهُ.

(2720) अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफ़ैर अपने वालिद से, वह हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई (ﷺ) से इस हदीस के मानिन्द रिवायत करते हैं।

(2720) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस 6/310, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : इन्तेज़ामी मामलात में अमीरे मुज्तहिद को किसी क़द्र तसर्रूफ़ का हक़ हासिल होता है और लोगों को मुनासिब नहीं कि हुक्काम व उमरा को हर मामले में तन्क़ीद की सान पर चढ़ाये रखें।

﴿148﴾ باب فِي السَّلَبِ لاَ يُخَمَّسُ

बाब : 148 सलब में से ख़ुमुस नहीं लिया जाता

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ،

(2721) हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई और ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलब के मुताल्लिक़ फ़ैसला फ़रमाया कि ये क़ातिल का हक़ है और इसमें से ख़ुमुस नहीं निकाला।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ .

(2721) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 4/90, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस़: 2698.

﴾149﴿ باب مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

बाब : 149 जो शदीद ज़ख़्मी को क़त्ल करे, उसे उसके सलब में से कुछ देना

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ نَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ .

(2722) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के रोज़ मुझे अबू जहल की तलवार इनायत फ़रमायी। उसका काम उन्होंने ही तमाम किया था।

(2722) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** हदीस़: 1244 में देखें।

फ़ायदा : अबू जहल को अफ़रा के बेटों मुआज़ और मुअव्विज़ और मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह ने ज़ख़्मी किया था। और हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने उसकी गर्दन काटी थी। (देखिए साबिक़ा हदीस़ : 2680)

﴾150﴿ باب فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لاَ سَهْمَ لَهُ

बाब : 150 जो शख़्स ग़नीमत की तक़सीम के बाद पहुँचे, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ

(2723) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हज़रत सईद बिन आ़स (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबान बिन सईद बिन

الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ فَقَالَ أَبَانُ اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبَانُ أَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اجْلِسْ يَا أَبَانُ " . وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

आ़स को मदीना मुनव्वरा से नज्द की जानिब एक जिहादी मुहिम पर रवाना किया। पस अबान बिन सईद और उसके साथी नबी (ﷺ) के पास ख़ैबर में पहुँचे जबकि आपने ख़ैबर को फ़तह कर लिया था। अबान बिन सईद और उनके साथियों के घोड़ों के तंग (ज़ीन कसने के चोड़े तस्मे, या लगाम) खजूर की छाल के थे। तो अबान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें भी इनायत फ़रमायें। हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्हें मत दीजिए। अबान बोले: उबले नुमा जानवर! तुम ये कह रहे हो और (कहां से) हमारे पास ज़ाल (पहाड़) की चोटी से उतर आये हो? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबान बैठ जाओ।' और नबी (ﷺ) ने उनको ग़नीमत में से कुछ न दिया।

(2723) तख़रीज : (सनद सहीह) बैहक़ी: 6/334, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2793, तालीके बुख़ारी, हदीस: 4238.

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَسَأَلَهُ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ الْقُرَشِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ

(2724) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं मदीने पहुँचा जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर में थे, जिस वक़्त कि आपने उसे फ़तह किया था। मैंने दरख़्वास्त की कि आप मुझे भी इनायत फ़रमायें। तो सईद बिन आ़स के बच्चों में से किसी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसे मत दीजिए। मैंने कहा: ये इब्ने क़ोक़ल (رضي الله عنه) का क़ातिल है। तो सईद बिन आ़स (رضي الله عنه) ने कहा: इस

سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَقُلْتُ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَالٍ يُعَيِّرُنِي بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَىَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَؤُلاَءِ كَانُوا نَحْوَ عَشَرَةٍ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَرَجَعَ مَنْ بَقِيَ .

उबले नुमा जानवर पर तअज्जुब है कि ज़ाल (पहाड़) की चोटी से हमारे पास उतर आया है और मुझे एक मुसलमान के क़त्ल पर आर दिलाता है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेरे हाथों इज्ज़त बख़्शी (उसे शहादत नसीब हुई) और मुझे उसके हाथों ज़लील नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये लोग तक़रीबन दस आदमी थे। इनमें से छः शहीद हो गये और बाक़ी वापस लौट आये।

(2724) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4237.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो लोग लड़ाई में किसी तरह शरीक न हों, उनका ग़नीमत में बाक़ायदा हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़रमाते हैं कि जो लोग ग़नीमत जमा कर लिये जाने के बाद लश्करे इस्लाम से जा मिलें और ग़नीमत तक़सीम न हूई हो तो उन्हें भी इसमें से हिस्सा मिलेगा। (2) इब्ने क़ोक़ल (नौमान बिन क़ोक़ल (ﷺ) अन्सारी सहाबी थे जो ग़ज़्वा उहुद में अबान बिन सईद के हाथों शहीद हूए थे जबकि अबान (ﷺ) हुदैबिया के बाद मुसलमान हूए हैं और ग़ज़्वा ख़ैबर हुदैबिया के बाद हूआ है। (3) पहली रिवायत में है कि अबान बिन सईद ने ग़नीमत का मुतालबा किया था तो अबू हुरैरह (ﷺ) ने इन्कार किया था और दूसरी में है कि अबू हुरैरह (ﷺ) ने सवाल किया तो अबान ने इन्कार किया। हाफ़िज़ मुन्ज़िरी ने बहवाला अबूबक्र अलख़तीब (रह.) दूसरी रिवायत को राजेह कहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ

(2725) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम लोग (हब्शा से) वापस आये (और ख़ैबर पहुँचे) जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर को फ़तह कर लिया था तो आपने हम लोगों को भी हिस्सा दिया ... या कहा कि आपने हमें भी इसमें से कुछ दिया ... हालांकि आपने फ़तहे ख़ैबर से ग़ायब रहने वालों में से किसी को भी कुछ न

لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ فَأَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ .

दिया था। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिया जो आपके साथ हाज़िर थे, मगर हम लोग जो कश्ती में सवार होकर आये थे। हज़रत जाफ़र (ﷺ) और उनके साथियों को दीगर मुजाहिदीन के साथ हिस्सा दिया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4233, व मुस्लिम: 2502.

फ़ायदा : ये अतिया या तो ख़ुमुस में से दिया गया था जिसके नबी (ﷺ) ख़ूद मुतसर्रिफ़ थे या दीगर मुजाहिदीन की रज़ामंदी से ग़नीमत में से दिया गया था ताकि उन मुजाहिदीन की दिलजोई हो। वल्लाहू आलम। (ख़त्ताबी)

حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ - يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ - فَقَالَ " إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ " . فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ .

(2726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बद्र वाले दिन खड़े हूए और फ़रमाया: 'उस्मान (ﷺ) अल्लाह के काम से और रसूलुल्लाह के काम से गये हैं और मैं उनकी बैअत ले रहा हूं।' फिर आप(ﷺ) ने ग़नीमत में से उनका हिस्सा निकाला, और उनके सिवा ग़ायब रहने वालों में से किसी को कुछ नहीं दिया।

तख़रीज : **(सनद हसन)** मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल: 4/135, अलफ़ुज़ारी, हदीस: 265, हाकिम: 3/98.

फ़ायदा : बद्र के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहिबज़ादी हज़रत उस्मान (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत रूक़य्या (ﷺ) बीमार थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ूद से उन्हें हज़रत रूक़य्या की ख़िदमत व तीमारदारी के लिये पाबन्द फ़रमाया था। और फिर वह इस बीमारी में वफ़ात पा गयी थीं। इस बुनियाद पर उन्हें ग़नीमत में से हिस्सा दिया गया था। अलबत्ता इसमें बैअत वाली बात रावी का वहम है, क्योंकि नबी (ﷺ) ने हज़रत उस्मान की तरफ़ से बैअत हुदैबिया के मौक़े पर ली थी। यहां रावी को वहम हूआ है और उसने उसे बद्र के वाक़िया में बयान कर दिया है। इस वाक़िया से साबित हूआ कि जो शख़्स मुजाहिदीन की कोई ज़िम्मेदारी अदा करने की वजह से क़िताल में शरीक न हो उसे भी ग़नीमत में से हिस्सा दिया जायेगा।

बाब : 151
औरत और गुलाम को ग़नीमत में से इनाम व इकराम दिया जाये

﴾151﴿
باب فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

(2727) यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया कि नज्दा (हरूरी, जो कि ख़्वारिज का सरदार था) ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को कई सवालात लिख कर भेजे। उनमें से एक ये था कि क्या गुलाम का ग़नीमत में कोई हिस्सा होता है? और औरतों के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जिहाद में जाया करती थीं? और क्या ग़नीमत में उनका कोई हिस्सा है या नहीं? हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: अगर मुझे ये अन्देशा न होता कि ये कोई हिमाक़त करेगा तो मैं उसे जवाब न देता। (आपने लिखा कि) गुलाम को इनाम दिया जाता था, और औरतें ज़ख़्मियों का इलाज मुआलिजा किया करती थीं और पानी पिलाया करती थीं।

(2727) तख़रीज : मुस्लिम: 1812.

حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا، وَكَذَا، وَذَكَرَ، أَشْيَاءَ وَعَنِ الْمَمْلُوكِ، أَلَهُ فِي الْفَىْءِ شَىْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ .

(2728) यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया कि नज्दा हरूरी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को लिखा और पूछा कि क्या औरतें रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ जिहाद में जाया

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْوَهْبِيَّ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،

وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ قَالَ فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ

करती थीं? और क्या आप उन्हें ग़नीमत में से कोई हिस्सा इनायत फ़रमाते थे? यज़ीद बिन हुर्मुज़ कहते हैं: हज़रत इब्ने अ़ब्बास का जवाब नज्दा की तरफ़ मैंने तहरीर किया था कि औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जंग में शरीक होती थीं और ये कि उन्हें ग़नीमत में कोई हिस्सा दिया जाये ये नहीं होता था, ताहम इन्हें अतिया व इनाम ज़रूर दिया जाता था।

(2728) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरतों और दीगर ख़िदमतगारों के लिये ग़नीमत में बाक़ायदा हिस्सा नहीं है मगर उनकी ख़िदमत की मुनासिबत से माकूल इनाम व इकराम ज़रूर दिया जाये। **(2)** इससे ये बात वाज़ेह हुई कि औरतों ने एक फ़ौजी और मुजाहिद की हैसियत से शिर्कत नहीं की थी अगर ऐसा होता तो उन्हें ग़नीमत में से पूरा हिस्सा दिया जाता। उनकी हैसियत ख़िदमतगार की सी थी और वह भी पसे परदा रहकर। **(3)** इससे ज़िन्दगी के हर शोअ़बे में मर्दो-औरत की मग़रिबी मसावात का हरगिज़ इस्बात नहीं होता जैसा कि कुछ मग़रिब ज़दा हज़रात करते हैं।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ " مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ "

(2729) हज़रत हशरज बिन ज़ियाद अपनी दादी (उम्मे ज़ियाद अश्जइया (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए- ख़ैबर में शरीक हुई थीं और वह छः में से छट्ठी औरत थी, कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर हुई तो आपने हमें बुलवा भेजा। हम हाज़िरे ख़िदमत हुयीं तो हमने आपको गुस्से में देखा। फ़रमाया: 'तुम किसके साथ और किसकी इजाज़त से आयी हो?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आयी हैं बाल बटती हैं, और इससे जिहाद में मदद करती हैं, हमारे पास ज़ख़्मियों के लिये

. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِي السَّوِيقَ فَقَالَ " قُمْنَ " حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ . قَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتْ تَمْرًا .

दवा दारू भी है, हम तीर इकट्ठा करके देती हैं और सत्तू पिलाती हैं। तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जाओ' (कोई बात नहीं) यहाँ तक कि जब अल्लाह ने आपके लिये ख़ैबर फ़तह कर दिया तो आपने हमें भी हिस्सा इनायत फ़रमाया जैसे कि मर्दों को दिया था। मैंने पूछा दादी अम्मा! वह क्या था? कहा: खजूर।

(2729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/271, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8879.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَىْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلَى نَفْسِهِ فَسُمِّيَ آبِي اللَّحْمِ.

(2730) हज़रत उमैर (رضي الله عنه) जो कि हज़रत आबिल्लहम (رضي الله عنه) के गुलाम थे, बयान करते हैं कि मैं अपने मालिकों के साथ ग़ज़्वा-ए-ख़ैबर में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) से बात की, तो आपने मेरे मुताल्लिक़ हुक्म दिया, मेरी गर्दन में एक तलवार लटका दी गयी, मैं उसे घसीटने लगा। फिर आपको बताया गया कि ये गुलाम है तो आपने मेरे मुताल्लिक़ फ़रमाया और मुझे घर के असबाब में से कुछ बतौर इनाम दिया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसके मानी ये हैं कि आपने ग़नीमत में से हिस्सा नहीं दिया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा है: अबू उबैद ने बयान किया कि रावी हदीस 'आबिल्लहम' की वजहे तस्मीया ये है कि उन्होंने गोश्त को अपने लिये हराम कर लिया था इसलिए उन्हें 'आबिल्लहम' कहा जाता था (गोश्त से इन्कार करने वाला)

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1557, इब्ने हिब्बान :1669, हाकिम: 2/131, मुसनद अहमद: 5/223.

फ़ायदा : उनका असल नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह बिन ग़िफ़ार है। (अलइसाबा)

(2731) हज़रत जाबिर (बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि मैं बद्र के रोज़ अपने अस्हाब के लिये कूएँ से पानी भरता रहा था। (कूएँ में उतर कर हाथों से डोल भरता था क्योंकि नीचे पानी कम था।)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ .

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/31.

फ़ायदा : ग़ालिबन इन्हें इस ख़िदमत पर इनाम दिया गया। वल्लाहु आलम!

बाब : 152
क्या मुश्रिक का ग़नीमत में कोई हिस्सा है?

﴿152﴾
بَابٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

(2732) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मुश्रिकीन में से एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिला, ताकि आपके साथ मिलकर (मुश्रिकीन से) क़िताल करे। आपने फ़रमाया: 'वापस चले जाओ' (ये अल्फ़ाज़ यहया बिन मईन के हैं। इसके बाद मुसद्दद और यहया दोनों बाइत्तफ़ाक़ कहते हैं कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम मुश्रिकीन से मदद नहीं लेते।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ يَحْيَى أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ " ارْجِعْ " . ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ " إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ " .

(2732) तख़रीज : मुस्लिम: 1817.

फ़ायदा : जब मुश्रिकीन से मदद नहीं ली जाती तो ग़नीमत में उनका हिस्सा होने के भी कोई मानी नहीं। और इस्लामी सियासत का बुनियादी उसूल व क़ायदा यही है कि मुश्रिकीन से मदद न ली जाये। मगर हस्बे अहवाल व मसलिहत अगर कहीं इज़्तिरारी कैफ़ियत हो तो ब'मुक़ाबल-ए-कुफ्फ़ार मदद ली जा सकती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं। जैसे कि सफ़रे हिजरत में रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन उरीक़त लैसी की रहनुमाई में अपना सफ़र मुकम्मल फ़रमाया था। ये मुश्रिक था मगर क़ाबिले ऐतमाद था। ऐसी कोई सूरत हो तो कुछ इनाम वग़ैरह दिया जा सकता है। वल्लाहू आलम! देखिए: (नैलुल अवतार: 7/254)

बाब : 153
घोड़ों के हिस्सों का बयान

﴾153﴿
باب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुजाहिद और उसके घोड़े के लिये तीन हिस्से मुक़र्रर फ़रमाये थे। एक हिस्सा मुजाहिद का और दो हिस्से उसके घोड़े के।

(2733) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2863, मुसनद अहमद: 2/41, व मुस्लिम: 1762.

फ़ायदा : जिहाद में पैदल जिहाद करने वाले के मुक़ाबले में घूड़ सवार की कारकरदगी उमूमन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ग़नीमत में घोड़े का भी हिस्सा रखा गया है। इस ज़माने में टैंकों, लड़ाका तय्यारों और दीगर सवारियों का भी यही हुक्म होगा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ

(2734) हज़रत अबू अमरह अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए हम चार आदमी थे और हमारे पास घोड़ा था तो आपने हममें से हर एक को एक एक हिस्सा और घोड़े को दो हिस्सा इनायत फ़रमाये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/138.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ . زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ .

(2735) (जनाब मुसद्दद की सनद से है कि) अबू अमरह ने ऊपर की हदीस के हम मानी बयान किया मगर इस रिवायत में है कि हम तीन अश्ख़ास आये और आपने घूड़ सवार को तीन हिस्से इनायत फ़रमाये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : 154
उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि घोड़े का भी एक ही हिस्सा है

﴾154﴿
باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ، يَذْكُرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الأَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا } فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتْحٌ هُوَ قَالَ " نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ " . فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

(2736) हज़रत मुजम्मिअ बिन जारिया अन्सारी(ﷺ) से रिवायत है ... और ये ऐसे क़ारी थे जिन्होंने पूरा क़ुर्आन पढ़ा था, (हिफ़्ज़ किया था) ... वह बयान करते हैं: हम हुदैबिया में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हाज़िर थे जब हम वहां से वापस होने लगे तो देखा कि लोग अपने ऊँटों को तेज़ भगा रहे हैं, लोगों ने एक दूसरे से पूछा: क्या बात है? उन्होंने कहा: रसूल (ﷺ) पर वहि नाज़िल हुई है, तो हम भी लोगों के साथ ऊँट दौड़ाते हूए निकले। हमने कुराअ अलग़मीम मुक़ाम पर देखा कि नबी (ﷺ) अपनी सवारी पर रूके हूए हैं। जब लोग आपके पास जमा हो गये तो आपने सूरह फ़तह की आयत तिलावत फ़रमायी: (इन्ना फतहना लका फतहम्मुबीना) 'बिलाशुब्हा हमने आपको वाज़ेह फ़तह दी है।' एक शख़्स ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये फ़तह है? फ़रमाया: 'हाँ, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! बिलाशुब्हा ये फ़तह है।' चूनांचे (बाद में) खैबर की ग़नीमतें अहले हुदैबिया ही पर तक़सीम की

فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَأَرَى الْوَهَمَ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلاثُمِائَةِ فَارِسٍ وَكَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ

गयीं। आपने उनके अठारह हिस्से बनाये और लश्कर वालों की तादाद पन्द्रह सौ थीं जिनमें तीन सौ घूड़ सवार थे। पस आपने घूड़ सवार को दो हिस्से और पैदल को एक हिस्सा इनायत फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू मुआविया की हदीस ज़्यादा सही है और उसी पर अमल है। (हदीस: 2733) और मुजम्मिअ की रिवायत में वहम है कि ये घूड़ सवार तीन सौ बताते हैं हालांकि वह दो सौ थे।

(2736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/420, हाकिम: 2/131.

तौज़ीह : ख़ैबर के ग़नीमतों के अठारह हिस्से यूँ बनते हैं कि अगर मुजाहिदीन की तादाद पन्द्रह सौ और उनमें घूड़ सवार तीन सौ हों और हर घोड़े का एक हिस्सा शुमार किया जाये तो ये कुल तादाद अठारह सौ हूई, चूनांचे हर हिस्सा एक सौ के लिये हूआ और घोड़े के लिये भी एक ही हिस्सा दिया गया। मगर ये बात सही तर रिवायत के ख़िलाफ़ है। इस ऐतबार से ये हदीस ज़ईफ़ है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा है। सही ये है कि मुजाहिदीन की तादाद चौदह सौ और उनमें घूड़सवार दो सौ थे। घोड़े के लिये दो हिस्से थे। इस तरह कुल हिस्से जिनमें ये ग़नीमतें तक़सीम हूईं, अठारह सौ बने हर एक सौ के लिये एक हिस्सा था और कुल हिस्से अठारह बनाये गये।

﴾155﴿ بابٌ فِي النَّفْلِ

बाब : 155
(ग़नीमत के अलावा) इज़ाफ़ी इनाम देने का बयान

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ

(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के दिन फ़रमाया: 'जिसने ऐसे ऐसे किया उसे इतना इतना इनाम (नफ़्ल) मिलेगा।' चूनांचे नौजवान आगे बढ़े और बड़ी उमर के लोग

بَدْرٍ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا " قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فَلاَ تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ } إِلَى قَوْلِهِ { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ .

निशानात (या झण्डों) के पास रूके रहे। जब अल्लाह तआला ने उनको फ़तह दी तो बुज़ूर्गों ने कहा: हम तुम्हारा सहारा थे अगर तुम्हें शिकस्त होती तो तुम लोग हमारे ही पास लौट के आते, सारी ग़नीमतें तुम ही न समेट ले जाओ कि हमें कुछ न मिले मगर जवानों ने इन्कार किया और कहने लगे: ये तो वह चीज़ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे लिये मख़सूस फ़रमायी है। तब अल्लाह तआला ने सूरह अन्फ़ाल की आयत नाज़िल फ़रमायी: (यस्अलूनका अ़निल अन्फ़ाल कुल्लि अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल) से लेकर : (व इन्ना फ़रीकम मिनल मूमिनीन लकारिहून) चूनांचे ये सब उनके लिये बेहतर हूआ और ऐसे फ़रमाया कि मेरी इताअ़त करो, बेशक इसके अंजाम को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं।

(2737) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 1197, हाकिम, हदीस़: 2/131, 132, 326, 327.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह अन्फ़ाल की इब्तेदाई पाँच आयतों का तर्जुमा ये है: 'ये लोग आपसे ग़नीमतों के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, कह दीजिए कि ग़नीमतों का मालिक अल्लाह है और उसका रसूल, सो तुम अल्लाह का तक़्वा इख़्तियार करो और आपस में सुलह से रहो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त करो अगर तुम (वाक़ेई) मोमिन हो। ईमान वाले तो वह हैं कि जब अल्लाह का नाम आये तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वह अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वह जो नमाज़ क़ायम करते हैं और जो हमने उनको दिया है उससे ख़र्च करते हैं। यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, उनके लिये अपने रब के पास दर्जात हैं और मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। जैसे कि आपको आपके रब ने आप के घर से हक़ के साथ निकाला जबकि मोमिनों में से एक जमाअ़त राज़ी न थीं।' **(2)** जिहाद और दीगर आ़माले ख़ैर में लोगों को शौक़ दिलाने, उनकी हौसला अफ़ज़ाई और मज़ीद सबक़त के लिये इनामात देना मसनून व मुस्तहब है मगर उन पर वाजिब है कि अपनी नियतों को दुनिया के कि माल व मताअ़ तक महुदूद न रखें।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا " ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ .

(2738) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के दिन फ़रमाया: 'जिसने किसी को क़त्ल किया तो उसके लिये इतना इतना इनाम है और जो किसी को पकड़ कर क़ैद कर ले तो उसके लिये इतना इतना है।' फिर ऊपर की हदीस़ की मानिन्द बयान किया और ख़ालिद की हदीस़ ज़्यादा कामिल है।

(2738) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 6/315, 316, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوَاءِ . وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ .

(2739) (हारून बिन मुहम्मद बिन बकार की सनद से मरवी है) और दाऊद बिन अबी हिन्द ने ये हदीस़ अपनी सनद से रिवायत की है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़नीमत को बराबर बराबर तक़सीम किया। और ख़ालिद की रिवायत ज़्यादा कामिल है। (ऊपर की हदीस़: 2737)

(2739) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस़: 3/136, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَهَبْ لِي

(2740) हज़रत मुस़अ़ब बिन सअ़द अपने वालिद (हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि बद्र के रोज़ मैं एक तलवार लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआ़ला ने आज दुशमन के मुक़ाबले में मेरा सीना ठण्डा कर दिया है, तो आप ये तलवार मुझे इनायत फ़रमा दीजिए।

هَذَا السَّيْفَ . قَالَ " إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ " فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلاَئِي . فَبَيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ أَجِبْ . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلاَمِي فَجِئْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلاَ لَكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ ثُمَّ قَرَأَ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ النَّفْلَ .

आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तलवार न मेरी है और न तेरी' चूनांचे मैं चला और मैं कह रहा था: ये आज उस आदमी को दे दी जायेगी जिसने मेरे जैसी बहादुरी नहीं दिखायी होगी। मैं इसी कैफ़ियत में था कि एक बुलाने वाला मेरे पास आया और कहा कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां) पहुँचो। मैंने गुमान किया कि मैंने जो बोल बोले हैं उनकी बिना पर मेरे बारे में कोई वहि नाज़िल हुई होगी। चूनांचे मैं आया तो नबी (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'तूने मुझसे तलवार माँगी थी, हालांकि ये न मेरी है न तेरी और (अब) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसे मुझे दे दिया है, सो (अब) ये तेरी है।' फिर आपने सूरह अन्फ़ाल की ये आयत तिलावत फ़रमायी: (यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल कुलिल अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल) आख़िर आयत तक।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की क़िराअत में है: 'यस्अलूनकन्नफ़्ल' (बग़ैर अन के और मुफ़रद सैग़ा के साथ)

(2740) तख़रीज : तिर्मिज़ी, हदीस: 3079, व मुस्लिम: 1748.

फ़ायदा : मअरूफ़ क़िराअत में (यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल) के मानी हैं 'लोग आपसे ग़नीमतों का हुक्म पूछते हैं।' और हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की क़िराअत: यस्अलूनकन्नफ़्ल' का तर्जुमा है 'लोग आपसे 'नफ़्ल' का सवाल करते हैं।' (मज़ीद इज़ाफ़ी इनाम का)

बाब : 156
लश्कर के एक दस्ते को इज़ाफ़ी इनाम देना जिसने बड़े लश्कर से अलग कोई मुहिम सर की हो

﴿156﴾ باب فِي نَفْلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ - الْمَعْنَى، - كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ .

(2741) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक लश्कर में नज्द की तरफ़ रवाना किया और उसमें से एक दस्ता दुशमन के मुक़ाबले में गया। चूनांचे लश्कर वालों को बारह बारह ऊँट मिले लेकिन इस दस्ते में शरीक मुजाहिदों को एक एक ऊँट मज़ीद दिया गया, इस तरह उनका हिस्सा तेरह तेरह ऊँट हो गया।

(2741) तख़रीज : (सनद सही) हदीस आगे आ रही है: 2744, इब्ने अब्दुल बर, तमहीद: 14/38, 39, इब्ने जारूद, हदीस: 1074.

फ़ायदा : लश्कर में से कोई दस्ता जब कोई ख़ास कार्रवाई करे तो उसके मुनासिबत से उसे इज़ाफ़ी इनाम देना मुस्तहब है। जबकि आम ग़नीमत में सभी शरीक होंगे।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا

(2742) वलीद बिन उतबा दमिश्क़ी कहते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम ने कहा: मैंने इब्ने मुबारक से ये हदीस बयान की। मैंने कहा: हमें इब्ने अबी फ़रवह ने भी नाफ़ेअ से ये रिवायत बयान की है। इब्ने मुबारक ने कहा:

ये लोग, जिनका तुमने नाम लिया है, मालिक बिन अनस के बराबर नहीं हो सकते। (इमाम मालिक (रह.) की रिवायत राजेह है)
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।.

ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ لاَ تَعْدِلْ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ.

(2743) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दस्ता नज्द की जानिब रवाना किया, मैं भी उनके साथ था। हमें बहुत से जानवर हाथ आये तो हमारे अमीर ने हममें से हर हर शख़्स को एक एक ऊँट बतौर नफ़्ल दिया। फिर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचे और आपने हममें हमारी ग़नीमतें तक़सीम कीं तो हममें से हर हर शख़्स को ख़ुमुस निकालने के बाद बारह बारह ऊँट मिले और हमारे अमीर ने जो हमें दिया था उसका रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई मुहासबा न फ़रमाया और न उसकी कार्रवाई पर कोई ऐब लगाया, इस तरह हमें नफ़्ल समैत तेरह तेरह ऊँट मिले।
(2743) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/356.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِيَّ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ

(2744) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दस्ता नज्द की तरफ़ रवाना फ़रमाया जिस में अब्दुल्लाह बिन उमर भी शामिल थे। तो उन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ऊँट हासिल हूए। चूनांचे लश्कर के मुजाहिदीन का हिस्सा बारह बारह ऊँट हूआ और एक एक ऊँट बतौर नफ़्ल मज़ीद दिये गये। इब्ने मौहब ने मज़ीद कहा कि (अमीर की तक़सीम में)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، - الْمَعْنَى - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَتْ

سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا . زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई तब्दीली न फ़रमायी।

(2744) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1749, मौता: 2/450, हदीस: 1000.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا . لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

(2745) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक दस्ते में रवाना किया तो हमारे हिस्से में बारह बारह ऊँट आये। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक एक ऊँट मज़ीद बतौर नफ़्ल इनायत फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को बुर्द बिन सिनान ने बवास्ता नाफ़ेअ, उ़बैदुल्लाह की हदीस की मानिन्द रिवायत किया है। और अय्यूब ने भी नाफ़ेअ से इसी तरह रिवायत किया है मगर इस रिवायत में है कि 'हमें एक एक ऊँट बतौर नफ़्ल दिया गया।' इसमें नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं है।

(2745) तख़रीज : मुस्लिम: 1749.

फ़ायदा : ऊपर की अहादीस में जमा व तत्बीक़ (सॉल्युशन) यही है कि अमीर ने जो इनाम दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसकी तौसीक़ फ़रमायी जिसको बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया, जो सही है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ

(2746) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (बड़े लश्कर में से) जब छोटे दस्तों को भेजते तो उन लोगों को आ़म लश्कर में तक़सीम होने वाली ग़नीमत के अ़लावा ख़ास नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) भी दिया करते थे। और ख़ुमुस मजमूई ग़नीमत में से निकालना वाजिब है।

بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلَ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ .

(2746) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3135, व मुस्लिम: 1750.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُيَيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلاَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ " . فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا

(2747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बद्र के रोज़ तीन सौ पन्द्रह अश्ख़ास को लेकर रवाना हूए। आपने दुआ फ़रमायी: 'ऐ अल्लाह! ये लोग पैदल हैं, इन्हें सवारियाँ दे, ऐ अल्लाह! ये लोग बे लिबास हैं, इन्हें लिबास इनायत फ़रमा, ऐ अल्लाह! भूखे हैं इन्हें सैर फ़रमा।' चूनांचे अल्लाह तआला ने आपको बद्र में फ़तह इनायत फ़रमायी। पस जब ये लोग वापस हूए तो इनमें से हर एक के पास एक एक या दो दो ऊँट थे, इन्हें कपड़े भी मिले और तआम से भी सैर हूए।

तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/132, 133.

﴾157﴿ باب فِيمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ

बाब : 157
इस मसले की दलील कि ख़ुमुस पहले निकाला जाये और इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये जायें

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ

(2748) हज़रत हबीब बिन मसलमा फ़ेहरी(رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (ग़नीमत में से) पाँचवां हिस्सा निकालने के बाद तीसरा हिस्सा नफ़्ल यानी इज़ाफ़ी इनाम के तौर पर तक़सीम करते थे।

حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .

(2748) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2801, हाकिम: 2/133.

फ़ायदा : कुफ्फ़ार से मुक़ाबले में हासिल होने वाले माल व असबाब को 'ग़नीमत' कहा जाता है। इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह के नाम का होता है जिसे अरबी में 'ख़ुमुस' कहते हैं। रसूल (ﷺ) ये हिस्सा अपनी सवाबदीद पर पाँच जगह ख़र्च कर सकते थे। इस मसले का ज़िक्र दसवें पारे की इब्तेदा में हूआ है। 'ये जान लो कि तुम्हें जो कुछ भी ग़नीमत मिले इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह का है, और रसूल का है, और क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का है।' (अलअनफ़ाल: 41) बक़िया ग़नीमत को मुजाहिदीन में तक़सीम किया जाता है। पैदल को एक हिस्सा और सवार को मज़ीद दो हिस्से मिलते हैं। और काफ़िरों से बग़ैर लड़े भिड़े हासिल होने वाले माल को 'फ़ै' से ताबीर किया जाता है और उसका हिसाब भी तक़रीबन यही है। (देखिए सूरह अल हश्र आयत: 6)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ.

(2749) हज़रत हबीब बिन मसलमा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुमुस निकालने के बाद शूरू में (पहली मर्तबा) चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) दिया करते थे। और ग़ज़्वे से लौटते वक़्त (दोबारा लश्करकशी में) तीसरा हिस्सा दिया करते थे ख़ुमुस निकाल लेने के बाद।

(2749) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।, बैहक़ी: 6/314.

फ़ायदा : इस हदीस में (इज़ाक़फ़ल) और अगली रिवायत में (फ़िर्रज़आ) (लौटते वक़्त) के मानी ये हैं कि लश्कर एक बार दुश्मन पर हमला कर चुका होता ... उसके बाद दोबारा उस पर हमला करता ... इसका मतलब इमाम ख़त्ताबी के नज़दीक ये है कि जब लश्कर किसी इलाक़े में जिहाद के लिये जाता तो उसमें से कोई एक गिरोह बड़े लश्कर से अलग होकर किसी महदूद जंग के लिये जाता तो नबी (ﷺ) उस गिरोह में शामिल अफ़राद को चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल देते, जब कि बड़े लश्कर के लोगों को इसके तीन चौथाई में से हिस्सा देते और अगर वापसी में इस तरह कोई छोटा गिरोह बड़े लश्कर से अलग होकर किसी जगह मअरका आराई के लिये जाता तो वापसी पर, जब कि घर का शौक़े दीद

बेक़रारी में बदल चुका होता है, इसके अलावा दुशमन भी ज़्यादा चौकस और मुस्तइद हो जाता है, चूंकि ज़्यादा पुर मशक्क़त और ज़्यादा सब्र आज़मा होता, तो नबी (ﷺ) उस गिरोह को तीसरा हिस्सा देते। वल्लाहू आलम। (ख़त्ताबी, नैलुल अवतार)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيَّانِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَهْبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ مَكْحُولاً، يَقُولُ كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَىْءٍ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ .

(2750) हज़रत मक्हूल शामी (रह.) बयान करते हैं कि मैं मिस्र में बनी हुज़ैल की एक औरत का गुलाम था। उसने मुझे आज़ाद कर दिया। फिर मैं वहां (मिस्र) से उस वक़्त तक नहीं निकला जब तक कि अपनी दानिस्त (जानकारी) के मुताबिक़ वहां के उलमा से तमाम का तमाम इल्म हासिल नहीं कर लिया। फिर मैं हिजाज़ आया और वहां से उस वक़्त तक नहीं निकला जब तक कि अपनी दानिस्त के मुताबिक़ वहां का तमाम इल्म जमा नहीं कर लिया। फिर इराक़ आया और वहां से उस वक़्त तक नहीं निकला जब तक कि अपनी दानिस्त के मुताबिक़ वहां का तमाम इल्म जमा नहीं कर लिया। फिर मैं शाम आया और उस (के उलमा) को ख़ूब कुरेदा और हर एक से मैं ग़नीमत में नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) के मुताल्लिक़ सवाल करता रहा तो मुझे कोई न मिला जो मुझे इस बारे में कुछ बताता। बिल आख़िर मैं एक शैख़ से मिला जिसका नाम ज़ियाद बिन जारिया तमीमी था, मैंने उससे पूछा: क्या आपने नफ़्ल के मुताल्लिक़ कुछ सुना है? उसने कहा: हाँ! मैंने हबीब बिन मसलमा फ़ेहरी (رضي الله عنه) को बयान करते हूए सुना है, फ़रमा रहे थे: मैं नबी (ﷺ) के यहां हाज़िर था कि आपने शूरू जिहाद में चौथा हिस्सा और

लौटते वक़्त (दूसरी बार हमला करने की सूरत में) तीसरा हिस्सा बतौर नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) इनायत फ़रमाया था।

(2750) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/133, तिर्मिज़ी, हदीस: 1561.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये अहादीस इसी अम्र पर महमूल हैं कि ग़नीमत में से पहले अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का हिस्सा (ख़ुमुस) निकाल लिया गया था, तब ग़नीमत तक़सीम हूई और इज़ाफ़ी इनामात भी दिये गये। **(2)** जनाब मक्हूल शामी (रह.) मअरूफ़ और सिक़ा ताबेईन में से हैं। इल्मे दीन की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें ग़ुलामी की पस्ती से निकाल कर उम्मते मुस्लिमा की इमामत का बलन्द मक़ाम अता फ़रमाया।

बाब : 158
छोटे दस्ते की हासिल करदा ग़नीमत बड़े लश्कर में भी तक़सीम होगी

﴿158﴾ باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

(2751) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह (शुऐब) अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब मुसलमानों के ख़ून आपस में बराबर हैं। (हुदूद के निफ़ाज़ में मोअज़्ज़ज़ और ग़ैर मोअज़्ज़ज़ का कोई फ़र्क़ नहीं) इनमें से जो भी किसी काफ़िर को अमान दे दे तो उनका अदना, फ़र्द भी उसका पास रखे (जैसे कि आला रखते हैं) और उनमें का दूर वाला भी अमान दे सकता है (जैसे कि मर्कज़ में रहने वाला) तमाम मुसलमान कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में एक हाथ हैं, उनका तनोमंद और क़वी रफ़्तार अपने ज़ईफ़ और सुस्त रफ़्तार को भी

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، - هُوَ مُحَمَّدٌ - بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ

أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ .

साथ मिलाये और छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे, किसी मोमिन को काफ़िर के बदले में या किसी अ़हद वाले को जब तक कि उसका अ़हद बाक़ी हो क़त्ल करना रवा नहीं।'

इब्ने इस्हाक़ ने अपनी रिवायत में क़िसास़ और ख़ून बराबर होने का ज़िक्र नहीं किया।

(2751) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 4531 में आ रही है, बैहक़ी: 8/29.

फ़ायदा : ये इस सूरत में है कि जिहाद में निकलते हूए बड़े लश्कर में से किसी दस्ते को अलग करके किसी ख़ास़ मुहिम पर भेजा जाये लेकिन अगर मर्कज़ ही से किसी छोटे दस्ते को रवाना किया गया हो और बड़े लश्कर से अलग न किया गया हो तो इसमें दूसरों का हिस्सा न होगा।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَاهُ . ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وَأَعْقِرُهُمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ

(2752) इयास बिन सलमा अपने वालिद हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि अ़ब्दुर्रहमान बिन उ़यय्ना (फ़ज़ारी) ने रसूल (ﷺ) के ऊँट लूट लिये, उनके चरवाहे को क़त्ल कर डाला और फिर वह और उसके घूड़ सवार साथी उन्हें हाँकते हूए चल निकले। (मुझे ख़बर हूई) तो मैंने अपना मुँह मदीना की तरफ़ किया और तीन बार ये हाँक लगायी: या स़बाहा! (लोगो! मदद को पहुँचो, हमको दुशमन ने लूट लिया है) फिर मैं (दौड़ते हूए) उन लोगों के पीछे हो लिया, तीर मारता जाता था और उनकी सवारियों को ज़ख़्मी करता जा रहा था, अगर उनमें से कोई घूड़ सवार मेरी तरफ़ पलटता तो मैं किसी दरख़्त की औट में हो जाता यहाँ तक कि नबी (ﷺ) की तमाम सवारियाँ जो अल्लाह ने पैदा फ़रमायी थीं मैंने उनको अपने पीछे (अपने क़ब्ज़े में) कर लिया।

صلى الله عليه وسلم إِلاَّ جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ رُمْحًا وَثَلاَثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّونَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ . فَقَامَ إِلَيَّ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ أَتَعْرِفُونِي قَالُوا وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلاَ أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي . فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الأَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ

और उन लोगों ने अपना बोझ हल्का करने की ग़र्ज़ से तीस से ज़्यादा भाले और तीस चादरें फैंक दीं। फिर उयय्ना भी उनकी मदद को आ पहुँचा तो उसने कहा: तुममें से कुछ आदमी इस (सलमा बिन अक्वा) की तरफ़ हो जाओ। तो उनमें से चार आदमी मेरी तरफ़ आये और पहाड़ पर चढ़ गये। मैंने बलन्द आवाज़ से उन्हें कहा: क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा: मैं अक्वा का फ़रज़ंद हूं, उस ज़ात की क़सम जिसने मुहम्मद(ﷺ) के चेहरे को इज़्ज़त बख़्शी है! ये नहीं हो सकता कि तुममें से कोई मुझे पकड़ना चाहे तो मैं उसके हाथ आ जाऊं और अगर मैं पकड़ना चाहूं तो वह भाग निकले। फिर थोड़ी देर गुज़री तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के शहसवार दरख़्तों में से (दौड़े) आ रहे हैं। उनमें सबसे आगे हज़रत अख़रम असदी (ﷺ) थे वह अब्दुर्रहमान बिन उयय्ना के मुक़ाबले में हो गये अब्दुर्रहमान उन पर पलटा और फिर दोनों ने एक दूसरे पर नेज़े चलाये। चूनांचे अख़रम असदी(ﷺ) ने उस (अब्दुर्रहमान) का घोड़ा ज़ख़्मी कर दिया और अब्दुर्रहमान ने अख़रम (ﷺ) को नेज़ा मारा और उनको शहीद कर दिया। फिर अब्दुर्रहमान, अख़रम (ﷺ) के घोड़े पर सवार हो गया तो अबू क़तादा (ﷺ) अब्दुर्रहमान के मुक़ाबले में आ गये। उनके बीच भी नेज़े के हमलों का तबादला हूआ। उसने अबू क़तादा का घोड़ा ज़ख़्मी कर दिया लेकिन अबू क़तादा (ﷺ)

ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمْسِمِائَةٍ فَأَعْطَانِي سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ .

ने अ़ब्दुर्रहमान को क़त्ल कर डाला। फिर अबू क़तादा(ﷺ) अख़रम (ﷺ) वाले घोड़े पर सवार हो गये। फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि आप उस चश्मे पर तशरीफ़ ले आये थे जहां से मैंने उनको भगाया था। उसका नाम ज़ूक़रद था। मैंने देखा कि नबी (ﷺ) पाँच सौ सवार लिये हूए थे। पस आपने मुझे एक शहसवार और एक पैदल का हिस्सा इनायत फ़रमाया।

(2752) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/51, 52, व मुस्लिम: 1807.

फ़ायदा : हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) इन्तेहाई तेज़ रफ़्तार बहादूर जवान थे उन्हें उनकी इसी जुर्अत व बहादुरी का इज़ाफ़ी इनाम दिया गया और बाक़ी दूसरे मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ।

﴾159﴿
باب فِي النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

बाब : 159
इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) सोने चाँदी की सूरत में हो सकता है और ग़नीमत से भी जो सबसे पहले हासिल हो

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

(2753) हज़रत अबू जुवेरिया जरमी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया (ﷺ) के दौर में मुझे रूमी इलाक़े में सुर्ख़ रंग का एक घड़ा मिला, उसमें दीनार थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब में से बनी सुलैम के एक फ़र्द हज़रत मअ़न बिन यज़ीद (ﷺ) हमारे अमीर थे, वह घोड़ा में उनके पास ले आया। पस उन्होंने उसे मुसलमानों में

يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ نَفْلَ إِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ " . لأَعْطَيْتُكَ . ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَىَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ .

तक़सीम कर दिया और मुझे भी उतना ही दिया जितना कि दूसरों में से हर एक को दिया। फिर कहा: अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए न सुना होता कि 'इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) ख़ुमुस निकालने के बाद ही हो सकता है।' तो मैं तुम्हें भी देता, फिर वह अपना हिस्सा मुझे देने की कोशिश करते रहे मगर मैंने इंकार कर दिया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/470.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि ये माल दारूल हरब से बग़ैर किसी लड़ाई के हासिल हूआ था और ऐसे माल में ख़ुमुस होता है न नफ़्ल, क्योंकि ख़ुमुस और नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) दोनों ही क़िताल से हासिल होने वाले माल में होते हैं। और ये घड़ा वैसे ही मिला था, इसलिए इसमें सभी मुजाहिदीन को बराबर के हिस्से दिये। **(2)** इसमें इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ इस लफ़्ज़ 'तो मैं तुम्हें भी देता' से होता है, यानी उन दीनारों में से तुझे नफ़्ल देता, और दीनार सोने का होता था।

(2754) (बसनद हन्नाद) आसिम बिन कुलैब ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस के हम मअनी बयान किया।

(2754) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 3/470, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

﴾160﴿
بَابٌ فِي الإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

बाब : 160
काफ़िरों से हासिल होने वाले माल में से इमाम का अपने लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ

(2755) हज़रत अम्र बिन अबसा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ायी, ग़नीमत का एक ऊँट (बतौर

الأَسْوَدَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ " وَلاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ " .

सुतरा) आगे था, जब आपने सलाम फेरा तो आपने उस ऊँट के पहलू से कुछ बाल लिये फिर फ़रमाया: 'और तुम्हारी ग़नीमतों में से मेरे लिये इस क़द्र भी हलाल नहीं सिवाए पाँचवें हिस्से के, और वह पाँचवां हिस्सा भी फिर तुम ही में वापस हो जाता है।'

(2755) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/339.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़नीमत में से सिर्फ़ ख़ुमुस लिया करते थे। इसी तरह इमामुल मुस्लिमीन भी इस मसले में नबी (ﷺ) की इक़्तेदा करे और कोई ख़ास चीज़ अपने लिये ख़ास न करे मगर ये कि कोई ख़ास मसलिहत हो। (नैलुल अवतार)

﴾161﴿ بَابٌ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

बाब : 161 अहद व पैमान (वादे) का पूरा करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ "

(2756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रयमाया: '(अहद व पैमान में) धोखा करने वाले के लिये क़यामत के रोज़ एक झण्डा गाड़ा जायेगा और कहा जायेगा: ये फ़ुलां बिन फ़ुलां का धोखा है।'

(2756) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6178, व मुस्लिम: 1735.

फ़ायदा : यानी ऐसे शख़्स को रूस्वा किया जायेगा और ऐलान किया जायेगा कि ये उस धोखेबाज़ का अन्जाम है। अहद व पैमान दो अफ़राद के दरम्यान हो या दो क़ौमों के दरम्यान, मुसलमानों के साथ हो या काफ़िरों के साथ, बद अहदी दुनिया व आख़िरत में रूस्वाई का बाइस है।

बाब : 162
लोगों पर लाज़िम है कि इमाम के तय करदा अहद व पैमान की पाबंदी करें

﴿162﴾ باب فِي الإِمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

(2757) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम ढाल है कि उसके साथ क़िताल किया जाता है।'

(2757) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/223, बुख़ारी, हदीस: 2957, व मुस्लिम: 1841.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ " .

फ़ायदा : 'इमाम' यानी रईस और क़ाइद (हुक्मरान), इस्लाम और मुसलमानों की शान व शौकत की एक अलामत होता है। दुशमनों से उन्हें महफ़ूज़ रखने की तदबीर करता और ख़ूद उनके बीच भी अमन व अमान क़ायम रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुफ़्फ़ार से जो अहद व पैमान किये गये हों तमाम लोग उसका पासो लिहाज़ करें।

(2758) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) बयान करते हैं कि (सुलह हुदैबीया के मौक़े पर) क़ुरैशियों ने मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ रवाना किया। जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में इस्लाम की रग़बत डाल दी गयी, पस मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो अल्लाह की क़सम कभी भी अब उनकी तरफ़ नहीं जाऊंगा। आपने फ़रमाया: 'मैं अहद को नहीं तोड़ता और न क़ासिदों को क़ैद करता हूं, तुम्हें चाहिए कि वापस जाओ, अगर तुम्हारे दिल में वही बात रहे जो अब है तो वापस आ जाना।' कहते हैं: मैं वापस गया, फिर

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلاَمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم " إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ " . قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ . قَالَ بُكَيْرٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ يَصْلُحُ

नबी(ﷺ) की ख़िदमत में लौट आया और इस्लाम क़बूल कर लिया। बुकैर कहते हैं: मुझे (हसन बिन अ़ली ने) बताया कि (उसका दादा) अबू राफ़ेअ क़िब्ती ग़ुलाम था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये उस ज़माने में था (कि क़ासिद मुसलमान होना चाह रहा था तो उसे वापस कर दिया) आज दुरूस्त नहीं है।

(2758) तख़रीज : (सनद सहीह) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8674, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1630.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मतलब ये है कि हज़रत अबू राफ़ेअ का ये वाक़िआ उस वक़्त का है जब काफ़िरों से मुसलमानों का ये मुआहिदा (समझोता) तै हूआ था कि काफ़िरों के पास से आने वाले शख़्स को वापस लौटा दिया जायेगा, चाहे वह मुसलमान ही हो। इसी मुआहिदे की वजह से नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू राफ़ेअ को लौटाया, अब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं। मगर ये कि अब कभी किसी जगह इस क़िस्म का मुआहिदा मुसलमानों और काफ़िरों के दरम्यान हो जाये।

﴿163﴾ بَابٌ فِي الإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ

बाब : 163 मुआहिदा के दिनों में इमाम अगर दुशमन की जानिब कूच करे तो (रवा नहीं)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، - رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ - قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ

(2759) हज़रत सुलैम बिन आमिर (रह.) से रिवायत है और ये क़बील—ए—हिम्यर से थे, वह बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) और रूमियों के दरम्यान मुआहिदा (सुलह व अमन) हो चुका था और (मुआविया (رضي الله عنه) इन दिनों मुअहिदा में) उनके इलाक़ों की तरफ़ कूच कर रहे थे ताकि

بِلاَدِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ " . فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ .

ज्यों ही मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो (अचानक) उन पर चढ़ाई कर दें, तो अरबी घोड़े या तुर्की घोड़े पर सवार एक शख़्स उनकी तरफ़ आया: वह 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वफ़ादारी हो, ग़दर (धोखा) नहीं, पुकारता आ रहा था। लोगों ने देखा तो वह सहाबी ए रसूल हज़रत अम्र बिन अब्सा (ﷺ) थे। मुआविया(ﷺ) ने उन्हें बुलवाया और पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना है: 'जिसका दूसरी क़ौम से कोई मुआहिदा हो तो वह उस वक़्त तक कोई नया मुआहिदा न करे और न उसे ख़त्म करे जब तक कि पहले मुआहिदे की मुद्दत बाक़ी हो या बराबरी की सतह पर उसे तोड़ने का ऐलान कर दे।' चुनांचे मुआविया (ﷺ) लौट आये।

(2759) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1580, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1681.

फ़ायदा : इख़्तेतामे मुआहिदे के फ़ौरन बाद अचानक चढ़ाई करना धोखे में शुमार किया गया है। और सहाब–ए–किराम (ﷺ) इस्लाम और मुसलमानों के लिये अंधी अस्बीयत में मुब्तला न थे बल्कि इस्लाम के तमाम उसूल व ज़वाबित को हर हाल में पेशे नज़र रखते थे।

﴾164﴿ بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

बाब : 164 ज़िम्मी से किये गये अहद की वफ़ा करने और उसके ज़िम्मा की हुरमत का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

(2760) हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने

عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .

किसी अहद वाले को बग़ैर किसी वाजेह जवाज़ के क़त्ल किया तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी।'

तख़रीज : **(सनद सही)** नसाई, हदीस: 4751.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (मुआहद) ('हा' पर ज़बर) यानी ऐसा शख़्स जो काफ़िर होते हूए हुकूमते इस्लामिया में रह रहा हो और टैक्स वग़ैरह अदा करता हो, तो उसे 'ज़िम्मी' और 'मुआहद' कहते हैं। **(2)** गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब लोगों के बारे में जो अहादीस में आता है कि 'उस पर जन्नत हराम है, या जन्नत में दाख़िल नहीं होगा' उनका मफ़हूम ये है कि ऐसा मुसलमान जन्नत में जाने वाले अव्वलीन लोगों में शामिल नहीं होगा। बल्कि वह सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जायेगा, इन्शाअल्लाह। ये मानी नहीं हैं कि वह जन्नत में जायेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अहले तौहीद जन्नत में दाख़िल होंगे।

﴾165﴿ بَابٌ فِي الرُّسُلِ

बाब : 165 सफ़ीर और क़ासिदों (की हुरमत) का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ "

(2761) मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत है कि मुसैलिमा (कज़्ज़ाब) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ ख़त भेजा। (दूसरी सनद में है) नुऐम बिन मसऊद अश्जई (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से सुना, आपने मुसैलिमा के दो ऐलचीयों से पूछा जबकि आपने (उस कज़्ज़ाब का) ख़त पढ़ा कि 'तुम दोनों (इसके बारे में) क्या कहते हो?' उन्होंने कहा: हम वही कहते हैं जो उसने कहा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर ये बात न होती कि सफ़ीर और क़ासिदों को क़त्ल नहीं किया जाता, तो

مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا " قَالاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ . قَالَ " أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا".

मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता।'

(2761) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/487, हाकिम: 2/143.

फ़ायदा : सफ़ीर या क़ासिद इमामुल मुस्लिमीन के सामने भी कुफ़्र का इज़हार करे तो उसे क़त्ल नहीं किया जायेगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ " . فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلاً بِالسُّوقِ .

(2762) हारिस़ बिन मुज़र्रिब (रह.) से मनक़ूल है कि वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (ﷺ) के पास आये (जबकि वह कूफ़ा में वाली (अमीर) थे। और कहा: मुझे किसी अ़रब से कोई दुशमनी नही और में क़बीला बनू हनीफ़ा की मस्जिद से गुज़रा हूं तो मैंने उन्हें पाया है कि वह लोग मुसैलिमा पर ईमान रखते हैं। (ये मस्जिद कूफ़ा ही में थी) पस हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (ﷺ) ने उन्हें बुलवाया उन्हें लाया गया तो उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने) उनसे तौबा करवाई सिवाय इब्ने नवाहा के अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने उससे कहा: मैंने नबी (ﷺ) से सुना है कि आपने (तुझसे) कहा आज तू सफ़ीर या क़ासिद नहीं है। चूनांचे उन्होंने क़रज़ा बिन कअब (ﷺ) को हुक्म दिया तो उन्होंने उसको बाज़ार में (सरेआम) क़त्ल कर दिया। फिर फ़रमाया: जो इब्ने नवाहा को मक़्तूल देखना चाहता है वह उसे बाज़ार में देख ले।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी:9/211, मुसनद अहमद : 1/384, नसाई सुनन कुब्रा: 8675, इब्ने हिब्बान: 1629, मुसनद अहमद: 1/396, हाकिम: 3/53.

फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कुफ़्र और इरतेदाद का खेल खुलेआम नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है बिलख़ुसूस सरग़ने क़िस्म के लोगों से तो किसी क़िस्म की रिआयत नहीं रखी जा सकती। ये अलग बात है कि लोग इसे 'आज़ादिये फ़िक्र' के ख़िलाफ़ समझते हैं। बिलाशुब्हा ये बात मौजूदा दौर की 'आज़ादिये फ़िक्र' के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस्लाम ऐसी 'आज़ादिये फ़िक्र' का क़ायल नहीं जिसका नतीजा इल्हाद, बे'दीनी और इरतेदाद हो। और इस्लाम ही नहीं, कोई भी नज़रयाती मुल्क अपने असासी नज़रयात के ख़िलाफ़ लबकुशाई की इजाज़त नहीं देता। इसलिए कि उसका नतीजा फ़िक्री इन्तेशार और नज़रयाती अनारकी की सूरत में निकलता है। ये आज़ादी ए अफ़्कार वही है जिसकी बाबत इक़बाल ने कहा था:

आज़ादी अफ़्कार से है उनकी तबाही। रखते नहीं जो फ़िक्र व तदबीर का सलीक़ा।।
हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादिये अफ़्कार। इन्सान को हैवान बनाने का तरीक़ा।।

इसकी बाबत मज़ीद फ़रमाया:

उस क़ौम में है शौख़ी अन्देशा ख़तरनाक। जिस क़ौम के अफ़राद हों हर बंद से आज़ाद।।
गो फ़िक्रे ख़ुदादाद से रोशन है ज़माना। आज़ादिये अफ़्कार है इब्लीस की ईजाद।।

बाब : 166
मुसलमान ख़ातून की दी हूई अमान

﴾166﴿
باب في أمان المرأة

(2763) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि उसे हानी बिन्ते अबी तालिब (ﷺ) ने बयान किया कि उसने फ़तहे मक्का के रोज़ एक मुश्रिक को पनाह दी थी। फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आयी और ये वाक़िया बयान किया तो आपने उससे फ़रमाया: 'हमने पनाह दी उसे जिसको तूने पनाह दी। हमने अमान दी उसे जिसको तूने अमान दी।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ " .

(2763) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 1290 में देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8685.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ .

(2764) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि (दौरे रिसालत में) औरत किसी को मोमिनों से पनाह दे देती तो वह जायज़ और क़बूल हूआ करती थी (मुसलमान उसे क़त्ल न कर सकते थे।)

(2764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8683.

फ़ायदा : मुसलमानों में से कोई अदना आदमी भी अगर किसी काफ़िर को अमान दे दे, तो सब पर लाज़िम है कि उसकी अमान का लिहाज़ करें।

बाब : 167
दुशमन से सुलह कर लेने का बयान

﴿167﴾
باب في صلح العدو

फ़ायदा : कुफ़्फ़ार से ऐसा पैमान (समझौता) कि एक मुद्दत तक के लिये हम आपस में क़िताल नहीं करेंगे जायज़ है मगर चाहिए कि उसकी इब्तेदा और मुतालबा कुफ़्फ़ार की तरफ़ से हो। मुसलमानों का इब्तेदाई तौर पर उन्हें ये पेशकश करना किसी तरह पसन्दीदा नहीं, क्योंकि इसमें कमज़ोरी और हतक का इज़हार है। और लाज़मी है कि सुलह के साथ साथ मुसलमान अपनी तैयारी से ग़ाफ़िल न रहें, मुमकिन है कि दुशमन धोखा दे जाये। सूरह अन्फ़ाल में इस अम्र की मशरूइयत का बयान मज़कूर है: 'अगर वह कुफ़्फ़ार सुलह की तरफ़ मायल हों तो आप भी उसके लिये झुक जायें और अल्लाह पर तवक्कल करें बिलाशुब्हा वह ख़ूब सुनने और जानने वाला है। और अगर उन्होंने आपको धोखा देने का इरादा किया हो तो फिर अल्लाह आपके लिये काफ़ी है ...' (अल अन्फ़ाल: 61, 62) नीचे की हदीस में सुलह हुदैबिया का वाक़िया है जो यहां मुख़्तसर है। चाहिए कि दीगर कुतुबे हदीस व सीरत में तफ़्सील से इसका मुतालआ किया जाये, इन्तेहाई जामेअ हदीस है और बेशुमार मसाइल के हामिल है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

(2765) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हुदैबिया के मौक़े पर चौदह, पन्द्रह सौ सहाबा की मईयत (साथ) में रवाना हूए। (1) जब

بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ . مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا خَلأَتْ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ " . ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا " . ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنِي عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ - فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ

ज़ूलहुलैफ़ा पहुँचे तो आपने अपनी क़ुर्बानी को क़लादा पहनाया और उसके कोहान पर चीरा लगाया (इशआर किया) और उमरे का एहराम बाँधा। (2) और हदीस़ बयान की। नबी (ﷺ) रवाना हूए यहाँ तक कि जब उस घाटी पर पहुँचे जहां से अहले मक्का की तरफ़ उतरते हैं तो आपकी सवारी बैठ गयी। लोगों ने कहा: हल हल (ऊँट को उठाने की आवाज़ है) क़सवा बिगड़ गयी है (या अड़ गयी है) दोबारा कहा। (3) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये न बिगड़ी है और न इसकी ये आदत है, इसे हाथी को रोकने वाले ने रोका है।' (4) फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! ये लोग आज मुझे जो भी कोई ऐसी तजवीज़ पेश करेंगे जिससे वह अल्लाह की हुरमतों की तअज़ीम बजा लायें तो मैं उसे क़बूल कर लूंगा।' (5) फिर आपने ऊँटनी को डांटा तो वह जल्दी से उठ खड़ी हूई। फिर आपने उनकी तरफ़ से रास्ता तब्दील कर लिया यहाँ तक कि हुदैबिया के पार एक कूएँ पर जा उतरे, उसमें पानी बहुत थोड़ा था। फिर आपके पास बुदैल बिन वरक़ा ख़ुज़ाई आया। (6) इसके बाद उर्वा बिन मसऊद आया और रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुफ़्तगू करने लगा। वह जब भी आप (ﷺ) से बात करता तो आप (ﷺ) की दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरता (7) मुग़ीरह बिन शोबा (رضی اللہ عنہ) आपके साथ ही खड़े थे। (8) उनके हाथ में तलवार और सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) थी, (उर्वा

صلى الله عليه وسلم فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ . فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا الإِسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ صلى

आप(ﷺ) से बात करते हुए आपकी दाढ़ी पर हाथ लगाता तो) वह अपनी तलवार का दस्ता उसके हाथ पर दे मारते और कहते: दूर कर अपना हाथ उनकी दाढ़ी से। उर्वा ने अपना सर उठाया और पूछा ये कौन है? हाज़िरीन ने कहा: ये मुग़ीरह बिन शोबा हैं तो वह बोला: ऐ धोखेबाज़! क्या मैं तेरे धोखे के और फ़साद में सुलह सफ़ाई नहीं कराता रहा हूं? (दरअसल) मुग़ीरह (ﷺ) इस्लाम से पहले कुछ लोगों के साथ थे तो उनको क़त्ल कर दिया, उनके माल लूट लिये, फिर जाकर इस्लाम क़बूल कर लिया। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम तो हमने क़बूल कर लिया मगर माल चूंकि धोखे का है इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं।' (9) और हदीस़ बयान की। चूनांचे नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'लिखो ये वह (अहद नामा) है जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इत्तेफ़ाक़ किया है।' और पूरा क़िस्सा बयान किया। (10) सुहैल ने कहा ... और हममें से जो कोई भी आपके पास आये ख़्वाह वह आपके दीन ही पर क्यों न हो वह आपको हमारी तरफ़ वापस करना होगा। फिर जब अहदनामे की तहरीर से फ़ारिग़ हो गये तो नबी(ﷺ) ने अपने स़हाबा से फ़रमाया: 'उठो! क़ुर्बानियाँ करो और अपने सर मूंड लो।' फिर मोमिना और मुहाजिरा औरतें आयीं (तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमायी : 'ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारे पास मोमिना औरतें हिजरत करके

आयें ... : 10/60) तो अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि उन्हें वापस नहीं लौटाना, अलबत्ता ये हुक्म दिया कि उनके हक़ मेहर वापस कर दिये जायें। फिर आप मदीना वापस तशरीफ़ ले आये। क़ुरैश का एक आदमी अबू बसीर, आपके पास आ गया। तो उन लोगों ने उसको लेने के लिये अपने दो आदमी भेज दिये। नबी (ﷺ) ने उसे उनके हवाले कर दिया। वह उसे लेकर चले गये यहाँ तक कि जब ज़ूलहुलैफ़ा मुक़ाम पर पहुँचे तो उन्होंने वहां पड़ाव किया और अपनी खजूरें खाने लगे। अबू बसीर ने उनमें से एक को कहा: अरे! तेरी ये तलवार तो बहुत उम्दा दिखायी देती है। उसने उसे म्यान से निकाला और कहा: हाँ हाँ मैंने इसको बहुत आज़माया है। अबू बसीर ने कहा: दिखाना ज़रा मैं इसे देखूं तो सही। और वह उसने उसको पकड़ा दी। पस अबू बसीर ने वह उसे दे मारी यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। और उसके साथ वाला दूसरा आदमी भागकर मदीने आ गया और भागते भागते मस्जिद में चला आया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '(ये ख़ौफ़ज़दा है) इसने कोई ख़ौफ़नाक चीज़ देखी है।' वह बोला अल्लाह की क़सम! मेरा साथी क़त्ल कर दिया गया है और मैं भी मारा जाने वाला हूं। फिर अबू बसीर भी आ गया तो उसने कहा: अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी करा दी कि आपने मुझे इनके हवाले कर दिया था, फिर अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दे दी है। नबी (ﷺ) ने

الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا " . ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ الآيَةَ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ - فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا . فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا " . فَقَالَ قَدْ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ

نَجَّانِي اللَّهُ مِنْهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ " . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ .

फ़रमाया: 'इसकी माँ का अफ़सोस! ये तो जंग की आग भड़काने वाला है अगर कोई इसे मिल जाये।' जब उसने ये सुना तो समझ गया कि आप (ﷺ) उसे उन लोगों की तरफ़ लौटा देंगे। सो वह वहां से निकल खड़ा हूआ और साहिले समन्दर पर आ गया। फिर अबू जन्दल भी निकल भागा और अबू बसीर के साथ जा मिला यहाँ तक कि वहां एक जमाअत इकट्ठी हो गयी।

(2765) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 2731, 2732.

फ़वाइद व मसाइल : ये हदीस बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। हर ज़िम्मेदार शख़्स को इस पर ख़ूब ग़ौर करना चाहिए। (1) मुसलमान हुक्मरान की काफ़िरों के साथ सुलह के वक़्त सबसे पहली तरजीह अल्लाह तआला की तअज़ीम व अज़मत होनी चाहिए। (2) मसनून ये है कि बैतुल्लाह को रवाना की जाने वाली क़ुर्बानी के गले में जूतों का हार डाल दिया जाये और ऊँट या ऊँटनी हो तो उसके कोहान के दायें जानिब हल्का सा चीरा लगाकर ख़ून उस पर चुपड़ दिया जाये इस चीरा लगाने को 'इश्आर' कहते हैं। (3) क़सवा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी का नाम व लक़ब था। लफ़्ज़ी मानी है 'कानकटी' (4) अबरहा के वाक़िया की तरफ़ इशारा है जिसमें वह एक अज़ीम लाव लश्कर और हाथी लेकर आया था कि बैतुल्लाह को मुन्हदिम कर (ढहा) दे, मगर अल्लाह की तदबीर से परिन्दों की संगरेज़ों की बारिश से सारा लश्कर हलाक हो गया और कअबा और मक्का दोनों महफ़ूज़ व मामून रहे। (5) यानी अल्लाह के हरम में क़त्ल व ग़ारत न हो और दोनों क़ौमों के बीच सुलह हो जाये। (6) बुदैल बिन वरक़ा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) को बतौर ख़ैर ख़्वाही के ये ख़बर दी कि कअब बिन लूई और आमिर बिन लूई अपनी तमाम तर क़ूव्वत के साथ हुदैबिया के पार मक्का की जानिब जंग के लिये तैयार हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बताया कि हम दरहक़ीक़त लड़ने के लिये आये ही नहीं हैं। लेकिन अगर मजबूर कर दिया गया तो उस वक़्त तक लड़ूँगा जब तक अल्लाह अपने इस दीने इस्लाम को ग़ालिब न फ़रमा दे या मेरी गर्दन कट जाये और जान चली जाये। (7) अहले अरब में ये रिवाज था कि दो बराबर के साथी आपस में गुफ़्तगू के दौरान में दूसरे को नर्मी और मुलायमत पर आमादा करने के लिये ये अन्दाज़ इख़्तियार किया करते थे। मगर हज़रत मुग़ीरह (رضي الله عنه) ने वाज़ेह कर दिया कि तुम उनके बराबर के नहीं हो ये तो नबियों के सरदार हैं। (8) ख़तरे और इज़हारे वजाहत के मौक़े पर हिफ़ाज़त वग़ैरह के

लिये मुहाफ़िज़ों को खड़ा करना जायज़ और मतलूब है। मगर जहां कोई माक़ूल सबब न हो वहां लोगों को खड़ा करना तकब्बुर में शुमार होता है और एक नाजायज़ अ़मल है। (9) धोखे और फ़रेब से हासिल करदा माल किसी सूरत जायज़ नहीं। मगर दारूल हरब से और क़िताल की सूरत में हासिल होने वाला माल ग़नीमत कहलाता है। (10) सुहैल ने मुआहिदा लिखते वक़्त 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पर ऐतराज़ किया कि हम 'अर्रहमान' को नहीं जानते और नबी (ﷺ) के मुताल्लिक़ 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' लिखना भी क़बूल नहीं किया। मगर आपने शरई मसलिहत के तहत उसकी ये बातें बावजूद ग़लत होने के गवारा कर लीं और 'बिस्मिका अल्लाहुम्मा' और मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह लिखा गया। इस नर्म रवी का नतीजा ये निकला कि बाद में यही लोग इस्लाम ले आये और इस्लाम के फ़िदाकार सिपाही साबित हूए। (11) साहिले समन्दर पर जमा होने वाली ये जमाअ़त क़ुरैश के क़ाफ़िलों पर हमले करती और उनके तिजारती क़ाफ़िलों के लिये एक बड़ा ख़तरा साबित हूई। बिल आख़िर क़ुरैश ने दरख़्वास्त की कि हम अपनी इस शर्त से दस्तबरदार होते हैं कि अहले मक्का में से मुसलमान होने वाले को वापस किया जाये। इस तरह उन लोगों को मदीने बुला लिया गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ إِغْلاَلَ .

(2766) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान बिन हकम से मनक़ूल है कि क़ुरैश ने इस बात पर सुलह की कि दस साल तक कोई जंग नहीं होगी लोग इस मुद्दत में हर तरह अमन से रहेंगे, (इस मुआहिदे के मुताल्लिक़) हम दोनों फ़रीक़ों के दिल साफ़ रहेंगे, चोरी छुपे या ख़यानत से इसकी मुख़ालिफ़त न होगी।

(2766) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/145.

तौज़ीह : 'अ़ैबतन' वह गठरी होती है जिसमें ख़ास माल और कपड़े संभाल कर रखे जाते हैं। चूंकि दिल भी अ़हद व पैमान का मख़ज़न होता है इसलिए उसको 'अ़ैबतन' से तश्बीह दी गयी है। 'मकफ़ूफ़तन' बंधी हूई थैली। 'इस्लाल' का एक तर्जुमा ये भी है कि 'तलवारें नहीं निकाली जायेंगी।' और 'इग़लाल' से मुराद है कि 'ज़िरहें नहीं पहनी जायेंगी।' मक़सद ये कि किसी तरह जंग नहीं की जायेगी।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ

(2767) ख़ालिद बिन मअ़्दान ने बयान किया कि जुबैर बिन नुफ़ैर ने कहा कि आइये हम जनाब ज़ी मिख़्बर (رضي الله عنه) के पास चलते हैं

حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ " .

वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी थे। तो हम उनके पास गये। जुबैर ने उनसे सुलह के मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़रमाते थे: 'तुम लोग रूमियों से एक पुरअमन सुलह करोगे और फिर तुम और वह अपने पीछे (किसी) एक दुशमन से क़िताल करोगे।'

(2767) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 4089, हाकिम: 4/421.

फ़ायदा : वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से दुशमन से सुलह की जा सकती है। ये हदीस किताबुल मलाहिम में तफ़्सील से आयेगी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4492)

﴿168﴾ باب فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ

बाब : 168
ग़फ़लत और बेख़बरी में दुशमन के पास जाना और उनकी मुशाबिहत इख़्तियार करना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

(2768) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कौन है जो कअब बिन अशरफ़ की ख़बर ले? बिलाशुब्हा उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ीयत (तकलीफ़) दी है।' पस मुहम्मद बिन मसलमा(ﷺ) खड़े हुए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूं। क्या आप

فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا . قَالَ " نَعَمْ قُلْ " . فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا قَالَ وَأَيْضًا لَتَمَلُّنَّهُ . قَالَ اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَىِّ شَىْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ . قَالَ كَعْبٌ أَىَّ شَىْءٍ تَرْهَنُونِي قَالَ وَمَا تُرِيدُ مِنَّا قَالَ نِسَاءَكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْنَا . قَالَ فَتَرْهَنُونِي أَوْلاَدَكُمْ . قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ . قَالُوا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ يُرِيدُ السِّلاَحَ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا أَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَخُ رَأْسُهُ فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ قَالَ عِنْدِي فُلاَنَةُ وَهِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ . قَالَ تَأْذَنُ

चाहते हैं कि मैं उसे क़त्ल कर डालूं? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसके सामने कोई बात बना सकूं। आपने फ़रमाया: 'हाँ! तुम कह सकते हो।' चुनांचे मुहम्मद बिन मसलमा(ﷺ) उसके पास गये और कहा: इस आदमी ने हमसे सदक़े तलब किये हैं और हमें बहुत तंग कर रखा है। उसने कहा: अभी तुम उस शख़्स से और भी उकता जाओगे। इब्ने मसलमा(ﷺ) ने कहा: चूंकि हम उसकी पैरवी इख़्तियार कर चुके हैं इसलिए फ़ौरन उसे छोड़ देना मुनासिब नहीं है यहाँ तक कि देख लें कि उसका अन्जाम किया होता है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक दो वस्क़ (ग़ल्ला वग़ैरह) दे दो। कअ़ब ने कहा: बतौर रहन क्या चीज़ दोगे? उन्होंने कहा: तुम हमसे क्या चाहते हो? उसने कहा: अपनी औरतें दे दो। उन्होंने कहा: सुब्हान अल्लाह! तुम अ़रब के हसीन तरीन शख़्स हो, हम तुम्हें अपनी औरतें बतौर रहन दे दें, तो ये हमारे लिये बहुत बड़ी आ़र होगी। वह बोला: चलो अपनी औलादें दे दो। उन्होंने कहा: सुब्हान अल्लाह! (सारी ज़िन्दगी) हमारे बच्चे को ये गाली दी जाती रहेगी कि तुम्हें तो एक या दो वस्क़ के बदले में रहन रखा गया था। उन्होंने कहा: हाँ हम अपना अस्लहा (हथियार) बतौर रहन दे सकते हैं। उन्होंने कहा: हाँ ठीक है। चूनांचे वह लोग जब उसके पास आये तो इब्ने मसलमा(ﷺ) ने उसको आवाज़ दी, वह बाहर आया, उसने ख़ूशबू

لِي فَأَشُمَّ قَالَ نَعَمْ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ أَعُودُ قَالَ نَعَمْ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ . فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

लगा रखी थी और उसका सर ख़ूशबू से महक रहा था। पस जब वह उसके पास बैठ गया। और मुहम्मद बिन मसलमा अपने साथ तीन या चार साथियों को भी लाये थे। सबने उससे ख़ूशबू का तज़करा किया। वह कहने लगा: मेरे यहां फ़लां औरत है जो बेहतरीन ख़ूशबू वाली औरत है। इब्ने मसलमा ने कहा: अगर इजाज़त दो तो मैं सूंघ लूं। उसने कहा: हाँ हाँ। पस उन्होंने अपना हाथ उसके सर में किया और उसे सूंघा। उन्होंने कहा: ज़रा एक बार फिर। उसने कहा: हाँ हाँ। तो उन्होंने अपना हाथ उसके सर में डाला और उसके बालों को ख़ूब जकड़ लिया और अपने साथियों से कहा: लो अपना काम करो, तो उन्होंने उसको मारा यहाँ तक कि क़त्ल कर डाला।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3031, व मुस्लिम: 1801.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कअ़ब बिन अशरफ़ यहूदी का तअ़ल्लुक़ बनू नज़ीर से था, वह बड़ा मालदार और शाइर था। उसे मुसलमानों से सख़्त अ़दावत थी और लोगों को रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारा करता था। उसने मुसलमानों के साथ मिलकर उनका दिफ़ा करने की बजाये मक्का जाकर क़ुरैश को जंग के लिये आमादा किया और वादा ख़िलाफ़ी भी की। **(2)** दुशमन पर वार करने के लिये बनावटी तौर पर कुछ ऐसी बातें बनाना, जो बज़ाहिर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, वक़्ती तौर पर जायज़ है। और जंग धोखे (चालबाज़ी) ही का नाम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " .

(2769) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईमान ने धोखे से क़त्ल करने को बंद कर दिया है, कोई साहिबे ईमान धोखे से क़त्ल नहीं कर सकता।'

(2769) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी तारीखे कबीर: 1/403, व हाकिम: 4/352.

फवाइद व मसाइल : (1) यानी किसी ग़ैरत व हमीयत के मामले में मुसलमान किसी मुसलमान को धोखे से और ग़फ़लत से क़त्ल न करे। (2) ऐसा शख़्स जिससे कोई अहद व पैमान हो, उसको भी क़त्ल करना नाजायज़ है। मगर जिन दुशमनों के साथ ऐलाने जंग हो और दोनों फ़रीक़ जंग की कैफ़ियत में हों, उसमें ये अमल जायज़ है।

बाब : 169
दौराने सफ़र में बलन्दी पर चढ़ते हूए अल्लाहु अकबर कहना

﴿169﴾ بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ

(2770) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी ग़ज़्वे , हज या उ़मरे (के सफ़र) से वापस आते हूए ज़मीन की किसी भी बलन्दी पर चढ़ते, तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु, लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर, आइबूना ताइबून आ़बिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदूना, स़दक़ल्लाहु वअ़दहु व नस़रा अ़ब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह एक है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी हुकूमत है, तमाम तरह की तारीफ़ें उसी की हैं और वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, सज्दा करने वाले हैं और अपने रब की हम्द करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना

حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " .

वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की नुसरत फ़रमायी और तमाम गिरोहों को इस अकेले ही ने पस्पा (पराजित) कर दिया।'

(2770) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1797, मौता: 1/421, व मुस्लिम: 1344.

फ़ायदा : मसनून यही है कि बलन्दी पर चढ़ते हूए तकबीर (अल्लाहु अकबर) और पस्ती की तरफ़ उतरते हूए तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहा जाये।

बाब : 170
जिहाद से वापस आ जाने की रूख़्सत जबकि ये अमल पहले मना था

﴿170﴾ باب فِي الإِذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

(2771) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि सूरह तौबा की आयते करीमा: (ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना यूमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर) को सूरह नूर की आयते करीमा: (इन्नमल मूमिनुनल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही) ने मन्सूख़ कर दिया है।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/173.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } الآيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى قَوْلِهِ { غَفُورٌ رَحِيمٌ }

फ़ायदा : इब्तेदा-ए-इस्लाम में मुनाफ़िक़ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जिहाद में नहीं निकला करते थे, अगर जाते भी तो मुख़्तलिफ़ हीले बहानों से वापस आ जाते थे। सूरह तौबा में उनके मुताल्लिक़ बयान हूआ है: 'जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाये हैं वह आपसे कोई इजाज़त नहीं माँगते कि उन्हें अपने मालों या जानों के साथ जिहाद न करना पड़े और अल्लाह मुत्तक़ियों (अल्लाह से डरने वालों) को ख़ूब जानता है, आपसे वही लोग इजाज़तें माँगते हैं जिनका अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं है। उनके दिलों में शक है और वह अपने इन्हीं शुकूक में भटक रहे हैं।' (अत्तौबा: 44-45) इन आयात के नाज़िल होने पर जिहाद से लौट आना ममनूअ हो गया था,

ख़्वाह नबी (ﷺ) की इजाज़त ही से होता, मगर जब इस्लाम और मुसलमानों को क़ूव्वत हासिल हो गयी और मुसलमानों की तादाद भी बढ़ गयी, तो इजाज़त लेकर वापस आ जाने की रूख़सत हो गयी और सूरह नूर की ये आयत नाज़िल हूयी: 'ईमान वाले वही लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर यक़ीन रखते हैं और वह जब किसी इज्तेमाई काम में होते हैं तो उस वक़्त तक रवाना नहीं होते जब तक कि आपसे इजाज़त न ले लें। बिलाशुब्हा जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाये हैं, सो जब ये आपसे अपने किसी काम के लिये इजाज़त तलब करें तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे दें और उनके लिये अल्लाह से माफ़ी माँगें, बिलाशुब्हा अल्लाह बहुत बख़्शने वाला इन्तेहाई मेहरबान है।' (अन्नूर: 62)

बाब : 171
ख़ूश ख़बरी देने वाले भेजना

﴿171﴾
باب فِي بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ

(2772) हज़रत जरीर (बिन अ़ब्दुल्ला अल बजली) (ؓ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'क्या तुम मुझे ज़ी ख़ल्सा से राहत नहीं पहुँचा सकते?' चुनांचे वह उसके पास आये और उसको जला डाला, फिर क़बील–ए–अहमस का एक आदमी नबी (ﷺ) की तरफ़ भेजा, जो आपके पास ख़ूश ख़बरी लेकर गया। उसकी कुनियत अबू अरतात थी।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ " . فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ .

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3076, व मुस्लिम: 2476.

फवाइद व मसाइल : (1) बनू ख़सअ़म ने अपना एक माबद बना रखा था जिसे वह (अलकअ़बतुल यमानिया) कहते थे। उस घर का नाम (ख़लसा) और बुत का नाम (ज़ूल ख़लसा) रखा हूआ था। हज़रत जरीर (ؓ) फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हूए और ये मुहिम सर की। **(2)** किसी अहम वाक़िया की ख़ूश ख़बरी भेजना जायज़ है, बशर्ते कि उसमें अपने किरदार का लोगों को सुनाना और दिखाना मक़सद न हो बल्कि इस्लाम की सर बलन्दी की इत्तलाअ़ (ख़बर) देना मक़सद हो या मुसलमानों का बढ़ावा और उनकी हौसला अफ़ज़ाई मक़सूद हो।

बाब : 172
ख़ूश ख़बरी देने वाले को कोई इनाम देना

﴾172﴿
باب فِي إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

(2773) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब भी किसी सफ़र से वापस लौटते तो सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहां दो रकअ़तें पढ़ते और फिर लोगों से मिलने के लिये बैठ जाते। (इमाम अबू दाऊद के शैख़) इब्ने अस्सरह ने पूरी हदीस़ बयान की और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों को मना फ़रमा दिया था कि हम तीनों से कोई बातचीत करे। यहाँ तक कि जब ये कैफ़ियत बहुत तवील (लम्बी) हो गयी तो मैं अपने चचाज़ाद अबू क़तादा की दीवार पर चढ़ा और मैंने उसको सलाम कहा। अल्लाह की क़सम! उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर जब पचास रातें पूरी हो गयीं और उस सुबह फ़ज्र की नमाज़ मैंने अपने एक मकान की छत पर पढ़ी, तो मैंने एक बलन्द आवाज़ से पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ऐ कअ़ब बिन मालिक! ख़ूश ख़बरी हो। फिर जब वह मेरे पास पहुँचा जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, तो मैंने उसके लिये अपने कपड़े उतारे और उसको पहना दिये। फिर मैं चला यहाँ तक कि जब मस्जिद में दाख़िल हूआ तो

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ . وَقَصَّ ابْنُ السَّرْحِ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ . فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَىَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي .

रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा थे। तल्हा बिन उ़बैदुल्लाह (رضي الله عنه) दौड़ते हूए मेरी तरफ़ लपके, यहाँ तक कि मुझसे मुसाफ़ा किया और मुबारकबाद पेश की।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4676, व मुस्लिम: 2769.

फ़वाइद व मसाइल : ये ग़ज़्वा-ए-तबूक में हज़रत कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) की ग़ैर हाज़िरी पर उनके बायकाट से मुताल्लिक़ वाक़िया है जो फ़तहे मक्का के बाद सन: 9 हिजरी में पेश आया था। और यही वह ग़ज़्वा है जो उस दौर के तमाम मुसलमानों पर बिलउ़मूम फ़र्ज़े ऐन (जिसको निभाना सब पर ज़रूरी है) हूआ था। मगर मुख़्लिस़ मुसलमानों में से तीन अफ़राद बग़ैर किसी माक़ूल उ़ज़्र के पीछे रह गये यानी कअ़ब बिन मालिक, मुरारह बिन रबीअ़ और हिलाल बिन उमैया (رضي الله عنهم) रसूलुल्लाह(ﷺ) वापस तशरीफ़ लाये तो उन्होंने बस़राहत इक़रार किया कि हमारे पीछे रह जाने में कोई शरई उ़ज़्र न था। चूनांचे आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनसे मुक़ातआ़ (बायकाट) कर लें। चालीस दिन के बाद हुक्म आया कि ये अपनी औरतों से भी अलग रहें। पचास दिन पूरे होने पर तौबा क़बूल की गयी और ये आयत नाज़िल हूई: 'और अल्लाह ने इन तीन आदमियों की तौबा भी क़बूल फ़रमा ली जिनका मामला मुअख़्ख़र (लेट) किया गया था, यहां तक कि जब ज़मीन बावजूद अपनी कुशादगी के उन पर तंग हो गयी और ख़ूद उनकी जान भी उन पर तंग हो गयी और उन्होंने यक़ीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा कहीं जाये पनाह नहीं है, फिर अल्लाह ने उन पर रूजूअ फ़रमाया ताकि वह तौबा कर लें, बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला तौबा क़बूल करने वाला बहुत मेहरबान है।' (अत्तौबा: 118) जो शख़्स़ ख़ूश ख़बरी पहुँचाये उसे हदिया देना मुस्तहब है।

बाब : 173
सज्द-ए-शुक्र का बयान

﴾173﴿
بَابٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

(2774) हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास जब कोई ख़ूशी की ख़बर आती या आपको बशारत दी जाती तो आप अल्लाह का शुक्र करते हूए सज्दे में गिर जाते थे।

صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ .

(2774) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1578, इब्ने माजा, हदीस: 1394.

फ़ायदा : इन्सान को जब कोई ख़ूशी की ख़बर मिले तो सज्दा करना मसनून व मुस्तहब है। हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) की तौबा क़बूल हूई तो उन्होंने सज्द–ए–शुक्र किया (बुख़ारी: 4418) और ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना अमल भी यही था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلاَثًا قَالَ " إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي

(2775) हज़रत आमिर बिन सअद अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में मक्का से रवाना हूए, हमारा इरादा मदीने जाने का था। जब हम मक़ामे अज़वरा के क़रीब पहुँचे तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े। फिर अपने दोनों हाथ उठाये और एक घड़ी अल्लाह से दुआ करते रहे। फिर सज्दे में गिर गये और देर तक सज्दे में पड़े रहे। फिर उठे, अपने दोनों हाथ उठाये और एक घड़ी अल्लाह से दुआ करते रहे, फिर सज्दे में गिर गये और बड़ी देर तक सज्दे में पड़े रहे, फिर उठे और अपने दोनों हाथ बलन्द किये और एक घड़ी तक बलन्द किये रखे, फिर सज्दे में गिर गये ... अहमद बिन सालेह ने ये अमल तीन बार का बयान किया ... फ़रमाया: 'मैंने अपने रब से सवाल किया है और अपनी उम्मत के लिये शफ़ाअत की है। पस अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत का तिहाई हिस्सा दे दिया (उसे बख़्श दूंगा), तो मैं अपने रब का शुक्र करते हूए सज्दे में गिर गया। फिर मैंने अपना सर उठाया, अपने रब से अपनी उम्मत के लिये दुआ की तो उसने मुझे

فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ .

मेरी उम्मत का (मज़ीद) तिहाई हिस्सा इनायत फ़रमा दिया तो मैं अपने रब का शुक्र करते हूए सज्दे में गिर गया। फिर मैंने सर उठाया, अपने रब से अपनी उम्मत के लिये सवाल किया तो उसने मुझे मेरी उम्मत का मज़ीद तिहाई हिस्सा भी दे दिया तो मैं अपने रब के लिये सज्दे में गिर गया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेरे शैख़ अहमद बिन सालेह ने जब ये सनद बयान की तो उसमें से अशअस बिन इस्हाक़ का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। उसका ज़िक्र मूसा बिन सहल रूमी ने किया है।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/370, व मुस्लिम.

फ़ायदा ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, ताहम सज्द-ए-शुक्र वाली बात सही है, क्योंकि पिछली हदीस से यह साबित है।

﴾174﴿
بَابٌ فِي الطُّرُوقِ

बाब : 174
(बग़ैर इत्तलाअ– बग़ैर ख़बर किये) रात को घर आना (मुनासिब नहीं)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا .

(2776) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि इन्सान रात के वक़्त अपने घर पहुँचे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5243, व मुस्लिम: 715.

तौज़ीह : मक़सद ये है कि इन्सान तवील ग़ैर हाज़िरी के बाद बग़ैर पैशगी इत्तलाअ के बेवक़्त अचानक बिलख़ुसूस इशा के बाद घर में न आये। इसमें कई हिकमतें पोशीदा हैं। मुमकिन है घर वाले साहिबे ख़ाना की तरफ़ से मुतमइन होकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना लें या आने वाले की बीवी अपनी और घर की

सफ़ाई सुथराई की जानिब से ग़फ़लत कर ले या कोई ऐसा मेहमान भी घर में आ सकता है जिसका आना घर वाले को नागवार हो, इस तरह दोनों मियाँ बीवी के दरम्यान कई तरह की अनहोनी उलझनें राह पा सकती हैं। हाँ अगर इत्तलाअ़ दे दी गयी हो तो किसी भी वक़्त आना चाहे तो आ सकता है, उसका अपना घर है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ " .

(2777) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र से वापसी के मौक़े पर घर वालों के पास आने का बेहतरीन वक़्त रात का पहला हिस्सा होता है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5244, व मुस्लिम: 715.

फ़ायदा : उस वक़्त लोग बिलउ़मूम जाग रहे होते हैं और आने वाला और घर वाले भी शुब्हात से महफ़ूज़ रहते हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الزُّهْرِيُّ الطُّرُوقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ بَأْسَ بِهِ

(2778) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे। जब (हम मदीने के क़रीब आख़री पड़ाव पर थे) हमने चाहा कि घरों को जायें, तो आपने फ़रमाया: 'ज़रा ठहरो, रात हो ले तो जायें ताकि परागन्दा हाल ख़ातून कंघी चोटी कर ले और जिसका शौहर ग़ायब था वह अपने (ज़ेरे नाफ़) बालों की सफ़ायी कर ले।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम ज़ोहरी (रह.) ने कहा: 'अत्तुरूक़' इशा के बाद आने को कहते हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मग़रिब के बाद आने में कोई हर्ज नहीं।

(2778) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5247, मुसनद अहमद: 3/303, व मुस्लिम: 1928.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र से लौटते और मन्ज़िल क़रीब होती तो मैसेन्जर भेज दिया करते थे जो शहर में ख़बर कर देता था कि मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं और फ़लां वक़्त तक पहुँच जायेंगे।

बाब : 175
सफर से वापस आने वाले का इस्तेक़बाल करना

﴿175﴾
باب في التَّلَقِّي

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

(2779) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब ग़ज़्व–ए–तबूक से मदीना तशरीफ़ लाये तो लोगों ने आपका इस्तेक़बाल किया। दूसरे बच्चों के साथ मैंने भी सनिय्यतुल वदाअ के मुक़ाम पर आप (ﷺ) का इस्तेक़बाल किया था।

(2779) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 4427.

फ़ायदा : ये एक मुस्तहब अमल है बिलख़ुसूस (ख़ास तौर पर) मुसाफ़िर जब जिहाद से वापस आ रहा हो या हज से। लेकिन इसमें दिखावा और शोहरत का दख़ल नहीं होना चाहिए। उलमा व मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ भी आता है कि जब उनकी किसी शहर में आमद मुतवक्क़ा होती तो लोग उनका निहायत उम्दा अन्दाज़ में इस्तेक़बाल करते थे।

बाब : 176
ग़ज़्वे से वापसी पर दौराने सफ़र ही में तोशे (खाने–पीने के सामान) को ख़त्म कर देने का इस्तेहबाब

﴿176﴾
باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَادِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَتًى، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

(2780) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि क़बील–ए–असलम का एक नौजवान रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं

أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ . قَالَ " اذْهَبْ إِلَى فُلاَنٍ الأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ " . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا فُلاَنَةُ ادْفَعِي لَهُ مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ اللَّهُ فِيهِ .

जिहाद के लिये जाना चाहता हूं मगर तैयारी के लिये मेरे पास कोई माल नहीं है। आपने फ़रमाया: 'फुलां अन्सारी के यहां चले जाओ, उसने तैयारी कर रखी थी मगर बीमार हो गया है। तो उसे कहो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सलाम कहते हैं और फ़रमाते हैं: जो सामाने सफ़र तुमने तैयार कर रखा था वह मुझे दे दो।' चूनांचे वह उनके पास गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) का पैग़ाम दिया। तो उसने अपनी बीवी से कहा: ऐ फुलानी! जो सामान तूने मेरे लिये तैयार किया था वह इस शख़्स के हवाले कर दे और उसमें से कुछ भी न रखना, अल्लाह की क़सम! अगर तूने उसमें से कोई चीज़ रख ली तो अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा।

(2780) तख़रीज : मुस्लिम: 1894.

फ़ायदा : चाहिए कि जो चीज़ सामान या माल अल्लाह के लिये ख़ास कर दिया गया हो और इन्सान अगर उसे ख़ूद ख़र्च न कर सके तो किसी और के हवाले कर दे बिलख़ुसूस जिहाद का सामान। उसके ख़र्च कर देने में बरकत और रोक लेने में बेबरकती है। ऐसे माल में अगर नज़र और वक़्फ़ की नियत की गयी हो तो ख़ूद ख़र्च करना या किसी को दे देना वाजिब है, वरना मुस्तहब।

﴿177﴾ بَابٌ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

बाब : 177
सफ़र से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

(2781) हज़रत कअब बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो (बिलउमूम) दिन ही में

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا . قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .

आया करते थे। (रावी हदीस़) हसन बिन अ़ली ने कहा कि चाश्त के वक़्त आया करते थे। और जब सफ़र से (वापस) आते तो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहां दो रकअ़तें पढ़ते फिर वहां बैठ जाते (ताकि लोगों से मुलाक़ात कर लें)

(2781) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 2773 में देखें, बुख़ारी, हदीस़: 3088 व मुस्लिम: 2769.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ . قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ .

(2782) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपने हज से वापस तशरीफ़ लाये और मदीने में दाख़िल हूए तो अपनी ऊँटनी को मस्जिद के दरवाज़े के पास बिठाया और मस्जिद में चले गये और दो रकअ़तें अदा कीं फिर अपने घर तशरीफ़ ले गये। नाफ़ेअ़ बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 2/129.

फ़ायदा : मुस्तहब है कि इन्सान सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में दो रकअ़त पढ़े फिर घर जाये बिलख़ुसूस जिहाद और हज व उ़मरह से वापसी पर।

﴾178﴿
باب فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

बाब : 178
मुशतरक माल तक़सीम करने की उजरत लेना

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ " . قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ " الشَّىْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ " .

(2783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुसामा (तक़सीम करने की उजरत) से बचो।' हमने अर्ज़ किया: 'क़ुसामा' से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'कोई चीज़ लोगों में मुशतरक हो और कोई आये और उसमें से (अपने लिये) कुछ निकाल ले।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/356.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ شَرِيكٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ " الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَحَظِّ هَذَا"

(2784) हज़रत अता बिन यसार (रह.) नबी(ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत करते हैं। बयान किया कि कोई लोगों पर अमीर हो तो (तक़सीम करते हूए) कुछ उसके हिस्से में से ले ले और कुछ दूसरे के हिस्से में से।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/356.

फ़ायदा : सनद के हिसाब से ये रिवायात ज़ईफ़ हैं, मगर मानी व मफ़हूम के ऐतबार से वाज़ेह है कि अमीर और रईस के लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि लोगों के हुक़ूक़ तक़सीम करते हूए उनसे कोई चीज़ वसूल करे। अलबत्ता किसी और को जो इस अमल का ज़िम्मेदार न हो अगर उससे इस काम के लिये कहा जाये तो उसे हक़ हासिल है कि कोई मिक़्दार मुअय्यन (फ़िक्स) कर के ले ले।

बाब : 179
दौराने जिहाद में तिजारत करना जायज़ है

﴿179﴾
باب فِي التِّجَارَةِ فِي الْغَزْوِ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ " وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ" . قَالَ مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رَبِحْتُ ثَلاَثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ " . قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ"

(2785) नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक शख़्स ने उबैदुल्लाह बिन सलमान से बयान किया कि जब हमने ख़ैबर फ़तह किया तो लोगों ने अपनी अपनी ग़नीमतें निकालीं। (यानी) सामान और क़ैदी और उन्हें बेचने लगे। नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ हूए तो एक आदमी आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आज इतना नफ़ा हासिल किया है कि इस वादी वालों में से किसी को क्या मिला होगा। आपने फ़रमाया: 'तूने क्या कमा लिया है?' उसने कहा: मैं बेचता रहा और ख़रीदता रहा यहाँ तक कि तीन सौ औक़िया का नफ़ा हासिल कर लिया है। (एक औक़िया चालीस दिरहम का होता है) रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें बताता हूं कि नफ़ा कमाने में सबसे अफ़ज़ल कौन है?' उसने पूछा: वह क्या है ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें (नफ़ल) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद।'

(2785) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/332.

फ़ायदा : इसमें कोई शुब्हा नहीं कि दौराने सफ़रे जिहाद में तिजारत करने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ताजिर को जिहाद में अपना पूरा अज्र और ग़नीमत का हिस्सा मिलेगा। जैसे कि सफ़रे हज में तिजारत करना मुबाह और जायज़ है। क़ुर्आन मजीद में है: 'तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का

फ़ज़ल तलाश करो।' (अलबक़र: 198) हाँ अगर इन मुबारक सफ़रों में किसी का मक़सद ही सिर्फ़ तिजारत करना हो, जिहाद या हज महज़ दिखलावा हो तो हर शख़्स के लिये वही है जो उसने नियत की। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है।

बाब : 180
दुशमन के इलाक़े में हथियारों को ले जाने देना

﴾180﴿ باب فِي حَمْلِ السِّلاَحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

(2786) बनू ज़बाब के एक शख़्स ज़ी अलजौशन से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब अहले बद्र से फ़ारिग़ हो गये तो मैं आपकी ख़िदमत में घोड़े का एक बछड़ा लेकर हाज़िर हूआ और कहा: ऐ मुहम्मद! (ﷺ) मैं आपके पास इब्ने क़रहा (एक बछड़ा) लेकर आया हूं ये अब अपने लिये ले लिजिए। आपने फ़रमाया: 'मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसके बदले बद्र की मुन्तख़ब ज़िरहों में से कोई दे दूं, तो कर सकता हूं।' मैंने कहा: आज तो मैं इसके बदले में कोई घोड़ी भी नहीं लूंगा। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो फिर मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ، - رَجُلٍ مِنَ الضِّبَابِ - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ " لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ " . قُلْتُ مَا كُنْتُ أُقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ . قَالَ " فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ " .

(2786) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/108, 109, मुसनद अहमद: 3/484.

फ़ायदा : इमाम साहिब का इस बाब के तहत ये रिवायत लाने का मक़सद इस मसले का इस्बात है कि किसी काफ़िर को हथियार वग़ैरह देना जायज़ है जो वह दारूल हरब ले जाये। वजहे इस्तेदलाल ये है कि ज़ूलजोशन उस वक़्त काफ़िर था, उनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़िरहों की पेशकश की थी, जो उन्होंने क़बूल नहीं की। ज़िरह भी एक जंगी अस्लहा है और वह उसे दारूल हरब में ले जाते। लेकिन ये

रिवायत ही ज़ईफ़ है। दूसरा मसला इसमें ये बयान हूआ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को कोई हदिया देता, तो आप भी उसको ज़रूर कोई हदिया देते, जैसे कि इस रिवायत में है कि जब उसने हदिये के बदले में हदिया लेना पसन्द नहीं किया, तो आपने भी उसका हदिया नामन्ज़ूर फ़रमा दिया। नबी (ﷺ) का ये तरज़े अमल सही अहादीस से साबित है।

बाब : 181
मुशिरकों के इलाक़े में इक़ामत इख़्तियार कर लेना

﴿181﴾ باب فِي الإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

(2787) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) ने (अपने एक ख़ुत्बे में) बयान किया: अम्माबाद! रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी मुशिरक की सोहबत इख़्तियार करे और उसके साथ रिहाइश रखे तो वह भी उसी की तरह है।'

(2787) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2716 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : ज़ाहिरी उमूर (मामलात) में किसी की मुवाफ़िक़त व मुताबिक़त लाज़मी तौर पर उसके साथ क़ल्बी, ज़हनी और फ़िक्री लगाव पैदा करती है। और जिस किसी ने किसी की ज़ाहिरी मुशाबहत इख़्तियार की हूई हो यक़ीनन वह उससे दिली रग़बत रखता है, अगरचे इन दोनों में ज़मान व मकान का कितना ही फ़ासला क्यों न हो। बाहमी सोहबत और हमवतन होना ख़्वाह किसी क़द्र हो, इससे सिर्फ़ अख़्लाक़ी व आमाल ही नहीं बल्कि कुछ औक़ात ऐतक़ादात में भी ख़राबी आनी शूरू हो जाती है ख़्वाह उसकी असर पज़ीरी धीमी ही हो। इस लिए शरीअत ने कुफ्फ़ार की सोहबत और उनके इलाक़े में मुस्तक़िल रहने या उनकी मुशाबहत इख़्तियार करने को नाजायज़ क़रार दिया है। (इफ़ादात इमाम इब्ने तैमिया (रह.) एक हदीस में है: 'जो किसी क़ौम की जमीअत को बढ़ाये वह भी उन्हीं में से है।' ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है जैसा कि मुसनद अलफ़िरदौस दैलमी के मुहक़्क़िक़ ने सराहत की है। मुसनद अलफ़िरदौस,

हदीस़: 5621, लेकिन इस मफ़हूम की कुछ दूसरी अहादीस़ सही तौर पर स़ाबित हैं। जैसे (सुनन अबी दाऊद की मस्अलतुल बाब वाली हदीस़ है, या जैसे (मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन्हुम) (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4031) है। इसी तरह स़ही बुख़ारी में आयते क़ुर्आनी: (इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमीन अन्फ़ुसिहिम) (अन निसा: 97) के शाने नुज़ूल में बतलाया गया है कि ये आयत उन मुसलमानों की वईद में नाज़िल हूई, जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद हिजरत नहीं की और अपने इलाक़ों में मुश्रिकीन ही के साथ मुक़ीम रहे और उनकी कस़रत का बाइस़ बने। तफ़्सील के लिये देखिये: (स़ही बुखारी, हदीस़: 7085) लिहाज़ा हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह अहले कुफ़्र व शिर्क के मुल्कों में रिहाइश इख़्तियार करने से इज्तेनाब करे। मगर ये कि सख़्त ज़रूरत हो या मक़सूद दावते इलाही हो तो फिर ये स़ूरत अलग है क्योंकि इसमें ख़ैरे अज़ीम का पहलू है कि आदमी मुश्रिकों को अल्लाह तआला की तौहीद की दावत दे, उन्हें अल्लाह तआला की शरीअत की तालीम दे, तो ऐसा शख़्स मोहसिन होगा और इल्म व बस़ीरत के बाइस़ ख़तरात से दूर भी होगा।

كتاب الضحايا

क़ुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत और अहकाम व मसाइल

(अज़्ज़हाया ज़हियतुन) की जमा (बहुवचन), (अलअज़ाही) उज़हियतुन की जमा और (अलअज़हा) अज़्हातुन की जमा है। इससे मुराद जानवर है जो माहे ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ या अय्यामे तशरीक़ में ईद की मुनासिबत से अल्लाह तआला के तक़र्रूब के लिये ज़बह किया जाता है। इस अमल की मशरूइयत क़ुर्आन मजीद से साबित है, फ़रमाया: (फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर) 'अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और क़ुर्बानी कीजिये।' (अलकौसर: 2) (वल्बुदना जअल्नाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा ख़ैरन) 'क़ुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिये अल्लाह की निशानीयों में से बनाये हैं, इनमें तुम्हारा नफ़ा है।' (अलहज: 32) रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौलो व अमल से इसकी तस्दीक़ होती है और इब्तेदा ही से मुसलमान इस पर कारबंद और इसके मसनून होने के क़ाइल हैं। इस मक़सद के लिये ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ नर व मादा को ज़बह किया जा सकता है। कोई दूसरा जानवर इसमें कार आमद नहीं होता। फ़रमाया: (लियज़्कुरूस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिम बहीमतिल अन्आमि) 'ताकि वह उन चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा हैं।' (अलहज: 34) क़ुर्बानी का हुक्म यकुम हिजरी को हूआ। लिहाज़ा नबी (ﷺ) ने ख़ूद भी क़ुर्बानी की और उम्मत को भी इसका हुक्म दिया। हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने दो सींगों वाले चितकबरे मैंढे ज़बह किये। (सही बुख़ारी, हदीस: 5554)

➢ **हिकमते क़ुर्बानी:** क़ुर्बानी में कई हिकमतें छुपी हैं, इनमें से चंद एक नीचे दी गई हैं:

- अल्लाह तआला के क़ुर्ब और ख़ूशनूदी का हुसूल, मोमिनों को हुक्म देते हूए फ़रमाया है: (क़ुल इन्ना सलाती वनुसुकी वमहयाया व ममातील्लिाहि रब्बिल आलमीन) 'कह दीजिए! बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।' (अल अनआम: 162)
- जदुल्ल अम्बिया इब्राहीम (अलैहि.) की सुन्नत की याद ताज़ा की जाती है।
- अल्लाह तआला ने बेशुमार जानवर हमारे फ़ायदे के लिये पैदा फ़रमाये हैं, उन्हीं जानवरों में से

चंद एक की क़ुर्बानी करके उस नेअ़मत का शुक्र अदा किया जाता है।

➢ **क़ुर्बानी के आदाब:** क़ुर्बानी करने वाले के लिये नीचे दी गई आदाब व मसाइल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है:

- क़ुर्बानी का जानवर मुसन्ना (दो दाँता) होना ज़रूरी है, ताहम कुछ के नज़दीक अफ़ज़ल है।
- जानवर को ख़सी करवाना ताकि वह ख़ूब सेहतमंद हो जाये, जायज़ है। और उसकी क़ुर्बानी भी जायज़ है।
- क़ुर्बानी क़ुर्बे इलाही के हुसूल का ज़रिया है लिहाज़ा क़ुर्बानी में रद्दी, निहायत कमज़ोर लाग़र, बीमार, लंगड़ा लूला, काना या कोई और ऐबज़दा जानवर ज़बह करना दुरूस्त नहीं।
- ईद के रोज़ क़ुर्बानी नमाज़ की अदायगी के बाद की जायेगी वरना क़ुर्बानी नहीं होगी, अलबत्ता अय्यामे तशरीक़ में रात और दिन के किसी भी हिस्से में क़ुर्बानी की जा सकती है।
- पूरे घर वालों की जानिब से एक ही क़ुर्बानी काफ़ी है। अलबत्ता हस्बे इस्तेताअ़त ज़ायद क़ुर्बानियाँ करना बाइसे अज्र व सवाब है।
- ऊँट और गाय की क़ुर्बानी में सात अफ़राद शरीक हो सकते हैं।
- क़ुर्बानी के जानवर को ख़ूद से और तेज़ धार छुरी से ज़बह करना अफ़ज़ल है।
- ज़बह करते वक़्त जानवर को क़िब्ला रूख़ करना, बिस्मिल्लाह और तकबीर पढ़ना ज़रूरी है।
- क़ुर्बानी का गोश्त ख़ूद खाना, ग़ुरबा व मसाकीन में तक़सीम करना और अ़ज़ीज़ व अक़ारिब को तोहफ़तन देना दुरूस्त है।

क़ुर्बानी करने वाले के लिये ज़रूरी है कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाख़ून न उतारे।

كتاب الضحايا

क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الأَضَاحِي

बाब : 1 क़ुर्बानी का वजूब

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ .

(2788) हज़रत मिख़्नफ़ बिन सुलैम (ﷺ) बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ किये हूए थे कि आपने फ़रमाया: 'लोगो! बेशक हर घर वालों पर हर साल क़ुर्बानी है और अतीरा। क्या जानते हो कि अतीरा क्या है? यही जिसे लोग रजबीयह कहते हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अतीरा (यानी रजबीयह) मन्सूख़ है और ये हदीस़ मन्सूख़ है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1518, नसाई, हदीस़: 4229, इब्ने माजा, हदीस़: 3125.

फ़ायदा : (1) इस हदीस़ से (अतीरा) का जवाज़ मालूम होता है, जब कि आगे हदीस़ (2831) से इसके जवाज़ की नफ़ी होती है। और यही बात राजेह हैं। **(2)** इस हदीस़ से बज़ाहिर क़ुर्बानी का वजूब स़ाबित होता है, लेकिन दूसरे दलाइल से इसका इस्तेहबाब व इस्तेनान मालूम होता है, इसलिये मोहद्दिस़ीन ने इन सारे दलाइल को सामने रखते हूए फ़ैसला किया है कि क़ुर्बानी सुन्नते मुअक़्क़दा है। यानी एक अहम और मुअक्कद हुक्म है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। ताहम इस्तेताअ़त के बावजूद इस सुन्नते मुअक़्क़दा से गुरेज़ किसी तरह भी स़ही नहीं।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2789) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन

بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ " . قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أُضْحِيَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ " لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

अलआस़ (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे अज़हा के दिन के मुताल्लिक़ हुक्म दिया गया है कि उसे बतौर ईद मनाऊं जिसे कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने इस उम्मत के लिये ख़ास़ किया है।' एक आदमी ने कहा: फ़रमाइये कि अगर मुझे दूध के जानवर के सिवा कोई जानवर न मिले तो क्या मैं उसकी क़ुर्बानी कर दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि अपने बाल काट लो, नाख़ुन और मूंछें तराश लो और ज़ेरे नाफ़ की स़फ़ाई कर लो। अल्लाह के यहां तुम्हारी यही कामिल क़ुर्बानी होगी।'

(2789) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1399 में देखें, नसाई, हदीस़: 4370, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1043, हाकिम: 4/223.

फ़ायदा : वास्तव में जिस किसी के पास ताकत न हो कि वह क़ुर्बानी कर सके तो न सिर्फ़ ये कि उसे क़ुर्बानी माफ़ है, बल्कि अगर वह ईदुल अज़हा के दिन नमाज़े ईद के बाद हदीस़ में बताया गया काम कर लेगा तो अल्लाह तआला उसे इस पर ही क़ुर्बानी का अज्र अता फ़रमा देगा।

﴾2﴿ بَابُ الأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

बाब : 2 मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(2790) जनाब हनश (अलकनानी, अस्स़नआनी) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ली (ﷺ) को देखा कि वह दो मैंढों की क़ुर्बानी किया करते थे। मैंने उनसे पूछा: ये क्या है? तो उन्होंने कहा:

وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .

रसूलुल्लाह (ﷺ). ने मुझे वसीयत फ़रमायी थी कि मैं उनकी तरफ़ से क़ुर्बानी किया करूं। चूनांचे मैं आप (ﷺ) की तरफ़ से क़ुर्बानी किया करता हूं।

(2790) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1495, हाकिम: 4/229, 230.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करने के क़ाइल हैं जैसे कि हज और सदक़ा होता है। लिहाज़ा अगर कोई अपने किसी फ़ौत शुदा क़रीबी की तरफ़ से क़ुर्बानी करे तो जायज़ होगी। उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करना जायज़ है, तो क़ुर्बानी भी जायज़ है क्योंकि ये भी सदक़ा ही है, इसीलिये वह ये भी कहते हैं कि मय्यत की तरफ़ से जो क़ुर्बानी की जाये, उसका सारा गोश्त तक़सीम कर दिया जाये, ख़ूद इसमें से न खाये। तोहफ़तुल अहवजी) दूसरे उलमा कहते हैं, चूंकि नबी (ﷺ) से वाज़ेह तौर पर मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करने का सबूत नहीं मिलता, हालांकि आपकी ज़िन्दगी में हज़रत ख़दीजा (رضي الله عنها), आपकी तीन साहिबज़ादियाँ, आपके चचा हज़रत हमज़ा (رضي الله عنه) वग़ैरह दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आपने उनमें से किसी के लिये भी ख़ुसूसी तौर पर क़ुर्बानी नहीं की। अलबत्ता आपने अपनी क़ुर्बानी में ये अल्फ़ाज़ ज़रूर कहे, 'ऐ अल्लाह! इसको मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से क़बूल फ़रमा।' (ﷺ) (सही मुस्लिम: 1967) इसमें उम्मते मुहम्मद (ﷺ) के ज़िन्दा और फ़ौतशुदा सारे ही अफ़राद आ जाते हैं। इससे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अपनी क़ुर्बानी में क़ुर्बानी करने वाला जिन जिन को चाहे, शरीक कर सकता है यहाँ तक कि फ़ौतशुदगान को भी। लेकिन हर एक की तरफ़ से अलग अलग क़ुर्बानी पर इससे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर सिर्फ़ फ़ौत शुदागान की तरफ़ से अलग मुस्तक़िल क़ुर्बानी का जवाज़ डाउटफुल होगा। ग़ालिबन इसीलिये शैख़ अल्बानी (रह.) ने ये मौक़िफ़ इख़्तियार किया है कि उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी करने वाला अमल, नबी (ﷺ) की ख़ुसूसियात में से है जिसमें उम्मत के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: (अरवाअ अलग़लील: 4/354) इसकी ताईद इससे भी होती है कि सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के दौर में इस अमल (मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करने) का सबूत नहीं मिलता। वल्लाहु आलम!

باب : 3 ﴿3﴾ باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

बाब : 3
जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहता हो और वह अशरह ज़िलहिज्जा में अपने बाल काटता हो

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌو . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ

(2791) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास कोई जानवर हो जिसे वह (क़ुर्बानी के लिये) ज़बह करना चाहता हो तो ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाने के बाद अपने बाल और नाख़ुन हरगिज़ न काटे यहाँ तक कि क़ुर्बानी कर ले।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम मालिक और मुहम्मद बिन अ़म्र के तलामिज़ह का 'अ़म्र बिन मुस्लिम अल्लैसी' के नाम से इख़्तिलाफ़ है। कुछ इसे अ़म्र बिन मुस्लिम कहते हैं जबकि अक्सर ने अ़म्र कहा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये अ़म्र बिन मुस्लिम बिन उकैमा अल्लैसी अलजुन्दई है।

(2791) तख़रीज : मुस्लिमः 1977.

फ़ायदा : क़ुर्बानी करने वाले के लिये ज़रूरी है कि ज़िलहिज्ज के इब्तेदाई नो दिनों में अपने बाल और नाख़ुन न काटे। लेकिन जिसने क़ुर्बानी न करनी हो तो उसके लिये ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अगर वह ईदुल अज़हा के दिन हजामत वग़ैरह करा ले तो क़ुर्बानी की फ़ज़ीलत से महरूम न रहेगा जैसे कि साबिक़ा रिवायत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स में गुज़रा है।

बाब : 4
किस क़िस्म का जानवर क़ुर्बानी के लिये मुस्तहब है?

﴿4﴾ باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ فَضَحَّى بِهِ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " . ثُمَّ قَالَ " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " . فَفَعَلَتْ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ " بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ " . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صلى الله عليه وسلم .

(2792) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया, एक मैंढा लाया जाये जो सींगों वाला हो, पाँव काले हों, आँखें काली हों, सीना और पेट भी काला हो, चुनांचे वह पेश किया गया तो आपने उसे क़ुर्बान किया। आपने फ़रमाया: 'आयशा! छुरी लाओ।' फिर फ़रमाया: 'इसे पत्थर पर तेज़ करो।' मैंने ऐसे ही किया, फिर आपने छुरी ली और मैंढे को पकड़ा, उसे लिटाया और ज़बह किया और दुआ की: (बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्मा! तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मते मुहम्मद) 'ऐ अल्लाह मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से क़बूल फ़रमा।' (ﷺ) उसे क़ुर्बान कर दिया। (ज़बह कर दिया)

(2792) तख़रीज : मुस्लिमः 1967.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्बानी का जानवर सेहतमंद और ख़ूश नज़र होना चाहिए, ऊपर दी गई सिफ़ात पायी जायें तो बहुत ही उम्दा है। **(2)** छुरी ख़ूब तेज़ होनी चाहिए। **(3)** उम्मते मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से क़ुर्बानी आप (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी। हर शख़्स को अपनी और अपने अहल व अयाल की तरफ़ से क़ुर्बानी करनी चाहिए, या उसकी तरफ़ से जिसने उसे वसीयत की हो। **(4)** इस हदीस से दलील ली गयी है कि मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करना जायज़ है कि आप (ﷺ) ने अपनी उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी की तो उसमें वह लोग भी थे जो वफ़ात पा चुके थे और एक बड़ी तादाद वह थी जो

आपकी रहलत के बाद पैदा हूयी। लेकिन इससे इस्तेदलाल सही नहीं, क्योंकि उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी करना नबी (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी, जिस पर दूसरों के लिये अमल करना जायज़ नहीं। जैसा कि इससे पहले (हदीस: 2791 के फ़वाइद में) वज़ाहत की गयी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .

(2793) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सात ऊँटनियाँ अपने हाथ से खड़ी हालत में नहर कीं। और मदीना मुनव्वरा में आपने दो मैंढे क़ुर्बानी किये जो सींगों वाले और चितकबरे थे।

(2793) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1712, हदीस: 1796 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईशत बक़द्रे गुज़रान और क़नाअत की थी, जो कुछ भी होता बिलउमूम सदक़ा कर दिया करते थे मगर इसके बावजूद आप क़ुर्बानी का एहतिमाम करते और इसी तरह जिहाद के लिये भी अस्लहा हाज़िर रखा करते थे। **(2)** क़ुर्बानी के मौक़े पर रूपया पैसा सदक़ा करने के बजाये जानवर क़ुर्बान करना ही मशरूअ व मतलूब है, जानवर की क़ीमत सदक़ा करना, क़ुर्बानी का बदल हरगिज़ नहीं हो सकता। **(3)** ऊँट को नहर किया जाता है। यानी हल्क़ के आख़िर में हँसली की हड्डी के साथ नर्म हिस्से में छुरा घौंपा जाता है। ऊँट को ज़बह करने का क़ुर्आन व सुन्नत से साबित शुदा तरीक़ा ये है कि उसे खड़ा करके ज़बह किया जाये, इरशादे बारी तआला है: 'और क़ुर्बानी के ऊँट भी जिन्हें हमने तुम्हारे लिये अल्लाह के शआइर बनाया है, तुम्हारे लिये उनमें भलाई है, लिहाज़ा (नहर के वक़्त) जब वह पाँव बंधे खड़े हों तो तुम उन पर अल्लाह का नाम लो।'(अल हज: 36)

हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) 'सवाफ़्फ़ा' की तफ़्सीर में फ़रमाते कि इसके मानी (क़ियामन) के हैं, यानी खड़े होने की हालत में ऊँट को नहर किया जाये। (सही बुख़ारी) इसके अलावा ऊँट की बायें टाँग को बाँध लिया जाये। नबी ए करीम (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) क़ुर्बानी के मौक़े पर ऊँटों को इसी तरह नहर करते थे। हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी ए करीम(ﷺ) और आपके सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ऊँट को इसी हालत में नहर करते थे कि उसका बायां पाँव बंधा होता और वह बाक़ी मांदा तीन पाँव पर खड़ा होता। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1767) हज़रत ज़ियाद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) को देखा कि वह एक शख़्स के पास तशरीफ़ लाये जिसने ज़बह करने के लिये अपनी ऊँटनी को बिठाया हूआ था। आपने फ़रमाया: 'इसे खड़ा करके बाँध लो, यही हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सुन्नत है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 1713) ऊँट के अलावा दीगर जानवरों को ज़बह किया जाता है यानी उनका हलक़ और साथ की रगें काटी जाती हैं।

(2794) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो मैंढे ज़बह किये जो सींगों वाले और चितकबरे थे। ज़बह करते हूए आपने तकबीर पढ़ी और बिस्मिल्लाह कहा (बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर), अपना पाँव उनकी गर्दन पर रखा।

(2794) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7399.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا.

(2795) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने कुर्बानी के दिन दो मैंढे ज़बह किये जो सींगों वाले, चितकबरे और ख़स्सी थे। जब आपने उन्हें क़िब्ला रूख़ किया तो ये दुआ पढ़ी: (इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ा अ़ला मिल्लते इब्राहीमा हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिजालिका उमिर्तु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा व लका अन मुहम्मद व उम्मतिही बिस्मिलल्लाहि वल्लाहु अकबर) 'मैंने अपना रूख़ उस ज़ात की तरफ़ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, मैं मिल्लते इब्राहीम पर हूं और यकसू हूं, और मुश्रिकों में से नहीं हूं, बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं इताअ़त गुज़ारों में

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ " إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ ذَبَحَ .

से हूं, ऐ अल्लाह! ये (कुर्बानी) तेरी तरफ़ से है और तेरे ही लिये है, इसे मुहम्मद और उसकी उम्मत की तरफ़ से क़बूल फ़रमा, अल्लाह के नाम से और अल्लाह सब से बड़ा है।' फिर आपने उसे ज़बह कर दिया।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3121, मुसनद अहमद: 3/375, हदीस: 15086, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2899, तिर्मिज़ी, हदीस: 1521.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ

(2796) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसा मैंढा कुर्बानी किया करते थे जो सींगों वाला और नर (ग़ैर ख़स़ी) होता, जो स्याही में देखता (आँखें स्याह होतीं), स्याही में खाता (मुँह काला होता) और स्याही में चलता था (पाँव भी काले होते)

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1496, नसाई, हदीस: 4395, इब्ने माजा, हदीस: 3128, व मुस्लिम: 1967.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने ख़स़ी और ग़ैर ख़स़ी दोनों तरह के जानवरों की कुर्बानी की है इसलिए कुर्बानी में दोनों क़िस्म के जानवर ज़बह किये जा सकते हैं।

﴾5﴿ باب مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا

बाब : 5
कुर्बानी के लिये किस उमर का जानवर जायज़ है?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(2797) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सिर्फ़ दो दाँता जानवर ही ज़बह करो, सिवाए उसके कि तुम्हारे लिये बहुत मुश्किल हो जाये तो

وسلم " لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"

भेड़ का जज़्आ ज़बह कर सकते हो।'

तख़रीज : सही अबू अवाना: 5/228, व मुस्लिमः 1963.

फ़वाइद व मसाइल : ऊपर दी गई हदीस़ से वाज़ेह होता है कि आपने उम्मत को मुसन्ना दो दाँता जानवर बतौर क़ुर्बानी ज़बह करने का हुक्म दिया और वक़्त और दुश्वारी की सूरत में जज़्आ क़ुर्बानी करने की रूख़्सत इनायत फ़रमायी। लेकिन दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि आम हालात में भी जबकि (मुसन्ना) दो दाँता जानवर मिलना मुश्किल और दुश्वार न हो तो जज़्आ बतौर क़ुर्बानी किया जा सकता है जैसा कि हज़रत उक़बा बिन आमिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भेड़ का जज़्आ क़ुर्बानी किया। (सुनन नसाई, हदीस़: 4387) और सुनन अबी दाऊद में आसिम बिन कुलैब अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के एक सहाबी के साथ थे जिनका नाम मुजाशेअ था क़ुर्बानी के लिये बकरीयाँ तक़सीम की गयीं तो कम हो गयीं पस उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हुक्म दिया कि वह ऐलान कर दे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे बिलाशुब्हा जज़्आ (एक साला) सनय (दो दाँते) की जगह किफ़ायत कर जाता है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2799) और इसी तरह हज़रत उम्मे बिलाल (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'भेड़ के जज़्आ की क़ुर्बानी करो, इसलिए कि उसकी क़ुर्बानी जायज़ है।' (मुसनद अहमद: 6/368) मज़कुरह बाला अहादीस़ से मालूम हूआ कि आम हालात में भी भेड़ का जज़्आ क़ुर्बानी किया जा सकता है अलबत्ता हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत की रू से मुसन्ना (दो दाँता) जानवर क़ुर्बानी करना अफ़ज़ल है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इसकी बाबत फ़तहुल बारी में फ़रमाते हैं: इमाम नववी (रह.) ने जुम्हूर उलमा से नक़ल किया कि उन्होंने इस हदीस़ को अफ़ज़लीयत पर महमूल किया (जज़्आ) ये सिर्फ़ भेड़ (दुंबा, छितरा) में जायज़ है, दीगर जानवरों के बच्चों को इस उमर में क़ुर्बानी करना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चंद एक सहाबा को मजबूरी की सूरत में रूख़्सत और इजाज़त मरहमत फ़रमायी और साथ ये इरशाद फ़रमाया: तेरे बाद किसी और के लिये ऐसा करना दुरूस्त नहीं।' (सही बुख़ारी, हदीस़: 5556) और ये भी एहतिमाल है कि शूरू में दोनों क़िस्म का जज़्आ जायज़ हो बाद में बकरी के जज़्आ की क़ुर्बानी करने से मना कर दिया हो। भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़्आ बतौर क़ुर्बानी किया जा सकता है जैसा कि ऊपर दी गई दलाइल से वाज़ेह है। लेकिन इसकी उमर कितनी हो इसकी बाबत इख़्तिलाफ़ है, कुछ ने एक साल मुद्दत बतलायी है, कुछ ने छ; माह, कुछ ने सात माह। इमाम नववी इसकी बाबत फ़रमाते हैं: 'जज़्आ की उमर के बारे में सबसे राजेह क़ौल ये है कि इसकी उमर मुकम्मल एक साल हो।' (किताबुल मजमूअ: 8/365) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इसकी बाबत यूँ फ़रमाते हैं: जुम्हूर के क़ौल के मुताबिक़ भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़्आ वह है जिसकी उमर का एक साल मुकम्मल हो चुका हो। (फ़तहुल बारी: 10/21) लिहाज़ा जो हज़रात भेड़ (दुंबा, छितरा) की क़ुर्बानी करना चाहते हों वह इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि उसकी उमर कम अज़ कम एक साल हो।

(2798) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ज़ोहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा में क़ुर्बानीयाँ तक़सीम फ़रमायीं तो मुझे बकरी का एक बच्चा इनायत फ़रमाया जो जज़अा था। मैं उसे लेकर आपकी ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया: ये तो जज़अा है, आपने फ़रमाया: 'इसे ही क़ुर्बान कर दो' चुनांचे मैंने उसकी क़ुर्बानी कर दी।

(2798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/194, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1049.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا - قَالَ - فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ جَذَعٌ . قَالَ " ضَحِّ بِهِ " . فَضَحَّيْتُ بِهِ .

(2799) जनाब आसिम बिन कुलैब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के एक सहाबी के साथ थे जिनका नाम मुजाशेअ था जो कि क़बीला बनी सुलैम में से थे। (क़ुर्बानी के लिये) बकरियाँ (तक़सीम की गयीं तो) कम हो गयीं। पस उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हुक्म दिया कि वह ऐलान कर दे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'बिलाशुब्हा जज़अा (एक साला) तहकीक (दो दाँते) की जगह किफ़ायत कर जाता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस (सहाबी) का नाम मुजाशेअ बिन मसऊद (ﷺ) है।

(2799) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3140, हाकिम: 4/226, हदीस: 4388.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ .

फ़ायदा : सही अहादीस के मुताबिक़ एक साला बकरी (जज़अा) का जवाज़ ग़ालिबन तीन सहाबा के लिये साबित हूआ है। एक हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (ﷺ) जिनका बयान नीचे वाली हदीस में आ

रहा है और दूसरे ऊपर दिये गये हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) और तीसरे हज़रत उ़क़्बा बिन आमिर (ﷺ).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ " نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

(2800) हज़रत बराअ (बिन आ़ज़िब) (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी के रोज़ नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह क़ुर्बानी की उसकी क़ुर्बानी स़ही हूई और जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की तो वह गोश्त की बकरी है।' अबू बुर्दा बिन नियार (ﷺ) खड़े हूए और बोले: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैंने नमाज़ के लिये आने से पहले ही क़ुर्बानी कर दी, मैंने समझा कि आज का दिन खाने पीने का दिन है तो मैंने जल्दी की, ख़ूद भी खाया और अपने घर वालों और हमसायों को भी खिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो गोश्त की बकरी हूई।' फिर उसने कहा: मेरे पास बकरी का बच्चा है जो जज़्अ़ा है और ये गोश्त की दो बकरियों से भी बढ़कर है तो क्या ये मेरी तरफ़ से काफ़ी होगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन तेरे बाद किसी के लिये हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 983, व मुस्लिमः 1961.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ

(2801) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे मामूं ने जिनका नाम अबू बुर्दा था, नमाज़ से पहले ही क़ुर्बानी कर डाली। नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तेरी बकरी तो गोश्त की बकरी हूई।' उसने कहा:

الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ " اذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ "

ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास घर की पली हूई एक जज़अा बकरी है। आपने फ़रमाया: 'उसे ज़बह कर दो, लेकिन तेरे सिवा किसी और के लिये दुरूस्त नहीं होगी।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5556, व मुस्लिम: 2800.

फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस़: 2798 और 2799 को इसी पर महमूल करना राजेह है कि भेड़ का एक साला जानवर जो दो दाँता न हो जायज़ है, मगर बकरी की क़िस्म से जायज़ नहीं। जैसा कि तफ़्सील में गुज़र चुका है, देखिए फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 2797.

﴾6﴿ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

बाब : 6 कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ " أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى " . قَالَ

(2802) जनाब उ़बैद बिन फ़ैरूज़ कहते हैं, मैंने हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) से सवाल किया कि क़ुर्बानी में कौनसा जानवर जायज़ नहीं? तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए ... और मेरी ऊंगलियाँ और पौरें आपकी ऊंगलियों और पौरों से बहुत हेच हैं ... आप (ﷺ) ने (चार ऊंगलियों के इशारे से) फ़रमाया: 'चार क़िस्म के जानवर क़ुर्बानी में जायज़ नहीं हैं, जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और इन्तेहाई कमज़ोर कि उसकी हड्डी में गूदा ना हो।' मैं (उ़बैद बिन फ़ैरूज़) ने कहा: मुझे ऐसा जानवर भी नापसन्द है जिसके दाँत में ऐब हो,

قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ . قَالَ " مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ .

हज़रत बराअ ने कहाः जो तुम्हें नापसन्द हो तो उसे छोड़ दो मगर दूसरों के लिये हराम न ठहराओ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहाः (ला तन्क़ा) के मानी हैं जिस (की हड्डियों) में गूदा न हो। (बिल्कुल लाग़र, हड्डियों का ढाँचा हो।)

(2802) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 1497, नसाई, हदीसः 4374, इब्ने माजा, हदीसः 3144, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 2912, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1046, 1047, इब्ने जारूद, हदीसः 481, 907, हाकिमः 1/467, 468.

फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं कि ऊपर दिये गये ऐब वाले जानवर या जो इससे बढ़ कर हों, क़ुर्बानी में क़तअन जायज़ नहीं। और बक़ौल अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) मामूली ऐब क़ाबिले बरदाश्त है, क्योंकि हदीस में वाज़ेह ऐब की मुमानिअत का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - الْمَعْنَى - عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ، ذُو مِصْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلاَ جِئْتَنِي بِهَا . قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُصْفَرَّةِ

(2803) यज़ीद ज़ू मिस्र बयान करते हैं कि मैं उतबा बिन अब्द सुलमी के पास आया और (उससे) कहाः ऐ अबूल वलीद! मैं क़ुर्बानी लेने के लिये निकला हूं मगर कोई जानवर पसन्द नहीं आया सिवाए एक के कि उसके दाँत गिर गये हैं। मगर वह भी मुझे पसन्द नहीं है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहाः वह तुमने मुझे क्यों नहीं ला दिया। मैंने कहाः सुब्हानल्लाह! तुम्हारी तरफ़ से जायज़ होगा तो क्या मेरी तरफ़ से जायज़ न होगा? उन्होंने कहाः हाँ (इसलिए कि) तुम शक करते हो और मुझे कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन जानवरों से मना किया है जो मुसफ़र्रह, मुसतासलह, बख़्क़ाअ, मुशय्या या कसरा

وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ .

हों। 'मुसफ़र्रह' वह है जिसका कान जड़ से कट गया हो कि उसका सूराख़ नज़र आने लगे, मुसताासलाह: वह है जिसका सींग जड़ से निकल गया हो, बख़्क़ाअ: वह है जिसकी बीनाई जाती रहे मगर आँख क़ायम हो, मुशय्या: वह है जो ना तवानी व कमज़ोरी की वजह से दूसरी बकरियों के साथ न चल सके और कसरा: वह है जिसकी टाँग टूट गयी हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/185.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, ताहम दीगर सही अहादीस से साबित है कि वाज़ेह क़िस्म के ऐब और नक़ाइस क़ुर्बानी के जानवरों में नहीं होने चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ . قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ . قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ . قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ . قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الأُذُنُ . قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ .

(2804) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम (क़ुर्बानी के जानवरों की) आँखें और कान ग़ौर से देख लिया करें और कोई ऐसी क़ुर्बानी न करें जो कानी हो या उसका कान आगे या पीछे से कटा हूआ हो या कान चीरा हूआ हो या उसमें सूराख़ हो। ज़ुहैर कहते हैं: मैंने अबू इस्हाक़ से पूछा: क्या अ़ज़बा (सींग टूटी) का भी ज़िक्र किया था? उन्होंने कहा: नहीं। मैंने कहा: मुक़ाबलह से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: जिसके कान का किनारा काटा हूआ हो। मैंने कहा: मुदाबरह क्या है: कहा: जिसका कान पीछे की तरफ़ से काटा हूआ हो। मैंने पूछा कि शरक़ा किसे कहते हैं? कहा: जिसका कान चीरा हूआ हो। मैंने कहा ख़रक़ा किसे कहते हैं: कहा कि जिसके कान में अ़लामत

के तौर पर सुराख़ कर दिया गया हो।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1498, नसाई, हदीस: 4377–4380, इब्ने माजा, हदीस: 3142, हाकिम: 4/224, तिर्मिज़ी, हदीस: 1503.

फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह है कि कुर्बानी के जानवर के कान और आँख वग़ैरह को बग़ौर देख लेना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، وَيُقَالُ، لَهُ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَىٍّ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جُرَىٌّ سَدُوسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلاَّ قَتَادَةُ

(2805) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी कुर्बानी करने से मना फ़रमाया है जिसका कान या सींग जड़ से कट गया हो या टूट गया हो।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जुरय बिन कुलैब, सदूसी है, बसरह का रहने वाला है इससे क़तादा के सिवा और किसी ने हदीस नहीं ली।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1504, नसाई, हदीस: 4382, इब्ने माजा, हदीस: 3145.

फ़ायदा : अज़बा या अज़्ब के एक मानी यही है कि सींग का अन्दरूनी हिस्सा टूट गया हो। और दूसरे मानी वह हैं जो नीचे दी गई रिवायत में हैं, यानी आधा सींग टूटा हूआ हो या ज़्यादा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا الأَعْضَبُ قَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ .

(2806) जनाब क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) से पूछा कि आज़ब किसे कहते हैं? उन्होंने कहा: ऐसा जानवर जिसका सींग आधा या उससे ज़्यादा टूटा हूआ हो।

(2806) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4382.

बाब : 7
गाय और ऊँट कितने अफ़राद से किफ़ायत करते हैं?

﴿7﴾ بَابٌ فِي الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ، تُجْزِئُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .

(2807) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में (हज्जे) तमत्तोअ करते थे, सात अफ़राद की तरफ़ से एक गाय ज़बह करते थे और हम सब इसमें शरीक हो जाते थे।

(2807) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/304, व मुस्लिमः 1318.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ "

(2808) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गाय सात अफ़राद की तरफ़ से है और ऊँट भी सात अफ़राद की तरफ़ से है।'

(2808) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 6/427, हदीस: 5913.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

(2809) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में हुदैबिया में ऊँट सात अफ़राद की तरफ़ से नहर किया और गाय सात अफ़राद की तरफ़ से ज़बह की।

तख़रीज : मौता: 2/486, व मुस्लिमः 1318.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस़ से स़ाबित होता है कि गाय, बैल, ऊँट और ऊँटनी की क़ुर्बानी रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा से साबित है तो उनका गोश्त भी हलाल और तय्यब है। लिहाज़ा

इन जानवरों का गोश्त खाना दुरूस्त है। (2) ऊँटनी और गाय का दूध भी तय्यब और हलाल है इसलिए इन जानवरों का दूध पीना भी दुरूस्त है। (3) पिछली अहादीस़ में क़ुर्बानी के मौक़े पर गाय और ऊँट में सात सात अफ़राद के शरीक होने का ज़िक्र है, जबकि जामेअ़ अत्तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की रिवायात में गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद की शिर्कत होने का ज़िक्र मौजूद है। लेकिन दोनों क़िस्म की शिर्कत का तअ़ल्लुक़ हज व उ़मरह से है। और हज व उ़मरह में गाय और ऊँट में सिर्फ़ सात सात अफ़राद ही शरीक होंगे, जबकि आ़म क़ुर्बानी में गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद शरीक हो सकते हैं ये फ़र्क़ अहादीस़ से स़ाबित है। इसके अ़लावा ऐसा करना नस़ के भी ख़िलाफ़ है।

बाब : 8
एक जमाअ़त की तरफ़ से एक बकरी क़ुर्बानी करना

﴿8﴾ باب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

(2810) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं एक ईदुल अज़हा के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईदगाह में हाज़िर था जब आप (ﷺ) ने अपना ख़ुत्बा मुकम्मल कर लिया और मिम्बर से उतरे तो आपको एक मैंढा पेश किया गया। आपने उसे अपने हाथ से ज़बह किया और ये दुआ पढ़ी: (बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हाज़ा अ़न्नी वअ़म्मन लम युज़हि नि उम्मती) 'अल्लाह के नाम से, और अल्लाह सबसे बड़ा है, ये मेरी तरफ़ से और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से है जो क़ुर्बानी नहीं कर सके।'

(2810) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1521, तहावी मआनिल आसार: 4/177, हाकिम: 4/229.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक बकरी का अपने घर के तमाम अफ़राद की तरफ़ से किफ़ायत करना तो बिलकुल सही साबित है, मगर लोगों की एक जमाअत की तरफ़ से एक बकरी ज़बह करना सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत है। (2) ईदगाह में कुछ औक़ात मिम्बर इस्तेमाल कर लिया जाये तो जायज़ है। जैसे कि इस हदीस में बयान है। इसके अलावा सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में भी इस बात का तज़किरह मौजूद है। कि 'नबी (ﷺ) जब ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हूए तो नीचे उतरे और औरतों की तरफ़ तशरीफ़ ले गये।' (सही बुख़ारी, हदीस: 961, व मुस्लिम: 884)

﴾9﴿ بَابُ الإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

बाब : 9 इमाम ईदगाह ही में क़ुबानी करे

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

(2811) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) अपनी क़ुर्बानी ईदगाह ही में ज़बह किया करते थे और हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) का भी यही अमल था।

(2811) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3161, बुख़ारी, हदीस: 982.

फ़ायदा : मुस्तहब यही है कि इमाम बिलख़ुसूस ईदगाह में क़ुर्बानी करे ताकि दूसरे लोगों को तर्ग़ीब हो।

﴾10﴿ بَابٌ فِي حَبْسِ لُحُومِ الأَضَاحِي

बाब : 10 क़ुर्बानी का गोश्त रख लेना जायज़ है

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ

(2812) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में (एक बार) ईदुल अज़हा के मौक़े पर देहातों के लोग बहुत ज़्यादा आ गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी क़ुर्बानियों में से तीन रात के

لِيَهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ " . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا ذَاكَ " . أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا " .

लिये रख लो और बाक़ी सदक़ा कर दो।' बयान करती हैं कि फिर उसके बाद का मौक़ा आया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग (पहले) अपनी क़ुर्बानियों से फ़ायदा उठाते थे, उनकी चर्बी जमा कर लेते थे और उन (की खालों) से मश्कीज़े बना लेते थे। रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो (अब) क्या हूआ?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क़ुर्बानी का गोश्त तीन रात से ज़्यादा रखने से मना फ़रमा दिया है। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें इस वजह से रोका था कि तुम्हारे पास देहाती लोग बहुत ज़्यादा आ गये थे। सो तुम खाओ, सदक़ा करो और रख भी लो।'

(2812) तख़रीज : मौता: 2/484, 485, व मुस्लिम: 1971.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(2813) हज़रत नुबैशा हज़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमने तुम लोगों को क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखने से इसलिए मना किया था कि तुम सबको गोश्त पहुँच जाये और (अब) अल्लाह तआला ने तुम्हें वुसअत दे दी है (और ग़नी कर दिया है) पस खाओ, ज़ख़ीरह करो और अज्र कमाओ, ख़बरदार! ये दिन खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं।'

(2813) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4236, इब्ने माजा, हदीस: 3160, व मुस्लिम: 1141.

फ़ायदा : इन अहादीस़ से मालूम हुआ कि जहां फ़कीरों व मिस्कीनों की कस़रत हो, वहां कुर्बानी का गोश्त उनमें तक़सीम करने की बजाये ज़ख़ीरह कर लेना स़ही नहीं है। अलबत्ता जहां मामला उसके बरअक्स हो तो वहां उसकी कुछ गुंजाइश है।

बाब : 11
जानवरों को बाँधकर क़त्ल करना मना है और ज़बीहा के साथ नर्मी करने का बयान

﴿11﴾
باب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ " . قَالَ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .

(2814) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि दो बातें मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हैं: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ एहसान को वाजिब किया है, सो जब तुम क़त्ल करो तो उसमें भी एहसान करो।' मुस्लिम बिन इब्राहीम के सिवा किसी दूसरे रावी के अल्फ़ाज़ हैं: (फअह्सिनुल कित्लता) 'पस अच्छाई के साथ क़त्ल करो। और जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो। चाहिए कि ज़बह करने वाला अपनी छुरी को तेज़ कर ले और अपने जानवर को राहत पहुँचाये।'

(2814) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हुक्म आम है कि काफ़िर या मुजरिम को भी अज़ीयत (तक़लीफ़) देकर क़त्ल करना नाजायज़ है, अलबत्ता कुछ सूरतें मख़सूस हैं जैसे सूली चढ़ाना, क़िसास़ लेना या शादी शुदा ज़ानी को पत्थर मार मार कर क़त्ल करना। लेकिन क़त्ल से पहले नअश का मुसला करना (उसके आज़ा काटना) जायज़ नहीं। **(2)** क़ाबिले क़त्ल जानवरों को क़त्ल करते हूए ताक कर निशाना मारना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चोट लगाकर उनके तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना हराम

है। इसी तरह ज़बीहा जानवरों के लिये छुरी को ख़ूब तेज़ किया जाये और मतलूबा मक़ाम पर छुरी रखी जाये और जानवर को अच्छी तरह से पकड़ा जाये या बाँधा जाये ताकि ज़बह करना आसान रहे।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا " . قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ " فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ "

(2815) हिशाम बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं हज़रत अनस (ﷺ) के साथ हकम बिन अय्यूब के पास गया, उन्होंने देखा कि कुछ नौजवान या लड़के एक मुर्ग़ी को खड़ा करके उस पर निशाने मार रहे हैं। तो हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि जानवरों को बाँधा जाये (और क़त्ल किया जाये)

(2815) तख़रीज : बुख़ारी हदीस: 5513 व मुस्लिम: 1956.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी पालतू जानवरों को बाँधकर निशाना लेकर मारा जाये और क़त्ल किया जाये या ज़बह किया जाये, तो हराम है। अलबत्ता कोई जानवर वहशी बन जाये और क़ाबू में न आ रहा हो तो दूर से निशाना लेकर ज़बह करना जायज़ होगा जैसे कि शिकारी जानवरों में होता है। **(2)** ज़बह करने की ख़ातिर जानवर को मज़बूती से पकड़ना या उसकी टाँगें वग़ैरह बाँध लेना कि भाग न जाये, उसके साथ एहसान है जो कि मतलूब है।

बाब : 12
मुसाफ़िर भी क़ुर्बानी करे

﴿12﴾
بَابٌ فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ

(2816) हज़रत सौबान (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी की फिर फ़रमाया: 'ऐ सौबान! हमारे लिये इस बकरी का गोश्त बनाओ।' कहते हैं: फिर मैं

نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

आपको इससे खिलाता रहा यहाँ तक कि हम मदीने आ गये।

(2816) तख़रीज : मुस्लिमः 1975.

फ़ायदा : ये हज्जतुल विदाअ़ का वाक़ेआ है। इससे मालूम हूआ कि क़ुर्बानी करने के लिये सफ़र कोई उ़ज़्र नहीं है और मुक़ीम होना कोई शर्त नहीं।

﴾13﴿ بَاب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

बाब : 13 अहले किताब के ज़बीहा का हुक्म

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فَنَسَخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}

(2817) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह का फ़रमान है: (फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अ़लैहि) 'खाओ वह चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो।' और अगली आयत में है: (व ला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि अ़लैहि) 'वह चीज़ें मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो।' उसे मन्सूख़ करके (अहले किताब के तआ़म को हमारे लिये हलाल कर दिया गया और) फ़रमाया: (वतआ़मुल्ल ज़ीना उतुल किताबा हिल्लुल लकुम वतआ़मुकुम हिल्लुल लहुम) 'जिन लोगों को किताब दी गयी है उनका तआ़म तुम्हारे लिये हलाल है और तुम्हारा तआ़म उनके लिये हलाल है।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: (9/282)

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन आयात में 'तआ़म' और चीज़ों से मुराद बिलख़ुसूस हलाल ज़बह शुदा जानवर ही हैं। **(2)** जो अपनी मौत मरे या ज़बह के वक़्त जानबुझ कर नाम न लिया जाये तो वह मुरदार

और हराम है, (मछली और ड्डिडी का इस्तेस़ना मालूम व मअरूफ़ है) (3) अहले किताब जब अपने शरई अन्दाज़ में ज़बह करें तो उनका ज़बीहा हलाल है, बख़िलाफ़ मजूसियों और हिन्दूओं वग़ैरह के, मगर ये कि वाज़ेह हो जाये कि अहले किताब ने ग़ैरूल्लाह के नाम पर ज़बह किया है या ज़बह ही नहीं किया। जैसे आजकल योरोप वग़ैरह में ज़बह करने की बजाये मशीनी झटके से जानवर को मारा जाता है। ये सरासर ग़ैर शरई तरीक़ा है, जिससे जानवर मुरदार के हुक्म में हो जाता है जिसका खाना जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} يَقُولُونَ مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ تَأْكُلُوا وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } .

(2818) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से अल्लाह तआ़ला के फ़रमानः (व इन्नश्शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम) और 'शैतान अपने दोस्तों को इल्हाम करते हैं।' (की तफ़्सीर) में मरवी है कि वह कहते हैं: जिसे अल्लाह ने ज़बह किया (मारा) हो उसे मत खाओ और जिसे तुम ख़ूद ज़बह करो, वह खा लो। तो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल फ़रमायाः (व ला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि अ़लैहि) 'वह चीज़ मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो।'

(2818) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3173, तबरानी: 11/241, हदीस़: 11614.

फ़ायदा : सूरह मायदा की आयत नम्बर 5 में अहले किताब के ज़बीहा की रूख़सत दे दी गयी है जैसे कि ऊपर ज़िक्र हूआ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ

(2819) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि यहूदी लोग नबी (ﷺ) के पास आये और कहाः हम वह तो खा लेते हैं जो ख़ूद क़त्ल करते हैं और जिसे अल्लाह ने क़त्ल किया (मारा) हो उसे नहीं खाते? तो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल फ़रमायाः (व ला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि

ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺄَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ { ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﺬْﻛَﺮِ ﺍﺳْﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ } ﺇِﻟَﻰ ﺁﺧِﺮِ ﺍﻵﻳَﺔِ.

अ़लैहि ... अल आयत) 'और जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे मत खाओ ...'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 3069.

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक इसमें सिर्फ़ यहूदीयों का ज़िक्र सही नहीं बल्कि मुश्रिकों ने ये ऐतराज़ किया था और ये जवाब नाज़िल हुआ।

﴾14﴿ ﺑَﺎﺏ ﻣَﺎ ﺟَﺎﺀَ ﻓِﻲ ﺃَﻛْﻞِ ﻣُﻌَﺎﻗَﺮَﺓِ ﺍﻷَﻋْﺮَﺍﺏِ

बाब : 14
ऐसे जानवरों का खाना जिनको बदवी लोग फ़ख़्र व मुबाहात के तौर पर ज़बह करें

फ़ायदा : अ़रब के कुछ लोगों में ये रिवाज था कि एक दूसरे के मुक़ाबले में आकर ऊँटों को ज़बह करना शूरू कर देते थे और उनका ये मुक़ाबला होता रहता यहाँ तक कि आख़िर में एक आ़जिज़ आ जाता और इस मुक़ाबले में उनकी अपनी बड़ाई, मालदार और बड़े दिल वाला होने का इज़हार होता था। हालांकि वाक़ेअ़तन जानवर ज़बह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऐसे जानवरों के गोश्त से मना फ़रमाया गया है अगरचे तकबीर पढ़कर ही ज़बह किये गये हों, क्योंकि इसमें इस्राफ़ व तब्ज़ीर और बेमक़सद माल ज़ाया करना है। कुछ उलमा ने इस कैफ़ीयत को ग़ैरूल्लाह के नाम पर ज़बह करने के मानी में भी लिया है क्योंकि ये इत्तेबाअ़े हवा (ख़्वाहिशे नफ़्स) की वजह से ज़बह किये जाते थे, न कि अल्लाह के लिये और न उसके बताये हूए मशरूअ़ मक़ासिद के लिये।

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﺎﺭُﻭﻥُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺣَﻤَّﺎﺩُ ﺑْﻦُ ﻣَﺴْﻌَﺪَﺓَ، ﻋَﻦْ ﻋَﻮْﻑٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺭَﻳْﺤَﺎﻧَﺔَ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﻗَﺎﻝَ ﻧَﻬَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋَﻦْ ﺃَﻛْﻞِ ﻣُﻌَﺎﻗَﺮَﺓِ ﺍﻷَﻋْﺮَﺍﺏِ . ﻗَﺎﻝَ

(2820) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़रब के बहुओं के इस अ़मल से मना फ़रमाया है जिसमें वह मुक़ाबले बाज़ी में ऊँट ज़बह करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: गुन्दर ने इस रिवायत को हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) पर मौक़ूफ़ कहा है।

أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ وَغُنْدَرٌ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (रावी हदीस़) अबू रैहाना का नाम अ़ब्दुल्लाह बिन मतर है।

(2820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/313, 314, अलमुख़्तारा: 11/131, हदीस़: 124.

फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत में इख़्तिलाफ़ है। लेकिन इसमें जिस चीज़ से मना किया गया है, वह दूसरे दलाइल की रू से ममनूअ (मना) ही है।

﴾15﴿ باب فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

बाब : 15 पत्थर से ज़बह करने का मस़ला

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " . وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرَعَانٌ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2821) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कल हम दुशमन से मिलेंगे लेकिन हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, तो क्या हम पत्थर से या लाठी के तेज़ फटे से ज़बह कर सकते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फुर्ती दिखाओ, या जल्दी करो, जो चीज़ भी ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो उसे खाओ, लेकिन दाँत या नाख़ुन न हो, मैं तुम्हें इसके मुताल्लिक़ बताता हूं कि दाँत हड्डी है और नाख़ुन हब्शी लोगों की छुरी है।' और कुछ जल्द बाज़ लोग आगे बढ़े और उन्होंने जल्दी की, उन्हें कुछ ग़नीमतें मिल गयी थीं जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों के पीछे थे, उन्होंने देगचे आग पर रख दिये, रसूलुल्लाह (ﷺ)

فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا " .

इन देगचों के पास से गुज़रे तो आपने हुक्म दिया और उन्हें उलट दिया गया और उनमें (ग़नीमतें) तक़सीम कीं, तो एक ऊँट को दस बकरियों के बराबर किया। और जमाअत के ऊँटों में से एक ऊँट भाग खड़ा हूआ, उनके पास घोड़े नहीं थे, तो एक आदमी ने उसको तीर मारा और अल्लाह ने उसको रोक लिया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन जानवरों में भी बिदक कर भागने वाले होते हैं जैसे कि दीगर वहशी (जंगली जानवर), तो जो इनमें से इस तरह से करे, इसके साथ इसी तरह करो।'

(2821) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5498, व मुस्लिम: 1968.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बवक़्ते ज़रूरत तेज़ धारीदार पत्थर और लकड़ी के तेज़ छिलके या फटे वग़ैरह से ज़बह करना जायज़ है मगर दाँत, हड्डी और नाख़ुन से ज़बह करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें कुफ़्फ़ार की मुशाबहत है। **(2)** ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना और ख़ून निकालना लाज़मी है। **(3)** जो जानवर वहशी बन जाये और क़ाबू में न आ रहा हो तो उसे शिकार की मानिन्द निशाना मार कर ज़बह करना या ज़ख़्मी करना यहाँ तक कि क़ाबू में आ जाये जायज़ है। जब वह ज़ख़्मी होकर गिर जाये, तो उसके गले पर छुरी फेरकर उसे ज़बह कर लिया जाये। **(4)** इमाम को हक़ हासिल है कि हस्बे मस़लिहत माली तअज़ीर लगाये (जुर्माना करना मुबाह है) **(5)** इस्लामी मुआशरे में अ़दल का निफ़ाज़ बहुत ज़रूरी है, बिलख़ुसूस़ जिहाद में और कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये अ़मल कुफ़्फ़ार पर नुस़रत और ग़ल्बे का एक अहम हिस्सा है। **(6)** इस हदीस़ में ऊँट को दस बकरियों के बराबर क़रार देना, इस मौक़े पर क़ीमत की बुनियाद पर था। इससे ये इस्तेदलाल करना कि एक ऊँट में दस अफ़राद हिस्सेदार हो सकते हैं महल्ले नज़र (डाउटफुल) है। लेकिन क़ुर्बानी के मौक़े पर एक ऊँट में दस अफ़राद के शरीक होने का ज़िक्र दूसरी अहादीस़ से स़ाबित है। (तफ़्स़ील के लिये देखिये: फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 2810)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ، وَحَمَّادًا، حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، - عَنْ

(2822) मुहम्मद बिन स़फ़वान या सफ़वान बिन मुहम्मद (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं: मैंने दो ख़रगोश शिकार किये तो मैंने

عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا .

उनको पत्थर से ज़बह किया। फिर मैंने उनके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त किया तो आपने मुझे उनके खाने का हुक्म दिया।

(2822) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4318, 4404, इब्ने माजा, हदीस: 3175–3244, इब्ने हिब्बान, 1069, हाकिम: 4/235.

फ़ायदा : ख़रगोश हलाल जानवर है। और जब छुरी मौजूद न हो तो तेज़ धारीदार पत्थर से ज़बह करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا .

(2823) बनू हारिसा के एक शख़्स से रिवायत है कि वह उहुद की एक घाटी में दूध देने वाली ऊँटनी चराया करता था। तो उस ऊँटनी को मौत ने आ लिया और उसे कोई चीज़ न मिली जिससे वह उसे नहर करता। फिर उसने एक मैख़ ली और उसे उसके लब्बा (नरख़रा, सीने के पास नहर करने की जगह) में घौंप दिया यहाँ तक कि उसका ख़ून बह गया। फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और इसके मुताल्लिक़ सब कुछ बताया, तो आपने इसके खाने का हुक्म दिया।

(2823) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/250, 281, मुसनद अहमद: 5/430.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ

(2824) हज़रत अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! फ़रमाइये कि हममें से कोई शिकार करता है और उसके पास छुरी नहीं होती तो क्या वह उसे पत्थर से या

إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ " أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

लकड़ी के तेज़ फटे से ज़बह कर ले? आपने फ़रमाया: 'ख़ून बहाओ, जिससे भी तुम चाहो और अल्लाह का नाम ज़िक्र करो।'

(2824) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4309, हाकिमः, 4/24.

फ़ायदा : पिछली अहादीस़ की रोशनी में दाँत और नाख़ुन से ज़बह नहीं किया जा सकता, इसके अलावा किसी भी तेज़ धार चीज़ से ज़बह किया जा सकता है, बशर्ते कि अल्लाह का नाम लिया गया हो, तो उसका खाना हलाल है।

﴿16﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ

बाब : 16
जो जानवर कहीं गिर गया हो, तो उसको ज़बह करने का तरीक़ा

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ .

(2825) जनाब अबू अलउशरा अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल: क्या जानवर का ज़बह करना लब्बा (नरख़रे) से या हल्क़ ही से होता है? आपने फ़रमाया: 'अगर तू उसकी रान में भी कोई तीर वग़ैरह मार दे तो काफ़ी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये सूरत सिर्फ़ उस जानवर में है जो कहीं नीचे जा गिरा हो या वहशी बन गया हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1481, नसाई, हदीस़: 4413, इब्ने माजा, हदीस़: 3184, इब्ने जारूद, हदीस़: 907 मज्मउज़्ज़वाइद: 4/34.

फ़ायदा : रिवायत सनदन अगरचे ज़ईफ़ है, ताहम इज़्तेरारी कैफ़ियत में जब ज़बह की मोहलत न मिले और कहीं से भी ख़ून बह जाये तो वह ज़बह के मानी में होगा जैसे कि शिकार में होता है।

बाब : 17
ज़बह ख़ूब अच्छी तरह से करना चाहिए

﴿17﴾
بَابٌ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - زَادَ ابْنُ عِيسَى - وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ . زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ .

(2826) हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शैतान के ज़बीहा से मना फ़रमाया है।

इमाम इब्ने ईसा ने अपनी हदीस़ में ये इज़ाफ़ा नक़ल किया है (शैतान के ज़बीहा से मुराद ये है कि) ज़बीहा की खाल काट दी जाये मगर रगें न काटी जायें और फिर उसे यूंही छोड़ दिया जाये यहाँ तक कि मर जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह को अ़म्र बरक़ कहा जाता है, इकरमा इसके वालिद के यहां यमन में मेहमान ठहरे थे। और मअ़मर जब इससे रिवायत करते हैं तो वह अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं और जब अहले यमन रिवायत करते हैं तो उसका नाम ज़िक्र नहीं करते।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/289, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1074, हाकिम: 4/113.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सनदन रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन मसला इसी तरह है कि इस तरह का जानवर हलाल न होगा। **(2)** हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दो बातें याद कीं। आपने फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ क़रार दिया है। लिहाज़ा जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो। और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करो तो उ़म्दा तरीक़े से ज़बह करो, ज़बह करने वाले हर शख़्स को चाहिए कि अपनी छुरी तेज़ करे और अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाये। (स़ही मुस्लिम: 1955) इसके अ़लावा रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुद भी

ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ करने का एहतिमाम फ़रमाते थे। हदीस़ के अल्फ़ाज़ 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शैतान के ज़बीहा से मना फ़रमाया है।' में मज़कूर 'ज़बीहा जानवर' से मुराद ऐसा जानवर है जिसको ज़बह करते वक़्त ज़रा सा हलक़ काट दिया, पूरी रगें न काटीं और वह तड़प तड़प कर मर गया। जाहिलीयत के ज़माना में मुश्रिक ऐसा ही करते, चूंकि शैतान ने उनको भड़काया था इसलिए ऐसा ज़बीहा को शैतान का ज़बीहा फ़रमाया। और इसी के एक मानी इब्ने ईसा ने भी बयान फ़रमाये हैं जो कि हदीस़ में मज़कूर हैं।

बाब : 18
पेट के बच्चे का ज़बह का मसला

﴾18﴿
باب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .

(2827) हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पेट के बच्चे के मुताल्लिक़ सवाल किया, तो आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो खा लो।' मुसद्दद के अल्फ़ाज़ में यूँ है कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कोई ऊँटनी, गाय या बकरी ज़बह करते हैं तो उसके पेट से बच्चा निकल आता है, क्या हम उसे खा लें या फेंक दें? आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो खा लो। बिलाशुब्हा इसकी माँ का ज़बह करना ही इसके लिये ज़बह है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 1476, इब्ने माजा, हदीस़: 3199, मवारिद अज़्ज़मान, हदीस़: 1077.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ

(2828) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चे का ज़बह करना उसकी माँ के ज़बह करने में है।'

الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ "

(2828) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस: 1985, हाकिम: 4/114.

फ़ायदा : अगर बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको ज़बह करना लाज़िम होगा वरना वह माँ की तरह ज़बीहा का हिस्सा है और हलाल है और उसका खाना जायज़ है।

﴿19﴾ باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لاَ يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ

बाब : 19
जिस गोश्त के मुताल्लिक़ मालूम न हो कि उसके ज़बह करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी है या नहीं

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، وَمُحَاضِرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا " .

(2829) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ लोग, जो जाहिलीयत से नये नये निकले हैं, हमारे पास गोश्त लाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि उन्होंने उन जानवरों को ज़बह करते हूए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी या नहीं, तो क्या हम ये खा लें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अल्लाह का नाम लो और खा लो।'

(2829) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/239, बुख़ारी, हदीस: 2057, 5507, 7398, मौता: 2/488.

फ़ायदा : मुसलमान के अहवाल बुनियादी तौर पर ख़ैर और सलाह ही पर महमूल होते हैं। मगर ये कि कोई वाज़ेह और सरीह बात सामने आये। इसलिए महज़ वहम व गुमान की बिना पर किसी शुब्हे में नहीं पड़ना चाहिए। जानवर ज़बह करते हूए जानबूझ कर 'बिस्मिल्लाह' छोड़ देना नाजायज़ है, लेकिन भूल माफ़ है और ऐसी सूरत में ज़बीहा के हलाल होने में कोई शक व शुब्हा नहीं होना चाहिए।

﴾20﴿ بابٌ فِي الْعَتِيرَةِ

बाब : 20 अतीरा का मसला

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَىِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا " . قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ " . قَالَ نَصْرٌ " اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ " . قَالَ خَالِدٌ أَحْسَبُهُ قَالَ " عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " . قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ

(2830) हज़रत नुबैशा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पुकार कर कहा: हम जाहिलीयत में रजब के महीने में क़ुर्बानी किया करते थे। (अतीरा) तो आप हमें क्या इरशाद फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के लिये ज़बह करो जिस महीने में भी हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये नेकी करो और खिलाया करो।' उस आदमी ने कहा कि हम जाहिलीयत में फ़रअ भी करते थे, तो आप हमें क्या फ़रमाते हैं? फ़रमाया: 'तमाम चरने वाले जानवरों में एक फ़रअ है (ज़बीहा है) ये नो मौलूद बच्चा जिसे कि तेरे दूसरे जानवर ग़िज़ा देते हैं यहाँ तक कि जब वह बौझ उठाने के क़ाबिल हो जाये।' नसर बिन अली ने कहा: 'जब वह हाजियों को उठाने के क़ाबिल हो जाये तो तू उसे ज़बह कर और उसका गोश्त सदक़ा कर। ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं: मेरा ख़्याल है कि (उस्ताज़ अबू क़िलाबा ने) यूं कहा:

'मुसाफ़िरों पर सदक़ा कर बिलाशुब्हा ये ख़ैर का अमल है।' ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं: मैंने उस्ताज़ अबू क़िलाबा से पूछा कि सायमा (चरने वाले) जानवरों की तादाद क्या होती है? उन्होंने कहा: एक सौ।

(2830) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4234, इब्ने माजा, हदीस: 3167.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ " .

(2831) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'न फ़रअ (वाजिब) है और न अतीरा।'

(2831) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5474, व मुस्लिम: 1976.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ الْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ .

(2832) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से मरवी है: 'फ़रअ' उस बच्चे को कहते थे जो उनके जानवरों में सबसे पहले पैदा होता, फिर वह उसे ज़बह कर देते थे।

(2832) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ हदीस: 7998.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتَجُ الإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ

(2833) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हर पचास बकरियों में एक बकरी (सदक़ा) है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कुछ उलमा ने बयान किया है कि 'फ़रअ' से मुराद ऊँटों में पैदा होने वाला पहला बच्चा होता था जिसे वह लोग अपने बुतों के नाम से ज़बह करते थे, गोश्त खा लेते और उसका चमड़ा किसी दरख़्त पर डाल देते थे। और 'अतीरा' उसे कहते थे जिसे वह रजब के

لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ

पहले दस दिनों में ज़बह करते थे।

(2833) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3163, तिर्मिज़ी, हदीस: 1513.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इब्तेदा–ए–इस्लाम में 'फ़रअ और अतीरा' पर अमल होता था कि कुफ़्फ़ार ग़ैरूल्लाह के नाम पर करते थे और मुसलमान अल्लाह के नाम पर, मगर बाद में जब क़ुर्बानी का हुक्म हुआ तो उन्हें मन्सूख़ (खत्म) कर दिया गया, यानी उनका वजूब। **(2)** मजमूई तौर पर अहादीस़ से उमूमी स़दक़े के तौर पर उनका इस्तेहबाब बाक़ी है मगर ख़्याल रहे कि कुफ़्फ़ार और जाहिल लोगों से मुशाबहत न हो। वह लोग ग़ैरूल्लाह के नाम से ज़बह करते हैं जो सरासर शिर्क है। कुछ लोग ख़ून बहाना लाज़मी समझते और उसे ही तक़र्रूब का ज़रीया जानते हैं तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं। (नैलुल अवतार, हदीस: 2788)

﴿21﴾ بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ

बाब : 21
अक़ीक़े के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَىْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ .

(2834) हज़रत उम्मे कुर्ज़ कअबीया (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर बराबर (एक जैसी) और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने इमाम अहमद (रह.) से सुना, कहते थे कि (मुकाफ़िअतान) के मानी हैं कि दोनों बकरियाँ बराबर बराबर हों या क़रीब क़रीब हों।

(2834) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 4221, इब्ने हिब्बान, 1060.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह जानवर जो नौमौलूद की तरफ़ से ज़बह किया जाता है उसे 'अक़ीक़ा' कहते हैं। लुग़त में इसके मानी हैं 'काटना और शक़ करना' ये लफ़्ज़ बच्चे के सर के बालों पर भी बोला

जाता है और इसी मुनासिबत से इस ज़बीहा को अ़कीक़ा कहते हैं। फ़िक़्ही तौर पर इसका हुक्म सुन्नते मुअक्क़दा का है। **(2)** (मुकाफ़िअतान) का तक़ाज़ा है कि दोनों जानवरों की किस्म भी एक हो यानी दोनों बकरियाँ हों या, भेड़ें या मैंढे। ये नहीं कि एक बकरी हो और दूसरी भेड़।

(2835) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'परिन्दों को अपने घौंसलों में रहने दो। (उन्हें अच्छा या बुरा शगून लेने के लिये न उड़ाओ) कहती हैं: और मैंने आप (ﷺ) से सुना है, फ़रमाते थे: 'लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ हों और लड़की की तरफ़ से एक बकरी, और कोई हर्ज नहीं कि दोनों मुज़क्कर (नर) हों या दोनों मुअन्नस (मादा)।'

(2835) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4222, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1059, हाकिम: 4/237.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا " . قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " .

(2836) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ हैं हम मिस्ल (एक जैसी) और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सही हदीस यही है जबकि सुफ़ियान की हदीस वहम है।

(2836) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/301.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهَمٌ .

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के कहने का मक़सद ये है कि साबिक़ा हदीस सुफ़ियान की सनद में उ़बैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद के बाद 'अ़न अबीह' का इज़ाफ़ा सही नहीं है। सही यही सनद है जिसमें ये इज़ाफ़ा नहीं है। (औनुल माबूद, बज़्लुल मज़्हूद)

(2837) हज़रत समुरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर बच्चा अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी होता है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى " . فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنْ هَمَّامٍ " وَيُدَمَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلاَمِ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا " يُسَمَّى " . فَقَالَ هَمَّامٌ " يُدَمَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا

(लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाये, सर मुंडाया जाये और उस पर ख़ून लगाया जाये।' क़तादा (रह.) से जब ये पूछा जाता कि ख़ून किस तरह लगाया जाये तो कहते: जब जानवर ज़बह किया जा रहा हो तो उसके चंद बाल लेकर उसकी (कटने वाली) रगों के आगे कर दो और बच्चे की चन्यिा पर रख दिये जायें यहाँ तक कि वह (ताज़ा ताज़ा ख़ून) उसके सर पर धागे की मानिन्द बहने लगे। फिर उसका सर धोया जाये और बाल मूंड दिये जायें।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (वयुदम्मा) ख़ून लगाने वाली बात हम्माम का वहम है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस जुमले में हम्माम की मुख़ालिफ़त की गयी है। दीगर लोग (व युसम्मा) रिवायत करते हैं (बच्चे का नाम रखा जाये) मगर हम्माम ने इस लफ़्ज़ को (युदम्मा) कह दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये क़ाबिले अमल भी नहीं है।

(2837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1522, नसाई, हदीस: 4225.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सही और हक़ बात यही है कि सातवें दिन बच्चे का नाम रख देना सुन्नत है और (युदम्मा) (ख़ून लगाने का मसला) सही नहीं है। जैसा कि आने वाली हदीस में है। **(2)** इसी तरह कुछ लोग जो अपने मकान की बुनियाद रखते हूए जानवर का ख़ून बुनियादों में गिराते हैं या नई गाड़ी ख़रीद कर उसके टायरों वग़ैरह को ख़ून लगाते हैं तो ये भी ज़माना जाहिलीयत की बातों में से है जिनकी इस्लाम ने मनाही की है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ " وَيُسَمَّى " . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُسَمَّى "

(2838) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर बच्चा अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी होता है (लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाये, उसका सर मूंडा जाये और नाम रखा जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: लफ़्ज़ (युसम्मा) सही तर है। सलाम बिन अबी मुतीअ ने क़तादा से और ईसा बिन दग़फ़ल और अशअस ने बवास्ता हसन लफ़्ज़ : (वयुसम्मा) रिवायत किया है और अशअस ने हसन से, उन्होंने नबी (ﷺ) से यही लफ़्ज़: (वयुसम्मा) बयान किया है।

(2838) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3165, नसाई, हदीस: 4225, इब्ने जारूद, हदीस: 910, हाकिम: 4/237.

फ़ायदा : 'बच्चे के गिरवी' होने का मफ़हूम बक़ौल इमाम अहमद (रह.) ये है कि बच्चे का अगर अक़ीक़ा न किया जाये तो वह अपने माँ बाप की शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। ये भी कहा गया है कि ये अक़ीक़ा के वाजिब होने के मफ़हूम में है जैसे कि क़र्ज़ वग़ैरह की सूरत में अदायगी किये बग़ैर गिरवी चीज़ वापस नहीं हो सकती और ये भी कहा गया है कि बच्चा 'अपने बालों और मैल कुचैल' के साथ गिरवी होता है यानी उनका इज़ाला करना चाहिए। (औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " .

(2839) हज़रत सलमान बिन आमिर ज़ब्बी(ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़के के लिये अक़ीक़ा लाज़मी है, लिहाज़ा उसकी तरफ़ से ख़ून बहाओ और उसकी मैल कुचैल दूर करो।'

(2839) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5471, 5472, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7958.

(2840) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान करते थे कि (इमाततुल अज़ा) (मैल कुचैल दूर करने) से मुराद बच्चे का सर मूंडना है।
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/298.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِمَاطَةُ الأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ.

(2841) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हसन और हुसैन(ﷺ) के अक़ीक़ा में एक एक मैंढा ज़बह किया था।
(2841) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, हदीस: 912, नसाई, हदीस: 4224.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا .

फ़ायदा : ये हदीस भी सनदन सही है जब कि सुनन नसाई (हदीस: 4224) में दो दो मैंढों का ज़िक्र आया है। शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज़्यादा सही (असह) क़रार दिया है। इसके अलावा 'इरवा अलग़लील' (4/379–384) में इस रिवायत के तमाम तरीक़ पर बहस करके आख़िर में इस राय का इज़हार किया है कि रिवायात दोनों ही क़िस्म की हैं। एक एक मैंढे की भी और दो दो मैंढे की। लेकिन दो दो मैंढे वाली रिवायात दो वजह से राजेह और ज़्यादा क़ाबिले अमल हैं। एक तो इसमें 'ज़यादती' है और सिक़ा रावी की ज़्यादती मक़बूल होती है। दूसरे ये कि क़ौली रिवायात में दो जानवरों का ज़िक्र है, तो ये दूसरी रिवायात क़ौली रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाती हैं। इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) ने लिखा है कि क़वाअेदे शरीअत का इक़तज़ा भी यही है कि लड़के के लिये दो जानवर ज़बह किये जायें इसलिये कि शरीअत ने कई अहकाम में मर्द को औरत पर फ़ज़ीलत अता की है। (तोहफ़तुल मोदूद, स 79, मतबूआ दारूल किताबिल अरबी)

(2842) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और मेरा ख़्याल है कि वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) से अक़ीक़ा के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 'उक़ूक़' को पसन्द नहीं फ़रमाता, गोया आपने (अक़ीक़ा का) नाम पसन्द नहीं फ़रमाया।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ

دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ " لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ " . كَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ وَقَالَ " مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " . وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ " وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ"

(क्योंकि अक़ीक़ा और उक़ूक़ का माद्दा एक है) आपने फ़रमाया: 'जिसके यहां बच्चे की विलादत हो और वह उसकी तरफ़ से सदक़ा और क़ुर्बानी करना चाहता हो तो करे, लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर बराबर। और लड़की की तरफ़ से एक बकरी।' और आप (ﷺ) से 'फ़रअ' के मुताल्लिक़ पूछा गया, तो आपने फ़रमाया: 'फ़रअ भी हक़ है और चाहिए कि उस (नौज़ायदा) जानवर को छोड़ दो, यहाँ तक कि जब वह एक साल का या दो साल का ख़ूब मोटा हो जाये तो किसी बेवा को दे दो या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में (सवारी के लिये) दे दो, ये बेहतर है इससे कि तुम उसे ज़बह कर डालो जबकि उसका गोश्त उसके बालों ही से लगा हूआ हो, और अपने बर्तन को तुम औंधा कर डालो और अपनी ऊँटनी को बेक़रार और बेचैन कर छोड़ो।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4217.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाम हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनमें ज़ाहिरी और मानवी हुस्न हो। और लफ़्ज़ अक़ीक़ा भी पसन्दीदा नहीं अगरचे ज़बान ज़द आम है। इसलिये कि इसका माद्दा उक़ूक़ है, जिसके मानी नाफ़रमानी के हैं। ताहम इश्तराके माद्दा के बावजूद बहुत से अल्फ़ाज़ एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ मआनी में इस्तेमाल होते हैं। इस ऐतबार से लफ़्ज़ अक़ीक़ा में एक गूना मानवी क़राहत ज़रूर पाई जाती है, इसके बावजूद इसके इस्तेमाल से रोका नहीं गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी सही है। फ़रअ, इब्तेदा–ए–इस्लाम में इस पर अमल किया जाता था, मगर बाद में मुस्तहब क़रार दिया गया जैसे कि पीछे गुज़रा है। **(2)** सदक़ा देने में लोगों को खिलाने के अलावा और भी कई बेहतर अन्दाज़ हैं जो साहिबे सदक़ा के लिये ज़्यादा अज्र का बाइस हैं। जानवरों के नौज़ायदा को ज़बह करना किसी तरह पसन्दीदा नहीं, इससे माँ को बेक़रारी होती है और दूध भी कम हो जाता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ .

(2843) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा कहते हैं: मैंने अपने वालिद हज़रत बुरैदा (ﷺ) से सुना, वह बयान करते थे कि दौरे जाहिलीयत में जब हममें से किसी के यहां बच्चे की विलादत होती तो वह एक बकरी ज़बह करता और उसका ख़ून बच्चे के सर पर चुपड़ देता था और जबसे अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेअ़मत से नवाज़ा है तो हम एक बकरी ज़बह करते हैं, बच्चे का सर मूंडते हैं और उसके सर पर ज़ाफ़रान मल देते हैं।

(2843) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 9/302, 303.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसनद बज़्ज़ार में हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया: 'बच्चे के सर पर ख़ून के बजाये ख़ूशबू (ज़ाफ़रान) लगाओ।' (मुख़्तसर ज़वाइद मुसनद बज़्ज़ार: 1/499, हदीस: 760) **(2)** ये अहादीस अ़क़ीक़े की मशरूइयत और सुन्नत होने पर वाज़ेह दलालत करती हैं। लारैब (नो डाउट)! अ़क़ीक़ा सुन्नते मुअक्कदा होने के साथ साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना ज़ाती अ़मल भी है। अ़क़ीक़े की अहादीस कई सहाब–ए–किराम (ﷺ) से मरवी हैं। मसलन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर, अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा सिद्दीक़ा और सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ), लिहाज़ा मुन्किरीन का क़ौल नाक़ाबिले तवज्जा है।

كتاب الصيد

शिकार के अहकाम व मसाइल

☆ **शिकार की लुग़वी और इस्तेलाही तारीफ़:** लुग़त में शिकार को 'अस्सैद' कहते हैं और ये सादा यसीदु से मस्दर है, जिसके मानी पकड़ने और हासिल करने के हैं। इस्तेलाह में 'अस्सैद' की तारीफ़ यूँ की गयी है। 'ऐसे वहशी जानवर या परिन्दे को इरादतन पकड़ना या शिकार करना, जो इन्सानों की दस्तरस में न हों और जिनका खाना हलाल हो।'

☆ **शिकार की मश्रूइयत :** शिकार करना हलाल और जायज़ है। शरीअते मुतहहरा ने इसकी इजाज़त दी है। इरशादे बारी तआला है। 'आपसे दरयाफ़्त करते हैं कि उनके लिये क्या कुछ हलाल है? आप कह दीजिये कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल की गयी हैं। और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने साध रखा है। यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वह सीखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह तआला ने तुम्हें दे रखी है, पस जिस शिकार को वह तुम्हारे लिये पकड़ कर रोक रखें, तो तुम उससे खा लो। और उस पर अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र कर लिया करो। और अल्लाह तआला से डरते रहो। यक़ीनन अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है।' (अलमाइदा: 4)
शिकार की बाबत रसूल अकरम (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'और जो तुम सधाये हूए कुत्ते के साथ शिकार करो, तो उस पर अल्लाह का नाम ज़िक्र करो फिर खा लो।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5488)

☆ **शिकार के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी आदाब व अहकाम :** (1) समन्दरी शिकार मुहरिम और ग़ैर मुहरिम दोनों शख़्स कर सकते हैं। जबकि मुहरिम के लिये बर्री (खुश्की का) शिकार करना नाजायज़ है। (2) शिकार के लिये कुत्ता छोड़ते या फ़ायर करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। (3) शिकार के लिये आला तेज़ धार होना चाहिए जैसे तीर, गोली या नेज़ा वग़ैरह। अगर शिकार चोट लगने से मर गया तो उसका खाना हलाल नहीं। (4) अगर कुत्ते के ज़रिये से शिकार किया जाये तो ये ख़्याल रखना ज़रूरी है कि उसके साथ ग़ैर सधाये हूए कुत्ते शरीक न हूए हों। (5) अगर कुत्ते ने शिकार में से कुछ खा लिया तो उसे खाना दुरूस्त नहीं।

كتاب الصيد

शिकार के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

बाब : 1 शिकार वग़ैरह के लिये कुत्ता रखने का बयान

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .

(2844) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता पाला, सिवाए इसके कि वह जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो, या शिकार के लिये, या खेती के लिये तो ऐसे शख़्स के अज्र में से हर रोज़ एक क़ीरात कम होता रहेगा।'

(2844) तख़रीज : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 19612, तिर्मिज़ी, हदीस: 1490 व मुस्लिम: 1575.

फ़ायदा : इन मक़ासिद के अलावा कुत्ता रखना गुनाह और ख़सारे का सौदा है कि हर रोज़ उसके सवाब में से एक क़ीरात कम होता रहता है और अल्लाह ही को मालूम है कि ये वज़न किस क़द्र होगा। जबकि औज़ान में क़ीरात 2125 ग्राम चाँदी के वज़न पर बोला जाता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

(2845) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न होती कि कुत्ते भी (अल्लाह की मख़्लूक़ और) उम्मतों में से एक उम्मत हैं, तो मैं उनके क़त्ल करने

لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ " .

का हुक्म दे देता, (बहरहाल) इनमें से जो काला स्याह हो, उसे मार डाला करो।'

(2845) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4285, तिर्मिज़ी, हदीस़ : 1486, 1489, इब्ने माजा, हदीस़: 3205.

फ़ायदा : काला कुत्ता शक्ल व सूरत में भी बहुत वहशत नाक होता है और ग़ालिबन तबअ़न भी इसमें ख़बासत ज़्यादा होती है इसलिए उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया गया है। और गुज़िश्ता हदीस़: 706 किताबुस्सलात में गुज़रा है कि 'काला कुत्ता शैतान होता है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ - يَعْنِي بِالْكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ

(2846) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (इब्तेदाई अय्याम में) कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया था यहाँ तक कि अगर कोई औरत देहात से आती और उसके साथ कुत्ता होता तो हम उसे भी क़त्ल कर डालते थे, इसके बाद आपने हमें इससे मना कर दिया और फ़रमाया: 'सिर्फ़ काले कुत्तों को मारो।'

(2846) तख़रीज : मुस्लिम: 1572.

फ़ायदा : काला कुत्ता और बिलख़ुसूस वह जिसकी आँखों पर दो नुक़्ते से हों, उसे शैतान से ताबीर किया गया है, इसलिए उसको मारने का हुक्म है। अगर किसी आबादी में आम कुत्ते बढ़ जायें और लोगों के लिये अज़ीयत का बाइस हों तो उनको क़त्ल करना और कम करना भी जायज़ है। लेकिन बिल्कुल फ़ना कर देना जायज़ नहीं।

﴾2﴿ بابٌ فِي الصَّيْدِ

बाब : 2
शिकार करने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(2847) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) का बयान है कि मैंने नबी (ﷺ) से सवाल किया कि मैं अपने सधाये हूए कुत्ते छोड़ता हूं तो वह मेरे लिये शिकार पकड़ रखते हैं, तो क्या

وسلم قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَىَّ أَفَآكُلُ قَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا " . قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ " .

मैं (उसे) खा लूं? आपने फ़रमाया: 'जब तुम सधाये हूए कुत्ते छोड़ो और अल्लाह का नाम लो, तो जो वह तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसे खा लो।' मैंने कहा: अगरचे वह उसे मार ही डालें, आपने फ़रमाया भले मार ही डालें, बशर्ते कि कोई और कुत्ता उनमें शामिल न हो गया हो जो उनमें से न हो।' मैंने कहा: मैं भाला फैंकता हूं और उससे शिकार करता हूं, तो क्या (उसे) खा लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'जब तुम भाला फैंको और 'बिस्मिल्लाह' कहो और वह शिकार को लगे और उसको फाड़ दे तो खा सकते हो, लेकिन अगर वह चौड़ाई की तरफ़ से लगे (बग़ैर धार के महज़ चोट से उसको मार डाले) तो मत खाओ।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5477, व मुस्लिम: 1929.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ لِي " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ " .

(2848) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया (और) कहा: हम इन कुत्तों के ज़रिये से शिकार करते हैं। तो आपने मुझसे फ़रमाया: 'जब तुम अपने सधाये हूए कुत्ते छोड़ो और उन पर 'बिस्मिल्लाह' कहो तो जो वह तुम्हारे लिये रोक रखें उसे खा लो, ख़्वाह वह उसे मार ही डालें, सिवाए इसके कि कुत्ता ख़ूद उसमें से कुछ खा ले, अगर वह उसमें से खा ले तो तुम मत खाओ। मुझे अन्देशा है कि उसे उसने अपने लिये पकड़ा होगा।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5484, व मुस्लिम: 1929.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुत्ते से शिकार करना हलाल और जायज़ है। (2) शर्त ये है कि कुत्ता सधाया हूआ हो और अपने मालिक की हिदायत पर पूरा—पूरा अ़मल करता हो, यानी अगर छोड़े और दौड़ाये तो दौड़ जाये और अगर वापस बुलाये तो वापस आ जाये। (3) और फिर ये भी है कि मालिक के छोड़ने पर शिकार करे, अगर ख़ूद से शिकार मार लिया तो हलाल न होगा। (4) कुत्ता छोड़ते हूए 'बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर' पढ़े। अगर भूल जाये तो मुआ़फ़ है और शिकार हलाल है। क्यों कि अल्लाह का नाम हर मुसलमान के दिल में है। अलबत्ता जानबुझ कर छोड़ देने से शिकार हलाल न होगा। (5) कुत्ता उस शिकार में से कुछ न खाये बल्कि मालिक के लिये रोक रखे, और अगर खाया हो तो हलाल न होगा। (6) अगर शिकार ज़िन्दा हो तो 'बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर' पढ़ कर उसे ज़बह करे। (7) अगर कोई और कुत्ता उन कुत्तों के साथ मिल गया हो और मालूम न हो कि किसने मारा है या न मालूम दूसरे कुत्ते पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है या नहीं, तो हलाल न होगा। अगर मालूम हो जाये कि दूसरे पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है तो बिलाशुब्हा हलाल होगा। (8) भाले से भी शिकार हलाल और जायज़ है, बशर्ते कि 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर फैंके और धार की जानिब से शिकार को लगे और उसे ज़ख्मी कर दे। अगर चौड़ाई की तरफ़ से लगा हो और शिकार मर गया हो तो हलाल न होगा। (9) बंदूक़ की गोली और छर्रह भी बाज उ़लमा (इमाम शौकानी, सय्यद साबिक़ और अ़ल्लामा यूसुफ़ क़र्ज़ावी वग़ैरह) के नज़दीक इसी हुक्म में है यानी उनका शिकार भी हलाल है, क्योंकि उनके ख़्याल में बंदूक़ की गोली भी शिकार को फाड़ देती है और ख़ून निकाल देती है। (10) लेकिन गुलेल का मारा हूआ शिकार उसकी चोट से मर जाये तो हलाल नहीं क्योंकि वह चीरती है, न ख़ून बहाती है बल्कि वह वाज़ेह तौर पर गुलेल की चोट से मरता है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ وَلاَ فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلاَبِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا " .

(2849) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुमने अपना तीर मारा हो और अल्लाह का नाम लिया हो फिर अपने शिकार को अगले दिन पाओ लेकिन पानी में न पाओ (ऐसा न हो कि डूब कर मरा हो) और किसी और के तीर का भी उसमें निशान न हो, तो उस शिकार को खा लो। और जब तुम्हारे कुत्तों के साथ कोई और कुत्ता मिल गया हो तो मत खाओ, न मालूम उसको उस कुत्ते ने मारा हो जो तुम्हारे कुत्तों में से न था।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5484, व मुस्लिम: 1929.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ "

(2850) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा शिकार पानी में डूब गया हो और फिर मर गया हो तो मत खाओ।'

(2850) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/378.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ " إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْبَازُ إِذَا أَكَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

(2851) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस कुत्ते या बाज़ को तूने सधाया हो फिर तू उसे छोड़े और अल्लाह का नाम ले, तो जो वह तेरे लिये रोक रखे उसे खा ले।' मैंने अ़र्ज़ किया: ख़्वाह वह उसे क़त्ल ही कर डाले? आपने फ़रमाया: 'जब वह उसे मार डाले मगर उसमें से उसने खाया न हो तो वह उसने तेरे ही लिये रोक रखा है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: बाज़ अगर खा भी ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुत्ता अगर खाये तो मकरूह है (हराम है) लेकिन अगर ख़ून पी ले, तो कोई हर्ज नहीं।

(2851) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1467, बैहक़ी: 9/235, 238.

मल्हूज़ : ये रिवायत इस सनद के साथ ज़ईफ़ है। लेकिन मअ़नन सही है क्योंकि दूसरी सही रिवायात में ये बात बयान हूई है। इसीलिए कुछ उ़लमा ने इस रिवायत की भी तस्हीह की है। अलबत्ता 'बाज़' का ज़िक्र इसमें उनके नज़दीक मुन्कर है। यानी सही रिवायात के ख़िलाफ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

(2852) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने कुत्ते के शिकार

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَيْدِ الْكَلْبِ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ "

के बारे में फ़रमाया: 'जब तुम अपना कुत्ता छोड़ो और अल्लाह का नाम ज़िक्र किया हो तो उसे खा लो अगरचे कुत्ते ने उससे खा भी लिया हो, और हर वह चीज़ खाओ जिसको तुम्हारे हाथ ने तुम पर लौटाया हो (जिसे तुमने अपने हाथ से शिकार किया हो।)'

(2852) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/237, हदीस: 2855 में देखें।

तौज़ीह : अस़ल मसला वही है जो पीछे की स़ही अहादीस़ में गुज़रा है कि अगर कुत्ते ने शिकार में से खाया हो तो उसका खाना जायज़ नहीं। इसीलिए कुछ उ़लमा ने इस हदीस़ को मुन्कर (स़ही अहादीस़ के ख़िलाफ़) क़रार दिया है, और यही बात ज़्यादा स़ही है। और बाज़ हज़रात इस हदीस़ की वजह से शिकार के कुत्ते के खाने के बावजूद उसकी हिल्लत (हलाल होने) के क़ायल हैं। और कुछ ने इसकी ये तावील की है कि शिकारी कुत्ते ने पहले शिकार को पकड़ कर मार डाला, फिर उसे मालिक के लिये रख छोड़ा, और वहां से दूर चला गया, फिर दोबारा वापस आकर उससे कुछ खा ले तो इस तरह उसका खा लेना नुक़सानदेह नहीं, मालिक के लिये उस शिकार का खाना जायज़ है। क्योंकि उसने पहले तो मालिक ही के लिये शिकार किया, और उसी के लिये उसे रोक रखा। और खाया उसने बाद में है, इसलिए इस खाने का ऐतबार नहीं होगा।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شَاءَ " . أَوْ قَالَ " يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ " .

(2853) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से एक आदमी शिकार को तीर मारता है फिर वह उसके पीछे दो तीन दिन फिरता रहता है, यहाँ तक कि उसे पा लेता है और वह मर चुका होता है और उसमें उसका तीर भी होता है, तो क्या उसे खा ले? आपने फ़रमाया: 'हाँ, अगर चाहे तो।' या आपने फ़रमाया: 'खा ले, अगर चाहे तो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5485.

फ़ायदा : जब यक़ीन है कि वह शिकार उसके अपने तीर से मरा है, तो हलाल है बशर्ते कि गोश्त ख़राब न हूआ हो।

(2854) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से भाले से शिकार के बारे में दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमायाः 'अगर वह धार की तरफ़ से लगा हो तो खा लो और अगर मोटाई की तरफ़ से लगा हो तो मत खाओ, बिलाशुब्हा वह चोट ज़दा होगा।' मैंने अर्ज़ कियाः मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूं। आपने फ़रमायाः 'जब तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खा लो वरना मत खाओ, और अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ खाया हो तो भी मत खाओ, वह उसने अपने लिये पकड़ा है।' अर्ज़ किया कि मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूं और फिर शिकार पर एक और कुत्ता भी देखता हूं? आपने फ़रमायाः 'मत खाओ, क्यों कि तुमने तो अपने कुत्ते पर अल्लाह का नाम लिया है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 175, व मुस्लिमः 1929.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ " . قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي . قَالَ " إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلاَّ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ " . فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ فَقَالَ " لاَ تَأْكُلْ لأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ "

(2855) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सधाये हूए कुत्ते के साथ शिकार करता हूं और उस कुत्ते के साथ भी जो सधाया हूआ नहीं होता। आपने फ़रमायाः 'जो शिकार तुम अपने सधाये हूए कुत्ते से करो तो अल्लाह का नाम लो और खाओ। और जो बग़ैर सधाये हूए कुत्ते से करो तो अगर शिकार को ज़बह कर सको तो खा लो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 5488, व मुस्लिमः 1930.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ " مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا اصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ " .

फ़ायदा : बिन सधाये कुत्ते का मारा हूआ हलाल नहीं, ख़्वाह कुत्ते को 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर छोड़ा गया हो। हाँ अगर उसको ज़बह करने का मौक़ा मिल गया, तो ज़बह के बाद उसका खाना जायज़ होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ " . زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ " الْمُعَلَّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ" .

(2856) हज़रत अबू स़ाइबा ख़ुशनी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'ऐ अबू स़ाइबा! तेरी क़ौस (कमान) और तेरा कुत्ता जो तुझ पर लौटाये वह खा ले।' इब्ने हर्ब ने मज़ीद कहा: (कुत्ता) सधाया हूआ हो और तेरा हाथ जो तुझ पर लौटाये (तीर वग़ैरह से शिकार करे) तो उसे ज़बह कर सको या न कर सको, खा लो।

(2856) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/194.

फ़ायदा : चूंकि कुत्ता छोड़ते हूए या तीर कमान से फैंकते हूए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी जाती है, तो जो इस तरह से मर भी जाये वह हलाल है। ज़िन्दा मिले तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर ज़बह कर ले।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ " . قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "

(2857) एक बदवी जिसका नाम अबू स़ाइबा(ﷺ) था उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मेरे यहां सधाये हूए (शिकारी) कुत्ते हैं। आप मुझे उनके साथ शिकार के बारे में इरशाद फ़रमाइये। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तेरे पास सधाये हूए कुत्ते हैं, तो जो वह तेरे लिये पकड़ रखें उससे खा ले।' उसने कहा: ज़बह करके या बग़ैर ज़बह किये? आपने फ़रमाया: 'हाँ (दोनों सूरतों में उसका खाना जायज़ है।)' उसने कहा: अगर कुत्ता उससे खा ले तो? आपने फ़रमाया: 'ख़्वाह खा भी ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मेरी कमान के (शिकार के) बारे में इरशाद फ़रमाइये? आपने फ़रमाया: 'तेरी

. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي . قَالَ " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ " . قَالَ " ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ " . قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي قَالَ " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ " . قَالَ أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا . قَالَ " اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا " .

कमान जो तुझ पर लौटाये उसे खा ले।' कहा: ज़बह करके या बग़ैर ज़बह किये। उसने कहा: अगर वह शिकार मुझसे ग़ायब हो जाये? आपने फ़रमाया: 'अगरचे तुझसे ग़ायब ही हो जाये, लेकिन जब तक कि ख़राब न हो, या तो उसमें अपने सिवा किसी और के तीर का निशान न पाये।' उसने कहा: मुझे मजूसियों के बर्तनों के बारे में इरशाद फ़रमायें कि हम उनके इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जायें तो? आपने फ़रमाया: 'उन्हें धो लो और फिर उनमें खा लो।'

(2857) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/184, नसाई, हदीस: 4301.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में ये बयान कि 'ख़्वाह कुत्ता शिकार से खा भी ले' मुन्कर है। और इसकी तौज़ीह पीछे गुज़र चुकी है। **(2)** शिकार शुदा जानवर अगर ज़िन्दा मिले तो ज़बह किया जाये और अगर क़त्ल हो जाये तो हलाल है। **(3)** मजूसियों के बर्तन इस्तेमाल करने पड़ें तो उन्हें पहले धो लिया जाये, यही हुक्म हिन्दूओं का है। यहूदी और इसाई तहारत का एहतिमाम करते हों तो बेहतर, लेकिन अगर शुब्हा हो कि खिन्ज़ीर और शराब वग़ैरह से एहतियात नहीं करते, तो उनके बर्तन भी इस्तेमाल करने से पहले धोने ज़रूरी हैं।

﴾3﴿
بَابٌ فِي صَيْدٍ قُطِعَ مِنْهُ قِطْعَةٌ

बाब : 3
ज़िन्दा जानवरों से काटा गया गोश्त हराम है

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(2858) हज़रत अबू वाक़िद लैसी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जानवर से जो गोश्त काटा जाये, जबकि वह जानवर ज़िन्दा हो तो वह गोश्त मुरदार (हराम) है।'

وسلم " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ " .

(2858) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1480, इब्ने जारूद, हदीस़: 876, हाकिम: 4/239.

फ़ायदा : बाज़ अ़रब के मुताल्लिक़ आता है कि वह दुम्बे की चकती काट लेते और ज़ख़्म पर दवा लगा देते, इस तरह जानवर भी ज़िन्दा रहता और गोश्त भी खा लेते। तो शरीअ़त ने इसको मुरदार फ़रमाया है यानी हराम है। और किताब अस्सैद में इस हदीस़ का ताल्लुक़ यूँ है कि अगर शिकारी कुत्ते ने या तीर और गोली वग़ैरह ने जानवर का कोई हिस्सा अलग कर दिया हो अगर उसी हालत में जान निकल गयी हो तो दोनों टुकड़े हलाल हैं, लेकिन अगर रूह नहीं निकली और कोई हिस्सा अलग हो चुका हो और फिर उसे ज़बह किया जा रहा हो तो ज़बह से पहले अलग हो जाने वाला हिस्सा खाने में एहतियात करनी चाहिए, वरना निशाना मारते हूए 'बिस्मिल्लाह' तो पढ़ी जा चुकी है। उसे भी खाया जा सकता है।

﴿4﴾ باب فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ

बाब : 4
शिकार के पीछे पड़े रहना कैसा है?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ " مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ " .

(2859) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने बादिया (जंगल) की सकूनत इख़्तियार की, वह सख़्त दिल हूआ, और जो शिकार के पीछे पड़ा, वह ग़ाफ़िल हूआ और जो हाकिम के पास आता जाता रहा, आज़माइश में पड़ा।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 2256.

फ़ायदा : जंगल और शिकार में इन्सान आज़ाद होता है। इख़्तिलात और इज्तेमाईयत न होने की वजह से नमाज़ बाजमाअ़त की फ़ज़ीलत से महरूमी के अ़लावा उ़लमा और सालेहीन की मजालिस भी मयस्सर नहीं होतीं और न कोई मअ़रूफ़ व मुन्कर ही की तम्बीह करने वाला होता है और इसका अस़र तबीयत की सख़्ती और ग़फ़लत की सूरत में ज़ाहिर होता है जो वाज़ेह है कि ख़सारे का सौदा है। और इसी तरह बादशाह की मजलिस में बिलउ़मूम या तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है या मुख़ालिफ़त लेनी पड़ती है और दोनों सूरतों में इम्तेहान व आज़माइश है। इल्ला माशाअल्लाह, इसलिए चाहिए कि

इन्सान ऐसी जगह सकूनत इख़्तियार करे जहां दोनों सहूलतें मयस्सर हों, शहरी भी और देहाती भी। जैसे कि शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियाँ होती हैं। और ये इस्तेदलाल है उस मोमिन से जिसका ज़िक्र सूरह यासीन में है: 'और शहर की एक जानिब से एक आदमी दौड़ता हूआ आया, कहने लगा: ऐ मेरी क़ौम! इन रसूलों की पैरवी कर लो।' (यासीन: 20) और नेक मक़सद के बग़ैर बादशाहों की सोहबत से भी परहेज़ करना चाहिए, और उससे मुराद दुनियादार बेदीन क़िस्म के बादशाह हैं। मोमिन बादशाह की सोहबत में बिलाशुब्हा कोई फ़ितना नहीं। इल्ला माशा अल्लाह!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى مُسَدَّدٍ قَالَ " وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ " . زَادَ " وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا "

(2860) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिसने बादशाह की सोहबत इख़्तियार की, फ़ितने में पड़ा।' और मज़ीद कहा: 'जो बंदा किसी बादशाह के जिस क़द्र क़रीब होगा, अल्लाह तआला से उसी क़द्र दूर हो जायेगा।'

(2860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/440.

मल्हूज़ : सनदन हदीस ज़ईफ़ है। और इसका मफ़हूम ऊपर की हदीस में गुज़रा है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ " .

(2861) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम शिकार को (तीर) मारो और फिर तीन रात के बाद उसे पाओ जबकि तुम्हारा तीर उसमें हो तो उसे खा लो। जब तक कि बू न देने लगे।'

(2861) तख़रीज : मुस्लिम: 1931.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हस्बे तलब व ज़रूरत शिकार करना और उसकी तलाश में जाना कोई मायूब नहीं है। मायूब ये है कि इन्सान अपने दीगर दीनी व दुनियावी फ़राइज़ से ग़ाफ़िल हो जाये। **(2)** खाने पीने की चीज़ों का ज़ायक़ा और बू इस अन्दाज़ से बिगड़ जाये कि नुक़सानदेह हो सकती हों तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़रर (नुक़सान) वाज़ेह न हो तो जायज़ है।

كتاب الوصايا

वसीयत के अहकाम व मसाइल

(वसीयत) के लुग़वी मानी हैं 'ताकीदी हुक्म करना' जैसे कि इस आयत में है: 'हज़रत इब्राहीम और याक़ूब अलैहि. ने अपनी औलाद को इस बात की वसीयत की।' (अलबक़र: 132)(इस्लाम पर साबित क़दम रहने की ताकीद की) और शरीअत की इस्तेलाह में इससे मुराद वह ख़ास अहद होता है जो कोई शख़्स अपने अज़ीज़ों को करता है कि उसके मरने के बाद उस पर अमल किया जाये, ख़्वाह वह किसी माल की बाबत हो या किसी क़ौल व क़रार के मुताल्लिक़।

वसीयत का हुक्म : वसीयत करना मशरूअ (दुरूस्त) है जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुममें से किसी को मौत आने लगे, अगर वह माल छोड़े जा रहा हो तो अपने माँ बाप और क़राबत दारों के लिये अच्छाई के साथ वसीयत कर जाये, परहेज़गारों पर ये हक़ और साबित है।' (अलबक़र: 180)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी वसीयत करने की तल्क़ीन फ़रमाई है और इसे तिहाई माल तक महदूद रखने का हुक्म दिया है। अलबत्ता वारिस के हक़ में वसीयत करने से मना फ़रमाया है। इरशादे गिरामी है: 'अल्लाह तआला ने हर साहिबे हक़ को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा वारिस के लिये वसीयत करना गुरबा, फ़ुक़रा और रिश्तेदारों के लिये जहां बाइसे तक़वीयत है वहां वसीयत करने वाले के लिये बाइसे अज्र व सवाब भी है। लेकिन अगर वरसा को नुक़सान पहुँचाने की ग़र्ज़ से वसीयत की गई तो ये हराम होगी। इसी तरह अगर किसी नाजायज़ काम के लिये माल ख़र्च करने की वसीयत की तो ये भी नाजायज़ और मना होगी। अलबत्ता हुक़ूक़ की अदायगी जैसे क़र्ज़ की अदायगी, अमानत की सुपुर्दगी,कफ़्फ़ारा की अदायगी वग़ैरह ज़रूरी होगी।

❋ वसीयत के चंद आदाब :

- ⊙ वसीयत करते वक़्त शरई अहकाम को मद्देनज़र रखना लाज़मी है, जैसे एक तिहाई से ज़्यादा या वारिस के हक़ में वसीयत नहीं कर सकता।
- ⊙ वसीयत करने वाला अपनी वसीयत में तब्दीली कर सकता है।
- ⊙ वसीयत का इतलाक़ (लागू) क़र्ज़ की अदायगी के बाद होगा।
- ⊙ अगर किसी ख़ास चीज़ की वसीयत की गयी और वह चीज़ ज़ाया हो गयी तो वसीयत बातिल हो जायेगी।
- ⊙ वारिसों की तरफ़ से वसीयत में रद्दोबदल करना हराम है।

बाब : 1
वसीयत करने की ताकीद

﴿1﴾ باب مَا جَاءَ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " .

(2862) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी भी मुसलमान को लायक़ नहीं कि उसके पास कोई चीज़ हो जिसके मुताल्लिक़ वह कोई वसीयत करना चाहता हो तो वह दो रातें भी न गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हूई हो।'

(2862) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2738, व मुस्लिम: 1627.

फ़ायदा : हदीस़ में (यबीतु लैलतैन) से मुराद ये है कि उसे वसीयत लिखने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, तहदीद मुराद नहीं है क्योंकि मुसनद अबी अ़वाना और सुनन कुब्रा लिल्बैहक़ी में (लैलतन औ लैलतैन) एक रात या दो रातों का ज़िक्र है और स़ही मुस्लिम और सुनन नसाई में (स़लास़ा लयालिन) तीन रातों का भी ज़िक्र मिलता है, बहरहाल इन्सान को अपनी मौत से कभी भी ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए, न मालूम किस वक़्त बुलावा आ जाये, लिहाज़ा अगर कोई क़र्ज़ हो या अमानत या कोई और अहम मामला, तो चाहिए कि उसे अपने यहां लिख रखे ताकि वारिस़ों को उसकी तन्फ़ीज़ में आसानी रहे और हुक़ूक़ के मामले में, मरने वाले पर कोई बोझ बाक़ी न रह जाये। इस सूरत में ये अ़म्र वाजिब है। लेकिन अगर कोई हक़ वाजिब न हो तो वसीयत करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं जैसे कि नीचे की हदीस़ में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا

(2863) हज़रत आयशा (﵂) बयान फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई दीनार, दिरहम या ऊँट, बकरी नहीं छोड़ गये और न किसी चीज़ के मुताल्लिक़ वसीयत ही

تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً وَلاَ أَوْصَى بِشَىْءٍ .

फ़रमायी।

(2863) तख़रीज : मुस्लिम: 1635.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की वसीयत उमूरे शरीअत से मुताल्लिक़ साबितशुदा है बिलख़ुसूस 'नमाज़ की पाबन्दी' गुलामों के साथ हुस्ने सलूक, मुश्रिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकालना और वफ़ूद के साथ हुस्ने मामला वग़ैरह।' लेकिन माली उमूर में आप (ﷺ) की कोई वसीयत न थी। क्योंकि नबी (ﷺ) ने माल छोड़ा ही नहीं था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 5156, बुख़ारी, हदीस: 3168)

﴿2﴾ باب مَا جَاءَ فِيمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ

बाब : 2
माल में किस क़द्र वसीयत जायज़ है?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرِضَ مَرَضًا - قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ - ثُمَّ اتَّفَقَا - أَشْفَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ

(2864) जनाब आमिर बिन सअद अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि वह (हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर) मक्का में बहुत सख़्त बीमार पड़ गये यहाँ तक कि मरने के क़रीब हो गये। रसूलुल्लाह(ﷺ) उनकी एयादत के लिये तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास माल बहुत है और एक बेटी के अलावा मेरा कोई वारिस नहीं, तो क्या मैं अपना दो तिहाई माल सदक़ा कर जाऊं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: आधा माल? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: तो एक तिहाई? आपने फ़रमाया: 'तिहाई' (कर सकते हो) और एक तिहाई भी ज़्यादा है। तुम्हारा अपने वारिसों को ग़नी छोड़ जाना

كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ " إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لاَ تَزْدَادُ بِهِ إِلاَّ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ " .

ज़्यादा बेहतर है इससे कि उन्हें फ़क़ीर छोड़ जाओ कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। और तुम जो भी ख़र्च करते हो तो उस पर तुम्हें अज्र व सवाब मिलता है, यहाँ तक कि वह लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुँह की तरफ़ उठाते हो (उस पर भी तुम्हें सवाब मिलता है।)' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी हिजरत से पीछे रह जाऊंगा? फ़रमाया: 'अगर तुम मेरे बाद पीछे रह भी गये तो अल्लाह की रज़ा के लिये जो भी अमले सालेह करोगे उससे तुम्हारा मक़ाम और दर्जा बलन्द होगा। और शायद तुम मेरे बाद ज़िन्दा रहोगे यहाँ तक कि तुमसे एक क़ौम फ़ायदा उठायेगी और दूसरी नुक़सान।' फिर फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मेरे अस्हाब की हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे और उन्हें उनकी ऐड़ियों पर लौटा न दे (मक्का में उनकी वफ़ात न हो) लेकिन हसरत है सअद बिन ख़ोला पर!' रसूलुल्लाह (ﷺ) उन पर अफ़सोस कर रहे थे कि वह मक्का में वफ़ात पा गये थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6373, व मुस्लिम: 1628.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** माल अल्लाह तआला का 'फ़ज़्ल' है इसलिए उसे हलाल तरीकों से कमाना और फिर जमा रखना कोई मायूब नहीं, बशर्ते कि शरई वाजिबात अदा करता रहे। माल जमा होने की सूरत ही में एक मुसलमान ज़कात, हज, जिहाद, कुर्बानी, सदक़ा, विरसा और वसीयत जैसे अहकाम पर अमल पैरा हो सकता है। वरना इन मद्दात पर अमल मुहाल (असम्भव) होगा और जिन आयात व अहादीस में माल जमा करने की मज़म्मत है वहां हराम माल कमाने, शरीअत के तक़ाज़े पूरे न करने और उसका हरीसे महज़ बनने की मज़म्मत है। **(2)** तिहाई माल से ज़्यादा वसीयत करना जायज़ नहीं। **(3)** फ़कीरों की बनिस्बत वारिसों का हक़ पहले है और उन्हें ग़नी छोड़ जाना मुस्तहब और फ़कीर छोड़ जाना नापसन्दीदा है सिवाए इसके कि वह तवक्कल के आला मरातिब पर हों। **(4)**

वाजिब अख़राजात और तमाम आमाले सालेहा जो सिर्फ अल्लाह के लिये किये जायें उन सब में इन्सान को अज्र व सवाब मिलता है और दर्जात बलन्द होते हैं। **(5)** हज़रत सअद बिन अबी वक़ास(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की बशारत के मुताबिक़ आपकी रहलत के बाद तक़रीबन चवालीस बरस ज़िन्दा रहे। और इराक़ इन्हीं के हाथों फ़तह हूआ। मशहूर और फ़ैसलाकुन जंग क़ादसिया में मुसलमानों के कमांडर आप ही थे। **(6)** उस वक़्त वाजिब था कि जिस इलाक़े के मुसलमानों ने अल्लाह के लिये हिजरत की हो वहां क़याम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी कोशिश होती थी कि सफ़र में भी वहां मौत न आये। और हज़रत सअद बिन ख़ोला (ﷺ) मुहाजिर सहाबी थे, पहले हिजरते हब्शा सानिया में हब्शा गये, वहां से लौटे और ग़ज़्व–ए–बद्र वग़ैरह में शरीक हूए, बिलआख़िर हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर मक्का में फ़ौत हूए।

बाब : 3
वसीयत में किसी को नुक़सान पहुँचाना नाजायज़ है

﴿3﴾ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ " .

(2865) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'तू सदक़ा करे इस हालत में जबकि तू सेहतमंद हो, माल का हरीस हो, ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और फ़क़ीर हो जाने का खटका लगा रहता हो। जो कुछ देने का इरादा हो तो उसमें ढील न कर यहाँ तक कि जब जान हलक़ में आन अटके तो कहने लगे: फुलाँ के लिये इतना है और फुलाँ के लिये इतना, हालांकि वह फुलाँ का हो चुका है।' (विरासत की बिना पर)

(2865) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1419, व मुस्लिम: 1032.

फ़ायदा : तन्दुरूस्ती के दिनों में और अपनी ज़रूरीयात को दर क़िनार करके जो स़दक़ा किया जाये वह अफ़ज़ल है। ओर मौत के वक़्त स़दक़ा करना अपने वारिसों के हक़ में दख़ल अन्दाज़ी और उनके हक़ को कम करना है जो किसी तरह मुनासिब नहीं। इसीलिए शरीअ़त ने जांकनी के वक़्त सुलुस (1/3) माल से ज़्यादा स़दक़ा करने की इजाज़त नहीं दी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ " .

(2866) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्सान का अपनी ज़िन्दगी में एक दिरहम स़दक़ा करना, मौत के वक़्त सौ (दिरहम) स़दक़ा करने की बनिस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है।'

(2866) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर, तम्हीद, हदीस़: 4/304, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 821.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन पिछली हदीस़ इस मानी की ताईद करती है।

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ " . قَالَ وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى

(2867) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक इंसान मर्द या औरत साठ साल तक अल्लाह की इताअ़त के अ़मल करते रहते हैं, फिर जब उनकी मौत का वक़्त आता है तो वस़ीयत में (वारिसों को) नुक़सान दे जाते हैं तो उनके लिये आग वाजिब हो जाती है।' (शहर बिन हौशब ने) कहा: हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने मुझ पर (मिम बअ़दि वसिय्यतिय्यूसा बिहा औ दैनिन ग़ैरा मुज़ार्रिन .... जालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम) तक आयत तिलावत की। 'वस़ीयत या क़र्ज़ की अदायगी के बाद जबकि वस़ीयत करने वाले ने नुक़सान न पहुँचाया हो (विरसे की तक़सीम की जाये) ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ख़ूब इल्म

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } حَتَّى بَلَغَ { ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا - يَعْنِي الأَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ - جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

वाला हौसले वाला है। ये हदें हैं अल्लाह की जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो उसे अल्लाह ऐसे बाग़ात में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वह उनमें हमेशा रहेगा और यही अ़जीम कामयाबी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रयमाते हैं: (इस सनद में) अशअ़स बिन जाबिर, नस़र बिन अ़ली का दादा है।

(2867) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2117, इब्ने माजा, हदीस़: 2704.

फ़ायदा : मानी वाज़ेह हैं कि वसीयत में वारिसों को नुक़सान पहुँचाना गुनाहे कबीरा और अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ है और ऐसी वसीयत जायज़ नहीं।

﴾4﴿ باب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا

बाब : 4 वसीयत का ज़िम्मेदार बनना कैसा है?

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ .

(2868) हज़रत अबूज़र (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया था: 'ऐ अबू ज़र! मैं तुझे कमज़ोर पाता हूं, और बिलाशुब्हा मैं तेरे लिये वही चीज़ पसन्द करता हूं जो मुझे अपने लिये पसन्द है, तू कभी दो आदमियों पर भी अमीर न बनना और न किसी यतीम के माल का वली बनना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अहले मिस्र इस रिवायत में मुन्फ़रिद हैं।

(2868) तख़रीज : मुस्लिम: 1826.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा किसी क़ौम का वली, क़ाज़ी और लीडर बनना और ऐसे ही यतीम का सरपरस्त

और ज़िम्मेदार होना, लोगों के यहां और फिर अल्लाह के यहां भी सख़्त बाज़पुरसी का मक़ाम है। जो शख़्स इन ज़िम्मेदारियों को उठाये तो चाहिए कि लोगों का और अल्लाह का हक़ अदा करने में कोताही न करे। और जो अपने आपको कमज़ोर पाये तो वह इब्तेदाई तौर पर ही ऐसी ज़िम्मेदारी से मअ़ज़रत कर ले ताकि दुनिया और आख़िरत में रूस्वाई न हो।

﴿5﴾ باب مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

बाब : 5 माँ बाप और दूसरे (वारिस़) क़राबतदारों के लिये वस़ीयत करना मन्सूख़ है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ } فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .

(2869) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि आयत: (इन तरका ख़ैरनिल वस़िय्यतु लिल्वालिदैनि वलअक़्रबीन ...) 'अगर माल छोड़ जाये तो माँ बाप और क़राबतदारों के लिये वस़ीयत करे।' का हुक्म इब्तेदा में ऐसे ही था यहाँ तक कि उसे आयते मीरास़ ने मन्सूख़ कर दिया।

(2869) **तख़रीज : (सनद हसन)** बैहक़ी: 6/265.

फ़ायदा : नीचे हदीस़ में इसकी वज़ाहत आ रही है।

﴿6﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

बाब : 6 वारिस़ के लिये वस़ीयत

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا

(2870) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला ने

أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " .

हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है। पस वारिस़ के लिये कोई वस़ीयत नहीं।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2120, मुसनद अहमद: 5/267, इब्ने माजा, हदीस़: 2713.

फ़ायदा : ताहम वारिस़ अपनी तरफ़ से किसी को एक सुलुस़ (1/3) तक दे दें, तो उस पर कोई बुराई नहीं है।

﴿7﴾ باب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

बाब : 7
खाने पीने में यतीम को अपने साथ शरीक रखना कैसा है?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَ { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ

(2871) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत उतारीं: (ला तक़्रबू मालल यतीमि इल्ला बिल्लती हिया अहसन) 'यतीम के माल के क़रीब मत जाओ मगर अच्छे अन्दाज़ से।' और (इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन ...) 'जो लोग ज़ुल्म से यतीमों का माल खाते हैं, वह अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अ़नक़रीब वह दहकती आग में जायेंगे।' तो जिन लोगों के यहां कोई यतीम था उन्होंने उसके खाने पीने को अपने से जुदा कर दिया। इस तरह जो खाना उसका बचा रहता वह उसके लिये रख छोड़ते यहाँ तक कि वह यतीम ही उसे खाता या ख़राब (और ज़ाल) हो जाता। और ये कैफ़ीयत उनके लिये गिरां हुई और उन्होंने उसका तज़किरह रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया, तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल

إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ

फ़रमाई: (वयस्अलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम ख़यरन व इन तुख़ालितू हुम फ़इख़वानुकुम) 'ये लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि उनकी ख़ैर ख़्वाही बेहतर है, अगर तुम उनका माल अपने मालों में मिला भी लो तो ये तुम्हारे भाई हैं।' (अल्लाह तआला बदनियत और नेक नियत हर एक को ख़ूब जानता है।) चूनांचे उन लोगों ने उनका खाना पीना अपने खाने पीने के साथ मिला लिया।

(2871) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3699, हाकिम: 2/278, 279.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यतीम की सरपरस्ती, तरबियत और दिलदारी का लाज़मी तक़ाज़ा है कि उसे घर के बावक़ार मोतबर फ़र्द का मक़ाम दिया जाये। उसके लिये सौतेलेपन का इज़हार न हो। **(2)** शरई आदाब के तहत घर के अन्दर परदे वग़ैरह का हुक्म अपनी जगह पर है, इसका लिहाज़ भी वाजिब है। और नेक नियती और इख़्लास के साथ इख़्तिलात में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अहम क़ीमती अमवाल को अलग रखा जाये ताकि उसका कोई नुक़सान न हो।

बाब : 8
यतीम का सरपरस्त उसके माल से किस क़द्र लेने का मजाज़ है?

﴾8﴿
باب مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي

(2872) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा: मैं फ़क़ीर हूं और मेरे पास

الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَىْءٌ وَلِي يَتِيمٌ . قَالَ فَقَالَ " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ ".

कुछ नहीं है और मेरे यहां एक यतीम भी है। तो आपने फ़रमाया: 'तू अपने यतीम के माल से खा सकता है, लेकिन इस्राफ़ और फ़ज़ूल ख़र्ची न हो, न जल्दी करने वाला हो (कि उसके बड़े होने से पहले पहले उसके माल को ख़र्च कर डाले) और न उसके माल से तू कोई जमा पूंजी बनाने वाला हो।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** नसाई, हदीस़: 3698, इब्ने जारूद, हदीस़: 952, फतहुलबारी: 8/241.

«9» بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ

बाब : 9
यतीमी कब ख़त्म हो जाती है?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ".

(2873) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बात याद रखी है: 'बुलूग़त के बाद यतीमी नहीं और सुबह से रात तक ख़ामोश रहना नहीं।'

(2873) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 1/96, तल्ख़ीसुल हबीर: 3/101, हदीस़: 1388, तबरानी: 4/14, हदीस़: 3502.

फ़ायदा : यतीम बच्चा बालिग़ होने के बाद अपने उमूर का ख़ूद ज़िम्मेदार हो जाता है और उससे यतीमी के अहकाम उठ जाते हैं। अगर वह वास्तव में होशयार और समझदार हो तो ख़रीद फ़रोख़्त और निकाह वग़ैरह के मामलात में उसका अपना फ़ैसला राजेह (मान्य) होगा। लेकिन अगर स़ाबित हो कि इन मामलात में वह दाना नहीं है तो वली ही उसका निगरान रहेगा। जैसे कि सूरह अन्निसा में है: 'और

यतीमों को आज़माते रहो, फिर अगर तुम उनमें होशयारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो।' (अन्निसा: 4/6) और दूसरा मसला 'चुप का रोज़ा' इस्लाम से पहले लोगों का मामूल था। इस्लाम में इससे मना कर दिया गया है और अल्लाह का ज़िक्र करने और ख़ैर के साथ बोलने का हुक्म दिया गया है।

﴿10﴾ باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

बाब : 10 यतीम का माल हड़प कर जाने की मज़म्मत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ .

(2874) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सात हलाक करने वाले कामों से बचो।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन से हैं? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का शरीक ठहराना, जादू करना, जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम बनाया है उसे क़त्ल कर डालना सिवाए उसके कि हक़ के साथ हो, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, जिहाद के दिन (काफ़िरों का सामना करने से) पीठ फ़ेरकर चले जाना और पाक दामन गुनाह से नावाक़िफ़ मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) के शागिर्द) अबू अलग़ैस़ का नाम सालिम है जो कि इब्ने मुतीअ का मौला है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2766, व मुस्लिम: 89.

फ़ायदा : ऊपर दिये गये उमूर गुनाहे कबीरा कहलाते हैं और इनकी तादाद दीगर अहादीस़ की रोशनी में इससे ज़्यादा है। बहरहाल ये उमूर इंसान को दुनिया और आख़िरत में हलाक कर डालने वाले हैं। इन्फ़ेरादी और इजतेमाई ज़िन्दगी में इनसे हद से ज़्यादा परहेज़ करना वाजिब है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ " هُنَّ تِسْعٌ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ " وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا " .

(2875) जनाब उ़बैद बिन उमैर अपने वालिद से बयान करते हैं जो कि स़हाबी थे, उन्होंने कहा कि एक शख़्स ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कबीरा गुनाह क्या हैं? आपने फ़रमाया: 'वह नो हैं।' और ऊपर बताये गये के हम मानी बयान किया और मज़ीद कहा: 'मुसलमान माँ बाप की नाफ़रमानी करना और बैतुल्लाह अलहराम की बेहुरमती करना जो जीते मरते तुम्हारा क़िब्ला है।'

(2875) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4017, हाकिम: 4/259, अज्ज़हबी: 1/59.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कबीरा गुनाह की मारूफ़ तारीफ़ात में से ये है कि 'हर वह अ़मल जिससे अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने मना फ़रमाया हो, कबीरा होता है।' एक क़ौल ये है कि 'हर वह गुनाह जिस पर दोज़ख़ की वईद, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की लानत या दुनिया में कोई हद लाज़िम की गयी हो, कबीरा होता है।' इसी तरह किसी छोटे गुनाह पर हमेशगी इख़्तियार करने से भी वह कबीरा गुनाह बन जाता है। इस क़िस्म के गुनाह ख़ास़ तौबा व इस्तेग़फ़ार के बग़ैर माफ़ नहीं होते। जबकि दीगर छोटे गुनाह आम फ़राइज़ व नवाफ़िल और अज़कार से माफ़ होते रहते हैं। **(2)** बैतुल्लाह मरने पर भी मुसलमानों का क़िब्ला है यानी मौत के वक़्त और क़ब्र में मय्यत का मुँह क़िब्ला की तरफ़ कर देना मसनून है। (नैलुल अवतार, 4/23, 24)

बाब : 11
कफ़न भी मिन्जुम्ला मय्यत के माल में से होता है

﴿11﴾
باب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ "

(2876) हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत मुसअब बिन उमैर (ﷺ) उहूद के रोज़ शहीद हो गये और उनके पास सिर्फ़ एक धारीदार चादर थी। हम जब इससे उनका सर ढाँपते तो पाँव नंगे हो जाते और जब पाँव ढाँपते तो सर नंगा हो जाता। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इससे इनका सर ढाँप दो और पाँव पर कुछ इज़ख़िर (घास) डाल दो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1276, व मुस्लिम: 940.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत के क़र्ज़ की अदायगी और वसीयत पर अमल से पेशतर कफ़न व दफ़न का एहतिमाम लाज़मी है। अगर वारिस या कोई दूसरा शख़्स उसका एहतिमाम न करे तो ये ख़र्च ख़ूद उसके माल से लिया जायेगा। अगर मरने वाले का कुल माल उसके कफ़न व दफ़न पर ख़र्च हो जाये तो दीगर वारिस वग़ैरह महरूम होंगे। **(2)** इब्तेदा-ए-इस्लाम में सहाबा-ए-किराम (ﷺ) की मआशी हालत बहुत तंग थी। **(3)** हज़रत मुसअब (ﷺ) को उनकी अपनी चादर ही में कफ़न दिया गया, मज़ीद का एहतिमाम नहीं किया जा सका था। **(4)** हज़रत मुसअब (ﷺ) का कुल माल यही था इसलिए इसी में से उनका कफ़न तैयार किया गया।

बाब : 12
इंसान कोई चीज़ हिबा करे फिर उस चीज़ की उसी के लिये वसीयत कर दे या देने वाला ही उसका वारिस बन जाये?

﴾12﴿
باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

फ़ायदा : यानी क्या इस तरह से वापस आ जाने वाले सदक़ा या हिबा का मालिक बनना जायज़ है या नहीं? कहीं ये इस हदीस के ज़िम्न में तो नहीं आता जिसमें सदक़ा करके या हदिया देकर वापस लेना मना किया गया है?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏

(2877) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और कहा: मैंने एक लौण्डी अपनी वालिदा को सदक़ा दी थी, वालिदा फ़ौत हो गई है और वह लौण्डी विरसे में छोड़ गयी है। आपने फ़रमाया: 'तेरा सवाब साबित हूआ और वह लौण्डी विरासत में तुझे वापस आ गयी।' उसने कहा: वालिदा फ़ौत हूई है तो उस पर एक महीने के रोज़े हैं, अगर मैं उसकी तरफ़ से रोज़े रखूं तो क्या उसकी तरफ़ से किफ़ायत या क़ज़ा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ' औरत ने कहा: वालिदा ने हज नहीं किया था, अगर मैं उसकी तरफ़ से हज करूं तो क्या उसकी तरफ़ से किफ़ायत या क़ज़ा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(2877) तख़रीज : मुस्लिम: 1149.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वालिदैन की माद्दी व मानवी ख़िदमत और मदद करना अहम तरीन फ़ज़ाइल में से है और बड़े अज्र का काम है। (2) सदक़ा और हदिया अगर बतौर विरासत वापस मिल जाये तो उसका मालिक बनना जायज़ है, इस तरह लेना इस केटेगरी में नहीं आता जिसमें सदक़ा और हिबा वापस लेना ममनूअ क़रार दिया गया है। (3) मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े बाक़ी हों तो वारिस को उनकी क़ज़ा करनी चाहिए। (4) इसी तरह मय्यत की तरफ़ से हज भी हो सकता है।

बाब : 13
आदमी कोई चीज़ वक़्फ़ कर दे

﴾13﴿ باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ - وَزَادَ عَنْ

(2878) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि (उनके वालिद) हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली। वह नबी (ﷺ) के यहां हाज़िर हुए और कहा: मुझे ज़मीन मिली है और इस जैसा नफ़ीस माल मुझे कभी नहीं मिला, तो इसके बारे में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो इसके असल को अपने पास रखो और इस (की आमदनी) को सदक़ा कर दो।' चूनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने उसको सदक़ा कर दिया इस शर्त के साथ कि उसके असल को बेचा नहीं जायेगा, हिबा नहीं किया जायेगा और न विरासत ही में वह तक़सीम होगी और इसकी आमदनी फ़क़ीरों, क़राबतदारों, गर्दनों के छुड़ाने, जिहाद और मुसाफ़िरों के लिये ख़र्च होगी। (जनाब मुसद्दद के उस्ताद) बशीर ने 'मेहमानों के लिये' भी बयान किया। और इसके मुतवल्ली पर कोई गुनाह नहीं कि

(आमदनी) में से दस्तूर के मुताबिक़ ख़ूद खाये और दोस्त को खिलाये, लेकिन माल जमा करने वाला न हो। (जनाब मुसद्दद के उस्ताद) बशीर ने कहा: मुहम्मद (बिन औन) के अल्फ़ाज़ हैं (ग़ैरा मुतअस्सलिन मालन) (यानी 'माल जमा करने वाला न हो।')

بِشْرٍ - وَالضَّيْفِ - ثُمَّ اتَّفَقُوا - لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً .

(2878) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2772, व मुस्लिम: 1633.

(2879) हज़रत यहया बिन सईद ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के सदक़ा (वक़्फ़) के मुताल्लिक़ बयान किया और कहा: मुझे ये तहरीर उनके पड़ पोते अब्दुल हमीद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब ने नक़ल करके दी: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तहरीर अल्लाह के बंदे उमर ने समग़ वाली जायदाद के बारे में लिखी है। और ऊपर दी गई रिवायत नाफ़े की मानिन्द बयान की, इसमें था कि 'मुतवल्ली माल जमा करने वाला न हो। इसके लफ़्ज़ थे (ग़ैरा मुतअस्सलिन मालन) और जो फल ज़ायद रहे तो वह सवालियों और नादारों का हक़ है और पूरा क़िस्सा बयान किया, कहा: और अगर समग़ का मुतवल्ली चाहे तो उसके फल (आमदनी) से काम काज के लिये गुलाम भी ख़रीद सकता है। और (एक दूसरी तहरीर इसको) मुऐक़ीब (ﷺ) ने क़लम बंद किया और जनाब अब्दुल्लाह बिन अरक़म (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ قَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ - قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لاَ يُبَاعَ وَلاَ يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ .

गवाही दी: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वसीयतनामा है जो अल्लाह के बंदे, अमीरूल मोमिनीन उ़मर की तरफ़ से है कि अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाये (वफ़ात पा जाऊं) तो समग़ और सिरमा बिन अक्वा वाली जायदाद और वह ग़ुलाम जो वहां हैं और ख़ैबर (की ग़नीमत से हासिल होने) वाले सौ हिस्से और उसमें जो ग़ुलाम हैं और वह सौ हिस्से जो हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने वादी (क़ुर) में (अपने अहल के) ख़र्च अख़राजात के लिये छोड़े हैं उनकी मुतवल्ली (उम्मुल मोमिनीन) हफ़्सा (رضي الله عنها) होंगी जब तक ये हयात रहें। इनके बाद इनके अहल में से साहिबे राय इसके मुतवल्ली होंगे और शर्त ये है कि इस जायदाद को बेचा नहीं जायेगा, ख़रीदा नहीं जायेगा। मुतवल्ली अपनी समझ के मुताबिक़ सवालियों, नादारों और क़राबतदारों में ख़र्च करेगा। और इसके मुतवल्ली पर कोई हर्ज नहीं कि ख़ुद खाये और (आने जाने वाले मेहमानों को) खिलाये या ग़ुलाम ख़रीदे।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) दीनी और दुनियावी उमूर में मशवरा करना एक पसन्दीदा और मुस्तहब अमल है और इसके लिये अस्हाबे इल्म व तक़वा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। **(2)** वक़्फ़ की तारीफ़ यही है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमा दी कि 'असल माल को महफ़ूज़ रखते हूए उसकी आमदनी को सदक़ा कर दिया जाये।' असल माल और उसके मुतवल्ली के मुताल्लिक़ वाज़ेह शर्तों का मुतअय्यन कर देना भी लाज़मी है। **(3)** क़ीमती माल का वक़्फ़ करना और सदक़ा करना बहुत अफ़ज़ल अमल है ताकि मौत के बाद देर तक अमले ख़ैर जारी रहे। अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'तुम जब तक अपनी महबूब चीज़ों में से ख़र्च नहीं करोगे नेकी (का आला मक़ाम) नहीं पा सकोगे।' (आले इमरान: 3/92)

(4) मुतवल्ली के लिये ज़रूरी है कि दयानतदार, मुत्तक़ी और मेहनती हो। हीले बहाने से माल ज़ाया करने और खाने खिलाने वाला न हो। इसका अपनी ज़ात और आने जाने वाले महमानों पर दस्तूर के मुवाफ़िक़ ख़र्च करना इसका बुनियादी हक़ है। (5) वसीयत और वक़्फ़ नामा तहरीर होना चाहिए जिस पर गवाह भी हों ताकि बेजा तसर्रूफ़ और ज़ाया से हर सम्भव सुरक्षित रहे।

﴾14﴿ باب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

बाब : 14 मय्यत की तरफ़ से सदक़े का बयान

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

(2880) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इंसान जब फ़ौत हो जाता है तो तीन सूरतों के अलावा उसके सब अमल मुन्क़तअ (कटना) हो जाते हैं (और वह ये हैं:) जारी रहने वाला सदक़ा, वह इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करती रहे।'

(2880) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1631.

फ़ायदा : देर तक जारी और बाक़ी रहने वाली चीज़ें बतौर सदक़ा वक़्फ़ कर जाना जो लोगों के लिये ख़ैर का बाइस बनी रहें, सदक़ा, जारिया कहलाती हैं। जब तक ये मौजूद रहें मय्यत को इनका सवाब पहुँचता रहता है। जैसे कि ऊपर वाला बाब और हदीस में गुज़रा है। इसी तरह मस्जिद, मदरसा, सराये की तामीर और जनता के फायदे के वास्ते काम कर जाना, इल्म फैलाना, शागिर्द बना जाना और किताब तसनीफ़ व तालीफ़ करना या उसकी इशाअत करना, वक़्फ़ करना अज़ हद उम्दा कारेख़ैर हैं। और औलाद की शरई बुनियादों पर तरबियत सब से बढ़कर शानदार सदक़ा जारिया है। हर मुसलमान को इसका हरीस (ख़्वाहिशमंद) होना चाहिए।

बाब : 15
मय्यत की वसीयत के बग़ैर ही उसकी तरफ़ से सदक़ा करना

﴾15﴿
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ، وَصِيَّةٍ، يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

(2881) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा अचानक वफ़ात पा गयी है। अगर ये सूरत न होती (और उसे मौक़ा मिलता) तो वह ज़रूर कोई सदक़ा कर जाती और कोई अतिया देती। अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उसकी तरफ़ से किफ़ायत होगी। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' तुम उसकी तरफ़ से सदक़ा करो।'

(2881) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1388, व मुस्लिम: 1004.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا ".

(2882) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स (हज़रत सअद बिन उबादा) (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह क रसूल!(ﷺ) मेरी वालिदा वफ़ात पा गयी है, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उसको नफ़ा होगा? आपने फ़रमाया: हाँ! तो उसने कहा: 'मेरा एक खजूरों का बाग़ है, तो आप गवाह रहें कि मैंने उसे अपनी वालिदा की तरफ़ से सदक़ा कर दिया है।'

(2882) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2770.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

फ़ायदा : 'ईसाले सवाब' की यही सूरतें जायज़ और मशरूअ हैं कि औलाद अपने मरहूम वालिदैन के लिये दुआएँ करती रहे और उसकी तरफ़ से माल ख़र्च करे, ख़्वाह उन्होंने वसीयत न भी की हो। हज करना भी इन्हीं आमाल में शामिल है जैसे कि गुज़िश्ता हदीस: 2877 में गुज़रा है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) का किताबचा 'ईसाले सवाब')

﴾16﴿ باب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

बाब : 16
काफ़िरों की वसीयत पर अमल किया जाये या न? जबकि वारिस मुसलमान हो गया हो

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ، أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ، عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(2883) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि आस बिन वायल ने वसीयत की कि उसकी तरफ़ से सौ गर्दनें (गुलाम) आज़ाद किये जायें। चुनांचे उसके बेटे हिशाम (ﷺ) ने उसकी तरफ़ से पचास गुलामों को आज़ाद किया। फिर उसके बेटे अम्र(ﷺ) ने उसकी तरफ़ से बाक़ी पचास गुलामों को आज़ाद करना चाहा तो कहा: मैं (पहले) रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त कर लूं, तो वह नबी(ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बाप ने सौ गर्दनें आज़ाद करने की वसीयत की है और (मेरे भाई) हिशाम ने उसकी तरफ़ से पचास गुलाम आज़ाद कर दिये हैं और पचास उसके ज़िम्मे बाक़ी हैं। तो क्या मैं उसकी तरफ़ से आज़ाद कर दूं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ" .

फ़रमायाः 'अगर वह मुसलमान होता और तुम उसकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद करते या सदक़ा करते या उसकी तरफ़ से हज करते तो उसको पहुँच जाता।'

(2883) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/279, मुसनद अहमद: 6/181.

फ़ायदा : ईसाले सवाब या वसीयत का फ़ायदा सिर्फ़ मुसलमान को होता है, काफ़िर को नहीं। इससे मालूम हूआ कि काफ़िर की वसीयत पर अमल करना मुसलमान के लिये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो शख़्स चाहता है कि मरने के बाद उसके अज़ीज़ों की दुआएँ और ख़ैरात व सवाब उसे पहुँचता रहे तो ज़रूरी है कि वह अपनी ज़िन्दगी ईमान वाली बनाये।

﴿17﴾ باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ

बाब : 17
कोई शख़्स कर्ज़ लेकर मरा और माल छोड़ गया तो वारिस क़र्ज़ ख़्वाहों से मोहलत माँगे और नर्मी चाहे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى فَكَلَّمَ جَابِرٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ

(2884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि उसके वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह(ﷺ) फ़ौत हो गये और उनके ज़िम्मे एक यहूदी का तीस वस्क़ क़र्ज़ था। हज़रत जाबिर(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये ताकि यहूदी के यहां उसकी सिफ़ारिश फ़रमा दें, पस रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और यहूदी से बात की कि इस क़र्ज़ के बदले खजूर का फल ले लो मगर वह

بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَبَى . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

न माना, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे कहा कि मोहलत दे दो तो भी उसने इन्कार किया। और हदीस़ बयान की।

(2884) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2396.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत का क़र्ज़ा पहली फ़ुरसत में अदा करना चाहिए मगर हस्बे अहवाल मोहलत लेने में कोई हर्ज नहीं और मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के साथ हर सम्भव नर्मी का मामला करे। और इस क़िस्म के मामलात में सिफ़ारिश करना भी मुस्तहब है। **(2)** स़ही बुख़ारी में इस हदीस़ का मज़मून कुछ इस तरह है: 'हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद उहूद में शहीद हो गये और छः बेटियों के साथ साथ बहुत सा क़र्ज़ भी छोड़ गये। जब खजूरें काटने का मौसम आया तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया कि मैं चाहता हूं फल एक जानिब ढेर कर दूं। चूनांचे मैंने ऐसे ही किया और फिर आप को बुला लाया। जब उन लोगों ने आप (ﷺ) को देखा तो मुझे ग़ज़बनाक तेज़ नज़रों से देखने लगे। जब आपने उनके तेवर देखे तो आपने सबसे बड़े ढेर के इर्द गिर्द तीन चक्कर लगाये और फिर उस पर बैठ गये और फ़रमाया: 'अपने क़र्ज़ख़्वाहों को बुलाओ।' चुनांचे मैं उनके लिये खजूरें भरता और नापता रहा यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने मेरे वालिद की अमानत (क़र्ज़) अदा कर दी। और अल्लाह की क़सम! मैं इस बात पर राज़ी था कि अल्लाह मेरे बाप की अमानत (क़र्ज़) पूरी करा दे ख़्वाह मैं अपनी बहनों के लिये एक दाना भी न ले जाऊं। चुनांचे अल्लाह की क़सम! वह सब ढेर उसी तरह महफ़ूज़ रहे और गोया मैं देख रहा हूं कि वह ढेर जिस पर आप (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा थे उसमें से एक दाना भी कम नहीं हूआ था।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2781)

इस हदीस़ में बयान है कि स़हाबाए किराम (ﷺ) हुक़ूक़ूल इबाद के मामले में इन्तेहाई हस्सास थे और फिर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल भी अपने बंदों की इज़्ज़तों को किस पुरअसर अंदाज़ में महफ़ूज़ फ़रमाता है और उनके रिज़्क़ में वाज़ेह बरकत डाल देता है बशर्ते कि ईमान व अ़मल में इख़्लास़ हो और एक अल्लाह ही पर तवक्कल हो। या अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे! आमीन! **(3)** वस्क़ की तफ़्सील कुछ इस तरह से है कि एक वस्क़ साठ स़ाअ़ का और एक स़ाअ़ तक़रीबन ढाई किलो का होता है, इस हिसाब से एक वस्क़ तक़रीबन 3 मन और 30 किलो हूआ और 30 वस्क़ का वज़न तक़रीबन 112 मन और 20 किलो हूआ। वल्लाहू आ़लम!

كتاب الفرائض

विरासत के अहकाम व मसाइल

☯ **'फ़राइज़' की लुग़वी और इस्तेलाही तारीफ़ :** (फ़राइज, फ़रीज़ा) की बहुवचन (प्लूरल) है जिसके मानी हैं, मुक़र्रर किया हूआ, अन्दाज़ा लगाया हूआ, हिसाब किया हूआ। इस्तेलाह में 'फ़राइज़' की तारीफ़ इस तरह की गई है: 'फ़राइज़ से मुराद वह इल्म है जिससे मालूम होता है कि कौन वारिस़ है, कौन वारिस़ नहीं और हर वारिस़ का क्या हक़ है।'

विरासत की तक़सीम को 'फ़राइज़' का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला और रसूले अकरम (ﷺ) ने इसे फ़राइज़ कहा है जैसा कि इरशादे बारी तआला है: (फ़रीज़तम मिनल्लाहि) (4/12) और इरशादे नबवी है: (तअल्लमुल फ़राइज़) या इसकी वजह ये है कि अल्लाह तआला ने दीगर अहकामात मसलन नमाज़, हज या ज़कात वग़ैरह के बरअक्स विरासत के अहकाम में तफ़्सीलात ख़ूद बयान फ़रमाई हैं, हर हक़दार का हिस्सा मुक़र्रर फ़रमा दिया है इसलिए इसे फ़राइज़ यानी मुक़र्रर और मुक़र्रर किये हूए हुक़ूक़ कहा जाता है।

☯ **विरासत की मशरूइयत :** इस्लाम के इन्सानियत पर बेशुमार एहसानात में से एक विरासत की तक़सीम के आदिलाना क़वाइद व ज़वाबित भी हैं, इस्लाम से पहले ताक़त और क़ूव्वत ही आख़री फ़ैसला था। लिहाज़ा ताक़तवर तमाम आबाई जायदाद के वारिस़ बनते जबकि कमज़ोर व नातवां अफ़राद ख़ुसूसन औरतें इससे बिल्कुल महरूम रखे जाते। जैसा कि इब्तेदाए इस्लाम में भी ऐसे वाक़िआत रूनुमा हूए। फिर परवरदिगारे आलम ने इन्सानियत पर ख़ुसूसी रहमत करते हूए विरासत की तक़सीम के क़वानीन नाज़िल फ़रमा कर इस क़दीम (प्राचीन) ज़ुल्म का ख़ातमा फ़रमा दिया। चुनांचे इरशादे बारी तआला है: 'जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, वह थोड़ा हो या ज़्यादा इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, ये अल्लाह के मुक़र्रर किये हूए हिस्से हैं।' (अन्निसा: 4/7) नीज़ ज़ईफ़ व कमज़ोर बच्चों के बारे में फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है।' (अन निसा: 4/11)

विरासत के शराइत, असबाब और मवानेअ : अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है, अपने हक़ के हुसूल के लिये चंद शर्तें हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, चंद असबाब हैं जिनके बग़ैर हक़दार बनने का दावा नहीं कर सकता और चंद रूकावटें हैं जो किसी हक़दार को उसके हक़ की वसूली में रूकावट बनने वाली हैं, इनकी तफ़्सील इस तरह है।

- **शराइत :** (1) मय्यत (मूरिस़) की मौत का यक़ीनी इल्म होना। (2) वारिस़ का अपने मूरिस़ की मौत के वक़्त ज़िन्दा होना। (3) विरास़त के मवानेअ का न पाया जाना।
- **असबाब :** विरास़त के हुसूल के लिये नीचे दिये गये तीन असबाब हैं :
  - ✓ **नस्बी क़राबत :** जैसे बाप, दादा, बेटा, पोता वग़ैरह। इरशादे बारी तआला है: 'हर माल में जो वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, हमने हक़दार मुक़र्रर कर दिये हैं। (अन निसा: 4/33)
  - ✓ **मसनून निकाह :** किसी औरत और मर्द का मसनून निकाह भी उनके एक दूसरे के वारिस़ बनने का सबब है, ख़्वाह इस निकाह के बाद औरत की रूख़सती और मर्द से ख़ल्वते सहीहा हो या न हो। इरशादे बारी तआला है। 'व लकुम निस्फु मा तरक अज्वाजुकुम ....' (अन निसा: 4/12)
  - ✓ **वला :** ग़ुलाम को आज़ाद करने वाला अपने ग़ुलाम का वारिस़ बनता है और अगर आज़ाद करने वाले का कोई वारिस़ न हो तो आज़ाद होने वाला ग़ुलाम उसका वारिस़ बनता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन वला (विरास़त का हक़) उसके लिए है जिसने आज़ाद किया।' (सही बुख़ारी, हदीस़: 6752)
- **मवानेअ :** नीचे दिये गये उमूर वारिस़ को उसके हक़ से महरूम कर देते हैं :
  - ✓ **क़त्ल :** अगर वारिस़ अपने मूरिस़ को ज़ुल्मन क़त्ल कर दे तो वह वारिस़ नहीं रहता।
  - ✓ **कुफ्र :** काफ़िर मुसलमान का और मुसलमान काफ़िर रिश्तेदार का वारिस़ नहीं बनता।
  - ✓ **ग़ुलामी :** ग़ुलाम वारिस़ नहीं होता क्योंकि वह ख़ूद किसी की मिल्कीयत होता है।
  - ✓ **ज़िना :** हरामी औलाद अपने ज़ानी बाप की वारिस़ नहीं बनती।
  - ✓ **लिआन :** लिआन की सूरत में जुदाई के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस़ नहीं बनते।
  - ✓ वह बच्चा जो पैदाइश के वक़्त चीख़ वग़ैरह न मारे यानी उसमें ज़िन्दगी के आस़ार न हों तो वह भी वारिस़ नहीं बनता।

﴿1﴾ باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

बाब : 1
इल्मे मीरास़ की अहमियत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "

(2885) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इल्म तीन चीज़ों का नाम है, और जो उनके अ़लावा है वह इज़ाफ़ी है (बुनियादी नहीं) मुहकम आयात, स़ाबितशुदा सुन्नतें और माली हुक़ूक़ जो अ़दल पर मबनी हों।

(2885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 54, हदीस़: 62, 514 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। तफ़सीली बहस़ के लिये देखिए (अरवा अलग़लील: 1664) **(2)** क़ुर्आन मजीद की आयात दो तरह की हैं: **(i)** मुहकम **(ii)** मुतशाबिहात। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है: 'अल्लाह वह ज़ात है जिसने आप पर किताब नाज़िल फ़रमाई जिसकी कुछ आयात मुहकम (वाज़ेह) हैं जो किताब का अस़ल हैं और कुछ मुतशाबेह हैं ...' (आले इमरान: 7) (मुहकम) से मुराद वह आयाते हैं जिनमें अवामिर, नवाही, अहकाम व मसाइल और क़िस्सों व हिकायात का बयान है, इनका मानी व मफ़हूम वाज़ेह और अटल है। और दूसरी क़िस्म (मुतशाबेह) से मुराद वह आयात है जिन का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है कि आदमी के ज़ेहनों दिमाग से बाहर हो, यानी अल्लाह की हस्ती, क़ज़ा व क़द्र, जन्नत व दोज़ख़ और मलाइका वग़ैरह कि इंसानी अ़क़्ल उनको समझने से बेबस हो और उनमें ऐसी तावील की गुंजाइश या कम अज़ कम ऐसा इबहाम हो जिससे अ़वाम को गुमराही में डालना मुमकिन हो। इसीलिए अहले बिदअ़त जिनके दिलों में कजी होती है या अहले बातिल, वह आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनके ज़रिये से 'फ़ितने' बरपा करते हैं। (मुलख़्ख़स़ अज़ तफ़सीर अहसनुल बयान) **(3)** अहादीस़ व सुन्नत का स़बूत सनद

की सेहत व कूव्वत पर है। ऐसी रिवायात जिनकी सनद नाक़ाबिले ऐतमाद हो किसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान बावर नहीं की जा सकतीं। (4) माली मुआमलात में शरई इस्तेहक़ाक़ के बग़ैर कुछ लेना देना ज़ुल्म है और इससे दुनिया में फ़साद फैलता है, इसलिए मुसलमान को उन उमूर की लाज़मी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और उनमें से एक इल्मे मीरास़ है।

बाब : 2
कलाला का बयान

﴿2﴾ باب فِي الْكَلاَلَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَىَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } .

(2886) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैं बीमार हो गया तो नबी (ﷺ) और अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) पैदल चलते हूए मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मुझ पर बेहोशी तारी थी। मैं आपसे बात न कर सका, तो आप (ﷺ) ने वज़ू किया और वह पानी मुझ पर डाला तो मुझे अफ़ाक़ा हो गया। पस मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने माल में कैसे करूं जबकि मेरी वारिस़ मेरी बहनें हैं? तो (ये) आयते मीरास़ नाज़िल हूई: (यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला ...) 'ये लोग आपसे फ़तवा पूछते हैं, कह दीजिए: अल्लाह तआला तुम्हें कलाला के बारे में इरशाद फ़रमाता है ...'

(2886) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6723, मुसनद अहमद: 3/307, व मुस्लिम: 1616.

फ़ायदा : (कलाला) से मुराद वह मय्यत है जिसके वारिसों में न कोई औलाद हो और न वालिदैन। दीगर रिश्तेदार हों या न, ये अलग बात है। आयत की तफ़्सीर, तफ़्सीर की किताबों में देख ली जाये।

﴾3﴿ باب مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ

बाब : 3
जिस शख़्स की औलाद न हो और कई बहनें वारिस हों

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ قَالَ " أَحْسِنْ " . قُلْتُ الشَّطْرَ قَالَ " أَحْسِنْ " . ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ " يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " . قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } .

(2887) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि मैं बीमार हो गया और मेरी सात बहनें थीं। नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये, आपने मेरे चेहरे पर फूंक मारी (दम किया) तो मुझे अफ़ाक़ा हो गया और मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी बहनों के लिये तिहाई माल की वसीयत न कर जाऊं? आपने फ़रमाया: 'एहसान कर' फिर आप तशरीफ़ ले गये और मुझे छोड़ दिया और फ़रमाया: 'ऐ जाबिर! मैं नहीं समझता कि तुम इस बीमारी से वफ़ात पाओगे, अल्लाह तआला ने वही नाज़िल की है और तेरी बहनों का हक़ बयान फ़रमा दिया है, उनके लिये दो तिहाई ख़ास किया है।' तो हज़रत जाबिर (ﷺ) कहा करते थे कि आयते करीमा : (यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला ...) मेरे ही बारे में नाज़िल हूई थी।

(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/372, नसाई, हदीस: 632.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ آخِرُ

(2888) हज़रत बरा बिन आ़ज़िब (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं: आख़री आयत जो नाज़िल हूई कलाला के बारे में है :

آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلاَلَةِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ)

(यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला ...)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4605, व मुस्लिम: 1618.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की रिवायत में है कि आख़री आयत जो नबी (ﷺ) पर नाज़िल हूई वह सूद के मुताल्लिक़ थी, जबकि इस हदीस़ में कलाला की आयत का ज़िक्र है। तो इनमें कोई तआरूज़ (दिक़्क़त) नहीं इस तरह कि दोनों आयतें अपने अपने मौज़ूअ में आख़री हैं।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلاَلَةِ فَمَا الْكَلاَلَةُ قَالَ " تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ " . فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ .

(2889) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपसे 'कलाला' के बारे में फ़तवा चाहते हैं, तो इस 'कलाला से क्या मुराद है?' आपने (इसकी तौज़ीह में) फ़रमाया: 'तुझे वह आयत काफ़ी है जो गर्मी के मौसम में नाज़िल हूई है।' (रावी अबूबक्र कहते हैं मैंने अबू इस्हाक से कहा क्या कलाला वह नहीं कि) जो फ़ौत हो जाये और न औलाद छोड़ जाये और न वालिद? उन्होंने कहा: उ़लमा ऐसे ही कहते हैं।

(2889) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 3042, व मुस्लिम: 1617 वग़ैरह.

फ़ायदा : (कलाला) का ज़िक्र सूरह निसा में दो जगह है। एक आयत नम्बर 12 में, ये आयत सर्दियों में नाज़िल हूई है। जबकि सूरह निसा की आख़री आयत जिसका ज़िक्र ऊपर की अहादीस़ में हूआ है गर्मियों में नाज़िल हूई आयते करीमा (अन निसा: 176) में 'कलाला' उसे कहा गया है जिसकी औलाद न हो और बहन भाई मौजूद हों। जबकि अक्स़र स़हाब–ए–किराम (ﷺ) कलाला उसे कहते हैं जिसकी औलाद न हो और वालिद भी न हो। तो ये इज़ाफ़ा हदीसे जाबिर (ﷺ) से माख़ूज़ है कि उनके बारे में जब ये आयत उतरी तो न उनकी औलाद थी और न वालिदा। और ये मिसाल है कि अहादीस़ क़ुर्आन मजीद की तौज़ीह व तबईन करती और बाज़ औक़ात इस पर इज़ाफ़ा भी बयान करती हैं। (ख़त्ताबी)

باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الاِبْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ

बाब : 4 सुलबी औलाद की विरासत का बयान

(2890) हुज़ैल बिन शुरहबील औदी से रिवायत है कि एक शख़्स हज़रत अबू मूसा अशअरी और सलमान बिन रबीआ (ﷺ) के पास आया और उनसे दरयाफ़्त किया कि एक शख़्स फ़ौत हूआ, एक बेटी, एक पोती और हक़ीक़ी बहन छोड़ गया: (इसकी मीरास क्यों कर तक़सीम हो?) उन दोनों ने कहा: बेटी के लिये आधा है और हक़ीक़ी बहन के लिये भी आधा। पोती को उन्होंने महरूम ठहराया। और (कहा कि) हज़रत इब्ने मसऊद(ﷺ) के पास चले जाओ (और उनसे भी पूछ लो) वह हमारी तस्दीक़ व ताईद करेंगे। चुनांचे वह आदमी उनके पास गया और मज़कूरा मसला पूछा और हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत सलमान बिन रबीआ (ﷺ) का जवाब भी बताया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअसूद (ﷺ) ने कहा: (अगर मैं भी यही जवाब दूं) तब तो मैं गुमराह हो गया और हिदायत याफ़्ता लोगों में से न हूआ, मैं वह फ़ैसला देता हूं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दिया था कि उसकी बेटी के लिये आधा और पोती के लिये एक हिस्सा (छठा हिस्सा) है दो तिहाई की

तकमील के लिये और बाक़ी मान्दा (एक तिहाई) वह हक़ीक़ी बहन के लिये है।

(2890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6736.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का जवाब आयते मीरास में मज़कूर है: 'अगर सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें तर्के से दो तिहाई मिलेगा।' (अन निसा: 11) लिहाज़ा एक लड़की को निस्फ़ देने के बाद पोती को सिर्फ़ छठा हिस्सा मिलेगा। यूँ दोनों मिल कर दो लड़कियों की जगह पुर कर देंगी। **(2)** सुलबी औलाद से मुराद बेटा, बेटी, पोता और पोती हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الأَسْوَاقِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لاَ تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ " . قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } الآيَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " . فَقَالَ

(2891) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले यहाँ तक कि एक अंसारी औरत के यहां पहुँचे जो मक़ामे असवाफ़ (हुदूदे हरम मदीना) में रिहाइश पज़ीर थी, तो ये औरत अपनी दो बेटियों को लेकर आई और उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये साबित बिन क़ैस (ﷺ) की बेटियाँ हैं जो आपकी मईयत (साथ) में थे और उहुद में शहीद हूए। उनके चचा ने उनका सारा माल और सारी विरासत ले ली है और इनके लिये कोई माल नहीं छोड़ा यहाँ तक कि सब पर क़ब्ज़ा कर लिया है। ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह की क़सम! (इस तरह तो) उनका कभी निकाह नहीं होगा जब तक कि उनके पास कुछ माल न हो। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह इसमें फ़ैसला फ़रमा देगा।' और फिर सूरह अन निसा की आयत: (यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलदिकुम ...) नाज़िल हूई। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया:

لِعَمِّهِمَا " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ .

'औरत को ओर उसके देवर को मेरे पास बुलाओ।' तो आपने लड़कियों के चचा से कहा: इन दोनों लड़कियों को दो तिहाई और उनकी माँ को आठवाँ हिस्सा दे दो और बाक़ी तुम्हारा है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत में बशीर (बिन मुफ़ज़्ज़ल) ने ग़लती की है। ये लड़कियाँ सअद बिन रबीअ (ﷺ) की बेटियाँ थीं। जबकि साबित बिन क़ैस की शहादत यमामा के मौक़े पर हूई है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2092, इब्ने माजा, हदीस: 2720, हाकिम, 4/333, 334.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। और मज़ीद फ़रमाया है कि ये लड़कियाँ साबित बिन क़ैस की नहीं हैं बल्कि सअद बिन रबीअ (ﷺ) की बेटियाँ थीं। और इस तक़सीम में अस़ल मसला 24 से बनेगा कि 14 हिस्से (दो तिहाई) बेटियों के, 3 हिस्से (आठवाँ हिस्सा) बीवी का और बाक़ी 5 हिस्से चचा को मिलेंगे।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَغَيْرُهُ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةَ، سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ . وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ

(2892) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन रबीअ.(ﷺ) की बेवा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सअद शहीद हो गये हैं और दो बेटियाँ छोड़ गये हैं। और ऊपर वाली हदीस की मानिन्द रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत ज़्यादा सही है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/229.

फ़ायदा : सूरह अन निसा की आयत: 11–12 में यही है कि 'अगर लड़कियाँ ही हों दो से ज़्यादा तो उन्हें तर्के में से दो तिहाई मिलेगा।' और बीवी के बारे में है: 'अगर तुम्हारी औलाद हो तो बीवियों के लिये तुम्हारे तर्के में से आठवाँ हिस्सा है।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ .

(2893) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) ने एक बहन और एक बेटी को मय्यत का वारिस बनाया और हर एक को आधा आधा दिया जबकि हज़रत मुआज़ इन दिनों यमन में थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) बा'हयात थे।

(2893) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 6734.

फ़ायदा : बहनें बेटियों के साथ मिलकर असबा मअलग़ैर (हर वह मुअन्नस (फिमेल) जो किसी दूसरी मुअन्नस की वजह से असबा बने, उसमें सिर्फ़ हक़ीक़ी बहन और पेदरी बहन आती है जब बेटी या पोती साथ मिल कर आये) हो जाती हैं। बेटी और बहन एक एक हों तो निस्फ़ निस्फ़ मिलेगा। बेटी को विरासत से निस्फ़ मिलेगा और बहन को असबा होने की बिना पर निस्फ़ मिल जायेगा। और अगर बेटियाँ दो या ज़्यादा हों तो दो तिहाई के बाद बाक़ी बहन या बहनों को मिलेगा।

﴾5﴿ باب فِي الْجَدَّةِ

बाब : 5 दादी नानी की विरासत का बयान

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله

(2894) हज़रत क़बीसा बिन ज़ुऐब (ﷺ) बयान करते हैं कि एक (मय्यत की) 'नानी' हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के पास आई, वह अपना हक़्क़े विरासत तलब कर रही थीं। अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: अल्लाह की किताब में तेरा कोई हिस्सा (मज़कूर) नहीं है और न मुझे नबी (ﷺ) की सुन्नत से कुछ मालूम है। तुम लौट जाओ यहाँ तक कि मैं लोगों से पूछ लूं। चुनांचे उन्होंने लोगों (सहाबा) से पूछा

عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा(ﷺ) ने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां हाज़िर था तो आपने उसे (नानी को) छठा हिस्सा दिया था। अबूबक्र (ﷺ) ने पूछा: क्या इस ख़बर के सिलसिले में तुम्हारे साथ कोई और भी है? तो मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) उठे और उन्होंने इसी तरह कहा जैसे कि मुग़ीरा बिन शोअ़बा ने कहा था। चुनांचे हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने नानी को ये हिस्सा दिया। फिर एक और 'दादी' हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास आई, वह अपना हक़्क़े विरासत तलब कर रही थी। उन्होंने कहा: अल्लाह की किताब में तुम्हारा कोई हक़ (मज़कूर) नहीं। और जो फ़ैसला इससे पहले हूआ है वह दूसरी (नानी) के लिये था और मैं हुक़ूक़े विरासत में कुछ नहीं बढ़ा सकता लेकिन वह छठा हिस्सा ही है। अगर तुम दोनों (नानी और दादी) जमा हो जाओ तो ये हिस्सा तुम दोनों के बीच होगा। और जो तुममें से कोई अकेली हो (दादी हो, नानी न हो, या नानी हो, दादी न हो) तो ये छठा हिस्सा पूरे का पूरा लेगी।

(2894) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2724, मौता: 2/513, तिर्मिज़ी, हदीस: 2101, इब्ने जारूद, हदीस: 959, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1224, हाकिम: 4/338, तल्ख़ीसुल हबीर: 3/82.

फ़ायदा : इस रिवायत की कुछ हज़रात ने तज़ईफ की है। लेकिन मसला यूँ ही है कि जद्दा का लफ़्ज़ नानी और दादी दोनों के लिये बोला जाता है। और उनका हिस्सा छठा ही होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ

(2895) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जद्दा (दादी, नानी) के लिये छठा हिस्सा मुक़र्रर किया था। लेकिन जब उससे पहले (वरे) माँ न हो।

(2895) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 6338, इब्ने जारूद, हदीस: 960.

फ़ायदा : सनद ज़ईफ़ है। और मसला यही है कि माँ, दादी और नानी के लिये हाजिब है (उनको विरासत के हक़ से महरूम कर देती है।)

﴿6﴾
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

बाब : 6
दादा की विरासत का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ " لَكَ السُّدُسُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ " إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ " . قَالَ قَتَادَةُ فَلاَ يَدْرُونَ مَعَ أَىِّ شَىْءٍ وَرَّثَهُ . قَالَ قَتَادَةُ أَقَلُّ شَىْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ .

(2896) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और उसने कहा: मेरा पोता फ़ौत हो गया है, तो मेरे लिये उसकी विरासत में से क्या है? आपने फ़रमाया: 'तेरे लिये छठा हिस्सा है।' जब उसने पुश्त फेरी तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'तेरे लिये एक और छठा हिस्सा भी है।' जब उसने पीठ फेरी तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'ये दूसरा छठा हिस्सा तोहफ़ा है।'

क़तादा (रह.) ने कहा: लोग नहीं जान सके कि किस चीज़ के साथ उसे वारिस बनाया। क़तादा ने (ये भी) कहा: दादा का कम अज़ कम हिस्सा विरासत छठा है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 2099, इब्ने जारूद: 961, मुसनद हुमैदी, हदीस: 835, 836.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन मसला ऐसे ही है कि बिलफ़र्ज़ अगर मरने वाले के वारिस़ दादा और दो बेटियाँ हों तो दादा को छठा हिस्सा, बेटियों को दो तिहाई 4/6 और बक़िया 1/6 भी दादे को मिलेगा।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَا وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ . قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لاَ أَدْرِي . قَالَ لاَ دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا .

(2897) हज़रत उमर (ﷺ) ने पूछा तुममें से कोई जानता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दादा को क्या विरास़त दी थी? तो हज़रत माक़िल बिन यसार(ﷺ) ने कहा: मैं जानता हूं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे छठा हिस्सा दिया था। उन्होंने पूछा: किस के साथ? कहा: मुझे नहीं मालूम। तो उमर (ﷺ) ने कहा: तुमने नहीं जाना (तुम्हारा अधूरी बात बताने का) क्या फ़ायदा?

(2897) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2723, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है: 2895.

﴾7﴿ بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

बाब : 7 अ़स़बात की विरास़त का बयान

फ़ायदा : अ़स़बा के लुग़वी मानी, मज़बूत करने और जोड़ने के हैं और इस्तेलाही मानी हैं, मय्यत के वह क़रीबी रिश्तेदार जिनके हिस्से मुतअय्यन नहीं हैं बल्कि अस्हाबुल फ़राइज़ (हिस्सेदारों) से बचा हूआ तरका लेते हैं, और उनकी अ़दमे मौजूदगी में तमाम तर्के के वारिस़ बनते हैं। इसकी दो बड़ी क़िस्में हैं, **(1) अ़स़बा नस्बी :** जो ख़ूनी रिश्ते की वजह से अ़स़बा बनते हैं। **(2) अ़स़बा सबबी :** यानी आज़ाद करदा ग़ुलाम फ़ौत हो जाये और उसका कोई नस्बी वारिस़ न हो तो आज़ाद करने वाला मालिक उसका वारिस़ होगा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ - قَالَ حَدَّثَنَا

(2898) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिन लोगों के हिस्से मुक़र्रर हैं, उनके

عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ " .

दरम्यान माल को उसी तरह तक़सीम करो जैसे किताबुल्लाह में है, और उनसे जो बच रहे तो वह क़रीब तरीन मर्द का हक़ है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6732, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 19004, व मुस्लिम: 1615.

फ़ायदा : शरीअत ने जिनके हिस्से मुक़र्रर कर दिये हैं उन्हें 'अस्हाबुल फ़ुरूज़ और अहलुल फ़ुरूज़' कहते हैं।

(8) بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

बाब : 8 ज़विल अरहाम की विरासत का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَىَّ " . وَرُبَّمَا قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . " وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " .

(2899) हज़रत मिक़दाम (बिन मादीकरब) (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई क़र्ज़ या परिवार छोड़ गया तो वह मेरे ज़िम्मे हैं ... और कभी यूँ भी फ़रमाया... कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे हैं। और जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों के लिये है। और जिसका कोई वारिस न हो मैं उसका वारिस हूं, उसकी तरफ़ से दियत अदा करूंगा और उसका वारिस बनूंगा। और मामूं उसका वारिस है जिसका कोई और वारिस न हो, वह उसकी तरफ़ से दियत अदा करेगा और उसका वारिस भी बनेगा।'

(2899) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,: 2738, इब्ने हिब्बान1225, इब्ने जारूद, हदीस: 965, हाकिम: 4/344, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1226.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَقُولُ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ .

(2900) हज़रत मिक़दाम (बिन मअदीकरब) किंदी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं हर मोमिन के लिये उसकी अपनी ज़ात से भी क़रीबतर हूं, जो शख़्स क़र्ज़ या छोटी औलाद छोड़ जाये तो वह मेरे ज़िम्मे है और जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों का है, मैं उसका वली हूं जिसका कोई वली न हो, मैं उसके माल का वारिस बनूंगा और उसके क़ैदी छुड़ाऊंगा। और मामूं उसका वारिस है जिसका और कोई वारिस न हो, वह उसके माल का वारिस होगा और उसका क़ैदी छुड़ायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अज़्ज़ैअतु) के मानी हैं इयाल।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को ज़ुबैदी ने अन राशिद बिन सअद अन इब्ने आइज़ अन मिक़दाम की सनद से रिवायत किया। और मुआविया बिन सालेह ने बवास्ता राशिद इसे रिवायत किया तो (अन के बजाये) समिअतुल मिक़दामा यानी मैंने मिक़दाम से सुना है, कहा।

(2900) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/214.

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيقٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(2901) सालेह बिन यहया बिन मिक़दाम अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'मैं उसका वारिस हूं जिसका कोई वारिस न हो, मैं उसका क़ैदी छुड़वाऊंगा और उसके माल का वारिस बनूंगा। और मामूं उसका वारिस है जिसका

وسلم يَقُولُ " أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ " .

कोई वारिस़ न हो, वह उसका क़ैदी छुड़ायेगा और उसके माल का वारिस़ बनेगा।'

(2901) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 2899 में देखें, बैहक़ी: 6/214.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस़ में हुकूमते इस्लामिया की इक़्तेस़ादी (अर्थव्यवस्था) पॉलिसी का एक पहलू बयान हूआ है कि वह अपनी रईयत (जनता) की मआशी फ़लाह व बहबूद की हर तरह से ज़िम्मेदार होती है यहां तक कि अगर कोई मक़रूज़ मर जाये तो वह उसका क़र्ज़ा अदा करेगी। बे सहारा छोड़े बच्चों और बेवाओं की किफ़ालत करेगी। जबकि विरास़त रिश्तेदारों में तक़सीम होगी। **(2)** मामूं ज़विल अरहाम में से है। दूसरे वारिस़ों के न होने की सूरत में वही वारिस़ है और इसी तरह अगर भाँजे के ज़िम्मे कोई माली हुक़ूक़ आते हों तो वह उनकी अदायगी का भी पाबन्द है। इसमें ये भी तालीम है कि बहैसियत मुसलमान इंसान को अपने क़रीबी, बईदी सभी रश्तिेदारों के साथ सि़ला रहमी और हुस्ने सलूक का मुआ़मला मज़बूत रखना चाहिए। जीते जी यही लोग उसके मुआ़विन व मददगार और उसके पीछे उसकी औलाद के कफ़ील बनते हैं। **(3)** अगर कोई शख़्स़ लावारिस़ हो तो हुकूमते इस्लामिया (बैतुल माल) इसकी वारिस़ होगी। और ऐसे शख़्स़ पर लाज़िम आने वाले माली हुक़ूक़ भी हुकूमत अदा करेगी। **(4)** ये रेफ़ाही उस़ूल मुसलमानों और मोमिनों के लिये हैं जो बिला जवाज़ हुकूमत से स़दक़ात लेने के रवादार नहीं हो सकते। क्योंकि ईमान इंसान के अंदर तक़वा ओर तहारत पैदा करता है। इसलिए ये न समझा जाये कि इन रिआ़यतों की वजह से लोग मेहनत नहीं करेंगे और हुकूमत ही पर बोझ बनकर रह जायेंगे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ مَوْلًى، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى

(2902) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक गुलाम फ़ौत हो गया और कुछ माल छोड़ गया, उसकी कोई औलाद और कोई रिश्तेदार न था। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'इसकी विरास़त उसकी बस्ती वालों में से किसी को दे दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान (रह.) की रिवायत ज़्यादा कामिल है। और मुसद्दद ने कहा: नबी (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: दक्या यहां कोई इसके इलाक़े का रहने वाला है?' स़हाबा ने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'इसकी विरास़त उसी को दे दो।'

(2902) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,

الله عليه وسلم " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ " .

हदीस: 2733, तिर्मिज़ी, हदीस: 2105.

फ़ायदा : चूंकि गुलाम का माल बैतुल माल में जाना था और बैतुल माल में से मुसलमान रईयत की ज़रूरतों में ख़र्च किया जाता है, इसलिए नबी (ﷺ) ने उसकी बस्ती वालों में से किसी को दे देने का फ़रमाया। क्योंकि अहले बस्ती का आपस में एक तरह ताल्लुक़ होता ही है। मगर नई रोशनी और माद्दी तरक़्क़ी की चकाचौंध ने बड़े शहरों में बिलख़ुसूस ये ताल्लुक़ात मादूम कर दिये हैं। अलअयाज़ बिल्लाह.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ . قَالَ " اذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً " . قَالَ فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ . قَالَ " فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ " . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ " عَلَىَّ الرَّجُلَ " . فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ "

(2903) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक आदमी आया और उसने कहा: मेरे पास क़बील–ए–अज़्द के एक आदमी की मीरास है और मुझे कोई अज़्दी नहीं मिला कि उसे दे दूं। आपने फ़रमाया: 'जाओ एक साल तक तलाश करते रहो कि कोई क़बील–ए–अज़्द से मिल जाये।' चुनांचे वह एक साल के बाद आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई अज़्दी नहीं मिला कि उसके हवाले कर दूं। आपने फ़रमाया: 'जाओ और बनू ख़ुज़ाआ का जो आदमी तुम्हें सबसे पहले मिले ये उसके हवाले कर दो।' जब उसने पीठ फेरी तो आपने फ़रमाया: 'उस आदमी को मेरे पास लाओ।' जब वह आया तो आपने फ़रमाया: 'ख़ुज़ाआ का बड़ा आदमी देखो यानी जो जद्दे आला से क़रीबतर हो। तो ये मीरास उसके हवाले कर दो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 6396.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ

(2904) हज़रत बुरैदा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि बनू ख़ुज़ाआ का एक आदमी फ़ौत हो गया तो उसकी मीरास नबी (ﷺ) के पास

लाई गई। आपने फ़रमाया: 'उसका कोई वारिस़ या ज़ीरहम ताल्लुक़दार तलाश करो।' मगर कोई वारिस़ या ज़ीरहम ताल्लुक़दार न मिला। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये माल बनू ख़ुज़ाआ के बड़े को दे दो यानी जो क़बीला के जद्दे आला से क़रीबतर हो।'
यहया बिन आदम कहते हैं: मैंने शरीक से इस हदीस़ में एक बार यूँ सुना: 'बनू ख़ुज़ाआ के सबसे बड़ी उमर वाले को देखो।'

(2904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/347, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 6394.

أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ " الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ " . فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلاَ ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ " . قَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ " .

(2905) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स फ़ौत हो गया। उसका कोई वारिस़ न था सिवाए एक ग़ुलाम के जिसको उसने आज़ाद किया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या उसका कोई वारिस़ है?' लोगों ने कहा: नहीं, सिवाए एक आज़ाद करदा ग़ुलाम के। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी विरास़त उसी को दे दी।

(2905) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2106, इब्ने माजा, हदीस़: 2741.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَهُ أَحَدٌ " . قَالُوا لاَ إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ

बाब : 9
लिआन वाली औरत के बच्चे की विरास़त का बयान

﴿9﴾
باب مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ

(2906) हज़रत वास़िला बिन असक़अ (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'औरत तीन तरह की

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ

التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَنْهُ " .

विरासत जमा कर लेती है। अपने गुलाम की, उस बच्चे की जो उसे कहीं से गिरा पड़ा मिल गया हो और उस बच्चे की जिसके बारे में उसने (अपने शौहर से) लिआन किया हो।'

(2906) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 2115, इब्ने माजा, हदीस: 2742, बैहक़ी: 6/240.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लक़ीत (गिरे पड़े बच्चे) के बारे में इख़्तिलाफ़ है ताहम गुलाम और लिआन करदा बच्चे की वह ख़ुद ही वारिस होती है। लिआन करदा बच्चे से मुराद वह बच्चा है जिसे मन्कूहा औरत ने जन्म दिया हो लेकिन उसका ख़ाविन्द उसे अपना बेटा तस्लीम करने से इन्कार कर दे। और क़ाज़ी के सामने गवाहों और क़समों के बाद एक दूसरे पर लिआन करें।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا .

(2907) जनाब मकहूल (रह.) ने कहा: नबी (ﷺ) ने लिआन वाली औरत के बच्चे की मीरास उसकी माँ के लिये मख़्सूस की थी और उसके बाद उस औरत के वारिसों के लिये होगी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/259.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(2908) अम्र बिन शुऐब ने अपने वालिद से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी की मानिन्द रिवायत की।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 3119.

फ़ायदा : चूंकि ऐसे बच्चे का नसब बाप से मुन्क़तअ होने के बाद (कटने के बाद) माँ से लाहिक़ हो जाता है, इसलिए वही उसकी वारिस होगी।

बाब : 10
क्या मुसलमान किसी काफ़िर का वारिस़ होता है?

﴿10﴾ باب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .

(2909) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷻ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान किसी काफ़िर का या कोई काफ़िर मुसलमान का वारिस़ नहीं हो सकता।'

(2909) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4282, 4283, व मुस्लिम: 1614.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ . قَالَ " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً " . ثُمَّ قَالَ " نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " . يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُئْوُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي .

(2910) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷻ) बयान करते हैं कि मैंने हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आप कल कहाँ उतरेंगे? आपने फ़रमाया: 'क्या अ़क़ील ने हमारे लिये कोई मकान छोड़ा भी है?' फिर फ़रमाया: 'हम ख़ैफ़े बनी किनाना में पड़ाव करेंगे जहां क़ुरैश ने कुफ़्रिया क़समें उठाई थीं।' आपकी मुराद वादी मुहस्सब थी और क़ुरैशियों ने उस जगह बनू हाशिम के ख़िलाफ़ क़समें खाई थीं कि उनसे रिश्ता नाता करेंगे, न कुछ ख़रीदेंगे बेचेंगे और न उन्हें पनाह देंगे।

ज़ोहरी (रह.) फ़रमाते हैं 'ख़ैफ़' वादी का नाम है।

तख़रीज : बुख़ारी: 3058, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 9851, मुसनद अहमद: 5/202, 203 मुस्लिम: 1351.

फ़ायदा : अबू तालिब की वफ़ात के मौक़े पर अक़ील इस्लाम न लाये थे इस वजह से वही उसके वारिस़ हुए। जबकि हज़रत अ़ली और हज़रत जाफ़र (ﷻ) मुसलमान हो चुके थे इसलिए वह

इख़्तिलाफ़े दीन की वजह से अपने बाप के वारिस़ न बने। और अक़ील जूं ही अब्दुल मुत्तलिब की जायदाद के मालिक बने, उन्होंने उसको फ़रोख़्त कर दिया था।

(2911) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो मुख़्तलिफ़ मिल्लतों (और दीनों) वाले एक दूसरे के वारिस़ नहीं बनते।'

(2911) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2731, इब्ने जारूद, हदीस़: 967.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى " .

फ़ायदा : इससे मुराद मुसलमान और काफ़िर हैं। जबकि कुफ़्फ़ार अपने मुख़्तलिफ़ दीनों पर होते हुए भी एक मिल्लत हैं इसलिए उनकी आपस में विरासत चलती है। जबकि इमाम ज़ोहरी, इब्ने अबी लैला और अहमद बिन हम्बल (रह.) के अक़वाल हैं कि यहूदी नसरानी का वारिस़ नहीं। मजूसी यहूदी का नहीं, वग़ैरह।

(2912) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (ﷺ) की रिवायत है कि एक यहूदी और एक मुसलमान दो भाई थे। वह अपना झगड़ा यहया बिन यामर (रह.) के यहां लेकर आये तो उन्होंने मुसलमान को वारिस़ क़रार दिया और कहा कि मुझे अबू अल अस्वद (रह.) ने बयान किया, उसको एक आदमी ने बयान किया कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) ने कहा कि मैंने रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'इस्लाम बढ़ता है कम नहीं होता।' और मुसलमान को वारिस़ क़रार दिया।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी:6/205,204, 255

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ أَخَوَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ " . فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ

(2913) अबू अलअस्वद दैली (रह.) से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) के पास एक यहूदी की मीरास़ लाई गई जिसका वारिस़ मुसलमान था। और पिछली हदीस़ के हम मानी नबी (ﷺ) से रिवायत किया।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ

أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّ مُعَاذًا، أُتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(2913) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/236, हाकिम: 4/345.

﴾11﴿ بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

बाब : 11 जो कोई किसी मीरास पर मुसलमान हूआ

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ "

(2914) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तक़सीम (इस्लाम से पहले) जाहिलीयत में हो चुकी सो हो चुकी (वह उसी के मुताबिक़ रहेगी) और जो इस्लाम क़बूल करने तक नहीं हूई, वह अब इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक़ होगी।'

(2914) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2485.

फ़ायदा : इस्लाम ले आने के बाद जाहिलीयत के आमाल के कोई मानी नहीं। ऐसा आदमी जो जाहिलीयत के आमाल पर कारबंद हो उसने या तो इस्लाम क़बूल ही नहीं किया, या किया है तो फिर इस्लाम को 'दीन' नहीं समझा। इसलिए वाजिब है कि अक़ाइद व इबादात के बाद माली और ग़ैरमाली सब मामलात उसूले इस्लाम के मुताबिक़ अमल में लाये जायें।

﴾12﴿ بَابٌ فِي الْوَلاَءِ

बाब : 12 वला का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ، قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ

(2915) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) ने इरादा किया कि एक

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا . فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

लौण्डी ख़रीद कर आज़ाद कर दें, तो लौण्डी के मालिकों ने कहा: हम ये आपको फ़रोख़्त कर देते हैं, लेकिन इसका वला हमारे लिये रहेगा, (उसकी वफ़ात पर उसका माल हम लेंगे या निस्बते वला हमसे मुताल्लिक़ रहेगी) हज़रत आयशा (ﷺ) ने उनकी ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की, तो आपने फ़रमाया: '(उनकी ये बात) तेरे लिये कोई मानेअ नहीं है, क्योंकि वला उसी का होता है जो आज़ाद करे।'

(2915) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2169, मौता: 2/781, व मुस्लिम: 1504.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आक़ा और उसकी ज़ेरे मिल्कीयत गुलाम के बीच ताल्लुक़ (वला) कहलाता है। गुलाम को आज़ाद कर देने के बाद भी ये ताल्लुक़ क़ायम रहता है। आज़ाद करने वाले को मौला (मुअतिक़) (त के नीचे ज़ेर, यानी आज़ाद करने वाला) और आज़ाद शुदा को मौला (त पर ज़बर, यानी आज़ाद किया हुआ) कहते हैं और उनके बीच निस्बत व क़राबत को वला कहते हैं। और इस ताल्लुक़ को किसी तरह तब्दील, फ़रोख़्त या हिबा नहीं किया जा कसता। **(2)** ग़ैर शरई शर्तें ला यानी और बे मानी होती हैं और उनका कोई ऐतबार नहीं होता।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "

(2916) हज़रत आयशा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वला उसी का हक़ है जो क़ीमत अदा करे और एहसान करे।' (आज़ादी दिलाये)

(2916) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6754.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(2917) (1) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रिआब बिन हुज़ैफ़ा ने एक औरत से शादी की, तो उससे उनके तीन लड़के पैदा

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاَءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ " . قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ . قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ .

हूए, फिर उनकी माँ फ़ौत हो गई तो वह बच्चे अपनी माँ के घरों और गुलामों के वला के वारिस़ हूए। हज़रत अ़म्र बिन अलअ़ास (ﷺ) उन बच्चों के अ़सबा थे। (यानी वारिस़ थे) वह उन्हें शाम ले गये जो वहां जाकर फ़ौत हो गये। (ये बच्चे ताऊने अमवास में फ़ौत हूए थे।) हज़रत अ़म्र बिन अलअ़ास (ﷺ) वापस आये जबकि उस औरत का एक गुलाम भी वफ़ात पा गया और माल छोड़ गया था। तो औरत के भाईयों ने हज़रत अ़म्र बिन अलअ़ास (ﷺ) से (अपनी बहन के वला के सिलसिले में) झगड़ा किया और मामला हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब(ﷺ) के सामने पेश किया। तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'बेटे ने या बाप ने जो भी जमा किया हो वह उसके अ़सबा का होता है जो भी हों।' चुनांचे उन्होंने (इस फ़ैसले की) एक तहरीर लिखी जिसमें हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ), ज़ैद बिन स़ाबित(ﷺ) और एक और आदमी की गवाही स़बत की। फिर जब अ़ब्दुल मलिक ख़लीफ़ा हूए तो औरत के भाईयों ने ये मुक़द्दमा हिशाम बिन इस्माईल या इस्माईल बिन हिशाम के सामने पेश किया। उसने कहा: ये वही फ़ैसला है जो मेरा ख़याल है कि मैं पहले देख चुका हूं। चूनांचे उसने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) की तहरीर के मुताबिक़ हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया और अब तक हम उसी में हैं।

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुलामों का वला मय्यत के वारिस़ अस़बात को मुन्तक़िल होगा जैसे कि दीगर अमवाल। **(2)** अस़बा के होते हूए मामूं वारिस़ नहीं बन सकता।

(2917) (2) हुमैद ने कहा: इस हदीस़ की बाबत लोग अम्र बिन शुऐब को मुत्तहम करते हैं। अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) से इस (पिछली) हदीस़ के ख़िलाफ़ रिवायत है लेकिन हज़रत अली(ﷺ) से इसके मिस्ल रिवायत है।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2732.

बाब : 13
जो शख़्स किसी के हाथ पर मुसलमान हो तो उनके बीच भी ताल्लूक़े वला समझा जाता है

﴿13﴾
باب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

फ़ायदा : इस ताल्लुक़ को 'वलाउल इस्लाम' से ताबीर किया जाता है। और कोई और वारिस़ न हों तो ये एक दूसरे के वारिस़ होंगे।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، - قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَقَالَ يَزِيدُ - إِنَّ تَمِيمًا

(2918) हज़रत तमीमदारी (ﷺ) ने सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब कोई शख़्स किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम क़बूल करता है तो इस बारे में मशरूअ सुन्नत किया है? आपने फ़रमाया: 'ज़िन्दगी और मौत में वही सबसे बढ़ कर उसका वली है।' (उसके साथ नेकी, ईस़ार और एहसान का मुआमला करता रहे।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2112, इब्ने माजा, 2752, तालीक़े बुख़ारी, हदीस़: 6757.

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " .

«14» باب فِي بَيْعِ الْوَلاَءِ

बाब : 14
वला का बेचना कैसा है?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

(2919) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने निस्बते वला को बेचने या किसी को हिबा कर देने से मना फ़रमाया है।

(2919) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2535, व मुस्लिम: 2535.

फ़ायदा : सही इब्ने हिब्बान में है कि 'वला' की क़राबत ऐसे ही है जैसे कि नसब की क़राबत, उसे बेचा या हिबा नहीं किया जा सकता।' (सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 4950)

«15» باب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ

बाब : 15
बच्चा जो ज़िन्दा पैदा होकर रोए और फिर फ़ौत हो जाये

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ " .

(2920) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '(नोमोलूद) बच्चा जब आवाज़ बलन्द करे तो वारिस होगा।'

(2920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6/257, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1223, हाकिम: 4/348, 349 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : नोमोलूद में साँस लेने, हरकत करने, छींक मारने या रोने वग़ैरह से जब साबित हो जाये कि वह ज़िन्दा था तो उसे शरअन विरासत का हक़ मिलेगा।

बाब : 16
नसब की मीरास ने मवाख़ात और हल्फ़ की विरासत को मन्सूख़ कर दिया है

﴾16﴿ باب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

फ़ायदा : इब्तेदा–ए–अय्यामे हिजरत में जब मम्लकते इस्लाम मदीना मूनव्वरा में अपना वजूद पकड़ रही थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच मवाख़ात (भाईचारे) का निज़ाम क़ायम फ़रमाया था, यानी एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया। तारीख़ी ऐतबार से ये एक मुन्फ़रिद मिसाल (युनिक सिस्टम) तजुर्बा था जो न इससे पहले कभी सुनने में आया और न शायद आइन्दा कभी हो। इस मवाख़ात की बिना पर ये मुँह बोले भाई, दूसरे नस्बी क़राबतदारों की बजाये एक दूसरे के वारिस बनने लगे। सूरह निसा में इसका ज़िक्र इस तरह है: 'माँ बाप या क़राबतदार जो कुछ छोड़ जायें उससे हर एक के हम ने वारिस मुक़र्रर कर दिये हैं और जिनसे तुमने अपने हाथों मुआहिदा किया है पस उन सब को उनका हिस्सा दो।' (अन निसा: 33) मगर विरासत का ये हुक्म थोड़े अर्से के बाद मन्सूख़ कर दिया गया। और सूरह अलअनफ़ाल में फ़रमाया गया: 'और रिश्ते नाते वाले, अल्लाह की किताब के अंदर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं।' (अलअनफ़ाल: 75) इसी तरह हल्फ़ की विरासत का एक तरीक़ा ये रायज था कि इस्लाम से पहले दो शख़्सों या दो क़बीलों के दरम्यान एक दूसरे की मदद के लिये मुआहिदा और हल्फ़ होता था और इस्लाम के बाद भी ये सिलसिला इसी तरह चला आ रहा था। इसी आयत से ये तरीक़ा भी मन्सूख़ कर दिया गया, मगर उमूमी नुसरत व उख़ुव्वते इस्लामी और वसीयत के ज़रिये से मदद करना बाक़ी है और इससे भी बढ़ कर जब और कोई रिश्तेदार मौजूद न हो तो हलीफ़ वारिस होगा। कुछ ने कहा कि हलीफ़ नहीं बल्कि ऐसे आदमी की विरासत बैतुल माल में जायेगी।

(2921) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने आयते करीमा (वल्लज़ीना आक़दत अयमानुकुम ...) की तफ़्सीर में बयान किया कि एक आदमी दूसरे का हलीफ़ बन

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

رضی الله عنهما قَالَ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ تَعَالَى { وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .

जाता था जबकि उनमें कोई नसबी क़राबत न होती थी फिर हर एक दूसरे का वारिस़ भी होता था, तो इस हुक्म को सूरह अनफ़ाल ने मन्सूख़ कर दिया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वउलूल ऐहामि बअ़ज़ुहुम औला बिबअ़ज़िन ...) 'रिश्ते नाते वाले एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 6/262.

फ़ायदा : क़िराअते हफ़्स में, जिसके मुताबिक़ इस वक़्त कुर्आन पढ़ा जाता है (अ़कदत) है। लेकिन बाज़ रिवायात में ये आ़कदत पढ़ा जाता है इस हदीस़ में भी ये लफ़्ज़ (आ़कदत) है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرِّثُ الأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ } قَالَ نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ .

(2922) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि आयते करीमा (वल्लज़ीना आ़क़दत ऐमानुकुम फ़ातूहुम ...) की तफ़्सीर में फ़रमाया कि मुहाजिरीन जब मदीना आये तो अंसार के वारिस़ वही (मुहाजिरीन) बनते थे न कि दीगर रिश्तेदार। ये इस बिना पर था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके आपस में भाईचारा फ़रमा दिया था। फिर जब ये आयत उतरी: (वलिकुल्लिन जअ़लना मवालिया मिम्मा तरका ...) तो उसने (वल्लज़ीना आ़क़दत ऐमानुकुम ...) को मन्सूख़ कर दिया। मगर आ़म नुस़रत, ख़ैरख़्वाही और तावून को क़ायम रखा। वह एक दूसरे को वसीयत भी कर सकते थे। जब कि विरास़त ख़त्म कर दी गयी।

(2922) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4580.

फ़ायदा : क़ाल : नसख़तुहा, का बज़ाहिर मफ़हूम ये है कि आयत : (वल्लज़ीना अ़क़दत ऐमानुकुम...) ने (वलिकुल्लिन जअ़लना ...) को मन्सूख़ कर दिया, हालांकि इसके बरअक्स है।

(लिकुल्लिन जअलना) ने मीरास़ के उस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया जिस पर (वल्लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम ...) दलालत करती है। अब इस क़िस्म के अ़हद व पैमान से एक दूसरे का वारिस़ कोई नहीं होगा, अलबत्ता एक दूसरे के साथ तावून, हमदर्दी, न स़िर्फ़ जायज़ बल्कि निहायत मुस्तहब और पसन्दीदा अ़मल है। (औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى، - قَالَ أَحْمَدُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقَرَأْتُ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَقَالَتْ لاَ تَقْرَأْ { وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَلَكِنْ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الإِسْلاَمَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلاَّ يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ . زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَمَا أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الإِسْلاَمِ بِالسَّيْفِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ { عَقَدَتْ } جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ {عَاقَدَتْ} جَعَلَهُ حَالِفًا وَالصَّوَابُ حَدِيثُ طَلْحَةَ { عَاقَدَتْ } .

(2923) जनाब दाऊद बिन हुसैन बयान करते हैं कि मैं उम्मे सअ़द बिन्ते रबीअ़ के यहां पढ़ा करता था जब कि वह यतीम थीं और हज़रत अबूबक्र(ﷺ) की ज़ेरे तरबियत थीं, तो मैंने यूं क़िराअत की (वल्लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम...) उसने कहा: (वल्लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम ...) मत पढ़ो। (बल्कि बात ये है कि) ये आयत हज़रत अबूबक्र और उनके बेटे अ़ब्दुर्रहमान के सिलसिले में नाज़िल हूई थी, जबकि उसने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार कर दिया था। तो हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने क़सम खाई थी कि उसे अपनी विरास़त नहीं दूंगा। फिर जब उसने इस्लाम क़बूल कर लिया तो अल्लाह के नबी (ﷺ) ने उसको हुक्म दिया कि वह उसे उसका हिस्सा दें। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (बिन यहया) ने मज़ीद कहा: अ़ब्दुर्रहमान ने उस वक़्त तक इस्लाम क़बूल नहीं किया जब तक कि उसे तलवार के ज़ोर पर मजबूर नहीं कर दिया गया। (जब इस्लाम बज़ोर तलवार ग़ालिब आ गया और बहुत से लोग इस्लाम लाने पर मजबूर हो गये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अ़क़दत) का मफ़हूम हल्फ़ यानी क़सम खाने के मानी में

होगा। (हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने क़सम खाई थी कि अपने ग़ैर मुस्लिम बेटे को विरासत नहीं देंगे) और जो (आक़दत) पढ़ते हैं उनके नज़दीक मानी 'बाहमी अहद व पैमान' हैं। और साबक़ा हदीस तलहा बिन मुसरिफ़ ज़्यादा सही है।

(2923) तख़रीज :

फ़ायदा : पिछली क़िराअत शाज़ है। इसके अलावा इमाम अबू दाऊद (रह.) के हदीसे तलहा (हदीस: 2922) को ज़्यादा सही क़रार देने का मतलब ये मालूम होता है कि आक़दत (अलिफ़ के साथ) क़िराअत ज़्यादा सही है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने इससे इख़्तिलाफ़ किया है और 'अक़दत' ही को ज़्यादा सही कहा है। (औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالَّذِينَ، آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلاَ يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ { وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ }

(2924) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने आयते करीमा: (वल्लज़ीना आमनू वहाजरू ...) और (वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू ...) की तफ़्सीर में फ़रयमाया कि देहाती (मुसलमान जिसने हिजरत न की होती) मुहाजिर का वारिस न बनता था। फिर इस हुक्म को आयते करीमा: (व उलुल अरहामि बअजुहुम बिबअज़िन ...) ने मन्सूख़ कर दिया।

(2924) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/262.

बाब : 17
हिल्फ़ का बयान

﴿17﴾ بَابٌ فِي الْحِلْفِ

फ़ायदा : (हिल्फ़) (ह के नीचे ज़ेर और लाम साकिन) क़ौम का आपस में या किसी दूसरे के साथ दोस्ती और तावून का मज़बूत अहद व पैमान, हिल्फ़ कहलाता है। और फ़रीक़ैन को एक दूसरे का हलीफ़ कहते हैं। अय्यामे जाहिलीयत में लोग अपने हलीफ़ की ताईद व नुसरत में जान तक दे देते थे ख़्वाह वह हक़ पर होता या नाहक़ पर।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً " .

(2925) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में कोई (नया) हिल्फ़ नहीं है और इस्लाम से पहले (अय्यामे जाहिलीयत में) जो अहद मुआहिदे हो चुके उनको इस्लाम ने और मज़बूत किया है।'

(2925) तख़रीज : मुस्लिम: 2530.

फ़ायदा : इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक दूसरे का भाई बनाया है जैसे अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'मोमिन आपस में भाई भाई हैं।' (अलहूजुरात: 10) चुनांचे वाजिब है कि ये एक जान और एक जिस्म बनकर रहें। उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं कि इस्लाम से पहले के अन्दाज़ में मसनुई मुआहिदे करते फिरें। बल्कि ये चीज़ उनके अक़ीदे और अमल का बुनियादी हिस्सा है। बहरहाल जो मुआहिदात इससे पहले हो चुके हों इस्लाम उन्हें ख़ैर व सलाह की बुनियाद पर और मज़बूत बनाता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا . فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ " . فَقَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

(2926) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे अहाते में बैठ कर मुहाजिरीन और अंसार के दरम्यान भाई चारा क़ायम फ़रमाया था। उनसे कहा गया: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़रमाया: 'इस्लाम में कोई हिल्फ़ नहीं।' तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे अहाते में बैठकर मुहाजिरीन और अंसार के दरम्यान हिल्फ़ क़ायम किया था। उन्होंने अपनी ये बात दो या तीन बार दोहराई।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7340, व मुस्लिम: 2429.

फ़ायदा : अहले इस्लाम व ईमान (तआवनू अलल बिर्रिवत्तक़्वा) की बुनियाद पर जो अहद मुआहिदा कर लें जायज़ है। मगर जाहिलीयत की तरह मुआहिदे जो महज़ असबीयत पर तै होते थे, उनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी (ﷺ) के फ़रमान: 'इस्लाम में हिल्फ़ नहीं' का मतलब भी यही है।

बाब : 18
औरत अपने शौहर की दियत में से हिस्सा पायेगी

﴾18﴿ باب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ .

(2927) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) कहा करते थे: दियत कुम्बे वालों का हक़ है (जो बाप की तरफ़ से क़राबतदार होते हैं) और औरत अपने शौहर की दियत में से कुछ न पायेगी यहाँ तक कि ज़हहाक बिन सुफ़ियान ने उनसे कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे लिखा था कि मैं अशयम ज़िबाबी की बीवी को उसके शौहर की दियत से हिस्सा दिलाऊं। चुनांचे हज़रत उमर(ﷺ) ने अपनी राय से रूजूअ कर लिया।

अहमद बिन सालेह ने बयान किया कि हमें ये हदीस अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने बवास्ता ज़ोहरी और उन्होंने सईद से रिवायत की है। और इसमें है कि नबी (ﷺ) ने ज़हहाक को देहातियों पर आमिल बनाया था।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 2110, इब्ने माजा, हदीस: 2642, मुसनद अहमद: 3/452, इब्ने जारूद, हदीस: 966, तबरानी: 5/276, हदीस: 5315.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़्तूल के सिलसिले में मिलने वाली दियत उसकी मिल्कियत शुमार होकर उसके शरई वारिसों में तक़सीम होगी। जिनमें से एक वारिस बीवी भी है। **(2)** किसी भी मुसलमान को रवा नहीं कि सही अहादीस के होते हूए अइम्मा मुज्हेदीन के फ़तवा, राय या इज्तेहाद को तर्जीह दे। 93) अशयम ज़िबाबी को इब्ने अब्दुलबर (रह.) ने सहाबा में शुमार किया है और ज़िबाबी के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि ये ज़िबाब की तरफ़ निस्बत है जो कि कूफ़ा में एक क़िला है। (औनुल माबूद)

كتاب الخراج والإمارة والفيء

महसूलात अराज़ी, ग़नाइम और इमारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

- (ख़राज के मानी) लुग़त में इसके लिये (दख़ल) 'आमदनीद्ध और (ख़रज) 'वह हिस्सा जो कोई शख़्स अपनी कमाई से निकाल कर दूसरे को देता है।' दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हिस्सा देने वाले के हवाले से ख़रज और वही हिस्सा लेने वाले के हवाले से दख़ल होगा। ख़रज और ख़राज दोनों लफ़्ज़ क़ुर्आन मजीद में इस्तेमाल हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: 'क्या आप उनसे अपनी आमदनियों में से कुछ हिस्सा निकाल कर देने का मुतालबा करते हैं, वह हिस्सा जो आपके रब ने (आपके लिये) मुक़र्रर कर रखा है बेहतर है, वह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है।' (अलमोमिनून: 72) मुबरिद नहवी के नज़दीक ख़रज मसदर है और ख़राज इस्म है। देखिए: (जामिउ अहकामिल क़ुर्आन लिल कुर्तुबी) इमाम बुख़ारी (रह.) ने ख़राज का लफ़्ज़ उजरत के लिये और उस हिस्से के लिये जो आक़ा किसी ग़ुलाम की आमदनी से अपने लिये मुक़र्रर करता है, दोनों के लिये इस्तेमाल किया है। (किताबुल इजारा, बाब 18, 19)

- हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी सही बुख़ारी की ये रिवायत: हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) का एक ग़ुलाम था जो आपके लिये अपनी आमदनी से एक हिस्सा निकालता था और अबूबक्र उस हिस्से में से खाते थे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 3842) ख़राज के मफ़हूम की वज़ाहत कर देती है।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे ख़ैबर के मौक़े पर हासिल होने वाली फ़ै की ज़मीन और बाग़ात यहूद को इस शर्त पर दिये कि वह उनकी आमदनी का निस्फ़ हिस्सा बैतुल माल में जमा करायेंगे। यहां से लफ़्ज़े ख़राज ज़मीन वग़ैरह से हासिल होने वाले महसूलात के लिये राइज हो गया। बाद में इसमें वुसअत आ गयी और ख़राज से मुराद तमाम ज़रिये से हासिल होने वाली हुकूमत की आमदनी ली जाने लगी।

☞ 'फ़ै' उन ज़मीनों या अमवाल को कहते हैं जो ग़ैर मुस्लिम दुशमन ख़ौफ़ज़दा होकर छोड़ जाते हैं और वह मुसलमान हुकूमत के क़ब्ज़े में आ जाते हैं। इसकी वज़ाहत ख़ूद कुर्आन मजीद में इन अल्फ़ाज़ में आती है: 'और अल्लाह ने उनसे अपने रसूल की तरफ़ जो माल लौटाया तो उसके लिये तुमने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है ग़ल्बा देता है।' (अलहश्र:6) बाद में जब ऐसी ज़मीनों का मुस्तक़िल इन्तेज़ाम किया जाता है तो उनसे हासिल होने वाले महसूलात भी ख़राज कहलाते हैं।

☞ (इमारत) अम्र से है। मामलात का इन्चार्ज, वली अलअम्र या अमीर कहलाता है। कुर्आन मजीद ने इसका तरीक़ेकार इस तरह मुक़र्रर फ़रमाया है: (वअम्रूहुम शूरा बैनहुम) इनके मामलात का चलाना, इनके बाहम मशवरे से है। इन 'अहले शूरा' से मुराद कौन लोग हैं? ज़ाहिर है जिनका अमीर चुना जा रहा है या जिनके मामलात चलाये जा रहे हैं इन्हीं के दरम्यान मुशावरत होगी। अगर कुर्आन मजीद की इन आयात को सामने रखा जाये तो मुसलमानों के अंदर शूरा उन सबके दरम्यान होगी जिनकी सिफ़ात कुर्आन मजीद ने बयान फ़रमा दी हैं। वह कुर्आनी आयात ये हैं: 'जो लोग ईमान लाये और वह अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं और कबीरा गुनाहों और फ़वाहिश से बचते हैं और जब गुस्से में आते हैं तो माफ़ कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहा। नमाज़ क़ाइम की, उनके तमाम मामलात बाहम मशवरे से तै होते हैं, और हमने उनको जो रिज़्क़ दिया उसमें से ख़र्च करते हैं। और जब उन पर ज़ुल्म होता है तो उसके इज़ाले के लिये खड़े हो जाते हैं।' (अश्शूरा: 36–39)

☞ इन आयात की रोशनी में शूरा में वह तमाम लोग शरीक होंगे जो **(1)** मोमिन हों। (अपने रब पर भरोसा करते हों।) (दुनियावी मामलात की आसानियों के लिये किसी ग़ैर से मदद या तआवुन हासिल करने के क़ाइल न हों) **(2)** कबाइर और फ़वाहिश से बचते हों और बुर्दबार ग़ैर मुन्तक़िम मिज़ाज हों। **(3)** अपने रब की तरफ़ से आयद ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। अल्लाह के साथ इबादत के ज़रिये से क़रीबी राब्ता हो, हर दायराकार में तमाम मामलात शूरा के ज़रिये से तै करना उनका तरीक़ेकार हो और माल अल्लाह की रज़ा के लिये ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करें। **(4)** किसी भी क़िस्म के ज़ुल्म को सहने की बजाये उसके ख़ात्मे के लिये खड़े हो जायें। आम लोगों की तादाद चाहे करोड़ों में हो, लेकिन उनमें से अहले शूरा वही होंगे जो इन सिफ़ात के हामिल होंगे और इन सबका हक़ है कि हुकूमत का इन्तेख़ाब और इन्तेज़ाम व इन्सेराम उनके मशवरे से हो। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के बाद ये शूरा ही असल इख़्तियारात की मालिक और तमाम फ़ैसले करने की मजाज़ है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) वलियुल अम्र थे। उन्हें ख़लीफ़–ए–रसूलुल्लाह कहा जाता था। फिर हज़रत उ़मर.(رضي الله عنه) वली अलअम्र हूए तो उन्हें ख़लीफ़–ए–रसूलुल्लाह की बजाये इस मन्सब को अमीरूल मोमिनीन का उ़नवान दिया। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस किताब में इमारत की ज़िम्मेदारियों, लोगों के हुक़ूक़, मन्सब की तलबगारी, उसकी अहलियत, उसकी मुआवनत, उसकी हैसियत, आमाले हुकूमत और उनकी तनख़्वाहों, उनकी अमानतदारी वग़ैरह के हवाले से मुख़्तलिफ़ अहादीस़ दर्ज की हैं जिनसे सरकारी इन्तेज़ामिया (एडमिनिस्टेशन) का बुनियादी ढाँचा सामने आता है। इसके अ़लावा उन्होंने ख़राज और फ़ै के मसाइल से मुताल्लिक़ अहादीस़ भी इस हिस्से में जमा कर दी हैं। ये दोनों सरकारी एडमिनिस्टेशन के बुनियादी और अहम शौबे हैं जो उ़मूमन बराहे रास्त वलियुल अम्र के तहत होते हैं।

﴿1﴾ باب مَا يَلْزَمُ الإِمَامَ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

बाब : 1 अ़वाम और रईयत (जनता) के हुक़ूक़ जो हाकिम पर वाजिब हैं

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ

(2928) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! तुममें से हर शख़्स मुहाफ़िज़ और ज़िम्मेदार है और हर शख़्स से उसकी रईयत (जो कोई और जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में है) के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। पस अमीर, जो लोगों का मुहाफ़िज़ है, उससे उनके मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। मर्द अपने घर वालों का मुहाफ़िज़ है, उससे उनके मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। औरत अपने शौहर घर और उसके बच्चों पर मुहाफ़िज़ है उससे उनके मुताल्लिक़ पूछा जायेगा, गुलाम अपने मालिक के माल का मुहाफ़िज़ है, उससे उस

رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .

माल के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। अलग़र्ज़! तुम सब के सब राई और हाकिम हो और तुम सबसे तुम्हारी रईयत के मुताल्लिक़ सवाल किया जायेगा।'

(2928) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7138, मौता: 2/182, 183, हदीस: 2121, व मुस्लिम: 1829.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर फ़र्द अपने दायरा इख़्तियार में अपनी हुदूद तक इन सबका मुहाफ़िज़ व ज़िम्मेदार है, लिहाज़ा कोई भी अपने दीनी व दुनियावी फ़राइज़ अदा करने में कोताही न करे। यही एहसासे ज़िम्मेदारी एक मिसाली मुआशरे की तश्कील की बुनियाद है। **(2)** बच्चों की तालीम व तरबियत में माँ बाप दोनों शरीक होते हैं, मगर माँ की ज़िम्मेदारी एक ऐतबार से ज़्यादा है कि बच्चे फ़ितरतन उसी की तरफ़ माइल होते हैं, और ज़्यादातर उसी की रईयत और निगरानी में रहते हैं, इसलिए शरीअत ने उसको बच्चों पर राई (निगराँ) बनाया है।

(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الإِمَارَةِ

बाब : 2 हुकूमत तलब करने का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا " .

(2929) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ अब्दुर्रहमान बिन समुरा! हुकूमत का सवाल न करना, क्योंकि ये अगर तुम्हें माँगने पर दी गई तो तुम इस सिलसिले में अपने आपके सुपुर्द कर दिये जाओगे, (यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद न होगी) लेकिन अगर बग़ैर माँगने के दी गयी तो उसमें तुम्हारी मदद की जायेगी।'

(2929) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7147, व मुस्लिम: 1652.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सान का कोई मामला ऐसा नहीं जो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की ख़ास रहमत और मदद के बग़ैर दुरूस्त हो सके जबकि हुकूमत तो बहुत बड़ी और कठिन ज़िम्मेदारी है। इसलिए माँग कर हुकूमत लेना, अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब बनता है। (2) हज़रत यूसुफ़ अ़लैहि. का ये फ़रमाना कि : 'मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुक़र्रर कर दीजिए।' (यूसुफ़: 55) किसी मन्सब के तलब के लिये नहीं, बल्कि एक उ़मूमी पेशकश पर नोइयत की तअ़य्युन के लिये था क्योंकि उन्होंने ये बात उस वक़्त कही जब अ़ज़ीज़े मिस्र ने ज़िम्मेदारी की पेशकश करते हूए कहा कि: 'आप आज से हमारे यहां ज़ी मर्तबा और अमानतदार हैं।' (यूसुफ़: 54) इससे ये स़ाबित होता है कि जब मालिक व क़ौम के हालात ख़राब हों और कोई बास़लाहियत फ़र्द नेक नियती से ये समझता हो कि वह इस सूरते हाल को सही ढंग से मैनेज कर सकता है तो उसको आगे आना चाहिए। ऐसा शख़्स़ अगर 'इमामे आ़दिल' के जैसे वस़्फ़ से मौसूफ़ हो तो उसके मुताल्लिक़ बशारतों का भी ऐलान है।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ . وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ . فَقَالَ " إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ " . فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ . فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَىْءٍ حَتَّى مَاتَ .

(2930) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं दो आदमियों के साथ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ। पस उनमें से एक ने (बात करने के लिये) कलिमाते तशह्हुद पढ़े और फिर कहा: हम आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूए हैं कि आप हमसे अपने काम में कोई मदद लें (यानी आ़मिल और हाकिम बना दें) और दूसरे ने भी अपने साथी की सी बात की। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ये ज़िम्मेदारी तलब करता है वह हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़ायन होता है।' चुनांचे अबू मूसा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से मअ़ज़रत चाही और कहा: मुझे मालूम नहीं था कि ये किसी मक़्सद से आये हैं। और फिर आपने अपनी वफ़ात तक उनसे किसी काम में मदद नहीं ली।

(2930) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 5931, हदीस़: 4354 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस़ ज़ईफ़ मुन्कर है। लेकिन इससे पहली स़ही रिवायत और दीगर स़ही रिवायात से ये बात स़ाबित है कि हुकूमत, मन्सब और ओहदा तलब करना शरअन महबूब (पसंदीदा) नहीं है, यही वजह है कि आजकल अक्स़र लोग हुकूमती मनास़िब चूंकि तलब करके और हर तरह के जतन करके लेते हैं, तो तोफ़ीक़े रब्बानी उनके शामिल हाल नहीं होती।

बाब : 3 नाबीने को आ़मिल बनाना जायज़ है

﴿3﴾ باب فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ .

(2931) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) को दो बार मदीने का वाली बनाया था।

(2931) **तख़रीज : (सनद स़ही)** हदीस़: 595 में देखें।

फ़ायदा : इस्लाम के सिवा बाक़ी मुआशरे बहुत अ़र्सा तक नाबीनाओं और दीगर ख़ुसूसी अफ़राद के साथ इम्तियाज़ी बर्ताव करते रहे। उनको अहम ज़िम्मेदारियों पर फ़ायज़ करने का तो तस़व्वुर तक नहीं था। इस्लाम ने न सिर्फ़ उनके हुक़ूक़ बाक़ी इन्सानों के बराबर किये बल्कि उनको अहम ज़िम्मेदारियाँ देने का भी आग़ाज़ किया। इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) को मदीना की एक अहमतरीन ज़िम्मेदारी यानी अज़ान देना तो हमा वक़्त हासिल था, हालांकि वह अज़ान के स़ही वक़्त के ताईन के लिये दूसरों की मदद के मोहताज थे। अज़ाने सुबह के वक़्त लोग उन्हें बताते थे कि (अस्बहता, अस्बहता) 'आपने सुबह कर दी है, सुबह कर दी है। इसके अ़लावा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें दो बार मदीने का क़ायम मुक़ाम गवर्नर भी बनाया। इस मामले में भी अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिये यक़ीनन उन्हें बर वक़्त दूसरों की मदद की ज़रूरत होती होगी। और देखा जाये तो हर हाकिम को किसी न किसी सूरत में दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, किसी को एक सूरत में किसी को दूसरी सूरत में। नाबीना आदमी अगर इल्म, अ़मल, तक़वा और दानाई के आ़ला मैयार पर पूरा उतरता हो तो उसे हुकूमती मन्स़ब दे देने में कोई हर्ज़ नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना कि ऐसा आदमी फ़ैसला करने का अहल नहीं हो सकता, कि वह अफ़राद के पहचानने और शख़्सियात की ताईन वग़ैरह करने से क़ासिर होता है,

रसूल (ﷺ) की हिकमत को न समझने की वजह से है। अगर नाबीना सही और बर वक़्त फ़ैसले करने और दूसरों से काम लेने की सलाहियत रखता हो तो उसे मुनासिब ज़िम्मेदारी देने में कोई क़बाहत नहीं बल्कि इस क़िस्म के ख़ुसूसी अफ़राद की हौसला अफ़ज़ाई करना और उनसे उनकी अहलियत व सलाहियत के मुताबिक़ काम लेना, मुआशरे के लिये बेहतर ही है। मुसलमान मुआशरों में ऐसे अफ़राद इल्म की ख़िदमत में हमेशा मुमताज़ रहे, अलबत्ता ग़ैर इस्लामी मुआशरों के साथ इख़्तिलात के सबब ऐसे अफ़राद के बारे में नामुनासिब रवैया शुरू हुआ। वल्लाहु आलम!

बाब : 4
वज़ीर बनाना जायज़ है

﴿4﴾ باب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ " .

(2932) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला जब किसी अमीर (हाकिम) के साथ ख़ैर का इरादा फ़रमाता है तो उसे कोई मुख़्लिस वज़ीर इनायत फ़रमा देता है जो भूल जाने पर उसे याद दिलाता है और याद होने पर उसकी मदद करता है, और अल्लाह जब उसके साथ कोई और इरादा करता है तो उसके लिये कोई बुरा वज़ीर बना देता है जो भूल जाने पर उसे याद नहीं दिलाता और याद आने पर उसकी मदद नहीं करता।'

(2932) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 10/112, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1551, मुसनद अलबज़्ज़ार: 2/234 वग़ैरह.

फ़ायदा : इस्लाम ने उमूरे मम्लकत को चलाने के लिये धीरे-धीरे एक ऐसा निज़ाम बनाया जो इन्तेज़ाम व इन्सेराम के हवाले से एक मिसाली नमूना था। बड़ी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में मुनासिब अफ़राद को, जो सलाहियत और इख़्लास में बेहतरीन हों, बाक़ायदा शामिल करके ही इन्तेज़ामी मामलात सही तौर पर चलाये जा सकते हैं। आप (ﷺ) ने सरकारी मिशनरी के लिये इख़्लास और ख़ैरख़्वाही और ज़िम्मेदारी को बुनियादी ख़ुसूसियत क़रार दिया है। जबकि ग़ैर ज़िम्मेदारी, फ़राइज़े

मन्सबी से ग़फ़लत और अदमे ख़ैरख़्वाही को तबाही का सबब बताया है। इसलिए हाकिम के लिये ज़रूरी है कि अपने लिये वज़ीर मुन्तख़ब करे मगर ऐसे जो ईमान व अमल और दयानत व तक़्वा में मोतबर हों, और उनके हासिल होने पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और बुरे मसाहिबों से बचना और अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए। तारीख़ शाहिद है कि हुकूमतें वही कामयाब व कामरान रही हैं जिनमें वज़ीर व मुशीर दाना व बीना और अमीन थे। और जिन हुकूमतों में वज़ीर व मुशीर बेवक़ूफ़ और ख़्यानत हूए, वह इबरत का निशान बनी।

बाब : 5
क़ौम की नुमाइन्दगी

﴿5﴾ بَابٌ فِي الْعِرَافَةِ

फ़ायदा : क़ौम क़बीले की सतह के सरदार और नुमाइन्दे को अरबी में 'अरीफ़' कहा जाता है। जो उनके अहवाल से बाख़बर रहता है और लोग भी उसे हाकिमे आला के सामने अपना नुमाइन्दा समझते हैं। बादशाह को उनके ज़रिये से बुरे भले की ख़बर मिलती रहती और इस तरह नज़्म व इन्तेज़ाम को संभालना और चलाना बहुत आसान हो जाता है। ये उरफ़ा लोगों की मर्ज़ी से क़बाइली रस्म व रिवाज के मुताबिक़ मुक़र्रर होते थे।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ " أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيفًا " .

(2933) हज़रत मिक़्दाम बिन मअदीकरिब(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके कंधे पर हाथ मारा, फिर फ़रमाया: 'ऐ क़ुदैम! (क़ाफ़ की पेश और दाल पर ज़बर के साथ) तू कामयाब हूआ अगर इस हाल में फ़ौत हूआ कि न अमीर बना, न उसका सैक्रेटी और न अरीफ़ (अपनी क़ौम का सरदार)'

(2933) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/133, बैहक़ी, 6/361, हदीस: 1115, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1558.

मल्हूज़ : इस बाब की दोनों हदीसें सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन इस हदीस से और इससे अगली हदीस से ये मालूम होता है कि अरीफ़ या गाँव के चौधरी, मुल्क और वडेरे का दस्तूर पहले से मौजूद था। और ये लोग माज़ी की रिवायात के तहत मुआशरे की एक अहम ज़रूरत पूरी करते थे लेकिन बहुत सी नारवा

बातें, नुमाइन्दगी में अदमे तवाज़ुन, लोगों के बाज़ हुक़ूक़ से अग़्माज़ जैसी ग़लतियाँ भी उनसे सरज़द होती थीं। इस क़दीम तरीक़े के मुताबिक़ चल कर ज़िम्मेदारियाँ निभाना इस्लाम के तसव्वुरे अदल के मुताबिक़ तो न था लेकिन जब तक ईमानदार तर्बियत याफ़्ता उमला (वर्कर्स) हासिल न हो जाता और उनको हर जगह मुतअय्यन न कर दिया जाता, उन्हीं लोगों से काम लेना नागुज़ीर (ज़रूरी) था।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके ख़ुल्फ़ा ने मुख़्तलिफ़ आबादीयों की नुमाइन्दगी और इन्तेज़ाम व इन्सेराम के लिये मुतअद्दिद (अनेक) तरीक़े इख़्तियार फ़रमाये। बाज़ औक़ात क़बाइल में से मुसलमान होने वाले लोगों की दीनी तरबियत करके ये ज़िम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द कर दीं। बाज़ औक़ात साबक़ा अ़रीफ़ों ही को नई हिदायात के साथ अपने मन्सब पर बरक़रार रखा, बाज़ औक़ात अपनी तरबियत याफ़्ता टीम से लोग भेज दिये। बाज़ औक़ात तरबियत देने वाले भेजे जो मक़ामी अफ़राद को तैयार करके वहां के मामलात उनके सुपुर्द करके वापस आ जाते। ये तमाम तरीक़े सही अहादीस में मज़कूर हैं। इसके अलावा हुकूमती मनासिब की ज़िम्मेदारियाँ दुनिया और आख़िरत के हवाले से बड़ी सख़्त हैं, लेकिन अगर ईमान व दयानत से ये फ़राइज़ निभाये जायें तो इसका अज्र भी बहुत ज़्यादा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإِسْلاَمُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ائْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ

(2934) ग़ालिब क़त्तान, एक शख़्स से रिवायत करते हैं, वह अपने वालिद से वह अपने दादा से बयान करते हैं कि हमारे लोग एक चश्मे पर मुक़ीम थे। जब उनको इस्लाम की दावत पहुँची, तो पानी के इस मुन्तज़िम ने अपनी क़ौम से कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम ले आओ तो मैं तुम्हें एक सौ ऊँट दूंगा, चुनांचे उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया और फिर उसने उनमें ऊँट तक़सीम कर दिये। फिर उसे ख़्याल आया कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले। तो उसने अपने बेटे को नबी (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा और उसे कहा कि नबी (ﷺ) के पास जाये और उन्हें कहे कि मेरा वालिद आपको सलाम कहता है और बताना कि उसने अपनी क़ौम से कहा था कि अगर वह

السَّلاَمَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أَوْ لاَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ . فَقَالَ " وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلاَمُ " . فَقَالَ إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ " إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلاَمُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإِسْلاَمِ " . فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ . فَقَالَ " إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلاَ

मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें एक सौ ऊँट देगा, चुनांचे वह मुसलमान हो गये, तो उसने वह ऊँट उनमें बाँट दिये। और अब उसे ख़्याल आया है कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले तो क्या मेरा वालिद उन ऊँटों का ज़्यादा हक़दार है या वह लोग? तो अगर आप (ﷺ) हाँ कहें, या नहीं, तो उन्हें अ़र्ज़ करना कि मेरा वालिद बहुत बूढ़ा है और वह अपनी क़ौम के पानी का अ़रीफ़ (उनका सरदार) है। तो आप (ﷺ) इसके बाद ये मनसब मेरे लिये मुक़र्रर फ़रमा दें। चुनांचे उसका बेटा आप (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा और कहा: मेरे वालिद आपको सलाम पेश करते हैं। आपने फ़रमाया: (व अ़लैक व अ़ला अबीकस्सलाम) 'और तुम पर और तुम्हारे वालिद पर सलाम हो।' फिर उसने कहा: मेरे वालिद ने अपनी क़ौम से कहा था कि अगर वह मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें सौ ऊँट देंगे, चुनांचे वह मुसलमान हो गये और बड़े अच्छे मुसलमान साबित हूए। (जिस पर उन्हें ऊँट दे दिये गये) फिर उसका (वालिद का) ख़्याल हूआ है कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले। क्या वह (मेरा वालिद) उनका ज़्यादा हक़दार है या वह लोग? आपने फ़रमाया: 'अगर वह उन्हीं को दे देना चाहता है तो ठीक है और अगर वापस लेना चाहता है तो वह उन ऊँटों का उनकी निस्बत ज़्यादा हक़दार है। पस अगर वह इस्लाम लाये हैं तो उसका फ़ायदा

بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ".

ख़ूद उन्हीं को है और अगर इस्लाम क़बूल नहीं करेंगे तो उनसे इस्लाम के लिये क़िताल किया जायेगा।' लड़के ने फिर कहा: मेरा बाप बहुत बूढ़ा है और वह पानी का मुन्तज़िम है (अपनी क़ौम का सरदार है) उसकी (यानी मेरे वालिद की) दरख़्वास्त ये है कि ये मन्सब (अ़रीफ़) उसके बाद आप (ﷺ) मेरे लिये मुक़र्रर फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'अ़रीफ़ होना (क़ौम का सरदार बनना) हक़ है और लोगों को उरफ़ा से कोई चारा भी नहीं, लेकिन ये उ़रफ़ा (सरदार) लोग जहन्नम में जाने वाले हैं।

(2934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/366, नसाई, हदीस़: 373, हदीस़: 5231 में देखें, बैहक़ी: 6/361.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर स़ही अहादीस़ की रू से साबित है कि हदिया या अ़तिया देकर वापस लेना जायज़ नहीं है, अलबत्ता बाप को अपनी औलाद से अ़तिया वापस ले लेने का हक़ हासिल है, लेकिन औलाद को अपने वालिदैन से वापस लेने का हक़ हासिल नहीं। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3538, 3539)

﴿6﴾ بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

बाब : 6 कातिब (सैकेटरी) रखने का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(2935) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि 'अस्सिजिल्ल' नामी एक शख़्स नबी (ﷺ) का कातिब था।

(2935) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 11335, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 8/175.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जिनके ज़िम्मे अहम ज़िम्मेदारियाँ हों उन्हें अपने तआवुन के लिये मुख़्तलिफ़ अफ़राद को मुतअय्यन कर लेना मुनासिब है। (देखिए, हदीस़: 2932) यही वह बुनियाद है जिस पर पूरी इन्तेज़ामी सर्विस क़ायम की गयी।

बाब : 7
स़दक़ात वस़ूल करने वाले का स़वाब

﴾7﴿
بَابٌ فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسْبَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ"

(2936) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'हक़ के साथ स़दक़ात जमा करने वाला ऐसे है जैसे कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ तक कि वह घर लौट आये।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 645, इब्ने माजा, हदीस़: 1809, मुसनद अहमद, 4/143, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2334, हाकिम: 1/406.

फ़ायदा : जहां स़दक़ात व ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत और अज्र है वहां इन्हें मुसलमानों से इकट्ठा करके अमानत और दयानत से बैतुल माल में जमा कराने वाला भी स़ाहिबे फ़ज़ीलत है। जलीलुल क़द्र स़हाब-ए-किराम और दीगर स़ालेहीने उम्मत ये काम करते रहे हैं। और अगर कोई आ़मिल वाजिबे शरई से मज़ीद तलब करे तो हराम है। हमारे मौजूदा अहवाल में जबसे हुकूमत ने इस मद से दस्तबरदारी इख़्तियार की है तो मुसलमान अपने तौर पर ये फ़रीज़ा अदा करते हैं और इस्लामी उ़लूम की इशाअ़त करने वाले इदारे इसी मद से अपना ख़र्च पूरा करते हैं इसी तरह ये रूक़ूमात हासिल करना और जमा करना भी एक अहम ज़िम्मेदारी है, जब कि बाज़ नादान मुसलमान ऐसे अफ़राद को बुरी निगाह से देखते हैं। जो बिलकुल ग़लत और दाइयाने हक़ की हौसला शिकनी है। इस हदीस़ से मालूम हूआ कि शरई ज़िम्मेदारी से ये काम करना अल्लाह तआला के यहां बाइस़े अज्र है। इन्शाअल्लाह। अलबत्ता जो लोग इसमें ख़्यानत करके गुलूल (बद दयानती) जैसे गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब होते हैं वह क़ाबिले नफ़रीन हैं। और आज के दौर में उनकी कस़रत है। ये स़ही लोगों के लिये भी बाइस़े बदनामी हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ " .

(2937) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चुंगी और भत्ता लेने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।'

(2937) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 4/143, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2333, इब्ने जारूद, हदीस: 339, हाकिम: 1/404.

मल्हूज़ : ये हदीस ज़ईफ़ है। मगर इसमें शक नहीं कि शरई और हुकूमती ज़ाबता के बग़ैर किसी क़िस्म का भत्ता लेना हराम, ज़ुल्म और कबीरा गुनाह है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ .

(2938) जनाब इब्ने इस्हाक़ ने 'साहिबे मक्स' की वज़ाहत में कहा: इससे मुराद वह शख़्स है जो (इसकी राह में आने जाने वाले ताजिरों और दूसरे लोगों से उनके माल का) दसवां हिस्सा लेता हो।

(2938) **तख़रीज : (सनद हसन)** इस हदीस को अबू दाऊद ने अकेले रिवायत किया है।

फ़ायदा : इस भत्ते की शरह ख़्वाह कुछ ही हो, नाजायज़ है। इसमें आजकल की हुकूमतों के आइद करदा नाजायज़ टेक्स भी आ जाते हैं, जो वसूल करने के बाद हुकमरानों के नाज़ो नख़रे पर ख़र्च होते हैं। हुकूमतें अपने नाजायज़ अख़राजात कम नहीं करती, लेकिन अवाम पर आये दिन इस क़िस्म के टेक्स आयद करती रहती हैं। ये ठीक है कि आजकल टेक्सों के बग़ैर हुकूमत और मुल्क का चलना नामुमकिन है, इसीलिए हुकूमतों के लिये टेक्सों का जवाज़ रखा गया है। लेकिन इस जवाज़ का ये मतलब नहीं कि वह अपने नाजायज़ अख़राजात को तो ख़त्म न करें और अवाम पर अंधाधुंध टेक्स आयद करती चली जायें। टेक्सों का ये अन्दाज़ और तरीक़ा सरीहन ज़ुल्म है जिसका कोई जवाज़ नहीं।

बाब : 8
ख़लीफ़ा अपने जानशीन का नाम दे

﴿8﴾ باب فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، وَسَلَمَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّي إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .

(2939) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने (जब वह ज़ख़्मी किये गये तो उन्होंने अपना जानशीन बना जाने के मुताल्लिक़ कहा गया, तो उन्होंने) कहाः अगर मैं (अपना) जानशीन न बनाऊं तो (सही है) क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जानशीन नहीं बनाया था और अगर बना जाऊं तो भी (दुरूस्त है) क्योंकि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) जानशीन बना गये थे। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) कहते हैं: अल्लाह की क़सम! उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ही का नाम लिया और मुझे यक़ीन हो गया कि वह अल्लाह के रसूल (ﷺ) के बराबर किसी को नहीं समझेंगे और वह किसी को ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने वाले नहीं।

(2939) तख़रीज : मुस्लिमः 1823.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) के बराबर और हम पल्ला बनू आदम में से कोई नहीं। और हज़रत उमर (ﷺ) ने जलीलुल क़द्र छः सहाबाए किराम (ﷺ) मुतअय्यन फ़रमा दिये कि उन्हीं में से किसी को ख़लीफ़ा बना लिया जाये। और वह थेः उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सअद (ﷺ) हज़रत उमर (ﷺ) ने बाद में मज़ीद वज़ाहत भी फ़रमाई कि उन्होंने अपने बाद किसी का नाम क्यों तजवीज़ नहीं किया? जब लोगों ने आपसे कहा कि अपने जानशीन का नाम तजवीज़ करें तो आपने जवाब दियाः मैं इस काम के लिये उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक़ किसी को नहीं समझता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रूख़सत हुए तो उनसे राज़ी थे। फिर इमारत का फ़ैसला करने के लिये इन हज़रात

के नाम गिनवाये हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत सअ़द, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ)। और ये भी कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) भी आपके साथ होंगे, लेकिन वह इमारत के ओ़हदे पर फ़ाइज़ नहीं हो सकते। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 3700) इस मौक़े पर एक शख़्स़ ने कहा: आप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) को अपना जानशीन नामज़द करा दें। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम इस बात पर तेरा मक़सूद अल्लाह की रज़ा नहीं।' एक और स़ही रिवायत के मुताबिक़ आपने उसको जवाब दिया: 'अल्लाह तुझे हलाक करे, तूने अल्लाह की रज़ा के लिये ऐसा नहीं कहा, क्या मैं ऐसे आदमी को ख़लीफ़ा बना दूं जो स़ही तरीक़े से बीवी को तलाक़ भी नहीं दे सकता?'

- आपको अन्दाज़ा था कि शूरा हज़रत उ़स्मान या हज़रत अ़ली (ﷺ) को नामज़द करेगी इसलिए आपने दोनों को बुलाकर नस़ीहत की। फिर हज़रत सुहैब (ﷺ) को बुला कर कहा: 'आप तीन दिन लोगों को नमाज़ पढ़ायें और ये लोग एक घर में अपना इज्तेमाअ़ करें। जब सब एक शख़्स़ पर इत्तेफ़ाक़ कर लें तो जो कोई मुख़ालिफ़त करे उसे क़त्ल कर दें।' ये बात सुनकर ये हज़रात बाहर आये तो आपने फ़रमाया: अगर ये लोग अजलह (हज़रत अ़ली (ﷺ) मुराद हैं) को वलियुल अम्र बना दें तो वह उन्हें लेकर जाद–ए–मुस्तक़ीम पर गामज़न रहेंगे। बेटे ने कहा: आप इन (हज़रत अ़ली (ﷺ) को नामज़द क्यों नहीं कर देते। (क्योंकि जिस तरह ऊपर बयान हूआ कि लोग हज़रत अबूबक्र (ﷺ) की तरह ये मामला हज़रत उ़मर (ﷺ) को तफ़वीज़ करने की पेशकश कर चुके थे) फ़रमाया: मुझे ये बात पसन्द नहीं कि मैं ज़िन्दगी में भी ये बोझ उठाऊं और मरने के बाद भी (फ़तहुल बारी, 7/87)

- हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने सअ़द ने स़ही सनद से रिवायत किया है कि ये लोग (जिन पर मुश्तमिल कमीशन आपने बनाया था) आपके पास आये तो आपने उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमाया: 'मैंने लोगों के मामले का मुशाहिदा किया है उनमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। अगर कोई इख़्तिलाफ़ हो सकता है तो तुम लोगों ही में होगा, ये मामला अब तुम्हारे सुपुर्द है। (हज़रत तलहा (ﷺ) अपने मवेशियों के पास (मदीना से) बाहर थे। इसके बाद फ़रमाया: जब तुम्हारी क़ौम तीन अश्ख़ास़ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़, हज़रत उ़स्मान और हज़रत अ़ली(ﷺ) के सिवा किसी को अमीर नहीं बनायेगी तो जो तुममें से अमीर बने वह अपने अक़रबा को लोगों की गर्दनों पर सवार न करे, 'उठो और मशवरा करो।' फिर हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अभी रूक जाओ, अगर मेरा वक़्त आ जाये तो तीन दिन तक हज़रत सुहैब (ﷺ) इमामत करवायें। और तुममें से जो कोई भी मुसलमानों के मशवरे के बग़ैर इमारत पर मुसल्लत हो उसकी गर्दन उड़ा दो।' (फ़तहुल बारी, हवाला साबक़ा) इस तमाम वाक़िये से जो नताइज सामने आते हैं। वह दर्ज ज़ेल हैं:

- हज़रत उमर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े पर अमल किया और अपनी तरफ़ से तजवीज़ देने या लोगों की तरफ़ से तजवीज़ देने या लोगों की तरफ़ से तल्क़ीन करदा जानशीन के ताईन (सलेक्शन) का हक़ इस्तेमाल करने की बजाये मुकम्मल तौर पर आज़ाद शूरा के ज़रिये से अमीर के ताईन का रास्ता दिखाया।

- आपने शूरा के लिये जो कमीशन तजवीज़ किया वह उन लोगों पर मुश्तमिल था जिनका किरदार ऐसा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनसे राज़ी थे।

- ये लोग ऐसे थे कि उनके मुत्तफ़क़ा फ़ैसले पर पूरी उम्मत का इत्तेफ़ाक़ था और उनके इख़्तिलाफ़ से उम्मत में तफ़रक़ा बढ़ सकता था। यानी यही पूरी उम्मत के मोतबर तरीन नुमाइन्दे थे।

- आपने अपने बेटे को ख़िलाफ़त दिये जाने के इम्कान को भी ख़त्म कर दिया।

- आपको जिसने ये मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को जानशीन बना दें आप उस पर सख़्त नाराज़ हूए, उसे अल्लाह के ग़ज़ब से हलाक होने की बद्दुआ दी और इस बात को अल्लाह की नाराज़ी का सबब गरदाना।

- आपको लोगों के इन्तेख़ाब का सही अन्दाज़ा था। इसलिए आपने हज़रात उस्मान, अली और बाद में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) को इमारत पर फ़ाइज़ हो जाने के बाद मामलात चलाने के मामले में ज़रूरी नसीहत फ़रमाई और वह ये थी कि जिस तरह मैंने बेटे को खिलाफ़त से दूर रखा है उसी तरह उमूरे ख़िलाफ़त चलाने में भी अक़रबा को शामिल न किया जाये।

- आपने ये भी वाज़ेह कर दिया कि उम्मत में इख़्तिलाफ़ का एक अहम सबब क़यादत के दरम्यान इख़्तिलाफ़ होता है। गोया आपने उन ज़ोअमा (रहबरों) को भी इत्तेफ़ाक़ व इख़्तिलाफ़ का ज़िम्मेदार क़रार दिया।

- आपने ख़ूब गौरो ख़ोज़ के साथ मुशावरत की ग़र्ज़ से इस कमीशन को काफ़ी वक़्त दिया और ये कहा कि जाओ और फ़ौरन मुशावरत करो, इस कमीशन को वाज़ेह तौर पर अमीर के ताईन का तरीक़े कार याद करा दिया।

- ये भी वाज़ेह हिदायत दी कि मोतमद नुमाइन्दे फ़ैसला कर लें तो इन्तेशार फैलाने वाला बाग़ी माना जायेगा और उसकी सज़ा मौत होगी।

- ये भी वाज़ेह कर दिया कि लोगों की मुशावरत के बग़ैर हुकूमत पर क़ब्ज़ा करने वाला भी बाग़ी होता है और उसकी सज़ा भी मौत है।

बाब : 9
बैत के अहकाम व मसाइल

﴾9﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ .

(2940) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से समअ़ और इताअ़त पर बैत करते थे। (आपके अहकाम सुनेंगे और बख़ूशी अ़मल करेंगे) और आप हमें तल्क़ीन फ़रमाते: 'उनमें जिनमें तुम ताक़त रखो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7202, व मुस्लिम: 1867.

फ़ायदा : इस्लाम और जिहादी बैत के बाद शूरा के ज़रिये से मुन्तख़ब हुक्मरान की बैत 'बैते हुकूमत' कहलाती हैं। इस बैत से दो मक़ासिद हासिल होते थे। (1) ये बैत इस बात की अ़लामत थी कि लोगों ने तजवीज़ होने वाले नाम को क़बूल कर लिया है। इस बैत के बाद ख़िलाफ़त का इन्अ़ेक़ाद (सलेक्शन) हो जाता था। (2) तमाम मुसलमान शूरा के ज़रिये से मुन्तख़ब हुक्मरान के साथ तआ़वुन करेंगे। ये एक तरह का मुआ़शरती (सामाजिक) मुआ़हिदा है। ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन ने इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा कराया कि समअ़ व ताइत उन कामों में होगी जो अल्लाह और उसके रसूल केअहकामात और साबिक़ा ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन के इक़्दामात के मुताबिक़ होंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैत के अल्फ़ाज़ में 'इन्सानी इस्तेताअ़त के मुताबिक़' के अल्फ़ाज़ शामिल करने की तल्क़ीन इसलिए फ़रमाई कि बैत करने वाले ख़ूद को ऐसी सूरते हाल में न पायें जिसकी इन्सान इस्तेताअ़त ही नहीं रखता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ " اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ "

(2941) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के औ़रतों से बैत लेने के बारे में कहा: नबी (ﷺ) ने कभी किसी अजनबी औ़रत का हाथ नहीं छूआ, अलबत्ता अ़हद लिया करते थे, और जब वह अ़हद करती तो आप उसे फ़रमाते: 'जाओ मैंने तुमसे बैत ले ली।'

(2941) तख़रीज : मुस्लिम: 1866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) अफ़रादे उम्मत के लिये बमंज़िला बाप होते हूए बैत जैसे अहम शरई मामले में अजनबी औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, दूसरों को और ज़्यादा एहतियात और परहेज़ करना चाहिए। ऐसे ही औरतों पर भी वाजिब है कि वह अजनबी (ग़ैर महरम मर्दों) से मुसाफ़ा और इख़्तिलात से बचें। (2) शरई आदाब को मल्हूज़ रखकर, अजनबी औरतों से हस्बे ज़रूरत जायज़ मामलात के बारे में बातचीत कर लेनी जायज़ है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هُوَ صَغِيرٌ" . فَمَسَحَ رَأْسَهُ .

(2942) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम (ﷺ) के मुताल्लिक़ आता है कि उन्हें नबी (ﷺ) की सोहबत का शर्फ़ हासिल है। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्ते हुमैद उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले गयीं और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इससे बैत फ़रमा लें, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये छोटा है।' और आपने उसके सर पर हाथ फेर दिया।

(2942) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7210.

फ़ायदा : बैत कोई रस्मी और तबर्रूकाती अमल नहीं, बल्कि फ़रीक़ैन के दरम्यान एक बाक़ायदा मुआहिदा होता है, इसलिए इंसान को सोच समझ कर बैत करनी चाहिए। वह बैत जिहाद की हो या हिजरत की या आमाले सालेहा पर पाबन्दी की। ताहम तीसरी क़िस्म की बैत (आमाले सालेहा की पाबन्दी की बैत) का रिवाज सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के अहद में नहीं था। इसका सिलसिला ख़ैरूल कुरून के बाद क़ायम हूआ।

बाब : 10
उम्माले हुकूमत की तनख़्वाहों का बयान

﴿10﴾ بابٌ فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

(2943) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे हम किसी काम पर मुतअय्यन करें और उसे उस

حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ " .

पर तनख़्वाह भी दें, तो जो वह उससे ज़्यादा लेगा वह ख़्यानत होगी।'

(2943) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2369, हाकिम: 1/406.

फ़ायदा : हुकूमती और दीगर प्राईवेट इदारों में मुलाज़िम लोगों के लिये इस हदीस़ में इन्तेहाई तम्बीह है कि तनख़्वाह मारूफ़ तआवुन, जो इदारा अपने कारकुनान के साथ करता हो, उसके अलावा ग़लत अंदाज़ से मज़ीद माल या फ़वाइद हास़िल करना बहुत बड़ी और बुरी ख़्यानत है। ख़्वाह अवाम उन्हें दें (इस मनस़बी ज़िम्मेदारी के ऐवज़ में) या वह अवाम से मुतालबा करें या हीले बहाने से या चोरी छिपे अपनी तहवील में दिये गये फ़न्डज् से समेटने की कोशिश करें।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ . قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي .

(2944) हज़रत इब्ने साइदी (ﷺ) कहते हैं, हज़रत उमर (ﷺ) ने मुझे स़दक़ात का आमिल (तहस़ीलदारे माल) बनाया, जब मैं फ़ारिग़ होकर आया तो आपने मेरे लिये ख़िदमत का हक़ अदा करने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया: ये काम मैंने अल्लाह की रज़ा के लिये किया है, आपने फ़रमाया: जो मिलता है ले लो, मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में कुछ काम किया था, तो आप (ﷺ) ने मुझे इसका बदला इनायत फ़रमाया था।

(2944) तख़रीज : मुस्लिम: 1045.

फ़वाइद व मसाइल : वाजिब है कि जिस किसी से कोई काम लिया जाये तो उसका ख़िदमत का हक़ भी अदा किया जाये। इस तरह काम करने वाले पर वास्तव में एक ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है और तक़सीर की सूरत में जवाब तलबी का हक़ भी मौजूद रहता है। वरना ग़फ़लत कर जाने का पहलू ग़ालिब रहेगा। रावी हदीस़ को 'इब्ने अस्सअदी' भी कहा गया है और उसका अस़ल नाम अब्दुल्लाह या अम्र या क़ुदामा रिवायत हूआ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا " . قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ "

(2945) हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जो हमारा आमिल हो वह बीवी हासिल कर ले, अगर उसके पास ख़ादिम न हो तो ख़ादिम ले ले और अगर उसके पास रिहाइश न हो तो वह रिहाइश हासिल कर ले।' मुस्तौरिद (ﷺ) ने कहा कि हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने कहा: मुझे बताया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई इसके अलावा ले तो वह ख़ायन है या चोर।'

(2945) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/355, मुसनद अहमद: 4/229, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2370, हाकिम: 1/406.

फ़ायदा : निकाह करना, ख़ादिम और रिहाइश (घरेलू अख़राजात समेत) हासिल करना, उम्माले हुकूमत के लाज़मी बुनियादी हुक़ूक़ में से हैं। आज कल मुलाज़ेमीन का बुरी तरह इस्तेहसाल किया जाता है और मजबूरी के आलम में उनको इतना कम मुआवज़ा क़बूल करना पड़ता है जिससे उनकी ऊपर दी गई बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं। ये सरासर ज़ुल्म और नाइन्साफ़ी है जिसका इस्लाम में कोई जवाज़ नहीं है, बिलख़ुसूस जब कि बड़े–बड़े अफ़सरान और हुकमरान तब्क़ा अपने लिये क़ौमी ख़ज़ाने से इतनी सहूलतें और रिआयतें हासिल कर लें कि अल्लाह की पनाह।

﴾11﴿ بابٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

बाब : 11 उम्माल का लोगों से हदिये वसूल करना

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، - لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

(2946) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अज़्द क़बीले के एक शख़्स को सदक़ात पर आमिल बनाया जिसका नाम इब्ने लुतबिया था ... इब्ने सरह

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . أَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ لاَ يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " .

ने उसका नाम इब्ने उतबिया ज़िक्र किया है ... जब वह वापस आया तो उसने कहा: ये आपका है और ये मुझे हदिया दिया गया है। तो नबी (ﷺ) मिम्बर पर खड़े हूए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फ़रमाया: 'आमिल को क्या हूआ है कि हम उसे भेजते हैं फिर वह आकर कहता है: ये आपका है और ये मुझे हदिया दिया गया है। वह अपनी माँ या बाप के घर में क्यों न बैठा रहा, फिर देखता कि उसे हदिया मिलता है या नहीं? तुममें से जो कोई भी इस क़िस्म की चीज़ लेगा वह उसे क़यामत के दिन लेकर हाज़िर होगा, अगर वह ऊँट हूआ तो बिलबिलाता आयेगा, अगर गाय हूई तो डकारती हूई आयेगी या बकरी हूई तो मिमयाती हूई आयेगी।' फिर आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ बलन्द फ़रमाये यहाँ तक कि हमने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने यक़ीनन पहुँचा दिया। ऐ अल्लाह मैंने यक़ीनन पहुँचा दिया।'

(2946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7174, व मुस्लिम: 1832.

फ़ायदा : हुकूमत का मनसबदार होते हूए मुतअय्यना हक़ से ज़्यादा लेना, ख़्वाह लोग अपनी मर्ज़ी ही से क्यों न दें और उसे हदिया बतायें, तो वह बैतुल माल का हक़ है और क़ौमी अमानत है, उसे अपने ज़ाती तसर्रूफ़ में लाना नाजायज़ है।

बाब : 12
स़दक़ात में ख़्यानत करना

﴿12﴾ باب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ " انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ " . قَالَ إِذًا لاَ أَنْطَلِقُ . قَالَ " إِذًا لاَ أُكْرِهُكَ " .

(2947) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (ﷺ) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने मुझे बतौर आ़मिल भेजा और फ़रमाया: 'ऐ अबू मसऊद! जाओ और ख़्याल रखना ऐसा न हो कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें पाऊं की तुम आओ और तुम्हारी पीठ पर स़दक़े का कोई ऊँट बिलबिलाता हूआ आये, जिसे तुमने ख़्यानत से लिया हो।' कहते हैं कि (मैंने अ़र्ज़ किया: अगर मामला इतना सख़्त है) तब मैं नहीं जाता। आपने फ़रमाया: 'तो मैं भी तुझे मजबूर नहीं करता।'

(2947) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 1831.

फ़ायदा: हर मुसलमान को अपनी आ़क़िबत पेशे नज़र रखनी चाहिए और हाकिम को भी लाज़िम है कि अपने उम्माल को तंबीह करता रहे कि अमानत में ख़्यानत से बाज़ रहें। अगर आ़क़िबत की जवाबदेही के डर से कोई इन्सान हुकूमत की तरफ़ से तज़वीजशुदा ज़िम्मेदारी क़बूल नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

बाब : 13
रईयत के ताल्लूक़ से हाकिम के फ़राइज़ का बयान और ये कि वह अ़वाम को मिलने से गुरेज़ न करे

﴿13﴾ بَاب فِيمَا يَلْزَمُ الإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَبَةِ عَنْهُ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي

(2948) जनाब अबू मरयम अज़दी बयान करते हैं कि मैं हज़रत मुआ़विया (ﷺ) से मिलने गया (जब कि वह शाम में हुक्मरान थे) तो उन्होंने कहा: ऐ अबू फुलां! क्या ख़ूब

مَرْيَمَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلاَنٍ . وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ " . قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ .

आये हो (यानी हमें तुम्हारे आने से ख़ूशी हूई है।) और ये जुमला (मा अन्अमना बिका) अरब लोग बतौर इस्तेक़बाल व ख़ूश आमदेद बोला करते हैं। मैंने अ़र्ज़ किया: एक हदीस़ है जो मैं आपको बताने आया हूं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह तआ़ला ने जिस किसी को मुसलमानों के किसी मामले का वाली और ज़िम्मेदार बना दिया हो, फिर वह उनकी ज़रूरियात, हाजतमंदी और फ़क़रो–फ़ाक़ा में उनसे मिलने से गुरेज़ करे (हिजाब में रहे) तो अल्लाह तआ़ला भी उससे हिजाब फ़रमा लेगा, जब कि वह ज़रूरतमंद होगा, मोहताज होगा और फ़कीर होगा।' चुनांचे उन्होंने एक आदमी मुक़र्रर कर दिया जो लोगों की ज़रूरियात और हाजत उन तक पहुँचाता था।

(2948) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1333, हाकिम: 4/9394, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1332, मुसनद अहमद: 5/238 वग़ैरह.

फ़ायदा : ग़ैर शरई और ग़ैर इस्लामी सियासत में ये होता है कि हाकिम और रईयत में फ़ासला ज़रूरी समझा जाता है। उनका वहम है कि अ़वाम से बहुत ज़्यादा मैल जोल हैबत और रौबो दबदबा को कम कर देता है, जबकि इस्लामी सियासत उसके बरख़िलाफ़ है। हाकिम उनका राई और ख़िदमतगार है, उसका अ़वाम से मिलने से गुरेज़ करना और उनकी ज़रूरियात पूरी न करना दुनिया और आख़िरत का नुक़सान है। हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) अपने गवर्नर की सख़्त सरज़निश करते अगर ये मालूम होता कि आ़म लोग बिला रोक टोक उनसे नहीं मिल सकते।

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(2949) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें जो चीज़ भी देता हूं या नहीं देता, तो उसकी वजह ये है कि मैं एक ख़ज़ांची की

صلى الله عليه وسلم " مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ " .

तरह हूं, चीज़ों को वहीं रखता हूं जहां मुझे रखने का हुक्म दिया गया है।'

(2949) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/314, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 43.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) पूरी उम्मते इस्लामिया बल्कि बनी नोअ इंसान के सय्यद और सरदार होते हूए भी अपने आप को अल्लाह की तरफ़ से 'ख़ज़ांची' बावर (बताना) करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रियासत के वसाइल (दौलतें) हुक्मरानों की मिल्कियत नहीं होतीं। उनके ख़र्च करने में वह ख़ूद मुख़्तार नहीं होते बल्कि तमाम शुरका यानी तमाम बाशिन्दों का उनमें हक़ होता है और सबको उसके मुताबिक़ उनसे फ़ायदा उठाने का बराबर मौक़ा मिलना चाहिए बल्कि जो नादार और मोहताज हों उनको ज़्यादा मिलना चाहिए लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद बादशाहत में मुसलमानों के वसाइल के इस्तेमाल में हुक्मरान ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूद मुख़्तार होते गये और ख़ज़ाने को अपने लिये शीरे मादर (जागीर) समझने लगे और जिस किसी को कुछ देते तो इस्तेहक़ाक़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने साथ वफ़ादारी वग़ैरह की वजह से देते। ये ख़यानत के मुतरादिफ़ (बराबर) है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ، بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ .

(2950) जनाब मालिक बिन औस बिन हदसान(ؓ) ने बयान किया कि एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ؓ) ने माले फ़ै का ज़िक्र किया और कहा: इस माल का मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार नहीं हूं और न हममें से कोई एक किसी दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखता है, सिवाए इसके कि हम अल्लाह की किताब की रू से और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तक़सीम के मुताबिक़ अपने अपने मर्तबे पर हैं, या तो कोई इस्लाम क़बूल करने में सबक़त कर चुका है या कोई इस्लाम के लिये अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने वाला है या कोई अयालदार (ज़्यादा बाल बच्चे वाला) है या कोई हाजतमंद (लिहाजा इन ही ऐतबारात से ये माल तक़सीम किया जाता है)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/42.

फ़ायदा : दुनिया में अव्वलियत 'इस्लाम को दिल व जान से क़बूल कर लेने की अव्वलियत में है या उसके लिये जान की बाज़ी लड़ाने में है। आख़िरत में भी दर्जात इसी ऐतबार से मिलेंगे और सहाबा-ए किराम (ﷺ) सबसे अव्वलीन होंगे। वसाइल की तक़सीम के हवाले से हज़रत उमर (ﷺ) की पॉलिसी दुनिया के लिये मॉडल है। आप इस पॉलिसी के हवाले से अपने एहतेसाब को ख़ंदा पेशानी से क़बूल फ़रमाते थे बल्कि एहतेसाब की हौसला अफ़ज़ाई करते।

﴾14﴿
باب في قَسْمِ الْفَيْءِ

बाब : 14
माले फ़ै की तक़सीम के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ .

(2951) जनाब ज़ैद बिन असलम (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) मुआविया (ﷺ) के यहां गये, उन्होंने पूछा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! (ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) की कुनियत है) आप किस ज़रूरत से तशरीफ़ लाये हैं? उन्होंने कहा: आप आज़ादशुदा गुलामों (और लौण्डियों) का हिस्सा अदा करें। मैंने रसूल (ﷺ) को देखा है कि आपके पास जब भी कोई माल आता तो आप (उसमें से) आज़ादशुदा गुलामों (और लौण्डियों) को पहले दिया करते थे।

(2951) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने जारूद, हदीस: 1114.

फ़ायदा : मुहर्ररून से मुराद वह लोग हैं जो पहले गुलाम थे, फिर आज़ाद हो गये, रजिस्टर में उनका मुस्तक़िल इन्द्राज (लिखित) न होता था बल्कि अपने आक़ाओं के साथ ही उनका इन्द्राज (लिखित) होता। अब आज़ाद होने के बाद उनकी मुस्तक़िल हैसियत को तस्लीम करना और उनका बाक़ायदा हिस्सा देना ज़रूरी था, क्योंकि अब उनकी ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी उनके साबिक़ आक़ाओं पर न थी। कुछ उलमा मुहर्ररून से वह गुलाम मुराद लेते हैं जिन्होंने मालिकों से ये मुआहिदा कर लिया हो कि वह

अपनी मुत्तफ़क़ अलैहि क़ीमत मालिकों को अदा करके आज़ाद होंगे। इस अदायगी में उनकी मदद बैतुल माल से की जायेगी।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالأَمَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي رضى الله عنه يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

(2952) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक थैली आई उसमें नगीने थे, आपने उन्हें आज़ाद औरतों और लौण्डियों में तक़सीम फ़रमा दिया। हज़रत आयशा(ﷺ) कहती हैं: मेरे वालिद आज़ाद और गुलाम सबमें तक़सीम किया करते थे।

(2952) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/238.

फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह (ﷺ) गुलामों और कनीज़ों का आज़ाद लोगों की तरह बाक़ायदा हिस्सा मुक़र्रर फ़रमा कर उनको अदा करते थे। हज़रत अबूबक्र (ﷺ) की पॉलिसी भी बिल्कुल यही थी।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا . زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا.

(2953) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जब माले फ़ै आ जाता तो आप उसे उसी दिन तक़सीम फ़रमा देते। आप बीवी वाले को दो हिस्से और मुजर्रद (बिन ब्याहता) को एक हिस्सा देते। इब्ने मुसफ़्फ़ा की रिवायत में मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी हैं: हमें भी बुलाया गया और मुझे (औफ़ बिन मालिक को) अम्मार से पहले बुलाया जाता था, मुझे बुलाया और दो हिस्से इनायत फ़रमाये, क्योंकि मेरे यहां बीवी थी, फिर मेरे बाद हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) को बुलाया गया और उन्हें एक हिस्सा इनायत फ़रमाया।

(2953) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/29, इब्ने जारूद, हदीस: 1112.

फ़ायदा : बैतुल माल में से इस्लाम के लिये ख़िदमात के साथ साथ ज़ाती अहवाल के हवाले से भी एक मुसलमान की ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाता है जिसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होतीं उसका हिस्सा भी ज़्यादा होता। जबकि दीगर निज़ामे मईशत (इकोनोमिक सिस्टम) में बिलउमूम इसका कोई ऐतबार नहीं होता। नीज़ हुक़ूक़ की अदायगी में ताख़ीर करना किसी तरह मुनासिब नहीं है।

﴾15﴿ بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

बाब : 15 मुसलमानों की औलादों के हिस्से का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ " .

(2954) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'मैं मोमिनों के लिये उनकी जानों से भी नज़दीकतर हूं (कि मेरा मक़ाम पहचानें और बे चूं व चरा (बेझिझक) इताअत करें) चुनांचे जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उसके घर वालों का हक़ है और जो कोई क़र्ज़ छोड़ जाये या छोटे बच्चे, तो वह मेरी तरफ़ हैं और मेरे ज़िम्मे हैं।'

(2954) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2416, हदीस: 3343 में देखें।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا " .

(2955) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों का है और जो अयाल व अतफ़ाल (परिवार) छोड़ जाये तो वह हमारी तरफ़ हैं।' (हम उनके ज़िम्मेदार हैं और हम उनकी किफ़ालत करेंगे)

(2955) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6763, व मुस्लिम: 1619.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ "

(2956) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मनक़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं हर मोमिन के लिये उसकी जान से भी क़रीबतर हूं, जो शख़्स फ़ौत हो जाये और उस पर क़र्ज़ हो तो वह मेरे ज़िम्मे है और जो माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों का हक़ है।'

(2956) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1964, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 15257, मुसनद अहमद: 3/296, हदीस: 3343 में देखें।

फ़ायदा : इस्लामी हुकूमत और इस्लामी मुआशरे में हर छोटे बड़े फ़र्द की पूरी तरह किफ़ालत की जाती है। इन्सान की ज़िन्दगी में और उसकी मौत के बाद भी। जबकि फ़र्द भी इस्लाम के लिये जान देने से दरेग़ करने वाला नहीं होता और न वह बिलावजह सवाल करने वाला ही होता है, और न बद मेहनत कि कमाने से दिल चुराता हो। छोटे बच्चों के लिये बैतुल माल से बाक़ायदा वज़ाइफ़ का सिलसिला रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े और इरशादात के मुताबिक़ हज़रत उ़मर (ﷺ) के दौर में एक मुन्ज़बित (सिस्टेमेटिक) अन्दाज़ में राइज (प्रचलित) था। मौजूदा दौर में योरोप वग़ैरह की मज़हबी रियासतों में यही इन्तेज़ाम है और हज़रत उ़मर (ﷺ) से अख़्ज़ करदा है। (नीज़ देखिए, फ़वाइदे हदीस: 2901)

﴿16﴾ باب مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

बाब : 16
जिहाद में कब किसी को बाक़ायदा क़िताल का मौक़ा दिया जाये?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ

(2957) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि उनको ग़ज़्व-ए-उहूद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) पर पेश किया गया जबकि उनकी उ़मर चौदह साल थी, तो आपने इजाज़त न दी। और फिर (अगले साल) ख़न्दक़ के मौक़े पर पेश किया गया

يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ .

जबकि उस वक़्त उनकी उमर पन्द्रह साल थी, तो आपने इजाज़त दे दी।

(2957) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4097, मुसनद अहमद: 2/17.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चा पन्द्रह साल की उमर में बालिग़ शुमार होता है और शरई उमूर का मुकल्लफ़ हो जाता है, लिहाज़ा उसे जंग व क़िताल में भी शरीक किया जा सकता है। इससे पहले उसे जंग में ले जाना दुरूस्त नहीं। **(2)** और जब जंग में शरीक होगा तो ग़नीमत में से बाक़ायदा हिस्सा पायेगा। **(3)** पन्द्रह साल या अलामते बुलूग़त से पहले अगर किसी जुर्म का इरतेकाब करे तो उस पर शरई हद लागू नहीं होगी, तअज़ीर व तादीब होगी। इसी तरह उसकी दी हूई तलाक़ भी नाफ़िज़ुल अमल नहीं होगी, फ़ैसले में उसके वली की शमूलियत ज़रूरी होगी और उसे अपने माल से बाक़ायदा और आज़ादाना तसर्रूफ़ का इख़्तियार भी उसके बाद हासिल होगा।

﴿17﴾ باب فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

बाब : 17
ज़मान–ए–आख़िर में बादशाहों से कुछ लेना मकरूह है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا

(2958) जनाब सुलैम बिन मुतैर ने कहा, मुझ से मेरे वालिद अबू मुतैर ने बयान किया कि हज के लिये रवाना हुआ यहाँ तक कि जब मक़ामे सुवैदा में पहुँचा तो मैंने देखा कि एक आदमी जो गोया किसी दवा की तलाश में है या रसौत ढूंढ रहा है, उसने कहा: मुझसे उस शख़्स ने बयान किया जिसने रसूल (ﷺ) से हज्जतुल विदाअ में सुना था जबकि आप लोगों को वाज़ फ़रमा रहे थे, कुछ बातों का हुक्म दे रहे थे और कुछ से मना कर रहे थे, आपने फ़रमाया: 'लोगो! (बादशाहों के)

الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ .

अतिये और हदिया जब तक अतिये हों क़बूल कर सकते हो लेकिन जब क़ुरैशी लोग हुकूमत के लिये लड़ने लगें और ये हदिये तुम्हारे दीन का ऐवज़ बन जायें तो छोड़ देना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को इब्ने मुबारक ने बवास्ता मुहम्मद बिन यसार, सुलैम बिन मुतैर से रिवायत किया है।

(2958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 4/238, बैहक़ी: 6/359.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ، - مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ " إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوهُ " . فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2959) सुलैम बिन मुतैर ने अपने वालिद से बयान किया और ये वादी अलक़ुरा का रहने वाला था। उसके वालिद ने कहा: मैंने एक साहब से सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज्जतुल विदाअ में सुना, आपने लोगों को कुछ अहकाम बयान किये और कुछ से मना फ़रमाया, फिर फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने पहुँचा दिया?' लोगों ने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह! (हम गवाह हैं) फिर आपने फ़रमाया: 'जब अहले क़ुरैश आपस में हुकूमत के लिये झगड़ने लगें और अतिये रिश्वत बन जायें तो फिर उन्हें छोड़ देना।' पूछा गया कि ये बयान करने वाला कौन है? तो लोगों ने कहा: ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी ज़ुज़्ज़वाइद हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/359.

बाब : 18
ग़नीमत और फ़ै लेने वालों के नाम ज़ब्ते तहरीर में लाना (लिखित में रखना)

﴿18﴾
باب فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ جَيْشًا، مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا .

(2960) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक अंसारी से रिवायत है कि अंसारियों का एक लश्कर अपने अमीर की मईयत (साथ) में ईरान के इलाक़े में गया और हज़रत उ़मर (ﷺ) हर साल लश्करों को बारी बारी भेजा करते थे तो हज़रत उ़मर (ﷺ) (दीगर मस़रूफ़ीयात की वजह से) इनसे मश़गूल हो गये (और भूल गये) सो जब मुक़र्रर वक़्त गुज़र गया तो उस जानिब की सरहदों वाले वापस चले आये तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने उनको डाँटा और धमकी भी दी, हालांकि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब थे। उन्होंने कहा: उ़मर! तुम हम से ग़ाफ़िल रहे हो और हमारे बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो हुक्म फ़रमाया था वह तुम ने छोड़ दिया है कि मुजाहिदीन एक दूसरे के बाद बारी बारी से भेजे जायेंगे।

(2960) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/29, इब्ने जारूद, हदीस़: 1095.

फ़ायदा : हज़रत उ़मर (ﷺ) के ख़िलात के ज़माने में मुजाहिदीन और दूसरे लोगों की, जिन्हें ग़नीमतों में से हिस्स़ा मिला करता था, बाक़ायदा फ़ेहरिस्तें बनाई और दर्जा बंदी की गयी थी ताकि कोई आदमी महरूम न रह जाये और हर एक को उसके मर्तबे के मुताबिक़ हिस्स़ा मिल जाये और हज़रत उ़मर(ﷺ) की तरफ़ से ताख़ीर की वजह भी यही थी कि वह फ़ेहरिस्तें बना रहे थे। (बज़्लुल मज्हूद) रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में चूंकि तादाद इतनी ज़्यादा न थी कि उनका इन्तेज़ाम तहरीरी फ़ेहरिस्तों के

बग़ैर मुमकिन न होता, इसलिए इस काम की ज़रूरत नहीं समझी गयी थी। हज़रत उमर (ﷺ) के ज़माने में जब तादाद ज़्यादा हो गयी तो उस वक़्त भी हज़रत उमर (ﷺ) बारी बारी भेजते थे। इसका मतलब ये है कि मुजाहिदीन की फ़ेहरिस्तें मौजूद थीं जिनकी वजह से बारी का ताईन होता था।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي فِيمَا، حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَىْءِ، فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ " . فَرَضَ الأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ .

(2961) जनाब अदी बिन अदी किंदी के साहबज़ादे का बयान है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने लिखा: जो शख़्स ये पूछे कि माले फ़ै कहाँ कहाँ ख़र्च होता है, तो उसका जवाब ये है कि उनका मसरफ़ वही है जिसका हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़ैसला किया था और अहले ईमान ने भी उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान की रोशनी में अदल पर मबनी पाया था। आप (ﷺ) ने हज़रत उमर(ﷺ) के बारे में फ़रमाया था: 'अल्लाह तआला ने हक़ को उमर की ज़बान और दिल पर रख दिया है।' हज़रत उमर (ﷺ) ने माले फ़ै के अताया को मुसलमानों के लिये ख़ास किया हूआ था और दीगर मज़ाहिब वालों के लिये अमन व अमान का अहद दिया था बएवज़ उस ज़िज़्या के जो उन से लिया जाता था और उनका ख़ुमुस या ग़नीमत में कोई हिस्सा न था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/295, तिमिज़ी, हदीस: 3682, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2184.

मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन हक़ीक़त यही था। चूंकि ग़ैर मुस्लिम का जिहादी उमूर और मुल्क के दिफ़ाअ में कोई हिस्सा नहीं था, लिहाज़ा उनके लिये ख़िदमत का हक़ भी नहीं था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ

(2962) हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (ﷺ) से मनक़ूल है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा

غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ " .

अल्लाह तआला ने उमर की ज़बान पर हक़ जारी फ़रमा दिया है और वह हक़ ही कहते हैं।'

(2962) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 108, हाकिम: 3/87, मुसनद अहमद : 5/145.

फ़ायदा : इस अज़ीम तरीन मदह और सना (तारीफ़) के बावजूद हज़रत उमर (﵁) मासूम अनिल ख़ता नहीं हैं। जहां कहीं महसूस हूआ कि उनका क़ौल व फ़ेअल कुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ नहीं है सहाब–ए किराम (﵃) ने उनसे इख़्तिलाफ़ किया। ग़ैर मशरूत इत्तेफ़ाक़ और इताअत के लायक़ सिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं।

﴾19﴿
باب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

बाब : 19
वह ख़ास अमवाल जो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने लिये मख़सूस कर लिया करते थे

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الْمَعْنَى، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّي قَدْ

(2963) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान(﵁) बयान करते हैं कि हज़रत उमर(﵁) ने मुझे बुला भेजा, जबकि दिन चढ़ आया था, मैं उनके पास आया तो देखा कि खरी चारपाई पर बैठे हैं (उस पर कोई बिछोना नहीं था) उन्होंने मेरे दाख़िल होते ही कहा: ऐ मालिक! तेरी क़ौम के कुछ लोग अपने अहल व अयाल समेत आहिस्ता आहिस्ता चले मेरे पास पहुँचे हैं। मैंने उनके लिये किसी क़द्र माल का कह दिया है तो वह उनमें तक़सीम कर दो। मैंने कहा: अगर आप ये काम मेरे सिवा किसी और से कह दें (तो बेहतर रहे) उन्होंने कहा: तुम ही उसे लो। इतने में (उनका ख़ादिम) यरफ़ा आ गया,

أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَىْءٍ فَاقْسِمْ فِيهِمْ . قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ . فَقَالَ خُذْهُ . فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - يَعْنِي عَلِيًّا - فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَمْهُمَا . قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ . فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّئِدَا . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ

उसने कहा: अमीरूल मोमिनीन! उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर बिन अ़व्वाम ओर सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा: हाँ, और उनके लिये इजाज़त दे दी और वह अंदर आ गये। यरफ़ा फिर उनके पास आया और कहा: अमीरूल मोमिनीन! अ़ब्बास और अ़ली (ﷺ) आये हैं। आपने कहा: हाँ और उनके लिये इजाज़त दे दी तो वह भी अंदर आ गये। हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: अमीरूल मोमिनीन मेरे और हज़रत अ़ली (ﷺ) के दरम्यान फ़ैसला कर दें, अहले मजलिस में से कुछ ने कहा: हाँ ऐ अमीरूल मोमिनीन! इनका फ़ैसला कर दें और इन्हें राहत दें। मालिक बिन औस ने कहा: मेरा ख़याल है कि इन दोनों ही ने दीगर हज़रात को इस मक़सद के लिये भेजा था। तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: ज़रा ठहरो, और इस जमाअ़त की तरफ़ मुतवज्जा हूए और कहा: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूं जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हम लोगों (अम्बिया) का कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो भी छोड़ जायें, स़दक़ा होता है?' उन सब ने कहा: हाँ (ये सच है) फिर आप हज़रत अ़ली और हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा हूए और कहा: मैं तुम दोनों को उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं जिसके

رضى الله عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . فَقَالاَ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ } وَكَانَ اللَّهُ أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضى الله

हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो भी छोड़ जायें वह स़दक़ा होता है?' उन दोनों ने कहा: हाँ (ये सच है) हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने कहा: अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल (ﷺ) के लिये एक खुसूसियत अ़ता फ़रमाई थी जो आ़म लोगों में से किसी और को अ़ता नहीं की गयी, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है: 'और उनका जो माल अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल की तरफ़ भेज दिया है उस पर तुमने न तो घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊँट, लेकिन अल्लाह तआ़ला अपने रसूल को जिस पर चाहे ग़ालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।' अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को बनू नज़ीर के अमवाल दिये थे, तो अल्लाह की क़सम! वह आपने लोगों को छोड़ कर अपने लिये मुख़्तस़ नहीं कर लिये, न तुम्हारे बग़ैर ख़ूद ही रख लिये थे कि तुम्हें उसमें से कुछ न दिया हो। आप उनमें से अपना एक साल का ख़र्च और अपने घर वालों का एक साल का ख़र्च लिया करते थे और बाक़ी मांदा को दीगर अमवाल की तरह ख़र्च किया करते थे। फिर वह उस जमाअ़त की तरफ़ मुतवज्जा हूए और कहा: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूं जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम लोग ये जानते हो? उन्होंने कहा: हाँ। फिर वह हज़रत अ़ब्बास और हज़रत

عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ . فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِيتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَلِيَهَا فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلِيهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى

अली (رضي الله عنه) की तरफ़ मुतवज्जा हूए और कहा: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर कहता हूं जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम्हें ये मालूम है? उन दोनों ने कहा: हाँ। तो फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हो गयी तो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) ने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का वली (उनकी तरफ़ से मामले का ज़िम्मेदार) हूं तो तुम (हज़रत अब्बास(رضي الله عنه) और ये हज़रत अली (رضي الله عنه) अबूबक्र (رضي الله عنه) के पास आये, तुम अपने भतीजे की विरासत से अपना हिस्सा और मीरास माँगते थे और ये अपनी बीवी (हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) का उनके वालिद की मीरास से हिस्सा तलब कर रहे थे, तो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हम कोई विरासत नहीं छोड़ते, जो छोड़ जायें सदक़ा होता है।' और अल्लाह ख़ूब जानता है कि वह (अबूबक्र (رضي الله عنه) सच्चे थे, सालेह थे, हिदायत याफ़्ता और हक़ के ताबेअ थे। तो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) उस माल के निगरां बने रहे, जब उनकी वफ़ात हो गयी तो मैंने कहा: मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) और अबूबक्र (رضي الله عنه) का ख़लीफ़ा हूं, सो जब तक अल्लाह ने चाहा उसका निगराँ व मुन्तज़िम रहा हूं। फिर तुम और ये आये और तुम दोनों मुत्तफ़िक़ थे और तुम्हारी बात भी एक थी कि इसका मुझसे मुतालबा कर रहे थे। तो मैंने कहा: अगर तुम चाहो तो मैं ये

ذَلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّمَا سَأَلاَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاَ أَنَّهُمَا جَهِلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . فَإِنَّهُمَا كَانَا لاَ يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ . فَقَالَ عُمَرُ لاَ أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ .

अमवाल तुम्हारे हवाले किये देता हूं, मगर तुम्हें अल्लाह के नाम से ये वादा करना होगा कि इसका इन्तेज़ाम उसी तरह करोगे जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) किया करते थे। इस वादा पर तुमने मुझसे इसे ले लिया। इसके बाद तुम दोनों मेरे पास आये हो कि मैं तुम दोनों में दूसरा फ़ैसला कर दूं। अल्लाह की क़सम! इसके सिवा मैं तुम्हारे दरम्यान कोई फ़ैसला नहीं करूंगा ख़्वाह क़यामत आ जाये। अगर तुम इसका इन्तेज़ाम संभालने से आजिज़ हो तो मुझे वापस कर दो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उन दोनों हज़रात का सवाल ये था कि उसका इन्तेज़ाम बाक़ायदा तौर पर उन दोनों के बीच आधा आधा कर दिया जाये। ये बात नहीं कि वह नबी (ﷺ) के फ़रमान से लाइल्म थे: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ जायें, वह सब स़दक़ा होता है।' वह दोनों भी हक़ व स़वाब ही चाहते थे। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने कहा: मैं इस माल पर तक़सीम का नाम नहीं आने दूंगा। मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा जैसे कि ये है।

(2963) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7305, व मुस्लिम : 1757.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا - يَعْنِي عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَخْتَصِمَانِ

(2964) मालिक बिन औस (बिन हदस़ान) (رضي الله عنه) ने ये वाक़िया बयान किया, उन्होंने कहा: हज़रत अली और हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) का इस माल के बारे में तनाज़ा था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को बनू नज़ीर से बतौर फ़ै हासिल हुआ था।

فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُوقِعَ عَلَيْهِ اسْمَ قَسْمٍ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: हज़रत उ़मर(ﷺ) चाहते थे कि इसके बारे में किसी भी तरह तक़सीम का नाम न आये।

(2964) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये अमवाल बनू नज़ीर के थे जो बवजह माले फ़ै होने के नबी (ﷺ) के लिये मख़्सूस थे। आप अपना और अहले बैत के लिये साल का ख़र्च लेकर बाक़ी दीगर जिहाद के कामों और ज़रूरतमंद मुसलमानों में तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान, हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें, वह सब स़दक़ा होता है।' हज़रात अ़ब्बास और अ़ली (ﷺ) के इल्म में तो था मगर शायद वह समझते थे कि इस उ़मूम में उनके लिये कोई ख़ुसूस़ियत भी है। **(3)** सबसे पहले हज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (ﷺ) के सामने जब ये मसला पेश हूआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को वाज़ेह दलाइल के साथ क़ाइल किया और वह मुतमइन हो गयीं, क्योंकि हज़रत सि़द्दीक़े अकबर ने उन्हें यक़ीन दिलाया था कि इस माल का इन्तेज़ाम और ख़र्च बिल्कुल उसी तरीक़े से होगा और उन्हीं लोगों पर होगा जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़र्च फ़रमाते थे। उसके बाद दोबारा हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने न कभी इस फ़ैसले से इख़्तिलाफ़ किया न कभी ये मसला उठाया। फिर हज़रात अ़ब्बास और अ़ली (ﷺ) ने हज़रत उ़मर (ﷺ) से ये मुतालबा किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तै शुदा मदों पर ख़र्च करने के लिये इस माल का इन्तेज़ाम उनके सुपुर्द किया जा सकता है। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े पर चलते रहने का वादा लेकर, उन्हें इस जायदाद का मुन्तज़िम बना दिया। **(4)** हज़रत उ़मर (ﷺ) के सामने ये मामला कुछ इस तरह आया कि हज़रात अ़ब्बास और अ़ली (ﷺ) के बीच कुछ उलझन पैदा हो गयी थी और हज़रत अ़ली (ﷺ) ग़ालिब थे। और हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) चाहते थे कि ज़ेरे इन्तेज़ाम जायदाद को इन दोनों के दरम्यान वाज़ेह तौर से आधा आधा कर दिया जाये। **(5)** हज़रत उ़मर (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (ﷺ) का फ़ैसला तमाम फ़रीक़ों की तरफ़ से क़बूल करने और उसकी सही राय का दोबारा हवाला देकर और इस बात का हवाला देकर कि ये इन्तेज़ाम रसूल (ﷺ) के तरीक़े से मुख़्तलिफ़ न होगा, ये फ़रमाया कि ये बग़ैर किसी तक़सीम के आप दोनों के मुश्तरक इन्तेज़ाम ही में रहेगी। और इसमें तक़सीम का नाम तक नहीं आयेगा। और इसकी वजह ये थी कि इन हज़रात के बाद आने वालों के लिये इस जायदाद को बतौर विरास़त ले लेने का कोई इम्कान भी न हो। **(6)** फ़तहुल बारी में कुछ तारीख़ी शवाहिद पेश किये गये हैं कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के दौर में हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) इससे दस्तबरदार हो गये थे और

हज़रत अ़ली (ﷺ) इसके मुन्तज़िम हो गये थे। उनके बाद हज़रत हसन फिर हज़रत हुसैन (ﷺ) फिर अ़ली बिन हुसैन और हसन बिन हसन फिर ज़ैद बिन हसन (रह.) इसके मुन्तज़िम रहे। सन दो सौ हिजरी तक मामला इसी तरह चलता रहा, बाद में अहवाल बदल गये। (फ़तहुल बारी, हदीस: 3094) **(7)** फ़दक और ख़ैबर का इन्तेज़ाम, सूरह हश्र की आयत: 'बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह तआला तुम्हारे लड़े भिड़े बग़ैर अपने रसूल के हाथ लगा दे वह अल्लाह, रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का हक़ है।' (अलहश्र: 7) के मुताबिक़ ख़लीफ़ा की तौलियत में रहा। ग़नीमत में से पाँचवें हिस्से (ख़ुमुस) का इन्तेज़ाम भी इसी तरह होता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन बैतुल माल का मुतसर्रिफ़ और मज़कूरा मद्दात में ख़र्च करने का पाबन्द है। **(8)** कराबदारों से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़राबतदार बनू हाशिम और बनू अ़ब्दल मुत्तलिब हैं। **(9)** ऊपर दी गई हदीस (2963) से ये मसाइल भी साबित होते हैं कि हर क़बीले का रईस होना चाहिए जो उनके उमूर से बेहतर तौर पर वाक़िफ़ हो। **(10)** बावक़ार आदमी को उसके नाम से या उसके नाम को मुख़फ़्फ़फ़ (मुख्तसर) करके भी पुकारा जा सकता है जिस तरह हज़रत उ़मर (ﷺ) ने मालिक को माल कह कर पुकारा, मगर शर्त ये है कि तहक़ीर मक़सूद न हो। **(11)** आदमी मनसबदारी से माज़रत भी कर सकता है। **(12)** हाकिम नर्मी से मनसब संभालने के लिये कह सकता है। **(13)** हाकिम हाज़िर होने वालों का नज़्म व नस्क़ क़ायम रखने के लिये किसी को मुक़र्रर कर दे तो जायज़ है। **(14)** हस्बे अहवाल इमाम और हाकिम के रूबरू बैठ जाना कोई ऐ़ब की बात नहीं। **(15)** ख़ैर के कामों में सिफ़ारिश करना उ़म्दा ख़सलत है। **(16)** क़ाज़ी दलील की बिना पर अपना फ़ैसला दे और फिर फ़ैसला देते हूए, हस्बे ज़रूरत वजह बताये तो मुनासिब है। **(17)** जायदाद हासिल करना, इससे फ़ायदा उठाना और साल भर का ख़र्च वग़ैरह पहले जमा रखना जायज़ है और ये ख़िलाफ़े तवक्कल भी नहीं। **(18)** रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ जमा न रखा करते थे बल्कि साल भर के कम अज़ कम ख़र्च में से भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहते, इसलिए साल गुज़रने से पहले नोबत फ़ाक़ों तक पहुँच जाती और कई कई माह घर में चूल्हा न जलता। शदीद ज़रूरत में क़र्ज़ लेना पड़ जाता। इसी तरह आपके अहले बैत भी अपना हिस्सा तक सदक़ात में ख़र्च कर देते और ख़ूद इख़्तियारी फ़क़्रो–फ़ाका की ज़िन्दगी गुज़ारते थे।

(2965) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान(ﷺ) हज़रत उ़मर (ﷺ) से बयान करते हैं कि बनू नज़ीर के अमवाल वह थे जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल को बग़ैर

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ،

أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ - فَمَا بَقِيَ جُعِلَ فِي الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ .

किसी लड़ाई के (बतौर फ़ै) दिये थे। मुसलमानों ने इस पर न घोड़े दौड़ाये थे ओर न ऊँट। और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) ही के लिये मख़्सूस थे। आप अपने घर वालों पर ख़र्च करते थे। (इमाम अबू दाऊद (रह.) के शैख़) अहमद बिन अब्दा ने कहा: आप अपने अहल का एक साल का ख़र्च ले लेते और जो बाक़ी बचता उसको घोड़ों और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के सामान में लगा देते। इब्ने अब्दा के अल्फ़ाज़ थे: (फ़िल कुराइवस्सलाहि) (मअ़नी वही हैं जो ऊपर बयान हूए हैं)

(2965) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 2904, व मुस्लिम: 1757.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये अल्लाह तआ़ला ने जो अमवाल मख़्सूस किये वह तीन तरह के थे। (i) वह अराज़ी (ज़मीनें) जो अन्सार ने अपनी ज़मीनों में से रसूलुल्लाह (ﷺ) को बतौर हदिया पेश की थीं, उन अराज़ी पर पानी नहीं पहुँचता था। (ii) मुख़ैरीक़ यहूदी ने उहुद के मौक़े पर इस्लाम लाते हूए बनू नज़ीर के इलाक़े में अपने सात बाग़ात की वसीयत रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये की। (iii) बनू नज़ीर ने जब लड़े बग़ैर हथियार डालकर रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला क़बूल किया तो आप (ﷺ) ने उन्हें हथियारों के अ़लावा जो कुछ ऊँटों वग़ैरह पर उठाकर ले जा सकते थे, ले जाने की इजाज़त दी। बाक़ी सब कुछ फ़ै था जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) का इख़्तियार था। आप (ﷺ) ने बनू नज़ीर की बाक़ी मांदा तमाम मन्क़ूला जायदाद मुसलमानों में तक़सीम कर दी, ज़मीन वग़ैरह की आमदनी से आप अपने अख़राजात भी पूरे करते थे, लेकिन ज़्यादा आमदनी मुसलमानों के वलियुल अम्र की हैसियत से जिहाद और दीगर फ़ौरी नौइयत की ज़रूरतों पर ख़र्च करते। बाद में ख़ैबर की फ़तह के मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने वसीअ़ और ज़र ख़ैज़ इलाक़े मुसलमानों को अ़ता कर दिये। ख़ैबर का आधा हिस्सा फ़तह हूआ था जो मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ और बाक़ी आधा, जिस में फ़िदक और वादी अलक़ुरा के हिस्से थे, बग़ैर जंग के हासिल हूआ और अल्लाह तआ़ला के हुक्म के मुताबिक़ बतौर फ़ै आपकी तहवील में आ गया। इसी तरह ख़ैबर के क़िलों में से वतीख़ और सलालम भी बसूरते फ़ै हासिल हूए।

ख़ैबर का जो हिस्सा जंग के ज़रिये से हासिल हूआ उसका ख़ुमुस भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहवील में था। (औनूल माबूद, हदीस: 2969) **(2)** ख़ैबर के अमवाल जब तहवील में आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घर वालों के साल के कम अज़ कम मिक़्दार में खाने के अख़राजात के बाद बाक़ी सब आमदनी मुसीबतज़दा लोगों, इन्सानी और ख़ानदानी हुक़ूक़ की अदायगी के लिये ख़ास़ कर दी। (उनमें बच्चों की ख़बरगीरी, नोजवानों या बेवा औरतों की शादी जैसी मद्दात शामिल थीं) (अबू दाऊद, हदीस़: 2970, 3012) **(3)** हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) के दौर में जब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने इन अमवाल का मुतालबा किया तो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) ने आप (ﷺ) का ये फ़रमान सुनाकर कि नबी (ﷺ) का माल बतौर विरास़त तक़सीम नहीं होगा, अलबत्ता आले मुहम्मद या रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवियों के खाने का ख़र्च इसमें से अदा होगा, बाक़ी स़दक़ा होगा। (अबू दाऊद, हदीस़: 2978, 2974) और ये फ़ैसला भी फ़रमाया कि इन सब अमवाल के इन्तेज़ाम व इन्सेराम की ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह (ﷺ) के जानशीन के पास रहेगी और उनकी आमदनी बिलकुल उन्हीं मस़ारफ़ पर ख़र्च होगी जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़र्च फ़रमाते थे। इस फ़ैसले पर हज़रत अ़ली और हज़रत अ़ब्बास(رضي الله عنه) समेत पूरी उम्मत का इज्मा हूआ। (अबू दाऊद, हदीस़: 2963, 2970) चूंकि इन 'स़फ़ाया' (ख़ास़ अमवाल) को आपने स़दक़ा क़रार दिया था इसलिए अब इन अमवाल को स़फ़ाया की बजाये स़दक़तुर रसूल कहा जाने लगा। (अबू दाऊद, हदीस़: 2970, 2968)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } . قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

(2966) जनाब ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) सूरह हश्र की आयत: 'और इन (लोगों) का जो माल अल्लाह तआला ने अपने रसूल की तरफ़ फेर दिया है इसके लिये तुमने कोई घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये, के बारे में फ़रमाते हैं: ये रसूल (ﷺ) के लिये ख़ास़ है। इसमें उरैना की बस्तियाँ, फ़िदक वग़ैरह वग़ैरह हैं। (इसके बाद सातवीं आयत में है) 'लड़े भिड़े बग़ैर बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह तआला ने अपने रसूल के कब्ज़े में दिया है वह अल्लाह, रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, और मुसाफ़िरों का हक़ है।' (और आगे आठवीं

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ . وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ حَظٌّ إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ .

आयत में है कि ये माले फ़ै) 'उन फ़ुक़रा मुहाजिरीन का हक़ है जो अपने घरों और मालों से निकाल बाहर किये गये ...' (और इसके बाद ये बयान हूआ है कि इस माले फ़ै में उन लोगों का भी हक़ है) जिन्होंने इन (मुहाजिरीन की आमद) से पहले (मदीने में) ठिकाना बना लिया था और ईमान क़बूल कर लिया था। (अंसारे मदीना) और (फिर दसवीं आयत में है। 'और वह लोग) जो उनके बाद आये ...' ये (आख़री) आयत तमाम लोगों से मुताल्लिक़ है। और मुसलमानों में से कोई भी नहीं बचता मगर उसका इस फ़ै में हिस्सा है ... अय्यूब ने लफ़्ज़ 'हक़' की बजाये 'हज़' कहा ... सिवाए तुम्हारे कुछ ऐसे लोगों के जिनकी गर्दनों के तुम मालिक हो। (गुलाम जो आज़ाद नहीं हूए और उनकी पूरी ज़िम्मेदारी उनके आक़ाओं पर है।)

(2966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) समझते थे कि माले फ़ै में तमाम मुसलमानों का हक़ और हिस्सा है। (2) माले फ़ै में से पांचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) नहीं निकाला जाता बल्कि ख़ुमुस ग़नाइम में से निकाला जाता है और निकाल कर हुकूमत के सुपुर्द किया जाता है।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ

(2967) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान(ﷺ) से मरवी है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने (हज़रत अली और हज़रत अब्बास (ﷺ) के बीच फ़ैसला करते हूए) बतौर हुज्जत कहा था, बनू नज़ीर, ख़ैबर और फ़िदक की ज़मीनें (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़) रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मुख़्तस थीं। बनू

- كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لأَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ .

नज़ीर वाली जायदाद अलमुबाक हवादिस़ पर ख़र्च करने के लिये होती थी, फ़िदक मुसाफ़िरों के लिये और ख़ैबर के रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन हिस्से कर रखे थे, दो हिस्से मुसलमानों में और एक हिस्सा आपके अहल के अख़राजात के लिये था। आपके अहल के ख़र्च से जो बच जाता आप उसे मुहाजिरीन के फ़ुक़रा में बाँट दिया करते थे।

(2967) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/59.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ " . وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا

(2968) उम्मूल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा (रज़ि.) ने बयान किया कि दुख़्तरे रसूल ह़ज़रत फ़ातिमा(रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के यहां कहला भेजा कि उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के विरसे से हिस्सा दिया जाये जो आप बतौर फ़ै मदीना मुनव्वरा, फ़िदक और ख़ैबर के ख़ुमुस का बक़िया छोड़ गये हैं तो ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह सब स़दक़ा होता है, अलबत्ता आले मुहम्मद का ख़र्च (पहले की तरह) इस माल से पूरा किया जायेगा।' और अल्लाह की क़सम! मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़दक़ा को इस हालत से, जिस पर आप उसे अपनी ज़िन्दगी में छोड़ गये हैं, तब्दील नहीं कर सकता, मैं

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مِنْهَا شَيْئًا .

इसमें उसी तरह अमल करूंगा जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) करते रहे हैं। अलग़र्ज़ हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) को इसमें से कुछ देने से इन्कार कर दिया।

(2968) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4640, 4641, व मुस्लिम.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुक़ाबले में किसी की कोई दलील बाक़ी नहीं रहती और कोई हुक्मरान किसी की ख़ातिर भी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के अहकाम तब्दील नहीं कर सकता। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अ़ली (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला सुनकर मुकम्मल तौर पर मुतमइन हो गये। उनकी तरफ़ से अ़दमे इत्मीनान का गुमान भी उनकी शान में गुस्ताख़ी है। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के बाद जब इन अमवाल का इन्तेज़ाम हज़रत अ़ली (ﷺ) और उनके बाद उनकी औलाद को तफ़वीज़ हूआ तो उन्होंने भी बिलकुल इसी तरह इसका इन्तेज़ाम और ख़र्च किया जिस तरह हज़रत अबूबक्र (ﷺ) और कुछ अ़र्सा तक हज़रत उ़मर (ﷺ) करते रहे।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ

(2969) उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि ज़ौजाए नबी (ﷺ) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) ने उन्हें ये हदीस़ बयान की। इस रिवायत में उर्वा कहते हैं कि उन दिनों (रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस स़दक़े का मुतालबा किया, जो आप मदीना, फ़िदक और ख़ैबर के ख़ुमुस का बक़िया छोड़ गये थे। हज़रत आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान था: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो कुछ भी छोड़ जाते हैं वह स़दक़ा होता है और आले मुहम्मद इसी माल में से खायेंगे।' यानी अल्लाह के माल में से और

آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ " . يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ

इन्हें हक़ नहीं कि खाने पीने के अख़राजात से ज़्यादा लें।

(2969) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3711, 3712.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رضى الله عنهم فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ . قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ .

(2970) जनाब उर्वा ने मुझे ख़बर दी कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने उन्हें ये हदीस बयान की। उर्वा ने इस रिवायत में बयान किया कि हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने (सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) को कुछ देने से) इंकार कर दिया और कहा: जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) करते रहे हैं, मैं उसमें से कुछ तर्क नहीं करूंगा,अगर मैंने आपके तरीक़े में से कुछ भी तर्क कर दिया, तो मुझे अन्देशा है कि कहीं गुमराह न हो जाऊं। अलबत्ता आपका वह सदक़ा जो मदीने में था हज़रत उमर (ﷺ) ने उसे हज़रत अली और हज़रत अब्बास (ﷺ) की तोलियत में दे दिया, बाद में इस मामले में हज़रत अली(ﷺ) हज़रत अब्बास (ﷺ) पर ग़ालिब आ गये थे। ख़ैबर और फ़दक को हज़रत उमर (ﷺ) ने अपनी निगरानी में रखा और कहा: ये दोनों आपका वह सदक़ा हैं जो आपके इत्तेफ़ाक़ी हुक़ूक़ व अख़राजात के लिये थे, उनकी तोलियत ख़लीफ़ा-ए-वक़्त के हाथ में होगी। चुनांचे वह आज तक इसी तरह हैं।

(2970) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3092, हदीस: 2968 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस में माले फ़ै और ख़ुमुस को 'सदक़ा' से ताबीर किया गया है। यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी को दिया था, न कि वह मारूफ़ सदक़ा जो लोग अपने मालों में से निकाला करते हैं। **(2)** (फ़हुमा अला ज़ालिका इलल यौम) 'चुनांचे वह आज तक

इसी तरह हैं' का मतलब ये है कि एक वक़्त तक तो इस पर अमल होता रहा मगर बाद के ज़मानों में इसकी तक़सीम हो गयी और इसकी वह हैसियत बरक़रार न रह सकी जो नबी (ﷺ) के ज़माने में थीं।

(2971) जनाब ज़ोहरी (रह.) ने आयते करीमा: (फ़मा अव जफ़तुम अलैहि मिन खैलिव वला रिकाब) 'इन पर तुमने कोई घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाये।' की तफ़्सीर में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने अहले फ़दक और कई बस्तियों वालों के साथ मुसालहत फ़रमाई थी, जबकि आप दूसरी बस्तियों का मुहासरा किये हूए थे, तो उन लोगों ने इस बीच में सुलह का पैग़ाम भेजा था और ये इसी सिलसिले का बयान है कि यानी बग़ैर किसी जंग व जदाल के ये हासिल हूई थी। इमाम ज़ोहरी (रह.) कहते हैं: बनू नज़ीर के अमवाल नबी (ﷺ) के लिये मख़सूस थे (क्योंकि) वह बतौर सुलह के फ़तह हूए थे, उसको क़ूव्वत के ज़ोर पर हासिल नहीं किया गया था। चुनांचे नबी (ﷺ) ने उनको मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा दिया और सिवाए दो के किसी अन्सारी को इनमें से कुछ नहीं दिया, ये दो लोग भी ज़रूरतमंद थे।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 6/296.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ { فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لاَ أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصُّلْحِ قَالَ {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوهَا عَنْوَةً افْتَتَحُوهَا عَلَى صُلْحٍ فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ .

फ़ायदा : दूसरों के मुहासरे के दौरान में सुलह के पैग़ाम के ज़रिये से ख़ैबर के दो क़िले वतीख़ और सलालम मुसलमानों के क़ब्ज़े में आये थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नज़ीर के अमवाल का कुछ हिस्सा अपनी ख़ानदानी और हंगामी इन्सानी ज़रूरियात के लिये ख़ास करने के बाद बाक़ी मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा दिया जिस तरह साबिक़ा सही अहादीस में बयान हो चुका है।

(2972) जनाब मुग़ीरा (बिन हकीम सनआनी) से मरवी है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) जब ख़लीफ़ा बने तो

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلاَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى

उन्होंने बनू मरवान को जमा किया और कहा: अराज़ी–ए–फ़दक रसूल (ﷺ) के लिये ख़ास थीं, आप इसी की आमदनी से अपने अख़राजात पूरे किया करते थे, बनू हाशिम के छोटे बच्चों पर इसी के ज़रिये से एहसान फ़रमाते और बेवाओं की शादी कराते थे। हज़रत फ़ातिमा (ؓ) ने इसका मुतालबा किया कि ये उसे दे दिया जाये, तो आपने इन्कार कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) के आख़री दम तक ये मामला ऐसे ही रहा यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गयी। फिर हज़रत अबूबक्र (ؓ) ख़लीफ़ा हूए तो इसमें वह वही कुछ करते रहे जैसे नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी में होता था यहाँ तक कि अपनी राह चले गये (वफ़ात पा गये) फिर हज़रत ड़मर (ؓ) ख़लीफ़ा हूए तो इसमें वही किया जो वह दोनों करते रहे थे यहाँ तक कि वह (भी) अपनी राह चले गये (उनकी भी वफ़ात हो गयी) फिर ये ज़मीन मरवान ने अपने लिये ख़ास कर ली, फिर ड़मर बिन ड़ब्दुल ड़ज़ीज़ (रह.) के क़ब्ज़े में आ गयी। ड़मर बिन ड़ब्दुल ड़ज़ीज़ (रह.) ने कहा: मैंने सोचा है कि जो चीज़ नबी (ﷺ) ने (अपनी साहबज़ादी) हज़रत फ़ातिमा (ؓ) को नहीं दी है, तो मुझे भी इस पर कोई हक़ हासिल नहीं है और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने ये ज़मीन उसी हाल पर वापस कर दी हैं जैसे कि थी। यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में।

الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلاَفَةَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ख़लीफ़ा बने तो उनकी आमदनी चालीस हज़ार दीनार थी और जब वह फ़ौत हूए तो चार सौ दीनार रह गयी थी अगर वह हयात रहते तो और भी कम हो जाती।

(2972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/301.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رضى الله عنها إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ" .

(2973) हज़रत अबू अत्तुफ़ैल (आमिर बिन वासिला लैसी (ﷺ) से मरवी है कि सय्यदा फ़ातिमा(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के विरसे का मुतालबा लेकर हज़रत अबूबक्र(ﷺ) के पास आयीं, तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह तआला जब अपने नबी को कोई रिज़्क़ इनायत फ़रमा देता है, तो उसका सरपरस्त वही होता है जो उसके बाद (बतौर ख़लीफ़ा) आये।'

(2973) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/4.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ हसन दर्जे की है। और अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि वह हज़रात जो कहते हैं कि नबी (ﷺ) के बाद ख़ुमुस में से 5/4 ख़लीफ़ा का होता है उनका इस्तेदलाल इसी रिवायत से है। **(2)** नबी (ﷺ) के माल में विरास़त न होने की हिकमत ये है कि आप (ﷺ) की बाबत लोगों के दिलों में ये शुब्हा पैदा न हो कि इस शख़्स़ के दावाए रिसालत से अस़ल मक़्स़द तो उसका माल दौलत का जमा करना है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ

(2974) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरा वरस़ा दीनारों की स़ूरत में तक़सीम नहीं होगा। जो कुछ भी छोड़ जाऊं तो वह बीवियों के

تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " مُؤْنَةِ عَامِلِي " . يَعْنِي أَكَرَةَ الأَرْضِ .

अख़राजात और उम्माल (वर्कर्स) की मेहनत के बाद सब सदक़ा होगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (मुनतु आमिली) के मानी हैं कि अफ़राद जो ज़मीन पर मेहनत मज़दूरी करें।

(2974) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3096, व मौता: 2/993, व मुस्लिम: 1760.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ حَدِيثًا، مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ اكْتُبْهُ لِي فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُذَبَّرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ إِنَّا لاَ نُورَثُ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي

(2975) अबूल बख़्तरी कहते हैं कि मैंने एक आदमी से हदीस सुनी जो मुझे पसन्द आई, मैंने कहा कि ये मुझे लिख दो, तो उसने ये मुझे साफ़ साफ़ लिख दी। कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली (ﷺ) हज़रत उमर(ﷺ) के पास आये जबकि तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान और सअद(ﷺ) उनके पास बैठे हुए थे और उन दोनों का आपस में झगड़ा था। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान और सअद (ﷺ) से कहा: क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नबी (ﷺ) का सब माल सदक़ा होता है, सिवाए उसके जो वह अपने घर वालों को खिला दें या पहना दें। हम लोग अपना कोई वारिस नहीं बनाते?' उन सब ने कहा कि हाँ। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर वालों पर ख़र्च करते और बक़िया सदक़ा कर दिया करते थे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हो गयी और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) दो साल तक इस

जायदाद के मुतवल्ली रहे और वही कुछ करते रहे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे। फिर (अबूल बख़्तरी ने) मालिक बिन औस की हदीस़ से कुछ बयान किया।

(2975) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/299, 300.

كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ .

(2976) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़यशा स़िद्दीक़ा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की जब वफ़ात हो गयी तो अज़वाजे मुतह्हरात (रसूल की बीवियों) ने इरादा किया कि ह़ज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (رضي الله عنه) को ह़ज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) की ख़िदमत में भेजें ताकि वह उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की विरास़त से आठवाँ हिस्सा इनायत फ़रमा दें, तो ह़ज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने उनसे कहा: 'क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा नहीं गये: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो कुछ भी छोड़ जायें, वह स़दक़ा होता है।'

(2976) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4034, मौता: 2/993, व मुस्लिम: 1758.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

(2977) जनाब इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। इसमें है: मैंने कहा: क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान नहीं सुना? आप फ़रमाते थे: 'हमारा कोई वारिस़ नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह स़दक़ा होता

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ أَلاَ تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَقُولُ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِي " .

है और ये माल आले मुहम्मद का है जो उनके हवादिसात और मुसीबतज़दा अफ़राद के अख़राजात और उनके मेहमानों के लिये है, जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो इसका सरपरस्त वही होगा जो मेरे बाद ख़लीफ़ा होगा।'

(2977) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/145, तिर्मिज़ी, हदीस: 402, हदीस: 2967 में देखें।

मसला विरासते अम्बिया

तौज़ीह : इस बाब की अहादीस और इस टॉपिक की आयाते करीमा से वाज़ेह है कि अमवाले फ़ै अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मख़सूस थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) उनको हस्बे इरशादाते रब्बानी अपने ज़ाती अख़राजात और मसारिफ़ जिहाद के अलावा दीगर मुस्तहिक़ मुसलमानों में तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। अपने और अहल व अयाल के अख़राजात के लिये महफ़ूज़ जायदाद के बारे में नबी (ﷺ) ने बसराहत फ़रमा दिया था कि उसे बतौर विरासत तक़सीम नहीं किया जायेगा। गो कि इब्तेदा में अहले बैत के चंद बुज़ुर्ग इस मसले में अपने लिये शायद कोई ख़ुसूसियत समझते रहे हों मगर हज़रत अबूबक्र और फिर हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने उन्हें (अस्हाबे हल्लो अक़्द) (जानकारों) के रू ब रू सरीह दलाइल से मुतमइन फ़रमा दिया कि उनका इन्दिया सही नहीं है जिस पर वह बिलआख़िर मुतमइन हो गये थे। मगर ताज्जुब है कि राफ़ज़ीयों में ये बात शुरू से अब तक बिलउमूम कही जाती है कि शैख़ैन ने नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत का हक़ मार लिया था। और वह इस मौक़िफ़ को अपनी भोली–भाली जनता के सामने कुछ इस तरह पेश करते हैं कि क़ुर्आन मजीद में है कि अम्बिया की विरासत होती है और दलील देते हैं कि 'अल्लाह तआला तुम्हें अपनी औलादों को विरासत देने का हुक्म देता है ...' (अन निसा: 11) और हज़रत सुलेमान (عليه السلام) अपने वालिद के वारिस क़रार पाये थे, इरशादे बारी तआला है: 'और दाऊद का वारिस सुलेमान बना।' (अन्नमल: 16) और हज़रत ज़करिया अलैहि. दुआयें करते रहे कि उन्हें बच्चा मिले जो उनका वारिस हो, इरशादे बारी तआला है: 'मुझे तो अपने पास से एक वारिस अता कर, वह वारिस हो मेरा और वारिस हो आले याक़ूब का।' (मरयम: 5, 6) मगर असबियत से बालातर होकर इल्म व तक़वा और दयानत से ग़ौर करें तो मालूम होगा कि उनका ऊपर दिया गया इस्तेदलाल एक अधूरा सच है। औलाद को विरासत देने का आम हुक्म मुतलक़न उमूम पर हरगिज़ नहीं है जैसे कि काफ़िर, जानबूझकर क़त्ल करने वाला और ग़ुलाम

औलाद अपने माँ बाप की वारिस नहीं हो सकती इसी तरह नबी (ﷺ) का मामला आम मख़्सूस मिन्हुल बअ़ज़ (आम हुक्म का इतलाक़ बाज़ ख़ास सूरतों पर नहीं होता) की सूरत से है। हज़रत सुलेमान अलैहि. अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहि. के बिलाशुब्हा वारिस हूए हैं, मगर माल व दौलत के नहीं बल्कि इल्म व किताब और इस जैसी दीगर ज़िम्मेदारियों के वारिस हूए। और इस मफ़हूम के लिये लफ़्ज़े विरासत ही इस्तेमाल होता है जैसे कि माल व दौलत के लिये। इरशादे बारी तआ़ला है: 'फिर हमने अपने मुन्तख़ब बंदों को इस किताब का वारिस बनाया।' (फ़ातिर: 32) और अगर यहां माल की विरासत मुराद ली जाये तो फिर ये क्योंकर हो सकता है कि दाऊद अलैहि. की औलाद में से सिर्फ़ सुलेमान अलैहि. ही को वारिस बनाया जाये और दूसरों को महरूम कर दिया जाये? और फिर सिर्फ़ माल या हुकूमत का वारिस होना तो कोई ख़ास मदह की बात नहीं , क्योंकि ये दुनिया के मारूफ़ मअमूलात में से है। हज़रत सुलेमान अगर माल के वारिस बने तो ये कौन सी बड़ी बात है कि कुर्आन बतौर ख़ास इसका तज़्किरा करे! इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहि. की दुआओं के मानी भी यही हैं कि वह अपने इल्म का वारिस तलब कर रहे थे न कि माल का। अगर (यरिसुनी वयरिसु मिन आले याक़ूब) से मुराद माल की विरासत ली जाये तो दुआ का मतलब ये होगा कि पूरी आले याक़ूब के माल का वारिस वह बने जो हज़रत ज़करिया अलैहि. को बतौर वली अता किया जाये। जबकि अल्लाह तआ़ला ने उनको जो वारिस अता किया। वह अमवाले दुनिया से मुतलक़न बेरग़बत रहा, यानी हज़रत यहया अलैहि.

- रसूलुल्लाह (ﷺ) या दीगर अम्बिया–ए–साबिक़ीन अलैहि. ने इल्म व किताब के अलावा अपनी कोई विरासत नहीं छोड़ी और न किसी को अपना वारिस बनाया। हज़रात शैख़ैन ने बक़ौल उन लोगों के अगर हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) को माल की विरासत नहीं भी दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) भी महरूम रहे हैं। ख़ूद उनकी अपनी साहबज़ादियाँ सय्यदा आयशा और सय्यदा हफ़्सा (رضي الله عنهما) जो कि अल्लाह के नबी (ﷺ) के हरम में थीं उन्हें भी महरूम किया गया। अगर ये मसल–ए–विरासत ऐसे ही था जैसे कि ये राफ़ज़ी बावर कराते हैं, तो क्यों न हूआ कि हज़रत अली (رضي الله عنه) अपने दौरे ख़िलाफ़त में जब कि वह कुल्ली तौर पर बाइख़्तियार थे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहवील में जो अमवाल रहे थे उन्हें विरासत के तौर पर तक़सीम करके तमामं अहले हुक़ूक़ को उनके हुक़ूक़ दे देते? लेकिन हक़ ये है कि उन्होंने भी हज़रात शैख़ैन हज़रत सिद्दीक़े अकबर और हज़रत फ़ारूक़े आज़म (رضي الله عنهما) के फ़ैसले को (जो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ था) बरक़रार रहने दिया जैसा कि शूरू में था। (رضي الله عنهم)(अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए)

बाब : 20
ख़ुमुस (ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) लिया करते थे) कहां ख़र्च होता था और क़राबतदारों के हिस्से का बयान

﴾20﴿

باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

फ़ायदा : नीचे दी गई अहादीस़ पढ़ते हूए ख़ानदाने कुरैश के मुताल्लिक़ मालूम रहे कि नबी (ﷺ) के चौथे दादा अ़ब्दे मुनाफ़ की चार औलादें थीं: हाशिम, मुत्तलिब, नोफ़िल और अ़ब्दे शम्स। अय्यामे जाहिलीयत की ख़ानदानी कशमकश में बनू नोफ़िल और बनू अ़ब्दे शम्स एक दूसरे के हिमायती और हलीफ़ बन गये थे, जबकि बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम की ताईद व नुस़रत की थी। यहाँ तक कि नबी (ﷺ) के ऐलाने नबूवत के बाद जब कुरैश ने बनू हाशिम के साथ मुक़ातअ़े (बायकाट) का फ़ैस़ला किया और उन्हें शैबे अबी तालिब में महसूर होना पड़ा तो बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम का पूरा पूरा साथ दिया। इसके बाद तो ये दोनों ख़ानदान मुआ़शरती और मआ़शी तौर पर पहले से भी ज़्यादा बाहम मरबूत हो गये बल्कि दोनों मिलकर एक मआ़शी इकाई बन गये। इस इकाई का हर फ़र्द ख़ुद को बाक़ी सबकी तरफ़ से ज़िम्मेदार समझता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) बदरजाए औला इस इकाई के बाक़ी मेम्बरों की बहबूद के ज़िम्मेदार थे, लिहाज़ा आपने उन्हें अपने माल में शरीक करके उसी के तक़ाज़े पूरे फ़रमाये। यानी जो कुछ सिर्फ़ आपका था उसमें किसी और का कोई हक़ न था कि जो आपने किसी से रोक लिया हो, आपने इसमें तोसीअ़ करके दूसरों को शरीक किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिमायत और हिफ़ाज़त का ये अ़मल उन ख़ानदानों के लिये हमेशा बाबरकत स़ाबित हूआ, जिसके नतीजे में उन्हें 'ज़विल कुर्बा' (रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ास़ क़राबतदार) क़रार दिया गया। दूसरे दो ख़ानदान इस्लाम क़बूल कर लेने के बाद, बावजूद ख़ानदानी ताल्लुक़दारियों के इस ख़ुसूसी हैस़ियत और शर्फ़ से महरूम रहे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मय्यशाउ.

(2978) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) का बयान है कि मुझे हज़रत जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) ने बयान किया कि मैं और हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (رضي الله عنه) ख़ुमुस की तक़सीम के सिलसिले में

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ " . قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ . قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) से बात करने के लिये गये जो आपने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को हिस्सा इनायत फ़रमाया था। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे भाईयों बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया है मगर हमें नहीं दिया, हालांकि हमारी और उनकी आपके साथ क़राबतदारी एक सी है, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब एक शय हैं।' (वजह ऊपर दर्ज हुई) जुबैर (ﷺ) कहते हैं: आप (ﷺ) ने ख़ुमुस में से बनू अब्दे शम्स और बनू नोफ़िल का हिस्सा न निकाला जिस तरह कि बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब का निकाला था। रावी का बयान है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ख़ुमुस उसी तरह तक़सीम किया करते थे जैसे कि नबी (ﷺ) करते थे लेकिन वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के उन क़राबतदारों को इतना न देते थे जितना रसूल (ﷺ) दिया करते थे। चुनांचे हज़रत उ़मर(ﷺ) और उनके बाद हज़रत उ़स्मान (ﷺ) (भी) उन्हें देते रहे।

(2978) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4229.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत का आख़री हिस्सा (वकाना अबूबक्र ...) 'अबूबक्र ख़ुमुस इसी तरह तक़सीम किया करते थे' हज़रत जुबैर (ﷺ) के क़ौल का हिस्सा है, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि ये इमाम ज़ोहरी (रह.) का क़ौल है जो ग़लती से हज़रत जुबैर (ﷺ) के क़ौल के साथ दर्ज हो गया है। ग़ालिबन इसीलिए इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सही में ये हिस्सा ज़िक्र नहीं किया। (फ़तहुल बारी) फ़तहुल बारी की इबारत से ये भी पता चलता है कि अबू दाऊद का जो नुस्ख़ा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) के सामने था उसमें इस हिस्से के दरम्यान के अल्फ़ाज़ 'जितना नबी (ﷺ)

उनको अता करते थे' मौजूद न थे, अलबत्ता हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी ने इस आख़री हिस्से के 'मुदरज' होने की वज़ाहत की है और यूनुस अन लैस ही की सनद से इसको ज़्यादा तफ़्सील से रिवायत किया है। (फ़तहुल बारी)

- (मा कानन्नबी ...) के अल्फ़ाज़ के बग़ैर इमाम ज़ोहरी के क़ौल का मफ़हूम ये बनता है कि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) कुछ ज़विल कुर्बा को ख़ुम्स का हिस्सा नहीं देते थे। इस हिस्से के साथ असल मफ़हूम ये बनता है कि ज़विल कुर्बा को मजमूई तौर पर इतना न देते जितना रसूलुल्लाह (ﷺ) अता फ़रमाते थे। (अगली हदीस़ से ये भी बात वाज़ेह हो जाती है।)
- दूसरी अहादीस़ से इसकी वजह भी सामने आ जाती है। सुनन नसाई में हज़रत उमर (ﷺ) के हवाले से ये वज़ाहत आई है कि उनके (और उनसे पहले हज़रत अबूबक्र (ﷺ) और ख़ूद रिसालत मा'ब (ﷺ) के) नज़दीक ख़ुमुस के इस हिस्से के अख़राजात की मदें 'बैवगान की शादी, बड़े ख़ानदान वाले की ख़बरगीरी, ज़विल कुर्बा में से मक़रूज़ों के क़र्ज़ की अदायगी' थी। (फ़तहुल बारी) रसूल (ﷺ) के बाद निस्बतन ज़्यादा ख़ूशहाली की वजह से ग़ालिबन मजमूई तौर पर ज़वी अलकुरबा की इन मद्दात के लिये ख़र्च होने वाली रक़म की मिक़्दार कम हो गयी थी इसलिए अब ख़ुमुस में से ज़विल कुर्बा पर ख़र्च होने वाली रक़म की निस्बत कम और आम बैवगान, यतामा और मुस्तहेक़ीन पर ख़र्च होने वाली रक़म की निस्बत ज़्यादा हो गयी थी। अगली अहादीस़ में इसी बात की तरफ़ इशारा मौजूद है और इमाम ज़ोहरी ने अपने क़ौल में इसी बात की वज़ाहत की है।
  (2) आयते करीमा में मज़कूरा 'ज़विल कुर्बा' के लफ़्ज़ की तशरीह सुन्नत के तौर पर इन दो ख़ानदानों से की गयी जो इक्तेसादी मुआशरती मामलात में हर तरह से एक दूसरे के साथ वाबस्ता थे। **(3)** हज़रत उस्मान (ﷺ) का ताल्लूक़ क़बीला बनू अब्दे शम्स से है और हज़रत जुबैर(ﷺ) का बनू नोफ़िल से, ये दोनों ख़ानदान बनू हाशिम के साथ इस तरह का अमली इश्तेराक नहीं रखते थे जैसा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब के दरम्यान था।

(2979) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं कि हमें हज़रत जुबैर बिन मुतइम(ﷺ) ने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू अब्दे शम्स या बनू नोफ़िल को ख़ुम्स में से कुछ नहीं दिया जैसे कि बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया। रावी ने कहा: हज़रत अबूबक्र (ﷺ) इसी तरह

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ

الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُمْ .

ख़ुमुस तक़सीम किया करते थे जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे, मगर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़राबतदारों को इस तरह न देते थे जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) देते थे। जबकि हज़रत उमर (ﷺ) और उनके बाद वाले (हज़रत उस्मान (ﷺ) इसमें से हिस्सा दिया करते थे।

(2979) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/83, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَىْءٌ

(2980) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत है कि मुझे हज़रत जुबैर बिन मुतइम(ﷺ) ने बताया, जब ख़ैबर फ़तह हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने 'क़राबतदारों के हिस्से' में से बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को दिया मगर बनू नोफ़िल और बनू अब्दे शम्स को छोड़ दिया। चुनांचे मैं और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(ﷺ) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत का हमें इन्कार नहीं है कि जो ताल्लूक़ और मुक़ाम अल्लाह तआला ने आपको उनके साथ दिया है सो दिया है। मगर हमारे भाई बनू मुत्तलिब, क्या वजह है कि आपने उन्हें दिया है और हमें छोड़ दिया है, हालांकि हमारी (आपके साथ) क़राबत दारी एक सी है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम (बनू हाशिम) और बनू मुत्तलिब जाहिलीयत और इस्लाम में जुदा जुदा नहीं हूए हैं, हम और वह

وَاحِدٌ " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

एक चीज़ हैं।' और आपने (ये बताते हूए) अपने हाथों की ऊंगलियाँ एक दूसरे के अंदर डालीं।

(2980) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने हज़म: 7/327, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي ذِي الْقُرْبَى قَالَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

(2981) हसन बिन स़ालेह, सुद्दी (अलकबीर, इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी करीम) से नक़ल करते हैं कि 'ज़िलक़ुर्बा' से मुराद बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब हैं।

(2981) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ، حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ .

(2982) यज़ीद बिन हुर्मुज़ की रिवायत है कि जिन दिनों में हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) को शहीद किया गया नज्दा हरूरी (ये ख़ारजियों का सरदार था) हज के लिये आया तो उसने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से कराबदारों के हिस्से के बारे में पुछवाया कि आप उसे किसका हक समझते हैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़राबतदारों के लिये है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन्हें दिया था। और हज़रत उ़मर (ﷺ) ने भी इसमें से हमें कुछ पेश किया जिसे हमने अपने हक़ से कम समझा, तो हमने उसे उनको वापस कर दिया और क़बूल करने से इंकार कर दिया।

(2982) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4138, हदीस़: 2727 में देखें, व मुस्लिम.

फ़ायदा : हज़रत उ़मर (ﷺ) ने भी कराबदारों को साबक़ा तरीक़े की मद्दात के मुताबिक़ पेशकश फ़रमाई लेकिन इन हज़रात ने इसे कम समझते हूए क़बूल न किया। नीज़ ग़ालिबन ये लोग ग़नी भी होंगे, जैसे कि पहले फ़वाइद और नीचे दी गई रिवायत में इशारा है।

(2983) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रह.) कहते हैं: मैंने हज़रत अली (ﷺ) से सुना, वह बयान करते थे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ख़ुमुस के पाँचवें हिस्से पर वाली बनाया, पस मैंने उसे रसूल (ﷺ) की हयाते मुबारका में उसके ख़ास मक़ामात पर ख़र्च किया, और फिर हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर(ﷺ) की ज़िन्दगी में भी इसी तरह होता रहा। फिर कुछ माल आया तो हज़रत उमर (ﷺ) ने मुझे बुलाया और फ़रमाया: ले लो। मैंने कहा: मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा: ले लो, तुम इसके ज़्यादा हक़दार हो। मैंने कहा: हम इससे बे'ज़रूरत हैं। चुनांचे उन्होंने इसको बैतुलमाल में जमा कर लिया।

(2983) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/343.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ وَلاَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِمَالٍ فَدَعَانِي فَقَالَ خُذْهُ . فَقُلْتُ لاَ أُرِيدُهُ . قَالَ خُذْهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ . قُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

(2984) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रह.) से मरवी है कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) से सुना, वह बयान करते थे कि मैं, अब्बास, फ़ातिमा और ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां इकट्ठे हूए। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप मुनासिब समझें तो किताबुल्लाह के मुताबिक़ जो ख़ुमुस में हमारा हक़ है, आप अपनी ज़िन्दगी में मुझे इसका वाली बना दें ताकि आपके बाद कोई मुझसे झगड़ा न करे। चुनांचे आपने ऐसे ही कर दिया। फिर मैं आपकी हयाते मुबारका में इसे तक़सीम

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ، وَفَاطِمَةُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْ

لاَ يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ . قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ - قَالَ - فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَلاَّنِيهِ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه حَتَّى إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رضى الله عنه فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لاَ يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا .

करता रहा। फिर हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने मुझे इसका वाली बनाया। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर(ﷺ) का आख़री साल था तो उनके पास बहुत सा माल आया, तो उन्होंने मुझे इससे माज़ूल कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बुला भेजा, तो मैंने अर्ज़ किया, अब के बरस हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जबकि दीगर मुसलमान इसके हाजतमंद हैं, आप ये उन्हें दे दें। तो उन्होंने उसे मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। फिर हज़रत उमर (ﷺ) के बाद मुझे किसी ने इसके लिए नहीं बुलाया। हज़रत उमर(ﷺ) के यहां से आने के बाद मैं हज़रत अब्बास (ﷺ) से मिला तो उन्होंने कहा: ऐ अली! आज तुमने हमें एक हक़ से महरूम कर दिया है जो आइन्दा कभी हमें नहीं दिया जायेगा। और वह बड़े दाना आदमी थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/84.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है और साबक़ा सही रिवायात के उलटा भी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُولَ

(2985) जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीया बिन हारिस़ बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया कि उसके वालिद रबीया बिन हारिस़ और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीया (मुझसे) और फ़ज़ल बिन अब्बास से कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जाकर दरख़्वास्त करूं कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम इस उमर को पहुँच गये हैं जो आप देख रहे हैं (भरपूर जवान हैं) और हम शादियाँ करना

चाहते हैं और आप ऐ अल्लाह के रसूल! सबसे बढ़कर हुस्ने सलूक और सबसे उ़म्दा सिला रहमी करने वाले हैं, हमारे वालिदैन के पास हमारे हक़ मेहर के लिये कुछ नहीं है, तो आप ऐ अल्लाह के रसूल! हमें सदक़ात का आ़मिल बना दीजिए, हम वही करेंगे जो दूसरे आ़मिल करते हैं और हमें हमारा हक़्क़े ख़िदमत जो होगा मिल जायेगा। अ़ब्दुल मुत्तलिब ने कहा: हम यही गुफ़्तगू कर रहे थे कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) आ गये, तो उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! रसूल (ﷺ) तुममें से किसी को सदक़े पर आ़मिल नहीं बनायेंगे, तो रबीया ने उनसे कहा: ये तुम्हारी बात है कि तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की दामादी मिल गयी है, हमें तो इस पर तुमसे कोई हसद नहीं है। फिर हज़रत अ़ली (ﷺ) ने अपनी चादर बिछाई और उस पर लेट गये और कहने लगे: मैं अबूल हसन हूं और मामला फ़हम भी! (जैसे कि बड़ा ऊँट होता है) अल्लाह की क़सम! मैं यहां से उस वक़्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे साहबज़ादे जवाब लेकर नहीं आ जाते, जिस मक़सद के लिये आपने उन्हें नबी (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा है। अ़ब्दुल मुत्तलिब कहते हैं: चुनांचे मैं और फ़ज़ल (नबी (ﷺ) के दरवाज़े की तरफ़) गये। हमने देखा कि ज़ोहर का वक़्त हो चुका है और जमात खड़ी हो गयी है तो हमने लोगों के

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولاَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرَى وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعُمَّالُ وَلْنُصِبْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مِرْفَقٍ . قَالَ فَأَتَى إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ وَاللَّهِ لاَ نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ " . فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ . فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ وَاللَّهِ لاَ أَرِيمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِجَوَابِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نُوَافِقَ صَلاَةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ

النَّاسِ ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُمْنَا بِالْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ قَلِيلاً ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ - قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ - قَالَ كَلَّمَهُ بِالأَمْرِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ أَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا حَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيدُ أَنْ لاَ تَعْجَلاَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفَّضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ " . فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ " يَا نَوْفَلُ أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। फिर जल्दी से नबी (ﷺ) के हुजरे के दरवाज़े के पास आ गये। आप उस दिन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) के यहां थे। हम दरवाज़े के पास खड़े हो गये यहाँ तक कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ ले आये। पस आप (ﷺ) ने (प्यार से) मेरे और फ़ज़ल के कान पकड़ लिये और फ़रमाया: 'निकालो जो तुम्हारे जी में है।' फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गये और हमें अंदर आने की इजाज़त दी तो हम अंदर चले गये। और हम थोड़ी देर तक बात करने को एक दूसरे पर टालते रहे (मैं कहता कि तुम बात करो वह कहता कि तुम करो) बिल आख़िर आप (ﷺ) से मैंने बात की या फ़ज़ल ने ... अब्दुल्लाह बिन हारिस को शक है ... और हमारे बापों ने जो कहा था हमने आपके गोशे गुज़ार कर दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) एक घड़ी के लिये ख़ामोश हो गये। आपने अपनी नज़र छत की तरफ़ उठाई हुई थी। यहाँ तक कि बहुत वक़्त गुज़र गया और आप हमें कोई जवाब नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि हमने देखा कि उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब (رضي الله عنها) ने परदे के पीछे से हमें इशारा किया यानी जल्दी मत करो, रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारे ही बारे में फ़िक्र कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना सर झुकाया और फ़रमाया: 'ये सदक़ा तो लोगों का मैल कुचैल है और ये मुहम्मद और आले मुहम्मद के लिये हलाल नहीं है।

" . فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ " . وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَحْمِيَةَ " أَنْكِحِ الْفَضْلَ " . فَأَنْكَحَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ فَأَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا " . لَمْ يُسَمِّهِ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ .

नोफ़िल बिन हारिस़ को मेरे पास बुला लाओ।' चुनांचे उन्हें बुलाया गया। आपने उनसे कहा: 'नोफ़िल अ़ब्दुल मुत्तलिब से (अपनी बेटी का) निकाह कर दो।' चुनांचे नोफ़िल ने मेरे साथ (अपनी बेटी का) निकाह कर दिया। फिर नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महमिया बिन जज़ा को बुला लाओ।' फ़ज़ल से (अपनी बेटी का) निकाह कर दो।' चुनांचे उसने भी कर दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'उठो और इन्हें ख़ुमुस में से इतना इतना हक़ मेहर अदा कर दो।' ज़ोहरी कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस़ ने मुझे इसकी मिक़्दार बयान नहीं की थी।

(2985) तख़रीज : मुस्लिम: 1072.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको स़दक़ात का आ़मिल न बनाया, अलबत्ता ख़ुमुस में से उनकी शादियों के लिए ख़र्च फ़रमाया। इस तरीक़े पर हज़रत अबूबक्र और हज़रत उ़मर(رضي الله عنه) के ज़माने में अ़मल रहा। **(2)** और इस मक़स़द के लिये बैतुल माल से माद्दी तआ़वुन लेना देना जायज़ है जैसे कि अहले बैत के लिये ख़ुमुस से लेना जायज़ था और रसूलुल्लाह (ﷺ) हस्बे मस़लिहत इसे ख़र्च फ़रमाया करते थे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ

(2986) हज़रत हुसैन बिन अ़ली (رضي الله عنه) ने बयान किया कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) ने बताया कि मेरे पास एक अच्छी ऊँटनी थी जो मुझे बद्र के मौक़े पर ग़नीमत में मिली थी। और रसूल (ﷺ) ने मुझे उस मौक़े पर अपने ख़ुमुस से भी एक ऊँटनी इनायत फ़रमाई थी। जब मैंने इरादा किया कि (अपनी ज़ोजा) फ़ातिमा (رضي الله عنها) दुख़्तरे

بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ - وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَىَّ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَوَثَبَ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى

रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने घर लाऊं, तो मैंने बनू क़ैनुक़ाअ के एक आदमी से, जो कि सुनार था वादा लिया कि वह मेरे साथ चले और हम इज़ख़िर घास लायेंगे जिसे मैं सुनारों को बेचकर अपने वलीमे का ख़र्च बना सकूंगा। पस इस ख़्याल से मैं अपनी ऊँटनी के लिये पालान, बोरे और रस्सियाँ वग़ैरह इकट्ठा कर लिया और आया तो देखा कि मेरी ऊँटनी के कोहान कटे पड़े हैं, उनके पहलू चीर दिये गये हैं और जिगर भी निकाल लिये गये हैं। मैं ये मन्ज़र देखकर अपनी आँखों पर ज़ब्त न रख सका (यानी रोने लगा) और पूछा: ये किसने किया है? लोगों ने कहा: ये (तुम्हारे चचा) हमज़ा बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने किया है और वह इस घर में अंसारियों के साथ शराब की एक मजलिस में हैं। एक गाने वाली ने उनके और उनके साथियों के सामने यूँ कहा: (अला या हमज़ु लिश्शुरफ़िन निवाअ) 'ऐ हमज़ा! सहन में बैठी इन मोटी मोटी ऊँटनियों के दरपे हो।' चूनांचे वह फ़ौरन उठे, अपनी तलवार ली और उनके कोहान काट डाले और पहलू चीर दिये और जिगर निकाल लिये। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) कहते हैं: फिर मैं चला आया यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा। आपके पास हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (رضي الله عنه) बैठे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ पर जो गुज़री थी उसे मेरी सूरत से भाँप लिया, तो

الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

फ़रमाया: 'क्या हूआ?' मैं ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने आज जैसा दिन कभी नहीं देखा। हमज़ा ने मेरी ऊँटनी पर हमला करके उनके कोहान काट डाले है। और पहलू चीर दिये हैं। और वह उस घर में मौजूद है और उसके साथ दूसरे शराब पीने वाले भी हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी चादर तलब की, उसे औढ़ा और चल पड़े। मैं और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (رضي الله عنه) आपके पीछे पीछे थे यहाँ तक कि आप उस घर के पास आ गये जिसमें हमज़ा थे। आपने अंदर जाने की इजाज़त तलब की, तो आपको बुला लिया गया। आपने देखा कि शराब नोशों की मजलिस बपा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) हमज़ा को उसकी कार्रवाई पर बुरा भला कहने लगे और वह नशे में थे। उनकी आँखें सुर्ख़ हो रही थीं। हमज़ा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ देखा फिर नज़र उठा कर, आपके घुटनों तक देखा। फिर नज़र उठाई तो नाफ़ तक देखा। फिर नज़र उठाई और आपके चेहरे को देखा। फिर बोले: तुम मेरे बाप के ग़ुलाम होने के सिवा क्या हो? तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहचाना कि ये नशे में धुत हैं, तो आप उलटे पाँव पीछे पलट आये। आप निकले तो हम भी आपके साथ निकल आये।

(2986) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3091, व मुस्लिम: 1979.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया शराब की हुरमत नाज़िल होने से पहले का है और उस गाने वाली के शेअ़र यूँ थे: तर्जुमा यूँ है 'ऐ हमज़ा! उठो और ये मोटी मोटी ऊँटनियाँ जो मैदान में बंधी हैं, उनके हल्क़ों पर छुरी रखो और उन्हें ख़ूनम ख़ून कर दो। और उनका उ़म्दा उ़म्दा गोश्त पका हूआ या भुना हूआ अपने शराब पीने वाले साथियों को पेश करो।' इन अशआ़र का मक़सद हमज़ा के जज़्ब-ए सख़ावत को ग़लत तरीक़े पर उभारना था। हज़रत हमज़ा ने उनके उकसाने पर अपने भतीजे की पूँजी जो ऊँटनियों पर मुश्तमिल थी बर्बाद कर डाली। (2) अहले बैत के अफ़राद को जिहाद में से ग़नीमत का हिस्सा मिलता था और रसूलुल्लाह (ﷺ) हस्बे ज़रूरत खुमुस से मज़ीद भी इनायत फ़रमाया करते थे। (3) सहाबाए किराम (رضي الله عنهم) और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ानदान के अफ़राद मेहनत, मज़दूरी और मशक्क़त से अपने अख़राजात पूरे किया करते थे। (4) इन्सान किसी वजह से अ़क्ल व शऊ़र से आ़री हो जाये तो ख़ास इस हालत में तादीब मुफ़ीद नहीं हो सकती बल्कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْىِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً

(2987) हज़रत ज़ुबैर बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की साहबज़ादियाँ उम्मे हकम या ज़ुबाआ़ (رضي الله عنها) में से किसी एक का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ क़ैदी आये तो मैं, मेरी बहन और हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) दुख़्तरे रसूलुल्लाह (ﷺ) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुईं और जिस हाल में हम थीं आपके सामने उसका शिक्वा (शिकायत) किया (कि सब काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं) हमने दरख़्वास्त की कि इन क़ैदियों में से हमारे लिये भी किसी का हुक्म दे दिया जाये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बद्र के यतीम (जिनके वालिद बद्र में शहीद हूए) तुम से पहले ले चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे बेहतर अ़मल बताता हूं कि हर नमाज़ के बाद तैंतीस बार अल्लाहु अकबर, तैंतीस बार सुब्हानल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और (एक बार) ला इलाहा इल्लल्लाहु

وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

वहदहु ला शरीक लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर (अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह एक और अकेला है, उसका कोई शरीक साझी नहीं, हुकूमत उसी की है और तारीफ़ भी उसी की है और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है) पढ़ा करो।

अ़य्याश (बिन उ़क़्बा) ने कहा: ये दोनों ख़्वातीन नबी (ﷺ) की चचाज़ाद थीं।

(2987) तख़रीज : (सनद हसन) तहावी मआ़निल आसार: 3/299.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन सय्यदात को अगर कुछ मिलता तो ख़ुमुस में से मिलता, मगर शायद ग़नाइम वग़ैरह के साथ वह सब भी शोहदाए बद्र के यतीम बच्चों में तक़सीम हो चुका था। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) माद्दी तआ़वुन के मामले में ज़्यादा ज़रूरतमंद ख़ुसूसन शोहदा के परिवार को अव्वलियत दिया करते थे और अपने अ़ज़ीज़ व अक़ारिब के मुताल्लिक़ आप (ﷺ) की तरजीह यही थी कि वह बक़द्रे गुज़रान और क़नाअ़त की ज़िन्दगी गुज़ारें। **(3)** सय्यदाते अहले बैत, आम मुसलमानों की ख़्वातीन यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन सभी अपने अपने घरों में घरदारी के तमाम काम सर अंजाम देती थी। बाज़ फ़ुक़हा का ये कहना कि बीवी पर अपने शौहर की दिलदारी के अ़लावा और कुछ वाजिब नहीं, (ख़ैरूल क़ुरून के इस तआ़मुल (अमल) के और आइन्दा हदीस़ में मज़कूर रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के ख़िलाफ़ है। **(4)** अल्लाह का ज़िक्र और उसकी पाबन्दी दुनिया और आख़िरत दोनों जहांनों में ख़ैर व बरकात का बाइस़ है जबकि ख़ादिम का फ़ायदा सिर्फ़ दुनिया तक ही महुदूद है और आख़िरत में जवाबदेही का मामला उस पर मुस्तज़ाद है। **(5)** इस रिवायत में ये नुक्ता भी है कि दिन भर की मेहनत से जो थकान लाहिक़ होती है उसका इज़ाला और ख़ादिम होने की सूरत में उससे जो राहत मिल सकती है वैसी ही राहत इन तस्बीहात से भी मिल सकती है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، - يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ - عَنْ أَبِي

(2988) इब्ने अ़ब्द से रिवायत है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने मुझसे कहा: क्या मैं तुम्हें अपनी और हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) दुख़्तरे रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात न बताऊं और

الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ، قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ رضى الله عنه أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلَى . قَالَ إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " مَا كَانَ حَاجَتُكِ " . فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ . قَالَ " اتَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ

हज़रत फ़ातिमा (ﵥ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने अहल में सबसे ज़्यादा प्यार था। मैंने कहा: हाँ बताइये। तो उन्होंने कहा: हज़रत फ़ातिमा (ﵥ) चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि हाथों पर निशान पड़ गये, पानी की मश्क भर कर लाती थीं यहाँ तक कि उनके सीने पर निशान पड़ गये, घर में झाड़ू देती तो कपड़े ख़राब हो जाते। फिर नबी (ﷺ) के पास लौण्डियाँ और ग़ुलाम आये। मैंने उनसे कहा: अगर आप अपने वालिद के पास जाकर किसी ख़ादिम के मुताल्लिक़ कहें (तो आपको सहूलत मिल जायेगी) चुनांचे वह आयीं और देखा कि कई बातें करने वाले आपके पास बैठे हैं, उस पर आप वापस आ गयीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) अगले दिन उनके पास आये और दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या काम था?' तो वह ख़ामोश रहीं। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बताये देता हूं। ये चक्की चलाती हैं तो इनके हाथों पर निशान पड़ गये हैं। पानी की मश्क उठा कर लाती हैं तो इससे सीने पर निशान पड़ गये हैं। और अब आपके पास लौण्डियाँ ग़ुलाम आये हैं तो मैंने उनसे कहा कि आपकी ख़िदमत में जायें और कोई ख़ादिम तलब कर लें जिससे इन्हें इन कामों की मशक्क़त में आसानी हो जाये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! अल्लाह से डरो, अपने रब का फ़रीज़ा अदा करो और अपने घर वालों का कामकाज किया करो। और रात को

وَاحْمَدِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ " . قَالَتْ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .

जब सोने लगो तो तैंतीस बार सुब्हानल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और चौंतीस बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो, ये सौ बार हूआ। और ये अमल तुम्हारे लिये ख़ादिम से बढ़ कर है।' हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने कहा: मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से और उसके रसूल (ﷺ) से (दिल व जान से) राज़ी हूं।

(2988) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5063 में देखें, मुसनद अहमद, 1/153.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ऊपर दी गई तफ़्सील के साथ इस सनद से ज़ईफ़ है, मगर मुख़्तसरन ये दूसरी सनद से सही साबित है जैसे कि आइन्दा हदीस नम्बर: 5062 में मौजूद है। और ऊपर दी गई तस्बीहात इन्तेहाई फ़ज़ीलत रखती हैं। **(2)** और इसमें एक बेटी और बीवी को 'घर वालों' का काम करने की तल्क़ीन भी है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يُخْدِمْهَا .

(2989) इमाम ज़ोहरी (रह.) ने बवास्ता अली बिन हुसैन (रह.) ये क़िस्सा बयान किया है। और कहा कि नबी (ﷺ) ने सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) को कोई ख़ादिम नहीं दिया था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5062 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - كُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الأَبْدَالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ الأَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِي قَالَ حَدَّثَنِي الدَّخِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

(2990) मुज्जाआ (बिन मुरारा हनफ़ी यमामी(ﷺ) मुज्जाआ की मीम पर पेश और जीम मुशद्दद है) से मरवी है कि वह नबी (ﷺ) के पास आये और अपने भाई की दिय्यत तलब की जिसे बनू ज़ुहल की शाख़ बनू सदूस के लोगों ने क़त्ल कर दिया था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मैं किसी मुश्रिक की दियत देता होता तो तेरे भाई की भी दे देता। ताहम मैं तुझे इसका ऐवज़ दूंगा।' पस नबी (ﷺ) ने उसे

جَدِّهِ مُجَّاعَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى " . فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلاَفٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلاَفٍ تَمْرًا وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمُجَّاعَةَ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ " .

लिख दिया कि सबसे पहला ख़ुमुस जो बनू ज़ुहल के मुश्रिकों से हासिल होगा उसमें से उसको एक सौ ऊँट दिये जायेंगे। चुनांचे उसका एक हिस्सा उसने हासिल कर लिया उसके बाद फिर बनू ज़ुहल मुसलमान हो गये। तो मुज्जाआ ने बाक़ी मान्दा का मुतालबा हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से किया और उनको नबी (ﷺ) की तहरीर पेश कर दी। चुनांचे हजरत अबूबक्र (ﷺ) ने उसके लिये यमामा के सदक़ा से बारह हज़ार साअ लिख दिये चार हज़ार साअ गन्दुम, चार हज़ार साअ जौ और चार हज़ार साअ खजूर। नबी (ﷺ) की वह तहरीर जो आपने मुज्जाआ को लिख कर दी थी उसका मफ़हूम ये था: 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तहरीर मुहम्मद नबी (ﷺ) की जानिब से बनू सलमा के मुज्जाआ बिन मुरारा के लिये लिखी गयी है कि मैंने उसे उसके (मक़्तूल) भाई के ऐवज़ में एक सौ ऊँट अता किये हैं, जो कि बनू ज़ुहल के मुश्रिकीन से हासिल होने वाले पहले खुमुस में से अदा कर दिये जायेंगे।'

(2990) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अत्तारीख़ुल कबीर, हदीस: 8/44 मारिफ़तुस्सहाबा, 5/2622, हदीस: 6310.

﴾21﴿
باب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

बाब : 21
स़फ़्फ़ी के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ .

(2991) आमिर शअबी (रह.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) का ग़नीमत में एक ख़ास हिस्सा हूआ करता था जिसे स़फ़्फ़ी कहा जाता था। आप (ﷺ) चाहते तो गुलाम ले लेते या लौण्डी या घोड़ा (और ये) ख़ुमुस निकालने से पहले ले सकते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4150.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ग़नीमत में से कोई ख़ास चीज़ पसन्द करते तो ख़ुमुस से पहले उसे ले सकते थे, जैसे लौण्डी, गुलाम, तलवार या कोई भी चीज़, उसे स़फ़्फ़ी कहा जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَزْهَرُ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم وَالصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ

(2992) इब्ने औन कहते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) से नबी (ﷺ) के हिस्से और स़फ़्फ़ी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: आप (ﷺ) ख़्वाह किसी जिहाद में शरीक न भी होते आपका हिस्सा निकाला जाता था और ख़ुमुस में से सब से पहले आपके लिये कोई ख़ास चीज़ निकाल ली जाती थी और उसे स़फ़्फ़ी कहा जाता था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/304.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنْ سَعِيدٍ، - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ

(2993) जनाब क़तादा (रह.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी ग़ज़्वे में शरीक होते तो आपका एक ख़ास हिस्सा (स़फ़्फ़ी) होता था आप जो चाहते ले सकते थे। चुनांचे हज़रत सफ़िया (ﷺ) (उम्मुल

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ .

मोमिनीन) इसी हिस्से से थीं, और जब आप ख़ूद शरीक न होते तो आपका हिस्सा रखा जाता था, मगर वह आपसे मुन्तख़ब न कराया जाता।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/304.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ .

(2994) हज़रत आयशा (ﷺ) (उम्मुल मोमिनीन) का बयान है कि हज़रत सफ़िया (ﷺ) (उम्मुल मोमिनीन) आप (ﷺ) के हिस्से सफ़्फ़ी में आई थीं।

(2994) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا .

(2995) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि हम ख़ैबर आये। जब अल्लाह तआला ने क़िला फ़तह करा दिया तो आप (ﷺ) के सामने सफ़िया बिन्ते हुई के हुस्न व जमाल का तज़्किरा हूआ, उनका शौहर क़त्ल हो गया था जबकि वह अभी दुल्हन थीं। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें (उनके सदमे के इज़ाले और मुआशरे में ऊँचा मुक़ाम देने के लिये) अपने लिये मुन्तख़ब फ़रमा लिया। आप उसे लेकर रवाना हूए यहाँ तक कि जब हम सुद्दस्सहबा के मुक़ाम पर पहुँचे तो वह हलाल (हैज़ से पाक) हो गयीं तो आपने उनके साथ शबे ज़फ़ाफ़ (पहली रात) गुज़ारी।

(2995) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2235.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जंग में हाथ आने वाली लौण्डियों के मुताल्लिक़ हुक्म ये है कि जब तक हमल न होने का यक़ीन न हो जाये उनसे सोहबत जायज़ नहीं और यही उनकी इद्दत है, इसे इस्तिब्रा–ए रहम (रहम के साफ़ होने का पता चल जाना) कहते हैं। (2) 'सुद्दस्सहबा' ख़ैबर से बाहर एक जगह का नाम है। 'सुद्द' की सीन पर पेश और ज़बर दोनों मनक़ूल हैं।

(2996) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत स़फ़िया (ﷺ) को पहले दिहया कल्बी (ﷺ) ने चुना था मगर बाद में (उनके पूरे हालात गोशे गुज़ार किये जाने के बाद) नबी (ﷺ) के हिस्से में आ गयीं।

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1957.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2997) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि हज़रत दिहया कल्बी (ﷺ) के हिस्से में एक बहुत ही ख़ूबसूरत लौण्डी आई, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको सात ग़ुलाम देकर ख़रीद लिया। फिर आपने उसे उम्मे सुलैम (ﷺ) के हवाले किया ताकि उसे बनायें संवारें और बतौर दुल्हन तैयार करें। हम्माद कहते हैं और मेरा ख़याल है कि आपने फ़रमाया: ये उम्मे सुलैम के यहां इद्दत पूरी कर ले और ये स़फ़िया बिन्ते हुई थी।

(2997) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ.

(2998) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि ख़ैबर में क़ैदियों को जमा किया गया, तो हज़रत दिहया (ﷺ) आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे क़ैदियों में से एक लौण्डी इनायत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: जाओ और एक लौण्डी ले लो।' तो उन्होंने स़फ़िया बिन्ते हुई को चुन लिया। फिर एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने स़फ़िया बिन्ते हुई को हज़रत दिहया (ﷺ) के हवाले कर दिया है। वह क़ुरैज़ा और नज़ीर (यहूदी

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جُمِعَ السَّبْىُ - يَعْنِي بِخَيْبَرَ - فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ . قَالَ " اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً " . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ - قَالَ يَعْقُوبُ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ . قَالَ " ادْعُوهُ بِهَا " . فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا " . وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .

क़बीलों) की सरदार है (सरदार की बेटी है) ये सिर्फ़ आप ही के लिये ज़ैबा है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दिहया को बुलाओ।' उसे लेकर आये। जब नबी (ﷺ) ने सफ़िया को देखा तो दिहया से फ़रमाया: 'क़ैदियों में से इसके अलावा कोई और लौण्डी ले लो।' चुनांचे नबी (ﷺ) ने उसे आज़ाद कर दिया और फिर उससे निकाह कर लिया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2893, व मुस्लिम: 1365.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले ख़ैबर को जंग में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उनके माल पर क़ब्ज़ा कर लिया गया और क़ैदियों को गुलाम और लौण्डियाँ बना लिया गया और ये उस वक़्त जंग का मारूफ़ तरीक़ा था। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके बावजूद एक सरदार की बेटी को उसका मुक़ाम व मनसब दिया, वह एक सहाबी के हिस्से में आ चुकी थीं आपने उसे वापस लेकर आज़ाद कर दिया और फिर उनकी मर्ज़ी से उन्हें अपने हरम में दाख़िल कर के उन्हें मुसलमान सोसायटी में आला तरीन मुक़ाम अता किया। **(2)** इस्लाम जहां हक़ की तरवीज और दिफ़ाअ के लिये ताक़त का मुज़ाहिरा करता है वहां इन्सानों को इज्ज़त भी देता है इस इक़दाम से एक मक़सद ये भी था कि इन क़बाइल की नफ़रत व अदावत को उल्फ़त व कुरबत में बदल कर उन्हें इस्लाम के क़रीब लाया जाये। और यही रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़्यादा शादियाँ करने की एक अहम हिक्मत थी। मुस्तशरेक़ीन ने तास्सुब बरतते हूए जो इल्ज़ाम तराशी की वह साबितशुदा हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। **(3)** हज़रत दिहया (رضي الله عنه) से हज़रत सफ़िया (رضي الله عنها) को ज़बरदस्ती नहीं लिया गया था बल्कि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके बदले सात लौण्डी गुलाम इनायत फ़रमा कर अच्छी तरह राज़ी किया। बल्कि ये बदला इतना ज़्यादा था कि थोड़ी देर के लिये हज़रत सफ़िया (رضي الله عنها) जो उन के हिस्से में रहीं, उसकी बरकत से उनको अपने वहम व गुमान से ज़्यादा मिल गया।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ

(2999) जनाब यज़ीद बिन अब्दुल्लाह (बिन अश्शख़ीर) बयान करते हैं कि हम (बसरा के महल्ला) मिरबद में थे कि एक शख़्स आया। उसके सर के बाल बिख़रे हूए थे और वह हाथ में सुर्ख़ चमड़े का एक

أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ . فَقَالَ أَجَلْ . قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَهْمَ الصَّفِيِّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " . فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

टुकड़ा लिये हूए था। हमने कहाः तुम गोया देहात के रहने वाले हो? उसने कहा हाँ, हमने कहाः ये तेरे हाथ में चमड़े का टुकड़ा कैसा है, ज़रा हमें दिखाओ? वह उसने हमें दे दिया। हमने उसे पढ़ा तो उसमें तहरीर थाः 'मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से बनी ज़ुहैर बिन उक़ैश के लिये। तुम लोग अगर 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह' की शहादत दो, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो, ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) और नबी (ﷺ) का हिस्सा ए ख़ास (सफ़्फ़ी) अदा करो,तो अल्लाह और उसके रसूल की अमान से अमन में हो।' हमने पूछाः तुम्हें ये तहरीर किस ने दी है? उसने कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने।

तख़रीज : **(सनद सही)** नसाई, हदीसः 4151, इब्ने जारूद, हदीसः 1099, इब्ने हिब्बान, हदीसः 949.

﴿22﴾ باب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

बाब : 22
यहूदी मदीना मुनव्वरा से कैसे निकाले गये?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، - وَكَانَ أَحَدَ

(3000) अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक (बाज़ नुस्ख़ों में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह की बजाये अब्दुर्रहमान बिन कअब है और यही सही है। क्योंकि अब्दुर्रहमान) अपने वालिद से रिवायत करते हैं यानी हज़रत कअब बिन

الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلاَطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ وَالْيَهُودُ وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ { وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } الآيَةَ فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُونَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَزِعَتِ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ . فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ

मालिक (ﷺ) से। और वह उन तीन अफ़राद में से थे जिनकी तौबा क़बूल की गयी थी। बयान किया कि (यहूदियों का सरदार) कअ़ब बिन अशरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की बहुत बद गोई किया करता था और कुफ़्फ़ारे क़ुरैश को उन पर हमलावर होने की तरग़ीब भी देता रहता था। नबी (ﷺ) जब मदीना तशरीफ़ लाये तो अहले शहर में तीन तरह के लोग बस्ते थे, यानी मुसलमान, मुश्रिक बुतपरस्त और यहूद। और ये यहूदी, नबी (ﷺ) और आपके अस्हाब को बहुत अज़ीयत दिया करते थे। तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी (ﷺ) को स़ब्र और दरगुज़र का हुक्म दिया। और इन्हीं के सिलसिले में ये आयत उतरी: (व लतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब...) 'और ये भी यक़ीनी है कि तुम्हें उन लोगों की तरफ़ से, जिन्हें तुम से पहले किताब दी गयी है और मुश्रिकों की तरफ़ से, बहुत सी दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेगी, और अगर तुम स़ब्र कर लो और परहेज़गारी इख़्तियार करो तो यक़ीनन ये बड़ी हिम्मत का काम है।' और जब कअ़ब बिन अशरफ़ यहूदी नबी (ﷺ) को अज़ियत देने से न रूके तो नबी (ﷺ) ने (रईसे औस) हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (ﷺ) से फ़रमाया कि कोई जमाअ़त भेज दो जो इसका काम तमाम कर दे। चुनांचे उन्होंने हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (ﷺ) को भेज

يَقُولُ وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً

दिया। और फिर उसके क़त्ल का क़िस्सा बयान किया। जब उन लोगों ने उसको क़त्ल कर दिया तो यहूदी और मुश्रिक घबरा गये और सुबह के वक़्त नबी (ﷺ) के पास आये और कहा: हमारे साहब को रात के अंधेरे में क़त्ल कर दिया गया है। तो नबी (ﷺ) ने उनको, जो जो वह कहा करता था, सब बताया और उन्हें दावत दी कि आओ हमारे तुम्हारे दरम्यान एक तहरीरी मुआहिदा हो जाये जिस पर सबका इत्तेफ़ाक़ हो। चुनांचे नबी (ﷺ) ने अपने और यहूदियों और तमाम मुसलमानों के बीच एक तहरीर लिख ली (यानी मुआहिदा हो गया)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/198.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहूदी मदीना से क्यों निकाले गये इसकी बाबत ये है कि ये इबरानी लोग थे जो अशूरी और रूमी ज़ुल्म व जबर से भाग कर हिजाज़ में पनाह गुज़ीं हो गये थे। और तवील इक़ामत के बाइस इनकी रहन सहन, ज़बान और तहज़ीब बिल्कुल अरबी हो गयी थी। यस्रिब (मदीना मुनव्वरा) में उनके तीन मशहूर क़बीले थे बनू क़ैनुक़ाअ, बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा आते ही मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कराई और दूसरी जानिब इस शहर के रहने वाले यहूदियों और बुत परस्तों से एक सियासी मुआहिदा किया कि हम सब मिलकर इस शहर के अंदर अमन व अमान क़ायम रखेंगे और बैरूनी हमले की सूरत में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। मगर यहूदियों ने ख़ुफ़िया तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत का सिलसिला अपनाये रखा। क़ुरैशे मक्का के साथ भी उनके राब्ते थे और अरब के दीगर क़बाइल को भी वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काते रहते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों को अज़ीयत देना उनके लिये मामूली बात होती थी। उमूमी मुआहिदे को बुरी तरह तोड़ने बल्कि मदीना के दिफ़ाअ के मुआहिदे में ग़द्दारी के वाज़ेह सबूतों के बाद उस दौर की सख़्त तरीन सज़ा की बजाये महज़ मदीना को उनकी साज़िशों और फ़ितना परदाज़ियों से महफ़ूज़ करने के लिये उन्हें मदीना मुनव्वरा से जला वतन किया गया। तफ़्सील के लिये सीरत की किताबें देखें, बिलख़ुसूस 'अर्रहीकुल मख़्तुम' अज़ जनाब मौलाना सफ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) **(2)** इस्लामी मुआशरे में अल्लाह के किसी नबी ख़ुसूसन आख़री रसूल (ﷺ) के बारे में

गुस्ताख़ी करने वाले को कोई अमान नहीं और उसकी सज़ा क़त्ल है। (3) कअ़ब बिन अशरफ़ का क़त्ल ग़ज़्व-ए-बद्र के बाद हिजरत के तीसरे साल की इब्तेदा में हूआ था। इसका बयान गुज़िश्ता हदीस़: 2768 में हूआ है। और ये उन लोगों को मदीने से निकाले जाने की इब्तेदा थी। (4) इस हदीस़ में जिस मुआ़हिदे का ज़िक्र है मुमकिन है कि नया हो और मुमकिन है कि इस मुआ़हिदे की तजदीद हो जो इब्तेदाए हिजरत में उनके साथ तै पाया था।

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الأَيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا " . قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لاَ يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ} قَرَأَ مُصَرِّفٌ إِلَى قَوْلِهِ {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } بِبَدْرٍ { وَأُخْرَى كَافِرَةٌ } .

(3001) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि बद्र के मौक़े पर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुरैश पर ग़ालिब आ गये और फ़तह के बाद मदीना पहुँचे तो यहूदियों को बनू क़ैनुक़ाअ़ के बाज़ार में जमा किया और फ़रमाया: 'ऐ जमाअ़ते यहूद! इस्लाम क़बूल कर लो, इससे पहले कि तुम्हें उन हालात से दो चार होना पड़े जिन से क़ुरैशी दो चार हूए हैं।' तो उन लोगों ने कहा: ऐ मुहम्मद! आप धोखे में न रहें कि क़ुरैश के अनाड़ी लोगों को क़त्ल कर आये हैं, वह जंग करना जानते ही नहीं थे। अगर तुमने हमसे जंग की तो पता चल जायेगा कि हम मर्द हैं, तुम्हारा हम जैसों से सामना नहीं हूआ है। चुनांचे अल्लाह तआ़ला ने ये आयत उतारी: (क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना) 'काफ़िरों से कह दीजिए कि तुम अ़नक़रीब मग़लूब किये जाओगे।' रावी हदीस़ मुस़र्रिफ़ (बिन अ़म्र) ने आगे तक पढ़ा: (फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाही वउख़रा काफ़िरतुन) 'एक जमाअ़त तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी (बद्र में) और दूसरा गिरोह काफ़िरों का था।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने जरीर तबरी: 3/128.

फ़ायदा : रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मुश्रिक मक्का में बैठ कर

मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जारी रखे हूए थे उसी तरह यहूदी मुसलमानों के साथ बक़ाए बाहमी का मुआहिदा करने के बावजूद न सिर्फ़ कुरैश की साज़िशों में शरीक थे बल्कि अपने तौर पर भी इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने की कार्रवाईयों में मशग़ूल रहते थे। अगली रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है। अगर इसमें ये वाक़िया दुरूस्त हो तो इससे पता चलेगा कि यहूद जब ग़द्दारी पर उतर आये थे तो मुसलमानों के पास मुक़ाबले के सिवा कोई चारा न रहा था यहूद की ग़द्दारी की तफ़्सील हदीस़ नंबर: 3004 की ज़ेली फ़वाइद में देखिये।

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَوْلًى، لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهَا، مُحَيِّصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ " . فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ عَلَى شَبِيبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُودَ كَانَ يُلاَبِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ إِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ حُوَيِّصَةُ يَضْرِبُهُ وَيَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ .

(3002) हज़रत मुहय्यिस़ा (इब्ने मस़ऊद बिन कअब अंस़ारी ख़ज़रजी) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस यहूदी पर भी तुम्हारा बस चले उसे क़त्ल कर डालो।' चुनांचे मुहय्यिस़ा ने एक यहूदी ताजिर पर, जिसका नाम शुबैबा था, हमला किया और उसे क़त्ल कर डाला जो उनके साथ रहता था और (मुहय्यिस़ा का भाई) हुवय्यिस़ा अभी इन दिनों मुसलमान नहीं हूआ था और उ़मर में मुहय्यिस़ा से बड़ा था। जब उसने क़त्ल कर दिया तो हुवय्यिस़ा, मुहय्यिस़ा को मारने लगा और कहता था: ऐ अल्लाह के दुशमन! क़सम अल्लाह की! तेरे पेट की बहुत सी चर्बी इसी के माल की वजह से है (यानी वह तेरा मोहसिन है और तूने उसको क़त्ल कर डाला है)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/200.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ

(3003) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि हम लोग मस्जिद में बैठे हूए थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'चलो उठो यहूदियों की तरफ़ चलो।' चुनांचे हम आपकी मईयत में चलते

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ " . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَلِكَ أُرِيدُ " . ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ " اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم " .

हूए उनके पास पहुँचे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) रूक गये और उन्हें पुकारा और फ़रमाया: 'ऐ जमाअते यहूद! इस्लाम क़बूल कर लो! अमन में रहोगे।' उन्होंने कहा: अबुल क़ासिम! आपने पैग़ाम पहुँचा दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर फ़रमाया: 'इस्लाम क़बूल कर लो! सलामती में रहोगे।' उन्होंने कहा: अबुल क़ासिम! आपने पैग़ाम पहुँचा दिया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं यही चाहता हूं (कि तुम इक़रार कर लो कि मैंने पैग़ाम पहुँचा दिया है।)' आपने तीसरी बार फ़रमाया: 'याद रखो! ज़मीन अल्लाह की है, और उसके रसूल की और मैं तुम्हें इस ज़मीन से जला वतन करने वाला हूं। जिसे अपने माल में से कुछ मिलता हो तो वह उसे बेच ले, वरना याद रखो! ज़मीन अल्लाह की है और उसके रसूल की।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3167, व मुस्लिम: 1765.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूद की मक्कारियाँ ज़ाहिर और साबित होने के बाद जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला न फ़रमाया, किसी सज़ा के ऐलान से पहले उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी। फिर जला वतन की सज़ा से पहले उनको बता दिया कि वह अपनी जायदादें वग़ैरह फ़रोख़्त कर लें अनक़रीब सज़ा नाफ़िज़ हो जायेगी। गोया आपकी पूरी कोशिश थी कि यहूद की ज़्यादतियों के बावजूद मुसलमानों की तरफ़ से उन पर कोई ज़्यादती न हो। इस्लाम क़बूल कर लेने ही में सलामती है यानी इस्लाम क़बूल करने से ग़द्दारी के इरतेकाब जैसे जुर्म पर भी सज़ा ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में जान व माल और आबरू की और आख़िरत में अल्लाह की पकड़ और अ़ज़ाबे जहन्नम से सलामती है। **(2)** 'ज़मीन अल्लाह की है' का मफ़हूम ये है कि ज़मीन उसी ने पैदा की है, उसी का नाफ़िज़ करदा क़ानूने फ़ितरत नाफ़िज़ है, इसका हक़ीक़ी मालिक वही है और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ़ से ख़लीफ़ा हैं कि इसमें उसकी शरीअत नाफ़िज़ करें। **(3)** शरई हक़ के निफ़ाज़ की ग़र्ज़ से किसी को अपना माल फ़रोख़्त करने पर आमादा करना जायज़ और उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त सही है।

बाब : 23
यहूदे बनू नज़ीर का वाक़िया

﴿23﴾
باب فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

(3004) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कअब बिन मालिक नबी (ﷺ) के एक सहाबी के वास्ते से बयान करते हैं कि क़ुरैशे मक्का ने अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़) और उसके हम नवा औस व ख़ज़रज के दूसरे बुत परस्त लोगों को ख़त लिखा, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके थे और ये बद्र से पहले का वाक़िया है। उन्होंने लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी को पनाह दे रखी है और हम अल्लाह की क़सम खा कर कहते हैं कि तुम लोग उससे जंग करो या उसे (अपने यहां से) निकाल बाहर करो, वरना हम सब मिल कर तुम पर धावा बोलेंगे यहां तक कि तुम्हारे जवानों को क़त्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को अपने क़ब्ज़े में ले आयेंगे। ये ख़त जब अब्दुल्लाह बिन उबय और उसके साथी बुत परस्तों को पहुँचा तो वह लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) से जंग के लिये इकट्ठे हो गये। नबी (ﷺ) को जब ये ख़बर पहुँची तो आपने उनसे मुलाक़ात की और फ़रमाया: क़ुरैश की धमकी से तुम लोग बहुत ज़्यादा मुतास्सिर (प्रभावित) हो गये हो और वह तुम्हारा इससे ज़्यादा नुक़सान नहीं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبَىٍّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الأَوْثَانَ مِنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى

الله عليه وسلم لَقِيَهُمْ فَقَالَ " لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ " . فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلاَ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَىْءٌ - وَهِيَ الْخَلاَخِيلُ - فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلاَثُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ . فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ

कर सकते जितना कि तुम अपने हाथों ख़ुद कर बैठना चाहते हो। क्या तुम अपने बेटों और अपने भाईयों से क़िताल करना चाहते हो?' जब उन्होंने नबी (ﷺ) से ये बात सुनी (और उसकी हक़ीक़त को समझ गये) तो वह तितर बितर हो गये। कुफ़्फ़ारे कुरैश को ये ख़बर मिली तो उन्होंने वाक़िया ए बद्र के बाद यहूदियों को लिखा कि तुम लोग हथियारों और क़िलों के मालिक हो। तुम लोग या तो लाज़मन हमारे आदमी से जंग करो वरना हम ऐसे और ऐसे करेंगे और फिर हमारे और तुम्हारी औरतों की पाज़ेबों के दरम्यान कोई हायल न हो सकेगा (यानी हम मर्दों को क़त्ल कर देंगे और औरतों को लौण्डियाँ बना लेंगे) जब उनके लिखे की ख़बर नबी (ﷺ) के पास पहुँच गयी तो इस दरम्यान में बनू नज़ीर ने भी (रसूलुल्लाह (ﷺ) से) धोखा करने का क़सद किया। उन्होंने नबी (ﷺ) को कहला भेजा कि आप अपने तीस अस्हाब के साथ हमारी तरफ़ आयें और हममें से तीस आलिम आयें और एक दरम्यानी जगह में मिलें। ये लोग आपकी बात सुनें, अगर उन्होंने आपकी तसदीक़ की और आप पर ईमान ले आये तो हम भी आप पर ईमान ले आयेंगे। पस नबी (ﷺ) ने (लोगों को) उनकी ख़बर बता दी। जब अगला दिन हूआ, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) लश्कर लेकर गये और उनका घेराव कर लिया और उनसे कहा: 'अल्लाह की क़सम! तुम लोगों पर मुझे कोई

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ " إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لاَ تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلاَّ بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ " . فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلاَءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَا

ऐतमाद नहीं मगर ये कि एक (नये) अहद के ज़रिये से जो तुम (नये सिरे से) मेरे साथ करो।' उन लोगों ने अहद व पेमान देने से इन्कार कर दिया। तो आपने उस दिन उनसे क़िताल किया। फिर अगले दिन लश्कर लेकर उन बनू क़ुरैज़ा पर चढ़ाई की और बनू नज़ीर को छोड़ दिया। आपने उन (बनू क़ुरैज़ा) से मुतालबा किया कि वह (नये सिरे से) अहद व पैमान करें, उन्होंने मुआहिदा कर लिया। और आपने उनसे तवज्जोह हटाई और (अगले दिन दोबारा) बनू नज़ीर पर लश्कर लेकर चढ़ाई की और उनसे क़िताल किया यहाँ तक कि वह जला वतनी पर राज़ी हो गये। चुनांचे बनू नज़ीर जला वतन हो गये, और जो वह उठा सकते थे घर का असबाब, घरों के दरवाज़े, शहतीर और कड़ीयाँ वग़ैरह ऊँटों पर लाद लिये। चुनांचे बनू नज़ीर की खजूरें बतौर ख़ास रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहवील में आ गयीं। अल्लाह ने वह आपको इनायत फ़रमाई। और आपके लिये मख़सूस कर दीं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन्हुम फ़मा औज़फ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिंव वला रिकाब) 'और अल्लाह ने इनमें से जो कुछ अपने रसूल को दिलवाया है तुमने उस पर कोई घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाये (बग़ैर क़िताल के हासिल हूआ है।') नबी (ﷺ) ने इसका अक्सर हिस्सा मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा

ذَوِي حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرَهُمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

दिया और अंसारियों में से सिर्फ़ दो आदमियों को दिया जो हाजतमंद थे, उनके अलावा किसी अंसारी को कुछ नहीं दिया। और रसूल (ﷺ) के सदक़ा में से यही बाक़ी है जो बनू फ़ातिमा (رضي الله عنها) के क़ब्ज़े में है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/232, दलाइल: 3/178, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 9733.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुरैशे मक्का की धमकी के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों को समझाया कि बैरूनी दुशमन के हमलावर होने से भी ख़ून रेज़ी हूआ करती है मगर इसके बिलमुक़ाबिल क़ौम आपस ही में गुथम गुत्था हो जाये और अपने हाथों अपने अज़ीज़ों को क़त्ल या बेआबरू करने लगे तो इसमें रूस्वाई ज़्यादा है। अगर क़ुरैश ने हमला किया भी तो मुसलमान उनका मुक़ाबला करने में पेश पेश होंगे, इसलिए उन्हें घबराना या मरऊब नहीं होना चाहिए। और अपने मुसलमान अज़ीज़ों के दरपे आज़ार (तकलीफ़देह) हो जाना किसी तरह दानिशमंदी नहीं। **(2)** यहूदियों की पेशकश, फिर मुलाक़ात और बाद में क़िताल के सिलसिले में अल्लामा सुयूती (रह.) ने लिखा है और ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने तीन सहाबा को लेकर चले और उनके भी तीस आलिम आये मगर वह बहुत मरऊब हूए और उनमें से कुछ ने कहा कि मुसलमानों से यूं कहा जाये कि साठ (बासठ) अफ़राद के इस जमघटे में बात समझनी समझानी मुश्किल होगी इसलिए आप अपने तीन सहाबा को लेकर आयें और हम भी तीन उलमा को लाते हैं। अगर ये मान गये तो हम मुसलमान हो जायेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने तीस सहाबा को साथ लेकर चले और वह भी तीन को लेकर चले मगर वह अस्लहा बंद थे और उनका ख़ुफ़िया प्रोग्राम ये था कि यूँ धोखे से आपको क़त्ल कर देंगे। बनू नज़ीर में से एक ख़ैरख़्वाह औरत ने अपने मुसलमान भाई को पैग़ाम भेजा कि उन लोगों का प्रोग्राम ऐसे है। तो वह अंसारी जल्दी से नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ, इससे पहले कि आप (ﷺ) उनकी मजलिस में पहुँचें। तो आपने इस मुलाक़ात से इंकार कर दिया। और इस ग़द्दारी का परदा खुलने के बाद अगले दिन उनका मुहासरा फ़रमा लिया। (बज़्लुल मज्हूद) **(3)** शूरू अय्यामे हिजरत में यहूद से मीसाक़े मदीना का मुआहिदा हो चुका था मगर वह उसके पाबन्द नहीं रहे थे, इसलिए मौक़े ब मौक़े नये अहद व पैमान की ज़रूरत पेश आती रही। ये क़ौम ग़द्दारी में मारूफ़ थी बल्कि अब भी है और फिर बिल आख़िर इसी ग़द्दारी की वजह से इन्हें मदीना को छोड़ना पड़ा और ये वाक़िया बद्र के छः माह बाद जंगे उहुद से पहले का है। **(4)** ज़िम्मी और मुआहिद जब अपने अहद

की पासदारी न करे तो वह हर्बी बन जाता है और फिर उससे क़िताल जायज़ होता है। (5) बनू नज़ीर से चूंकि बाक़ायदा जंग नहीं हूई थी सिर्फ़ मुहासरा हूआ था कि वह ये इलाक़े छोड़ कर जाने पर राज़ी हो गये, चुनांचे उनसे हासिल शुदा चल–अचल (सारे माल) सब अमवाल फ़ै कहलाये जिनका ख़र्च मुकम्मल तौर पर आपकी सवाबदीद पर था और आपने इन अमवाल से शोहदाए बद्र के यतीमों और बाज़ मुफ़लिस मुहाजिरीन व अंसार की ख़बरगीरी फ़रमाई।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

(3005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि बनू नज़ीर और क़ुरैज़ा के यहूदियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जंग की (रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़िलाफ़ साज़िशें कीं) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नज़ीर को मदीना से निकाल बाहर किया और क़ुरैज़ा को उनके घरों में रहने दिया और उन पर एहसान फ़रमाया। यहाँ तक कि क़ुरैज़ा ने बाद में जंग की (ग़ज़्वा–ए–अहज़ाब के मौक़े पर किये गये मुआहिदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी की और धोखा दिया) तो उनके जंगजू मर्द क़त्ल कर दिये गये और उनकी औरतों, बच्चों और अमवाल को मुसलमानों में तक़सीम कर दिया गया, सिवाए उन बाज़ लोगों के जो (कार्रवाई से पहले) रसूलुल्लाह (ﷺ) से आ मिले थे तो आपने उनको अमान दी और वह इस्लाम ले आये (और क़त्ल से बच गये) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू क़ैनुक़ाअ और बनू हारिसा के सब यहूदियों को जो मदीना में रह रहे थे बाहर निकाल दिया। बनू क़ैनुक़ाअ हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) की क़ौम थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 4028, व मुस्लिम: 1766, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 9988.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईमान व इस्लाम इन्सान को दुनिया में जान, माल और आबरू की अमान देता है और आख़िरत में अब्दी अमान का बाइस होगा। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की सीरत से वाज़ेह हो जाता है कि ईमान जब दिल की गहराईयों में उतर जाता है तो दुनिया की आरज़ी लज़्ज़तें और क़ौम क़बीले की असबियत की अहमियत ख़त्म हो जाती हैं और फिर अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर और कोई महबूब नहीं रहता।

﴿24﴾ باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ

बाब : 24
ख़ैबर की ज़मीन का हुक्म

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ - أَحْسِبُهُ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالأَرْضِ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يَكْتُمُوا وَلاَ يُغَيِّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ

(3006) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अहले ख़ैबर से जंग की, उनकी खजूरें और ज़मीनें आपके क़ब्ज़े में आ गयीं और उन्हें अपने क़िले में महसूर हो जाने पर मजबूर कर दिया गया। तो उन्होंने आपसे मुसालहत कर ली कि तमाम ज़र्द व सफ़ेद (सोना चाँदी) और हथियार रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये होगा और दीगर असबाब जो उनके ऊँट उठा सकें उठा ले जायेंगे और कोई चीज़ छुपायेंगे नहीं और न ग़ायब करेंगे। अगर ऐसा किया तो उनके लिये कोई ज़िम्मा और अहद न रहेगा। मगर उन्होंने चमड़े का एक बोरा ग़ायब कर दिया जो हुई बिन अख़्तब का था और वह ख़ुद ख़ैबर से पहले क़त्ल हो गया था। वह ये बोरा बनू नज़ीर के मदीना से जला वतन किये जाने के मौक़े पर उठा कर लाया था, उस बोरे में उन लोगों के ज़ेवरात थे। नबी (ﷺ) ने सअया

كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيُّهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْيَةَ " أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ " . قَالَ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ . فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِي هَذِهِ الأَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ .

(यहूदी) से कहा: 'हुई बिन अख़्तब का बोरा कहां है?' उसने कहा: वह जंगों में और दूसरे अख़राजात में ख़र्च हो गया है। मगर सहाबा ने उसे ढूंढ निकाला। तब इब्ने अबी अलहुक़ैक़ को क़त्ल किया गया, उनकी औरतों और बच्चों को क़ैदी बना लिया गया और उन्हें वहां से जलावतन करने का इरादा कर लिया, तो उन्होंने कहा: ऐ मुहम्मद! हमें यहां रहने दें हम इस ज़मीन में मेहनत करेंगे और जब तक आप (हमें रखना) चाहेंगे उसकी आमदनी का आधा हम लेंगे और आधा आपको देंगे। चुनांचे नबी (ﷺ) (इस पैदावार में से) अपनी बीवियों में से हर एक को अस्सी (80) वस्क़ खजूर और बीस (20) वस्क़ जौ दिया करते थे।

(3006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 2730.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ . فَأَخْرَجَهُمْ

(3007) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: लोगो! बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों से ये तै किया था कि जब हम चाहेंगे उन्हें निकाल बाहर करेंगे। तो जिसको उनसे कुछ लेना हो वह वसूल कर ले, मैं यहूदियों को निकालने लगा हूं। चूनांचे उसके बाद उन्होंने उनको निकाल दिया।

(3007) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 9/56, मुसनद अहमद, हदीस: 1/15, बुख़ारी, हदीस: 2730.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا " . فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَخْلاً بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةُ خَرْصِ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا .

(3008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जब ख़ैबर फ़तह हो गया तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि हमें यहीं रहने दिया जाये। हम मेहनत करेंगे और जो आमदनी होगी उससे आधी आपको अदा करेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें इस शर्त पर यहां रहने देता हूं कि जब तक हम चाहेंगे।' चुनांचे वह उसी के मुताबिक़ वहां रहे। और ख़ैबर से हासिल होने वाली आधी खजूर कई हिस्सों पर तक़सीम की जाती थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) पाँचवाँ हिस्सा लिया करते थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों में से हर बीवी को सौ वस्क़ खजूर और बीस वस्क़ जौ इनायत फ़रमाया करते थे। जब हज़रत उमर (ﷺ) ने यहूदियों को निकालने का इरादा किया तो अज़वाजे नबी (ﷺ) से कहला भेजा कि आप में से जिसका जी चाहे मैं उसे इतने दरख़्त दिये देता हूं जिससे सौ वस्क़ खजूर हासिल हो और वह दरख़्त, ज़मीन और पानी उसी का होगा। और ऐसे ही इस क़द्र ज़मीन दिये देता हूं जिससे बीस वस्क़ जौ हासिल हों। और जो पसन्द करे हम ख़ुमुस में से उसका हिस्सा हस्बे साबिक़ अदा करते रहेंगे।

(3008) तख़रीज : मुस्लिम: 1551.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत आयशा (ﷺ) और हज़रत हफ़्सा (ﷺ) ने ज़मीन और पानी का इन्तेख़ाब किया और बाज़ दीगर अज़वाजे मुतहहरात(ﷺ) ने हस्बे

साबिक़ मुतय्यन हिस्सा चुना। सही मुस्लिम की ये रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) के हवाले से है और ज़्यादा मुफ़स्सल (विस्तारपुर्वक) और वाज़ेह है। इस रिवायत के मुताबिक़ रसूल (ﷺ) ने ख़ैबर में फ़ै की ज़मीनों की आमदनी में से सालाना ख़र्च के तौर पर अपनी हर ज़ोजाए मुहतरमा को कुल सौ वस्क़, अस्सी (80) वस्क़ ख़जूर और बीस (20) वस्क़ जौ मुक़र्रर फ़रमाये थे। (सही मुस्लिम: 1551) अबू दाऊद की हदीस: 3006 में भी यही मिक़्दार (मात्रा) मज़कूर है। अलबत्ता मौजूदा रिवायत में कुल सौ वस्क़ की बजाये खजूर सौ वस्क़ और उसके अलावा जौ बीस वस्क़ की मिक़्दार बयान की गयी है। मालूम होता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत करने वाले रावियों में से कोई रावी ज़न व तख़्मीन से मिक़्दार बयान करते हूए इल्तेबास (कन्फ़ियुज़न) का शिकार हो गया और कुल सौ की बजाये खजूर सौ वस्क़ और जौ बीस वस्क़ का ज़िक्र कर गया। (फ़तहुल वदूद ब'हवाला औनुल माबूद)
(2) ख़ैबर के तरीक़े के मुताबिक़ बटाई पर ज़मीन लेना और देना जायज़ है।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبْىَ .

(3009) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर पर चढ़ाई की। पस हमने उसे क़हर व क़ूव्वत से हासिल किया और क़ैदी इकट्ठे किये।

(3009) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 371, व मुस्लिम: 1365.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ये हदीस बयान करके वाज़ेह करना चाहते हैं कि ख़ैबर का कुछ हिस्सा क़िताल से और कुछ हिस्सा सुलह से हासिल हूआ था।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا .

(3010) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर को दो हिस्सों में तक़सीम किया। एक हिस्सा आपके इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात और ज़ाती ज़रूरियात के लिये ख़ास था और आधा मुसलमानों के लिये। आपने उसे उनमें अठारह हिस्सों में तक़सीम किया था।

(3010) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/317.

फ़ायदा : तफ़्सीलात पहले गुज़र चुकी हैं। नबी (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीनों को इसी तरह दो हिस्सों में तक़सीम फ़रमाया जिस तरह वह हासिल हूई, जो जंग के नतीजे में मिलीं वह आपने तक़सीम फ़रमा दीं और तक़रीबन इतनी ही ज़मीन बग़ैर लड़े मुआहिदा सुलह के नतीजे में हासिल हूई। उनकी आमदनी क़ुर्आन के हुक्म के मुताबिक़ आपके लिये थी। आपने उसे मुसलमानों के इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात के लिये और थोड़ा सा हिस्सा ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरियात के लिये ख़ास फ़रमा दिया। हुकूमतों और रफ़ाही जमीयतों और अंजूमनों के पास ख़ास महफ़ूज़ फंड जमा रहे तो बहुत उम्दा है ताकि इत्तेफ़ाक़ी (ना गहानी) अख़राजात पूरे करने में आसानी रहे।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الأُمُورِ وَالنَّوَائِبِ .

(3011) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि उन्होंने अस्हाबे नबी (ﷺ) की एक जमाअत से सुना, उन्होंने बयान किया, और यही हदीस ज़िक्र की: चुनांचे आधे हिस्से मुसलमानों के थे उनमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का हिस्सा भी था और बाक़ी आधे मुसलमानों की इत्तेफ़ाक़ी ज़रूरियात और हवादिस के लिये अलग कर लिये।

(3011) तख़रीज : **(सनद हसन)**

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ .

(3012) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) जो कि अंसार के मौला थे, कई अस्हाबे नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने जब ख़ैबर फ़तह किया तो उसको कुल छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया, और हर हिस्से में सौ हिस्से थे। चुनांचे इसमें से आधे रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों के लिये थे। और बाक़ी आधे इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात के लिये महफ़ूज़ रखे गये कि आपके पास वफ़ूद आते थे या कोई हंगामी ख़र्च होता या मुसलमानों पर कोई मुश्किल आ पड़ती (तो इस मद में से लिया जाता था)

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 4/36.

(3013) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि जब अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) को ख़ैबर इनायत फ़रमा दिया तो आपने उसे छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया। हर हिस्से में सौ हिस्से थे। चुनांचे उनमें से आधे आपके इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात और आपके पास आने वाले मेहमानों और वफ़ूद के लिये थे यानी क़िला वतीहा, कुतैबा और उनके साथ मुल्हक़ आराज़ी वग़ैरह और बाक़ी आधे मुसलमानों में तक़सीम कर दिये, यानी क़िला शक़ और नतात और उनके मज़ाफ़ात। और नबी (ﷺ) का हिस्सा भी इन्हीं के मुल्हक़ात व मज़ाफ़ात में था।

(3013) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/317.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَةَ وَالْكُتَيْبَةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ النِّصْفَ الآخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشَّقَّ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا .

फ़ायदा : क़िलों के आख़री मजमूए जो मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह किये वह हुसूनुन नतात और हुसूनुश्शक़ थे। यहां से जो यहूदी जान बचा कर भाग निकले उन्होंने 'हुसूनुल कुतैबा' के मजमूअ में पनाह ली। इसमें तीन क़िले थे सब से बड़ा क़मूस फिर वतीह और सलालम था। जब उनका मुहासरा हूआ तो ये क़िले उनके मालिकों ने लड़ने वालों की जान बख़्शी और उनके बच्चों की आज़ादी की शराइत पर ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) के सुपुर्द कर दिये। (औनूल माबूद) इनके बाद फ़दक वालों ने अपने इलाक़े हवाले किये। (फ़तहुल बारी) नबी (ﷺ) के लिये यही इलाक़े मख़्सूस थे, क्योंकि यही बग़ैर लड़े आपकी तहवील में आये थे, उनको मज़ाफ़ात व मुलहक़ात कहा गया।

(3014) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि अल्लाह तआला ने जब अपने रसूल (ﷺ) को ख़ैबर इनायत फ़रमा दिया तो आपने उसे कुल छत्तीस हिस्सों में तक़सीम फ़रमाया। आपने आधे यानी अठारह हिस्से मुसलमानों के लिये ख़ास कर दिये। हर हिस्सा सौ हिस्सों पर मुश्तमिल था और

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً

وَثَلاَثِينَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلاَلِمَ وَتَوَابِعَهَا فَلَمَّا صَارَتِ الأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ .

नबी (ﷺ) भी उनके साथ शरीक थे। आप का हिस्सा भी उसी तरह था जैसे कि एक आम मुसलमान का। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अठारह हिस्से अपने आड़े वक़्तों और मुसलमानों की हंगामी ज़रूरत के लिये अलग कर दिये थे और ये थे क़िला वतीह और कुतैबा (एक बस्ती) और सलालम और उनके मज़ाफ़ात। जब ये ज़मीनें नबी (ﷺ) और मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गईं तो आपके पास कोई ऐसा मेहनत कश न थे जो उनके बजाये काम करते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूदियों को दावत दी और उनसे मामला तै कर लिया।

(3014) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।. बैहक़ी: 4/235.

फ़ायदा : (1) ख़ैबर का आधा हिस्सा जो बतौर ग़नीमत हासिल हूआ था उसमें भी नबी (ﷺ) का हिस्सा था। आप अपना ये हिस्सा बक़िया फ़ै के साथ मिलाकर सारा स़दक़ा कर दिया करते थे, अलबत्ता इसमें से बक़द्रे ज़रूरत अपनी अज़वाज (बीवियों) को देते थे जिस तरह पहले बित तफ़्सील बयान हो चुका है। **(2)** इस हदीस़ से ये भी मालूम हूआ कि ज़मीन को हिस्सेदारी पर काश्त कराना जिसे मुज़ारअत और बटाई कहा जाता है, एक जायज़ मामला है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ، يَذْكُرُ لِي عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ - قَالَ

(3015) हज़रत मुजम्मेअ बिन जारिया अन्सारी(ﷺ) से रिवायत है ... और ये उन हाफ़िज़ों में से थे जिन्हें पूरा क़ुर्आन याद था ... बयान करते हैं कि ख़ैबर को उन मुहाजिरीन में तक़सीम किया गया जो हुदैबिया में शरीक थे। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे अठारह हिस्सों पर तक़सीम किया था। इस लश्कर की तादाद एक हज़ार पाँच सौ

قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاَثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا .

थी। इनमें से तीन सौ घुड़सवार थे, चुनांचे आप (ﷺ) ने घुड़ सवार को दो हिस्से दिये और पैदल को एक हिस्सा।

(3015) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2736 में देखें, मुसनद अहमद: 3/420.

फ़ायदा : मुजाहिदीन की ये तादाद अन्दाज़े से बताई गयी जबकि सही तादाद चौदह सौ थी। और घोड़ों की तादाद दो सौ। घोड़ों के मुस्तक़िल हिस्से चार सौ हूए। और मुजाहिदीन के चौदह सौ। कुल अठारह सौ। या यूँ समझ लें कि दो सौ घुड़ सवारों के हिस्से छः सौ हूए। और बाक़ी बारह सौ मुजाहिदीन के बारह सौ। कुल अठारह सौ।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَعْضِ، وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً لأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ .

(3016) जनाब ज़ोहरी, और अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से और मुहम्मद बिन मसलमा के कुछ साहिबज़ादगान से रिवायत है कि अहले ख़ैबर के कुछ लोग बच गये तो वह क़िला बंद हो गये। और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि हमारे ख़ून माफ़ कर दिये जायें (यानी क़त्ल न किया जाये) और हमें यहां से निकल जाने का मौक़ा दिया जाये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे क़बूल फ़रमा लिया। अहले फ़दक ने ये मामला सुना तो वह भी इस बात पर राज़ी हो गये। चुनांचे ये क़िले और ज़मीन नबी (ﷺ) के लिये मख़्सूस रहीं, क्योंकि उन पर कोई घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये गये थे (जंग नहीं हूई थी)

(3016) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद मुहम्मद बिन इस्हाक़.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيهَا صُلْحٌ . قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكُتَيْبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ .

(3017) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर का कुछ हिस्सा क़ूव्वत से (जंग करके) फ़तह किया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बसनद हारिस़ बिन मिसकीन, इब्ने शेहाब ज़ोहरी से रिवायत किया कि ख़ैबर का कुछ हिस्सा जंग से और कुछ सुलह से हासिल हूआ था। कुतैबा (की बस्ती और ज़मीन) का अक्सर हिस्सा क़ूव्वते (जंग) से हासिल हूआ था और उसमें कुछ हिस्सा समझोते का भी था। (इब्ने वहब कहते हैं) मैंने इमाम मालिक (रह.) से पूछा: कुतैबा क्या है? तो उन्होंने कहा: ये ख़ैबर की ज़मीन है इसमें खजूरों के चालीस हज़ार दरख़्त थे।

(3017) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/138, बैहक़ी दलाइलुन्नबुव्वा, 6/317.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلاَءِ بَعْدَ الْقِتَالِ

(3018) इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) कहते हैं: मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर को क़िताल करके बज़ोर क़ूव्वत फ़तह किया था। और क़िताल के बाद इसके कुछ लोगों ने ये इलाक़ा छोड़ देने की शर्त पर अपनी क़िलाबंदी को ख़त्म किया (और सुलह कर ली)

(3018) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।: 3005.

फ़ायदा : इस की पूरी तफ़सील हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मरवी हदीस़: 3006 में गुज़र चुकी है। मगर बाद में उन्हीं के साथ मुआहिदा हो गया कि वह बटाई पर ये ज़मीन काश्त करेंगे और जब तक मुसलमान चाहेंगे वह यहां रह सकेंगे।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَّمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

(3019) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर का ख़ुमुस निकाला फिर उस सब को अहले हुदैबिया पर बाँट दिया, ख़्वाह कोई हाज़िर था या ग़ैर हाज़िर।

(3019) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : ज़ाहिर है वह ज़मीन जो जंग के ज़रिये से हासिल हूई, उसका ख़ुमुस निकाला गया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ .

(3020) हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: अगर मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का ख़्याल न हो, तो जो बस्ती भी फ़तह हो मैं उसे तक़सीम कर दूं जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर को तक़सीम किया था।

(3020) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 2334.

फ़ायदा : ख़ैबर का तक़रीबन निस्फ़ हिस्सा जो बतौर ग़नीमत हासिल हूआ था, ख़ुमुस निकालने के बाद तक़सीम कर दिया गया। ये बहुत बड़ा हिस्सा था हज़रत उ़मर (ﷺ) का इशारा इसी की तरफ़ है, इसके अ़लावा ममलकते इस्लामिया में हस्बे अहवाल एक ऐसा फंड और वक़्फ़ महफ़ूज़ रहना चाहिए जो मुसलमानों की अनहोनी ज़रूरियात में काम आ सके।

《25》
بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ

बाब : 25
फ़तहे मक्का का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

(3021) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का बयान है फ़तहे मक्का के मौक़े पर हज़रत अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (ﷺ), अबू सुफ़ियान बिन हरब को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले आये, चुनांचे उन्होंने मरूज़

ज़हरान के मुक़ाम पर इस्लाम क़बूल कर लिया। हज़रत अब्बास (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा आदमी है जिसे फ़ख़्र और बड़ाई पसन्द है, अगर आप इसके लिये कोई चीज़ ख़ास फ़रमा दें तो (मुनासिब होगा) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' जो शख़्स अबू सुफ़ियान के घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है और अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ रहे वह अमान में है।'

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَأَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا . قَالَ " نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ "

(3021) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 14/496, तबरानी: 8/10–15, हदीस: 7264, व मुस्लिम: 1780.

फ़ायदा : ज़ूलक़ादा 6 हिज्री में हुदैबिया के मुक़ाम पर मुसलमानों और क़ुरैशे मक्का के दरम्यान ये मुआहिदा हूआ था कि, 'दस साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे। इस अ़र्से में लोग हर तरह अमन से रहेंगे और कोई किसी पर हाथ नहीं उठायेगा।' मगर बनू बक्र (हलीफ़े क़ुरैश) ने बनू ख़ुज़ाआ (हलीफ़े रसूलुल्लाह (ﷺ) पर हमला किया जिसमें क़ुरैशियों ने दर परदा अपने हलीफ़ों की भरपूर मदद की और मुसलमानों के हलीफ़ क़बीला को क़त्ल किया गया और कई आदमी तो हरम के अंदर क़त्ल किये गये। इस तरह ये मुआहिदा टूट गया। तब मुसलमानों ने बहुत अच्छी हिकमते अमली अपना कर मक्का फ़तह कर लिया और फिर पूरे जज़ीरतुल अ़रब पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ये वाक़िया 8 हिज्री का है। (जिस की तफ़्सील 'अर्रहीक़ुल मख़्तूम' अल्लामा सफ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) और सीरत की दीगर कुतूब में गहराई से मुताला के लायक़ है।)

(3022) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने जब मर्रूज़ ज़हरान के मुक़ाम पर पड़ाव डाला, तो हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: अल्लाह की क़सम! अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी क़ूव्वत के ज़ोर पर मक्का में दाख़िल हो गये और इससे पहले अहले मक्का आपके पास न आये और अमान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلاَكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَعَلِّي أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلاَمَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قُلْتُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ . قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا . قَالَ " نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ

न माँगी तो इसमें क़ुरैश की बहुत बड़ी हलाकत है, चुनांचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़च्चर पर बैठ कर बाहर निकला, मैंने सोचा शायद मुझे कोई शख़्स मिल जाये जो किसी काम से निकला हो तो वह अहले मक्का के पास जाये, उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की आमद के मुताल्लिक़ ख़बरदार कर दे ओर वह आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जायें और अमान तलब कर लें। चुनांचे मैं चला जा रहा था कि अबू सुफ़ियान और बुदैल बिन वरक़ा को गुफ़्तगू करते सुना। मैंने कहा: ऐ अबु हन्ज़ला! (ये हज़रत अबू सुफ़ियान(ؓ) की कुनियत है) उसने मेरी आवाज़ पहचान ली और कहा: अबूल फ़ज़्ल? (ये हज़रत अब्बास (ؓ) की कुनियत है) मैंने कहा: हाँ उसने कहा: क्या हूआ? मेरे माँ बाप तुझ पर फ़िदा। मैंने कहा: ये अल्लाह के रसूल (ﷺ) हैं और लोग भी आपके साथ हैं। उसने पूछा: तो अब क्या उपाय है? चुनांचे अबू सुफ़ियान मेरे पीछे ख़च्चर पर बैठ गया और उसका दूसरा साथी वापस चला गया। जब सुबह हूई तो मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और उसने इस्लाम क़बूल कर लिया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा आदमी है जिसे फ़ख़्र और बड़ाई पसन्द है तो आप उसके लिये कोई चीज़ ख़ास फ़रमा दें। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' जो शख़्स अबू सुफ़ियान के घर में दाख़िल हो जाये उसे

آمِنٌ " . قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ .

अमान है, जो शख़्स अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसे अमान है, और जो मस्जिद में दाख़िल हो जाये उसे अमान है।' हज़रत अब्बास (ﷺ) ने बयान किया: फिर लोग अपने घरों और मस्जिद में बिखर गये।

(3022) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/118, 119, हदीस़ गुज़र चुकी है।: 3021.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी दानिशमंदी, बलन्द निगाही और इशाअ़ते इस्लाम के अ़ज़ीम मक़सद के पेशे नज़र अबू सुफ़ियान की गुज़िश्ता तमाम ज़्यादतियाँ फ़रामोश कर दीं, उनका इस्लाम क़बूल फ़रमाया बल्कि ऐ़ज़ाज़ भी दिया। क़ायद वही कामयाब है जो अपने लोगों से उनके मिज़ाज के मुताबिक़ मिशन की तकमील के लिये काम ले। **(2)** इस्लामी तालीमात में उ़मूमी तौर पर तवाज़ोअ़, इंकेसारी और गुमनामी की मदह और तर्ग़ीब है, मगर कुछ तबीयतें इसके बिलमुक़ाबिल दूसरी सिफ़ात की हामिल होती हैं जो अगर इस्लाम और मुसलमानों के लिये इस्तेमाल हों तो बहुत ख़ूब है। चुनांचे हज़रत अबू सुफ़ियान (ﷺ) की ये सिफ़ात इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में बहुत मुफ़ीद स़ाबित हूई।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا قَالَ لاَ .

(3023) जनाब वहब बिन मुनब्बा (रह.) कहते हैं: मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से पूछा कि क्या फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुसलमानों ने कोई ग़नीमत हास़िल की थी? उन्होंने कहा: नहीं।

(3023) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : इस हदीस़ से कुछ उ़लमा का इस्तेदलाल है कि मक्का की फ़तह बतौर सुलह हूई थी। और कुछ उ़लमा कहते हैं कि नहीं ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का उन पर एहसान था और यही बात स़ही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस अरज़े मुक़द्दस को ग़नीमत या फ़ै क़रार देना, गवारा न फ़रमाया। ये इब्तेदा ही से अल्लाह के दीन का मरकज़ था और यहीं से वही का आग़ाज़ हूआ, यही वह अव्वलीन जमाअ़त बनी जो उम्मत का मरकज़, इस्लाम और मुसलमानों की यहां वापसी को अपने ही घर की तरफ़ वापसी के तौर पर लिया गया। यहां के बाशिन्दे जब इस्लाम में दाख़िल हो गये तो पूरे इख़्लास़ के साथ दाख़िल हूए।

(3024) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल हूए तो हज़रात ज़ुबैर बिन अव्वाम, अबू उबैदा बिन जर्राह और ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) को घूड़सवारों का अमीर बनाया। आपने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से फ़रमाया: 'अंसार को बुलाओ' (वह जमा हो गये तो) उनसे फ़रमाया: 'तुम लोग ये रास्ता लो और जो भी तुम्हारे सामने सर उठाने की कोशिश करे उसे सुला दो (जो भी हथियारों से मुक़ाबला करे उसको क़त्ल कर दो)' चुनांचे एक मुनादी ने ऐलान किया: आज के बाद क़ुरैश नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है और जो हथियार फैंक दे उसे अमान है।' क़ुरैश के बड़ों ने काबा का रूख़ किया और उसमें जा दाख़िल हूए और वह उनसे खचा खच भर गया। नबी (ﷺ) ने बैतुलल्लाह का तवाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी फिर काबा के दरवाज़े के चौखट पकड़ कर खड़े हो गये तो वह लोग निकल आये और नबी (ﷺ) से इस्लाम पर बैत की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना कि एक आदमी ने उनसे सवाल किया था कि आया मक्का बज़ोर क़ुव्वत (जंग से) फ़तह हूआ था? तो उन्होंने कहा: जो भी हो तुम्हें उसका क्या नुक़सान है? उसने कहा: क्या सुलह हूई थी? उन्होंने फ़रमाया: नहीं।

तख़रीज:(सनद सही) हदीस: 1872 में देखें, बैहक़ी: 9/118.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ " . قَالَ اسْلُكُوا هَذَا الطَّرِيقَ فَلاَ يُشْرِفَنَّ لَكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَنَمْتُمُوهُ . فَنَادَى مُنَادٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ " . وَعَمَدَ صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَخَذَ بِجَنْبَتَيِ الْبَابِ فَخَرَجُوا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ مَكَّةَ عَنْوَةً هِيَ قَالَ أَيْشٍ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ قَالَ فَصُلْحٌ قَالَ لاَ .

फ़ायदा : सुलह पर न कोई गुफ़्तगू हूई और न शर्तें तै हूए। आपने मक्का आने को ख़ुफ़िया रखा था ताकि हुरमत वाली इस सर ज़मीन में मुकाबला और ख़ून रैज़ी न हो। हज़रत अब्बास (ﷺ) ने जो इक़दाम किया उससे बड़ी ख़ूनरेज़ी का इम्कान बिलकुल ख़त्म हो गया। रसूल (ﷺ) ने उनका माल या जायजदाद लेने की बजाये फ़तहे मक्का के बाद हासिल होने वाले सारे ग़नाइम इन्हीं में तक़सीम कर दिये और कमाले रहमत और हिकमत से उनको दिल व जान से इस्लाम में दाख़िल कर दिया। इनके अलावा सारे अरब में जिस क़बीले ने ख़ुद आकर इस्लाम क़बूल किया उनमें से किसी के माल को फ़ै क़रार नहीं दिया गया, अहले मक्का समेत उन सब पर ज़कात व उश्र ही फ़र्ज़ किया गया।

﴿26﴾

باب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

बाब : 26
ताइफ़ का बयान

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ، ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلاَ جِهَادَ وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ " سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا " .

(3025) हज़रत वहब कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से क़बीला सक़ीफ़ की बैत का हाल पूछा तो उन्होंने कहा: उन लोगों ने नबी (ﷺ) के साथ शर्त की थी कि वह सदक़ा देंगे न जिहाद करेंगे। हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से बाद में सुना, आप फ़रमाते थे: 'ये लोग जब मुसलमान हो जायेंगे तो सदक़ा देंगे और जिहाद भी करेंगे। (जब इस्लाम के बारे में उन्हें शरहे सदर हो जायेगा तो सब काम करेंगे।)'

(3025) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/121, मुसनद अहमद: 3/341.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ज़्व–ए–हुनैन से फ़ारिग़ होने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शव्वाल 8 हिज्री में ताइफ़ का रूख़ किया। वह लोग क़िला बंद हो गये, तो उनका मुहासरा किया गया जो कि अठारह बीस दिन या बाज़ रिवायात के मुताबिक़ चालीस दिन तक रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) के मदीना पहुँचने से पहले ही उनके सरदार उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर

इस्लाम क़बूल कर लिया। मगर उसकी क़ौम ने रमज़ान 9 हिज्री में अपना बाक़ायदा वफ़द भेज कर इस्लाम क़बूल किया। (2) ये क़बीला भी जंग के ज़रीये मग़लूब (पराजित) नहीं हूआ था बल्कि वफ़द भेज कर इस्लाम क़बूल किया था। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) तो बहरहाल अल्लाह के रसूल थे। आपके फ़ैसले वहि और इल्हाम पर मबनी होते थे। ताहम दाई–ए–इस्लाम का ये फ़ैसला हिकमत व दानाई पर मबनी था। (4) तालीफ़े कुलूब के लिये नये–नये मुसलमानों को कोई मुनासिब रिआयत देने में कोई हर्ज नहीं। मगर दीन की हक़ीक़त वाज़ेह करने में भी ग़फ़लत नहीं होनी चाहिए।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوفٍ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ، ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُحْشَرُوا وَلاَ يُعْشَرُوا وَلاَ يُجَبُّوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَكُمْ أَنْ لاَ تُحْشَرُوا وَلاَ تُعْشَرُوا وَلاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ " .

(3026) हज़रत उस्मान बिन अबल आस़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि स़क़ीफ़ का वफ़द जब नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आपने उन्हें मस्जिदे (नबवी) में ठहराया ताकि ये उनके दिलों को ज़्यादा नर्म करने का बाइस़ हो, चुनांचे उन लोगों ने ये शर्त की कि उन्हें जिहाद के लिये नहीं बुलाया जायेगा, न उनसे स़दक़ात लिये जायेंगे और न ये लोग नमाज़ पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो हो सकता है कि तुम्हें जिहाद के लिये न बुलाया जाये या स़दक़ात न लिये जायें मगर उस दीन में कोई ख़ैर नहीं जिसमें रूकू (नमाज़) न हो।'

(3026) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1328, अबी दाऊद तयालिसी, हदीस़: 939, इब्ने जारूद, हदीस़: 373.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है मगर दीगर अहादीस़ से ये बात स़ाबित है कि अमीरूल मोमिनीन की इजाज़त से काफ़िरों का मस्जिद में या हरमे मक्का या मदीना, में आ जाना जायज़ है। (2) जो शख़्स़ नमाज़ का एहतिमाम नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, ख़्वाह वह कितने ही अच्छे अख़्लाक़ व किरदार का मालिक हो क्योंकि वह अल्लाह से बंदगी का ताल्लुक़ नहीं रखता। जिहाद और स़दक़ात अपने वक़्त पर लागू होते हैं और उनका अभी वक़्त न था, अलबत्ता नमाज़ हर रोज़ और अपने वक़्त पर फ़र्ज़ थी इसलिए इसमें छूट देना क़बूल नहीं फ़रमाया।

बाब : 27
सरज़मीने यमन का हुक्म

﴿27﴾ باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

(3027) हज़रत आमिर बिन शहर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो क़बील–ए–हमदान के लोगों ने मुझ से कहा: क्या तुम इस शख़्स (यानी मुहम्मद रसूल (ﷺ) के पास जाकर हमारे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर सकते हो? जिस चीज़ पर तुम राज़ी हो जाओगे हम उसे क़बूल कर लेंगे और जिसे तुम नापसन्द करोगे हम भी उसे नापसन्द करेंगे। मैंने कहा: हाँ। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो मुझे आपका मामला पसन्द आया और मेरी क़ौम ने इस्लाम क़बूल कर लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उमैर ज़ी मर्रान की तरफ़ ये ख़त लिखा। (हूआ ये था कि) आप (ﷺ) ने मालिक बिन मिरारा रहावी को तमाम अहले यमन की तरफ़ अपना नुमाइन्दा बनाकर भेजा था। पस एक शख़्स अक ज़ू ख़ैवान ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो उसे कहा गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जाओ और आपसे अपनी बस्ती और माल के लिये अमान नामा हासिल कर लो। चुनांचे वह आपकी ख़िदमत में आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको ये तहरीर लिख

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ . فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانَ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو خَيْوَانَ . قَالَ فَقِيلَ لِعَكٍّ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخُذْ مِنْهُ الأَمَانَ عَلَى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ " . وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ .

दी: 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल (ﷺ) की तरफ़ से अक ज़ू ख़ैवान के लिये ये तहरीर है कि अगर ये सच्चा हो तो उसे इसके ज़मीन, माल और गुलामों के बारे में अमान हासिल है, इसके लिए अल्लाह का ज़िम्मा है और अल्लाह के रसूल मुहम्मद (ﷺ) का ज़िम्मा है।' और ये तहरीर ख़ालिद बिन सईद बिन अलआस़ ने क़लमबंद की।

(3027) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअ़ला मूसि़ली, हदीस़: 6864.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर अहादीस़ से ये बात स़ाबित है कि यमन वाले अपनी मर्जी और ख़ूशी से मुसलमान हूए थे और उनकी ज़मीन उनके अपने क़ब्ज़े में रही और उससे सिर्फ़ उश्र (ज़कात) वसूल किया जाता था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، سَعِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبْيَضَ - عَنْ جَدِّهِ، أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ " يَا أَخَا سَبَإٍ لاَ بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ " . فَقَالَ إِنَّمَا زَرْعُنَا الْقُطْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ بِمَأْرِبٍ . فَصَالَحَ نَبِيَّ

(3028) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सदक़ा के बारे में बात चीत की जब कि वह वफ़द लेकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में आये थे, तो आपने फ़रमाया: 'सबा के भाई! सदक़ा की अदाइगी तो ज़रूरी है।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी काश्त सिर्फ़ कपास की है और क़ौमे सबा अब तितर बितर हो चुकी है और मारिब के मुक़ाम पर थोड़े लोग मुक़ीम हैं। चुनांचे उसने अल्लाह के नबी (ﷺ) से सुलह कर ली कि वह लोग यानी जो सबा के बक़िया और मारिब पर मुक़ीम हैं सालाना सत्तर जोड़े कपड़े के बराबर मआफ़ेरी कपड़े की क़ीमत

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةِ بَزٍّ مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَإٍ بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَدُّونَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحُلَلِ السَّبْعِينَ فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ .

देंगे। और फिर ये लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात तक ये अदा करते रहे। रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद वहां के आमिलों ने उनकी तरफ़ से किया गया वह अहद तोड़ दिया जो कि अबयज़ बिन हम्माल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सत्तर जोड़ों की अदायगी का कर रखा था। तो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) ने दोबारा उसे उसी कैफ़ियत पर लौटा दिया जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में था यहाँ तक कि हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) की वफ़ात हो गयी। उनकी वफ़ात के बाद ये अहद टूट गया और (मारूफ़ अन्दाज़ में) सदक़ा लिया जाने लगा।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 1/277, 278, हदीस: 807, मजमूअ अज्ज़वाइद: 4/106

﴿28﴾ باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب

बाब : 28
यहूदियों को जज़ीर-ए-अरब से निकाल देने का बयान

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلاَثَةٍ فَقَالَ " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ " .

(3029) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने तीन बातों की वसीयत फ़रमाई थी: मुश्रिकों को जज़ीर-ए-अरब से निकाल देना और वफ़ूद से इसी तरह बर्ताव करते रहना जैसे कि मैं किया करता हूं और तीसरी बात के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने या तो ये कहा कि (ﷺ) ख़ामोश रहे थे या ये कहा कि मैं (ही) भूल गया हूं।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَأُنْسِيتُهَا . وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ سَعِيدٌ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا

हुमैदी ने सुफ़ियान से रिवायत किया कि सुलेमान ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि सईद बिन जुबैर ने तीसरी बात ज़िक्र की थी तो मैं भूल गया हूं या वह (इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ही ख़ामोश रहे थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3053, व मुस्लिम: 1637.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जज़ीरतुल अ़रब' ये इलाक़ा बहरे हिन्द, बहरे क़ुलज़ुम, बहरे शाम और दजला व फ़ुरात से घिरा हूआ होने की वजह से जज़ीरा कहलाता है और ये ज़मान–ए–क़दीम से अहले अ़रब का वतन है। इसकी हुदूद लम्बाई में अ़दन से अ़तराफ़े शाम और जद्दा से रीफ़े इराक़ तक फैली हूई हैं। (नैलुल अवतार: 8/72) ये चूंकि इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ है और यहीं से इस्लाम की इशाअ़त पूरी दुनिया में होनी थी इसलिए इसको यहूद नसारा के दख़्ल से महफ़ूज़ रखना ज़रूरी था और है। साज़िश के ज़रिये से यहूद ने ईसाइयत का चेहरा मस्ख़ किया और ये दोनों बल्कि मजूस और मुश्रिकीन की ये कोशिशें कि इस्लाम में ख़ूद साख़्ता चीज़ें मिलाई जायें अवाइले इस्लाम ही में सामने आ गयी थी। **(2)** तीसरी बात भूलने का वाक़िया हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का है या सुफ़ियान बिन उयय्ना का। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) के नज़दीक ज़्यादा क़रीने क़यास ये है कि इब्ने उयय्ना ने ये कहा कि मैं तीसरी बात भूल गया हूं। वह तीसरी बात क्या थी जिसे इब्ने उयय्ना भूल गये? इसकी बाबत मौता इमाम मालिक में इशारा है कि तीसरी बात ये हो सकती है कि 'मेरी क़ब्र को मेरे बाद बुत न बना लेना।' जिस तरह मौता की रिवायत में ये यहूद के निकालने के साथ मज़कूर है या जिस तरह हज़रत अनस (ﷺ) की रिवायत में तीसरी तल्क़ीन: 'नमाज़ और गुलामों का' ख़्याल रखना हो सकती है। (फ़तहुल बारी) मुश्रिकीन को जज़ीरतुल अ़रब से निकालने के मानी में बुत परस्त मुश्रिक, यहूद व नसारा, और मजूस सभी शामिल हैं और इन्हें यहां से निकाल बाहर करना वाजिब है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ أَتْرُكُ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا "

(3030) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'मैं यहूदियों और ईसाइयों को जज़ीर–ए–अ़रब से बिज़्ज़रूर निकाल कर रहूंगा, मैं इसमें मुसलमानों के सिवा किसी और को नहीं छोडूंगा।'

(3030) **तख़रीज** : मुस्लिम: 1667.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ .

(3031) हज़रत जाबिर (ﷺ), हज़रत उमर(ﷺ) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया। पहली हदीस ज़्यादा मुकम्मल है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/32, अलमसानीद वस्सुनन, जि. 18, हदीस: 64, 65, 66.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ " .

(3032) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक मुल्क (अरब) में दो क़बीले नहीं हो सकते।'

(3032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 633, इब्ने जारूद, हदीस: 1107.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन जिस तरह ईसाइयत के मर्कज़ वैटीकन स्टेट में दूसरे दीन की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं इसी तरह मर्कज़े इस्लाम को अन्दुरूनी ख़ल्फ़शार से पाक रखना ऐन मसलिहत है। मुसलमानों का क़िब्ला बैतुल्लाहिल हराम है जबकि यहूदीयों और ईसाइयों का क़िब्ला बैतुल मक़्दिस है। क़बीला उस सिम्त का ताईन करता है जिस तरफ़ फ़िक्रो अक़ीदा का रूख़ होता है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - قَالَ قَالَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلاَدِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى إِنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ .

(3033) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) से रिवायत है कि जज़ीरतुल अरब से मुराद (वह इलाक़ा है) जो वादी अलक़ुरा से इन्तेहाए यमन तक और दूसरी जानिब हुदूदे इराक़ से लेकर समन्दर तक है।

(3033) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/208.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ قَدْ أَجْلَى عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ .

(3034) इमाम अबू दाऊद (रह.) (बसनद हारिस़ बिन मिस्कीन) बयान करते हैं कि इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया कि हज़रत उ़मर(ﷺ) ने अहले नजरान को जलावतन कर दिया लेकिन वह तैमा से नहीं निकाले गये क्योंकि ये अ़रब की हुदूद में नहीं है। और वादी (अलक़ुरा) के यहूदीयों को भी मेरा ख़याल है कि नहीं निकाला गया था क्योंकि उन्होंने उसे अ़रब का इलाक़ा न समझा।

इब्ने सरह की सनद से रिवायत है कि इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया: हज़रत उ़मर (ﷺ) ने नजरान और फ़दक के यहूद को जलावतन किया था। (क्योंकि ये इलाक़े जज़ीरतुल अ़रब में शुमार होते थे।)

(3034) तख़रीज : बैहक़ी: 9/209.

﴾29﴿ باب فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ

बाब : 29
इराक़ की ज़मीन और बज़ोर क़ूव्वत हासिल शुदा ज़मीनें वक़्फ़ करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا

(3035) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: '(एक वक़्त आने वाला है कि) इराक़ अपने (ख़राज के) क़फ़ीज़ और दिरहम रोक लेगा और शाम अपने मद्य और दीनार देने बंद कर देगा और मिस्र अपने इरदब और दीनारों की अदायगी रोक देगा और फिर तुम उधर ही

وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ " . قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ

लौट जाओगे जहां से इब्तेदा की थी।'
ज़ोहरी ने इसे तीन बार दोहरा कर कहा: इस पर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का गोश्त और ख़ून गवाह है।'
(3035) तख़रीज : मुस्लिम: 2896.

तौज़ीह : (1) (क़फ़ीज़) अहले इराक़ का ग़ल्ला भरने का पैमाना है जिसमें बारह स़ाअ आते हैं। (मुद्य) (मीम की पेश और दाल साकिन इसके बाद 'इय') अहले शाम का पैमाना है जिसमें साढ़े बाईस स़ाअ आते हैं। (इरदब) (हम्ज़ा की ज़ेर, रा साकीन, दाल पर ज़बर और बा मुशद्दद है) अहले मिस्र का पैमाना है जिसमें चौबीस स़ाअ आते हैं। **(2)** ये हदीस़ अलामाते नबूवत में से है जिसमें पहले तो ये ख़ुशख़बरी है कि ये इलाक़े मुसलमानों के क़ब्ज़े में आयेंगे और उनसे ग़नाइम और ख़राज हासिल होंगे। **(3)** और फिर एक वक़्त के बाद वह उसकी अदायगी रोक देंगे या तो मुतलक़न इन्कार कर देंगे या मुसलमान हो जायेंगे और ख़राज साक़ित हो जायेगा या मर्कज़े इस्लाम से टूट कर सब अलग अलग और मुस्तक़िल हो जायेंगे जैसा कि आजकल है। **(4)** 'फिर तुम उधर ही लौट जाओगे जहां से तुमने इब्तेदा की थी।' यानी अलग अलग आज़ाद और एक दूसरे से जुदा मुल्क बन जाओगे। जैसा कि इब्तेदाए इस्लाम में थे। (50 इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि मफ़तूहा ज़मीन लोगों की ज़ाती मिल्कियत की बजाये या मुजाहिदीन के दरम्यान तक़सीम करने की बजाये, बैतुलमाल की निगरानी में रहनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी से ममलिकते इस्लामी के पब्लिक की भलाई और मुजाहिदीन वग़ैरह के अख़राजात पूरे होते रहें। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने भी अपने दौरे ख़िलाफ़त में सवादे इराक़ की बाबत यही फ़ैस़ला किया था और उसे मुजाहिदीन में तक़सीम करने की बजाये इस्लामी ममलिकत की तहवील में रखा था ताकि उसकी आमदनी को हस्बे ज़रूरत व मस़लिहत इस्तेमाल कया जा सके, तमाम स़हाबा (ﷺ) ने हज़रत उ़मर (ﷺ) की इस तजवीज़ को तफ़्स़ीली मुशावरत के बाद बिल इज़्मा (सर्वसम्मति के साथ) क़बूल किया था इसलिए ये हुज्जत है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا

(3036) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस बस्ती में तुम आओ और वहां इक़ामत इख़्तियार कर लो तो उसमें तुम्हारा हिस्सा है (यानी जो सुलह से फ़तह हो तो फ़ै में तुम्हारा हिस्सा मारूफ़ है) और जो बस्ती अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे

وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ " .

तो उसका ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अल्लाह और उसके रसूल के लिये है, फिर ये तुम्हारे लिये है।'

(3036) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/317, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 10137, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा, हदीस : 139.

फ़ायदा : इस रिवायत से बज़ाहिर ये मफ़हूम समझ में आता है कि जंग के नतीजे में हासिल होने वाली ज़मीनें ख़ुमुस निकालने के बाद बतौर ग़नीमत मुजाहिदीन में तक़सीम की जायें और ऊपर इमाम अबू दाऊद (रह.) और हज़रत उमर (ﷺ) का मौक़िफ़ इसके बरअक्स बयान हूआ है। इसमें जमा व तत्बीक़ यही है जैसे कि इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है कि ऐसी ज़मीनों के बारे में उन सब मुसलमानों के इत्तेफ़ाक़ के बाद जिनमें ये ज़मीनें तक़सीम होनी हैं इमामुल मुस्लिमीन तसर्रूफ़ कर सकता है।

(30) بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

बाब : 30 जिज़्या लेने के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ .

(3037) जनाब आसिम बिन उमर (रह.) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरफ़ूअन और जनाब उस्मान बिन अबी सुलेमान (रह.) से मौक़ूफ़न रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (और कुछ दूसरे सहाब–ए किराम (ﷺ) को दूमा के बादशाह उकैदिर की तरफ़ रवाना किया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और (नबी (ﷺ) के पास) ले आये। तो आपने उसका ख़ून माफ़ कर दिया और जिज़्या की अदायगी पर सुलह कर ली।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/186.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मम्लिकते इस्लामिया अपनी ग़ैर मुस्लिम रिआया से एक टेक्स लेती है जो उनकी वहां सहूलत व रिहाइश और उनकी जानों, मालों और इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त करने के बदले में लिया जाता है। और वह सरहदों की हिफ़ाज़त और (दिफ़ा) क़िताल जैसी ज़िम्मेदारियों के मुकल्लफ़ नहीं होते। इसी टेक्स को जिज़्या कहा जाता है। क़ुर्आन करीम में इरशाद है: 'क़िताल करो उनसे जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न क़यामत को तस्लीम करते हैं और न अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम गरदानते हैं और न सच्चे दीन के ताबेअ होते हैं, यानी वह लोग जिन्हें किताब दी गयी (उनसे क़िताल करते रहो) यहाँ तक कि अपने हाथों से ज़लील होते हूए जिज़्या अदा करें।' (अत्तौबा: 29) मुसलमान सोसायटी की फ़ायदे के लिये ज़कात अदा करते हैं, ये एक ऐज़ाज़ है। ग़ैर मुस्लिम रिआया से ज़कात वसूल नहीं की जाती बल्कि उससे कम मिक़्दार (मात्रा) में जिज़्या वसूल किया जाता है। **(2)** उकैदिर दूमा ग़स्सानी अ़रब था और ये दलील है कि ग़ैर मुस्लिम अ़रब से भी जिज़्या लिया जाना ज़रूरी है जैसे कि अजमीयों से लिया जाता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .

(3038) हज़रत मुआ़ज़ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब उन्हें यमन की तरफ़ रवाना किया तो उनको हुक्म दिया कि हर बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर माफ़री कपड़ा वसूल करें। ये कपड़ा इसी इलाक़े में बुना जाता था।

(3038) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1576 में देखें, बैहक़ी: 9/193, इब्ने माजा, हदीस: 1804, नसाई, हदीस: 2455, तिर्मिज़ी, हदीस: 623.

फ़ायदा : ज़कात, फ़ितराना और दीगर शरई वाजिबात में हस्बे सहूलत ऐवज़ और बदल लेना देना जायज़ है जैसा कि यहां जिज़्या की रक़म के बदले कपड़ा ले लेने की रूख़सत दी गयी है। ताहम अस्हाबे हदीस की एक जमाअ़त असल जिन्स की अदायगी पर इसरार करती है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(3039) जनाब मसरूक़ ने बसनद हज़रत मुआ़ज़ (ﷺ) नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की।

(3039) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1576 में देखें, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لاَ يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ وَأَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ .

(3040) ज़्याद बिन हुदैर (रह.) से रिवायत है कि हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: अगर मैं ज़िन्दा रहा तो हर सूरत में बनू तग़लिब के ईसाइयों से सख़्त जंग करूंगा और उनकी औलादों को क़ैद करूंगा, बिलाशुब्हा उनके और नबी (ﷺ) के दरम्यान होने वाला मुआहिदा मैंने ही तहरीर किया था कि लोग अपनी औलादों को ईसाई नहीं बनायेंगे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस़ मुन्कर है। (यानी इन्तेहाई ज़ईफ़ है) इमाम अहमद (रह.) के मुताल्लिक़ मुझे मालूम हूआ है कि वह इस हदीस़ को मुन्कर तसव्वूर करते थे।

जनाब अबू अली (लूलूई) (रह.) कहते है कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दूसरी बार जब अपनी ये किताब तलबा के सामने पढ़ी तो इस हदीस़ की क़िराअत ही नहीं की थी।

(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। बनू तग़लिब अरब के क़बीले का नाम है और कुफ़्फ़ारे अरब से भी जिज़्या लेने का हुक्म है।

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَىْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ

(3041) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले नजरान से ये मुआहिदा किया था कि वह दो हज़ार हुल्ले (कपड़ों के जोड़े) अदा किया करेंगे। आधे माहे सफ़र में और आधे रजब में। इसके अलावा तीस ज़िरहें, तीस घोड़े, तीस ऊँट और हर क़िस्म का अस्लहा जो जंग में इस्तेमाल होता है तीस तीस की तादाद में आरयतन दिया करेंगे और मुसलमान उन

وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِينَ دِرْعًا وَثَلاَثِينَ فَرَسًا وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا وَثَلاَثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلاَ يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ وَلاَ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا نَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا.

चीज़ों के वापस करने तक उनके ज़ामिन होंगे। (ये आरयतन उस वक़्त ली जायेगी) जब यमन में कोई फ़साद या ग़दर हूआ (और उनकी ज़रूरत पड़ी) और (उनके साथ अहद था कि) उनका कोई माबद नहीं गिराया जायेगा, किसी पादरी को नहीं निकाला जायेगा और उनके दीन में कोई मुदाख़लत नहीं की जायेगी जब तक कि ये दीन में कोई नई बात न निकालें और सूद न खायें।

(रावी हदीस़) इस्माईल (बिन अब्दुर्रहमान क़ुरैशी सुद्दी) ने कहा: चुनांचे लोगों ने सूद खाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जब वह कोई शर्त तोड़ेंगे तो ये दीन में नई बात निकालना होगा।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/187, 195, 202.

«31» باب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

बाब : 31 मजूस (आतिश परस्तों) से जिज़्या लेने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ .

(3042) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि जब अहले फ़ारस का नबी फ़ौत हो गया तो इब्लीस ने उन्हें मजूसियत (आतिश परस्ती) पर लगा दिया।

(3042) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/192.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ये क़ौल दलील है कि ये लोग अस़ल में एक नबी की उम्मत थे बाद में शैतान ने उन्हें गुमराह किया। जब उन्होंने अपने दीन को बिल्कुल ही मस्ख़ कर दिया तो उनसे 'अहले किताब' होने का लक़ब भी उठा लिया गया।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلاَثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .

(3043) जनाब अबू शअ़सा (जाबिर बिन ज़ाइद (रह.) ने कहा: मैं जज़ा बिन मुआविया का कातिब (सैकेटरी) था। और ये जनाब अहनफ़ बिन क़ैस के चचा थे, (इस अस़ना में) हज़रत उमर (ﷺ) की शहादत से एक साल पहले हमारे पास इन (हज़रत उमर (ﷺ) का एक ख़त आया। उसमें था। हर जादूगर को क़त्ल कर दो और मजूसीयों में से जिस किसी ने अपनी महरम औरत से निकाह किया हो उनमें तफ़रीक़ करा दो और उन्हें (खाने के वक़्त) गुनगुनाने से मना कर दो। चुनांचे हमने एक दिन तीन जादूगरनियों को क़त्ल किया और किताबुल्लाह के मुताबिक़ जिस किसी ने अपनी महरम औरत से निकाह कर रखा था उनमें जुदाई करा दी। और (जज़ा बिन मुआविया ने) बहुत सा खाना तैयार करवाया और फिर उन्हें दावत दी और इस दौरान में तलवार अपनी रान पर रख ली। चुनांचे उन लोगों ने खाना खाया मगर गुनगुनाए नहीं। और उन लोगों ने एक ख़च्चर या दो ख़च्चरों के बोझ बराबर चाँदी इन (जजा बिन मुआविया) के सामने डाल दी और हज़रत उमर (ﷺ) मजूसियों से जिज़्या लेने के क़ाइल न थे यहाँ तक कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हजर के मजूसियों से जिज़्या लिया था।

(3043) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3156, 3157.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रह.) की गवाही के बाद हज़रत उमर (ﷺ) ने उनको ज़िम्मी क़रार देने की बात क़बूल फ़रमाई। अल्लामा अबू उबैद (रह.) फ़रमाते हैं कि अहले किताब से जिज़्या लेना कुर्आन मजीद की आयत से साबित है और मजूसीयों से जिज़्या लेना सुन्नत से साबित है। (नैलुल अवतार: 8/65)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَسْبَذِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ - وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ هَجَرَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيكُمْ قَالَ شَرٌّ . قُلْتُ مَهْ قَالَ الإِسْلاَمُ أَوِ الْقَتْلُ . قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أَنَا مِنَ الأَسْبَذِيِّ .

(3044) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि अहले बहरीन के अस्बज़ी लोगों का एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया, ये लोग अहले हजर के मजूसी थे, ये आदमी कई दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ठहरा रहा। फिर जब वापस होने लगा तो मैंने उससे पूछा: तुम्हारे बारे में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने क्या फ़ैसला किया है? उसने कहा: बहुत बुरा फ़ैसला। मैंने कहा: ख़ामोश (यानी अल्लाह व रसूल का फ़ैसला बुरा नहीं हो सकता) कहने लगा: (फ़ैसला ये है कि) या तो इस्लाम क़बूल कर लो या क़त्ल हो जाओ।

रावी ने कहा: हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे जिज़्या लेना क़बूल किया था।

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) की बात ले ली है और मेरी बात छोड़ दी है जो मैंने इस अस्बज़ी से सुनी थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/190.

मल्हूज़ : ये जिज़्या तमाम क़िस्म के ग़ैर मुस्लिम मुश्रिकों पर लागू होता था। चूंकि ये अहकाम फ़तहे मक्का के बाद नाज़िल हुए थे और इस अरसा में तमाम अहले अरब दायर–ए–इस्लाम में दाख़िल हो चुके थे इसलिए उनसे जिज़्या लेने के कोई मानी नहीं थे। तफ़्सील के लिये देखिए: (ज़ादुलमआद)

बाब : 32
जिज़्या लेने में सख़्ती करने का मसला

﴿32﴾ باب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا "

(3045) हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम(ﷺ) ने हिम्स के वाली को देखा कि उसने कई क़िब्तियों को जिज़्या अदा न कर सकने की पादाश में धूप में खड़ा किया हूआ था। उन्होंने कहा: ये क्या है? मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो लोग दुनिया में दूसरों को अज़ाब देते हैं अल्लाह तआला उन्हें अज़ाब देगा।'

(3045) तख़रीज : मुस्लिम: 2613.

फ़ायदा : माक़ूल वजह के बग़ैर किसी को सज़ा देना बहुत बड़ा गुनाह और ज़ुल्म है ख़्वाह वह ग़ैर मुस्लिम ही क्यों न हो। अगर वह टेक्स देने में माज़ूर हो तो उसको मुनासिब सहूलत दी जानी चाहिए। हाँ अगर उज़्र कोई न हो तो सज़ा दी जा सकती है, मगर वह भी जो मुनासिब हो।

बाब : 33
ग़ैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना माले तिजारत लेकर आयें जायें तो उनसे दसवाँ हिस्सा लिया जाये

﴿33﴾ باب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ

(3046) हरब बिन उबैदुल्लाह (रह.) अपने नाना (उमर सक़फ़ी) से और वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दसवाँ हिस्सा

(जिज़्या और टेक्स) यहूदीयों और ईसाइयों पर है और मुसलमान पर कोई दसवाँ नहीं है।'

(3046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3049 में देखें।

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ " .

(3047) हरब बिन उबैदुल्लाह (रह.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं और ऊपर की हदीस के हम मानी बयान किया और इस रिवायत में लफ़्ज़ (उशूर) की बजाये (ख़राज) है।

(3047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।, बैहक़ी, 9/199.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " خَرَاجٌ " . مَكَانَ " الْعُشُورُ " .

नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इन रिवायात में लफ़्ज़ (उशूर) ग़ालिबन मुशाबहत की वजह से इस्तेमाल किया गया है। वरना मुसलमानों की ज़रई आमदनी पर भी उश्र लगता है।

(3048) जनाब अता बक्र बिन वायल के एक आदमी से और वह अपने मामूं से नक़ल करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी क़ौम से दसवाँ हिस्सा लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'ये दसवाँ हिस्सा यहूदीयों और ईसाइयों पर है।'

(3048) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/474, बैहक़ी: 9/199.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعَشِّرُ قَوْمِي قَالَ " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " .

(3049) हरब बिन उबैदुल्लाह बिन उमैर सक़फ़ी अपने दादा से रिवायत करते हैं जो कि बनू तग़लिब से थे, उन्होंने कहा: मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और इस्लाम क़बूल किया, आप (ﷺ) ने मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ समझाया, और मुझे बताया कि मैं अपनी क़ौम के मुसलमानों से किस तरह से

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الإِسْلاَمَ وَعَلَّمَنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا عَلَّمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُهُ إِلاَّ الصَّدَقَةَ أَفَأُعَشِّرُهُمْ قَالَ " لاَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ " .

सदक़ा वसूल किया करूं। फिर मैं आपके पास दोबारा आया तो मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने जो कुछ तालीम फ़रमाई थी मैंने उसे याद कर लिया है सिवाए सदक़ा के, तो क्या मैं इनसे दसवाँ हिस्सा लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' दसवाँ हिस्सा तो ईसाइयों और यहूदीयों पर होता है।'

(3049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3046 में देखें, बैहक़ी, 9/199.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلاَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ " . قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ فَقَالَ "

(3050) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया सुलमी(ﷺ) से रिवायत है कि हम नबी (ﷺ) के साथ ख़ैबर में उतरे और आपके साथ दीगर सहाबा भी थे। ख़ैबर का रईस एक सरकश (और) नापसन्दीदा आदमी था। वह नबी (ﷺ) के पास आया और कहा: ऐ मुहम्मद! क्या तुम्हारे लिये जायज़ है कि हमारे गधों को ज़बह कर डालो, हमारे फल खा जाओ और हमारी औ़रतों को पीटो? तो नबी (ﷺ) (ये सुन कर) गुस्सा हूए और फ़रमाया: 'ऐ इब्ने औ़फ़! अपने घोड़े पर सवार हो और मुनादी कर दो कि ख़बरदार! जन्नत सिर्फ़ साहिबे ईमान ही के लिये हलाल है और ये कि नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ।' चुनांचे सहाब-ए-किराम (ﷺ) इकट्ठे हो गये तो आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई, फिर खड़े हूए और फ़रमाया: 'क्या तुममें से कोई अपने तख़्त पर तकिये पर टेक लगाये ये गुमान करता है कि अल्लाह तआ़ला ने सिर्फ़ वही कुछ हराम ठहराया है जो इस क़ुर्आन में है। ख़बरदार!

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلاَ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ "

बेशक मैंने अल्लाह की क़सम! ख़ूब वाज़ व नसीहत की है, कई बातों का हुक्म दिया है और कई बातों से मना किया है और मेरी बात बिलाशुब्हा क़ुर्आन ही की मिस्ल है या इससे बढ़ कर (मुफ़स्सिल) है, अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये हलाल नहीं किया कि बिला इजाज़त अहले किताब के घरों में दाख़िल हो जाओ या उनकी औरतों को मारो या उनके फल खा जाओ, जबकि वह तुम्हें अपने ज़िम्मे का वाजिब अदा कर रहे हों।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/204.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर सुन्नत के हुज्जत होने पर दलालत करती है, और यही मज़मून दीगर सही अहादीस़ से स़ाबित है। जैसे देखिए: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4604) और सबसे बढ़ कर ख़ूद क़ुर्आन मजीद की भी यही दावत है। जैसे: (अन निसा: 80), (अलअहज़ाब:71), (अन्नूर: 52), (आले इमरान: 32), (मुहम्मद:33), (अन निसा: 115), (अलहश्र: 7).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ " . قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ " فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ " .

(3051) जुहैना (क़बीले) के एक शख़्स़ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद कि तुम एक क़ौम से क़िताल करोगे और उन पर ग़ालिब आ जाओगे, तो वह अपनी जानें और अपनी औलादें बचाने के लिये अपने माल पेश करेंगे। सईद (बिन मनस़ूर) ने अपनी हदीस़ में ये इज़ाफ़ा बयान किया: 'फिर वह तुमसे मुस़ालिहत (समझौता) कर लेंगे।' फिर दोनों रावी हदीस़ के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं 'तो तुम उससे ज़्यादा लेने की कोशिश न करना क्योंकि ये तुम्हारे लिये जायज़ न होगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस़: 9/204, 205, अबी दाऊद, हदीस़: 2604.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(3052) सफ़वान बिन सुलैम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के कई सहाबा के बेटों से रिवायत की, वह अपने क़रीबी आबा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! जिस किसी ने किसी अहद वाले (ज़िम्मी) पर ज़ुल्म किया या उसकी तन्क़ीस की (यानी उसके हक़ में कमी की) या उसकी हिम्मत से बढ़ कर उसे किसी बात का मुकल्लफ़ किया या उसकी दिली रज़ामंदी के बग़ैर कोई चीज़ ली तो क़यामत के रोज़ मैं उसकी तरफ़ से झगड़ा करूंगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/205.

फ़ायदा : काफ़िर का काफ़िर होना अपनी जगह पर, मगर इंसानी हुक़ूक़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) मज़लूम की तरफ़ होंगे और उसको उसका हक़ दिलवायेंगे। किसी का मुसलमान हो जाना उसे किसी काफ़िर के इंसानी हुक़ूक़ ग़सब करने या उस पर ज़ुल्म करने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता।

﴿34﴾

باب فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

बाब : 34

कोई काफ़िर (ज़िम्मी) साल के दौरान में मुसलमान हो जाये तो क्या उस पर जिज़्या होगा?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ " .

(3053) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर जिज़्या नहीं।'

(3053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 633, हदीस: 3032 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .

(3054) जनाब सुफ़ियान सौरी (रह.) से इसकी वज़ाहत मालूम की गयी तो उन्होंने कहा: जब कोई शख़्स इस्लाम क़बूल कर ले तो उस पर जिज़्या नहीं।

(3054) तख़रीज : (सनद सही)

﴿35﴾ باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

बाब : 35
हाकिम का मुश्रिकों से हदिया क़बूल करना

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ لَقِيتُ بِلاَلاً مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَىْءٌ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ حَتَّى اعْتَرَضَنِي

(3055) जनाब अ़ब्दुल्लाह हौज़नी कहते हैं कि मैंने हल्ब में रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल (ﷺ) से मुलाक़ात की और पूछा: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के अख़राजात के बारे में बतायें कि उनकी क्या कैफ़ियत थी? उन्होंने कहा: आप (ﷺ) के पास जो कुछ होता वह मेरे सुपुर्द होता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअ़सत से लेकर वफ़ात तक मैं ही उनका मुतसर्रिफ़ रहा। आप (ﷺ) का मामूल था कि जब कोई मुसलमान आदमी आपके पास आता और आप उसे देखते कि उसके पास कपड़ा नहीं है तो आप मुझे इरशाद फ़रमाते, मैं जाता, कहीं से क़र्ज़ लेता और उसे चादर लेकर औढ़ा देता और खाना खिलाता यहाँ तक कि मुझे मुश्रिकों में से एक आदमी मिला उसने कहा: बिलाल! मेरे पास वुसअ़त है, पस जब क़र्ज़ लेना हो तो मुझ ही से ले लिया करो। चुनांचे

رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ يَا بِلاَلُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلاَ تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مِنِّي فَفَعَلْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لأُؤَذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ يَا حَبَشِيُّ . قُلْتُ يَا لَبَّاهُ . فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلاً غَلِيظًا وَقَالَ لِي أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيبٌ . قَالَ إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي وَلاَ عِنْدِي وَهُوَ فَاضِحِي فَأْذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْضِ هَؤُلاَءِ الأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى

मैंने ऐसा ही किया। सो एक दिन मैंने वज़ू किया कि नमाज़ के लिये अज़ान कहूं, देखा कि वह मुश्रिक अपने कई ताजिर साथियों के साथ आ रहा है। ज्यों ही उसने मुझे देखा तो बोला: ओ हब्शी! मैंने कहा: अरे हाज़िर हूं और वह मुझे बड़े बुरे चेहरे के साथ मिला और बड़ी सख़्त बातें कीं। उसने कहा: मालूम भी है कि महीने में कितने दिन बाक़ी हैं? मैंने कहा: क़रीब ही है। उसने कहा: सिर्फ़ चार दिन बाक़ी है। फिर मैं तुम्हें अपने माल के बदले पकड़ ले जाऊंगा और बकरियाँ चराने पर लगा दूंगा जैसे कि तू पहले चराया करता था, मुझे उससे बहुत ग़म हूआ जैसे कि इंसानों को होता है यहाँ तक कि जब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर वालों में तशरीफ़ ले गये, तो मैंने मुलाक़ात के लिये इजाज़त तलब की, आपने इजाज़त दी, तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! वह मुश्रिक जिससे मैं क़र्ज़ लिया करता था उसने मुझे इस इस तरह कहा है। और अदायगी के लिये न आपके पास कुछ है और न मेरे पास, और वह मुझे रूस्वा करने पर आमादा है। तो आप मुझे इजाज़त दें कि किसी मुसलमान क़बीले वालों के यहां भाग जाऊं, यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने रसूल (ﷺ) को कुछ इनायत फ़रमा दे जिससे मेरा क़र्ज़ अदा हो जाये। चुनांचे मैं आपके यहां से निकल कर अपने घर

يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم مَا يَقْضِي عَنِّي فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو يَا بِلاَلُ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الأَرْبَعَ " . فَقُلْتُ بَلَى . فَقَالَ " إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ " . فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ " مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ " . قُلْتُ قَدْ قَضَى

आया। मैंने अपनी तलवार, थैला, जूता और ढाल अपने सर के पास रख लिये। यहाँ तक कि जब पहली फ़र्ज (काज़िब) तुलूअ हूई तो मैंने निकल जाने का इरादा किया, पस अचानक एक आदमी भागता हूआ मेरे पास आया, उसने कहा: बिलाल! रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां पहुँचो। मैं चला और आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। मैंने देखा कि चार ऊँटनियाँ बैठी हैं और उन पर बोझ लदे हूए हैं। मैंने इजाज़त तलब की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़ूश हो जा! अल्लाह तआला ने तेरे क़र्ज़े की अदायगी का सामान भेज दिया है।' फिर फ़रमाया: 'क्या तूने चार ऊँटनियाँ बैठी देखी हैं?' मैंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'ये ऊँटनियाँ और जो उन पर है वह सब तेरा है। उन पर कपड़े हैं और खाने का सामान भी है। ये मुझे फ़दक के सरदार ने हदिया भेजा है। इन्हें ले ले और अपना क़र्ज़ा अदा कर।' (हज़रत बिलाल (رضی اللہ عنہ) कहते हैं) चुनांचे मैंने ऐसे ही किया ... और हदीस़ बयान की ... फिर मैं मस्जिद की जानिब चल पड़ा। नबी (ﷺ) भी मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने सलाम अ़र्ज़ किया। तो आपने पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे मिला है?' मैंने अ़र्ज़ किया: अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) पर जो क़र्ज़ा था सब अदा करवा दिया है और कुछ बाक़ी नहीं रहा। आपने पूछा: 'क्या कोई माल बचा भी है?' मैंने

اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ . قَالَ " أَفَضَلَ شَيْءٌ " . قُلْتُ نَعَمْ قَالَ " انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ " . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ دَعَانِي فَقَالَ " مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ " . قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ . فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ - يَعْنِي مِنَ الْغَدِ - دَعَانِي قَالَ " مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ " . قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ .

कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'देखो! मुझे इसकी तरफ़ से राहत पहुँचाओ, मैं उस वक़्त तक अपने किसी अहल के पास नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे उसकी तरफ़ से राहत नहीं दे देते।' (तक़सीम नहीं कर देते) पस जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा पढ़ी तो मुझे बुलाया और पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे हासिल हूआ है?' मैंने अर्ज़ किया: वह मेरे ही पास है, हमारे पास कोई (ज़रूरतमंद) नहीं आया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात मस्जिद में गुज़ारी। और पूरी हदीस़ बयान की। यहाँ तक कि जब अगले दिन इशा की नमाज़ पढ़ चुके तो मुझे बुलाया और पूछा: 'उस माल का क्या बना जो तुझे मिला है?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह ने आपको उससे राहत अता कर दी है। (ज़रूरतमंद ले गये हैं) तो आप (ﷺ) ने अल्लाहु अकबर कहा और अल्लाह की हम्द व स़ना बयान की, आप को अन्देशा था कि कहीं इस हालत में मौत न आ जाये जब कि वह माल आपके पास मौजूद हो। फिर मैं आपके पीछे पीछे चला यहाँ तक कि आप अपनी बीवियों के पास गये और हर एक को अस्सलामुअलैकुम कहा यहाँ तक कि उस घर में तशरीफ़ ले गये जहां आपको रात गुज़ारनी थी। तो ये थी वह हालत, जिसका तूने मुझसे सवाल किया है।

(3055) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/210, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2537.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुश्रिकीन और अहले किताब से हदिया क़बूल किये जा सकते हैं बशर्ते कि उसमें कोई दीनी और सियासी नुक़्सान न हो। (2) मुश्रिकीन से हदिया का तबादला उस वक़्त ममनूअ होगा जब उससे दिल की गहरी मोहब्बत का इज़हार हो जो सिर्फ़ अल्लाह, रसूल और मोमिनीन के साथ ख़ास है। अलबत्ता अगर माँ बाप मुश्रिक हैं तो उनके साथ हुस्ने सलूक ज़रूरी है और अगर किसी मुश्रिक को इस्लाम की तरफ़ मायल करने में हदिया या तोहफ़ा मुफ़ीद नज़र आये तो सही होगा। (3) इमाम अबू दाऊद (रह.) की तरह दीगर मोहद्दिसीन भी मुश्रिकीन के हवाले से बाब बाँध कर नीचे अहले किताब की अहादीस लाये हैं। इसकी वजह ये है कि तमाम अहकाम में दोनों यकसां हैं सिवाए उन मामलात के जहां अलग किया गया है। अहले किताब का और लोगों से अलग करने का मामला औरतों के साथ मुसलमानों के निकाह और हलाल खाने के बारे में है। (4) जो अल्लाह पर तवक्कल करे अल्लाह ख़ूद उसका कफ़ील हो जाता है। (5) रसूलुल्लाह (ﷺ) दुनिया का माल जमा करने के लिये क़तअन राज़ी नहीं थे। अफ़रादे उम्मत के लिये ये अमल (यानी सब ख़र्च कर देना) इसी सूरत में जायज़ हो सकता है जब वह उसके माबाद नताइज पर बरज़ा व रग़बत क़ानेअ और मुतमइन हों। वरना माले हलाल अल्लाह की एक क़ाबिले क़द्र नेमत है, तो चाहिए कि इंसान अपनी जान पर ख़र्च करे, अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात पूरी करे और सदक़ात भी दे।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، بِمَعْنَى إِسْنَادِ أَبِي تَوْبَةَ وَحَدِيثِهِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " مَا يَقْضِي عَنِّي " . فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَمَزْتُهَا .

(3056) महमूद बिन ख़ालिद ने मरवान बिन मुहम्मद से, उन्होंने मुआविया बिन सलाम से रिवायत किया। और ऊपर बयान की गई हदीस के हम मानी बयान किया। और जहां ये आया है कि (मा यक़ज़ी अन्नी ...) 'मैं भाग जाता हूं और मुसलमान क़बाइल के पास चला जाता हूं यहाँ तक कि अल्लाह अपने रसूल को कुछ इनायत फ़रमा दे जिससे मेरा क़र्ज़ा अदा हो जाये।' (इस रिवायत में है कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझ से ख़ामोश हो रहे और मुझे इससे बड़ी गिरानी हुई।

(3056) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً فَقَالَ " أَسْلَمْتَ " . فَقُلْتُ لاَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ " .

(3057) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (ﷺ) से मरवी है वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में बतौर हदिया एक ऊँटनी पेश की तो आपने पूछा: 'क्या तुमने इस्लाम क़बूल कर लिया है?' मैंने कहा: नहीं तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे मुश्रिकीन के अ़ताया क़बूल करने से रोका गया है।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 1577, मुसनद अत्तयालिसी: 1083, इब्ने जारूद: 1110, मुसनद अहमद : 3/402, हाकिम: 3/484, 485.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि हदिया लेना देना दिलों में कुरबत और मोहब्बत पैदा करता है, इसलिए काफ़िरों और मुश्रिकों से आज़ादाना तोर पर हदिये के तबादले से परहेज़ करना चाहिए। ताहम जहां कोई शरई और सियासी मसलिहत हो तो हदिया लेने में कोई हर्ज नहीं, जैसे कोई काफ़िर मुसलमानों के लिये अपने ख़ाकसारी व मिलनसारी का इज़हार करना चाहता हो या उम्मीद हो कि उसके साथ मुवानसत से वह इस्लाम के क़रीब होगा या इस्लाम ले आयेगा वग़ैरह। इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही अलबुख़ारी में यही साबित किया है। **(2)** हज़रत इयाज़ बिन हिमार (ﷺ) से हदिया क़बूल न करने की वजह ये मालूम होती है कि उन्हें इस्लाम लाने पर उभारना मक़सूद था। आप (ﷺ) ने उकैदिर दूमा और नजाशी का हदिया क़बूल किया है। क्योंकि उनके ईमान लाने की क़वी उम्मीद थी। **(3)** हज़रत इयाज़ बिन हिमार (ﷺ) ने बाद में इस्लाम क़बूल कर लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सोहबत इख़्तियार की।

﴾36﴿ بَابٌ فِي إِقْطَاعِ الأَرَضِينَ

बाब : 36 ज़मीन के क़तआ़त (कुछ हिस्से) अ़ता करना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا

(3058) हज़रत अ़लक़मा बिन वायल अपने वालिद (हज़रत वायल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़र मौत के इलाक़े में एक क़तअ़-ए-ज़मीन (जमीन का टुकड़ा) उन्हें अ़ता फ़रमाया।

(3058) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1381.

بِحَضْرَمَوْتَ.

फ़ायदा : इमामुल मुस्लिमीन या ख़लीफ़ा ग़ैर मम्लूका ग़ैर आबाद ज़मीनों में से कोई क़तअ किसी को अता कर दे तो उस ज़मीन को आबाद करने का हक़ उस शख़्स को दूसरों से ज़्यादा होगा। इसका ये भी मफ़हूम लिया गया है कि कोई क़तअ ए ज़मीन एक ख़ास मुद्दत तक के लिये किसी को अता कर दिया जाये कि वह उसकी आमदनी हासिल कर सके। इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ बंजर ज़मीन ही में से कोई क़तअ किसी को दिया जा सकता है। (फ़तहुल बारी: 5/60)

- ये एक तरह से आबाद कारी का प्रोग्राम है जिसमें उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनकी कोई ख़ास ख़िदमात हों, जिस तरह अंसार को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बहरीन की ज़मीन देनी चाही। इस पर अंसार ने कहा कि इतनी ही ज़मीन अगर उनके भाई मुहाजिरीन को भी दी जाये तो वह बहरीन के क़तआत क़बूल करेंगे। ये जज़्बा–ए–ईसार देख कर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कुछ अर्सा बाद तुम ये देखोगे कि लोग अपने आप को दूसरों पर तर्जीह दे रहे होंगे, तो तुम उस पर सब्र करना यहां तक कि हौज़ पर मुझ से मिलो। (सही बुख़ारी, हदीस: 2376) (असरतुन) अपने लिये चुनना और (ईसार) दूसरों के लिये चुनना है। बाज़ औक़ात किसी मुस्तहिक़ को कोई क़तआ ज़मीन अता किया जाता था। उनकी मज़ीद मिसालें सुनन अबू दाऊद की आइन्दा अहादीस में सामने आयेगी। ये बाद के जागीरदारी निज़ाम से मुख़्तलिफ़ है जिसमें अच्छी और आबाद ज़मीन लोगों की फ़रमांबरदारियाँ ख़रीदने के लिये दी जाती थीं और जागीरों के साथ उस इलाक़े में रहने वाले इंसानों को भी जागीरदारों का ममलूक और गुलाम बना दिया जाता था।
- इस्लाम में इस ग़र्ज़ से जागीरें देने का भी कोई तसव्वुर मौजूद नहीं कि उनकी आमदनी के ज़रिये से लश्कर खड़े किये जायें और तलब के वक़्त बादशाह वग़ैरह को पेश किये जायें। क्योंकि इस्लामी फ़ौज बुनियादी तौर पर फ़रीज़–ए–जिहाद की अदायगी के लिये मुनज़्ज़म होती है। अलबत्ता ग़नाइम के तौर पर जो ज़मीनें हासिल हों उन्हें ख़ुमुस निकालेने के बाद तक़सीम किया जा सकता है। इससे जागीरदारी निज़ाम वजूद में नहीं आता, क्योंकि ये सब के हिस्से में आती हैं और छोटे छोटे कित्ओं पर मुश्तमिल होती हैं। इस तक़सीम में सिपासालार और तमाम सिपाही मसावी होते हैं। किसी सालार को उसकी ख़िदमात के ऐवज़ बड़ी बड़ी जागीर भी देने की कोई गुंजाइश नहीं।
- उमवी बादशाहत में जागीरें दी जाने लगीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) ने अपनी आबाई जागीर समेत ऐसी सब जागीरें मन्सूख़ कर दीं। बाद में ये ख़राबी फिर से शुरू हो गयी लेकिन इस्लामी अहकाम पर अमल करने वाले हुकमरान इससे दूर रहे, ऐसे हुकमरानों में सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम भी शामिल है जो महज़ मामूली सी तनख़्वाह पर गुज़ारा करने की वजह से हमेशा मक़रूज़ रहते थे।

(3059) जामेअ बिन मतर ने अलक़मा बिन वाइल से ऊपर दी गई सनद से इसी के मिस्ल बयान किया।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

(3060) हज़रत अम्र बिन हुरैस (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा में मुझे एक घर इनायत फ़रमाया जिसे आपने अपनी क़ौस से नापा और फ़रमाया था: 'मैं तुझे और भी दूंगा, और भी दूंगा।'

(3060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला: 3/45, हदीस: 1464.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ " أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ " .

(3061) जनाब रबीया बिन अबी अब्दुर्रहमान कई एक से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी (ﷺ) को फुरअ के अतराफ़ में मुक़ामे क़बल की कानीस अता फ़रमाई थी। उन कानों से आज तक सिवाए ज़कात के और कुछ नहीं लिया जाता।

(3061) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/151, मौता: 1/248, 249, इब्ने जारूद, हदीस: 371, हाकिम: 1/404 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ .

फ़ायदा : हज़रत बिलाल बिन हारिस (ﷺ) को मआदिन (कानों) का दिया जाना साबित है जैसे कि आगे आ रहा है, मगर इसमें ज़कात लेने का जो ज़िक्र है, उसकी बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि वह सही नहीं है। (अरवा अलग़लील: 3/311, 312, हदीस: 730)

(3062) कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ मुज़नी अपने वालिद (अब्दुल्लाह) से वह उसके दादा (अम्र बिन औफ़) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ، قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا - وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا - وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا " . وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ " جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا " . " وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ " . قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

हज़रत बिलाल बिन हारिस़ मुज़नी (ﷺ) को मुक़ामे क़बल की कानें इनायत फ़रमाई थीं, उनकी बालाई जानिब, नीचे की जानिब और क़ुद्स पहाड़ के अ़तराफ़ जहां काश्त हो सकती है।

(अ़ब्बास के अ़लावा बाक़ी रावियों ने (जलसियहा व ग़ौरिय्यहा) की बजाये (जल्सहा व ग़ौरहा) के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं इनके मानी भी वही हैं) किसी दूसरे मुसलमान का हक़ उन्हें नहीं दिया था। नबी (ﷺ) ने उन्हें ये तहरीर दी थी : 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वह अ़तिया है जो अल्लाह के रसूल मुहम्मद (ﷺ) ने बिलाल बिन हारिस़ मुज़नी को दिया है। इसे मुक़ाम क़बल की कानें, उनके बालाई और ज़ेरीं हिस्से और क़ुद्स पहाड़ के अ़तराफ़ जहां काश्त हो सकती है, इसे अ़ता की हैं और किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं दिया है।'

अबू उवैस ने कहा: मुझे स़ौर बिन ज़ैद ने बवास्ता इकरमा हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से इसी के मिस्ल (तरह) रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/306.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ سَمِعْتُ الْحُنَيْنِيَّ، قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ

(3063) (इस्हाक़ बिन इब्राहीम) अलहुनैनी (रह.) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) का ख़त (बिलाल बिन हारिस़ की) जागीर के मुताल्लिक़ कई बार पढ़ा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें कई एक ने हुसैन बिन मुहम्मद से हदीस़ सुनाई, उन्होंने कहा:

مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا - قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ . وَلَمْ يُعْطِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ " . قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ زَادَ ابْنُ النَّضْرِ وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ .

हमें अबू उवैस ने ख़बर दी, उसने कहा: मुझे कसीर बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपने वालिद से और उन्होंने उसके दादा से, हदीस़ बयान की है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत बिलाल बिन हारिस़ मुज़नी (ﷺ) को मुक़ामे क़बल की ख़ानें उनकी बालाई और नीचे की जानिब ... रावी हदीस़ इब्ने नज़र ने मुक़ामे जरीस और ज़ातुन नुसुब का भी ज़िक्र किया ... और जबले कुद्स की वह ज़मीन जो काश्त के क़ाबिल है, वह सब उन्हें दीं और उन्हें किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे ये तहरीर इनायत फ़रमाई: 'ये वह अ़तिया है जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने बिलाल बिन हारिस़ मुज़नी को इनायत फ़रमाया है। इसे मक़ामे क़बल की ख़ानें उनकी बालाई जानिब, नीचे की जानिब और कुद्स पहाड़ की ज़मीन जो क़ाबिले काश्त है अ़ता की हैं, किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं दिया है।

अबू उवैस ने कहा: मुझे स़ोर बिन ज़ैद ने बवास्ता इक्रिमा, हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ की मिस्ल रिवायत किया।

(3063) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/151.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ، عَنْ

(3064) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं एक वफ़द लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे नमक की खान बतौर जागीर तलब की जो आपने दे दी।

... इब्ने मुतवक्किल कहते हैं वह खान मारिब

سُمَىٌّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ - عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ - فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ . قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَالَ " مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ " . وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ " أَخْفَافُ الإِبِلِ "

मक़ाम पर थी ... जब मैंने पुश्त फेरी तो मज्लिस में से एक आदमी ने कहा: क्या आपको मालूम है कि आपने उसे क्या दे दिया है, आपने उसे न ख़त्म होने वाला दाइमी पानी दे दिया है। चुनांचे आप (ﷺ) ने उसे वापस ले लिया। फिर मैंने सवाल किया कि पीलू के कौन से दरख़्त घेरे जायें? (अपने क़ब्ज़े में लिये जा सकते हैं) आपने फ़रमाया: 'वह जिन्हें ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों।' (आबादी से काफ़ी दूर हों)

(3064) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1380, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1140, 1142.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल किया गया है कि ऐसी खानें जिनके मुनाफ़े ज़ाहिर हों और आम लोगों से मुताल्लिक़ हों वह किसी की ख़ास़ मिल्कियत में नहीं देनी चाहिए, बख़िलाफ़ उनके जिन्हें मेहनत और मशक़्क़त से निकाला जाता है। **(2)** इमाम को हक़ है कि अतिया देकर वापस ले ले। **(3)** क़ाज़ी का अपने फ़ैसले से रूजूअ कर लेना कोई मायूब नहीं। **(4)** इमाम और क़ाज़ी के साथियों को चाहिए कि जो उमूर व नुकात उनके सामने वाज़ेह न हों उनसे उन्हें ख़बरदार कर दिया करें।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ " مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ " يَعْنِي أَنَّ الإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ .

(3065) जनाब मुहम्मद बिन हसन मख़्ज़ूमी (रह.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान: 'वह जहाँ ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों।' से मुराद ये है कि आम चरते हूए ऊँट उन दरख़्तों से, जहां तक कि उनके मुँह पहुँचते हैं, खाते हैं, तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो, अलबत्ता उनसे ऊपर को तुम अपनी मिल्कियत में ले सकते हो।

(3065) तख़रीज : (सनद स़ही)

(3066) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (रह.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीलू के दरख़्तों को घेरने (अपने क़ब्ज़े में लेने) के मुताल्लिक़ पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'प्रीलू के दरख़्तों को घेरा नहीं जा सकता।' (दूसरों को उनसे मना नहीं किया जा सकता) उसने कहा कि वह दरख़्त जो मेरी ज़मीन के एहाते में आते हों? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पीलू के दरख़्तों को घेरा नहीं जा सकता।' रावी ए हदीस़ फ़रज (बिन सईद) ने (हिज़ारी) के मानी ये बताये हैं कि वह ज़मीन जिस में खेती हो और उसके गिर्द एहाता भी हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ " . فَقَالَ أَرَاكَةً فِي حِظَارِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ " . قَالَ فَرَجٌ يَعْنِي بِحِظَارِي الأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا .

(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 3028 में देखें, दारमी, हदीस़: 2614, इब्ने माजा, हदीस़: 2475.

फ़ायदा : ऐसी ज़मीनें जो पहले बे आबाद हों और हुकूमते इस्लामिया ने किसी को दे दी हों या बे आबाद ज़मीन को किसी ने ख़ूद से आबाद किया हो और उसका मालिक बन गया हो तो पहले से मौजूद दरख़्तों से आम लोगों को रोकना जायज़ नहीं और ऐसे ही जो ख़ूदरू हों जिसे कि झाड़ियाँ वग़ैरह होती हैं या ख़ूदरू घास। उससे ज़रूरतमंदों को रोकना अख़लाक़न भी दुरूस्त नहीं, लेकिन जिसे मालिक ने ख़ूद काश्त किया हो, उससे रोकने का उसे हक़ है।

(3067) हज़रत स़ख़र (बिन ऐला, अबू हाज़िम हुज़ली) (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू स़क़ीफ़ से जिहाद किया, तो स़ख़र ने जब ये सुना तो अपने शहवार लेकर नबी (ﷺ) की मदद के लिये निकल खड़ा हूआ। मगर जब वहां पहुँचा तो नबी (ﷺ) उसे फ़तह किये बग़ैर ही वापस जा चुके थे। तो स़ख़र ने उस दिन अल्लाह के साथ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ عُمَرُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، صَخْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا

ثَقِيفًا فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ يَوْمَئِذٍ عَهْدَ اللَّهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لاَ يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا " . وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ . فَدَعَاهُ فَقَالَ " يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ

ये अ़हद किया और अपने ज़िम्मे लिया कि जब तक ये लोग अल्लाह के रसूल (ﷺ) का हुक्म नहीं मान लेते उस वक़्त तक वह इस क़िले को नहीं छोड़ेगा। चुनांचे ऐसे ही हूआ और उन्हें न छोड़ा यहाँ तक कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला मानने पर मजबूर हो गये। चुनांचे स़ख़्र ने ये ख़बर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ लिख भेजी: हम्द व स़लात के बाद, ऐ अल्लाह के रसूल! बनू स़क़ीफ़ ने आपका फ़ैसला क़बूल कर लिया है और मैं उनकी तरफ़ जा रहा हूं और ये अपने शहसवारों के साथ हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐलान करवाया कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। फिर आपने (स़ख़्र की क़ौम) अहमस के लिये दस दुआयें फ़रमाईं: ऐ अल्लाह! अहमस के शहसवारों और उसके प्यादों को बरकत दे।' फिर वह क़ौम नबी (ﷺ) के पास गई और मुग़ीरा बिन शोबा (स़क़फ़ी) ने आपसे बात की और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! स़ख़्र ने मेरी फूफी को पकड़ लिया है, हालांकि वह इस (अ़हद) में दाख़िल हो चुकी है जिसमें मुसलमान दाख़िल हूए हैं (यानी मुसलमान हो चुकी है) पस आपने उसे बुलवाया और फ़रमाया: 'ऐ स़ख़्र! कोई क़ौम जब मुसलमान हो जाये तो वह अपनी जान और अपने अमवाल महफ़ूज़ बना लेती है, लिहाज़ा मुग़ीरा को उसकी फूफी वापस कर दो।' चुनांचे उसने उसे वापस कर

عَمَّتَهُ " . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ . فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي . قَالَ " نَعَمْ " . فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ - يَعْنِي السُّلَمِيِّينَ - فَأَتَوْا صَخْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَبَى فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا . فَأَتَاهُ فَقَالَ " يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ " . قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ.

दिया। स़ख़्र ने नबी (ﷺ) से बनू सुलैम के पानी का सवाल किया, वह इस्लाम क़बूल करने से भाग गये थे और अपना चश्मा छोड़ गये थे? उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे और मेरी क़ौम को वहां नुज़ूल (उतर कर उसे अपनी तहवील में लेने) की इजाज़त दें। आपने फ़रमाया: 'हाँ'। और उसे वहाँ उतरने की इजाज़त दे दी। और फिर बनू सुलैम वाले इस्लाम ले आये और स़ख़्र के पास आये और मुतालबा किया कि हमारा चश्मा वापस कर दो तो उसने इंकार कर दिया। वह लोग नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे, और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! हमने इस्लाम क़बूल कर लिया है और हम स़ख़्र के पास गये हैं कि हमारा चश्मा हमें वापस कर दे मगर उसने इंकार कर दिया है। फिर आप (ﷺ) ने स़ख़्र को बुलाया तो उससे फ़रमाया: 'ऐ स़ख़्र! कोई क़ौम जब मुसलमान हो जाये तो वह अपने अमवाल और अपनी जानें महफ़ूज़ कर लेती है। तुम क़ौम को उनका चश्मा वापस कर दो।' उसने कहा। बहुत अच्छा, ऐ अल्लाह के नबी (स़ख़्र कहते हैं कि उस वक़्त) मैंने देखा कि नबी (ﷺ) का चेहरा मुबारक हया की वजह से सुर्ख़ हो गया था कि उससे लौण्डी ले ली गई और चश्मा भी (हालांकि उसने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुँचाया था)

(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस़: 1681, बैहक़ी, 9/114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इसमें जो मसला बयान हूआ है, वह दीगर सही रिवायात से साबित है, यानी कोई हरबी (जिससे जंग हो) मुसलमान हो जाये तो उसकी जान, माल और आबरू महफ़ूज़ हो जाती है। **(2)** कोई हरबी मुक़ाबले से भाग जाये और बाद में मुसलमान हो कर हाज़िर हो जाये तो उसका माल ज़ब्त नहीं किया जायेगा। (नैलुल अवतार: 8/13)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاَثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ " مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ " . فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ . فَقَالَ " قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ " . فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ كُلِّهِ .

(3068) सबरा बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज बिन रबीअ़ जुहनी अपने वालिद से वह उनके दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने (उनके इलाक़े में) एक बड़े दरख़्त के नीचे पड़ाव किया जहां अब मस्जिद है। आप वहां तीन दिन ठहरे, फिर वहां से तबूक की तरफ़ रवाना हूए। और जुहैना क़बीला के लोगों ने आपसे एक खुले मैदान में मुलाक़ात की थी। आपने उनसे पूछा: 'ज़ि मरवा' मक़ाम में कौन लोग मुक़ीम हैं?' उन्होंने कहा: जुहैना का ख़ानदान बनू रफ़ाआ यहाँ रहता है। आपने फ़रमाया: 'ये ज़मीन में बनू रफ़ाआ के नाम करता हूं।' चुनांचे उन लोगों ने वह (ज़मीन) आपस में बाँट ली। उनमें से किसी ने बेच दी, किसी ने रख ली और उसमें मेहनत मशक़्क़त (काश्त कारी वग़ैरह) करने लगे। (इब्ने वहब कहते हैं कि) फिर मैंने सबरा के वालिद अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से इस हदीस़ के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा बयान किया और पूरी हदीस़ बयान नहीं की।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/149.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،

(3069) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (उनके शौहर) ज़ुबैर (बिन अ़व्वाम) (ﷺ)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلاً .

को खजूर का एक बाग़ इनायत फ़रमाया था।

(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5224, व मुस्लिम: 2182.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتَاىَ، صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيبَتَىْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ، قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ تَقَدَّمَ صَاحِبِي - تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ - فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لاَ يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ . فَقَالَ " اكْتُبْ لَهُ يَا غُلاَمُ بِالدَّهْنَاءِ " . فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ

(3070) जनाब अब्दुल्लाह बिन हस्सान अंबरी (रह.) कहते हैं कि मुझे मेरी दादी और नानी ने बयान किया जिनका नाम सफ़िया और दुहैबा था और ये दोनों उलैबा की बेटियाँ ... और क़ैला बिन्ते मख़रमा की ले पालक थी। जो (क़ैला) उन दोनों के बाप की दादी थी ... उसने उन दोनों को बताया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और मेरे साथी हुरैस बिन हस्सान जो क़बीला बक्र बिन वाइल का भेजा हूआ था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आगे बढ़ा। और अपनी क़ौम की तरफ़ से इस्लाम पर बैत की। फिर उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे और बनू तमीम के दरम्यान दहना का इलाक़ा (बतौर सरहद) लिख दीजिए कि उससे आगे उनकी तरफ़ से हमारी तरफ़ कोई न बढ़े, सिवाए उसके कि कोई मुसाफ़िर हो या कोई आगे जाने वाला हो। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ लड़के! इसे दहना का इलाक़ा लिख दो।' (क़ैला ने बयान किया कि) जब मैंने देखा कि आप उसको ये इलाक़ा लिख कर दे रहे हैं तो उससे मुझे बेहद परेशानी हूई (क्योंकि) वह मेरा वतन है और मेरा घर भी वही है। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने आपसे दरम्यानी (मामूली) क़िस्म की ज़मीन का

الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ " أَمْسِكْ يَا غُلاَمُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفُتَّانِ " .

सवाल नहीं किया है (बल्कि उम्दा और नफ़ीस ज़मीन तलब की है) ये दहना ऊँट बाँधने की जगह है (कि ऊँट वहां से निकलते ही नहीं या निकाले नहीं जाते। क्योंकि ये बहुत सरसब्ज़ है) और बकरियों की चरागाह है। और बनू तमीम की औरतें और उनके बच्चे उनके पीछे (मुक़ीम) हैं। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ लड़के! रूक जाओ, इस मिस्कीन औरत ने सच कहा है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, पानी और दरख़्त सब के फ़ायदे के लिये हैं, फ़ितना परवर लोगों के मुक़ाबले में इन्हें एक दूसरे के साथ तआवुन करना चाहिए।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी हदीस: 2814.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है और ये पिछली अहादीस में वाज़ेह हो चुका है कि कोई ऐसी जागीर जिसका फ़ायदा और नफ़ा आम मुसलमानों से मुताल्लिक़ हो, उसे किसी एक के लिये ख़ास नहीं किया जा सकता।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا، سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا، عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا، أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ " مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ " . قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ .

(3071) हज़रत असमर बिन मुज़र्रिस (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे बैत की, तो आपने फ़रमाया: 'जो किसी पानी (कूएँ, चश्मे या तालाब) पर पहले पहुँच जाये और कोई मुसलमान उससे पहले उस तक न पहुँचा हो तो वह उसी का हूआ।' रावी बयान करते हैं कि लोग दौड़ते हूए निकले और निशान लगाते जाते थे।

(3071) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी, हदीस: 1/280, हदीस: 814, अलमुख़्तारा: 4/227, 228, हदीस: 1434.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर सही अहादीस़ की रोशनी में बन्ज़र और बे आबाद इलाक़ों की आबाद कारी की इजाज़त सब के लिये मसावी है, मगर ये कि इमामे वक़्त कोई इलाक़ा किसी के लिये ख़ास़ कर दे। जिस तरह अगले बाब में आ रहा है बख़िलाफ़ इन चश्मों, कूओं या तालाबों के जो आम लोगों की गुज़रगाहों पर वाक़ेअ़ हों।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ " أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ " .

(3072) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबैर (बिन अव्वाम(ﷺ) को जागीर दी जहां तक कि उनका घोड़ा दौड़ सके। चुनांचे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया यहाँ तक कि वह खड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने अपना कोड़ा फैंक दिया। पस आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जहां तक इनका कोड़ा पहुँचा, इन्हें दे दो।'

(3072) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/144, मुसनद अहमद: 2/156.

नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर गुज़िश्ता हदीस़: 3069 और स़ही बुख़ारी की रिवायत में है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) को अमवाले बनी नज़ीर में से कुछ ज़मीन इनायत फ़रमाई थी। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 3151) शायद वह यही हो।

﴾37﴿ بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

बाब : 37 बंजर लावारिस़ ज़मीन को आबाद करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحْيَا

(3073) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी बंजर (लावारिस़) ज़मीन को आबाद करे, तो वह उसी की हूई। और ज़ालिम रग (इंसान के अंदर दूसरे का हक़्क़ मारने का मनफ़ी जज़्बा या मनफ़ी जज़्बे के

أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "

तहत की गयी ग़ासिबाना कार्रवाई) का कोई हक़ नहीं।' (यानी जिसने ज़ुल्मन किसी जगह पर क़ब्ज़ा कर लिया तो उसका हक़ तस्लीम नहीं किया जा सकता।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1378.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि आजकल हुकूमत तमाम ज़मीनों की मालिक और मुतसर्रिफ़ होती है इसलिए पहले उससे इजाज़त लेना जरूरी है। वैसे हुकूमत की तरफ़ से भी आबादकारी स्कीमें बताई जाती हैं। **(2)** 'ज़ालिम रग' से मुराद वह दरख़्त भी हैं जो कोई किसी दूसरे की ज़मीन में बग़ैर इजाज़त के लगा दे, या मकान बना ले। उसे कहा जायेगा कि अपना दरख़्त निकाल ले या मकान का मलबा उठा ले, मगर ये कि ज़मीन का मालिक ख़ूद राज़ी हो जाये जैसे कि नीचे दी गई हदीस में है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ " . وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا . قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُئُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا

(3074) जनाब यहया बिन उर्वा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई बंजर लावारिस ज़मीन आबाद करे तो वह उसी की है।' और ऊपर दी गई हदीस की मिस्ल बयान किया। उर्वा ने कहा: ये हदीस बयान करने वाले ने मुझे बताया कि दो शख़्स अपना एक झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर आये कि एक ने दूसरे की ज़मीन में खजूरों के दरख़्त लगाये थे तो आपने फ़ैसला दिया: 'ज़मीन, ज़मीन वाले की है।' और दरख़्तों वाले को हुक्म दिया: 'अपनी खजूरें उखेड़ ले।' चुनांचे मैंने देखा कि उन दरख़्तों की जड़ों पर कुल्हाड़े चलाये जा रहे थे, हालांकि वह लम्बे लम्बे दरख़्त हो गये थे यहाँ तक कि वह ज़मीन से निकाल लिये गये।

(3074) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर तम्हीद: 22/282, नसाई, हदीस: 5760, हदीस पीछे गुज़र चुकी है: 3073.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ .

(3075) जनाब इब्ने इस्हाक़ ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया, लेकिन उन्होंने (अल्लज़ी हद्दस़नी हाज़ा) 'जिसने मुझे ये हदीस़ बयान की' के बजाये यूँ कहा: मुझे अस्हाबे नबी (ﷺ) में से एक शख़्स़ ने बयान किया और मेरा ग़ालिब गुमान ये है कि वह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(رضی اللہ عنہ) हैं। तो मैंने उस आदमी को देखा कि वह खजूरों की जड़ों पर (कुल्हाड़ा) मार रहा था।

(3075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/99, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।: 2074.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ

(3076) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर (रह.) से रिवायत है, वह कहते हैं: मैं गवाही देता हूं कि नबी (ﷺ) ने फ़ैसला किया था कि ज़मीन अल्लाह की है और बंदे भी अल्लाह के हैं, तो जिसने कोई बंजर लावारिस ज़मीन आबाद की, तो वही उसका मालिक है। हमें ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से उन्हीं लोगों ने बयान की है जिन्होंने आपसे नमाज़ों के अहकाम बयान किये हैं।

(3076) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/142.

फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ इबादत ही के अहकाम नहीं बताये, बल्कि मामलात और हुक़ूक़ के मसाइल भी वाज़ेह किये हैं, जैसे कि नमाज़ और रोज़े के अहकाम। जिस तरह इबादात में नबी (ﷺ) का फ़रमान क़ौले फ़ैसल है, उसी तरह मामलात में भी आप (ﷺ) ही का फ़रमान हक़ व इन्साफ़ और दुनिया व आख़िरत में बाइस़े निजात है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(3077) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया:

بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ " .

'जिसने किसी (लावारिस) ज़मीन पर कोई अहाता बना लिया, तो वह उसी की मिल्कियत है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 3/405, हदीस: 5763, इब्ने जारूद, हदीस: 1015.

मल्हूज़ (नोट) : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लावारिस ज़मीन पर महज़ क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि उसे आबाद किया जाये तो मिल्कियत साबित होती है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

(3078) जनाब हिशाम (बिन उर्वा) (रह.) बयान करते हैं कि (इरक़े ज़ालिम) 'ज़ालिम रग' का मफ़हूम ये है कि कोई शख़्स किसी दूसरे की ज़मीन में दरख़्त लगा दे और फिर उसी वजह से उस ज़मीन का दावेदार बन जाये। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि (इरक़े जालिक) से मुराद हर वह चीज़ है जो किसी से बिला इस्तेहक़ाक़ (ज़ुल्म से) छीन ली जाये, वहां कूआँ वग़ैरह खोद लिया जाये या दरख़्त लगा दिये जायें।

(3078) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर तमहीद, हदीस: 22/284, मौता: 2/743.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा वक़्ती दुनिया में इन्हीं हीलों बहानों से दूसरों का माल हथियाने की कोशिश होती है। अल्लाह की पनाह।

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ، - يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ

(3079) हज़रत अबू हमैद साएदी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व–ए–तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। जब आप वादीए क़ुरा से गुज़रे तो देखा कि एक औरत अपने बाग़ में है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों से फ़रमाया: 'इस बाग़ के फल का अन्दाज़ा लगाओ (कि कितना

فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " اخْرُصُوا " . فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ " أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " . فَأَتَيْنَا تَبُوكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ - يَعْنِي - بِبَحْرِهِ . قَالَ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ " كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ " . قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ " .

होगा।)' रसूल (ﷺ) ने जो अन्दाज़ा लगाया वह दस वस्क़ था। आपने उस औरत से फ़रमाया: 'जो फल हासिल हो उसे शुमार कर रखना।' फिर हम तबूक पहुँचे तो ऐला के बादशाह ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक सफ़ेद ख़च्चर हदिया दिया और (इसके सिला में) आप (ﷺ) ने उस (ऐला के हाकिम) को एक मुनक़्क़श (वर्क की हुई) चादर इनायत फ़रमाई और उसे तहरीर कर दिया कि उनका इलाक़ा उन्हीं के पास रहेगा। फिर जब हम वापस हुए और वादी—ए—कुरा से गुज़रे तो आपने उस औरत से दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तेरे बाग़ का फल कितना हूआ है?' उसने बताया कि दस वस्क़, यानी वही मिक़्दार (वज़न) जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाई थी, तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक मैं मदीना मुनव्वरा जल्दी पहुँचना चाहता हूं जो मेरे साथ जल्दी पहुँचना चाहता है, तो चल पड़े।' (बाक़ी अपनी रफ़्तार से आ जायें)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1481, व मुस्लिम: 1392.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस ख़ातून का ये बाग़ ग़ालिबन किसी बंजर ज़मीन को आबाद करके ही लगाया गया था जो उसकी मिल्कियत समझा गया। और ये एक क़ाबिले क़द्र काम है। हाकिमे ऐला ने इताअत क़बूल कर ली थी, इसलिए आपने हाकिमे ऐला को उसका इलाक़ा लिख दिया और ये भी कि वह जिज़्या अदा करेंगे। (2) फल उतरने से पहले उसका अन्दाज़ा लगाना जायज है ताकि उसके मुताबिक़ उश्र वग़ैरह अदा किया जा सके। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) का अन्दाज़ा बिल्कुल ऐन दुरूस्त साबित हूआ जो कि मोज़िजा है। दीगर आम अन्दाज़ा लगाने वालों का अन्दाज़ा यक़ीनन कम या ज़्यादा होता है। (4) ग़ैर मुस्लिम का हदिया क़बूल कर लेना जायज़ है बशर्ते कि कोई शरई क़बाहत न हो। (5) सफ़र में अपना मक़सद पूरा कर लेने के बाद घर आने में जल्दी करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ .

(3080) उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर साफ़ कर रही थीं और आपके यहां हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(ﷺ) की अहलिया और दीगर मुहाजिर ख़्वातीन भी बैठी थीं, औरतों ने अपने घरों की तंगी का शिक्वा (शिकायत) किया और ये कि उन्हें (शौहर की वफ़ात के बाद) घरों से निकाल दिया जाता है, तो नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया: 'मुहाजिरीन के घर उनकी बेवाओं को विरासत में दिये जायें।' चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़ौत हूए तो उनकी बीवी मदीना में एक घर की वारिस बनी थीं।

(3080) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाजिरीन को मदीना मुनव्वरा में ज़मीन के कुछ हिस्से दिये थे ताकि ये लोग उनमें अपने घर बना लें। चूंकि ये क़तआत 'अहयाउल अमवात' के मानी में थे कि उन लोगों ने उन्हें आबाद किया था तो वह उन्हीं की मिल्कियत गरदाने गये। इस बाब के साथ इस हदीस की यही मुनासिबत है। **(2)** बीवियों को विरासत में घर देने का मसला मुहाजिरीन की ख़्वातीन के साथ ख़ास था, क्योंकि ये लोग मदीना मुनव्वरा में एक नये वतन में थे और अज़ीज़ व अक़ारिब से दूर हो गये थे तो ये हुक्म दिया गया ताकि शौहर की वफ़ात के बाद उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। या ये मफ़हूम भी हो सकता है कि तर्के की तक़सीम में उनके हिस्से के मुताबिक़ उन्हें ज़मीन, बाग़ और दीगर अमवाल की बजाये घर दिया जाये ताकि वह रिहाइश के मसले में मुतमइन रहें। (बज़्लुल मज्हूद, औनूल माबूद)

बाब : 38
ख़राजी ज़मीन ख़रीदने का मसला

﴿38﴾ باب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(3081) हज़रत मुआज़ (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: जिसने अपनी गर्दन में जिज़्ये का क़लादा डाला वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े से बरी हो गया।

(3081) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/139.

फ़ायदा : कुफ़्फ़ार अपनी ज़ेरे काश्त ज़मीनों से जो हिस्सा अदा करते हैं 'ख़राज' कहलाता है। और उलमा ने ऐसी ज़मीनों की कई सूरतें लिखी हैं। * मुसलमानों ने किसी ज़मीन को बज़ोर कुव्वत फ़तह किया हो और इमाम ने उसे मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिया हो, फिर इमाम उसे क़ीमत देकर उनसे ख़रीद ले और आम मुसलमानों के लिये वक़्फ़ कर दे और कुफ़्फ़ार को ख़राज (ठेके) पर दे दे जैसे कि हज़रत उमर (ﷺ) ने इराक़ के देहातों में किया था। * किसी ज़मीन को सुलह से फ़तह किया गया हो, इस शर्त पर कि ज़मीन मुसलमानों की होगी मगर कुफ़्फ़ार उसमें रहेंगे और ख़राज देंगे। ये ज़मीन माले फ़ै होगी और ख़राज उसका किराया, उजरत या ठेका होगा जो उन लोगों के मुसलमान हो जाने से साक़ित नहीं होगा। * कोई इलाक़ा इस शर्त के साथ सुलह से फ़तह हूआ हो कि ज़मीन कुफ़्फ़ार की रहेगी मगर वह ख़राज अदा करके वहां मुक़ीम रहेंगे। ऐसे ख़राज को जिज़्या पर क़ियास किया जायेगा और उन लोगों के मुसलमान हो जाने पर ख़त्म हो जायेगा।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(3082) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी ज़मीन को उसके जिज़्ये के साथ हासिल किया उसने अपनी हिजरत को वापस कर दिया, और जिसने काफ़िर की ज़िल्लत को उसकी गर्दन से उतार कर अपनी गर्दन में डाला उसने इस्लाम से पीठ फेर ली।' (सनान

عليه وسلم " مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ " . قَالَ فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَشَبِيبٌ حَدَّثَكَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَىَّ بِالْحَدِيثِ . قَالَ فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الأَرَضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةَ.

बिन क़ैस ने कहा कि) ख़ालिद बिन मादान ने मुझ से ये हदीस़ सुनी तो मुझ से पूछा: क्या शबीब ने तुम्हें ये हदीस़ बयान की है? मैंने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: जब तुम उनके पास जाओ तो उन्हें कहना कि मुझे ये हदीस़ लिख भेजें। चुनांचे उन्होंने वह लिख दी। जब मैं ख़ालिद बिन मादान से दोबारा मिला तो उन्होंने मुझ से वह काग़ज़ तलब किया जो मैंने उन्हें दे दिया। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो अपने क़ब्ज़े की सारी ज़मीनें छोड़ दीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: रावी हदीस़ यज़ीद बिन ख़ुमैर अलयज़नी ये शोबा के शागिर्द नहीं हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/139.

फ़ायदा : इन दोनों रिवायतों का मफ़हूम ये है कि जो मुसलमान कुफ़्फ़ार की ख़राजी ज़मीन हासिल करके काश्त करने लगे और उसका जिज़्या और ख़राज भी यही अदा करे तो इस तरह ये मुसलमान कुफ़्फ़ार पर मुसल्लत करदा ज़िल्लत को जो अल्लाह ने उन पर डाली है, अपने गले ले रहा है और ये अमल इस्लामी हमियत के मनाफ़ी है। लेकिन ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं।

﴿39﴾ باب فِي الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

बाब : 39
हाकिमे आला या कोई शख़्स किसी ज़मीन को अपने लिए बतौर चरागाह मख़सूस कर ले

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

(3083) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई चरागाह नहीं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के लिये।' इब्ने शिहाब

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ .

(रह.) कहते हैं: मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मौज़अे नक़ीअ को बतौर चरागाह महफ़ूज़ फ़रमाया हूआ था।

(3083) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2370.

फ़ायदा : हाकिमे आला या कोई शख़्स अपने लिये बतौर चरागाह मख़्सूस कर ले का मतलब ये है कि वहां की घास, पानी और लकड़ी वग़ैरह से दूसरों को रोक दे और उसे आबाद या काश्त भी न करे। दौरे जाहिलियत में ऐसे होता था कि कोई ज़ोरावर किसी ऊँची जगह पर अपने कुत्ते को भौंकवाता और अतराफ़ में अपने आदमी मुक़र्रर कर देता तो जहां जहां तक कुत्ते की आवाज़ पहुँचती वह रक़्बा अपने और अपने जानवरों के लिये ख़ास कर लेता था। दूसरों को उससे इस्तेफ़ादे की इजाज़त न देता था। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं मगर ये कि आम मुसलमानों की मस़लिहत के लिये हो।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ وَقَالَ " لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(3084) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मौज़अे नक़ीअ को बतौर चरागाह महफ़ूज़ किया हूआ था और फ़रमाया: 'हिमा स़िर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/71.

फ़ायदा : इस मक़ाम पर स़दक़े के ऊँट रखे जाते थे। इमामुल मुस्लिमीन को मस़लिहते हुकूमत के पेशे नज़र किसी इलाक़े को बतौर चरागाह या किसी और मक़सद के लिये ख़ास़ कर लेना जायज़ है। आम पब्लिक के लिये जायज़ नहीं।

बाब : 40
माले मदफ़ून मिले तो उसका मसला

﴿40﴾
باب مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .

(3085) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'माले मदफ़ून (हासिल हो तो उस) में पांचवाँ हिस्सा है।' (बैतुलमाल में आम मुसलमानों की फायदे के लिये दे, क्योंकि ये बिला मशक़्क़त हासिल हूआ है)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1499, व मुस्लिम: 1710.

फ़ायदा : किसी उजाड़ ज़मीन में या क़दीम पुरानी आबादी में किसी का दफ़न करदा माल जिसका मालिक मालूम न हो 'रिकाज़' कहलाता है। जिसे ऐसा माल मिले वह ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अदा करने के बाद उसका मालिक बन जाता है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ

(3086) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान करते हैं कि रिकाज़ से मुराद वह माल है जो किसी पुरानी आबादी से दफ़न शुदा मिले।

(3086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 3/225, हदीस: 10776.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ، قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أُمِّهَا، كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ، ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا

(3087) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हिशाम (ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत मिक़दाद (ﷺ) किसी काम से बक़ीअ ख़बख़बा की तरफ़ गये। तो देखा कि एक चूहा एक सूराख़ से दीनार निकाल कर ला रहा है और फिर वह एक एक करके निकालता रहा यहाँ तक कि उसने सतरह दीनार निकाले। और फिर एक सुर्ख़ रंग का

جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ - فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا . فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم " هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ " . قَالَ لاَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا " .

कपड़ा निकाला और उसमें भी दीनार था और इस तरह वह अठारह हो गये। वह इन्हें लेकर नबी (ﷺ) के पास आ गये और अ़र्ज़ किया कि इसका स़दक़ा ले लिजिए। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुमने उस सूराख़ की तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया था?' उन्होंने कहा: नहीं, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तुम्हें बरकत दे।'

(3087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2508.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। शारेहीने हदीस़ लिखते हैं जिसने कोई जगह खोदी न हो, वह रिकाज़ नहीं बल्कि गिरे पड़े माल (लुक़ता) की मानिन्द है और उसमें पांचवाँ हिस्सा अदा नहीं करना पड़ता। बल्कि पहले ऐलान करना चाहिए बाद में अपने काम में लाया जाये। (ख़त्ताबी)

﴿41﴾ باب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ

बाब : 41
पुरानी क़ब्रें खोदने का मसला कि जिनमें माल हो

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا

(3088) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, जब हम ताइफ़ की तरफ़ रवाना हूए और एक क़ब्र के पास से गुज़रे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये अबू रिग़ाल की क़ब्र है। (ये सक़ीफ़ का जद्देआला (पुर्वज़) और क़ौमे स़मूद में से था) इस हरम में पनाह गुज़ीं था कि अल्लाह के अ़ज़ाब से

مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ " . فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ .

बचा रहे। यहाँ तक वह उससे बाहर निकला तो उसे उस मक़ाम पर वही सज़ा आ पहुँची जो उसकी क़ौम को आई थी, चुनांचे उस जगह दफ़न कर दिया गया। और उसकी अ़लामत ये है कि उसके साथ सोने की एक सलाख़ दफ़न की गयी थी, अगर तुम उसे उखेड़ो तो उसे उसके साथ पा लोगे।' तो लोगों ने जल्दी की और वह सलाख़ निकाल लाये।

(3088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/156.

मल्हूज़ : बिलाशुब्हा ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन मसला यही है कि कुफ़्फ़ार की क़ब्रों से अगर कोई इस तरह का माल निकाल ले तो वह बमानी रिकाज़ होगा, क्योंकि कुफ़्फ़ार की क़ब्रों की ताज़ीम इस तरह ज़रूरी नहीं है जिस तरह कि मुसलमानों की क़ब्रों की ज़रूरी है, लिहाज़ा उनकी क़ब्रें आम ज़मीन के हुक्म में होंगी जिसे खोद कर मदफ़ून ख़ज़ाना हासिल किया जा सकता है। वल्लाहू आलम!

كتاب الجنائز

जनाज़े के अहकाम व मसाइल

- **फ़ायदा :** इंसानी ज़िन्दगी की इब्तेदा (शुरू) और इन्तेहा (ख़त्म) दोनों ही दूर रस असरात की हामिल हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ख़ानदान भर में ख़ूशी व मुसर्रत का अजीब समा पैदा हो जाता है। हर तरफ़ मुबारक बाद और ख़ूशियों का तबादला होता है। फिर वक़्ते मुक़र्ररा पर उसके रूख़्सत होने का वक़्त आता है तो हर तरफ़ ग़म की फ़िज़ा फैल जाती है। इस नाज़ुक वक़्त में अक्सर व बेशतर लोग कम इल्मी, जहालत और शिर्किया मुआशरती फ़िज़ा की वजह से ऐसे अफ़आल में मुब्तला हो जाते हैं जो अल्लाह तआला की नाराज़ी का सबब बनते हैं, ये बिदअतों का सिलसिला व शिर्क मौत के बाद भी लम्बे अरसा तक जारी रहता है और शिकम परवर जाहिलों की ख़ूब चाँदी रहती है।
- इंसान जब बिस्तरे मर्ग पर होता है तो लवाहेक़ीन बेबसी की कैफ़ियत से दोचार होते हैं, यहाँ तक कि हर सम्भव दवा दारू करने के बावजूद मरीज़ लम्हा ब लम्हा मौत के क़रीब होता जाता है। तीमारदारी करने वाले दबे लफ़्ज़ों में मायूसी का इज़हार करने लगते हैं, लवाहेक़ीन हर हकीम, डॉक्टर, यहाँ तक कि शिर्किया दम झाड़ और मज़ारों से ख़ाके शिफ़ा तक हासिल करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा मरीज़ बच जाये मगर जो वक़्त मुक़र्रर हो चुका, वह आकर रहता है। 'और हर गिरोह की एक मियाद मुक़र्रर है सो जिस वक़्त उनकी मियादे मुअय्यन आ जायेगी उस वक़्त एक घड़ी न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे।' (आराफ़: 34)

  ☆ **तीमारदारी की फ़ज़ीलत :** इस्लाम ने इंसानों को बाहमी मोहब्बत व मवद्दत और हमदर्दी का दर्स दिया है, इसलिए जब कोई मुसलमान बीमार हो जाये तो उसकी तीमारदारी करना मुसलमान पर वाजिब है। तीमारदारी करने वाला जहां अपने भाई से मोहब्बत और उल्फ़त का इज़हार करता है और बाहमी ताल्लूक़ात को मज़बूत बनाता है वहां अपने रब से अज्रे अज़ीम का हक़दार भी बनता है।

  रसूले अकरम (ﷺ) का इरशादे गिरामी है : 'जब कोई मुसलामन शाम के वक़्त अपने किसी भाई की एयादत के लिये निकलता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भी उसके साथ निकलते हैं जो उसके लिए सुबह तक बख़्शिश तलब करते रहते हैं और जो कोई सुबह के वक़्त एयादत के लिए निकले तो उसके साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए बख़्शिश माँगते रहते हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3098, 3099)

☆ **जनाज़ा में शिर्कत की फ़ज़ीलत :** मुसलमान फ़ौत हो जाये तो उसके कफ़न व दफ़न का इन्तेज़ाम करना ज़रूरी है। उसका ये अमल अल्लाह तआला के नज़दीक निहायत मक़बूल और आला अज्र व सवाब का हामिल है। जबकि दूसरी तरफ़ तौहीदपरस्त मुसलमानों की इल्तेजा व दुआ को क़बूल करते हुए रब्बूल आलमीन फ़ौत होने वाले की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। इस तरह ये अमल दोनों तरफ़ के लिए बाइसे रहमत बन जाता है। इरशादे नबवी है: 'जो शख़्स जनाज़े में शामिल हो और नमाज़ पढ़े उसे एक क़ीरात सवाब मिलता है और जो शख़्स मय्यत को दफ़न करने तक मौजूद रहता है उसे दो क़ीरात मिलते हैं।' सहाबा (ﷺ) ने अर्ज़ किया: अल्लाह के रसूल! क़ीरातान का मतलब क्या है? आपने फ़रमाया: 'दो क़ीरात का सवाब दो अज़ीम पहाड़ों के बराबर है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 1325)

☆ **मय्यत को नफ़ा देने वाले चंद उमूर :** हमारे मुआशरे में ईसाले सवाब के कई तरीक़े प्रचलित हैं जो अक्सर व बेश्तर शिकम परवर (पेटू), नीम ख़्वानदा मज़हबी रहनुमाओं की ईजाद हैं, इन तरीक़ों पर अमल करना बजाये सवाब के अल्लाह तआला की नाराज़ी का क़वी सबब है। सुन्नते रसूल (ﷺ) में ईसाले सवाब के लिए नीचे कुछ उमूर बयान हूए हैं: 'मरने के बाद इंसान के आमाल (के सवाब का सिलसिला) मुन्क़तअ (ख़त्म) हो जाता है लेकिन तीन चीज़ों का सवाब उसे पहुँचता रहता है। सदक़-ए-जारिया, लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म और नेक औलाद जो मय्यत के लिए दुआ करे।' (सही मुस्लिम)

☆ चंद ऐसे उमूर जो शरीअते इस्लामिया में साबित नहीं हैं:

- मरने वाले के सरहाने कुर्आन मजीद, अदइया का मजमूआ, या दूसरे और वज़ाइफ़ रखना।
- चारपाई के गिर्द ज़िक्र व अज़कार या नात ख़्वानी करना।
- जनाज़े पर फूल डालना, मुज़य्यन चादर डालना या कुर्आनी आयात वाली चादर डालना।
- जनाज़ा ले जाते हूए कलिमाए शहादत वग़ैरह का विर्द करना, कराना।
- मय्यत को बिला वजह एक शहर से दूसरे शहर मुन्तक़िल करना।
- क़ब्र को मुज़य्यन बनाना और आराइश पत्थरों से आरास्ता करना, या क़ब्र पर कुर्आनी आयात, कलिमा या नाम वग़ैरह लिखना।
- सोमवार, जुमेरात या दस मुहर्रम को क़ब्रों की ज़्यारत के लिए ख़ास करना।
- क़ब्रों पर नात ख़्वानी और क़व्वाली करना या चराग़ वग़ैरह जलाना।
- ईसाले सवाब के लिए तीजा, सातवां, दसवां या चालीसवां करना और खाने का एहतिमात करना।
- दूसरे या तीसरे दिन कुल करवाना।
- उजरती क़ारियों से कुर्आन ख़्वानी करवाना और सालाना ख़त्म दिलवाना।

बाब : 1
बीमारियों के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनने का बयान

﴿1﴾ باب الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

(3089) हज़रत आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि हम लोग अपने इलाक़े में थे कि हमारे लिए झण्डे और निशानात बलन्द किये गये (हमारे इलाक़े में जिहादी मुहिम में पहुँच गये) मैंने पूछा ये क्या हैं? तो लोगों ने कहा: ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का झण्डा है, चुनांचे मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप एक दरख़्त के नीचे तशरीफ़ फ़रमा थे, आपके लिए एक चादर बिछाई गई थी और आप उस पर बैठे हूए थे ओर आपके सहाबा आपके पास जमा थे। सो मैं भी उनके साथ बैठ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बीमारियों का ज़िक्र किया, आपने फ़रमाया: 'मोमिन को जब कोई बीमारी आती है और फिर अल्लाह उसे आफ़ियत और शिफ़ा दे देता है तो वह उसके साबिक़ा (पहले के) गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती है और आइन्दा के लिए नसीहत का सबब होती है। और मुनाफ़िक़ जब बीमार पड़ता है और फिर उसे आफ़ियत दी जाती है तो उसकी मिसाल ऊँट की सी होती है जिसे उसके घर वालों ने बाँधा हो और फिर खोल दिया हो। उसे मालूम नहीं होता कि क्यों बाँधा था और ये भी मालूम नहीं होता कि क्यों छोड़

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ، أَخِي الْخُضْرِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ هُوَ الْخُضْرُ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ - قَالَ إِنِّي لَبِبِلاَدِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَسْقَامَ فَقَالَ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ

كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا " . فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَىْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أُولاَءِ مَعِي . قَالَ " ضَعْهُنَّ عَنْكَ " . فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلاَّ لُزُومَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا " . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ

दिया है।' आप (ﷺ) के गिर्द बैठे हूए लोगों में से एक ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये बीमारियाँ क्या होती हैं? मैं तो अल्लाह की क़सम! कभी बीमार नहीं हूआ। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: उठ जा, तू हममें से नहीं है।' (फिर किसी दूसरे मौक़े पर) हम आप (ﷺ) के पास बैठे हूए थे कि एक आदमी आया, वह चादर ओढ़े हूए था और उसके हाथ में कुछ था जिसे उसने लपेटा हूआ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब मैंने आपको तशरीफ़ लाते देखा तो आपकी तरफ़ चल पड़ा। मैं दरख़्तों के एक झुण्ड के पास से गुज़रा तो उसमें से परिन्दे के बच्चों की आवाज़ सुनी। पस मैंने उन्हें पकड़ लिया और अपनी चादर में डाल लिया। फिर उनकी माँ आई तो मेरे सर पर मंडलाने लगी, मैंने उसके लिए उसके बच्चों को नंगा किया तो वह उनके साथ उनके ऊपर आ पड़ी, तो मैंने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया और ये वही मेरे पास हैं। आपने फ़रमाया: 'इन्हें छोड़ दे।' तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, मगर उनकी माँ ने (उड़ जाने से) इंकार किया और बच्चों के साथ पड़ी रही। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा से फ़रमाया: 'क्या तुम इस माँ की अपने बच्चों पर शफ़्क़त से ताज्जुब कर रहे हो?' उन्होंने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है! बिलाशुब्हा अल्लाह

مِنْ أُمِّ الأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ " . فَرَجَعَ بِهِنَّ .

तआला अपने बंदों के साथ इन बच्चों की माँ से बढ़कर रहीम और शफ़ीक़ है। इन्हें वापस ले जा और वहीं रख आ जहां से तूने इन्हें उठाया है और उनकी माँ भी साथ रहे।' चुनांचे वह आदमी उन्हें वापस ले गया।

(3089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलबग़वी शरहुस्सुन्ना: 5/250, 251, हदीस: 1440, अबू नुऐम मारिफ़तुस्सहाबा: 4/2064, 2065, हदीस: 5188.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस ज़ईफ है। **(2)** ताहम ये ज़रूर है कि इंसानों को लाहिक़ होने वाले दुख, तकलीफ़ और बीमारियाँ बिलउमूम उनके गुनाहों ही के बाइस होती हैं और फिर मोमिनीन के लिए कफ़्फ़ारा भी बनती हैं जिसे कि आगे की अहादीस में आ रहा है। और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, मगर अल्लाह तआला बहुत कुछ माफ़ फ़रमा देता है।' (अश्शूरा: 30) इसलिए मोमिन को चाहिए कि ज़िन्दगी में आरज़ी (वक़्ती तौर पर) आने वाली तकलीफ़ों और बीमारियों में अल्लाह तआला से अज्र व सवाब की उम्मीद रखे। **(3)** परिन्दों और चरिन्दों को बिला मक़सद अज़ीयत देना हराम है। मगर इन्हें बाक़ायदा पालने का एहतिमाम करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ السُّلَمِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3090) मुहम्मद बिन ख़ालिद से रिवायत है, इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्राहीम बिन महदी ने इस रावी (मुहम्मद बिन ख़ालिद) के मुताल्लिक़ कहा कि ये 'सुलमी' हैं, वह अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, जिन्हें नबी (ﷺ) की सोहबत का शर्फ़ हासिल था, कहा कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह तआला के यहां कोई मक़ाम व मर्तबा मुक़र्रर हो चुका हो और वह अपने आमाल की बिना पर उस तक न पहुँच सकता हो, तो अल्लाह उसे उसके

يَقُولُ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ " ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى " .

अपने जिस्म या माल या औलाद की आज़माइश में डाल देता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने नुफ़ैल ने ये इज़ाफ़ा बयान किया: 'और फिर अल्लाह तआला उसे सब्र की तौफ़ीक़ भी देता है।' फिर दोनों रावी हदीस़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं।' यहाँ तक कि उसे उस मक़ाम व मर्तबा तक पहुँचा देता है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से पहले ही से उसके लिए मुक़र्रर हो चुका होता है।'

(3090) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/252, मज्मउज़्ज़वाइद: 2/292, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2908.

फ़ायदा : गुनाहों के कफ़्फ़ारे और दर्जात की बलन्दी के ऐतबार से बीमारियाँ मोमिन के लिए अल्लाह का एक बड़ा इनाम हैं, बशर्ते कि बराबर स़ब्र कर सके। ताहम बीमारी का सवाल नहीं करना चाहिए।

﴿2﴾ باب إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

बाब : 2 जब आदमी नेक अ़मल करता रहा हो, फिर बीमारी या सफ़र की वजह से वह अ़मल न कर सके तो?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(3091) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से मरवी है, कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से बारहा सुना, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई बंदा नेक अ़मल करता रहा हो मगर बीमारी या सफ़र की वजह से वह न कर सके तो अल्लाह तआला उसके लिए वह अ़मल उसी तरह उ़म्दा कैफ़ियत में लिखता रहता है

وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ يَقُولُ " إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ " .

जबकि वह तंदरूस्त और मुक़ीम था।'

(3091) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 2996.

फ़ायदा : इंसान को अपनी सेहत, तंदुरूस्ती और फ़रागत की क़द्र करते हूए उसे आमाले सालेहा में सर्फ़ करना चाहिए ताकि बीमारी, सफ़र, बुढ़ापे या कुछ अवारिज़ की बिना पर जब ये अमले सालेह न कर सके तो अल्लाह के यहां से उसे ये सवाब मिलता रहे। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और सेहत व जवानी में आमाले सालेहा की पाबंदी करने वालों के लिए अज़ीम बशारत है।

(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

बाब : 3 औरतों की एयादत करना

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ، قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ " أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " .

(3092) हज़रत उम्मे अला (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'ऐ उम्मे अला! तुम्हें ख़ुशख़बरी हो, बिलाशुब्हा मुसलमान की बीमारी के ज़रिये से अल्लाह तआला उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है जैसे कि आग सोने और चाँदी का खोट निकाल देती है।'

(3092) **तख़रीज : (सनद हसन)** अब्द बिन हुमैद, हदीस: 1594, हैसमी मज्मउज़्ज़वाइद: 2/307 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मरीज़ की एयादत करना एक लाज़मी शरई हक़ है। मर्दों का मर्दों के यहां और औरतों का औरतों के यहां जाना मालूम व मारूफ़ है मगर मर्द औरतों की एयादत के लिए जायें या औरतें मर्दों की तो उसमें भी कोई शरई क़बाहत नहीं है जबकि शरई आदाब यानी हिजाब (परदे) का एहतिमाम हो और इस अमल पर कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ और एयादत करने वाले की बाहम गुफ़्तगू भी हो। मर्द मर्दों के पास जाकर मरीज़ के मुताल्लिक़ ख़ैर व आफ़ियत दरयाफ़्त कर सकते हैं और ऐसे

ही औरतें। (2) इस वाक़िया में हज़रत उम्मे अ़ला के शर्फ़ और नबी (ﷺ) की तवाज़ो का बयान है कि नबी (ﷺ) अपने सहाबा और सहाबियात सब का ख़ास ख़्याल रखा करते थे। (3) ये ख़ुशख़बरी मुसलमानों ही के साथ ख़ास है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ " أَيَّةُ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ " . قَالَتْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } قَالَ " أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافَأُ بِأَسْوَإِ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ " . قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا } قَالَ " ذَاكُمُ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

(3093) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, वह कहते हैं : मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैं ख़ूब जानती हूं कि क़ुर्आन मजीद में सबसे सख़्त आयत कौनसी है। आपने फ़रमाया: 'कौनसी आयत है वह? ऐ आयशा!' कहती हैं, मैंने कहा: अल्लाह तआला का ये फ़रमान: (मय्यअमल सूअन युजज़ाबिहि) 'जिसने भी कोई बुराई की, उसे इसका बदला दिया जायेगा।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मोमिन को जो कोई परेशानी आती है या कांटा भी चुभ जाता है तो उसे उसके किसी सबसे बुरे अ़मल का बदला दे दिया जाता है और जिसका हिसाब लिया गया तो उसे अ़ज़ाब हूआ।' कहती हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया: तो क्या अल्लाह ने नहीं फ़रमाया: (फ़सौफ़ा युहासबु हिसाबय यसीरा) 'अनक़रीब बंदे का हिसाब लिया जायेगा आसान हिसाब?' आपने फ़रमाया: 'इससे मुराद अल्लाह तआला के सामने हाज़िरी है, ऐ आयशा! जिससे हिसाब में पूछ गछ हो गयी, उसे अ़ज़ाब हूआ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये इब्ने बश्शार के लफ़्ज़ हैं। और इसकी सनद में (अ़न की बजाये) (अख़बर ना इब्ने अबी मुलैका) है।

(3093) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 4939, व मुस्लिम: 2876.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ के अलावा दूसरी हदीसों से साबित है कि दुनिया की बीमारियाँ और तमाम तरह के दुख तकलीफ़ यहाँ तक कि रूह निकलने की तक़लीफ़, अज़ाबे क़ब्र और मैदाने हश्र के अल्मनाक अहवाल सभी कुछ मोमिनीन के लिए गुनाहों का कफ़्फ़ारा और बलन्दी–ए दर्जात का बाइस़ होंगे। और अहले ईमान का एक तबक़ा इन तक़लीफ़ के बाइस़ पाक साफ़ होकर जन्नत में दाख़िल किया जायेगा। **(2)** थोड़े लोग होंगे जिनसे अल्लाह तआला मैदाने हश्र में हम कलाम होगा, फिर या तो उन लोगों का हिसाब और वज़न वग़ैरह उमूमी अंदाज़ में होगा और ये कोई आसान मरहला न होगा।

बाब : 4
एयादत का बयान

﴿4﴾ بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ " قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ يَهُودَ " . قَالَ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ . فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(3094) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़) की एयादत के लिए तशरीफ़ ले गये, उस बीमारी में जिसमें कि वह मर गया था। चुनांचे जब आप उसके यहां पहुँचे तो आपने उस पर मौत के असरात महसूस किये (और) फ़रमाया: 'मैं तुझे मना किया करता था कि यहूद से मोहब्बत न रख।' उसने कहा: असअद बिन ज़ुरारा ने उनसे बुग़्ज़ रखा तो क्या हूआ? फिर जब वह मर गया तो उसका बेटा अब्दुल्लाह(ﷺ) आप (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! बेशक अब्दुल्लाह बिन उबय मर गया है, तो आप मुझे अपनी क़मीस़ इनायत फ़रमा दें कि मैं उसे उसमें कफ़न दूं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़मीस़ उतार कर उसे दे दी।

(3094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/210, हाकिम: 1/341.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है, ताहम क़मीस का क़िस्सा सही रिवायत से साबित है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) (2) मुसलमान की एयादत के लिए जाना एक शरई हक़ है। इसी तरह किसी ग़लत किरदार शख़्स की एयादत के लिए भी जाया जा सकता है और ये यक़ीनन इस्लामी अख़्लाक़ व मुरव्वत का हिस्सा है। (3) इस मुनाफ़िक़ के साहिबज़ादे हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) एक मुख़्लिस मोमिन सहाबी थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शायद अपने इस मुख़्लिस साथी की दिलदारी के लिए अपनी क़मीस इनायत फ़रमा दी थी। और ये अ़मल एक बेटे का अपने बाप के लिए एक अदना सा हीला था कि शायद उसकी बरकत से उसे कुछ फ़ायदा हो जाये। और ये भी है कि नबी (ﷺ) ने इस तरह से उस मुनाफ़िक़ के एक एहसान का बदला चुकाया था कि बद्र के मौक़े पर जब रसूल (ﷺ) के चचा हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) क़ैद कर लिए गये तो उनके पास क़मीस न थी तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबय ने अपनी क़मीस दी थी। ये भी कहा जाता है कि नबी (ﷺ) से जब कोई चीज़ माँगी जाती तो आप उससे इंकार न फ़रमाया करते थे। और यूँ भी कहा गया है कि मुमकिन है ये अ़मल उस वक़्त का हो जब कि ये हुक्म नाज़िल न हूआ था: 'इन मुनाफ़िक़ों में से जब कोई मर जाये तो आप उसका जनाज़ा मत पढ़ें और उसकी क़ब्र पर भी मत खड़े हों।' (औनूल माबूद)

बाब : 5
ज़िम्मी काफ़िर की एयादत करना

﴿5﴾ باب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

(3095) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि यहूदीयों का एक लड़का बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी एयादत के लिए तशरीफ़ ले गये। आप उसके सर के पास बैठ गये, और उससे फ़रमाया: 'इस्लाम क़बूल कर लो।' तो उसने अपने बाप की तरफ़ देखा जब कि वह भी उसके सर के पास ही बैठा हूआ था। तो उसके बाप ने उससे कहा: अबुल क़ासिम की बात मान लो। चुनांचे उसने इस्लाम क़बूल कर लिया। फिर नबी (ﷺ) वहां से उठे तो फ़रमा रहे थे: 'हम्द

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ غُلاَمًا، مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ " أَسْلِمْ " . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ . فَأَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ " .

उस अल्लाह की जिसने उसको मेरे ज़रिये से आग से निजात दी।'

(3095) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5657.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी काफ़िर की एयादत के लिए जाना जायज़ है बशर्ते कि वहां हक़्क़े शरई अदा हो यानी बिलख़ुसूस़ मरने वाले को दावते इस्लाम दी जाये और स़ही अलबुख़ारी में है कि ये लड़का रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ादिम भी था। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5657) **(2)** जिस शख़्स़ का ख़ात्मा इस्लाम और ईमान पर हो वह निजात पा गया। **(3)** और इस निजात का दारोमदार नबी (ﷺ) की रिसालत और दावत पर ईमान व अ़मल है।

बाब : 6
किसी की एयादत के लिए पैदल चल कर जाना

﴾6﴿
باب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ

(3096) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ लाते, बग़ैर इसके कि किसी ख़च्चर पर सवार हों या घोड़े पर।

(3096) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5664, मुसनद अहमद: 3/373.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ.

बाब : 7
बावुज़ू होकर एयादत के लिए जाने की फ़ज़ीलत

﴾7﴿ باب فِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلَى وُضُوءٍ

(3097) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने वुज़ू किया और अच्छा वुज़ू किया और स़वाब की नियत से अपने मुसलमान भाई

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ الْوَاسِطِيُّ،

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا " . قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْخَرِيفُ قَالَ الْعَامُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ

की एयादत के लिए गया तो उसे जहन्नम से सत्तर साल की मसाफ़त पर दूर कर दिया जायेगा।' साबित बुनानी कहते हैं मैंने पूछा: ऐ अबू हमज़ा (ख़रीफ़) से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: साल।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अहले बसरा जिन अहादीस के बयान करने में मुनफ़रिद हैं उनमें से एक ये भी है कि इंसान बावुज़ू होकर एयादत के लिए जाये।

(3097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

(3098) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि जो शख़्स शाम के वक़्त किसी मरीज़ की एयादत के लिए निकलता है तो उसके साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भी निकलते हैं जो उसके लिए सुबह तक बख़्शिश तलब करते रहते हैं और जन्नत में उसे एक बाग़ भी हासिल होगा, और जो कोई सुबह के वक़्त एयादत के लिए निकले तो उसके साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए शाम तक बख़्शिश माँगते रहते हैं और जन्नत में उसे एक बाग़ भी हासिल होगा।

(3098) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/121, इब्ने हिब्बान, हदीस: 710.

नोट : रिवायत मोक़ूफ़न सही है ताहम आगे आने वाली रिवायत मरफ़ूअ है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ

(3099) हज़रत अली (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया, लेकिन इसमें (ख़रीफ़) यानी बाग़ का ज़िक्र नहीं है।

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيفَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَكَمِ أَبِي حَفْصٍ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ .

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को मनसूर ने भी हकम से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे कि शोबा ने।

(3099) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है, हदीस़: 1442, हाकिम: 1/349.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ - وَكَانَ نَافِعٌ غُلاَمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَاقَ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُسْنِدَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ.

(3100) अबू जाफ़र अ़ब्दुल्लाह बिन नाफ़े से रिवायत है ... और नाफ़े हज़रत हसन बिन अ़ली(ﷺ) के ग़ुलाम थे ... बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) हज़रत हसन बिन अ़ली (ﷺ) की एयादत के लिए तशरीफ़ लाये थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और फिर हदीस़ शोबा के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को बवास्ता हज़रत अ़ली, नबी (ﷺ) से कई एक सही सनदों से रिवायत किया गया है।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है.

﴾8﴿ بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا

बाब : 8
बार बार एयादत करना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ فَيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ

(3101) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती है कि हज़रत साद बिन मुआज़ (ﷺ) जंगे ख़ंदक़ में ज़ख़्मी हो गये। एक आदमी ने उनके बाज़ू की रग पर निशाना मारा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिए मस्जिद में ख़ैमा लगवा लिया ताकि क़रीब से उनकी एयादत करते रहें।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 463, व मुस्लिम: 1769.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मरीज़ के अहवाल को मल्हूज़ रखते हूए एयादत के लिए बार बार आना उख़ुव्वते इस्लामी (इस्लामी भाई चारे) और अख़्लाक़ का हिस्सा है न कि कोई मायूब बात। बिलख़ुसूस मरीज़ जब कोई अहम आदमी हो। (2) ज़रूरते शरई के तहत मस्जिद (या उसके साथ मुल्हक़ हुजरों) में इक़ामत इख़्तियार कर लेना या किसी को इक़ामत देना जायज़ है।

﴾9﴿ بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

बाब : 9 किसी की आँख ख़राब हो जाये तो उसकी एयादत के लिए जाना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَّ .

(3102) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से रिवायत है, कहते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मेरी आँख में दर्द था।

(3102) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/375, हाकिम: 1/342, बुख़ारी: 532.

फ़ायदा : एयादत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ किसी सख़्त बीमारी ही में मुब्तला हो तो उसकी एयादत के लिए जाया जाये बल्कि किसी आम तकलीफ़ में भी बीमार पुर्सी हो तो बहुत अच्छी बात है।

﴾10﴿ بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُونِ

बाब : 10 ताऊन से निकल भागना ...?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

(3103) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़(ﷺ) ने बयान किया, वह कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना:

اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تُقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . يَعْنِي الطَّاعُونَ

'जब तुम सुनो कि फुलाँ इलाक़े में ताऊन फैल गया है तो फिर वहां मत जाओ, और जब कहीं फैल जाये और तुम वहां हो तो उस (ताऊन) से फ़रार इख़्तियार करते हूए वहां से मत निकलो।'

(3103) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5729, मौता: 2/894–896, व मुस्लिम: 2219.

फ़ायदा : किसी का बीमार हो जाना फिर इलाज मुआलिजा करने के बाद उसका शिफ़ायाब होना या न होना ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तक़दीर से होता है, तो वबा फैलने की सूरत में हमें ये अदब सिखाया गया है कि वबाज़दा इलाक़े में जाया न जाये और वहां के मुक़ीम लोग वहां से (वबा के डर से) फ़रार इख़्तियार न करें, बल्कि वहीं रहते हूए इलाज मुआलिजा और हिफ़ाज़ती तदाबीर (उपाय) इख़्तियार करें, ताहम किसी को कोई अहम शरई ज़रूरत लाहिक़ हो तो बात और है, इस सूरत में उसका जाना फ़रार में नहीं आयेगा।

﴾11﴿
باب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

बाब : 11
एयादत के मौक़े पर मरीज़ के लिए शिफ़ा की दुआ करना

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا، قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

(3104) हज़रत आयशा दुख़्तरे साद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से मरवी है कि उनके वालिद ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार हो गया तो नबी (ﷺ) बीमार पुर्सी के लिए मेरे यहां तशरीफ़ लाये, आपने अपना हाथ मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे सीने और पेट पर फेरा और फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! साद को शिफ़ा इनायत फ़रमा और

وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ " .

इसकी हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे।'

(3104) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5659.

फ़ायदा : एयादत में चाहिए कि मरीज़ की पूरी तरह से दिलजोई की जाये और बिलख़ुसूस अल्लाह तआला से दुआ हो कि उसे शिफ़ा मिले।

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ " . قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ .

(3105) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'भूखे को खाना खिलाओ।, मरीज़ की बीमार पुर्सी करो और क़ैदी को छुड़ाओ।'
सुफ़ियान ने वज़ाहत की कि (अलआनी) से मुराद क़ैदी है।

(3105) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5373.

﴿12﴾ باب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

बाब : 12
एयादत के मौक़े पर बीमार के लिए दुआ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ " .

(3106) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी ऐसे मरीज़ की एयादत की जिसकी अभी अजल न आई हो, तो सात बार उसके पास ये दुआ: (अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अरशिल अज़ीम अय यश्फ़ीका) 'मैं अल्लाह से सवाल करता हूं जो अज़मत और बड़ाई वाला और अर्शे अज़ीम का रब है कि तुझे शिफ़ा इनायत फ़रमाये।' पढ़े तो अल्लाह तआला उसे उस बीमारी से आफ़ियत दे देगा।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 2083, इब्ने हिब्बान: 714, हाकिम: 1/342, 343, 4/213.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ " إِلَى صَلاَةٍ " .

(3107) हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स किसी मरीज़ की एयादत के लिए जाये, तो चाहिए कि यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा इश्फ़ि अब्दक़ा, यन्कउलका अदुव्वन औ यम्शी लका इला जनाज़ा) 'ऐ अल्लाह! अपने बंदे को शिफ़ा इनायत फ़रमा, ये तेरी राह में किसी दुशमन को ज़ख़्मी करेगा या तेरी रज़ा के लिए किसी जनाज़ा में शरीक होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अस्सरह (अहमद बिन अम्र बिन अब्दुल्लाह) ने (इला जनाज़ा) की बजाये (इला सलातिन) रिवायत किया है। यानी ये बंदा नमाज़ के लिए जायेगा।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/172, इब्ने हिब्बान, हदीस: 715, हाकिम: 1/344-549.

फ़ायदा : जिहाद व क़िताल में हिस्सा लेना, मुसलमान के जनाज़े में शरीक होना और नमाज़ के लिए मस्जिद जाना, इन्तेहाई क़ुरबत के आमाल हैं।

﴾13﴿ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ

बाब : 13 मौत की तमन्ना करना मकरूह है

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(3108) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: किसी दुख के आने पर कोई शख़्स हरगिज़ मौत की दुआ न करे, बल्कि चाहिए कि यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा

وسلم " لاَ يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " .

अहयनी मा कानतिल हयातु ख़ैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु ख़ैरन) 'ऐ अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख जब तक कि ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ैर का बाइस हो और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे।'

(3108) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 4265, बुख़ारी, हदीस़: 6351, व मुस्लिम: 2680.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ " . فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(3109) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स हरगिज़ हरगिज़ मौत की तमन्ना न करे।' और ऊपर दी गई रिवायत के मिस्ल बयान किया।

(3109) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 1060, मुसनद अत्तयालिसी, हदीस़: 2003.

फ़ायदा : आम हालात में मौत की दुआ करना जायज़ नहीं, ताहम इंसान जब आजिज़ आ जाये, फ़राइज़ की अदायगी में क़ासिर रहे और अन्देशा हो कि कोई दीनी फ़ितना आ पड़े तो मौत की दुआ की जा सकती है। जैसे कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब, हज़रत अ़ली और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज(ﷺ) वग़ैरह के मुताल्लिक़ आता है।

﴾14﴿ بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ

बाब : 14 मौत का अचानक आ जाना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3110) हज़रत उ़बैद बिन ख़ालिद सुलमी(ﷺ) से रिवायत है ... जो कि नबी (ﷺ) के स़हाबा में से थे ... उन्हे (मुसद्दद) ने एक बार नबी (ﷺ) से और एक बार उ़बैद से रिवायत किया: 'अचानक मौत नाराज़ी की पकड़ है।'

قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ - قَالَ " مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ " .

(3110) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/424.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम अबू दाऊद (रह.) के शैख़ मुसद्दद ने इस रिवायत को एक मर्तबा मरफ़ूअ और एक मर्तबा मौक़ूफ़ बयान किया है। **(2)** ये अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की नाराज़ी की पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उमर अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़री होती है। दूसरे, अचानक मौत की वजह से तौबा का जो इम्कान (सम्भावना) होता है, वह भी ख़त्म हो जाता है, वरना इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ़ बढ़ता है, तो उसमें मरने से पहले इस्लाह और तौबा करने का मौक़ा होता है जो अचानक मौत से ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता अल्लाह के इताअत गुज़ार मोमिन बंदे का मामला उसका उल्टा होता है, वह तो मौत के लिए हर वक़्त तैयार रहता है और उसकी ज़िन्दगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुज़रा होता है। इसलिए उसकी अचानक मौत, अल्लाह की तरफ़ से नाराज़ी का इज़हार नहीं बल्कि उसके बुलन्दिये दरजात का बाइस होगी, इसीलिए इमाम बैहक़ी की 'शौबुल ईमान' में ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ आई है: 'अचानक मौत' काफ़िर के लिए नाराज़ी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है।' (मिश्कात)

﴾15﴿ باب فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ

बाब : 15
उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो ताऊन से मर जाये

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(3111) हज़रत जाबिर बिन अतीक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उबैदुल्लाह बिन साबित (ﷺ) की एयादत के लिए तशरीफ़ लाये तो उसे बेहोश पाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे ज़रा ज़ोर से बुलाया, मगर उसने जवाब न दिया, तो आपने इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलयहि राजिऊन पढ़ा और फ़रमाया: 'ऐ अबू अर्रबीअ! तेरे मामले में हम

الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ " . فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " . قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْمَوْتُ " . قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ " . قَالُوا الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ

मग़लूब हैं (अल्लाह का फ़ैसला और उसकी तक़दीर ही ग़ालिब है।)' तो औरतें चीख़ पड़ीं और रोने लगीं। इब्ने अतीक इन्हें ख़ामोश कराने लगे तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्हें छोड़ दो मगर जब मामला साबित हो जाये तो फिर कोई हरगिज़ न रोये।' 'उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वजूब (मामला साबित हो जाने) से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'मौत' उसकी एक बेटी (अब्दुल्लाह के मुताल्लिक़) कहने लगी: मुझे तो उम्मीद थी कि अल्लाह तआला तुम्हें शहादत से सरफ़राज़ फ़रमायेगा और आपने अपना सामाने जिहाद भी तैयार कर लिया था। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसका अज्र इसकी नियत के मुताबिक़ दे दिया है। और तुम लोग शहादत किसे समझते हो?' वह कहने लगे कि अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाना। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की राह में क़त्ल के अलावा भी शहादत के सात असबाब हैं: ताऊन से मरने वाला शहीद है, पानी में डूब जाने वाला शहीद है, ज़ातुल जन्ब से मर जाने वाला शहीद है (ज़ातुल जन्ब एक सख़्त क़िस्म की बीमारी है जिसमें पस्ली के अंदर एक फोड़ा हो जाता है ज़्यादातर आदमी उससे हलाक हो जाता है), पेट की तकलीफ़ से मर जाने वाला शहीद है, आग से जल मरने वाला

شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ".

शहीद है, किसी मकान या दीवार के नीचे आकर मर जाने वाला शहीद है और वह औरत, जो विलादत की तकलीफ़ (दर्दे ज़ेह) में वफ़ात पा जाये शहीद है।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: (अलजुमउ) से मुराद ये है कि बच्चा भी औरत के साथ हो (मर जाये)

(3111) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 2803, नसाई: 1847, **मौता:** 1/233, 234, इब्ने हिब्बान : 1616, हाकिम: 1/352, 353.

फ़ायदा : मोमिन के लिए अल्लाह की रहमतों का कोई किनारा नहीं। ऊपर दर्ज कैफ़ियत में आने वाली मौत शहादत की मौत है बशर्ते कि मरने वाला भी इस कैफ़ियत पर राज़ी बरज़ा हो और सबसे अफ़ज़ल शहीद वह है जो मारके में काम आ जाये।

﴿16﴾ بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

बाब : 16 मौत के करीब मरीज़ के नाख़ुन काटे जायें और ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई भी की जाये

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا - وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ

(3112) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: बनू हारिस बिन आमिर बिन नोफ़िल ने हज़रत ख़ुबैब (ﷺ) को ख़रीद लिया, और ख़ुबैब (ﷺ) ही वह शख़्स थे जिन्होंने मारका–ए–बद्र में हारिस बिन आमिर का काम तमाम किया था। चुनांचे ख़ुबैब (ﷺ) उनके यहां क़ैदी रहे यहाँ तक कि उन लोगों ने उनको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया, चुनांचे (क़त्ल के लिये जाने से कुछ दिन पहले) उन्होंने हारिस की

عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ - فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنَ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ مُخْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا - يَعْنِي لِقَتْلِهِ - اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ .

बेटी से उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई कर लें, तो वह उसने उनको दे दिया। फिर उसका एक छोटा बच्चा घिसटते घिसटते उनके पास आ गया जबकि वह उससे ग़ाफ़िल थी, तो जब उसने अचानक देखा कि बच्चा अकेला ही ख़ुबैब के पास, उसकी रान पर बैठा है और उस्तरा भी उनके हाथ में है तो वह ये मन्ज़र देख कर दहशतज़दा हो गयी जिसे ख़ुबैब (ﷺ) ने भाँप लिया, तो वह बोले: क्या तुम डरती हो कि मैं इसे क़त्ल कर डालूंगा, नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शुऐब बिन अबी हमज़ा ने ये क़िस्सा बवास्ता ज़ोहरी रिवायत किया, तो कहा: मुझे उबैदुल्लाह बिन इयाज़ ने बयान किया कि हारिस की बेटी ने उसे बताया कि उन लोगों ने जब ये फ़ैसला किया कि वह ख़ुबैब (ﷺ) को क़त्ल कर डालेंगे तो उन्होंने उस लड़की से उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई कर लें तो वह उसने उन्हें दे दिया।

(3112) तख़रीज : बुख़ारी: 3989, हदीस: 3045.

फ़ायदा : मरीज़ को जब अन्दाज़ा हो कि उसका वक़्त आख़िरकार आ पहुँचा है तो चाहिए कि वह अपनी ज़ाहिरी तहारत और सफ़ाई का एहतिमाम कर ले यानी नाख़ुन तराश ले, मूंछें काट ले, बग़लों और ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई कर ले ताकि जब वह अल्लाह के हुज़ूर पेश हो तो उसका वजूद भी मसनून तहारत का मज़हर हो, लेकिन अगर कोई क़रीबुल मर्ग शख़्स बालों वग़ैरह की सफ़ाई न कर सका हो तो फिर उसको उसके हाल में ही रहने दिया जाये। क्योंकि बादल मौत इस तरह सफ़ाई का कोई हुक्म किसी हदीस से साबित नहीं। ग़ालिबन इसीलिए इमाम मालिक वग़ैरह ने इसे बिदआत में शुमार किया है। (अल मुदव्वनतुल कुब्रा: 1/256, स: 308)

बाब : 17
मुस्तहब है कि इंसान मौत के वक़्त अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे

﴿17﴾
باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ قَالَ " لاَ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ " .

(3113) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आपने अपनी वफ़ात से तीन रोज़ पहले फ़रमाया था: 'तुममें से किसी की मौत न आये मगर इस हाल में कि वह अल्लाह के साथ उम्दा गुमान रखता हो।'

(3113) तख़रीज : मुस्लिम: 2877.

फ़ायदा : उम्दा गुमान ज़ाहिर बात है वही कर सकता है जिसने मोमिनाना और सालेहाना ज़िन्दगी गुज़ारी हो। एक ग़ैर मोमिनाना और ग़ैर सालेहाना ज़िन्दगी गुज़ारने वाले का हुस्ने ज़न ऐसे ही होगा जैसे कड़वा पेड़ बोकर ख़ूश ज़ायक़ा फलों की उम्मीद रखना। इसलिए मसला तो यही है कि इंसान को अपने अल्लाह के साथ हमेशा ही उम्दा और बेहतरीन गुमान रखना चाहिए कि वह उसके साथ ज़ाहिरी, बातिनी और दुनिया व आख़िरत के तमाम उमूर में अच्छा मामला फ़रमायेगा, मगर शर्त है कि बतक़ाज़ा–ए–शरीअत इसकी वाक़ेई बुनियाद भी हो, यानी ईमान व तक़वा और अमले सालेह से मुज़य्यन हो। इससे ऐराज़ करके या इनाद का रवैया रख कर अल्लाह तआला पर तमन्नायें बाँधना सरासर धोखा है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अपने फ़ैसले हैं। कुर्आन व सुन्नत से हट कर किसी के मुताल्लिक़ हतमी तौर पर कुछ कहना रवा नहीं है। बहरहाल मोमिन को 'उम्मीद और ख़ौफ़' दोनों पहलूओं को पेशे नज़र रखते हूए ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिए। सेहत व आफ़ियत के दिनों में ख़ौफ़ का पहलू किसी क़द्र ग़ालिब रहे तो अच्छा है, लेकिन बवक़्ते रहलत उम्मीद का पहलू ग़ालिब रखना चाहिए कि वह 'अर्रहमान, अर्रहीम' अपने ख़ास फ़ज़ल से अफ़्वो दरगुज़र का मामला फ़रमायेगा।

﴾18﴿

باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

बाब : 18
मुस्तहब है कि मौत के क़रीब आदमी के कपड़े पाक साफ़ कर दिये जायें

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا " .

(3114) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने नये कपड़े मंगवाये और पहन लिये। फिर कहने लगे: बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना था कि 'मय्यत को उन्हीं कपड़ों में उठाया जायेगा जिनमें उसे मौत आयेगी।'

(3114) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 1/340, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2575.

फ़ायदा : मोमिन का इम्तियाज़ी वस्फ़ है कि वह हमेशा पाक साफ़ रहता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल भी (मुतह्हेरीन—पाक लोगों) से मोहब्बत रखता है। तो चाहिए कि आख़िरत के सफ़र में, जिसमें कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात होने वाली है मुसलमान का जिस्म और लिबास ख़ूब उ़म्दा और पाक साफ़ हो। ख़याल रहे कि लोग महशर में शुरू में बे लिबास उठाये जायेंगे और फिर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. और बाद में मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) को लिबास दिया जायेगा और उनके बाद दीगर मोमिनीन को, तो जिसने जिस क़िस्म का लिबास इख़्तियार किया होगा, उसे उसी क़िस्म का लिबास दिया जायेगा मगर 'लिबासुत्तक़्वा' ही सबसे बढ़ कर है। इसके बग़ैर ज़ाहिरी लिबास लग़्व व बेमानी हैं और अ़रबी मुहावरा में (ताहिरूस्सौब) 'पाक साफ़ कपड़ों वाला' ऐसे आदमी को कहा जाता है जो अपने अख़्लाक़ व किरदार में साफ़ सुत्थरा हो और उसके बरअक्स को (दनिसस्सौब) 'मैल कुचैल कपड़ो वाला' से ताबीर किया जाता है। यानी उसका अख़्लाक़ व किरदार गंदा और मैला है।

बाब : 19
मय्यत के पास किस क़िस्म की गुफ़्तगू की जाये

﴿19﴾
باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلاَمِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ " قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً " . قَالَتْ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم .

(3115) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम किसी क़रीबुल मौत आदमी के पास जाओ तो अच्छी बात बोलो। बिलाशुब्हा तुम जो कुछ बोलते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं।' जब हज़रत अबू सलमा (ﷺ) फ़ौत हो गये तो मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या कहूं? आपने फ़रमाया: तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर लहू व अ़अ क़िब्ना सालिहा) 'ऐ अल्लाह! इसकी बख़्शिश फ़रमा और हमें इसके बाद बेहतरीन सालेह बदल इनायत फ़रमा।' कहती हैं: फिर अल्लाह तआ़ला ने मुझे इस (अबू सलमा (ﷺ) के बदले में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) इनायत फ़रमा दिये।

(3115) तख़रीज : मुस्लिम: 919.

फ़ायदा : इंसानों के मैयार उन के अपने ख़्याल में ख़्वाह कितने ही उ़म्दा और बलन्द क्यों न हों, अल्लाह तआ़ला के मैयार का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) का ख़्याल था कि अबू सलमा (ﷺ) जैसा शौहर कौन हो सकता है मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअ़त में मज़कूरा दुआ़ का असर ये हूआ कि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें अपने नबी (ﷺ) का हरम बना कर 'उम्मुल मोमिनीन' के शर्फ़ से नवाज़ा। इसलिए चाहिए कि मय्यत के तमाम वारिस ऊपर दी गई दुआ़ पढ़ें और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से बेहतरीन बदल की उम्मीद रखें। बल्कि अगर ये दुआ़ दूसरी ज़ाया

हो जाने वाली चीज़ों के मौक़े पर भी पढ़ ली जाये, तो उम्मीद है कि अल्लाह तआला बेहतरीन बदला इनायत फ़रमायेगा।

बाब : 20
क़रीबुल मर्ग़ (जिसकी मौत करीब आ चुकी हो) को तल्क़ीन करने का बयान

﴾20﴿
باب فِي التَّلْقِينِ

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(3116) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस की आख़री बात (ला इलाहा इल्लल्लाह) हो वह जन्नत में दाख़िल होगा।'

(3116) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/247, हाकिम: 1/351, 500, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 719 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

(3117) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने मरने वालों को कलिमा (ला इलाहा इल्लल्लाह) की तल्क़ीन करो।'

(3117) तख़रीज : मुस्लिम: 916.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तल्क़ीन' की मसनून सूरत ये है कि मरने वाले को कहा जाये: (ला इलाहा इल्लल्लाह) पढ़ लो जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अन्सारी से फ़रमाया था। तफ़्सील के लिए देखिए: (मुसनद अहमद: 3/152, 154, 268) दूसरी एक सूरत जो हमारे यहां मुरव्वज़ (प्रचलित) है कि पास बैठने वाले ख़ुद ये कलिमा मुनासिब आवाज़ से पढ़ते हैं ताकि उसे याद देहानी हो जाये। हस्बे अहवाल इसके इख़्तियार करने में भी कोई हर्ज नहीं। **(2)** हदीस़ में बयान शर्फ़ व

फ़ज़ीलत उन कलिमा कहने वाले लोगों के लिए है जो अ़मलन इसके तक़ाज़े पूरे करते और शिर्क व बिदअ़त से बाज़ और बेज़ार रहे हों। लेकिन महज़ रस्मी वरवाजी तौर पर कलिमे का विर्द करते रहने वाले और अ़मलन शिर्क व बिदअ़त के मुर्तकिब अगर मरते वक़्त भी इस अंदाज़ में कलिमा पढ़ें, तो... वल्लाहु आ़लम! मुफ़ीद नहीं। हाँ अगर इस अ़ज़्म व नियत से पढ़ें कि अगर मुझे मौक़ा मिले तो मैं इस कलिमे के तक़ाज़े पूरे करूंगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुफ़ीद और बाइसे बशारत है। फ़रमाया: 'तमामतर पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ़ चढ़ते हैं और नेक अ़मल उन्हें बलन्द करता है।' (फ़ातिर: 10)

बाब : 21
मय्यत की आँखें बंद कर देनी चाहिए

﴾21﴿
باب تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

(3118) हज़रत उम्मे सलमा (ؓ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अबू सलमा (ؓ) के पास आये जबकि (रूह क़ब्ज़ होने के बाद) उनकी नज़र फट गयी थी, तो आपने उनकी आँखें बंद कर दीं। पस उनके घर वाले चीख़ व पुकार करने लगे, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने लिए बद्दुआएँ मत करो, बल्कि अच्छी बोल बोलो, क्योंकि जो तुम कहते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं।' फिर आपने (बतौर दुआ) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की बख़्शिश फ़रमा, हिदायत याफ़्ता लोगों के साथ इसके दरजात बलन्द कर और इसके पीछे रह जाने वालों में तू ही उसका ख़लीफ़ा बन। और ऐ रब्बुल आ़लमीन! हमारी और इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, ऐ अल्लाह! इसकी क़ब्र को फ़राख़ और रोशन कर दे।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ " . قَالَ أَبُو

دَاوُدَ وَتَغْمِيضُ الْمَيِّتِ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُقْرِئَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَيْسَرَةَ رَجُلاً عَابِدًا يَقُولُ غَمَّضْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلِّمَ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي لَيْلَةَ مَاتَ يَقُولُ أَعْظَمُ مَا كَانَ عَلَىَّ تَغْمِيضُكَ لِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मय्यत की आँखें उसकी रूह निकल जाने के बाद बंद की जायें। कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन नोमान अलमुक़री से सुना, वह कहते थे मैंने अबू मैसरा से सुना जो कि एक आबिद इंसान थे, वह कहते थे: मैंने जाफ़र अल मुअल्लिम की हालते मौत (नज़अ में आँखें बंद कर दीं ... और ये एक आबिद इंसान थे ... तो मैंने उसी रात ख़्वाब में देखा कि वह मुझसे कह रहे थे: मेरी मौत से पहले ही तुम्हारा मेरी आँखें बंद कर देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।

(3118) तख़रीज : मुस्लिम: 920.

फ़ायदा : रूह परवाज़ कर जाने के बाद मय्यत के साथ पहला काम यही करना चाहिए कि उसकी आँखें बंद कर देनी चाहिए, उसके लिए और उसके अहल के लिए दुआ की जाये और उसे मुकम्मल तौर पर ढाँप दिया जाये।

﴾22﴿
بَابٌ فِي الاِسْتِرْجَاعِ

बाब : 22
(किसी भी मुसीबत के वक़्त) इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

(3119) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को कोई मुसीबत आ पड़े, तो चाहिए कि यूँ कहे: (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा! इन्दका अहतसिबु मुसीबती फआजिर्नी फ़ीहा, व अब्दिल ली बिहा ख़ैरम मिन्हा) 'हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ़ लौट जाने वाले हैं। ऐ

رَاجِعُونَ] اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَآجِرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ".

अल्लाह! इस मुसीबत में, मैं तुझसे अज्र व सवाब की उम्मीद रखता हूं, मुझे इसमें अज्र इनायत फ़रमा और इस (मफ़क़ूद) के बदले मुझे इससे बढ़ कर बेहतर बदला इनायत फ़रमा।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/317, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10910, अल यौम वल्लैला, हदीस़: 1071, हाकिम: 4/16, 17, व मुस्लिम: 918.

फ़ायदा : किसी भी क़िस्म के छोटे बड़े नुक़सान या किसी अज़ीज़ के फ़ौत हो जाने पर ये दुआ पढ़ना मसनून है। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बेहतर सूरत में इसका बदला इनायत फ़रमायेगा।

﴿23﴾ باب فِي الْمَيِّتِ يُسَجَّى

बाब : 23
मय्यत को ढाँप देने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ .

(3120) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) को (आपकी वफ़ात पर) एक मुनक़्क़श धारीदार चादर से ढाँप दिया गया था।

(3120) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5814, मुसनद अहमद: 6/153, व मुस्लिम: 942.

﴿24﴾ باب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

बाब : 24
क़रीबुल मर्ग के पास क़ुर्आन पढ़ने का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي

(3121) हज़रत माक़िल बिन यसार (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो।' और ये लफ़्ज़ इब्ने अलअला के हैं।

عُثْمَانَ، - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اقْرَءُوا { يس } عَلَى مَوْتَاكُمْ " . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ .

(3121) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1448, मुसनद अहमद: 4/105.

मल्हूज़ : हदीस ज़ईफ़ है। (मज़ीद देखिए, अहकामुल ज़नाइज़ शैख़ अल्बानी (रह.) मसला 15) इसलिए क़रीबुल मर्ग शख़्स पर सूरह यासीन पढ़ने का रिवाज सही नहीं है। इसकी बजाये उसके लिए ये दुआ की जाये कि या अल्लाह इसके लिए इस सख़्त मरहले को आसान फ़रमा दे।

(25) بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

बाब : 25 मुसीबत के वक़्त (ग़म के सबब से) बैठने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

(3122) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, वह बयान करती हैं कि जब हज़रात ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (رضي الله عنهم) की शहादतें हुईं तो नबी (ﷺ) मस्जिद में बैठ गये। आपके चेहरे पर ग़म के असरात नुमायाँ थे। और (रावी ने) क़िस्सा बयान किया।

(3122) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1305, व मुस्लिम: 935.

फ़ायदा : अहले मय्यत और उनके रिश्तेदारों को ऐसे मौक़े पर बैठना और इकट्ठे होना मुबाह व मुस्तहब है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही पर बैठा जाये बल्कि हस्बे अहवाल चटाईयाँ, चारपाईयाँ या कुर्सियों पर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं। ताहम तीन दिन तक इस तरह ताज़ीयत के लिए आने जाने वालों की ख़ातिर बैठने को लाज़िम समझना ग़लत है, क्योंकि ये कोई शरई मसला नहीं है कि इसे ज़रूरी समझा जाये। इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक जायज़ रिवाज ही कहा जा सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब. इसके अलावा इन अय्याम में ताज़ीयत के लिए आने वाला शख़्स हाज़िरीन समेत

पहले हाथ उठाकर दुआ करने को ज़रूरी समझता है और जो शख़्स ऐसा नहीं करता या अहले मय्यत इस तरीक़े को इख़्तियार नहीं करते, तो बुरा माना जाता है और उस शख़्स को या अहले मय्यत को दुआ का मुन्किर बावर कराया जाता है, हालांकि मसला दुआ की अहमियत व फ़ज़ीलत का नहीं है, इसलिए कि वह तो मुसल्लमा है, दुआ की अहमियत व फ़ज़ीलत का कोई मुन्किर (इन्कार करने वाला) नहीं। अस़ल मसला मसनून तरीक़े से दुआ करने का है। बार बार हाथ उठाकर दुआ करना एक रस्म है और इसमें अक्सर कुछ पढ़ा भी नहीं जाता, या सिर्फ़ फ़ातिहा ख़्वानी कर ली जाती है, हालांकि सूरह फ़ातिहा में मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ का कोई पहलू ही नहीं है। गोया ये तरीक़ा एक तो मसनून नहीं है, सिर्फ़ रस्म है। दूसरे, मय्यत के हक़ में इस तरह मग़फ़िरत की दुआ भी बिलउमूम नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है तो फिर ताज़ीयत का मसनून तरीक़ा क्या है? वह तरीक़ा नीचे दिया जा रहा है: अव्वल तो मय्यत के अहले ख़ाना का इस तरह एहतिमाम के साथ मुसलसल चंद दिन बैठना ही, ऐसा अमल है जिसका सबूत ज़मान–ए–रिसालत व ज़मान–ए–सहाबा व ताबेईन में मिलना निहायत मुश्किल है। अस़ल बात जनाज़े और तदफ़ीन में शिर्कत होकर मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है। इसके बाद अहले मय्यत के लिए ख़ास़ तौर पर दरियाँ या चटाइयाँ बिछा कर बैठना महल्ले नज़र है, तदफ़ीन के बाद उनको अपने अपने कामों में मस़रूफ़ हो जाना चाहिए। और अहले मय्यत जब भी और जहां भी मिलें उनसे ताज़ीयत कर ली जाये। ताज़ीयत किन अल्फ़ाज़ में और किस तरह की जाये? बेहतर ये है कि अहले मय्यत को सबसे पहले सब्र व रज़ा की तल्क़ीन की जाये: (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ कर, सबके लिए इसी अंजाम से दोचार होने को वाज़ेह किया जाये। मय्यत के हक़ में बग़ैर हाथ उठाये मग़फ़िरत की दुआ की जाये और अहले मय्यत के लिए सब्रे जमील की। और वह दुआएँ पढ़ी जायें जो इस मौक़े पर नबी (ﷺ) से साबित हैं। जैसे नबी (ﷺ) की साहिबज़ादी हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) का बच्चा आलमे नज़अ में था, उन्होंने नबी (ﷺ) को बुलाने के लिए पैग़ाम भेजा, तो आपने उन्हें सब्र व एहतिसाब की तल्क़ीन करते हूए फ़रमाया: (इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहू मा आता व कुल्लु इन्दहु बिअजलिम्मुसम्मन) (सही बुख़ारी, हदीस: 1284) 'बेशक अल्लाह ही का है जो उसने लिया, और उसी का है जो उसने दिया, और हर एक के लिए उसके पास एक वक़्त मुक़र्रर है।' जब हज़रत अबू सलमा (رضي الله عنه) फ़ौत हो गये, तो नबी (ﷺ) उनकी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) के पास ताज़ीयत के लिए तशरीफ़ ले गये और इन अल्फ़ाज़ में दुआ फ़रमाई: (अल्लाहुम्मग़ फ़िरलि अबी सलमा वर्फ़अ दरज़तहू फ़िल महदिय्यीन वख़्लुफ़्हू फ़ी अक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना या रब्बल आलमीन वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहू फ़ीहि) 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग़फ़िरत फ़रमा, इसके दर्जे महदिय्यीन में बलन्द फ़रमा, और

इसके पीछे रह जाने वालों में इसके बाद तू उनका जानशीन बन और हमारी और इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, ऐ रब्बुल आलमीन! इसकी क़ब्र में कुशादगी फ़रमा और इसको इसके लिए मुनव्वर फ़रमा दे।' जिसको ये मसनून दुआएँ और अल्फ़ाज़ याद न हों, तो वह अपनी ज़बान में हाथ उठाये बग़ैर मय्यत के लिए मग़फ़िरत की और अहले ख़ाना के लिए सब्रे जमील की दुआ करे और इस क़िस्म की बातें करे जिससे पस्मांदगान को तसल्ली मिले और उनके दिल व दिमाग़ से सदमे के असरात कम हों। इस मौक़े पर भी चूंकि नबी (ﷺ) से हाथ उठा कर दुआ करना साबित नहीं है, इसलिए इस रिवाज से बचा जाये और सुन्नत के मुताबिक़ हाथ उठाये बग़ैर दुआ की जाये।

बाब : 26
ताज़ीयत का बयान

﴿26﴾
باب في التَّعْزِيَةِ

(3123) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस (ؓ) बयान करते हैं कि हमने नबी (ﷺ) की मईयत (साथ) में एक मय्यत को दफ़न किया। जब हम फ़ारिग़ हूए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) वापस लौटे, हम भी आपके साथ वापस हूए। जब आप अपने दरवाज़े के सामने आये तो रूक गये, हमने देखा कि एक ख़ातून आ रही है, मेरा ख़याल है कि आपने उसे पहचान लिया था। जब वह जाने लगी तो मालूम हूआ कि वह हज़रत फ़ातिमा (ؓ) थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! तुम अपने घर से क्यों निकली हो?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं उन घर वालों के पास आई थी और मैंने उनकी मय्यत के लिए दुआ और उसके मुताल्लिक़ ताज़ीयत की है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: और तू शायद

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي مَيِّتًا - فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وَقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ - قَالَ أَظُنُّهُ عَرَفَهَا - فَلَمَّا ذَهَبَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ " . فَقَالَتْ

أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى " . قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ . قَالَ " لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى " . فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى فَقَالَ الْقُبُورُ فِيمَا أَحْسِبُ .

उनके साथ कुदा (मक़ाबिर की तरफ़) भी गयी होंगी?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! जब कि मैंने आपको इस बारे में फ़रमाते सुना है जो आप फ़रमाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तू उनके साथ कुदा जाती तो ...' आपने बड़ी सख़्त बात ज़िक्र फ़रमाई।

(मुफ़ज़्ज़ल कहते हैं कि) मैंने रबीया से कुदा के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा: मैं समझता हूं कि उस जगह क़ब्रें हैं।

(3123) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1881, हाकिम: 1/373, 374.

फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरतों का क़ब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है। लेकिन उलमा ने कहा है कि ये उस वक़्त की बात है जब इब्तेदा–ए–इस्लाम में लोगों को क़ब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया था। फिर जब नबी (ﷺ) ने इसकी इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों का भी क़ब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया, क्योंकि इजाज़त के अल्फ़ाज़ आम हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। अलबत्ता इसके उमूम से सिर्फ़ वह औरतें ख़ारिज होंगी जो सब्र व ज़ब्त से आरी और ग़ैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिए जाने की इजाज़त नहीं होगी।

(27) بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

बाब : 27
सब्र दर हक़ीक़त वही है जो मुसीबत आते ही किया जाये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَتَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا " اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي " . فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي

(3124) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) एक औरत के पास से गुज़रे जो अपने बच्चे पर रो रही थी आपने उससे फ़रमाया: 'अल्लाह का तक़वा इख़्तियार कर और सब्र कर।' वह बोली: तुम्हें मेरी मुसीबत की क्या परवा? उस औरत

أَنْتَ بِمُصِيبَتِي فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى " . أَوْ " عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ " .

से कहा गयाः ये तो नबी (ﷺ) हैं। तब वह आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूई, उसने आपके दरवाज़े पर चौकीदार न पाये। उसने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको पहचाना नहीं था, तो आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सब्र वही होता है जो पहले सदमा के वक़्त हो।'

(3124) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 1252, व मुस्लिमः 926.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रोने पीटने और चीख़ने चिल्लाने के बाद जब इंसान वैसे ही थक हार जाता है तो उसे सब्र क़रार नहीं दिया जा सकता। सब्र तो ये है कि मुसीबत आये तो उस पर (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) के अलावा कुछ न कहा जाये, अल्लाह के फ़ैसले पर तस्लीम व रज़ा का मुज़ाहिरा किया जाये और जज़अ फ़ज़अ, नोहा व मातम और अलाह का शिक्वा न किया जाये। **(2)** शिद्दते जज़्बात और आप को न पहचानने की वजह से उस औरत से रसूलुल्लाह (ﷺ) के हक़ में जो तक़सीर हूई, आपने उसे माफ़ फ़रमा दिया। **(3)** जो शख़्स अपने नाबालिग़ बच्चों की वफ़ात पर सब्र व रज़ा का इज़हार करे, उसे जन्नत की बशारत दी गयी है। हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस मुसलमान के तीन बच्चे बालिग़ होने से पहले फ़ौत हो जायें तो अल्लाह तआला उसको उन बच्चों पर अपनी रहमत की बरकत से जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।' (सही बुख़ारी, हदीसः 1248) इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आपने फ़रमायाः 'जिस मुसलमान के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें, उसे जहन्नम की आग नहीं छूएगी।' (सही बुख़ारी, हदीसः 1251) इसके अलावा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी की रिवायत में है कि आपने औरतों से मुख़ातिब होकर फ़रमायाः 'तुममें से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेज दे यानी मौत हो जायें तो वह उसके लिए जहन्नम की आग से रूकावट बन जायेंगे, तो एक औरत ने कहा, और दो बच्चों का क्या हुक्म है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'दो का भी यही हुक्म है।' (सही बुख़ारी, हदीसः 1249)

बाब : 28
मय्यत पर रोना

(3125) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक साहिबज़ादी (बेटी) ने आपको पैग़ाम भेजा, जबकि मैं, सअ़द बिन उबादा (ﷺ) और ग़ालिबन उबय (ﷺ) भी आप (ﷺ) के पास बैठे हूए थे, मेरा बेटा या बेटी नज़अ़ की कैफ़ियत में है तो आप तशरीफ़ ले आयें। आपने जवाब में सलाम कहलवाया और फ़रमाया: 'उसे कहो कि अल्लाह जो ले ले और जो इनायत फ़रमा दे सब उसी का है और हर चीज़ का उसके यहां एक वक़्त मुक़र्रर है।' उसने आप (ﷺ) को दोबारा क़सम देकर बुलवाया तो आप तशरीफ़ ले गये। फिर बच्चे को रसूलुल्लाह (ﷺ) की गोद में दे दिया गया जब कि वह दम तोड़ रहा था। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें बह पड़ीं। हज़रत सअ़द (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्या? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये रहमत है, अल्लाह जिनके मुताल्लिक़ चाहता है उनके दिलो में उसे डाल देता है और अल्लाह अपने उन्हीं बंदों पर रहमत फ़रमाता है जो रहम दिल हों।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1284, व मुस्लिम: 923.

﴿28﴾
باب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحْسِبُ أُبَيًّا أَنَّ ابْنِي أَوْ بِنْتِي قَدْ حُضِرَ فَاشْهَدْنَا . فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ فَقَالَ " قُلْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ " . فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا قَالَ " إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत पर ग़म की वजह से आँखों से आँसू का निकल आना, एक फ़ितरी बात है। इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं, बल्कि ये दिल की नर्मी और रहम दिली की अलामत होती है। (2) जिस शख़्स का दिल सख़्त हो, ऐसे मौक़ों पर फ़ितरी तौर पर जो ग़म होता है, उसका भी जायज़ तौर पर इज़हार न हो तो ये संगदिल है जो अच्छी बात नहीं है। ये कैफ़ियत क़ाबिले इलाज है। और इसका इलाज है मौत को कसरत से याद करना, क़ब्रिस्तान की ज़ियारत और यतीम के साथ शफ़क़त का मामला करना। इन आमाल को बजा लाने से दिल की सख़्ती नर्मी से बदल सकती है। (3) कहीं क़रीब में भी कोई पैग़ाम लेना देना हो, तो हुस्ने अदब ये है कि पहले सलाम कहलाया जाये।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ " .

(3126) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़बर दी : 'मेरे यहां आज रात एक बच्चा पैदा हूआ है। मैंने उसका नाम अपने वालिद के नाम पर 'इब्राहीम' रखा है।' और हदीस़ बयान की।

हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं : मैंने उसे देखा कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथों में (आलमे नज़अ में) बेचैन हो रहा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें बह पड़ी, फिर आपने फ़रमायाः 'आँख रोती है, दिल इन्तेहाई ग़मगीन है और हम वही कहते हैं जिसमें हमारे रब की रज़ा है। इब्राहीम! तेरी जुदाई पर हम ग़मगीन हैं।'

(3126) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1303, व मुस्लिम: 2315.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) साहिबे इख़्तियार न थे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल बेइख़्तियार, आजिज़ और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले बंदे और रसूल थे ... (ﷺ) ... आपका ये उस्वा–ए–हस्ना हर मुसलमान के लिए क़ाबिले इत्तेबा है। इसमें ग़म का फ़ितरी इज़हार भी है और ये रब के फ़ैसले पर तस्लीम व रज़ा का आमेज़दार भी है।

बाब : 29
नोहे का बयान

﴿29﴾
باب في النَّوْحِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ .

(3127) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: बेशक, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नोहा करने से मना फ़रमाया है।

(3127) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 7215, व मुस्लिम: 936.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ

(3128) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नोहा करने वाली और उसे सुनने वाली पर लानत फ़रमाई है।

(3128) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 3/65, बैहक़ी: 4/63.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर दूसरी स़ही अहादीस़ की रोशनी में मसला इसी तरह है कि नोहा सुनना भी जायज़ नहीं। (2) 'नोहा' मुराद मय्यत पर आवाज़ और पुकार के साथ रोना, यानी चीख़ व दहाड़ मचाना, बीन करना, बाल नौचना, सर में ख़ाक डालना और कपड़े फाड़ना वग़ैरह है। हाँ इसके बग़ैर ग़म के तास्सुर और रहम दिली की बिना पर आँसूओं का निकल आना कोई मायूब चीज़ नहीं है। (3) नोहा करना हराम और कबीरा गुनाह है, उसे सुनना और ऐसी मज्लिसों में हाज़िर होना भी नाजायज़ और हराम है, बिलख़ुसूस़ अ़श्र–ए–मुहर्रम में शियों की तरफ़ से बपा की जाने वाली मारूफ़ मज्लिसों में जाना भी नाजायज़ है। क़ुर्आन मजीद में है: 'गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे के साथ ताअ़वून मत करो।'

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، وَأَبِي،

(3129) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

مُعَاوِيَةَ - الْمَعْنَى - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ - تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ " إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " . ثُمَّ قَرَأَتْ {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ .

'बिलाशुब्हा मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब होता है।' ये हदीस़ हज़रत आ़यशा (ﷺ) के सामने बयान की गयी, तो उन्होंने कहा: (हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) भूल गये हैं, हक़ीक़त ये है कि) नबी (ﷺ) एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे, तो फ़रमाया था: 'बेशक ये क़ब्र वाला अ़ज़ाब दिया जा रहा है और उसके घर वाले उस पर रो रहे हैं।' फिर हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने ये आयत पढ़ी: (वला तज़िरू वाज़िरतुव विज़्रा उख़्रा) 'कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।' हन्नाद ने अबू मुआ़विया से रिवायत करते हूए वज़ाहत की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक यहूदी की क़ब्र के पास से गुज़रे थे।

(3129) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3980, 3981, व मुस्लिम: 932, बुख़ारी: हदीस़: 3979.

फ़ायदा : मरने वाला अगर काफ़िर हो या बिलफ़र्ज़ मुसलमान भी हो मगर नोहा करने की वस़ीयत कर गया हो या इस अ़मल पर राज़ी हो तो अहले ख़ाना के नोहा करने से उसे अ़ज़ाब होगा। इस सूरत में उसे अ़ज़ाब दिया जाना पिछली आयत के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता अगर वह इस अ़मल से बेज़ार रहा हो और मना कर गया हो, फिर पीछे वाले ये ग़ैर शरई काम करें तो वह उससे बरी होगा, लिहाज़ा मोमिन को चाहिए कि अपने वारिस़ों को नोहा या बीन करने से सख़्ती के साथ मना करते रहा करें। हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने इस हदीस़ को इस आयत के ख़िलाफ़ समझा, इसलिए इसकी ये तावील की। जब कि वाक़िया ये है कि मज़कूरा मफ़हूम के मुताबिक़ इस हदीस़ और आयत में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, इसलिए ये हदीस़ भी इस तरह स़ही है जिस तरह हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने इसे बयान किया है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

(3130) हज़रत यज़ीद बिन औस कहते हैं कि मैं हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) के यहां गया जब कि वह (बीमारी के बाइस़)

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ أَوْ تَهُمَّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى . قَالَ فَسَكَتَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى - قَالَ يَزِيدُ - لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَكَتِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ " .

बहुत ही तकलीफ़ में थे, तो उनकी बीवी रोने लगी या उसकी तैयारी करने लगी। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने उससे कहा: क्या तूने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान नहीं सुना? कहने लगी: हाँ, मैंने सुना है। चुनांचे वह ख़ामोश हो रही। जब हज़रत अबू मूसा(ﷺ) की वफ़ात हो गयी तो यज़ीद कहते हैं कि मैं उस ख़ातून से मिला और उससे पूछा कि वह क्या बात थी जो अबू मूसा ने आपसे कही थी कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान नहीं सुना और फिर आप ख़ामोश हो रही थीं? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो कोई (मुसीबत में) बाल मूंडे या बीन करे (या मुँह पीटे) या कपड़े फाड़े वह हममें से नहीं है।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1866, 1867, बुख़ारी, हदीस: 1296, मुस्लिम: 104.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، - عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا .

(3131) हज़रत उसैद बिन अबी उसैद एक ख़ातून से बयान करते हैं जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैत की थी, कहती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे जो अहद लिये थे कि नेकी के कामों में हम आपकी नाफ़रमानी नहीं करेंगे ... इसमें ये भी था कि चेहरा नहीं नोचेंगी, हाय वाय नहीं करेंगी, कपड़े नहीं फाड़ेंगी और बाल नहीं नोचेंगी।

(3131) **तख़रीज : (सनद हसन)** बैहक़ी: 4/64, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस: 1667.

बाब : 30
अहले मय्यत के लिये खाना तैयार करना

﴾30﴿ باب صَنْعَةِ الطَّعَامِ لأَهْلِ الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ " .

(3132) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'आले जाफ़र के लिए खाना तैयार करो बिलाशुब्हा उन्हें एक ऐसा मामला दरपेश है जिसने उन्हें मशग़ूल कर दिया है।' (उनके पास हज़रत जाफ़र (ﷺ) की शहादत की ख़बर आई थी)

(3132) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 998, इब्ने माजा, हदीस़: 1610, हाकिम: 1/372.

फ़ायदा : इस हदीस़ से इस्तेदलाल करते हूए बाज़ लोग कहते हैं कि अहले मय्यत के घर में तीन दिन तक खाना पकाना जायज़ नहीं। लेकिन नबी (ﷺ) का ये फ़रमान तो ऐन मौक़े के वक़्त के लिये था, उसे तीन दिन तक लम्बा करना शरअन स़ही मालूम नहीं होता। इसके अलावा इससे अस़ल मक़स़द अहले मय्यत से इज़हारे हमदर्दी था, महज़ खाने पकाने की मनाही नहीं इसलिये इससे इस्तिदलाल करके अहले मय्यत के घर खाना पकाने को बिलकुल मना कर देना भी सही नहीं हाँ एक और रिवाज जो आम हो गया है शरई तौर पर दुरूस्त नहीं और वह है जनाज़े में शरीक होने वालों के लिये खाना पकाना और दावते आम का एहतिमाम करना। जनाज़े में शरीक होने वाले दो क़िस्म के लोग होते हैं। एक तो क़रीबी रिश्तेदार, जो दूर दराज़ के इलाक़ों (मुख़्तलिफ़ शहरों) से आते हैं, वह फ़ौरन वापस जा भी नहीं सकते और मय्यत से ख़ुस़ूस़ी ताल्लूक़ात की वजह से उनका फ़ौरन वापस चले जाना मुनासिब भी नहीं होता। दूसरी क़िस्म के लोग, जो तादाद में आम तौर पर क़रीबी रिश्तेदार से ज़्यादा होते हैं जो दोस्त अहबाब अहले मुहलला और हम ख्याल जमाती भाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी शिरकत नमाज़े जनाज़ा या ज़्यादा से ज़्यादा तदफ़ीन तक होती है। उसके बाद ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पहले क़िस्म के लोगों के लिए खाना तैयार करना तो यक़ीनन जायज़ है, क्योंकि वह मय्यत के निहायत क़रीबी होते हैं और उनका क़याम भी अहले मय्यत के पास ही होता है। लेकिन दूसरे किस्म के

लोगों के लिए भी खाना तैयार करना और उनको दावतों की तरह खाना खिलाना या उन्हें खाने पर मजबूर करना या दावते आम की मुनादी करना अपने ऊपर बोझ डालना है जो शरअन महल्ले नज़र है। ये तरीक़ा मालदारों ने शुरू किया है जिनके लिए चंद देगें पका लेना कोई मुश्किल अम्र नहीं, लेकिन इस रिवाज ने कम वसाइल वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस मौक़े पर तमाम शुरका–ए–जनाज़ा के लिए दावते आम का एहतिमाम करना, क़ाबिले इस्लाह है। खाने का ये एहतिमाम सिर्फ़ क़रीबी रिश्तेदार के लिए होना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए इसका एहतिमाम किया जाये, न दूसरे लोग इसमें शरीक ही हों।

बाब : 31
शहीद को ग़ुस्ल देने का मसला?

﴾31﴿
باب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ - قَالَ - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3133) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, कहा: एक शख़्स को उसके सीने या हल्क़ में एक तीर आ लगा और वह फ़ौत हो गया तो उसे उसी तरह उसके कपड़ों में लपेट दिया गया। कहते हैं: (इस वाक़िया में) हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे।

(3133) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, तम्हीद: 24/244, मुसनद अहमद, हदीस: 3/367, इब्ने अल मुलक़िन, हदीस: 812.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

(3134) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शोहदा–ए–उहुद के मुताल्लिक़ फ़रमाया था: 'उनके हथियार और (चमड़े की) पोस्तीन उतार लिये जायें और उन्हें उनके ख़ूनों और कपड़ों

عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ.

ही में दफ़न किया जाये।'
(ये अल्फ़ाज ज़ियाद बिन अय्यूब के हैं)
(3134) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1515.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

(3135) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि शोहदा–ए–उहुद को गुस्ल नहीं दिया गया, उन्हें उनके ख़ूनों के साथ ही दफ़न कर दिया गया और जनाज़ा भी नहीं पढ़ा गया।
(3135) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम, हदीस़: 1/365, 366, हदीस़: 3138 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) जंग में शहीद होने वाले के लिये यही है कि उसे उसी तरह बिला गुस्ल, ख़ून में लतपत और उन्हीं कपड़ों में दफ़न कर दिया जाये जिनमें वह शहीद हूआ है। जैसे कि पिछली अहादीस़ में आया है। (2) ये अहादीस़, उन लोगों की दलीलें हैं जो शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के क़ाइल नहीं हैं। लेकिन बाज़ रिवायत से नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का जवाज़ भी साबित होता है। इसलिए इस मसले में तोसीअ है और दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मस्लक पहला ही मालूम होता है। दूसरे का सिर्फ़ जवाज़ ही है। इस जवाज़ की बुनियाद पर शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को इश्तेहार बाज़ी और प्रोपेगेंडे का ज़रिया बना लेना, कोई पसन्दीदा अम्र नहीं है। इस तरीक़े से तो इसका जवाज़ भी महल्ले नज़र (डाउटफुल) क़रार पा जाता है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، - يَعْنِي الْمَرْوَانِيَّ - عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ

(3136) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत हमज़ा (ﷺ) के पास से गुज़रे जब कि उनका मुसला (लाश चीरना–फाड़ना) किया गया था। (उनकी लाश से नाक और कान वग़ैरह काट लिये गये थे) तो आपने फ़रमाया: 'अगर ये बात न हो कि (इनकी बहन) स़फ़िया (ﷺ) से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा तो मैं उसे (हज़रत हमज़ा की

مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا " . وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - زَادَ قُتَيْبَةُ - ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ " أَيُّهُمْ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا " . فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

लाश को) ऐसे ही छोड़ दूं यहाँ तक कि इसे दरिन्दे और परिन्दे खा जायें और फिर ये उनके पेटों ही से महश्र में आयें।' और (उहुद में) कपड़े कम पड़ गये और शहीदों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गयी तो एक एक दो दो और तीन तीन को एक ही कपड़े में कफ़न दिया गया।

क़ुतैबा ने मज़ीद कहाः और एक एक क़ब्र में दफ़न किये गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाते जाते थे कि उनमें से क़ुर्आन किस को ज़्यादा याद है? फिर उसे क़िब्ला की जानिब आगे कर देते थे।

(3136) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1016, हाकिम: 3/196.

फ़ायदा : आलिमे दीन और हाफ़िज़े क़ुर्आन मौत के बाद भी दूसरों से आगे होता है। और अल्लाह की राह में आने वाली अज़ीयत जिस क़द्र भी हो अल्लाह के यहां दर्जात की बुलंदी का बाइस होगी।

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ .

(3137) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत हमज़ा (ﷺ) के पास से गुज़रे (और देखा कि) उनका मुसला किया गया है तो आपने उनके सिवा किसी और का जनाज़ा नहीं पढ़ा।

(3137) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तहावी मआनिल आसार: 1/502, 1/503.

फ़ायदा : इससे शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का जवाज़ साबित होता है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ

(3138) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शोहदा-ए-उहुद में से दो दो आदमियों को इकट्ठा करते और दरयाफ़्त फ़रमातेः 'इन में

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ " أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ " . فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا .

कुर्आन किसे ज़्यादा याद है?' जब किसी एक की तरफ़ इशारा किया जाता, तो आप उसे लहद में आगे रखते। और आपने फ़रमाया: 'मैं क़यामत के रोज़ इनके लिये गवाह होऊंगा।' आपने हुक्म दिया कि इन्हें इनके ख़ूनों ही में दफ़न किया जाये और इन्हें गुस्ल नहीं दिया।

(3138) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1343.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

(3139) हज़रत लैस़ ने इस हदीस़ को ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और कहा कि आप (ﷺ) ने शोहदा–ए–उहुद में से दो दो आदमियों को एक एक कफ़न में इकट्ठा किया।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है.

﴿32﴾ بَابٌ فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ

बाब : 32
मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके लिए परदा करना

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ " .

(3140) हज़रत अ़ली (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी रान बेपरदा न कर और न कभी किसी ज़िन्दा या मय्यत की रान को देख।'

(3140) तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़ जिद्दा)** इब्ने माजा, हदीस़: 1460, हदीस़: 4015 में देखें।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ .

(3141) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि स़हाब–ए–किराम ने जब नबी (ﷺ) को गुस्ल देना चाहा तो उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हमें मालूम नहीं कि आया हम रसूल (ﷺ) के कपड़े उतारें जैसे कि हम अपनी मय्यतों के उतार देते हैं या इन्हें इनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दें। पस जब उनका इस बारे में इख़्तिलाफ़ हूआ, तो अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, उनमें से कोई भी न बचा मगर उसकी ठोड़ी उसके सीने से जा लगी। फिर घर की जानिब से एक बात करने वाले ने बात की, किसी को ख़बर नहीं कि वह कौन था कि नबी (ﷺ) को उनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दो। चुनांचे वह उठे और रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपकी क़मीस़ समेत ग़ुस्ल दिया। और क़मीस़ के ऊपर ही से पानी डालते जाते थे और आपकी क़मीस़ ही से आपको मलते जाते थे बग़ैर इसके कि आपके ज़िस्म को उनके हाथ लगें। ह़ज़रत आ़यशा (ﷺ) कहा करती थीं: अगर मुझे इस मामले का पहले इल्म हो जाता जिसका बाद में हूआ है, तो आपको आपकी बीवियाँ ही गुस्ल देती।

(3141) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1464, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2156, 2157, इब्ने जारूद, हदीस़: 517, हाकिम: 3/59, इब्ने अलमुलक़िन, हदीस़: 768, बैहक़ी: 7/242.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत को ग़ुस्ल देते हूए बिल्कुल बेपरदा करना जायज़ नहीं बल्कि सतरे औ़रत (परदे वाली चीज़ों को छुपाने) का एहतिमाम करना वाजिब है। **(2)** शौहर बीवी को या बीवी

शौहर को गुस्ल दे तो जायज़ है। जैसे कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को और हज़रत अस्मा (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (ﷺ) को गुस्ल दिया था।

बाब : 33
मय्यत को कैसे गुस्ल दिया जायें?

﴿33﴾
باب كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " . قَالَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا .

(3142) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां तशरीफ़ लाये जबकि आपकी स़ाहिबज़ादी की वफ़ात हो गयी थी। आपने फ़रमाया: 'इसे तीन या पाँच बार गुस्ल दो या इससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत महसूस करो, ऐसे पानी के साथ जिसमें बेरी के पत्ते मिले हों, और आख़री बार में कुछ काफ़ूर भी मिला लेना, और जब तुम गुस्ल से फ़ारिग़ हो जाओ तो मुझे ख़बर देना।' चुनांचे जब हम फ़ारिग़ हो गये तो आपको ख़बर दी तो आपने हमें अपना तहबंद दिया और फ़रमाया: 'इसे इसके जिस्म के साथ लपेट दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम मालिक (रह.) से (हक़्वा) की बजाये (इज़ार) का लफ़्ज़ मरवी है। (और मानी एक ही है यानी तहबंद) और मुसद्दद ने (दख़ला अ़लैना) के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

(3142) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1253, मौता, हदीस़: 1/222, व मुस्लिम: 939.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत को कम अज़ कम तीन बार गुस्ल देना मुस्तहब है और अगर ज़रूरत हो तो पाँच बार या उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। (2) गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते उबाल लिये

जायें तो बेहतर है और ऐसे ही आख़री बार में कुछ काफ़ूर मिला लेना भी मुस्तहब है। (3) किसी मुसलमान के इस्तेमाल किये हुये कपड़े को बतौर कफ़न इस्तेमाल करना जायज़ है मगर नबी (ﷺ) की चादर बिलख़ुसूस मुतबर्रक थी, ताहम इस नियत से किसी और का कपड़ा इस्तेमाल न किया जाये।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَبُو كَامِلٍ - بِمَعْنَى الإِسْنَادِ - أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ، أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ

(3143) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) बयान करती हैं कि हमने (दुख़्तरे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तजहीज़ व तकफ़ीन में) उनके बालों की तीन लटें बनाई थी।

(3143) तख़रीज : मुस्लिम: 939.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا .

(3144) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) बयान करती हैं कि हमने उनके बालों की तीन लटें बट दीं और फिर उन लटों को उन (मोहतरमा) के पीछे डाल दिया, यानी सर के आगे के बाल और दोनों अतराफ़ वाले।

(3144) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 939, व मुस्लिम: 939.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ " ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا " .

(3145) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अपनी स़ाहिबज़ादी के ग़ुस्ल के बारे में फ़रमाया था: 'उनकी दायें अतराफ़ और अ़ज्ज़ा–ए–वुज़ू (वुज़ू के पार्टस) से ग़ुस्ल शूरू करें।'

(3145) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 167, व मुस्लिम: 939.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ فِي حَدِيثِ

(3146) मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) ने उम्मे अ़तिया (ﷺ) से हदीस़ बयान की जो इमाम मालिक (रह.) की रिवायत के हम मानी है। और हदीस़ हफ़्स़ा (बिन्ते सीरीन) जो उम्मे

حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ " أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ " .

अतिया (ﷺ) से मरवी है इसमें भी इसकी मानिन्द है, लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा है: 'या सात बार ग़ुस्ल दो या उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत महसूस करो।'

(3146) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3142 में देखें।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ .

(3147) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) ग़ुस्ले मय्यत की रिवायत हज़रत उम्मे अतिया(ﷺ) से बयान किया करते थे। (या ग़ुस्ले मय्यत का तरीक़ा उन्होंने उम्मे अतिया(ﷺ) से सीखा था) और वह मय्यत को दोबार बेरी के पानी से नहलाते और तीसरी बार काफ़ूर मिले पानी से।

(3147) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3142 में देखें, बैहक़ी, 3/389, हदीस: 3142.

फ़ायदा : मय्यत को गुस्ल देने का मसला बहुत ही अहमियत रखता है, लिहाज़ा उलमा को चाहिए कि तलबा और जवानों को और घरों में औरतों को भी सिखायें और मय्यत को गुस्ल देना कोई हक़ीर काम नहीं, बल्कि एक मुसलमान की अज़ीम ख़िदमत और बड़े अज्रो सवाब का काम है।

﴿34﴾ بَابٌ فِي الْكَفَنِ

बाब : 34
कफ़न का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ

(3148) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक रोज़ ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और उसमें अपने एक सहाबी का ज़िक्र किया जो फ़ौत हो गया था और उसको मामूली कफ़न दिया गया और रात ही में दफ़न कर दिया गया तो नबी (ﷺ) ने इस बात पर डाँटा कि रात के

वक़्त किसी को दफ़न न किया जाये यहाँ तक कि आप (ﷺ) उसका जनाज़ा पढ़ लें मगर ये कि कोई मजबूरी हो। और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उम्दा कफ़न दे।'

طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ " .

(3148) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/295, व मुस्लिम: 943.

फ़ायदा : इससे मुराद महंगा और क़ीमती कफ़न नहीं बल्कि सादा, साफ़ सुथरा और मुकम्मल कफ़न है। इस बयान में ये भी है कि किसी भी मुसलमान भाई को कफ़न देना, एक मुस्तहसन (नेक) काम है।

(3149) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को (पहले) हिबरा (मुनक़्क़श धारीदार चादर का) कफ़न पहनाया गया था मगर उसे उतार लिया गया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ .

(3149) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/248, मुसनद अहमद: 6/161, मुस्लिम: 941.

(3150) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'तुममे से जब कोई फ़ौत हो जाये और उसे वुस्अत (ताकत) हासिल हो, तो चाहिए कि उसका कफ़न हिबरा (मुनक़्क़श धारीदार चादर) का हो।'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " .

(3150) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/403, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/108, मुसनद अहमद: 3/319.

(3151) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को तीन सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफ़न दिया गया था, उनमें क़मीस़ थी, न पगड़ी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

(3151) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1272, व मुस्लिम: 941.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ . قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ

(3152) हिशाम बिन उर्वा ने बवास्ता अपने वालिद, हज़रत आयशा (ﷺ) से इसके मिस्ल रिवायत किया और मज़ीद कहा कि ये कपड़े सूती थे। उन्होंने बयान किया कि हज़रत आयशा (ﷺ) से लोगों की ये बात ज़िक्र की गई कि 'आप (ﷺ) को दो कपड़ों और एक मुनक़्क़श धारीदार चादर में कफ़न दिया गया था।' तो उन्होंने कहा: मुख़त्तत चादर लाई गई थी मगर उन्होंने उसे वापस कर दिया था और उसमें कफ़न नहीं दिया था।

(3152) **तख़रीज : (सनद सही)** ये हदीस पहले गुज़र चुकी है.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

(3153) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को तीन नजरानी कपड़ों में कफ़न दिया गया। एक हुल्ला जो दो कपड़ों पर मुश्तमिल था और एक आपकी अपनी क़मीस़ जिसमें आपकी वफ़ात हूई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उस्मान बिन अबी शैबा ने कहा: तीन कपड़ों में कफ़न दिया गया। एक सुर्ख़ हुल्ला और एक क़मीस़, जिसमें आपकी वफ़ात हूई।

(3153) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 3/400, मुसनद अहमद, 1/222, इब्ने माजा, हदीस: 1471, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/108.

बाब : 35
कफ़न महंगा बनाना मकरूह है

﴿35﴾ باب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالاَةِ فِي الْكَفَنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لاَ تَغَالِ لِي فِي كَفَنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا " .

(3154) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने फ़रमाया कि कफ़न महंगा नहीं होना चाहिए। बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'कफ़न महंगा मत बनाया करो, बिलाशुब्हा ये बहुत जल्द छीन लिया जाता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/403.

फ़ायदा : रिवायत ज़ईफ़ है, बहरहाल कफ़न महंगा बनाना नाजायज़ ही है, नीज़ इसमें माल का इस्राफ़ (फ़ुज़ूलखर्ची) भी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ " .

(3155) हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत मुसअ़ब बिन उमैर (ﷺ) उहुद के रोज़ शहीद हो गये उनके पास एक ही सफ़ेद व स्याह धारीदार ऊनी चादर थी। हम जब उससे उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव निकल आते और जब पाँव ढाँपते तो उनका सर नंगा हो जाता, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इससे उनका सर ढाँप दो और क़दमों पर थोड़ी सी इज़ख़िर (घास) डाल दो।'

(3155) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1913, हदीस: 6432, व मुस्लिम: 940.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अ़सल यही है कि कफ़न मय्यत के अपने माल में से हो। (2) कफ़न में

एक चादर भी किफ़ायत कर जाती है। (3) कफ़न का कपड़ा तंग हो तो सर ढाँप कर पाँव पर घास वग़ैरह डाल दी जाये। (4) हमारे सहाब-ए-किराम और सल्फ़ सालेहीन की ज़िन्दगी इन्तेहाई कफ़ाफ़ (गुज़ारे) वाली थी कि बाज़ के लिए पूरा कफ़न भी मयस्सर न होता था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ " .

(3156) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन कफ़न हुल्ला है (दो चादरें) और बेहतरीन क़ुर्बानी मैंढा है जो सींगों वाला हो।'

(3156) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1473, हाकिम: 4/228, तिर्मिज़ी, हदीस: 1517.

﴾36﴿ بَابٌ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ

बाब : 36
औरत के कफ़न का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ، - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ

(3157) हज़रत लैला बिन्ते क़ानिफ़ सक़फ़िया बयान करती हैं कि मैं उन औरतों में शामिल थी जिन्होंने हज़रत उम्मे कुलसूम दुख़्तरे नबी (ﷺ) को उनकी वफ़ात के वक़्त गुस्ल दिया था। आप (ﷺ) ने हमें (उनके कफ़न के लिये) सबसे पहले अपना तहबंद इनायत फ़रमाया, फिर क़मीस, फिर औढ़नी, फिर एक चादर उनको लपेटने के लिये, फिर उन (कपड़ों) के बाद इन (दुख़्तरे मोहतरमा) को एक दूसरे कपड़े में लपेटा गया। बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कफ़न लिये दरवाज़े के पास तशरीफ़ फ़रमा थे और हमें एक एक कपड़ा देते जाते थे।

الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا .

(3157) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/6, मुसनद अहमद, 6/380, इब्ने हिब्बान: 2/258.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है औरत के लिए कफ़न में मर्द से ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल करने का जवाज़ किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लिहाज़ा मर्द व औरत कफ़न के कपड़ों में बराबर हैं। वल्लाहू आलम!

﴾37﴿ بَابٌ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

बाब : 37
मय्यत को कस्तूरी लगाना

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْيَبُ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ " .

(3158) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारी ख़ूशबूओं में से बेहतरीन ख़ूशबू कस्तूरी है।'

(3158) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1907, व मुस्लिम: 2252.

फ़ायदा : मय्यत को कोई सी भी उम्दा ख़ूशबू लगाना मुस्तहब है, ताहम कस्तूरी हो तो बेहतर है।

﴾38﴿ بَابُ التَّعْجِيلِ بِالْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا

बाब : 38
जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना मुस्तहब (बेहतर) और उसे रोके रखना मकरूह है

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى،

(3159) हुसैन बिन वहवा से रिवायत है कि हज़रत तलहा बिन बराअ (ﷺ) बीमार हो गये तो नबी (ﷺ) उनकी एयादत के लिए

- قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَزْرَةَ، - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةُ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ، مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ " إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ أَهْلِهِ " .

तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मेरा ख़याल है कि तलहा की मौत आ गयी है। (जब उनकी वफ़ात हो जाये) तो मुझे इत्तेला देना और जल्दी करना, मुनासिब नहीं कि मुसलमान की मय्यत उसके घर वालों के पास पड़ी रहे।'

(3159) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 4/28.

मल्हूज़ : रिवायत ज़ईफ़ है, मगर दूसरी सही अहादीस़ से यही साबित है कि जनाज़े की तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करनी चाहिए।

﴾39﴿ باب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

बाब : 39 मय्यत को नहलाने वाले के लिए ग़ुस्ल करने का मसला

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ.

(3160) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) ने बयान किया: नबी (ﷺ) चार बातों से ग़ुस्ल किया करते थे: (1) जनाबत से (2) जुमा के रोज़ (3) सैंगी लगवा कर (4) और मय्यत को ग़ुस्ल देकर।

(3160) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 348 में देखें, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 256.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،

(3161) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

किसी मय्यत को नहलाये वह गुस्ल करे और जो उसे उठाये वह वुज़ू करे।

(3161) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 1/303, तारीख़ अलकबीर 6/355, 356.

फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब महज़ है, वाजिब नहीं जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने उमर(ﷺ) की रिवायत से साबित होता है। तफ़्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज़, अल्बानी (रह.) मसला:31)

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَنْسُوخٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ - قَالَ وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

(3162) इस्हाक़ मौला ज़ायदा ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसके हम मानी रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हुक्म मन्सूख़ है, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, उनसे सवाल किया गया कि मय्यत को नहलाने से गुस्ल करना कैसे है? उन्होंने कहा: उसके लिए वुज़ू काफ़ी है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू सालेह ने इस हदीस की सनद में अपने और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के दरमयान 'इस्हाक़ मौला ज़ायदा' को बढ़ा दिया है। और ऊपर दी गई हदीस मुसअब बिन शैबा (हदीस: 3160) ज़ईफ़ है। इस में कई बातें हैं जिन पर अमल नहीं।

(3162) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 993, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है.

﴿40﴾ بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

बाब : 40
मय्यत को बोसा देना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ .

(3163) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन(ﷺ) को बोसा दिया जबकि वह फ़ौत हो गये थे, मैंने देखा कि आपके आँसू बह रहे थे।

(3163) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 989, इब्ने माजा, हदीस: 1456, अलबज़्ज़ार, हदीस: 806, अबी नुऐम अल महल्ली: 1/105.

फ़ायदा : मुसलमान कभी भी नापाक नहीं होता, ज़िन्दगी में न मौत के बाद। और अपनी महबूब मय्यत को बोसा देना किसी तरह मायूब नहीं है, और उसके ग़म में आँसू का निकल आना एक फ़ितरी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं।

﴿41﴾ بَابٌ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

बाब : 41
रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

(3164) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक बार) लोगों ने क़ब्रिस्तान में रोशनी देखी, वहां गये तो देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्र में उतरे हूए हैं और फ़रमा रहे हैं: 'अपना साहब मुझे पकड़ाओ।' फिर मालूम हूआ कि ये वह आदमी था जो अल्लाह के ज़िक्र (तिलावते क़ुर्आन) के साथ अपनी आवाज़ बलन्द किया करता था।

صلى الله عليه وسلم فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ " نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ " . فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ .

(3164) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/31, 35, इब्ने अलमुलक़्क़िन, हदीस़: 881, हाकिम: 1/368.

फ़ायदा : हस्बे मस़लिहत रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने में कोई हर्ज नहीं है। गुज़िश्ता हदीस़ (3148 वग़ैरह) में रात के वक़्त दफ़न पर जो ज़जर है उसकी वजह भी वहीं मज़कूर है कि रसूल (ﷺ) को ख़बर नहीं दी गयी थी और आप (ﷺ) के जनाज़ा पढ़ाये बग़ैर ही उसे दफ़न कर दिया गया था।

﴾42﴿ بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

बाब : 42 मय्यत को एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल करना नापसन्दीदा है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ .

(3165) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हम शोहदा—ए—उहुद **को दफ़न करने के लिये उठा लाये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुनादी आया और कहा: बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें हुक्म देते हैं कि इन शहीदों को उनके मक़ामाते शहादत ही पर दफ़न करो, चुनांचे हमने उन्हें वहीं लौटा दिया।**

(3165) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1516, नसाई, हदीस़: 2007, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1717, इब्ने जारूद, हदीस़: 553, इब्ने हिब्बान, 774, 775.

फ़ायदा : मय्यत को दफ़न कर देने के बाद बग़ैर किसी अहम मस़लिहते शरई के वहां से मुन्तक़िल करना ठीक नहीं है। (सुनन अबी दाऊद: 3232) अलबत्ता दफ़न से पहले मुन्तक़िल किया जा सकता है और बिलख़ुसूस़ शोहदा को वहीं दफ़न किया जाये जहां उनकी शहादत हूई हो। यही अफ़ज़ल है।

बाब : 43
नमाज़े जनाज़ा में स़फ़ बंदी का बयान

﴿43﴾
بَابٌ فِي الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ " . قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.

(3166) हज़रत मालिक बिन हुबैरा (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई मुसलमान फ़ौत हो जाये और फिर उस पर मुसलमानों की तीन स़फ़ें जनाज़ा पढ़ीं तो अल्लाह उसके लिये (जन्नत) लाज़िम कर देता है।' बयान किया कि हज़रत मालिक (ﷺ) जब किसी जनाज़ा में लोगों की तादाद कम पाते तो उन्हें तीन स़फ़ों में तक़सीम कर दिया करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1028, इब्ने माजा, हदीस़: 1490, हाकिम: 1/362, 363.

फ़ायदा : इस हदीस़ से इमाम शौकानी (रह.) वग़ैरह ने नमाज़े जनाज़ा में तीन स़फ़ों की फ़ज़ीलत को साबित किया है। (नैलुल अवतार: 4/62) लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम बाज़ हज़रात ने मालिक बिन हुबैरा के अस़र को हसन क़रार देकर इस मसले को साबित किया है। ताहम दीगर रिवायत से स़ाबित है कि मय्यत के जनाज़े में शरीक होने वालों की दुआ अल्लाह तआला क़बूल फ़रमाता है। बशर्ते कि वह नमाज़ी स़ही मानों में मुसलमान हों। महज़ नाम के रिवाजी मुसलमान न हों, शिर्क व बिदअत का इरतेकाब करने वाले न हों।

बाब : 44
औरतों का जनाज़े के साथ जाना

﴿44﴾
بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ

(3167) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) बयान करती हैं कि हम औरतों को जनाज़े के साथ जाने से मना किया गया है मगर हम पर सख़्ती

نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ، الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

नहीं की गयी।

(3167) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 313, व मुस्लिम: 938.

फ़ायदा : बेहतर यही है कि औरतें जनाज़े के साथ न जायें, अगर जायें तो आदाबे शरइया का लिहाज़ रखना वाजिब है, यानी बे हिजाबी न हो, बे सब्री न हो और रोने पीटने वाली भी न हो।

﴾45﴿ باب فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَتَشْيِيعِهَا

बाब : 45 जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के साथ जाने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْوِيهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ .

(3168) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि जो शख़्स जनाज़े के साथ गया और फिर उस पर नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए एक क़ीरात अज्र है, और जो उसके साथ गया यहाँ तक कि (दफ़न से) फ़राग़त हो गयी तो उसके लिये दो क़ीरात हैं। इन दोनों क़ीरातों में से छोटा उहुद पहाड़ के बराबर होगा या फ़रमाया कि उनमें एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना होगा।

(3168) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद हुमैदी, हदीस: 1027, व मुस्लिम: 945.

फ़ायदा : दुनिया में क़ीरात एक मामूली वज़न है यानी 2125, 2475 ग्राम। मगर ईमान, तक़्वा और अपने मुसलमान भाई का हक़ अदा करने की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस अमल को पहाड़ों के बराबर कर देगा और ऐसा हो जाना कोई मुहाल (असम्भव) नहीं है और हर साहिबे ईमान को ऐसे आमाले ख़ैर का ख़्वाहिशमंद होना चाहिए।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، - وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ - أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا " . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ .

(3169) जनाब दाऊद बिन आमिर बिन सअद बिन अबी वक़्क़ास अपने वालिद (आमिर) से बयान करते हैं कि वह (आमिर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास थे कि जनाब ख़ब्बाब साहिबे मक़सूरा तशरीफ़ लाये और कहा: ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर! क्या आपने सुना कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) क्या कहते हैं? उनका कहना है कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स जनाज़े वाले घर से उसके साथ निकला और उस पर नमाज़ पढ़ी ... 'और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया। इब्ने उमर (ﷺ) ने ये हदीस हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछवाई तो उन्होंने फ़रमाया: अबू हुरैरह ने सच कहा है।

(3169) **तख़रीज** : मुस्लिम: 945.

फ़ायदा : शरई मसाइल की मोतबर, भरोसेमंद अमली शख़्सीयत से तस्दीक़ व तौसीक़ कर लेनी चाहिए।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ "

(3170) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो कोई मुसलमान फ़ौत हो जाये और फिर उस पर चालीस आदमी खड़े होकर जनाज़ा पढ़ें, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते हों, तो उस मय्यत के बारे में उनकी सिफ़ारिश क़बूल कर ली जाती है।'

(3170) **तख़रीज** : मुस्लिम: 948.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो लोग इस बात के ख़्वाहिशमंद हों कि उनकी दुआएँ क़बूल हूआ करें और बिलख़ुसूस अमवात के मुताल्लिक़ उनकी दुआएँ मन्ज़ूर हों तो चाहिए कि शिर्क से दूर रहें और

ईमान व तक़वा के तक़ाज़े पूरे करने वाले बनें। (2) जनाज़ा में शिर्कत के लिए मुवह्हिदीन (शिर्क व बिदअत से बेज़ार और बरी) हज़रात को बिलख़ुसूस इत्तेला दी जाये ताकि मरने वाले को वास्तव में फ़ायदा पहुँचे। मुश्रिक व बिदअती लाखों इकट्ठे हो जायें तो क्या फ़ायदा? और जनाज़ा में मुवह्हिदीन की तादाद जिस क़द्र ज़्यादा हो मुस्तहब है।

बाब : 46
मय्यत के साथ आग ले जाना मना है

﴾46﴿
بَابٌ فِي النَّارِ يُتْبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ

(3171) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जनाज़े के साथ कोई आवाज़ या आग न जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (रावी हदीस़) हारून ने ये इज़ाफ़ा बयान किया है: 'आग उसके आगे आगे न ले जाई जाये।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/528.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ " . زَادَ هَارُونُ " وَلاَ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا " .

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि मय्यत के साथ नोहा करने वाले नहीं होने चाहिए। नोहा हर जगह ही हराम है। और आज कल जो बिदअत चली है कि मय्यत को उठाते हूए कलिमा-ए-शहादत, कलिमा-ए-शहादत पुकारते जाते हैं हदीस़ में वारिद ममनूअ आवाज़ में शामिल है। सुनन अलकुबरा बैहक़ी और किताबुज़ ज़ुहद में स़ही सनद के साथ मरवी है कि स़हाब-ए किराम(ﷺ) मय्यत को उठाये हूए आवाज़ बलन्द करने को ना पसंद समझते थे। (सुनन अलकुबरा अलबैहक़ी: 4/74) और आग ले जाना भी जायज़ नहीं जैसे कि ईसाइयों वग़ैरह के यहां मशालें ले जाई जाती हैं। या हमारे यहां लोग क़ब्रों पर अगरबत्तियाँ लगाते हैं। अलबत्ता रात के वक़्त दफ़न के लिए रोशनी का एहतिमाम करना शरई ज़रूरत के तहत जायज़ है।

बाब : 47
मय्यत के लिए खड़े होने का मसला

﴾47﴿ بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ "

(3172) हज़रत आमिर बिन रबीया से रिवायत है, उन्हें नबी (ﷺ) से हदीस़ पहुँची: 'जब तुम जनाज़ा देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ यहाँ तक कि आगे गुज़र जाये या उसे नीचे रख दिया जाये।'

(3172) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1307, व मुस्लिम: 958.

फ़ायदा : लेकिन दूसरी रिवायत में है कि बाद में नबी (ﷺ) ने खड़े होने की बजाये बैठने का हुक्म दिया। इसलिए शैख़ अल्बानी (रह.) वग़ैरह ने खड़े होने के हुक्म को मन्सूख़ क़रार दिया है। और बाज़ उलमा ने दोनों ही बातों का जवाज़ तस्लीम किया है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى تُوضَعَ بِالأَرْضِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

(3173) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़े के साथ जाओ तो जब तक उसे नीचे न रख दिया जाये, मत बैठो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को (सुफ़ियान) स़ौरी ने बवास्ता सुहैल, उसके वालिद से और उसने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। और उसमें कहा: 'यहाँ तक कि उसे ज़मीन पर रख दिया जाये।' जबकि अबू मुआविया ने सुहैल से रिवायत करते हूए कहा: 'यहाँ तक कि उसे लहद में रख दिया जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान (स़ोरी) अबू मुआविया की निस्बत ज़्यादा याद रखने वाले थे।

(3173) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 4/26.

फ़ायदा : इससे मय्यत के साथ जाने वालों के लिए इस बात का इस्तेहबाब मालूम होता है कि जब तक मय्यत को रख न दिया जाये, बैठने से परहेज़ किया जाये। लेकिन बाद में बैठने के हुक्म वाली रिवायत से बाज़ उलमा के नज़दीक इसका नस्ख़ और बाज़ के नज़दीक दोनों बातों का जवाज़ साबित होता है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا " .

(3174) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा, आप (ﷺ) उसके लिए खड़े हो गये। जब हमने उसको कंधा देना चाहा तो मालूम हूआ कि ये यहूदी का जनाज़ा है। हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ये यहूदी का जनाज़ा है। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मौत एक अलमनाक हादसा है, जब तुम कोई जनाज़ा देखो तो उसके लिए खड़े हो जाया करो।'

(3174) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1311, व मुस्लिम: 960.

फ़ायदा : इस हदीस में खड़े होने का हुक्म है। लेकिन इसके बाद वाली रिवायत में सराहत है कि बाद में नबी (ﷺ) बैठने लग गये थे। इसलिए खड़े होने का हुक्म मन्सूख़ (खत्म हो गया) है या फिर दोनों ही बातें जायज़ है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ .

(3175) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जनाज़ों को देख कर खड़े हो जाया करते थे, मगर बाद में बैठने लग गये थे।

तख़रीज : मौता, हदीस: 1/232, व मुस्लिम: 962.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ،

(3176) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़े के लिये खड़े रहते थे यहाँ तक कि उसे लहद में

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ . فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ " اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ " .

उतार दिया जाता, एक यहूदी आलिम का आपके पास से गुज़र हूआ तो उसने कहा: हम भी ऐसे ही करते हैं। तो नबी (ﷺ) बैठ गये और फ़रमाया: 'बैठ जाओ। उनकी मुख़ालिफ़त करो।'

(3176) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1020, इब्ने माजा, हदीस: 1545, व मुस्लिम: 962.

फ़ायदा : कुफ़्फ़ार की मुख़ालिफ़त करने का हुक्म, उनके दीनी उमूर और ख़ास क़ौमी आदात में है, उमूरे आम्मा व आदिया में नहीं।

﴾48﴿ بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ

बाब : 48 जनाज़ा में सवार होकर जाना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ " .

(3177) हज़रत सोबान (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक जनाज़ा के साथ थे, तो आपको सवारी पेश की गयी मगर आपने सवार होने से इंकार कर दिया, फिर जब वापस हूए और सवारी पेश की गयी तो आप सवार हो गये। इस बारे में आपसे पूछा गया तो फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते चल रहे थे तो मुझे पसन्द न था कि वह चल रहे हों और मैं सवार हो जाऊं, जब वह चले गये तो मैं सवार हो गया।'

(3177) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/23, हाकिम: 1/355.

फ़ायदा : साहिबे ईमान की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है कि फ़रिश्ते भी उसके जनाज़े में शिर्कत करते हैं,

नीज़ अस्हाबे फ़ज़ल का बहुत ज़्यादा अदब करना चाहिए जिसका एक अन्दाज़ ये भी है कि रसूल (ﷺ) ने उनकी मौजूदगी में सवार होना पसन्द न फ़रमाया। वैसे जनाज़े के साथ सवार होकर जाना जायज़ है, मगर सवार पीछे पीछे रहे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ .

(3178) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत इब्ने दहदाह(ﷺ) का जनाज़ा पढ़ाया और हम उसमें मौजूद थे, फिर एक घोड़ा लाकर बाँध दिया गया यहाँ तक कि आप उस पर सवार हो गये, फिर वह आपके साथ दरम्यानी रफ़्तार से तेज़ तेज़ चलने लगा और हम भी आपके साथ इर्द गिर्द में तेज़ तेज़ चलने लगे।

(3178) तख़रीज : मुस्लिम: 965.

﴾49﴿ بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

बाब : 49 जनाज़े के आगे आगे चलना

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

(3179) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ), अबूबक्र और उमर (ﷺ) को देखा कि ये लोग जनाज़ा के आगे आगे चलते थे।

(3179) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1007, 1008, इब्ने माजा: 1482, नसाई, हदीस: 1946.

फ़ायदा : हस्बे अहवाल मय्यत के आगे आगे पैदल चलना जायज़ है, इसमें मय्यत की कोई बेअदबी नहीं होती।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ

(3180) हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा (ﷺ) रसूल (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने

يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، - وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ، زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ " الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ " .

फ़रमाया: 'सवार आदमी जनाज़ा के पीछे चले और पैदल लोग उसके पीछे, आगे, दायें और बायें उसके क़रीब क़रीब चलें, और बच्चा जो नाक़िस पैदा हो उसकी भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये और उसके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की जाये।'

(3180) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1031, नसाई, हदीस: 1950, इब्ने हिब्बान, हदीस: 769, हाकिम: 1/363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अस्सिक़्त) (सीन पर तीनों हरकात के साथ) इससे मुराद ना तमाम बच्चा है। **(2)** ना तमाम पैदा होने वाले बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा करने की बाबत इख़्तिलाफ़ है। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का क़ौल है कि बच्चा अगर ज़िन्दगी की अलामत के साथ पैदा न हो तो भी उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। यही क़ौल इब्ने सीरीन और इब्ने मुसय्यब (रह.) का है। इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) का क़ौल है कि अगर उस पर चार महीने दस दिन गुज़र चुके हों और उसमें रूह फूंक दी गयी हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का क़ौल है कि जब पैदा हो और अलामते ज़िन्दगी मौजूद हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हज़रत जाबिर (ﷺ) ने इतना मज़ीद कहा है कि अगर ज़िन्दगी की अलामत न हो तो नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी। इसके क़ाइल इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, ओज़ाई और शाफ़ेई (रह.) हैं। वल्लाहु आलम! बिस्सवाब (औनुल माबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे के क़ौल को राजेह क़रार दिया है।

﴾50﴿ بَابُ الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

बाब : 50 जनाज़ा जल्दी ले जाने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

(3181) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जनाज़ा जल्दी ले जाओ।' अगर वह नेक और सालेह है तो तुम उसे भलाई की तरफ़

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " .

आगे ले जा रहे हो और अगर वह इसके सिवा है तो वह एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार फैंक रहे हो।'

(3181) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1315, व मुस्लिम: 944.

फ़ायदा : वफ़ात हो जाने के बाद मय्यत को दफ़न करने में जल्दी करनी चाहिए, दूर दराज़ के रिश्तेदारों को जमा करना और उनकी आमद के इन्तेज़ार में ताख़ीर करना एक ग़ैर शरई और नामुनासिब अ़मल है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَرْمُلُ رَمَلاً .

(3182) हज़रत उयय्ना बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम हज़रत उ़स्मान बिन अबुल आ़स़ (ﷺ) के जनाज़े में शरीक थे और हम मय्यत को उठाये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, हज़रत अबूबक्र (ﷺ) हमें पीछे से आन मिले तो उन्होंने अपना कोड़ा बलन्द किया और कहा: मैं देख रहा हूं कि गोया हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ होते थे और (मय्यत को उठाकर) दरम्यानी चाल से दौड़ रहे होते थे।

(3182) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1914, हाकिम: 1/355.

फ़ायदा : इस वाक़िया में हज़रत उ़स्मान बिन अबुल आ़स़ (ﷺ) का ज़िक्र स़ही नहीं। स़ही 'अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा' है जैसा कि नीचे की रिवायत में है।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ عُيَيْنَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالاَ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَقَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوَى بِالسَّوْطِ .

(3183) ख़ालिद बिन हारिस़ और ईसा बिन यूनुस ने उयय्ना बिन अ़ब्दुर्रहमान से ये रिवायत नक़ल की तो उन दोनों ने अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा(ﷺ) के जनाज़े का ज़िक्र किया। और कहा कि (अबूबक्र (ﷺ) अपना ख़च्चर दौड़ा कर लाये और अपने कोड़े से इशारा किया।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 1913. ये हदीस़ गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَشْىِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ " مَا دُونَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَحْيَى الْجَابِرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا كُوفِيٌّ وَأَبُو مَاجِدَةَ بَصْرِيٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو مَاجِدَةَ هَذَا لاَ يُعْرَفُ .

(3184) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) कहते हैं कि हमने अपने नबी (ﷺ) से पूछा कि जनाज़े के साथ चलने का क्या अदब है? तो आपने फ़रमाया: 'दरम्यानी सी तेज़ रफ़्तार से चला जाये, अगर वह नेक है तो भलाई की तरफ़ जल्दी ले जाते हो और अगर वह उसके सिवा है तो दोज़ख़ियों के लिये हलाकत है। जनाज़ा आगे आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए ऐसा न हो कि कोई उसके आगे चले।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है (यहया अलमुजबर) ये यहया बिन अ़ब्दुल्लाह है और यही यहया अलजाबिर है। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये कूफ़ी है। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू माजदा बसरी, ग़ैर मारूफ़ रावी है।

(3184) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1011, इब्ने माजा, हदीस: 1484.

﴿51﴾ بَابُ الإِمَامِ لاَ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

बाब : 51
इमाम, ख़ूदकुशी करने वाले का जनाज़ा न पढ़ाये

फ़ायदा : इमाम से मुराद इलाक़े का इमामे आ़ज़म है और मुआशरे की मोहतरम व मोतबर शख़्सीयात भी उसके ताबेअ़ हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا

(3185) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स बीमार हो गया, (उसके घर वाले उस पर रोने लगे। तो उसका

سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ . قَالَ " وَمَا يُدْرِيكَ " . قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ " . قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ " . فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ " مَا يُدْرِيكَ " . قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ . قَالَ " أَنْتَ رَأَيْتَهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " إِذًا لاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ " .

हमसाया नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहने लगा कि वह आदमी फ़ौत हो गया है। आपने फ़रमाया: 'तुझे क्या ख़बर?' उसने कहा: मैंने उसे देखा है। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह नहीं मरा है।' तो वह लौट गया। घर वाले उस आदमी पर फिर रोने लगे तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा कि वह मर गया है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह नहीं मरा है' तो वह लौट गया। तो लोग उस पर फिर रोने लगे। उसकी बीवी ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और उन्हें ख़बर करो। उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह! उस पर लानत कर। फिर वह आदमी आया और देखा कि उसने अपने आपको तीर (या नेज़े) के फल से जो उसके पास था ज़बह कर लिया था। तो वह नबी (ﷺ) की तरफ़ चला और आप को ख़बर दी कि वह मर गया है। आपने कहा: 'तुम्हें कैसे ख़बर हूई?' उसने कहा: मैंने उसे देखा है कि उसने नेज़े के फल के साथ अपने आप को ज़बह कर लिया है। आपने पूछा: 'क्या तूने ख़ूद उसे देखा है?' उसने कहा: हाँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तब मैं उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाऊंगा।'

(3185) **तख़रीज** : मुस्लिम: 978.

फ़ायदा : ख़ूदकुशी गोया अल्लाह की तक़दीर से नाराज़ी का इज़हार है। इसलिए इमामे आज़म और दीगर मोतबर शख़्सीयात उसका जनाज़ा न पढ़ें ताकि दूसरों को इबरत हो और आम मुसलमान पढ़ें।

बाब : 52
जो शख़्स शरई हद में क़त्ल किया जाये उसकी नमाज़े जनाज़ा

﴿52﴾ باب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، حَدَّثَنِي نَفَرٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ .

(3186) हज़रत अबू बरज़ा असलमी से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत माइज़ बिन मालिक(ؓ) पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी लेकिन दूसरों को रोका नहीं था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 4/19, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 13339, बुख़ारी: 6820.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ रिवायत की रू से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत माइज़ बिन मालिक(ؓ) का जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर ग़ामदिया का जनाज़ा पढ़ा था। और ये दोनों ही हद्दे ज़िना में रज्म किये गये थे। **(2)** इस क़िस्म के मसले में इमाम हस्बे मसलिहत किसी भी सूरत पर अमल कर सकता है। जबकि आम मुसलमानों को उनका जनाज़ा पढ़ना चाहिए। क़िस्सा–ए–माइज़ की रिवायत की तफ़्सील के लिए देखिए इरवा अलग़लील, जि.: 7, हदीस: 2322, जबकि अल्लामा शोकानी (रह.) हज़रत माइज़ (ؓ) का जनाज़ा पढ़े जाने की रिवायत को राजेह क़रार देते हैं। (नैलुल अवतार)

बाब : 53
बच्चे की नमाज़े जनाज़ा

﴿53﴾ باب فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،

(3187) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है, वह बयान करती हैं: नबी (ﷺ) के फ़रज़ंद अर्जमंद हज़रत इब्राहीम (ؓ) की वफ़ात हो गयी जबकि उनकी उमर अठारह माह थी, तो

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा था।

(3187) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चा जब ज़िन्दा पैदा हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मसनून है। इसी तरह उस बच्चे की भी नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है जिसकी विलादत वक़्त से पहले हो जाये। इसके लिए ये शर्त भी नहीं कि वह ज़िन्दा बतने मादर से बाहर आये, बल्कि मुर्दा भी साक़ित होगा, तब भी उसकी नमाज़ पढ़नी सही होगी, बशर्ते कि इस हमल पर चार महीने गुज़र चुके हों। नमाज़े जनाज़ा में उसके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत व रहमत की दुआ की जाये। जिस हदीस़ में बच्चे की नमाज़े जनाज़ा के लिए इस्तेहलाल (ज़िन्दगी) की शर्त है, वह ज़ईफ़ है। (अहकामुल जनाइज़, लिल्अल्बानी) ताहम ये ज़रूरी और वाजिब नहीं। एक मशरूअ अम्र है, यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। **(2)** हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने की वजह शायद सूरज ग्रहन की नमाज़ में मश्ग़ूलियत थी या मुमकिन है कि इस फ़ज़ीलत की बिना पर जो उन्हें रसूल (ﷺ) का फ़रज़ंद होने की निस्बत से हासिल थी, इस पर किफ़ायत की गयी। (ख़त्ताबी)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَقَاعِدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً .

(3188) वाइल बिन दाऊद ने कहा कि मैंने बही से सुना, वह कहते थे: जब नबी (ﷺ) के फ़रज़ंद हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़ामे मक़ाइद में उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने सईद बिन याक़ूब तालक़ानी पर क़िराअत की, उनसे दरयाफ़्त किया गया कि क्या आपको इब्ने मुबारक अन याक़ूब बिन क़अक़ाअ बवास्ता अता नबी (ﷺ) से ये हदीस़ पहुँची है कि नबी (ﷺ) ने अपने साहिबज़ादे इब्राहीम(ﷺ) का जनाज़ा पढ़ा था जबकि वह सत्तर दिनों का था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस़: 4/9.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही रिवायत इसी बात की ताईद करती हैं कि नबी (ﷺ) के फ़रज़ंद गिरामी इब्राहीम की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गयी। तफ़्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज, लिल्अल्बानी, (रह.)

बाब : 54 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

﴿54﴾ باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

(3189) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, वह कहती है: क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के बेटे की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ी थी।

(3189) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1518, व मुस्लिम: 973.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ .

(3190) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के दो बेटों सुहैल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा फ़रमाई थी।

(3190) तख़रीज : मुस्लिम: 973.

फ़ायदा : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ लेने में कोई हर्ज की बात नहीं और उसमें उन लोगों का रद्द है जो मय्यत को नापाक ख़याल करते हैं, या जो लायानी वहमों का शिकार होते हैं कि कहीं उससे कोई आलाइश न निकल आये। ताहम ईदगाह में पढ़ना अफ़ज़ल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ

(3191) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मय्यत का जनाज़ा मस्जिद में अदा

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ " .

किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं।'

(3191) **तख़रीज : (सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस: 1517.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी 'फ़ला शैआ अलैहि' के अल्फ़ाज़ के बजाये 'फ़ला शैआ लहू' को सही क़रार दिया है, जिसका तर्जुमा ये होगा कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और उसका मतलब ये बयान किया है कि ख़ास अज्र उसे नहीं मिलेगा, सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा का अज्र मिलेगा, मुतलक़ अज्र की नफ़ी इसलिए नहीं की जा सकती कि सही हदीस से ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है। इसलिए मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़ल क़रार पायेगा। वल्लाहु आलम! (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए: अस्सहीहा: 5/462, हदीस: 2351)

﴾55﴿
باب الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

बाब : 55
सूरज तुलूअ या ग़ुरूब होते वक़्त दफ़न करना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ

(3192) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि तीन औक़ात के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें मना फ़रमाया करते थे कि हम उनमें नमाज़ पढ़ें या अपनी मय्यतों को दफ़न करें: जब सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि बलन्द हो जाये, ऐन दोपहर (ज़वाल) के वक़्त यहाँ तक कि ढल जाये और जब ग़ुरूब होने के क़रीब हो यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाये। रावी कहता है कि नबी (ﷺ) के अल्फ़ाज़ इसी के क़रीब थे।

(3192) **तख़रीज :** मुस्लिम: 831.

بَابُ ٥٦ — ﴿56﴾ باب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدِّمُ

बाब : 56
मर्दों और औरतों के जनाज़े इकट्ठे आ जायें तो किसे आगे किया जाये?

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنِي عَمَّارٌ، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ .

(3193) हज़रत अ़म्मार मौला हारिस़ बिन नोफ़िल बयान करते हैं कि वह उम्मे कुलसूम (दुख़्तरे अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) ज़ोजा–ए–मोहतरमा हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) और उनके स़ाहिबज़ादे (ज़ैद अकबर) के जनाज़े में हाज़िर थे। पस (अमीरे मदीना ने) बच्चे को इमाम की तरफ़ रखा तो मैंने उसका इंकार किया, जमाअ़त में हज़रात इब्ने अ़ब्बास, अबू सईद ख़ुदरी, अबू क़तादा और अबू हुरैरह (ﷺ) मौजूद थे, तो उन्होंने कहा: यही सुन्नत है।

(3193) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 4/33, नसाई, हदीस़: 1979.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि मर्द को इमाम की तरफ़ और औ़रत को उसके बाद रखा जाये। और दूसरी अहम बात ये भी मालूम हूई कि हज़रात अहले बैत, ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन और दीगर स़हाबा–ए किराम (ﷺ) के आपस के ताल्लूक़ात इन्तेहाई क़ुरबत और उख़ुव्वत के थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो उनके बीच अ़दावत व मुख़ालिफ़त बावर कराते हैं।

बाब : 57
जनाज़ा पढ़ाते हूए इमाम मय्यत के मुक़ाबिल कहाँ खड़ा हो?

(57)
باب أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

(3194) हज़रत नाफ़े अबू ग़ालिब (रह.) का बयान है मैं (बस़रा में) मिरबद महल्ला की एक गली में था कि एक जनाज़ा गुज़रा, उसके साथ बहुत से लोग थे। लोगों ने कहा: ये अ़ब्दुल्लाह बिन उमैर का जनाज़ा है तो मैं भी उसके साथ हो लिया। मैंने एक आदमी देखा जो एक बारीक सी ऊनी चादर ओढ़े हूए अपने छोटे से घोड़े पर सवार था, धूप से बचाव के लिए उसने अपने सर पर कपड़ा रखा हूआ था। मैंने पूछा: ये मोहतरम बुज़ुर्ग कौन है? लोगों ने कहा: ये (स़हाबिये रसूल) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) हैं। चुनांचे जब मय्यत को रखा गया तो हज़रत अनस(ﷺ) खड़े हूए और उसका जनाज़ा पढ़ाया, मैं उनके पीछे था मेरे और उनके दरम्यान कोई चीज़ हायल न थी। आप उस मय्यत के सर के मुक़ाबिल खड़े हूए और चार तकबीरें कहीं। आपने नमाज़ में लम्बी की, न जल्दी। फिर बैठने लगे तो लोगों ने कहा: अबू हमज़ा! (हज़रत अनस (ﷺ) की कुनियत है) ये एक अन्स़ारी ख़ातून (का जनाज़ा) है और वह उसे

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَتِهِ وَعَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ قَالُوا هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ . فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لاَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ عَلَىَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ ‏.‏ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجِيءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ‏.‏ فَأَمْسَكَ رَسُولُ

क़रीब लाये और मय्यत के ऊपर सब्ज़ रंग का परदा था। (ताबूत नुमा रूकावट जो औरत की नाश पर रखी जाती है) तो आप उसकी कमर के मुक़ाबिल खड़े हूए और जनाज़ा पढ़ाया जैसे कि मर्द का पढ़ाया था फिर आप बैठ गये। तो अ़ला बिन ज़ियाद ने पूछा: ऐ अबू हमज़ा! क्या रसूल (ﷺ) भी ऐसे ही जनाज़ा पढ़ाया करते थे जैसे कि आपने पढ़ाया है कि चार तकबीरें कहते और मर्द के लिए उसके सर के सामने और औरत के लिए उसकी कमर के मुक़ाबिल खड़े हूआ करते थे? उन्होंने कहा: हाँ। फिर उसने पूछा: ऐ अबू हमज़ा! क्या आप नबी (ﷺ) के साथ जिहाद में भी शरीक रहे हैं? उन्होंने कहा: हाँ। मैं आप (ﷺ) के साथ ग़ज़्व–ए–हुनैन में शरीक था मुश्रिकीन निकले और हम पर हमला कर दिया यहाँ तक कि हमने अपने घोड़ों को अपनी पीठों के पीछे देखा (हम पस्पा हो गये) और उन मुश्रिकीन में एक आदमी था जो हमें कुचले जा रहा था और उसने हमें तोड़ के रख दिया था। बिल आख़िर अल्लाह तआला ने उन्हें पस्पा कर दिया। और फिर उन लोगों को लाया गया और वह इस्लाम पर बैत करने लगे। और नबी (ﷺ) के स़हाबा में से एक आदमी ने कहा था: मुझ पर ये नज़र है कि अगर अल्लाह उस आदमी को ले आया जो आज हमें कुचलता रहा है तो मैं बिज़्ज़रूर उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) (ये सुनकर) ख़ामोश रहे

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الآخَرُ بِنَذْرِهِ . قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لاَ يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي . فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلاَّ لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَوْمَضْتَ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ " . قَالَ أَبُو غَالِبٍ فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ فَكَانَ الإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . نَسَخَ مِنْ هَذَا

और उस आदमी को ले आया गया। जब उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा तो कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अल्लाह की तरफ़ तौबा करता हूं। और फिर आप रूके रहे और उससे बैत नहीं ली ताकि वह सहाबी अपनी नज़र पूरी कर ले। रावी कहता है: और वह सहाबी भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने आता रहा ताकि आप (ﷺ) उसे उस शख़्स को क़त्ल कर देने का हुक्म इरशाद फ़रमायें। जबकि वह अपने तौर पर उसको क़त्ल कर देने में नबी (ﷺ) से हैबत (ख़ौफ़) में था। पस जब आपने देखा कि वह सहाबी कुछ नहीं कर रहा है तो आपने उससे बैत ले ली। फिर उस सहाबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी नज़र (का क्या होगा?) आपने फ़रमाया: 'मैं तो इसीलिए रूका रहा कि तू अपनी नज़र पूरी कर ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे आँख से इशारा क्यों न कर दिया? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी नबी को लायक़ नहीं कि आँख से इशारा करे।'

अबू ग़ालिब कहते हैं: मैंने हज़रत अनस (رضي الله عنه) के इस अमल के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जो वह औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़े हुए थे। तो लोगों ने कहा कि (पहले) ये इसलिए होता था कि मय्यत पर ताबूत नहीं रखा जाता था तो इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो जाता था ताकि उसके लिए क़ौम से परदा बन जाये।

الْحَدِيثِ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ إِنِّي قَدْ تُبْتُ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: नबी (ﷺ) का ये फ़रमान कि 'मुझे लोगों के साथ क़िताल करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह (ला इलाहा इल्लल्लाह) कह दें।' इस हदीस़ की रोशनी में मन्सूख़ है जिसमें कि क़िताल की नज़र पूरी कर देने का बयान आया है। हालांकि उस शख़्स ने कह दिया था कि 'मैं तोबा करता हूं'

(3194) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1034, इब्ने माजा, हदीस़: 1494.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्दों और औरतों की नमाज़े जनाज़ा में कोई फ़र्क़ नहीं है सिवाए इसके कि इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो और मर्द के लिए उसके सर या सीने के मुक़ाबिल। **(2)** आँख से छुपा इशारा करना शरई और अख़्लाक़ी ऐतबार से इन्तेहाई मायूब अमल है। उसे 'ख़ाइन आँख' से ताबीर किया गया है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2683) **(3)** इमाम अबू दाऊद (रह.) का एक मारूफ़ हदीस़ को मन्सूख़ कहना महल्ले नज़र है। **(4)** मय्यत पर ताबूत रखना कोई शरई मसला नहीं। **(5)** बाज़ जंगी मुजरेमीन की तौबा और उनका इस्लाम क़बूल करना न करना रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस़लिहत पर मौक़ूफ़ था।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا .

(3195) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं: मैंने नबी (ﷺ) की इक़्तेदा में एक औरत का जनाज़ा पढ़ा जो कि अय्यामे निफ़ास में फ़ौत हुई थी। तो आप (ﷺ) उसके दरम्यान के मुक़ाबिल खड़े हूए थे।

(3195) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1331, व मुस्लिम: 964.

फ़ायदा : मुसलमान औरत अपने अय्यामे हैज़ (पीरियड) और निफ़ास के दिनों में फ़ौत हो, तब भी उसका जनाज़ा पढ़ा जायेगा।

बाब : 58
जनाज़े की तकबीरात का बयान

﴾58﴿
بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

(3196) जनाब शअ़बी (रह.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ताज़ा बनी हुई क़ब्र के पास से गुज़रे, तो सहाबा ने उस पर सफ़ बनाई (जनाज़ा पढ़ा गया) और आप (ﷺ) ने उस पर चार तकबीरें कहीं। अबू इस्हाक़ कहते हैं: मैंने शअ़बी (रह.) से पूछा कि आपको ये किस ने बयान किया है? तो उन्होंने कहा कि एक भरोसेमंद (क़ाबिले ऐतबार) शख़्सीयत ने जो इस जनाज़े में हाज़िर थी यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1247, व मुस्लिम: 954.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا . فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

(3197) अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) हमारे जनाज़ों पर चार तकबीरें कहा करते थे। एक जनाज़े पर आपने पाँच तकबीरें कहीं तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये (पाँच तकबीरें भी) कहा करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे मुहम्मद बिन मुसन्ना की हदीस़ ख़ूब याद है।

(3197) तख़रीज : मुस्लिम: 957.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى أَتْقَنُ

फ़ायदा : तकबीराते जनाज़ा तीन से लेकर नो तक मरवी हैं। मगर चार पर सल्फ़ और ख़ल्फ़ का इज्मा है। पहली तकबीर के बाद सूरह फ़ातिहा, दूसरी के बाद दरूदे इब्राहीमी, तीसरी के बाद मय्यत के लिए दुआ और चौथी के बाद सलाम होता है। (औनूल माबूद)

बाब : 59
जनाज़े में क़िराअत का बयान

﴿59﴾
باب مَا يُقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ .

(3198) हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) के साथ एक जनाज़ा पढ़ा तो उन्होंने सूरह फ़ातिहा की क़िराअत की और कहा: ये सुन्नत है।

(3198) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1335.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाबी का ये कहना कि 'ये सुन्नत है' मरफ़ूअ हदीस के मानी में होता है। इसका कोई ताल्लूक़ सहाबी के क़ियास या इज्तेहाद से नहीं होता। **(2)** पहली तकबीर के बाद क़िराअते फ़ातिहा होनी चाहिए। **(3)** इस हदीस में जनाज़ा जहरी आवाज़ से पढ़ने की भी दलील है।

बाब : 60
मय्यत के लिए दुआ का बयान

﴿60﴾ باب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ " .

(3199) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'जब तुम किसी मय्यत का जनाज़ा पढ़ो तो उसके लिए इख़लास से दुआ किया करो।'

(3199) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1497, इब्ने हिब्बान, हदीस: 754, 755.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلاَسِ، عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ شَمَّاخٍ، قَالَ شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ أَمَعَ الَّذِي قُلْتَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ كَلاَمٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَمِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي اسْمِ عَلِيِّ بْنِ شَمَّاخٍ قَالَ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيَّ يُحَدِّثُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَنِّي جَلَسْتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَجْلِسًا إِلاَّ نَهَى فِيهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ

(3200) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सवाल किया कि आपने रसूल (ﷺ) को जनाज़ा पढ़ते हूए कैसे सुना है? हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने कहा: क्या इस सब के बावजूद जो तुमने कहा है? उसने कहा: हाँ ... रावी ने वज़ाहत की कि इन दोनों के बीच इससे पहले कोई बात हूई थी ... हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने कहा: आप ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! अन्ता रब्बुहा, वअन्ता ख़लक्तहा, वअन्ता हदयतहा लिलइस्लामि, वअन्ता क़बज़ता रूहहा, वअन्ता आलमु बिसिर्रिहा वअलानियतिहा, जिअना शुफ़आ (लहु) फ़ग़फिरलहु) 'ऐ अल्लाह! तू इस मय्यत का रब है, तूने ही इसे पैदा किया है और दीने इस्लाम की हिदायत दी है और तूने ही इसकी रूह क़ब्ज़ की है और तू इसके बातिन और ज़ाहिर से बख़ूबी आगाह है, हम इसके सिफ़ारशी बन कर आये हैं तू इसे माफ़ फ़रमा दे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: शौबा ने सनद के एक रावी अली बिन शम्माख़ के नाम में ग़लती करते हूए उसे उस्मान बिन शम्माख़ कह दिया है। इमाम अबू दाऊद ने कहा: मैंने अहमद बिन इब्राहीम मूसली से सुना जो इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से रिवायत करते थे कि मैं जब भी हम्माद बिन ज़ैद की मज्लिस में बैठा तो वह अब्दुल वारिस और जाफ़र बिन सलमान से रिवायत लेने से मना करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस 2/363, नसाई, 1078, फ़ुतूहाते रब्बानिया: 5/176.

फ़ायदा : ये रिवायत हसन दर्जे की है, इसलिए जनाज़े की दीगर दुआओं के साथ साथ इसका पढ़ना भी जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ" .

(3201) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जनाज़े पर नमाज़ पढ़ी तो यूँ दुआ फ़रमायी: (अल्लाहुम्मग़ फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व सग़ीरिना व कबीरिना व जकरिना व उन्साना व शाहिदिना व गाइबिना अल्लाहुम्मा मन अहयय्तहू मिन्ना फ़अयिही अलल ईमान व मन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़तवफ़्फ़हू अलल इस्लाम अल्लाहुम्मा ला तहरिम्ना अज्रहू वला तुज़िल्लना बअ्दहू) 'ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दा और मरने वालों को बख़्श दे और छोटों को और बड़ों को, मर्दों को और औरतों को, हाज़िर मौजूद लोगों को और जो मौजूद नहीं हैं उन्हें भी बख़्श दे। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तू ज़िन्दा रखे तो उसे ईमान के साथ ज़िन्दा रख और जिसे तू मौत दे उसे इस्लाम पर मौत दे। ऐ अल्लाह! हमें इस मरने वाले के अज्र से महरूम न रख और इसके बाद हमें गुमराह भी न कर देना।'

(3201) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1024, इब्ने हिब्बान, हदीस: 757, हाकिम: 1/358.

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का ये दुआ सुन कर याद कर लेना, इस बात की दलील है कि ये जनाज़ा नबी (ﷺ) ने बलन्द आवाज़ से पढ़ा था।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ،

(3202) हज़रत वसिला बिन अस्का (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। मैंने

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، - وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُّ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ " فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جُنَاحٍ .

आपको ये कहते हूए सुना: (अल्लाहुम्मा! इन्ना फुलानुब्नु फुलानिन फी ज़िम्मतिका फ़किह फ़ित्नतल क़ब्र) जबकि अ़ब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम ने यूँ कहा: (फ़ी ज़ीम्मतिका वहब्लि जिवारिका, फ़किह मिन फ़ितनतिल कब्र वअज़ाबिन्नार, वअन्ता अहलुल वफ़ाइ वलहक्का, अल्लाहुम्मा फ़ग़फिरलहु वरहम्हु इन्नका अन्तल ग़फ़रूर रहीम) 'ऐ अल्लाह! फ़लां बिन फ़लां तेरे ज़िम्मे (किफ़ालत) में है और तेरी हमसायगी और अमान में आ गया है। सो तू इसे क़ब्र की आज़माइश और आग के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ फ़रमा दे, तू अपने वादे वफ़ा करने वाला और हक़ वाला है। ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे और इस पर रहम फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बहुत ही बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।' अ़ब्दुर्रहमान ने सनद बयान करते हूए (हद्दसना के बजाये) (अ़न मरवान बिन जुनाह) कहा।

(3202) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1499, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 758.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ भी दलील है कि जनाज़े में दुआ बलन्द आवाज़ से पढ़ी गई थी। **(2)** इस दुआ में मय्यत और उसके वालिद का नाम भी लिया जा सकता है। **(3)** चाहिए कि जनाज़े की मुख़तलिफ़ दुआएँ याद की जायें और बच्चों को याद कराई जायें ताकि मय्यत के लिए इख़लास़ के साथ दुआ करने का हक़ अदा हो सके। **(4)** ये दुआएँ उस वक़्त मक़बूल होती हैं जब मय्यत ख़ूद और उसका जनाज़ा पढ़ने वाले मुख़्लिस मुसलमान हों।

बाब : 61
क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना

﴿61﴾ باب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلاً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ مَاتَ . فَقَالَ " أَلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ " . قَالَ " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ " . فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

(3203) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक काले रंग की औरत या मर्द मस्जिद की सफ़ाई किया करता था, तो नबी (ﷺ) ने उसे ग़ायब पाया और उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाया तो कहा गया कि वह फ़ौत हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?' सहाबा ने उसकी निशानदेही की तो आपने उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 458, व मुस्लिम: 956.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) कमज़ोर मुसलमानों का भी ख़ास ख़्याल रखा करते थे। (3) मस्जिद की सफ़ाई सुथराई बहुत ही अज्र व सवाब का काम है और ये इसी अमल की बरकत थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी क़ब्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

बाब : 62
जो मुसलमान मुशरिकीन के इलाक़े में फ़ौत हो जाये

﴿62﴾ باب فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلاَدِ الشِّرْكِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(3204) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शाहे नजाशी की वफ़ात के रोज़ उसके मुताल्लिक़ लोगों को ख़बर दी और फिर उन्हें लेकर ईदगाह की

صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

तरफ़ गये, उनकी सफ़ें बनाई और (नमाज़े जनाज़ा में) चार तकबीरें कहीं।

(3204) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 1245, मौता: 1/226, 227, व मुस्लिम: 951.

फ़ायदा : जब किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल या अहम शख़्सीयत की दूसरे शहर या मुल्क में वफ़ात हो जाये तो उसकी नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़नी जायज़ है। इसी तरह क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा भी एक ऐतबार से नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना ही है मगर उसे (ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ को) आम मुसलमानों के लिए आम कर देना भी दुरूस्त नहीं। (तफ़्सील के लिए देखिए: नैलुल अवतार)

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ .

(3205) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद (हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया कि हम नजाशी के मुल्क (हब्शा) में चले जायें। और अपनी हदीस बयान की। नजाशी ने कहा: मैं गवाही देता हूं कि आप (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं और ये वही हैं जिनके मुताल्लिक़ हज़रत ईसा इब्ने मरयम अलैहि. ने ख़ूशख़बरी दी थी, अगर मैं बादशाही के इन हालात से दो चार न होता तो मैं बिज़्ज़रूर आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता यहाँ तक कि आपके जूते उठाता।

(3205) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** मुस्नद अब्द बिन हुमैद, हदीस: 550.

बाब : 63
एक क़ब्र में कई मय्यतों को इकट्ठा करने और क़ब्र पर निशान रखने का बयान

﴾63﴿
باب فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ - قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ " أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي "

(3206) जनाब मुत्तलिब (बिन अब्दुल्लाह बिन हन्तब (रह.) ने बयान किया कि जब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) की वफ़ात हुई और उनका जनाज़ा लाया गया और दफ़न किया गया, तो नबी (ﷺ) ने एक शख़्स से फ़रमाया कि एक पत्थर लाओ मगर वह उसे उठा न सका तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी तरफ़ उठे। अपनी कलाईयों से कपड़ा हटाया ... (रावी हदीस़) कसीर ने कहा कि मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करने वाले ने बताया: गोया मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाज़ूओं की सफ़ेदी देख रहा हूं जब आपने उनसे कपड़ा हटाया था ... फिर आप (ﷺ) ने उसे उठाया और क़ब्र पर सर की तरफ़ रख दिया और फ़रमाया: 'मैं इससे अपने भाई की क़ब्र पहचान सकूंगा और मेरे अहल में से जो कोई फ़ौत हूआ मैं उसे इसके क़रीब दफ़न करूंगा।'

(3206) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/412, इब्ने अलमुलक़्क़िन, हदीस़: 884.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्र पर कोई मुनासिब अलामत रख देना जायज़ है, मगर कतबा लगाना और झण्डा गाड़ना वग़ैरह जायज़ नहीं। **(2)** इंसान को चाहिए कि सालेह हमसाये का इन्तेख़ाब करे यहाँ

तक कि क़ब्र में भी किसी सालेह बंदे की हमसायगी इख़्तियार करना मुस्तहब है। (3) हदीस के अल्फ़ाज़ 'अदफ़िनु इलैहि' का एक तर्जुमा वह है जो यहां किया गया, जिससे नेक लोगों के क़रीब दफ़न होने का इस्तेहबाब साबित होता है। और दूसरे मानी किये गये हैं कि 'मैं इसके साथ ही अपने दूसरे अहले ख़ाना को दफ़न करूं' इससे एक ही क़ब्र में कई लोगों को दफ़न करने का इस्बात होता है, ग़ालिबन इमाम अबू दाऊद के ज़हन में यही मफ़हूम है और इसी मफ़हूम के मुताबिक़ उन्होंने बाब बाँधा है।

बाब : 64
क़ब्र खोदने वाले को कोई हड्डी मिल जाये तो क्या वह उस जगह को छोड़ दे?

﴾64﴿
بَابٌ فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا " .

(3207) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे कि ज़िन्दा की तोड़ना।'

(3207) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1616, इब्ने हिब्बान, हदीस: 776, इब्ने जारूद, हदीस: 551.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्र खोदने वाले को क़ब्र खोदते हूए महसूस हो कि यहां पहले से कोई दफ़न है तो मुस्तहब है कि जगह बदल ले या अदब व एहतराम से उन हड्डियों को एक तरफ़ कर दे और उन्हें किसी क़िस्म की चोट न लगने दे। (2) मौजूदा दौर में पोस्टमार्टम के नाम से मुर्दे की चीर फ़ाड़ का काम ग़ैर शरई है। इन्तेहाई शदीद शरई मसलिहत के बग़ैर उस पर अमल करना नाजायज़ है। (3) मय्यतों और क़ब्रों का एहतिराम उसी अन्दाज़ में मशरूअ है जो इन अहादीस में बयान हो रहा है।

बाब : 65
क़ब्र में लहद बनाने का बयान

﴿65﴾ باب فِي اللَّحْدِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا "

(3208) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे लिए है और शक़ दूसरों के लिए है।'

(3208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1045, इब्ने माजा, हदीस़: 1554, नसाई, हदीस़: 2011, व मुस्लिम: 966.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्र का बड़ा गढ़ा खोद कर उसके क़िब्ला रूख़ पहलू में अंदर की तरफ़ एक और गढ़ा बनाना 'लहद' कहलाता है। और अगर सीधा नीचे की सतह में बनाया जाये तो उसे 'शक़' कहते हैं। **(2)** ज़मीन सख़्त हो तो लहद बनाना मुस्तहब है, वरना शक़ भी जायज़ है।

बाब : 66
मय्यत को उतारने के लिए क़ब्र में कितने आदमी उतरें?

﴿66﴾ بابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُرَحَّبٌ أَوِ ابْنُ أَبِي مُرَحَّبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

(3209) जनाब आ़मिर शअ़बी (रह.) से मरवी है कि हज़रत अ़ली, हज़रत फ़ज़ल और उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को गुस्ल दिया और उन्होंने ही आप (ﷺ) को क़ब्र में उतारा। शअ़बी ने कहा कि मुझे मुरहहब ... या इब्ने अबी मुरहहब (सुवैद बिन क़ैस ...) ने बयान किया कि उन्होंने अपने साथ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ) को भी शामिल किया था और जब

فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ .

हज़रत अली (ﷺ) फ़ारिग़ हूए तो कहा: तदफ़ीन वग़ैरह के अमल में आदमी के अपने अहल के अफ़राद ही हिस्सा लें।

(3209) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/53.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَحَّبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً .

(3210) हज़रत अबू मुरहहब से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) नबी (ﷺ) की क़ब्र में उतरे थे। (अबू मुरहहब) कहते हैं: गोया मैं इन चारों को देख रहा हूं।

(3210) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/53.

﴿67﴾ بابٌ فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ

बाब : 67 मय्यत को कैसे (किस तरफ़ से) क़ब्र में उतारा जाये

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ، عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ .

(3211) जनाब अबू इस्हाक़ (सबीई (रह.) से रिवायत है कि हारिस़ आवर ने वस़ीयत की कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (हतमी (ﷺ) उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ायें। चुनांचे उन्होंने जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्होंने क़ब्र की पायंती की तरफ़ से क़ब्र में उतारा और फ़रमाया: ये सुन्नत है।

(3211) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, तारीख़े सग़ीर: 1/183, बैहक़ी, 4/54.

फ़ायदा : स़हाबी का किसी अमल को 'सुन्नत' कहने से रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत मुराद होती है और उसे इस्तेलाहन मरफ़ूअ हुक्मी कहते हैं।

बाब : 68
क़ब्र के पास किस तरह बैठे?

«68»
بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ .

(3212) हज़रत बरा बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक अन्सारी के जनाज़े में गये, हम क़ब्र के पास पहुँचे तो अभी तक लहद नहीं बनी थी। पस नबी (ﷺ) क़िब्ला रूख़ हो कर बैठ गये और हम भी आपके साथ बैठ गये।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1548, नसाई, हदीस: 2003, हदीस: 4753, 4754 में देखें।

फ़ायदा : क़ब्र के पास या क़ब्रिस्तान में किसी ज़रूरत के तहत बैठ जाने में कोई हर्ज नहीं। और क़िब्ला रूख़ होकर बैठना मुस्तहब है, मगर क़ब्र का मुजावर बन कर बैठना हराम है या बिलकुल क़ब्र के ऊपर बैठना भी नाजायज़ है। (मज़ीद देखिए: हदीस: 3225)

बाब : 69
क़ब्र में उतारते हूए मय्यत के लिए दुआ करना

«69» بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ

(3213) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मय्यत को क़ब्र में उतारते, तो यूँ फ़रमाया करते: (बिस्मिल्लाहि वअला सुन्नति रसूलिल्लाह) 'अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े पर।' और ये लफ़्ज़ मुस्लिम बिन इब्राहीम के हैं।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .

(3213) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/27, नसाई, हदीसः 1088, इब्ने जारूद, हदीसः 548, इब्ने हिब्बान, हदीसः 773, हाकिमः 1/366.

﴿70﴾ باب الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

बाब : 70 किसी का मुश्रिक रिश्तेदार फ़ौत हो जाये तो

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ . قَالَ " اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " . فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي

(3214) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को ख़बर दी कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया है। आपने फ़रमायाः 'जाओ और अपने वालिद को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न करना यहाँ तक कि मेरे पास आ जाना।' चुनांचे मैं गया और उसे ज़मीन में दबा आया और आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने ग़ुस्ल किया और आपने मेरे लिए दुआ फ़रमाया।

(3214) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 2008, इब्ने अलमुलक्किन, हदीसः 868.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस वाज़ेह दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा अबू तालिब की वफ़ात इस्लाम पर नहीं हुई, बल्कि कुफ़्र पर हुई है, इसलिए उनकी नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ी गयी। नबी (ﷺ) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हज़रत अली (ﷺ) ने और न किसी और ने। **(2)** अबू तालिब चूंकि नेमतें इस्लाम से इंकारी रहे और शिर्क ही पर मरे, इसलिए ऐसे आदमी की तकफ़ीन व तदफ़ीन के लिए कोई शरई आदाब नहीं यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'दफ़न' भी इस्तेमाल नहीं किया गया। **(3)** मुश्रिक रिश्तेदार को गढ़े में दबा देना ही काफ़ी है। **(4)** ऐसी सूरत में दफ़नाने के बाद ग़ुस्ल करना मसनून है।

बाब : 71
क़ब्र गहरी खोदी जाये

﴾71﴿
بَابٌ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ " . قِيلَ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ " أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا " . قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ وَاحِدٌ .

(3215) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है कि उहुद के रोज़ अन्सारी लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और कहा: हम ज़ख़्मी हैं और थके हूए भी, तो आप क्या इरशाद फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो और खुली खुली बनाओ और दो दो और तीन तीन को एक एक क़ब्र में दफ़ना दो।' कहा गया कि आगे किसे किया जाये? फ़रमाया: 'जिसे कुर्आन ज़्यादा याद हो।'

हिशाम कहते हैं कि मेरे वालिद आमिर भी इसी दिन शहीद हो गये थे और वह दो आदमियों के साथ दफ़न हूए थे या कहा कि एक आदमी के साथ।

(3215) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1713, अहमद: 4/20, नसाई, हदीस: 2012, इब्ने माजा, हदीस: 1560.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाब-ए-किराम ज़ख़्मी थे और थके मांदे भी, इसके बावजूद उन्हें क़ब्रें गहरी बनाने का हुक्म दिया गया जैसे कि अगली रिवायत में सराहत के साथ बयान है। **(2)** अगर मौतें ज़्यादा हों तो एक एक क़ब्र में एक से ज़्यादा अफ़राद को भी दफ़नाया जा सकता है। **(3)** हाफ़िज़े कुर्आन, क़ारी और आलिमे दीन मरने के बाद भी दूसरों से अफ़ज़ल और मुमताज़ रहता है।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، - يَعْنِي الأَنْطَاكِيَّ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنِ

(3216) हुमैद बिन बिलाल ने अपनी ऊपर दी गई सनद से इसके हम मानी बयान किया और इसमें इज़ाफ़ा है: '(क़ब्रें) गहरी बनाओ।'

الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ " وَأَعْمِقُوا " .

(3216) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2012, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ - عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(3217) हुमैद बिन बिलाल ने सअद बिन हिशाम बिन आमिर से यही हदीस रिवायत की।

(3217) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 3/414, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है.

﴾72﴿ بَابٌ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

बाब : 72 क़ब्र बराबर कर देने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي هَيَّاجٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي عَلِيٌّ قَالَ لِي أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتُهُ وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتُهُ .

(3218) हज़रत अबू हय्याज असदी से रिवायत है, वह कहते हैं कि हज़रत अली (ﷺ) ने मुझे भेजा और फ़रमाया: मैं तुम्हें उस काम पर भेज रहा हूं जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे भेजा था कि किसी ऊँची क़ब्र को न छोड़ूँ मगर उसे बराबर कर दूं और न किसी मूर्ती को मगर उसे मिटा डालूं।

(3218) तख़रीज : मुस्लिम: 969.

फ़ायदा : किस क़द्र ताज्जुब की बात है कि अहले बैत के एक जलीलुल क़द्र फ़र्द हज़रत अली(ﷺ) को ऊँची क़ब्रें ढहा देने और मूरतियाँ मिटा डालने का फ़रीज़ा सौंपा गया और फिर इस अमल को उन्होंने आगे जारी रखा। मगर आज अली की मोहब्बत का दावा करने वाले उन्हीं बीमारियों में सब से ज़्यादा मुब्तला हैं। अल्लाह की पनाह! अल्लामा शौकानी (रह.) ने क़ब्र परस्तों के तरीक़े पर जो तब्सरा किया है क़ाबिले मुलाहिज़ा है। देखिए: (नैलुल अवतार) इसी तरह क़ब्र परस्ती के जवाज़ व सबूत में जो दलाइल दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिए देखिए, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) की तालीफ़ 'क़ब्र परस्ती, एक जायज़ा'

(3219) अबू अली हम्दानी ने बयान किया कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) की मईयत (साथ) में रूम की सरज़मीन में जज़ीरा रूदिस में थे कि हमारा एक साथी वफ़ात पा गया। हज़रत फ़ज़ाला ने उनकी क़ब्र के मुताल्लिक़ कहा कि उसे बराबर कर दिया जाये, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना कि आप क़ब्र को बराबर करने का हुक्म देते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि रूदिस एक समंदरी जज़ीरे का नाम है।

(3219) तख़रीज : मुस्लिम: 968.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُودِسُ جَزِيرَةٌ فِي الْبَحْرِ .

फ़ायदा : रूदिस (रोड्स), तुर्की के जुनूब मग़रिबी साहिल से 19 किलोमीटर दूर है और ये बहीरा रूम और बहीरा अइजा के इत्तिसाल पर वाक़ेअ है। मुसलमानों ने सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया(ﷺ) के जमाने में 52/53 हिजरी में जुनादा बिन अबी उमैया अज़्दी की क़यादत में यहां क़दम रखे मगर यज़ीद के जमाने में वापस चले आये। चौदहवीं पन्द्रहवीं ईस्वीं में ये जज़ीरा सलीबी जंगजूओं का मर्कज़ बना रहा। ख़लीफ़ा सलमान आज़म ने 1822 ईस्वीं में इसे फ़तह करके सल्तनते उस्मानिया में शामिल कर लिया। 1912 ईस्वीं में इस पर इटली क़ाबिज़ हूआ और 1947 ईस्वीं में इत्तेहादीयों ने रूस, यूनान के हवाले कर दिया।

(3220) जनाब क़ासिम (रह.) (इब्ने मुहम्मद बिन अबी बक्र अस्सिद्दीक़ (ﷺ) कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके दो साथियों की क़ब्रें दिखायें, तो उन्होंने मेरी ख़ातिर परदा एक तरफ़ किया। तीन क़ब्रें थीं जो न तो

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ رضى الله عنهما

فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

ऊँची थीं और न ज़मीन के साथ बराबर, बल्कि क़द्रे ऊँची थी और सुर्ख मैदान की कंकरियाँ उन पर डाली गयी थी।

जनाब अबू अली अल्लूलूई (रावी–ए–सुनन अबी अबू दाऊद) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र आगे हैं और अबूबक्र(ﷺ) उनके सर के पास हैं और उ़मर(ﷺ) उनके पाँव के पास यानी हज़रत उ़मर(ﷺ) का सर रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़दमों में है।

(3220) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/3, हाकिम: 1/369, 370.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है। और चाहिए कि क़ब्र ज़मीन से बालिश्त भर ऊँची हो। **(2)** हज़रत आयशा (ﷺ) से क़ब्रों की तरतीब में दो क़ौल मारूफ़ हैं।

एक यूँ है:

	नबी अकरम (ﷺ)	
उमर फ़ारूक़ (ﷺ)		अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ)

दूसरा क़ौल यूँ है:

उमर फ़ारूक़ (ﷺ)	नबी अकरम (ﷺ)
	अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ)

(नैलुल अवतार: 14/179)

बाब : 73
क़ब्रिस्तान से वापस होते हूए क़ब्र के पास मय्यत के लिए इस्तेग़फ़ार करना

﴿73﴾
باب الاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الاِنْصِرَافِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَحِيرُ بْنُ رَيْسَانَ .

(3221) हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब मय्यत को दफ़्न करके फ़ारिग़ हो जाते तो क़ब्र पर रूकते और फ़रमाते: 'अपने भाई के लिए इस्तेग़फ़ार करो और साबित क़दमी की दुआ करो बेशक अब उससे सवाल किया जायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (सनद के एक रावी अ़ब्दुल्लाह के वालिद का नाम) बहीर बिन रैसान बयान किया।

(3221) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/56, हाकिम: 1/37.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुन्नत है कि दफ़न के बाद वापस आते हूए क़ब्र पर मय्यत के लिए इस्तेग़फ़ार और साबित क़दमी की दुआ की जाये। क़ब्र से या क़ब्रिस्तान से चालीस क़दम दूर आकर दुआ करने वाली उपज (इख़्तराअ) बिल्कुल ग़लत है। **(2)** क़ब्र में मय्यत को ज़िन्दा करके बिठाया जाता है और उससे सवाल जवाब होता है तो ये दुआ, उसी में साबित क़दमी के लिए होती है।

बाब : 74
क़ब्र के पास जानवर ज़बह करना हराम है

﴾74﴿ باب كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

(3222) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में अक़्र (जानवरों को क़ब्र पर ज़बह करना) नहीं है।'
इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक (रह.) ने बयान किया कि लोगों का मामूल था कि वह क़ब्र के पास गाय या बकरी वग़ैरह ज़बह किया करते थे।

(3222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/197, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीसः 6690, इब्ने हिब्बान, हदीसः 738.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً.

फ़ायदा : ये एक जाहिली रस्म थी कि गोया साहिबे क़ब्र अपनी ज़िन्दगी में बड़ा सख़ी था, तो उसके रिश्तेदार मौत के बाद उसके क़ब्र के पास जानवर ज़बह करके छोड़ देते थे कि जानवर खा जाये। इस्लाम ने इस काम से रोक दिया है और अब किसी भी नियत से क़ब्र पर जानवर ज़बह करना, चढ़ावा चढ़ाना या देगें पका कर तक़सीम करना हराम है।

बाब : 75
एक मुद्दत के बाद क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना

﴾75﴿ باب الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

(3223) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन तशरीफ़ ले गये और अहले उहुद पर नमाज़

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

पढ़ी जैसे कि मय्यत पर पढ़ते हैं, फिर वापस तशरीफ़ ले आये।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6426, व मुस्लिम.

फ़ायदा : कुछ लोगों ने इससे शहीद की नमाज़े जनाज़ा की मशरूइयत पर इस्तेदलाल किया है। जबकि दूसरे अहले इल्म कहते हैं कि यहां नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मुराद नहीं, बल्कि जनाज़े जैसी दुआ करनी मुराद है। (औनूल माबूद) इसलिए मज़कूरा इस्तेदलाल के लिए ये वाज़ेह नस़ नहीं है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ .

(3224) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीब ने ये हदीस़ बयान की और कहा: बेशक नबी (ﷺ) ने शोहदा—ए उहुद पर आठ साल के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, गोया कि आप ज़िन्दा और मुर्दों को अलविदा कह रहे थे।

(3224) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4042, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : यहां भी अस़ल अ़रबी अल्फ़ाज़ (सल्ला) हैं, जिसमें दोनों एह्तिमाल हैं। दुआ करने का भी और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का भी। इसलिए ये भी किसी एक बात के लिए नस़ नहीं, ताहम कुछ के नज़दीक दूसरा एहतिमाल ज़्यादा सम्भव है। वल्लाहु आलम!

﴾76﴿

بَابٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

बाब : 76
क़ब्र पर इमारत बनाना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(3225) हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप मना फ़रमाते थे कि क़ब्र पर बैठा जाये या उसे चूना गच किया जाये या उस पर कोई तामीर की जाये।

الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ .

(3225) तख़रीज : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 6488, मुसनद अहमद: 3/339, व मुस्लिम: 970.

फ़ायदा : क़ब्र के ऐन ऊपर बैठना या इज़हारे ग़म में उसका मुजावर बन जाना हराम है। ऐसे ही उसे पुख़्ता करना या उस पर क़बा वग़ैरह बनाना हराम है। किसी ज़रूरत के तहत क़ब्र के पास बैठ जाने में कोई हर्ज नहीं। (देखिए: हदीस: 3212)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ وَأَنْ .

(3226) हज़रत सलमान बिन मूसा और अबू अज़्ज़ुबैर (रह.) ने हज़रत जाबिर (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उ़स्मान बिन अबी शैबा ने कहा: 'उसको ज़्यादा करना मना है (उसे ऊँचा कर दिया जाये।)' और सलमान बिन मूसा ने मज़ीद कहा: 'इस पर कतबा लगाना मना है।' मगर मुसद्दद ने अपनी रिवायत में (औ युज़ादु अ़लैहि) का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसद्दद की रिवायत में मेरे लिए लफ़्ज़ (वअन) वाज़ेह नहीं हूआ था।

(3226) **तख़रीज :** मुस्लिम: 970.

फ़ायदा : क़ब्र पर मय्यत के नाम व नसब या उसकी मदह व सना का कतबा लगाना या अल्लाह, रसूल का नाम या क़ुर्आन लिखना सभी नाजायज़ है। अलबत्ता निशानदेही के लिए कोई मुनासिब निशान लगा दिया जाये तो जायज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उ़स्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) की क़ब्र पर एक पत्थर रखा था।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3227) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला यहूदीयों को हलाक करे उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया।'

قَالَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

(3227) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 437, मौता: 6/383, व मुस्लिम: 530.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्रों पर मस्जिदें बनाना या मस्जिदों के पास मय्यतों को दफ़न करना दोनों ही सूरतें नाजायज़ हैं, ख़्याल रहे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र मुबारक का मस्जिदे नबवी में आ जाना एक इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया है। आप (ﷺ) का अपने उस हुजरे में दफ़न होना आपकी ख़ुसूसियत थी और उस वक़्त ये हुजरा मस्जिद से अलग था। **(2)** ज़ाइरे हरमे नबवी के लिए वाजिब है कि अगर वह क़ब्रे नबवी के क़रीब भी नमाज़ पढ़े तो क़ल्बी तौर पर अल्लाह की तरफ़ लौ लगाये रहे और बैतुल हराम को अपना क़िब्ला समझे। किसी क़ब्र को क़िब्ला बना कर नमाज़ पढ़ना हराम है। इस मौज़ूअ पर अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) की तालीफ़ 'तहज़ीरूस्साजिद' एक अहम क़ाबिले मुताला किताब है। 'क़ब्रों पर मस्जिदें और इस्लाम' के नाम से उसका तर्जुमा हो चुका है।

(77) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ

बाब : 77
क़ब्र पर बैठना हराम है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .

(3228) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई दहकते कोयले पर बैठ जाये, वह उसके कपड़े जला दे और फिर उसका असर उसके जिस्म तक पहुँच जाये, ये उसके लिए बेहतर है इससे कि किसी क़ब्र पर बैठे।'

(3228) तख़रीज : मुस्लिम: 971.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ - عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا

(3229) हज़रत वसिला बिन असक़अ (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मैंने हज़रत अबू मरसद ग़नवी (رضي الله عنه) को सुना, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों पर मत बैठो और न उनकी तरफ़ रूख़ करके नमाज़ पढ़ो।'

مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا " .

(3229) तख़रीज : मुस्लिम: 972.

फ़ायदा : क़ब्रिस्तान में या किसी क़ब्र को क़िब्ला बनाकर नमाज़ पढ़ना हराम है। अलबत्ता नमाज़े जनाज़ा जिसमें कि रूकूअ सुजूद नहीं होता इसकी ख़ुसूसी इजाज़त है जैसे कि पीछे गुज़रा है।

«78» بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ بَيْنَ الْقُبُورِ

बाब : 78
जूते पहने हूए क़ब्रों पर चलना

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " . قَالَ زَحْمٌ . قَالَ " بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ " . قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا " . ثَلاَثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ

(3230) हज़रत बशीर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुलाम थे, अय्यामे जाहिलीयत में उनका नाम ज़हम बिन माबद था। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ हिजरत कर आये थे। आपने पूछा: 'तुम्हारा नाम क्या है?' कहा: ज़हम। आपने फ़रमाया: '(नहीं) बल्कि तुम बशीर हो।' ये बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहा था कि आप मुश्रिकों की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'बेशक ये लोग बहुत बड़ी ख़ैर से पहले ही गुज़र गये (इस्लाम लाने से महरूम रहे)' आपने ये बात तीन बार फ़रमायी, फिर आप मुसलमानों की क़ब्रों के पास से गुज़रे, तो फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा इन लोगों ने बहुत बड़ी ख़ैर पा ली (इस्लाम से बहरावर हूए)' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नज़र पड़ी तो देखा कि एक आदमी जूते पहने हूए क़ब्रों पर चला

خَيْرًا كَثِيرًا " . وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظْرَةٌ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ " . فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا .

आ रहा है। आपने फ़रमाया: 'ऐ जूतों वाले! अफ़सोस है तुम पर, अपने जूते उतार दो।' उस आदमी ने देखा, जब पहचाना कि ये अल्लाह के रसूल हैं तो उसने अपने जूते उतार कर फैंक दिये।

(3230) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1568, नसाई, हदीस: 2050, इब्ने हिब्बान, हदीस: 790, हाकिम: 1/373.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बेहतर है कि इंसान क़ब्रिस्तान में चलते हूए अपने जूते उतार ले जब कि नीचे की हदीसे अनस (ﷺ) से इसका जवाज़ भी साबित है। **(2)** मुसलमानों और मुश्रिकीन के क़ब्रिस्तान अलग अलग होने चाहिए। **(3)** नामुनासिब नाम को तब्दील कर के उम्दा नाम रखना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ " .

(3231) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बंदे को जब उसकी क़ब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी उसके पास से जाने लगते हैं, तो बिलाशुब्हा वह उनके जूतों की आवाज़ सुनता है।'

(3231) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1338, व मुस्लिम: 2870.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मय्यत को क़ब्र में ज़िन्दा किया जाता है और फिर उसका हिसाब होता है। और ये सब ग़ैबी मामला है। मय्यतों के सुनने में हमें सिर्फ़ इसी क़द्र ख़बर दी गयी है कि वह जाने वालों के जूतों की आहट सुनता है और उसी पर हमारा ईमान है। इससे मज़ीद की नफ़ी साबित है। **(2)** मालूम हूआ कि क़ब्रिस्तान में जूते पहनना जायज़ है।

बाब : 79
किसी वजह से मय्यत को उसकी जगह से मुन्तक़िल कर देना

﴿79﴾
باب فِي تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ .

(3232) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद एक दूसरे आदमी के साथ दफ़न किये गये तो इस वजह से मेरे जी में था कि उन को वहां से निकाल लूं। चुनांचे मैंने उन्हें छः माह बाद वहां से निकाला, तो उनमें कोई तब्दीली न आई थी सिवाए दाढ़ी के चंद बालों के जो ज़मीन के साथ लगे हूए थे।

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/58.

फ़ायदा : कोई वाक़ेई माक़ूल मसलिहत हो तो मय्यत को उसकी पहली क़ब्र से निकाल कर दूसरी जगह दफ़न करना जायज़ है।

बाब : 80
मय्यत को ज़िक्रे ख़ैर से याद करना

﴿80﴾
باب فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا

(3233) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि लोग एक जनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रे और उन्होंने उसको ख़ैर से याद किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गयी।' फिर वह एक दूसरा जनाज़ा लेकर गुज़रे और उसका ज़िक्र बुरे अन्दाज़ में

فَقَالَ " وَجَبَتْ " . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ " وَجَبَتْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ" .

किया तो आपने फ़रमाया: 'वाजिब हो गयी।' फिर आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम एक दूसरे पर गवाह हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1935.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिसे भलाई से याद किया गया उसके लिए जन्नत वाजिब हूई और दूसरे के लिए जहन्नम। **(2)** हक़ीक़ते हाल तो अल्लाह तआला ही के इल्म में है मगर ज़िन्दों पर लाज़िम है कि अपने मरने वालों को भलाई से याद करें या कम अज़ कम ख़ामोश रहें। लोगों में जिस किसी का कोई अच्छी शोहरत होती है उसकी कोई न कोई बुनियाद ज़रूर होती है, इसलिए चाहिए कि इंसान हक़ और ख़ैर अपनाये ताकि उसका ज़िक्र ख़ैर के साथ हो।

﴾81﴿
بابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

बाब : 81
ज़ियारते क़ुबूर (क़ब्रों की ज़ियारत) का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ " .

(3234) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वालिदा की क़ब्र पर आये तो रो पड़े और आपके आस-पास साथी भी रो दिये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने अपने रब तआला से इजाज़त चाही कि इसके लिए बख़्शिश की दुआ करूं मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गयी। फिर मैंने इजाज़त चाही कि इसकी क़ब्र की ज़ियारत कर लूं तो मुझे इजाज़त दे दी गयी। चुनांचे तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, बिलाशुब्हा इससे मौत याद आती है।'

(3234) तख़रीज : मुस्लिम: 976.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्रों की ज़ियारत से इंसान को दुनिया की बेसबाती और आख़िरत याद आती है और इससे दिलों की सख़्ती दूर होती है। **(2)** कुफ़्फ़ार की क़ब्रों की ज़ियारत से भी इबरत होती है और मुसलमानों की क़ब्रों की ज़ियारत से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का सवाब मिलता है। और अपनों की क़ब्रों की ज़ियारत से दिल पर ख़ास तासीर क़ायम होता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً " .

(3235) हज़रत (सलमान) इब्ने बुरैदा अपने वालिद (हज़रत बुरैदा (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, चुनांचे अब उनकी ज़ियारत किया करो। बिलाशुब्हा उनकी ज़ियारत में (मौत की) याद देहानी है।'

(3235) तख़रीज : मुस्लिम: 977.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ियारते कुबूर एक मशरूअ और मसनून अमल है। इंसान जहां कहीं ठहरा हो वहां के क़ब्रिस्तान की ज़ियारत को अपना मामूल बना ले। मगर सिर्फ़ इस मक़सद के लिए दूर दराज़ का सफ़र करना जायज़ नहीं। **(2)** ज़ियारते कुबूर के मारूफ़ मसनून आदाब हैं: यानी क़ब्रिस्तान में दाख़िल होने की दुआ और मुसलमान अहले क़बूर के लिए दुआए मग़फ़िरत करे न कि वहां जाकर नमाज़ पढ़ना या तिलावते कुर्आन करना या क़ब्र को मुक़ामे क़बूलियत समझना या साहिबे क़ब्र के वास्ते और वसीले से दुआ करना या ख़ूद उसी को अपनी हाजात पेश करना, ये सब काम हराम हैं। और इसी तरह क़ब्रों पर मेले ठेले और उर्स वग़ैरह का अहादीसे रसूल (ﷺ) और अमले सहाबा में कोई नाम व निशान तक नहीं मिलता है।

﴿82﴾ بَابٌ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

बाब : 82 औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

(3236) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई है जो क़ब्रों पर जाती हैं और (उन लोगों पर भी) जो लोग उन्हें सज्दागाह बनाते हैं या वहां चराग़ जलाते हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 320, इब्ने माजा, हदीस: 1575, नसाई, हदीस: 2045.

फ़ायदा : मशरूअ व मसनून आदाब के साथ औरतें भी क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जायें तो जायज़ है। जैसे कि ऊपर दी गई अहादीस में उमूमी रूख़सत दी गयी है, लेकिन जो औरतें शरई आदाब की ख़िलाफ़ वर्ज़ी

करते हूए वहां नोहे पढ़ें या सज्दे करें या चराग़ जलायें तो ये लानत के काम हैं जिनसे बचना और बचाना वाजिब है। और जो औरतें ये काम करें उनका क़ब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है।

बाब : 83
क़ब्रिस्तान (में जाये या उसके क़रीब) से गुज़रे तो क्या पढ़े?

﴾83﴿ باب مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ " .

(3237) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्रिस्तान की तरफ़ तशरीफ़ ले गये तो ये दुआ पढ़ी: (अस्सलामुलैकुम दारा क़ौमिम मूमिनीन व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन) 'सलामती हो तु पर ऐ इन घरों के मोमिन लोगो! और हम भी इन्शाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं।'

तख़रीज : मौता: 1/28–30, व मुस्लिम: 249.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले क़ुबूर अपने मुसलमान भाईयों की दुआओं के बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। उनके लिए ख़ुलूस से दुआ करना उनका हक़ है, न कि उनसे दुआएँ करवाना या उनसे हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई की दरख़्वास्त करना। **(2)** इस दुआ के अलावा भी ज़ियारते क़ुबूर की दुआएँ सही अहादीस में वारिद हैं जैसे सही मुस्लिम में है। (मुस्लिम, हदीस: 975)

बाब : 84
मुहरिम अगर फ़ौत हो जाये तो उसके साथ कैसे किया जाये?

﴾84﴿ باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक ऐसे आदमी को लाया गया जिसे उसकी सवारी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी और

वह फ़ौत हो गया जबकि वह हालते एहराम में था। तो आपने फ़रमाया: 'इसे इसके इन दो कपड़ों में कफ़न दो, बेरी के पत्ते मिले पानी के साथ गुस्ल दो और इसका सर मत ढाँपो। बिलाशुब्हा क़यामत के रोज़ अल्लाह तआ़ला इसे उठायेगा तो ये तल्बीया पढ़ रहा होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह फ़रमाते थे कि इस हदीस़ में पाँच अहकाम हैं। **(1)** ऐसी मय्यत को दो ही कपड़ों में कफ़न दिया जाये। **(2)** तमाम गुस्लों में बेरी के पत्ते इस्तेमाल किये जायें। **(3)** इसका सर न ढाँपा जाये। **(4)** और न ख़ूशबू ही लगायी जाये। **(5)** और कफ़न उसके अपने माल में से लिया जाये।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1267, व मुस्लिम: 1206.

(3239) हज़रत स़ईद बिन जुबैर (रह.) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत करते हैं। कहा: 'और इसको दो कपड़ों में कफ़न दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सलमान बिन हरब की अय्यूब से रिवायत में लफ़्ज़ यूँ हैं: (स़ौबैहि) 'यानी इसके अपने दो कपड़ों में कफ़न दो।' जबकि अ़म्र की रिवायत में : (स़ौबैनि) आया है। 'दो कपड़ों में कफ़न दो।' (इसके अपने हों या किसी दूसरे ने दिये हों) इब्ने उ़बैद की रिवायत जो अय्यूब से है इसमें (फ़ी स़ौबैनि) का लफ़्ज़ हैं जबकि अ़म्र ने (स़ौबैहि) कहा है। और सिर्फ़ सलमान ने ये इज़ाफ़ा किया: 'उसे हनूत (ख़ूशबू) भी न लगाओ।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1849, व मुस्लिम: 1206.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ " كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ " كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ " . أَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ " وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " . أَىْ إِنَّ فِي الْغَسَلاَتِ كُلِّهَا سِدْرًا " وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ " . وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ قَالَ " وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَيُّوبُ " ثَوْبَيْهِ " . وَقَالَ عَمْرٌو " ثَوْبَيْنِ " . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ أَيُّوبُ " فِي ثَوْبَيْنِ " . وَقَالَ عَمْرٌو " فِي ثَوْبَيْهِ " . زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ " وَلاَ تُحَنِّطُوهُ " .

(3240) अय्यूब, सईद बिन जुबैर से और वह हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सलमान की रिवायत के हम मानी बयान करते हैं, यानी (फ़ी सौबैनि) 'दो कपड़ों में कफ़न दो।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ " فِي ثَوْبَيْنِ " .

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हालते एहराम में चूंकि मर्द सर नहीं ढाँपता और न ख़ूशबू ही इस्तेमाल करता है और कपड़े भी उस पर दो ही होते हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि फ़ौत हो जाने की सूरत में इसके साथ क्या किया जाये। तो उसका जवाब इन अहादीस में मौजूद है। **(2)** मुहरिम का अपना लिबास एहराम ही उसका कफ़न बना दिया जाये तो बेहतर है। वरना दूसरा भी दिया जा सकता है क्योंकि रिवायत दोनों ही तरह हैं।

(3241) जनाब सईद बिन जुबैर (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक मुहरिम आदमी को उसकी सवारी ने गिरा दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी और उससे वह फ़ौत हो गया, उसको रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे गुस्ल दो, कफ़न पहनाओ लेकिन सर ना ढाँपो और न ख़ूशबू ही लगाओ, बिलाशुब्हा ये तल्बीया पुकारते हूए उठाया जायेगा।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ " .

(3241) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1839, हदीस: 3238 में देखें।

फ़ायदा : हालते एहराम में मौत की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है कि उसका अमल क़यामत तक के लिए जारी रहेगा और उस पर क़यास है कि अगर कोई तालिबे इल्म या जिहाद में फ़ौत हो जाये और वह अपने इस अमल को पूरा करने का अज़म रखता हो तो उसे इन्शाअल्लाह क़यामत तक के लिए इसका सवाब मिलता रहेगा।

كتاب الأيمان والنذور

क़सम खाने और नज़र मानने के अहकाम व मसाइल

☆ **क़सम की अहमियत और उसकी किस्में:** किसी मामले को अल्लाह के नाम या उसकी सिफ़ात का ज़िक्र करके यक़ीनी बनाने को हल्फ़ उठाना या क़सम खाना कहते हैं। चूंकि अरब लोग ऐसे मौक़े पर बाहम मुसाफ़ा भी करते थे इसलिए इसे (यमीन) कहा गया। (यमीन) बमानी दाहिना हाथ और उसकी जमा है (अयमान) इसकी तीन क़िस्में हैं: एक हक़ीक़ी और सच्ची क़सम, जो इरादे के साथ उठायी जाती है, उसे 'यमीने मुअक़्क़द' कहते हैं और इसके मुताबिक़ अमल करना हर सम्भव लाज़िम होता है, वरना कफ़्फ़ारा वाजिब होता है। दूसरी 'यमीने लग़्व' है। यानी बिला इरादा बात बात पर क़समें उठाना जैसे कि बाज़ लोगों का तकिया कलाम होता है, उसे माफ़ क़रार दिया है। ताहम उसे मामूली नहीं जानना चाहिए बल्कि अपनी आदत बदलने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी झूठी क़सम, उसे 'यमीने ग़मूस' कहते हैं। यानी गुनाह, एताब और हलाकत में डूबो देने वाली। इसे अकबरूल कबाइर में शुमार किया गया है। कुर्आन मजीद में है: 'अपनी क़समों को पुख़्ता करने के बाद मत तोड़ो।' (अन्नहल: 91), 'अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उन क़समों पर नहीं पकड़ेगा जो पुख़्ता न हों, हाँ उस चीज़ पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों का अमल हो।' (अल बक़र: 225)

☆ **नज़र की लुग़वी और इस्तेलाही तारीफ़:** लुग़त में नज़र के मानी हैं 'अच्छा या बुरा वादा'। शरअ में नज़र का मतलब है: 'अल्लाह तआला के कुर्ब के हुसूल के लिए किसी चीज़ को अपने ऊपर लाज़िम क़रार दे लेना नज़र कहलाता है।'

☆ **नज़र की मशरूइयत :** नज़र गुज़िश्ता आयात में भी मशरूअ थी और ज़माना जाहिलीयत में भी इसका रिवाज आम था। मुश्रिकीन बुतों के नाम पर नज़र मानते थे ताकि उनका कुर्ब हासिल हो। अपनी हाजत तल्बी के लिए नज़्र व न्याज़ उनके यहां मक़्बूले आम अमल था। इस्लाम ने नज़र को मशरूअ रखा है लेकिन इसके लिए कायदे कानून रखे हैं ताकि अल्लाह की रज़ा के हुसूल का बाइस बने और ग़ैरूल्लाह के साथ इसका ताल्लूक़ ख़त्म हो जाये। कुर्आन मजीद में इसकी मशरूइयत के बारे में इरशादे बारी तआला है: 'तुम जितना कुछ ख़र्च करो यानी ख़ैरात करो और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह बख़ूबी जानता है।' (अल बक़र: 270)

इरशादे नबवी (ﷺ) है: 'जिस शख़्स ने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी तो वह उसकी इताअत करे (नज़र पूरी करे) और जिसने उसकी नाफ़रमानी की नज़र मानी वह उसकी नाफ़रमानी न करे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 6696)

बाब : 1
झूठी क़सम में गुनाह की सख़्ती

﴿1﴾ باب التَّغْلِيظِ فِي الأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

(3242) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने (किसी हाकिम वग़ैरह की मज्लिस में महबूस होकर या दीदा दानिस्ता) झूठी क़सम खायी तो उसे चाहिए कि अपने चेहरे का मक़ाम आग में बना ले।'

(3242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/436.

फ़ायदा : झूठ बोलना वैसे ही कबीरा गुनाह और लानत का काम है, कुजा या कि इस पर मज़ीद क़सम भी उठाये। तो उसकी सज़ा जहन्नम है। दुनिया में उसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं। बहरहाल तौबा का दरवाज़ा खुला है, जिसे अपने इस ग़लत अमल का एहसास हो जाये वह बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तेग़फ़ार करे।

बाब : 2
जो शख़्स किसी का माल मार लेने के लिए क़सम खाये

﴿2﴾ باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لأَحَدٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا

(3243) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद)(ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खायी और वह उसमें झूठा हो ताकि उसके ज़रिये से किसी मुसलमान का माल मार ले, तो वह अल्लाह से मिलेगा जब कि वह उस पर ग़ज़बनाक

مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " . فَقَالَ الأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ لِلْيَهُودِيِّ " احْلِفْ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً } إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

होगा।' अशअ़स़ (ﷺ) ने कहा: अल्लाह की क़सम! ये हदीस़ मेरे ही बारे में है। मेरी और एक यहूदी की ज़मीन मुश्तरक थी, वह मेरे हिस्से से इन्कारी हो गया तो मैंने ये मामला नबी (ﷺ) के हुज़ूर पेश किया। आपने मुझ से पूछा: 'क्या तुम्हारे गवाह हैं?' मैंने कहा: नहीं। तो आपने यहूदी से फ़रमाया: 'क़सम उठाओ।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो क़सम उठा लेगा और मेरा माल मार लेगा। तब अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़रमायी: (इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन क़लीला...) 'जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों पर मामूली माल हासिल करते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह उनकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा और न उनसे कलाम करेगा और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है।'

(3243) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2416, 2417, व मुस्लिम: 138.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ

(3244) हज़रत अशअ़स़ बिन क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि (क़बीला) किंदा और हज़्रे मौत के दो आदमी अपनी एक ज़मीन का तनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और ये ज़मीन यमन में थी। हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी ज़मीन इस शख़्स के बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी और ये अब इसके क़ब्ज़े में है।

مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ . قَالَ " هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لاَ وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ " . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ .

आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे कोई गवाह हैं?' उसने कहा: नहीं। लेकिन मैं इसे क़सम देता हूं कि (वह ये कहे) अल्लाह की क़सम! वह नहीं जानता कि वह ज़मीन मेरी है जो उसके बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी। उधर किंदी आदमी भी क़सम खाने के लिए तैयार हो गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई क़सम उठाकर किसी का माल मार लेता है तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोढ़ी होगा।' चुनांचे किंदी ने कहा: ये ज़मीन इसी की है।

(3244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/212, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1190, इब्ने जारूद, हदीस: 1005, हाकिम: 4/295.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلَكَ يَمِينُهُ " . قَالَ يَا

(3245) जनाब अलक़मा बिन वाइल बिन हुज्र हज़रमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़्रे मौत और (क़बीला) किंदा के दो आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आये तो हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये शख़्स मेरे बाप की ज़मीन पर क़ाबिज़ हो गया है। किंदी ने कहा: ये मेरी ज़मीन है, मेरे क़ब्ज़े में है, मैं ही इसे काश्त करता हूं और इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। नबी (ﷺ) ने हज़रमी से कहा: 'क्या तेरे पास गवाह हैं?' उसने कहा: नहीं। आपने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये फ़ाजिर आदमी है, इसे कोई परवाह नहीं कि क्या क़सम खा रहा है, ये किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता, तो नबी (ﷺ) ने

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَاكَ " . فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ " .

फ़रमाया: 'तुम्हारे लिए इसकी तरफ़ से बस यही है (कि वह क़सम खाये।)' चुनांचे वह क़सम खाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने पीठ फेरी तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर इसने क़सम खा ली कि ज़ुल्म से माल खा ले तो ये अल्लाह से मिलेगा इस हाल में कि वह इससे रूख़ फेरे हुए होगा।'

(3245) तख़रीज : मुस्लिम: 139.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी मुक़द्दमा के तरफ़ैन, जिसमें किसी सालेह के मुताल्लिक़ गुमान हो कि सच कहता होगा और किसी फ़ासिक़ के मुताल्लिक़ वहम हो कि ये झूठा होगा, क़ाज़ी के रू ब रू बराबर होते हैं। उनका फ़ैसला शरई उसूलों के तहत ही होगा कि मुद्दई गवाह पेश करे या मुद्आ अलैह क़सम खाये। (ख़त्ताबी) **(2)** किसी तनाज़ा (झगड़े) में तरफ़ैन का एक दूसरे को झूठा, ख़्यानत या ज़ुल्म वग़ैर से मुत्तहम करना ऐसी बातें होती हैं कि उनके मुताल्लिक़ कोई दावा क़बूल नहीं किया जा सकता। (ख़त्ताबी) **(3)** मुद्आ अलैह किसी भी दीन व मिल्लत से ताल्लूक़ रखता हो, उससे क़सम ली जायेगी जो तस्लीम होगी। **(4)** झूठी क़सम का एताब (अज़ाब) इन्तेहाई सख़्त है।

﴾3﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ

बाब : 3
मिम्बरे नबवी के पास क़सम खाने की अज़मत

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ، مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ

(3246) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी ने मेरे इस मिम्बर के पास झूठी क़सम खायी, ख़्वाह एक (ताज़ा) मिस्वाक ही पर क्यों न हो, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया।' या फ़रमाया: 'उसके लिए जहन्नम वाजिब है।'

عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " . أَوْ " وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ " .

(3246) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2325, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1192, इब्ने जारूद, हदीस: 927, हाकिम: 4/296, 297.

फ़ायदा : मस्जिदे नबवी में रियाजुल जन्नत, और मिम्बरे नबवी, जो कि महशर में हौज़ पर होंगे, जैसे अज़ीम मुतबर्रक मक़ामात की परवाह न करते हुए झूठ बोलना और झूठी क़सम खाना, इन्तेहाई बद बख़्ती की अलामत है। आम मसाजिद का भी यही हुक्म है कि उससे क़सम की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है।

﴾4﴿ بَابُ الْحَلِفِ بِالأَنْدَادِ

बाब : 4 ग़ैरूल्लाह के नाम की क़सम खाना

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَىْءٍ " .

(3247) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खायी और अपनी क़सम में यूँ कहा: क़सम है लात की! तो उसे चाहिए कि कहे: ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसने अपने साथी से कहा: आओ जूआ खेलें! तो उसे चाहिए कि कुछ सदक़ा करे।'

(3247) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4860, व मुस्लिम: 1647.

फ़ायदा : ग़ैरूल्लाह के नाम की क़सम खाना शिर्क है। अगर किसी से दानिस्ता (जान बुझकर) ऐसा हो जाये तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं, बल्कि तौबा व इस्तेग़फ़ार और तजदीदे इमान लाज़िम है, ताहम नादानिस्ता, ग़ैर इरादी तौर पर ऐसे अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें, तो उसके लिए दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना भी काफ़ी है। इसी तरह जूवा खेलना हराम है तो उसका कफ़्फ़ारा सदक़ा करना है। फ़रमाया: 'नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं।' (हूद: 114)

बाब : 5
बाप–दादों के नाम की क़सम खाने की हुरमत

﴿5﴾ باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ

(3248) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने बापों या माँओं के नाम की क़समें न खाया करो और न बुतों के नाम की सिर्फ़ अल्लाह के नाम की क़सम खाया करो, और अल्लाह की क़सम भी उसी सूरत में खाओ जब तुम सच्चे हो।'

(3248) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3800, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1176.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ".

(3249) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का बयान है कि वह एक क़ाफ़िले में जा रहे थे कि पीछे से रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें आन मिले। (आप (ﷺ) ने उनको सुना) जब कि वह अपने बाप की क़सम खा रहे थे, तो फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हें मना फ़रमाता है कि अपने बाप दादों की क़समें खाओ, जिसे क़सम खानी हो वह अल्लाह के नाम की क़सम खाये, या ख़ामोश रहे।'

(3249) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6108, व मुस्लिम: 1646.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ " .

(3250) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से सुना (कि मैं अपने बाप के नाम की क़सम खा रहा था)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ مَعْنَاهُ إِلَى " بِآبَائِكُمْ " . زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا

फिर ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया। हज़रत उमर (ﷺ) ने मज़ीद कहा: अल्लाह की क़सम! (बाद में) मैंने उनकी क़सम नहीं खायी, न अमदन और न हिकायतन (किसी की तरफ़ से नक़ल करते हूए)

(3250) तख़रीज : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 15922, बुख़ारी, हदीस़: 6647.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ " .

(3251) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने किसी को सुना कि वह काबा की क़सम खा रहा था तो उन्होंने उससे कहा: बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'जिसने ग़ैरूल्लाह की क़सम खायी उसने शिर्क किया।'

(3251) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1535, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1177, हाकिम: 4/297.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ैरूल्लाह की क़सम खाना, ख़्वाह वह काबा की हो या फ़रिश्ते या अम्बिया या औलिया, सालेहीन या आबा व अज्दाद वग़ैरह की, उसे गोया अल्लाह के हम पल्ला ठहराना है या उसकी सी सिफ़ात से मोसूफ़ समझना है जो कि वाज़ेह शिर्क है। जिससे ऐसा हो जाये उसे चाहिए कि वह ईमान की तज्दीद करे, और ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़े जैसे कि (हदीस़: 3247) में गुज़रा है। **(2)** ख़याल रहे कि क़ुर्आन मजीद की क़सम खाना अल्लाह के रसूल (ﷺ) से साबित नहीं है। ताहम अगर कोई उठा ले तो मुबाह और जायज़ है इसलिए कि क़ुर्आन मजीद अल्लाह ज़ूलजलाल का कलाम और उसकी सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़ात की क़सम खाना साबित और सही है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ

(3252) जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बदवी के वाक़िया वाली हदीस़ में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कामयाब हूआ, क़सम उसके बाप की! अगर सच्चा (साबित क़दम) रहा। जन्नत में दाख़िल

أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي فِي، حَدِيثِ قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " .

हूआ, क़सम उसके बाप की! अगर ये सच्चा (साबित क़दम) रहा।'

(3252) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 392 में देखें, बुख़ारी, व मुस्लिम.

फ़ायदा : इस रिवायत में (व अबीह) का लफ़्ज़ शाज़ और ज़ईफ़ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) ताहम इसकी ये तावील भी की जाती है कि ये क़िस्सा ग़ैरूल्लाह की क़सम से मना करने से पहले का है या ये कलाम आम लोगों के उस्लूब पर है, इसमें क़सम का मानी मुराद नहीं है। और कुछ ने कहा कि इसमें लफ़्ज़ 'रब' महज़ूफ़ है और असल यूँ है: (वरब्बा अबीहि) 'इसके बाप के रब की क़सम।' अल्लामा सुहैली ने कहा कि इसमें 'ताज्जुब' के मानी हैं। (नैलुल अवतार)

﴾6﴿ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالأَمَانَةِ

बाब : 6
अमानत की क़सम खाना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(3253) जनाब (सलमान) इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अमानत की क़सम खायी, हममें से नहीं।'

(3253) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/352, इब्ने हिब्बान: 1318.

फ़ायदा : ईमान या अमानत अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ करदा उमूर हैं, इनकी क़सम खाने के कोई मानी नहीं, लिहाज़ा नाजायज़ है। ताहम बक़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) इसमें कोई कफ़्फ़ारा नहीं।

बाब : 7
लग़्व क़सम का बयान

﴾7﴿ باب لَغْوِ الْيَمِينِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي الصَّائِغَ - عَنْ عَطَاءٍ، فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هُوَ كَلاَمُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلاَّ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ رَجُلاً صَالِحًا قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِمٍ بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَكُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا .

(3254) जनाब अ़ता (रह.) से लग़्व क़समों के बारे में मरवी है, उन्होंने कहा, हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इससे मुराद वह क़सम है जो आदमी अपने घर में कल्ला वल्लाह! और बला वल्लाह (नहीं, क़सम अल्लाह की! हाँ क़सम अल्लाह की!) वग़ैरह बोलता रहता है।' (उसका तकिया कलाम होता है और क़सम का क़स़द नहीं होता।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्राहीम स़ायग़ एक स़ालेह आदमी थे। उनको अबू मुस्लिम ने मक़ामे अ़रंदस में क़त्ल कर दिया था। और उनका ये मामूल था कि अगर हथोड़ा उठाया हूआ होता और अज़ान सुन लेते तो वहीं छोड़ देते थे। इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस़ को दाऊद बिन अबी फ़ोरात ने बवास्ता इब्राहीम स़ायग़ हज़रत आ़यशा पर मौक़ूफ़ रिवायत किया है और ऐसे ही ज़ोहरी, अ़ब्दुल मालिक बिन अबी सलमान और मालिक बिन मिग़वल ने बवास्ता अ़ता हज़रत आ़यशा से मौक़ूफ़ रिवायत किया है।

(3254) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1187, बुख़ारी, हदीस़: 6663.

फ़ायदा : लग़्व क़सम माफ़ है और इसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं, ताहम आदमी को इससे परहेज़ करते हूए अपनी आ़दत बदलनी चाहिए। फ़रमाया: 'अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उन लग़्व क़समों पर न पकड़ेगा अलबत्ता उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का अ़मल हो।' (अल बक़र: 225)

बाब : 8
क़सम खाने में मख़्फ़ी तौर पर इशारतन कोई और मफ़हूम मुराद ले लेना

﴿8﴾
باب الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ " . قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ .

(3255) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरी क़सम उसी बात पर है जिस पर तेरा साथी तुझसे तस्दीक़ करा रहा है।'

जनाब मुसद्दद (रह.) ने इस सनद में (अन अब्बाद बिन अबी सालेह के बजाये) 'अख़्बरनी अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह' कहा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये दोनों अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह और अब्बाद बिन अबी सालेह एक ही शख़्सीयत हैं।

(3255) तख़रीज : मुस्लिम: 1653.

फ़ायदा : मुसलमानों के दरम्यान आपस में तनाज़आत (झगड़े) के फ़ैसलों के लिए इशारात व तारीज़ात (तौरिये) से क़सम उठाना किसी तरह मुफ़ीद मतलब नहीं बल्कि नाजायज़ है, अलबत्ता कुफ़्फ़ार या ज़ालिमों से लड़ाई हो, तो रूख़्सत है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ

(3256) हज़रत सुवैद बिन हन्ज़ला (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आने की नियत से रवाना हुए और हमारे साथ वाइल बिन हुज्र (ﷺ) भी थे उनके एक दुशमन ने उनको पकड़ लिया, तो क़ौम के लोग क़सम खाने से हिचकिचाते रहे, मगर मैंने क़सम खा ली कि 'ये मेरा भाई है।' तो

وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ " صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ"

उसने उसे छोड़ दिया। फिर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और मैंने आपको बताया कि क़ौम के लोगों ने क़सम खाने में हर्ज समझा था, मगर मैंने क़सम खायी कि 'ये मेरा भाई है' तो आपने फ़रमाया: 'तूने सच कहा, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है।'

(3256) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2119, हाकिम: 4/299, 300.

फ़ायदा : दुशमन के मुक़ाबले में इशारे और तौरिये से क़सम खाना जायज़ है और 'इशारे में झूठ से बचाव मुमकिन होता है।' (सुनन अलकुबरा अलबैहक़ी: 10/199) का यही मफ़हूम है।

﴿9﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ

बाब : 9 इस्लाम से बरी हो जाने या ग़ैर मुस्लिम हो जाने की क़सम खाना

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(3257) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (हुदैबिया में) दरख़्त के पीछे बैत की थी। बेशक रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिसने मिल्लते इस्लाम के सिवा किसी और मिल्लत में हो जाने की क़सम खायी ख़्वाह वह झूठा ही क्यों न हो, तो वह उसी तरह है जैसा कि उसने कहा। और जिसने जिस चीज़ से अपने आप को क़त्ल किया उसे क़यामत के दिन उसी से अज़ाब दिया जायेगा। और

जो चीज़ इंसान की अपनी मिल्कीयत में न हो, उसकी नज़र भी नहीं है।'

وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ " .

(3257) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4171, व मुस्लिम: 110.

(3258) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खायी कि मैं इस्लाम से बरी हूं, तो अगर वह झूठा हूआ तो वह वही हूआ जो उसने कहा और अगर सच्चा भी हूआ तो इस्लाम की तरफ़ सही सालिम नहीं लौटेगा।'

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا" .

(3258) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2100, नसाई, हदीस: 3803, मुसनद अहमद: 5/355, हाकिम: 4/398.

फ़ायदा : इस्लाम अल्लाह का दीन और बंदों के लिए अज़ीम तरीन नेमत है, चुनांचे सच्चे झूठे किसी तरह भी उससे बरी होने के अल्फ़ाज़ ज़बान पर लाना नाजायज़ और हराम है। अगर किसी ने सच्चे होते हूए इस तरह कह दिया तो बहुत बड़े गुनाह का मुरतकिब हूआ। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं कि ऐसी क़सम का माली कफ़्फ़ारा नहीं है, उसका एताब उसके दीन का नुक़सान क़रार दिया गया है।

बाब : 10
जो कोई क़सम खाये कि सालन नहीं खायेगा

﴾10﴿ باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَتَأَدَّمَ

(3259) हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि आपने एक खजूर रोटी के टुकड़े पर रखी और फ़रमाया: 'ये इसका सालन है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ فَقَالَ : " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ".

(3259) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अबू यअ़ला, हदीस: 7494.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، مِثْلَهُ .

(3260) यज़ीद आवर ने हज़रत यूसुफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) से इसके मिस्ल रिवायत किया।

(3260) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस: 183.

﴿11﴾ باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

बाब : 11
क़सम के साथ (इंशाअल्लाह) कहना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .

(3261) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए बयान करते हैं: 'जिसने क़सम खायी और फिर (इंशाअल्लाह) कह दिया तो उसने अलग कर लिया।'

(3261) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3860, मुसनद अहमद: 2/10.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ " .

(3262) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खायी और (इंशाअल्लाह) कहा तो चाहिए वह अपनी क़सम को पूरा करे या न करे, क़सम नहीं टूटेगी।

(3262) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1531, नसाई, हदीस: 3824, इब्ने माजा, हदीस: 2105.

फ़ायदा : चूंकि तमाम मामलात अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की मशियत से पूरे होते हैं इसलिए क़सम में भी हुस्ने अदब ये है कि मुस्तक़बिल के उमूर में (इंशाअल्लाह) कह ले, इस तरह क़सम खाने की सूरत में अगर काम न हो सका तो क़सम नहीं टूटेगी। लेकिन अगर क़सम खाने वाला मुख़ालिफ़त की नियत रखते हूए महज़ अपने मुख़ातिब को तसल्ली देने के लिए (इंशाअल्लाह) कहता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। (इन्नमल आमालु बिन्नियात)

बाब : 12
नबी (ﷺ) कैसे क़सम खाया करते थे

﴿12﴾
باب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ

(3263) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की अक्सर क़समें इस तरह की होती थी: (ला वमुकल्लिबिल कुलूब) 'नहीं, क़सम है उस ज़ात की जो दिलों का फेरने वाला है।'

(3263) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6617.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ : " لاَ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ात के साथ क़सम खाना ऐ़न तोहीद है। **(2)** क़सम के शूरू में ला लगाना, अ़रबी ज़बान का मारूफ़ उस्लूब है।

(3264) हज़रत अ़बू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बहुत ताकीदी क़सम खाते तो यूँ कहा करते थे: (वल्लज़ी नफ़्सु अबिल्क़ासिमि बियदिही) 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में अबुल क़ासिम की जान है!'

(3264) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/26, मुसनद अहमद: 3/48.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ "

मल्हूज़ : अक्सर रिवायात में ये अल्फ़ाज़ इस तरह आते हैं: (वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही) यानी अबुल क़ासिम (कुनियत) की बजाये, इस्मे गिरामी मुहम्मद (ﷺ) नाम लेते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ يَقُولُ : " لاَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "

(3265) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब क़सम खाते तो यूँ कहा करते: (ला वअस्तग़फ़िरूल्लाह) 'नहीं! और मैं अल्लाह से बख़्शिश चाहता हूं।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2093.

मल्हूज़ : रिवायत ज़ईफ़ है। और ये जुमला क़सम नहीं बल्कि क़सम से मुशाबा है। इसकी अस़ल ये हो सकती है (ला वल्लाहि, अस्तग़फ़िरूल्लाह) (बज़्लुल मज्हूद)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَيَّاشٍ السَّمَعِيُّ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهَمٌ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، : أَنَّ لَقِيطَ بْنَ عَامِرٍ، خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَقِيطٌ : فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لَعَمْرُ إِلَهِكَ " .

(3266) आस़िम बिन लक़ीत कहते हैं कि हज़रत लक़ीत बिन आमिर (ﷺ) एक वफ़द लेकर नबी (ﷺ) के पास आये। लक़ीत कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए। और इस सिलसिले में हदीस़ ज़िक्र की, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे इलाह की बक़ा की क़सम।'

(3266) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/13.

फ़ायदा : स़ही बुख़ारी में भी इसी क़िस्म के लफ़्ज़ के साथ ये रिवायत है। (लअमुरूल्लाहि लनक़्तुल्लन्नहू) (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6662) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने कहा है कि उमर, यहां हयात के मानी में है। इस लफ़्ज़ के साथ खाने वाला अल्लाह की बक़ा के साथ क़सम खाता है और बक़ा अल्लाह की ज़ाती सिफ़त है। इसलिए इस तरह क़सम खाना स़ही है। (फ़तहुल बारी)

बाब : 13
क्या किसी को क़सम देना भी क़सम में दाख़िल है?

﴿13﴾ باب فِي الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لاَ تُقْسِمْ " .

(3267) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र (﵁) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़सम दी तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम मत दो' (तफ़्सील नीचे की रिवायत में है)

(3267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7046, मुसनद अहमद: 1/219, व मुस्लिम: 2269.

फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं अगर कोई शख़्स किसी को महज़ यूँ कह दे कि तुझे 'क़सम है' ये क़सम नहीं, लेकिन अगर यूँ कहे कि 'तुझे अल्लाह की क़सम है' तो ये क़सम होगी और फिर उसके मुताबिक़ अमल करना लाज़िम होगा। लेकिन अगर कोई पूरी न कर सके तो कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ ابْنُ يَحْيَى كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا " . فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا

(3268) जनाब इब्ने अब्बास (﵁) से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरह (﵁) बयान किया करते थे कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: बेशक मैंने आज रात ख़्वाब देखा है और फिर उसने अपना ख़्वाब बयान किया। और फिर हज़रत अबूबक्र (﵁) ने उसकी ताबीर की, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने कुछ में दुरूस्त कहा है और कुछ में ख़ता की है।' तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपको क़सम देता हूं, मेरा बाप आप पर फ़िदा हो! आप मुझे ज़रूर बतायें कि मैंने क्या ग़लती की है, तो नबी (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'क़सम मत दो।'

الَّذِي أَخْطَأْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لاَ تُقْسِمْ " .

(3268) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7000, तिर्मिज़ी, हदीस़: 2293, इब्ने माजा: 3918.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ، زَادَ فِيهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ .

(3269) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की, मगर इसमें क़सम का ज़िक्र नहीं है। और इसमें मज़ीद ये है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें वज़ाहत नहीं की।

(3269) तख़रीज : हदीस़: 3267 में देखें, व मुस्लिम: 3267.

﴿14﴾ باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الطَّعَامِ لاَ يَأْكُلُهُ

बाब : 14
अगर कोई क़सम खा ले कि ये खाना नहीं खाऊंगा

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَوْ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَ : لاَ أَرْجِعَنَّ إِلَيْكَ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ ضِيَافَةِ هَؤُلاَءِ وَمِنْ قِرَاهُمْ فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوا : لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكْرٍ . فَجَاءَ فَقَالَ : مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ

(3270) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र(ﷺ) बयान करते हैं कि हमारे यहां कुछ मेहमान आ गये, जबकि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) रात को नबी (ﷺ) के साथ गुफ़्तगू में मशग़ूल हो जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे आने तक तुम उनकी ज़ियाफ़त और ख़िदमत से फ़ारिग़ हो जाना। चुनांचे मैं उनके पास उनकी ज़ियाफ़त लेकर आया तो उन्होंने कहा: हम नहीं खायेंगे यहाँ तक कि अबूबक्र (ﷺ) आ जायें। चुनांचे वह (देर से) आये और पूछा कि तुम्हारे मेहमानों का क्या हूआ, क्या तुम उनकी मेहमानदारी से फ़ारिग़ हो चुके हो? घर वालों ने कहा: नहीं। मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं उनके पास

أَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا : لاَ . قُلْتُ : قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا : وَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيءَ، فَقَالُوا : صَدَقَ قَدْ أَتَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ : فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوا : مَكَانُكَ . قَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ فَقَالُوا : وَنَحْنُ وَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ . قَالَ : مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ - قَالَ - قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ . قَالَ : فَقُرِّبَ طَعَامُهُمْ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوا فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا، قَالَ : " بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ " .

उनकी ज़ियाफ़त लेकर गया था मगर उन्होंने इंकार कर दिया और कहा: अल्लाह की क़सम! हम नहीं खायेंगे यहाँ तक कि अबूबक्र आ जायें। उन मेहमानों ने भी तसदीक़ की, कि ये हमारे पास ज़ियाफ़त लाया था मगर हमने इंकार कर दिया यहाँ तक कि आप आ जायें। अबूबक्र (ﷺ) ने पूछा: तुम्हें (मेरे बग़ैर) खाने से क्या चीज़ रूकावट रही? उन्होंने कहा: आपके बाइस़। (आपकी अ़दमे मौजूदगी) तो अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं आज रात ये नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा: और हम भी अल्लाह की क़सम! नहीं खायेंगे यहाँ तक कि आप खायें। अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: आज जैसी बुरी रात मैंने नहीं देखी और फ़रमाया: खाना लाओ। चुनांचे उनका खाना पेश किया गया तो कहा: बिस्मिल्लाह। और खाने लगे और मेहमानों ने भी खाया। (अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं) मुझे बताया गया कि सुबह के वक़्त वह (अबूबक्र (ﷺ) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और वह सब आप (ﷺ) के गोश गुज़ार किया जो कुछ उन्होंने (अबूबक्र) ने किया और मेहमानों ने किया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उनसे बढ़ कर स़ालेह हो और सच्चे भी। (कि मेहमानों के इकराम में उनकी क़सम के मुताबिक़ खाना खा लिया।)'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6140, व मुस्लिम: 2057.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ عَنْ سَالِمٍ، فِي حَدِيثِهِ قَالَ : وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ .

(3271) अबू उ़स्मान ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र से ये हदीस़ ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत की। और इब्ने मुसन्ना ने सालिम की इस हदीस़ में ज़्यादा कहा: मुझे ये बात नहीं पहुँची कि (हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने) कफ़्फ़ारा भी दिया।

(3271) तख़रीज : मुस्लिम: 2057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये दिलचस्प हदीस़ सही बुख़ारी में तफ़्सील से पढ़ने के लायक़ है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 602) इसमें है कि एक करामत ज़ाहिर हूई कि खाना बढ़ गया और फिर वह उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भी ले गये। **(2)** इसमें हज़रत अबूबक्र (ﷺ) और उनके अहले बैत की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत का बयान है और ये कि मेहमान नवाज़ी एक अहम शरई हक़ है। **(3)** शरई ज़रूरत के तहत इशा के बाद ज़रूरी मामलात अंजाम देना जायज़ है। **(4)** मेहमानों के साथ मिलकर खाने में एक दूसरे का इकराम है और ये एक मुस्तहब अ़मल हैं **(5)** शरई हुक़ूक़ की कोताही में बड़ी उ़मर की औलाद को दूसरों के सामने भी डाँट डपट की जा सकती है। **(6)** किसी बात पर क़सम खायी हो लेकिन उसका दूसरा पहलू ज़्यादा बेहतर हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिए। **(7)** औलिया और स़ालेहीन की करामात हक़ है। **(8)** ऊपर दी गई सूरत में अगर किसी ने क़सम तोड़ी हो तो कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के क़िस्से में कफ़्फ़ारे का ज़िक्र वैसे ही नहीं आया। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है ये वाक़िया वजूबे कफ़्फ़ारा से पहले का हो और कुछ ने उसे लग़्व क़सम शुमार किया है, मगर ये ठीक नहीं है।

﴾15﴿ بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

बाब : 15 क़तअ़ ताल्लूक़ की क़सम खा लेना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، : أَنَّ أَخَوَيْنِ، مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ

(3272) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत है कि अंस़ारियों में दो भाईयों में विरास़त का मामला था। एक ने दूसरे से तक़सीम का मुतालबा किया तो उसने कहा: अगर तूने मुझसे दोबारा तक़सीम की बात की

तो मेरा सब माल काबा के लिए वक़्फ़ हूआ। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने उससे फ़रमाया: काबा तेरे माल का मोहताज नहीं। अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर और अपने भाई से (तक़सीम के बारे में) बात कर। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'रब तआला की नाफ़रमानी में तेरी कोई क़सम है, न नज़र और क़तअ रहमी में नज़र है और न उस चीज़ में जिसका तू मालिक नहीं।'

(3272) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 10/65, 66, हाकिम: 4/300.

(3273) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई नज़र नहीं सिवाए उसके जिसमें अल्लाह की रज़ा मक़सूद हो और न क़तअ रहमी में क़सम है।'

(3273) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस बयान की जा चुकी है, हदीस: 2191, 2192.

(3274) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इब्ने आदम जिस चीज़ का मालिक न हो उसमें नज़र नहीं और न उसमें क़सम है और न अल्लाह की नाफ़रमानी में और न क़तअ ताल्लुक़ी में। और जिसने क़सम खायी हो और फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरे पहलू में ज़्यादा ख़ैर देखे तो चाहिए कि क़सम छोड़ दे

فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ : إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ " .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ " .

حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ

फ़ि मअ़सियतिल्लाहि ...

فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " . إِلاَّ فِيمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لأَحْمَدَ : رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ : تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لاَ يُعْرَفُ .

और जो ख़ैर हो उस पर अ़मल करे। बिलाशुब्हा उसका छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) की सब अहादीस़ में यही है कि क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे, मगर इन रिवायात में (इसके बरअक्स बयान हूआ है) जिनका कोई ऐतबार नहीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (रह.) से पूछा, क्या यहया बिन सईद ने यहया बिन ड़बैदुल्लाह से रिवायत किया है? तो उन्होंने कहा कि बाद में छोड़ दिया था और वह उसी लायक़ था। और इमाम अहमद (रह.) ने कहा: उसकी अहादीस़ मुन्कर (बहुत ज़्यादा) हैं और उसका बाप ग़ैर मारूफ़ है।

(3274) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 10/33, 34, नसाई, हदीस़: 3823.

फ़ायदा : इस रिवायत में (मन हलफ़ा अ़ला यमीनिन) से आख़िर तक का हिस्सा ज़ईफ़ है। अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) और जिस काम पर क़सम खायी है, उसे तर्क करे तो कफ़्फ़ारा देना राजेह है।

﴿16﴾ بَابٌ فِيمَنْ يَحْلِفُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

बाब : 16
जो शख़्स जान बुझकर झूठी क़सम खाये

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى

(3275) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि दो शख़्स अपना झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लेकर आये, तो नबी (ﷺ) ने मुदई (दावा करने वाले) से

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاَصِ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ .

गवाह तलब किये तो उसके पास गवाह नहीं थे। तब आपने मुद्दआ अलैह (विपक्ष) से क़सम तलब की तो उसने कहा: 'क़सम है अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! (मैंने ये काम नहीं किया है जो मुद्दई कहता है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्यों नहीं, तहक़ीक़ तूने ये किया है, लेकिन अल्लाह ने तुझे इख़्लास के साथ (ला इलाहा इल्लल्लाह) कहने की वजह से बख़्श दिया है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं इससे मुराद ये है कि आप (ﷺ) ने उसे (झूठी क़सम खाने पर) कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया।

(3275) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/253, हाकिम: 4/96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) झूठी क़सम को 'यमीने ग़मूस' कहते हैं। यानी इंसान को गुनाह और हलाकत में डूबो देने वाली। ये बड़े गुनाहों में शुमार है और इसका कोई माली कफ़्फ़ारा नहीं। दीन और आख़िरत का एक़ाब बहुत बड़ी सज़ा है, अलबत्ता तौबा व नदामत और आइन्दा ऐसा न करने का इरादा ही उसका कफ़्फ़ारा है। **(2)** इस ख़ास वाक़िया की बुनियाद पर किसी मुसलमान को झूठी क़सम खाने की जुर्अत नहीं करनी चाहिए। **(3)** नबी (ﷺ) को वही के ज़रिये से ये इल्म हूआ कि उसने झूठी क़सम खायी है, इसलिए आपने पूरे यक़ीन के साथ उसके झूठे होने का ज़िक्र किया। इसके अलावा उसकी तलाफ़ी का बयान भी फ़रमाया।

बाब : 17
क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिए

﴿17﴾ باب الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

(3276) हज़रत अबू बुरदा अपने वालिद (हज़रत अबू मूसा अशअ़री) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर मैं कोई क़सम खाऊं और फिर उसके ख़िलाफ़ को बेहतर पाऊं तो बिज़्ज़रूर इंशाअल्लाह अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दूंगा और वही करूंगा जो बेहतर होगा।' या यूँ फ़रमाया: (इल्ला अतैतुल्लज़ी हुवा ख़ैरून व कफ़्फ़र्तु यमीनी) 'मगर मैं वह करूंगा जो बेहतर होगा और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूंगा।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6623, व मुस्लिम: 1649.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " . أَوْ قَالَ : " إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي "

(3277) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा! जब तुम कोई क़सम खाओ, फिर उसके ख़िलाफ़ को उससे बेहतर पाओ तो वही करो जो बेहतर हो और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने इमाम अहमद (रह.) से सुना कि वह क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करने की रूख़सत देते थे।

(3277) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6722, व मुस्लिम: 1652.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ .

फ़ायदा : किसी ने क़सम खायी हो लेकिन उस अम्र के ख़िलाफ़ में शरई और अख़्लाक़ी मसलिहत हो तो बेहतर ऑपशन पर अमल करना चाहिए और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये और इसमें वुसअत है कि पहले कफ़्फ़ारा दे या बाद में।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، نَحْوَهُ قَالَ : " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ .

(3278) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द मरवी है, मगर इस रिवायत में (ये इज़ाफ़ा) है: 'अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर और फिर उस पर अमल कर जो बेहतर हो।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में हज़रत अबू मूसा अशअरी हज़रत अदी बिन हातिम और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से अहादीस़ आयी हैं। कुछ में है कि पहले ख़िलाफ़े क़सम अमल करे फिर कफ़्फ़ारा दे और कुछ में है कि पहले कफ़्फ़ारा दे और फिर ख़िलाफ़े क़सम अमल करे।
तख़रीज : बैहक़ी, हदीस़: 10/53, व मुस्लिम: 1652

(18) بَابُ كَمِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ

बाब : 18
कफ़्फ़ारा में कौन सा स़ाअ मोतबर है

फ़ायदा : पुख़्ता क़सम (यमीने मुअक़्क़दा) तोड़ने में कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है। जिसका बयान सूरह मायदा की आयत: 89 में आया है: 'क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना है औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना है, या एक गुलाम या लौण्डी आज़ाद करना है और जो न पाये तो तीन दिन रोज़े रखे। ये तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा है जब तुम क़सम खाओ और अपनी क़समों की हिफ़ाज़त किया करो।' कफ़्फ़ार–ए–रमज़ान वग़ैरह की अहादीस की रोशनी में एक मिस्कीन के लिए तआम की मिक़्दार तक़रीबन एक मुद है। तो चाहिए कि वह मुद मदनी और हिजाज़ी हो, जो हमारे मौजूदा पैमाने के हिसाब से गेहूँ और चावल में तक़रीबन 625 ग्राम बनता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَّةِ، - وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَخٍ لِصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ : فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعًا - حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ أَخِي صَفِيَّةَ عَنْ صَفِيَّةَ أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَنَسٌ : فَجَرَّبْتُهُ، أَوْ قَالَ فَحَزَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ .

(3279) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन हरमला, उम्मे हबीबा बिन्ते ज़ुऐब बिन क़ैस मुज़निया से रिवायत करते हैं ... और ये उम्मे हबीबा पहले बनू असलम के एक शख़्स की ज़ोजियत में थीं। बाद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (ﵖ) के भतीजे के निकाह में आयीं ... इब्ने हरमला ने कहा: उम्मे हबीबा ने हमें एक पैमाना साअ़ हदिया दिया और बताया कि उसके शोहर (उम्मुल मोमिनीन सफ़िया (ﵖ) के भतीजे) ने हज़रत सफ़िया (ﵖ) से नक़ल किया कि ये साअ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का था। (रावी हदीस) जनाब अनस बिन अयाज़ कहते हैं कि फिर मैंने इस साअ़ को मापा तो (उस दौर के उमवी पैमाने) हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के पैमाने के मुताबिक़अढ़ाई मुद के बराबर पाया।

(3279) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ أَبُو عُمَرَ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوكٌ يُقَالُ لَهُ مَكُّوكُ خَالِدٍ وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ، قَالَ مُحَمَّدٌ : صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ .

(3280) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद अबू उ़मर का बयान है कि हमारे पास एक मुद था जो ख़ालिद (क़सरी) की तरफ़ मन्सूब था जो हारून के कैलजा (एक पैमाना) से दो गुना था।

मुहम्मद बिन मुहम्मद ने कहा: ख़ालिद के साअ़ (मुद) से हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक का साअ़ मुराद है।

(3280) तख़रीज : (सनद सही)

(3281) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद अबू उमर ने कहा: हमें मुसद्दद ने उमैया बिन ख़ालिद से बयान किया कि जब ख़ालिद अलक़सरी गवर्नर बना तो उसने सोलह को दो गुना कर दिया और फिर एक साअ सोला रत्ल का हो गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद को जंगी (स्याह फ़ाम) लोगों ने बाँध कर क़त्ल किया था और अपने हाथों से यूँ इशारा किया, अबू दाऊद (रह.) ने अपने हाथों को फैलाया और अपनी हथेलियों को ज़मीन की तरफ़ किया। कहा कि मैंने इसे ख़्वाब में देखा और उससे पूछा कि अल्लाह ने तुमसे क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा: मुझे जन्नत में दाख़िल कर दिया है। मैंने कहा: तो तुम्हें वक़्फ़ ने कोई ज़रर (नुक़सान) नहीं दिया! (ज़ंगियों के सामने बेदस्त वपा हो जाने से तुम्हें कोई नुक़सान नहीं पहुँचा बल्कि अल्लाह के यहां तुम्हारा मामला साफ़ ही रहा।

(3281) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ قَتَلَهُ الزِّنْجُ صَبْرًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ : أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ : فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ .

बाब : 19
मोमिन गर्दन (लौण्डी/गुलाम) के बयान में

﴾19﴿ باب فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

फ़ायदा : कई गुनाहों के कफ़्फ़ारे में गर्दन आज़ाद करने की तल्क़ीन आई है, कहीं आम है और कहीं इसका मुसलमान होना शर्त क़रार दिया गया है। आम मौक़े पर भी मोमिन गर्दन का आज़ाद करना अफ़ज़ल है।

(3282) हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी(ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ

मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी लौण्डी को थप्पड़ मारा है। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे मेरे लिए बहुत बुरा क़रार दिया। मैंने अर्ज़ किया: क्या मैं उसे आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास लाओ।' मैं उसे आपकी ख़िदमत में ले आया। आपने उससे दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अल्लाह कहाँ है?' उसने कहा: आसमान पर। आपने पूछा: 'मैं कौन हूं?' उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फ़रमाया: 'इसे आज़ाद कर दो बिलाशुब्हा ये मोमिन है।'

(3282) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 930 में देखें, व मुस्लिम: 537.

الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً . فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ : " ائْتِنِي بِهَا " . قَالَ : فَجِئْتُ بِهَا قَالَ : " أَيْنَ اللَّهُ " . قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ . قَالَ : " مَنْ أَنَا " . قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

फ़ायदा : जब एक थप्पड़ मारने के कफ़्फ़ारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस लौण्डी के मोमिन होने की बिना पर उसे आज़ाद करने का फ़रमाया तो दीगर कफ़्फ़ारात में बदर्जा औला चाहिए कि लौण्डी और गुलाम साहिबे ईमान हो।

(3283) जनाब शरीद बिन सुवैद सक़फ़ी (رضي الله عنه) कहते हैं कि उनकी वालिदा ने उनको वसीयत की कि वह उसकी तरफ़ से एक ईमानदार (लौण्डी या गुलाम) की गर्दन आज़ाद कर दें। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा ने वसीयत की है कि मैं उसकी तरफ़ से एक मोमिन गर्दन आज़ाद कर दूं, तो मेरे पास नोबी क़बीले की स्याह रंग लौण्डी है और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया। तो क्या मैं उसे आज़ाद कर दूं? तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ، : أَنَّ أُمَّهُ، أَوْصَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ، عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيدَ .

'उसे मेरे पास बुलाओ। चुनांचे उसे बुलाया तो वह आयी। नबी (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तेरा रब कौन है?' उसने कहा: अल्लाह। आप (ﷺ) ने पूछा: 'मैं कौन हूं?' उसने कहा: रसूलुल्लाह। आपने फ़रमाया: 'इसको आज़ाद कर दो, बिलाशुब्हा ये मोमिना है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (दूसरी सनद में) ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने इसे मुर्सल बयान किया है और शरीद का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3683.

फ़ायदा : अल्लाह तआला के यहां रंग व नसल की नहीं, ईमान व अ़मल की अहमियत है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، : أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً . فَقَالَ لَهَا : " أَيْنَ اللَّهُ " . فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأُصْبُعِهَا . فَقَالَ لَهَا : " فَمَنْ أَنَا " . فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى السَّمَاءِ، يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالَ : " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

(3284) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक शख़्स एक स्याह रंग लौण्डी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में लाया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ज़िम्मे एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है, तो आप (ﷺ) ने उस (लौण्डी) से दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अल्लाह कहाँ है?' उसने ऊंगली के इशारे से कहा कि आसमान पर है। फिर आपने पूछा: 'मैं कौन हूं?' तो उसने नबी (ﷺ) और आसमान की तरफ़ इशारे से समझाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे आज़ाद कर दो बेशक ये मोमिना है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/388.

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम वाज़ेह है कि कोई गूंगा या अ़जमी आदमी अपने इशारों से अपनी दिल की बात समझा दे तो मोतबर होता है।

बाब : 20
क़सम खाने के बाद क़द्रे तवक़्क़ुफ़ से इंशाअल्लाह कहना

﴿20﴾ باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بَعْدَ السُّكُوتِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " . ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْنَدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ : ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ .

(3285) जनाब इकरिमा से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा। अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा।' अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फ़रमाया: 'इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा)'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को कई एक ने शरीक से, उन्होंने सिमाक से, उसने इकरिमा से, उसने इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से, उसने नबी (ﷺ) से मुसनद रिवायत किया है। वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से रिवायत में कहा है: 'फिर आप (ﷺ) ने उन पर चढ़ाई नहीं की।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/47, 48.

फ़ायदा : मुस्तक़बिल (भविष्य) के मामलात में 'इंशाअल्लाह' कहना बहुत ज़रूरी है। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है: 'और (ऐ नबी!) आप किसी चीज़ के मुताल्लिक़ न कहें बेशक मैं उसे कल करने वाला हूं। मगर ये कि अल्लाह चाहे।' (अलकहफ़: 23, 24) इसके अ़लावा क़द्रे तवक़्क़ुफ़ से भी कहे, तब भी जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُهُ

(3286) जनाब इकरिमा (रह.) मरफ़ूअ़न बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फ़रमाया:

قَالَ : " وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " . ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " . ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ : ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

'(इंशाअल्लाह) अगर अल्लाह ने चाहा।' फिर आपने कहा: 'अल्लाह की क़सम! मैं कुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा, इंशाअल्लाह तआला।' आपने फिर कहा: 'अल्लाह की क़सम! मैं कुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा।' फिर ख़ामोश रहे बाद में फ़रमाया: 'इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा)'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत में वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से मज़ीद ये भी बयान किया: 'फिर आपने उन पर चढ़ाई नहीं की।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

﴾21﴿ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

बाब : 21 नज़र मानना नापसन्दीदा है

फ़ायदा : इंसान का किसी मशरूअ इबादत (नमाज़, रोज़ा, हज, उ़मरा या स़दक़ा वग़ैरह) को अपने ऊपर ख़ुद से लाज़िम कर लेना, जो उस पर लाज़िम न हो, नज़र कहलाता है। एक बाअमल मुसलमान को अव्वल तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख़्स मान ले तो इसका पूरा करना लाज़िम होता है, जैसे मोमिनीन की उ़म्दा सिफ़ात में शुमार किया गया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'मोमिन अपनी नज़्रें पूरी करते हैं।' (अद्दहर: 7), और हुज्जाज के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'और चाहिए कि वह अपनी नज़रें पूरी करें।' (अलहज: 29)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

(3287) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि (एक मौक़े पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) नज़र मानने से मना फ़रमाने लगे, आप फ़रमाते थे: 'नज़र किसी चीज़ को रद्द नहीं करती बल्कि इसके ज़रिये से बख़ील आदमी से माल निकाला जाता है।'

قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُولُ : " لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " . قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " النَّذْرُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا " .

मुसद्दद ने यूँ बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'बेशक नज़र किसी चीज़ को रद्द नहीं करती।'

(3287) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6608, व मुस्लिम: 1639.

फ़ायदा : ये मुमानिअत और नापसन्दीदगी इस क़िस्म की नज़र से है कि आदमी ये कहे अगर मेरा फुलां काम हो गया तो इतना माल सदक़ा कर दूंगा, क्योंकि होता तो वही है जो मुक़द्दर है। मगर इससे ये होता है कि जो आदमी आम हालात में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च नहीं करता, वह किसी मुश्किल में पड़ कर ख़र्च कर देता है। अलग़र्ज़ अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने को अपनी मतलब पूरा होने के साथ मशरूत ठहराना पसन्द नहीं किया गया।

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَىْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ " .

(3288) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(अल्लाह तआला का इरशाद है कि) नज़र इब्ने आदम की तक़दीर में, जिसे मैंने पहले से मुक़द्दर न किया हो, कोई तब्दीली नहीं लाती, बल्कि ये तक़दीर ही में से होता है कि इंसान नज़र मान लेता है जिसके ज़रिये से बख़ील से कुछ निकाला जाता है और वह कुछ करवाया जाता है जो वह उससे पहले नहीं कर रहा होता।'

(3288) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6694, व मुस्लिम: 1640.

फ़ायदा : नज़र मानना इस मानी में मना है जैसे कि जाहिल लोग समझते हैं कि इससे फ़ौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल होगा या किसी नुक़सान से बचाव हो जायेगा, वरना मुतलक़न अल्लाह का तक़र्रूब हासिल करने के लिए किसी इबादत को अपने ऊपर लाज़िम कर लेना मशरूअ है और फिर उसका पूरा करना भी वाजिब है। और इसी को नज़र कहा जाता है।

बाब : 22
गुनाह और नाफ़रमानी की नज़र मानने का बयान

﴿22﴾ باب مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

(3289) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी हो उसे चाहिए कि (उसे पूरा करते हूए) अल्लाह की इताअत करे, और जिसने अल्लाह की मासियत और नाफ़रमानी की नज़र मानी हो वह उसकी नाफ़रमानी न करे। (और नज़र को छोड़ दे)'

तख़रीज : बुख़ारी: 6696, 6700, मौता: 2/476

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .

बाब : 23
नाफ़रमानी की नज़र छोड़ देने में कफ़्फ़ारे का बयान

﴿23﴾ باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ

(3290) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई नज़र नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।'

(3290) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3866, 3869, तिर्मिज़ी, हदीस: 1564.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

फ़ायदा : इस कफ़्फ़ारे का बयान पीछे हदीस: 3279 के शुरू में गुज़र चुका है।

(3291) इब्ने वहब ने बवास्ता यूनुस, इब्ने शिहाब ज़ोहरी से ऊपर दी गई सनद से इसी के हम मानी रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने अहमद बिन शब्बूया से सुना, वह कहते थे कि इब्ने मुबारक ने इस हदीस में कहा है: (हद्दस अबू सलमा) 'यानी अबू सलमा ने हदीस बयान की' ये उस्लूबे बयान दलील है कि ज़ोहरी ने इसे अबू सलमा से बराहे रास्त नहीं सुना है। और अहमद बिन मुहम्मद (मर्वज़ी) ने कहा: इसकी दलील वह रिवायत है जो हमें अय्यूब बिन सलमान ने बयान की है। (नीचे दी गई रिवायत: 3292 में इसकी सनद आ रही है और इसमें इब्ने शिहाब ज़ोहरी और अबू सलमा के बीच दो वास्ते हैं जो इस सनद में नहीं हैं)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह कहते थे कि लोगों ने हम पर ये हदीस ख़लत मलत कर दी है। उनसे कहा गया: क्या इसका फ़साद आपके नज़दीक साबित है? और क्या अबूबक्र बिन अबी उवैस के अलावा किसी और ने भी इसे रिवायत किया है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन सलमान बिन बिलाल इस (अबू बक्र बिन अबी उवैस) से बेहतर था और अय्यूब ने इसे रिवायत किया है (जिसकी सनद नीचे दर्ज है)

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3865.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَةَ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ - حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ . قِيلَ لَهُ : وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : أَيُّوبُ كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ . يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ .

(3292) अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने बयान किया कि हमसे अय्यूब बिन सलमान ने बयान किया अबूबक्र बिन अबी उवैस से,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي

उन्होंने सलमान बिन बिलाल से, उन्होंने इब्ने अबी अतीक़ और मूसा बिन उक़्बा से, (दोनों ने) इब्ने शिहाब ज़ोहरी से, उन्होंने सलमान बिन अरक़म से रिवायत किया है कि यहया बिन अबी कसीर ने उनको ख़बर दी अबू सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से, वह कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मासियत (नाफ़रमानी) में कोई नज़र नहीं और इसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।'

अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने कहा: असल में हदीस की सनद यूँ है, अली बिन मुबारक, यहया बिन अबी कसीर से, वह मुहम्मद बिन ज़ुबैर से, वह अपने वालिद से, वह इमरान बिन हुसैन से, वह नबी (ﷺ) से। मरवज़ी का मक़सद ये है कि सलमान बिन अरक़म को इसमें वहम हूआ है। ज़ोहरी ने इससे रिवायत करते हूए (दो वास्ते छोड़ दिये और) उसे अबू सलमा से, उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से मुर्सल कर दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि बक़िया ओज़ाई से, उन्होंने यहया से, उन्होंने मुहम्मद बिन ज़ुबैर से अली बिन मुबारक की सनद से इसी के मिस्ल बयान किया।

(3292) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1525, नसाई, हदीस: 3870.

أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ : إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى بَقِيَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ .

(3293) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपनी बहन के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

जिसने ये नज़र मानी थी कि नंगे पाँव और नंगे सर हज करेगी, तो आपने फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि सर पर कपड़ा ले और सवारी पर सवार हो और तीन दिन के रोज़े रखे।'

(3293) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 3/136, हदीस: 4757, अस्सुग़रा, हदीस: 3846, तिर्मिज़ी, हदीस: 1544.

(3294) इब्ने जुरैज कहते हैं कि यहया बिन सईद ने मुझे लिखा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन ज़हर, मौला बनी ज़मरा ने लिखा ... और क्या ख़ूब आदमी था ... कि अबू सईद रूऐनी ने उसे ख़बर दी और मज़कूरा इस्नादे यहया से रिवायत किया और इसी के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

(3295) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नज़र मानी है कि पैदल हज करे, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तेरी बहन के मशक्क़त उठाने से कुछ नहीं करेगा, (उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा) उसे चाहिए कि सवार होकर हज करे और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे।'

(3295) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/310, हाकिम: 4/302, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 3046.

الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ : " مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " .

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، مَوْلَى لِبَنِي ضَمْرَةَ - وَكَانَ أَيَّمَا رَجُلٍ - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيَّ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ - يَعْنِي - أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ أُخْتَ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا

(3296) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) की बहन ने नज़र मानी कि बैतुल्लाह को पैदल ही जायेगी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे हुक्म फ़रमाया कि सवार हो और क़ुर्बानी करे।

तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस: 2340, मुसनद अहमद, 1/239, इब्ने जारूद, हदीस: 936.

फ़ायदा : हज से मुताल्लिक़ इस क़िस्म की नज़र में क़ुर्बानी करना लाज़िम कहा गया है और कहा जाता है कि मुस्तहब है ख़्वाह क़सम खाने वाला ज़ईफ़ और आजिज़ ही हो। (ये रिवायत आगे भी आ रही है, हदीस: 3303)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(3297) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) को जब ये बात पहुँची कि उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) की बहन ने पैदल हज करने की नज़र मानी है, तो आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला उसकी नज़र से बेपरवाह है, उसे हुक्म दो कि सवार हो जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उसे सईद बिन अबी अरूबा ने इसी की मानिन्द रिवायत किया है, नीज़ ख़ालिद ने भी बवास्ता इकरिमा नबी (ﷺ) से इसी की मानिन्द बयान किया है।

(3297) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/79, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُخْتَ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ وَلَمْ

(3298) जनाब इकरिमा (रह.) से मनक़ूल है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) की बहन (ने नज़र मानी) जैसे कि हिशाम ने रिवायत किया। मगर इसमें क़ुर्बानी का ज़िक्र नहीं बल्कि ये है कि आपने फ़रमाया: 'अपनी

يَذْكُرِ الْهَدْىَ وَقَالَ فِيهِ : " مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَامٍ .

बहन को हुक्म दो कि वह सवार हो जाये।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उसे ख़ालिद ने इकरिमा से रिवायत किया और हिशाम की रिवायत के हम मानी बयान किया।
तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 10/79.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ " .

(3299) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मेरी बहन ने नज़र मान ली कि बैतुल्लाह को पैदल जायेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि उसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त करूं। चुनांचे मैंने नबी (ﷺ) से मालूम किया तो आपने फ़रमाया: 'उसे चाहिए कि पैदल चले और सवार भी हो ले।'
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6704, व मुस्लिम: 1644.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا : هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ . قَالَ : " مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ " .

(3300) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी धूप में खड़ा है। आपने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो लोगों ने कहा: ये अबू इस्राईल है। उसने नज़र मानी है कि खड़ा ही रहेगा, बैठेगा नहीं, न साया हासिल करेगा और न बात चीत करेगा और रोज़ा रखेगा। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि बात चीत करे, साया हासिल करे और बैठ जाये और अपना रोज़ा पूरा करे।'
(3300) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9704.

फ़ायदा : नमाज़ में लम्बा क़ियाम करना और रोज़ा रखना अफ़ज़ल तरीन इबादात हैं। इसके अलावा

इस तरीके का नज़र मानना सब शैतानी काम हैं। इनको इबादत, फ़ज़ीलत या विलायत समझना ख़ालिस़ (शुद्ध) जहालत है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ " . وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(3301) हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि वह अपने दो बेटों के दरम्यान उनके सहारे (मशक्क़त) से चल रहा है। आपने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो लोगों ने कहा कि उसने पैदल चलने की नज़र मानी है। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला उसके अपने आपको अ़ज़ाब देने से बेपरवाह है।' और उसे हुक्म दिया कि 'सवार हो जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को अ़म्र बिन अबी अ़म्र ने बवास्ता आ़रज, हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6701, व मुस्लिम: 1642.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .

(3302) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। आप एक आदमी के पास से गुज़रे कि दूसरा उसे नकेल डाल कर ले जा रहा था तो नबी(ﷺ) ने उसकी नकेल को अपने हाथ से तोड़ डाला और उसे हुक्म दिया कि उसका हाथ पकड़ कर चले।

(3302) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1620.

फ़ायदा : किसी का नकेल डाल कर चलना या उसे चलाना इंसानी शर्फ़ की तौहीन है। इस्लामी शरीअ़त और रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़िस्म की जहालतों से इंसानों को आज़ाद करने के लिए आये हैं: 'और आप (ﷺ) उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ थे उन को उतारते हैं।' (अल आराफ़: 157)

(3303) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ﷺ) की बहन ने नज़र मानी की पैदल हज करेगी, और इसमें उसकी हिम्मत नहीं थी। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल तेरी बहन के पैदल चलने से बेपरवाह है, उसे चाहिए कि सवार हो और एक ऊँटनी क़ुर्बानी दे।'

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3296 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ أُخْتَ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، مَاشِيَةً وَأَنَّهَا لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْىِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً ".

मल्हूज़ : 3293 नम्बर हदीस में भी ये रिवायत गुज़री है, इसमें है कि नबी (ﷺ) ने उसे तीन दिन के रोज़े रखने का हुक्म दिया। और उसमें रोज़ों की जगह क़ुर्बानी करने का ज़िक्र है। जिसमें रोज़ों का ज़िक्र है, वह ज़ईफ़ है और ये क़ुर्बानी वाली रिवायत सही है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी अल इरवा (8/218–221) में इसी को महफ़ूज़ क़रार दिया है।

(3304) जनाब इकरिमा (रह.) से मनक़ूल है कि हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर जोहनी (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से कहा: बेशक मेरी बहन ने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ पैदल चलेगी तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला तेरी बहन के बैतुल्लाह की तरफ़ पैदल चलने से कुछ नहीं करेगा।' (अल्लाह को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा)

(3304) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/79, मुसनद अहमद: 4/201.

حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ . فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِمَشْىِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا " .

बाब : 24
जो शख़्स बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने की नज़र मान ले

﴿24﴾ باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، : أَنَّ رَجُلاً، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : " صَلِّ هَا هُنَا " ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " صَلِّ هَا هُنَا " ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " شَأْنَكَ إِذًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3305) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि फ़तहे मक्का वाले दिन एक आदमी खड़ा हूआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी है कि अगर अल्लाह ने आपको मक्का फ़तह करा दिया तो मैं बैतुल मुक़दिस में दो रकअत नमाज़ पढूंगा। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहीं (बैतुल्लाह अलहराम में) पढ़ लो।' उसने अपनी बात दोहराई तो आपने फ़रमाया: 'यहीं पढ़ लो।' उसने अपनी बात तीसरी बार दोहराई तो आपने फ़रमाया: 'तब तेरी मर्ज़ी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) से भी नबी (ﷺ) से इसके मिस्ल मरवी है।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद, हदीस: 3/363, इब्ने जारूद, हदीस: 945, हाकिम: 4/304.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،

(3306) जनाब उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने नबी (ﷺ) के कई एक सहाबा से ये ख़बर रिवायत की है और इसमें इज़ाफ़ा है कि फिर नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसने मुहम्मद (ﷺ) को हक़ के साथ मबऊस किया है! अगर तू यहां नमाज़ पढ़

وَعَمْرًا، وَقَالَ، عَبَّاسٌ : ابْنَ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ . زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَا هُنَا لأَجْزَأَ عَنْكَ صَلاَةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

लेता तो ये तेरी बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने से किफ़ायत कर जाता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को (मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुसन्ना) अलअंसारी ने इब्ने जुरैज से रिवायत किया तो (सनद के रावियों में हफ़्स बिन उ़मर की बजाये) जाफ़र बिन अ़म्र कहा और ऐसे ही (अ़म्र बिन हन्ना की बजाये) अ़म्र बिन हय्या कहा (या के साथ) और कहा कि इन दोनों ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ और दीगर कई सहाबा से रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/373.

फ़ायदा : अगर किसी ख़ास जगह इबादत की नज़र मानी हो तो जायज़ है कि उससे अफ़ज़ल जगह में अपनी नज़र पूरी कर ले। सबसे अफ़ज़ल मस्जिद बैतुल्लाह अलहराम, बाद में मस्जिदे नबवी और फिर बैतुल मक़्दिस है।

(25) باب فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

बाब : 25
मय्यत की तरफ़ से नज़र पूरी करना

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْضِهِ عَنْهَا" .

(3307) हज़रत सअ़द बिन उबादा (ؓ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त किया और कहा कि मेरी वालिदा फ़ौत हो गयी है और उसके ज़िम्मे नज़र थी जो वह पूरी नहीं कर सकी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से पूरी कर दो।'

(3307) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2761, मौता: 2/472, व मुस्लिम: 1638.

फ़ायदा : मय्यत की तरफ़ से उसकी औलाद या रिश्तेदार नज़र पूरी कर दें, तो दुरूस्त है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ امْرَأَةً، رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا .

(3308) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) से रिवायत है कि एक औरत समंदरी सफ़र में गयी तो उसने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उसे निजात दे दी तो वह एक महीना रोज़े रखेगी। चुनांचे अल्लाह ने उसे निजात दे दी, मगर उसने रोज़े न रखे यहाँ तक कि मर गयी। पस उसकी बेटी या बहन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आयी तो आपने उसे हुक्म दिया कि वह उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले।

(3308) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/216, नसाई, हदीस: 3847, हदीस: 3310, मुसनद अहमद: 1/338.

फ़ायदा : मय्यत के ज़िम्मे रोज़े रहते हों तो वारिसों पर वाजिब है कि उसकी तरफ़ से रोज़े रखें या उसका फ़िद्या दें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بُرَيْدَةَ : أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ . قَالَ : " قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ " . قَالَتْ : وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو .

(3309) हज़रत बुरैदा (﵁) से रिवायत है कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आयी और कहा: मैंने अपनी वालिदा को एक लौण्डी सदक़ा (अतिया) की थी और अब वह (वालिदा) फ़ौत हो गयी है और लौण्डी तर्के में छोड़ गयी है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरा सवाब साबित हूआ और वह लौण्डी विरासत में तुझे दोबारा मिल गयी। 'उसने बताया कि वालिदा के ज़िम्मे एक महीने के रोज़े भी हैं। आगे ऊपर दी गई हदीस अम्र बिन औफ़ की मानिन्द बयान की।

(3309) तख़रीज : हदीस: 1606 में देखें, व मुस्लिम: 1149.

बाब : 26
जो कोई फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वारिस उसकी तरफ़ से रोज़े रखे

﴾26﴿
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

(3310) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि एक औरत नबी (ﷺ) के पास आयी और कहा: बेशक मेरी वालिदा के ज़िम्मे एक महीने के रोज़े थे तो क्या मैं उसकी तरफ़ से क़ज़ा कर सकती हूं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तेरी वालिदा पर क़र्ज़ा होता तो क्या तू उसे अदा करती?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह का क़र्ज़ा ज़्यादा अहम है कि उसे अदा किया जाये।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1953, व मुस्लिम: 1148.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، - الْمَعْنَى - عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ : " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ " . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ".

फ़ायदा : मसाइल समझाने के लिए मिसालों से मदद लेने से बात ख़ूब वाज़ेह हो जाती है यहाँ तक कि सादा ज़हन आदमी भी मक़सद समझ जाता है।

(3311) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वली (वारिस) उसकी तरफ़ से रोज़े रखे।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ

الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " .

(3311) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 1952, व मुस्लिम: 1147.

﴿27﴾ بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

बाब : 27
नज़र पूरी करने का हुक्म

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، : أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ . قَالَ : " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " . قَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : " لِصَنَمٍ " . قَالَتْ : لاَ . قَالَ : " لِوَثَنٍ " . قَالَتْ : لاَ . قَالَ : " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " .

(3312) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आयी और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नज़र मान रखी है कि मैं आपके सर के पास दुफ़ बजाऊंगी। आपने फ़रमाया: 'अपनी नज़र पूरी कर ले।' उसने कहा: मैंने नज़र मानी है कि फ़ुलां फ़ुलां जगह जानवर ज़बह करूंगी, जहां कि अहले जाहिलीयत ज़बह किया करते थे। आपने पूछा: 'क्या वहां कोई मूर्ति थी जिसके लिए वह ज़बह करते थे?' उसने कहा: नहीं। आपने पूछा: 'तो क्या कोई बुत था जिसके लिए ज़बह करते थे?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'अपनी नज़र पूरी कर ले।'

(3312) **तख़रीज : (सनद हसन)** बैहक़ी: 10/77.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आलाते मोसीक़ी में से सिर्फ़ दुफ़ ही ऐसी चीज़ है जिसे इस्लाम में ख़ूशी के मौक़े पर बजाने की इजाज़त है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) की जिहाद से ख़ैर व सलामती के साथ तशरीफ़ आवरी सब ख़ूशियों से बढ़ कर ख़ूशी थी मगर आप (ﷺ) की हयाते मुबारका में दौरे जदीद

की बिदअत वाली रस्म जश्ने मीलाद को इससे मिलाना बहुत बड़ा जुर्म होगा। (2) अगर किसी ख़ैर के काम में मुश्रिकीन व बिदअतियों के साथ कोई मुशाबहत व मुवाफ़िक़त हो रही हो जिसमें कि उनके आमाले कुफ़्र व शिर्क और बिदअत की ताईद न हो तो इस अमले ख़ैर पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। जैसे कि नीचे की हदीस में भी आ रहा है। (3) 'वसन' बुत को भी कहते हैं और बुतों जैसे मुश्रिकाना अड्डों को भी, जैसे दरगाह, आस्ताने और मक़ाबिर वग़ैरह।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ " . قَالُوا : لاَ . قَالَ : " هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ " . قَالُوا : لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " .

(3313) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (ﷺ) ने बयान किया रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक शख़्स ने नज़र मानी कि वह मक़ामे बुवाना पर एक ऊँट ज़बह करेगा। फिर वह नबी (ﷺ) के पास आया और कहा: बेशक मैंने बुवाना में ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी है। नबी (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या वहां जाहिलीयत का कोई बुत था जिसकी इबादत होती रही हो?' सहाबा ने कहा: नहीं। आपने पूछा: 'क्या वह जगह उनकी मेलागाह थी?' सहाबा ने कहा: नहीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी नज़र पूरी कर ले, तहक़ीक़ ऐसी नज़र की कोई वफ़ा नहीं जिस में अल्लाह की नाफ़रमानी हो, और न उसकी जो इंसान की मिल्कीयत में न हो।'

(3313) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 2/75, 76, हदीस: 1340.

फ़ायदा : ऐसे मक़ामात जहां अहले कुफ़्र व शिर्क और अहले बिदअत अपने मख़सूस आमाल सर अंजाम देते हों, सुन्नत की इत्तिबा करने वाले मुसलमान को उन जगहों में अल्लाह की इबादत से बचना चाहिए। इसी तरह वह मख़सूस अय्याम व तारीख़ भी जिनमें उन लोगों ने अपनी बिदआत को शोहरत दे रखी हो, उनमें उनके से आमाले ख़ैर से बचना अफ़ज़ल है ताकि उनसे और उनकी बिदआत से बराअत का इज़हार हो।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قَالَتْ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَرِي، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ : الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ قَالَتْ : فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ . قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَلْ بِهَا مِنَ الأَوْثَانِ شَيْءٌ " . قَالَ : لاَ . قَالَ : " فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ " . قَالَتْ : فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ

(3314) हज़रत मैमूना बिन्ते करदम (ﷺ) का बयान है कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए रवाना हूई जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज के लिए तशरीफ़ ले गये थे, तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ियारत की। मैंने लोगों को सुना, कहते थे कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं। मैं आपको ख़ूब नज़र भर कर देखती रही। फिर मेरे अब्बा उन के क़रीब हूए जबकि आप (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आपके पास एक दुर्रा था जैसे कि मक्तब के मुअल्लिम के पास होता है। मैंने बदवीयों को और लोगों को सुना जो कह रहे थे अत्तब्तबीया अत्तब्तबीया (चलते हूए पाँव पड़ने की आवाज़ तब तब या कोड़ा मारने की आवाज़) मेरे अब्बा आप (ﷺ) के क़रीब हूए और आपके क़दम पकड़ लिए और आपकी रिसालत का इक़रार किया और आपके पास खड़े रहे और आपके इरशादात सुने और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नज़र मानी है कि अगर मेरे यहां लड़के की विलादत हूई तो मैं बुवाना के सिरे पर घाटी में कई बकरियाँ ज़बह करूंगा। रावी कहता है ग़ालिबन इस (मैमूना) ने पचास कहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'जो तूने अल्लाह के लिए नज़र मानी है उसे पूरा कर।' चुनांचे मेरे अब्बा ने बकरियों को जमा किया और उन्हें ज़बह करने लगे तो उनमें से एक बकरी भाग गयी तो वह उसे ढूंढने

فَطَلَبَهَا، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِي . فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا .

निकले और कहते जाते थे: 'ऐ अल्लाह! मुझ से मेरी नज़र पूरी करा दे।' चुनांचे उन्होंने उसे पा लिया और फिर ज़बह कर दिया।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** हदीस: 2103 में देखें।

फ़ायदा : चाहिए कि जहां कि नज़र मानी गयी हो, वहीं पूरी की जाये मगर ये कि कोई मक़ाम उससे ज़्यादा अफ़ज़ल हो जैसे कि हरमैन। तो अफ़ज़ल मक़ाम पर भी नज़र पूरी की जा सकती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهَا، نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ : " هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ " . قَالَ : لاَ . قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْىٌ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : أَنَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ " .

(3315) जनाब अम्र बिन शुऐब ने हज़रत मैमूना बिन्ते करदम (ﷺ) से, उसने अपने वालिद से इसी की मानिन्द रिवायत किया। लेकिन क़द्रे इख़्तिसार के साथ। आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या वहां कोई बुत था या जाहिलीयत का मेला था?' कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा: मेरी इस वालिदा के ज़िम्मे नज़र है और पैदल चलना। क्या में उसे उसकी तरफ़ से क़ज़ा अदा करूं? (और बलफ़्ज़ इब्ने बश्शार) क्या हम उसकी तरफ़ से क़ज़ा अदा करें? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ'

तख़रीज : **(सनद हसन)** ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

﴿28﴾ باب فِي النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

बाब : 28
आदमी जिस चीज़ का मालिक न हो उसमें नज़र नहीं

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ

(3316) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) की) अज़्बा ऊँटनी (पहले) बनू अक़ील के एक आदमी के पास थी और ये हाजियों की सब सवारियों से आगे रहती थी। चुनांचे वह आदमी क़ैद कर

بْنِ حُصَيْنٍ، : قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ : فَأُسِرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي وَثَاقٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ عَلاَمَ تَأْخُذُنِي وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ : " نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ " . قَالَ : وَكَانَ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ : وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ : وَقَدْ أَسْلَمْتُ . فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهِمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى - نَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ : " مَا شَأْنُكَ " . قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي إِنِّي ظَمْآنٌ

लिया गया और नबी (ﷺ) के हुज़ूर पेश किया गया जबकि वह बँधा हूआ था और नबी (ﷺ) अपने गधे पर थे उस पर एक कपड़ा डाला गया था। उसने कहा: ऐ मुहम्मद! तुमने मुझे क्यों पकड़ा है और इस ऊँटनी को भी जो हाजियों की सवारियों से आगे रहती है? आपने फ़रमाया: 'हमने तुझे तेरे हुल्फ़ा बनू स़क़ीफ़ के जुर्म में पकड़ा है।' रावी ने कहा: बनी स़क़ीफ़ ने नबी (ﷺ) के दो स़हाबा को क़ैद कर लिया था। उस आदमी ने दौराने गुफ़्तगू ये भी कहा: मैं मुसलमान हो चुका या कहा: मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया है। फिर जब नबी (ﷺ) चल दिये ... इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मैंने हदीस़ का ये हिस्सा मुहम्मद बिन ईसा से समझा है ... उस शख़्स ने पुकारा ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! और नबी (ﷺ) बहुत ही रहीम और नर्म दिल थे, तो आप उसकी तरफ़ मुतवज्जा हूए और पूछा: क्या बात है? उसने कहा: बेशक मैं मुसलमान हूं। आपने फ़रमाया: 'अगर तू ये बात उस वक़्त कहता जब तू अपने मामले का मालिक था तो कामिल तौर पर फ़लाह पा जाता ... ' इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मैं फिर सुलैमान की रिवायत की तरफ़ लौटता हूं ... उस आदमी ने कहा: ऐ मुहम्मद! मैं भूखा हूं मुझे खाना खिलाओ। मैं प्यासा हूं मुझे पानी पिलाओ। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '(यहां) ये तेरी हाजत (बरहक़) है।' या फ़रमाया: 'ये

فَاسْقِنِي . قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " هَذِهِ حَاجَتُكَ " . أَوْ قَالَ : " هَذِهِ حَاجَتُهُ " . قَالَ : فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ . قَالَ : وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ - قَالَ - فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ - قَالَ - فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ - فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ - قَالَ - فَنُوِّمُوا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلاَّ رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ - قَالَ - فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ - قَالَ - فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ لَتَنْحَرَنَّهَا - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجِيءَ بِهَا وَأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا فَقَالَ : " بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا " . أَوْ : " جَزَتْهَا " . : " إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا

इसकी ज़रूरत है।' अलग़र्ज़ उसे बाद में दो आदमियों के फ़िदये में छोड़ा गया। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अज़्बा ऊँटनी को अपनी सवारी के लिये रोक लिया। रावी ने बयान किया कि उसके बाद मुश्रिकीन ने मदीना के बाहर चरते जानवरों पर डाका डाला और अज़्बा ऊँटनी को भी ले गये। जब वह उसे ले गये थे तो मुसलमानों की एक औरत को भी क़ैद करके ले गये। वह लोग रात के वक़्त अपने ऊँटों को अपने बाड़ों में छोड़ते थे। एक रात उन पर नींद तारी कर दी गयी तो वह औरत उठी (कि फ़रार हो जाये), तो जिस ऊँट पर भी वह हाथ रखती वह बिलबिलाने लगता यहाँ तक कि अज़्बा ऊँटनी के पास आयी तो गोया एक नर्म ख़ू और सफ़र की आदी ऊँटनी के पास आ गयी (और वह बिलबिलाइ नहीं) तो वह उस पर सवार हो गयी। फिर उसने अपने लिये ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उसे निजात दे दी तो वह उस ऊँटनी को बिज़्ज़रूर ज़बह कर देगी। चुनांचे जब वह मदीना पहुँची तो ऊँटनी पहचान ली गयी कि ये नबी (ﷺ) की है। पस नबी (ﷺ) को उसकी ख़बर दी गयी तो आपने उसे बुलवाया, उसे लाया गया। और उसकी नज़र के मुताल्लिक़ बताया गया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसने इसे बहुत बुरा बदला दिया।' या फ़रमाया: 'तूने इसे बहुत बुरा बदला दिया है। अल्लाह तआला ने इसे इसके ज़रिये से निजात दी और ये इसे नहर

عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ .

करने चली है। जिस काम में अल्लाह की नाफ़रमानी हो या ऐसी चीज़ जिस का इंसान मालिक न हो, उसमें नज़र नहीं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये ख़ातून हज़रत अबू ज़र (ﷺ) की अहलिया थी।

(3316) तख़रीज : मुस्लिम: 1641.

फ़ायदा : इस वाक़िया में चूंकि ये ख़ातून इस ऊँटनी की मालिक न थी इसलिए इसकी नज़र लग़्व क़रार दी गयी। और ये भी मालूम हूआ कि इज़्तेरारी सूरत में औरत अकेले सफ़र कर सकती है।

﴾29﴿ باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

बाब : 29
जो ये नज़र माने कि सब माल सदक़ा कर दूंगा

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " . قَالَ فَقُلْتُ : إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ .

(3317) जनाब अब्दुल्लाह बिन काब जो अपने वालिद के नाबीना हो जाने के बाद उनके क़ायद हूआ करते थे। बयान करते हैं कि उसके वालिद (हज़रत काब बिन मालिक) (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा का शुक्राना ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना माल सदक़ा कर दूं और इससे दस्त बरदार हो जाऊं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल अपने पास रखे, ये तुम्हारे लिये बेहतर है।' तो उसने कहा: मैं अपना वह हिस्सा जो ख़ैबर वाला है, अपने पास रखता हूं।

(3317) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3855, बुख़ारी, 4418 व मुस्लिम: 2769.

फ़ायदा : किसी गुनाह और तक़सीर की तौबा में सदक़ा करना बहुत अफ़ज़ल अमल है। लेकिन इंसान

ख़ाली हाथ होकर रह जाये ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ज़ाहिदों के लिए जायज़ है जो उसके नताइज को बख़ैर व ख़ूबी बरदाश्त कर सकते हैं। जिसकी मिसाल हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़(ﷺ) हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي . فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى : " خَيْرٌ لَكَ " .

(3318) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक ने अपने वालिद से रिवायत किया कि जब उनकी तौबा क़बूल हो गयी तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि मैं अपने माल से दस्त बरदार होता हूं। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द (ख़ैरूल लका) तक बयान किया।

(3318) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً . قَالَ : " يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ"

(3319) हज़रत काब बिन मालिक (ﷺ) के स़ाहिबज़ादे अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: या अबू लुबाबा (ﷺ) ने, या किसी और ने कि मेरी तौबा का शुक्राना ये है कि मैं अपना पुश्तैनी घर जिसमें मुझ से ये गुनाह हूआ है, छोड़ दूं और स़दक़ा करके अपने सब माल से दस्त बरदार हो जाऊं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीसरा हिस्स़ा काफ़ी है।'

(3319) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/68, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : हज़रत अबू लुबाबा (रफ़ाआ बिन अ़ब्दुल मन्ज़िर (ﷺ) का क़िस्स़ा ये है कि रसूल (ﷺ) ने जब बनू क़ुरैज़ा का मुहास़रा किया और ये लोग (बनू क़ुरैज़ा) क़बील–ए–औस के हलीफ़ थे तो उन्होंने हज़रत अबू लुबाबा (ﷺ) से मशवरा लिया कि आया हम हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (ﷺ) को अपना हकम बनायें या न? तो अबू लुबाबा (ﷺ) ने इशारे से कहा कि अंजाम क़त्ल होगा। मगर इन्हीं लम्हों में उन्हें एहसास हो गया कि मैंने अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) की ख़यानत की है। चुनांचे वापस आये तो अपने आप को मस्जिद के सुतूनों के साथ बाँध लिया और क़सम खायी की अपने आप

को उस वक़्त तक नहीं खोलेंगे जब तक कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उनकी तौबा क़बूल न फ़रमा ले। बिल आख़िर एक हफ़्ता बाद अल्लाह तआ़ला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमा ली। (अस्दुल ग़ाबा)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ أَبُو لُبَابَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ لأَبِي لُبَابَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ.

(3320) हज़रत काब बिन मालिक (ﷺ) के स़ाहिबज़ादे का बयान है कि पिछला वाक़िया हज़रत अबू लुबाबा का है और इसके हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसे यूनुस ने बवास्ता इब्ने शिहाब ज़ोहरी, बनी साइब बिन अबी लुबाबा के किसी फ़र्द से और ऐसे ही ज़ुबैदी ने बवास्ता ज़ोहरी, हुसैन बिन सायब बिन अबी लुबाबा से इसके मिस्ल रिवायत किया है।

(3320) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/68, हदीस़: 3317 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً . قَالَ : " لاَ " . قُلْتُ : فَنِصْفَهُ . قَالَ : " لاَ " . قُلْتُ : فَثُلُثَهُ . قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ .

(3321) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन काब अपने वालिद से वह दादा से अपने क़िस्स़े में रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मेरी तौबा का अल्लाह के लिये शुक्राना ये है कि मैं अपना सब माल अल्लाह और उसके रसूल के लिये स़दक़ा कर दूं। आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: आधा माल। आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने अ़र्ज़ किया: तिहाई माल। आपने फ़रमाया: 'हाँ' तो मैंने कहा: मैं अपना ख़ैबर वाला हिस्स़ा रख लेता हूं।

(3321) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 3317 में देखें।

फ़ायदा : जिस शख़्स ने अपना कुल माल स़दक़ा करने की नज़र मानी हो, तो उसकी नज़र इस तरह पूरी की जाये कि उसका तिहाई (1/3) माल स़दक़ा कर दिया जाये।

बाब : 30
जो शख़्स ऐसी नज़र मान ले जिसकी वह ताक़त न रखता हो

﴿30﴾
باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

(3322) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने कोई ग़ैर मुअय्यन नज़र मानी हो, उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है, और जिसने किसी गुनाह के काम की नज़र मान ली हो तो उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है, और जिसने कोई ऐसी नज़र मान ली हो, जिसकी वह ताक़त न रखता हो तो उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है, और जिसने ऐसी नज़र मानी हो, जिसकी वह ताक़त रखता हो तो उसे पूरा करे।'** इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को वकीअ़ वग़ैरह ने अ़ब्दुल्लाह बिन सईद बिन अबी अल हिन्द से रिवायत करते हुए हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) पर मौक़ूफ़ क़रार दिया है।

(3322) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/45, इब्ने माजा, हदीस़: 2128, 10/72.

फ़ायदा : ये रिवायत मौक़ूफ़ है। इसलिए मरफ़ूअ के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं। सही मरफ़ूअ रिवायात से जो स़ाबित है, उसका ख़ुलास़ा इमाम शोकानी (रह.) ने इस तरह बयान किया है कि अगर मुअय्यन नज़र नेकी से मुताल्लिक़ हो, लेकिन उस पर अमल ताक़त व वुसअ़त से बाहर हो तो उसमें क़सम का कफ़्फ़ारा है और अगर वह इंसानी ताक़त व वुसअ़त के अंदर हो तो उसका पूरा करना वाजिब है चाहे उसका ताल्लूक़ बदन से हो या माल से। और अगर वह नज़र किसी मअ़स़ियत (नाफ़रमानी) की हो तो उसे पूरा

न करना वाजिब है। लेकिन उसमें कफ़्फ़ारे की अदायगी ज़रूरी नहीं। अगर इस नज़र का ताल्लुक़ मुबाह (जायज़) अम्र से हो और वह इंसानी ताक़त से ऊपर भी न हो तो वह नज़र भी मुन्अकिद हो जायेगी और इसमें कफ़्फ़ारे की अदायगी भी लाज़मी होगी, जैसे पैदल हज करने वाली सहाबिया को आपने पैदल हज पर जाने से मना फ़रमाया और उसे सवार होने का कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म दिया। और अगर वह काम इंसानी ताक़त से ऊपर हो तो उसमें कफ़्फ़ारा वाजिब है। (नैलुल अवतार)

﴾31﴿
باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

बाब : 31
जिसने कोई ग़ैर मुअय्यन नज़र मानी हो

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ .

(3323) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को अम्र बिन हारिस ने भी बवास्ता काब बिन अलक़मा, इब्ने शिमासा से और उसने हज़रत उक़्बा से रिवायत किया है।

(3323) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1528, व मुस्लिम: 1645.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

(3324) काब बिन अलक़मा ने इब्ने शिमासा से सुना, उसने अबू अलख़ैर से रिवायत किया, उसने हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान किया।

(3324) तख़रीज : मुस्लिम: 1645.

फ़ायदा : ऐसी सूरत में अस्हाबे हदीस़ कहते हैं कि अगर उसने नेक काम का इरादा किया हो तो उसे नज़र पूरी करने या कफ़्फ़ारा देने में इख़्तियार है और अगर किसी ग़लत काम का इरादा था, तो कफ़्फ़ारा दे।

बाब : 32
जिसने जाहिलीयत के अय्याम (दिनों) में नज़र मानी हो फिर मुसलमान हो जाये

﴿32﴾ باب مَنْ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ".

(3325) हज़रत उमर (ﷺ) का बयान है कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैंने जाहिलीयत में नज़र मानी थी कि मस्जिदे हराम में एक रात के लिए ऐतकाफ़ करूंगा। तो नबी (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अपनी नज़र पूरी करो।'

(3325) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2032, मुसनद अहमद: 1/37, व मुस्लिम: 1656.

फ़ायदा : हक़ बात की नज़र अगर हालते कुफ़्र में भी मानी हो तो उसे पूरा करना ज़रूरी है।